त्रयोदश माला, खंड 34, अंक 36

गुरुवार, 8 मई, 2003
18 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 34 में अंक 31 से 36 तक हैं)

PAR...
No. ...55
Date ...22/3/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 34, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 36, गुरुवार, 8 मई 2003/18 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 663, 667, 666 और 669	4–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 664, 665, 668 और 670 से 682	38–59
अतारांकित प्रश्न संख्या 6545 से 6770	59–376
गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में दिनांक 12.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण.	376
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	377
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	378–385
राज्य सभा से संदेश.	385
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति.	385–386
लोक लेखा समिति	
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन	386–387
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
बयालीसवां से चवालीसवां प्रतिवेदन	387
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
इकसठवां से तिरसठवां प्रतिवेदन	387
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ ग्यारहवां से एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन	388–389
याचिका का प्रस्तुतीकरण.	389

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में मिग लड़ाकू विमानों के निरंतर दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	390–403
श्री जे. एस. बराड़	390, 393–396
श्री जार्ज फर्नान्डीज	391–393, 396–402
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	396
सरकारी विधेयक — *पुरःस्थापित*	403–405
(एक) असम राइफल विधेयक	403–404
(दो) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक	404–405
सदस्यों द्वारा निवेदन	407–413
(एक) सरकारी कर्मचारियों और एक औद्योगिक घराने के कर्मचारियों की सांठगांठ से सरकारी दस्तावेजों और फाइलों के कथित रूप से गुम होने की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में	407–409
(दो) कावेरी नदी जल अधिकरण के अंतरिम अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के बारे में	410–413
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—*पारित*	413–444
विचार करने के लिए प्रस्ताव	413
श्री शरद यादव	414–415, 439–443
श्री लक्ष्मण सिंह	415–417
श्री एच.डी. देवगौडा	417–420
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	420–422
कुंवर अखिलेश सिंह	422–424
श्री बाजूबन रियान	425–426
श्री आदि शंकर	427–428
श्री मानसिंह पटेल	428–430
श्री दानवे रावसाहेब पाटील	430–433
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	433–435
श्री चन्द्रनाथ सिंह	435–436
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	436–437
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी	438
पारित करने के लिए प्रस्ताव	444

विषय कॉलम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन* 444–449

विचार करने के लिए प्रस्ताव 444

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 445

नियम 377 के अधीन मामले 449–456

(एक) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वायुसेना द्वारा जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान 449

(दो) गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर के बीच गोल्डन ब्रिज पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 449–450

(तीन) उड़ीसा के क्योंझर जिले के बांसपल ब्लाक में चाय बोर्ड को व्यापक चाय बागान लगाने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 450

(चार) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत 451

(पांच) वर्ष 2003-2004 के दौरान जैपुर से नौरंगपुर और जैपुर से मलकानगिरि में प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी 451–452

(छह) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार को अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 452

(सात) गुजरात के हिम्मतनगर आकाशवाणी केन्द्र में पर्याप्त संख्या में तकनीकी और कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री 452

(आठ) रीवा और मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के बीच रेल लाइन शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी 453

(नौ) तमिलनाडु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान एक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन 453–454

(दस) बकाया लंबित पेटेंट मामलों के निपटान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

विषय | कॉलम

श्री के. येरननायडू 454

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 454

(बारह) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की हिमायतनगर तहसील के जबलगांव में एक रेलवे क्रासिंग की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने 454-455

(तेरह) उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी भी भाषा में लोक सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमारासामी 455-456

(चौदह) कृषि क्षेत्र के विविधीकरण संबंधी सरदार सिंह जोहाल समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा 456

(पंद्रह) रेलवे के कुलियों को 'समूह घ' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामचन्द्र पासवान 456

नियम 193 के अधीन चर्चा 457-544

(एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का विनिवेश 457-493

श्री सोमनाथ चटर्जी 457-472

श्री खारबेल स्वाइं 472-477

श्री सी. श्रीनिवासन 477-480

डा. बी.बी. रमैया 483-485

श्री रामजीलाल सुमन 485-489

श्री प्रकाश परांजपे 489-493

(दो) भारत-पाकिस्तान संबंध 493-526, 527-544

श्रीमती सोनिया गांधी 493-496

डा. विजय कुमार मल्होत्रा 496-502

श्री रूपचन्द पाल 502-505

श्री चन्द्रकांत खैरे 506-508

श्री मुलायम सिंह यादव 508-511

श्री के. येरननायडू 512-513

श्री अनादि साहू 513–516

श्री राशिद अलवी 516–519

श्री मणिशंकर अय्यर 519–526

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम 527–529

श्री पी.एच. पांडियन 529

श्री प्रभुनाथ सिंह 529–530

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 530–532

श्री रामजीवन सिंह 532–534

श्री प्रबोध पण्डा 534

श्री रामविलास पासवान 535

श्री अली मोहम्मद नायक 535–536

श्री मोहन रावले 537

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 539–544

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

भू–समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जी.एस.एल.वी.) की सफल परीक्षण उड़ान 526

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 526

लोक सभा

गुरुवार, 8 मई, 2003/18 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आपके द्वारा सदन में किसानों के सवाल पर एक बार नहीं, बल्कि कई बार चर्चा कराई गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः पहले शोक प्रस्ताव है, कृपया बैठ जाइए।

पूर्वाह्न $11.0^1/_2$ बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे एक पूर्व साथी, श्री सुधाकर पाण्डे के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सुधाकर पाण्डे, 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पाण्डे, 1980 से 1986 तक राज्य सभा के सदस्य भी थे।

श्री पाण्डे एक योग्य सांसद थे। वह 1975 से 1976 तक प्राक्कलन समिति, 1976 से 1977 तक सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति और राजभाषा समिति के सदस्य थे। वह वर्ष 1971 के दौरान हिन्दी शिक्षा समिति और 1974 से 1977 तक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य भी थे।

श्री पाण्डे एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1943 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, श्री पाण्डे ने युवाओं और बेसहारा लोगों के कल्याण के लिए अनेक संस्थाओं और सोसायटियों की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कलाकारों, साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने और नई प्रतिभाओं के संवर्धन के लिए अथक रूप से कार्य किया। उन्होंने अनेक शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर उल्लेखनीय कार्य किया।

श्री पाण्डे एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने साहित्य, शिक्षा, कला और संस्कृति में गहरी रुचि ली। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उत्तर प्रदेश के हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 'साहित्य वृद्धि' सम्मान से अलंकृत किया।

वह, मारिशस में विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे।

श्री सुधाकर पाण्डे का निधन, 18 अप्रैल, 2003 को 76 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

मित्रो, 7 मई, 2003 को, त्रिपुरा में उग्रवादियों ने 33 लोगों की हत्या कर दी और अनेक लोगों को घायल कर दिया।

हम इन लोगों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और आतंकवाद की इस बर्बर घटना की निन्दा करते हैं। यह सभा इस घटना पर गहरा दुख प्रकट करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसानों के सवाल पर लगातार आपके द्वारा चर्चा कराई गई और सरकार ने उत्तर दिए, लेकिन उन उत्तरों के क्रम में कहीं भी सरकार ने अपने उत्तर का क्रियान्वयन नहीं

कराया। आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की दशा इतनी दयनीय है कि न्यायालय के आदेश की आड़ में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का गला घोट दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, ये हर रोज प्रश्न-काल में कोई न कोई मुद्दा उठाते हैं।...*(व्यवधान)* हमने भी जीरो आवर में उठाने के लिए नोटिस दिया हुआ है, हमें भी चांस मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सोमैया जी, अब वैसे ही सत्र समाप्त होने वाला है और यह गंभीर स्थिति है क्योंकि सात लाख क्विंटल गन्ना केवल कुशीनगर और थोड़ा सा देवरिया जिले में खड़ा हुआ है। वहां चीनी मिले बंद कर दी गई हैं। अब वहां कोई भी चीनी मिल नहीं चल रही है। केवल एक-दो चीनी मिलें रह गई हैं और वे भी बंद होने वाली हैं, इतनी गंभीर स्थिति है। अब गन्ने को कोई चारे के तौर पर भी नहीं लेगा। अब वह गन्ना कहां जाएगा—गन्ना सुखेगा। इसी तरह किसानों का तीन-तीन साल का गेहूं का बकाया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह सत्र कल समाप्त होने वाला है। आपने हमेशा दबाव देकर सदन में इस विषय पर चर्चा कराई है, लेकिन उस चर्चा से कोई परिणाम नहीं निकला है। कल सत्र समाप्त हो जाएगा और सरकार में बैठे लोग अपने दौरे पर चले जाएंगे या मौज-मस्ती पर निकल जाएंगे। ...*(व्यवधान)* अब आप बताइये कि किसानों का क्या होगा? इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात सही है।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप कोई ऐसा निर्देश दीजिए, जिससे किसानों को बकाया का भुगतान मिले और जो गन्ना खेतों में खड़ा है, उसका इन्तजाम किया जाये तथा किसानों का जो गेहूं का बकाया है, उसका भी भुगतान किया जा सके। गेहूं की खरीद तो शायद अब ये करेंगे ही नहीं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गन्ने का दाम गत वर्ष 95 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया...*(व्यवधान)* और इस वर्ष 82.50 रुपये एवं 85 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। इससे किसानों में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय: मैं जीरो आवर में आपको चांस दूंगा, प्लीज बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं देख रहा हूं। मंत्री जी को भी मैंने कहा है। मंत्री जी जब फ्री होंगे तो हाउस में जरूर आयेंगे। उन्हें मैंने मैसेज भेजा है। मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया है, अब आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 663, श्री महेश्वर सिंह।

[हिन्दी]

डा. जसवन्त सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 667 इससे मिलता-जुलता है। इसलिए दोनों को क्लब कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक सुझाव है कि प्रश्न संख्या 667 को इस प्रश्न अर्थात् प्रश्न संख्या 663 के साथ जोड़ दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि सभा इसके लिए सहमत हो। मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ ले रहा हूं।

[हिन्दी]

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग

***663. श्री महेश्वर सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वीकृत अधिकांश धनराशि का उपयोग नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत-तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रयुक्त राशि अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और क्या सरकार का नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वीकृत धनराशि का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान विक्लांगता के क्षेत्र में बजट आबंटन, संशोधित अनुमान और व्यय निम्नलिखित है:-

(रु. करोड़ में)

	ब.आ.	सं.अ.	व्यय	सं.अ. की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2000-2001	261.66	258.11	246.65	95.56%
2001-2002	261.89	274.32	271.78	99.07%
2002-2003	236.41	222.44	224.37	100.87%

उपरोक्त से स्थिति स्वत: स्पष्ट है।

(ग) से (च) मंत्रालय एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों का पुर्नविनियोजन स्कीम/कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार करता है। निधियों के अधिकतम उपयोग के लिए व्यय को मानीटर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। निधियों का कम उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य मंत्रालयों/विभागों से अनुमोदन/सहमति, कार्यान्वयन एजेंसियों से पूर्ण प्रस्ताव यथासमय प्राप्त न होने के कारण बजट अनुमान में दर्शायी गई राशि का कम या अधिक होना कटौती-बढ़ौतरी के रूप में संशोधित अनुमान के रूप में परिलक्षित होता है।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं

+*667. डा. जसवंतसिंह यादव:
योगी आदित्य नाथ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके उत्थान हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गयी धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1991 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार जनसंख्या को दर्शानेवाला एक विवरण अनुबंध-I पर है।

(ग) ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत निधियों के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं। स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना तथा सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति पहले निर्मुक्त किए गए अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होने पर ही की जाती है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक राज्य क्षेत्र योजना है जिसे 9वीं योजना में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। तत्पश्चात राज्यों से इसका समर्थन उनके अपने संसाधनों से करने की अपेक्षा की जाती है।

अनुबंध I

1991 में एनएसएसओ द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	15.72
2.	असम	2.71
3.	बिहार	13.61
4.	गुजरात	6.95
5.	हरियाणा	3.04
6.	हिमाचल प्रदेश	1.40
7.	कर्नाटक	8.76
8.	केरल	5.56
9.	मध्य प्रदेश	12.87
10.	महाराष्ट्र	18.19
11.	उड़ीसा	7.20
12.	पंजाब	5.31
13.	राजस्थान	7.23
14.	तमिलनाडु	12.36
15.	उत्तर प्रदेश	25.50
16.	पश्चिम बंगाल	11.79
	अखिल भारत	161.54

टिप्पणी: 1. आंकड़ों में (1) दृष्टि, (2) श्रवण, (3) वाणी, तथा (4) लोकोमोटर विकलांग शामिल है।

2. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिणाम नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि नमूना आकार को विश्वसनीय अनुमान के लायक नहीं समझा गया। तथापि, अखिल भारत स्तर पर प्रदर्शित परिणामों में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। 0-14 वर्ष आयु के लगभग 2-3% बच्चों के मानसिक मन्दता से पीड़ित होने का अनुमान किया गया। मानसिक रूप से रुग्ण के सम्बन्ध में आंकड़े ज्ञात नहीं हैं।

अनुबंध II

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना— स्वैच्छिक संगठनों को विशेष शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्थापन सेवाओं, आश्रम कार्यशालाओं, गृह आधारित सेवाओं, आदि के संचालनार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान निर्मुक्त किया जाता है।

2. सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना।

3. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार तथा सृजक कार्यकलापों के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है।

4. राष्ट्रीय संस्थान— विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास तथा जनशक्ति, विकास, अनुसंधान आदि के लिए कार्यरत मंत्रालय के तत्वावधान में छः राष्ट्रीय संस्थान हैं।

5. मेरूदंड क्षतियों तथा अन्य अस्थि विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों तथा संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना संबंधी योजना।

6. जिला पुनर्वास केन्द्र (डीआरसी), क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र— 11 जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई हैं। जिला पुनर्वास केन्द्रों के लिए 4 क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी उनके पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास के लिए की गई है। देश में 132 से अधिक जिलों का चयन जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए किया गया है जिसमें से 82 कार्यशील हैं।

7. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में देश भर के 74 जिलों को शामिल करते हुए सेवा प्रदान करने संबंधी व्यवस्था उपलब्ध करता है।

8. विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ उचित तथा नवीन प्रौद्योगिकीय उपकरणों को विकसित करने के लिए मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय परियोजना।

9. वर्ष 2000 में स्थापित आटिज्म, मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क अंगघात तथा बहुविकलांगताओं के ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास, विकलांग व्यक्तियों के परिवार के भीतर संकट के समय आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है तथा माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु की स्थिति में इन व्यक्तियों की देखभाल और संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देता है।

10. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना— इस मंत्रालय ने 2002-2003 से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। विकलांगताओं की विभिन्न श्रेणियों में पुरुष तथा महिला छात्रों प्रत्येक के लिए 250 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी ताकि वे उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अनुबंध III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना			सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना*		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1283.57	1151.64	1876.55	111.09	186.96	188.49
अरुणाचल प्रदेश	6.32	18.98	16.06	—	1.95	—
असम	40.11	51.41	62.05	—	2.25	2.00
बिहार	162.47	225.42	194.56	22.16	63.31	74.65
चंडीगढ़	6.57	5.22	4.95	—	—	—
छत्तीसगढ़	9.08	12.49	8.82	—	7.54	34.32
दादरा एवं नागर हवेली	—	1.53	0.00	—	—	—
दिल्ली	649.54	527.78	535.46	117.65	151.68	136.18
गोवा	12.64	24.07	—	1.04	1.95	0.76
गुजरात	114.52	125.83	138.49	119.37	155.92	223.29
हरियाणा	95.44	73.42	132.21	121.37	21.86	100.17
हिमाचल प्रदेश	15.85	24.49	22.16	98.29	6.25	18.25
जम्मू एवं कश्मीर	12.23	4.36	10.77	—	—	—
झारखंड	—	7	20.94	—	1.00	4.00
कर्नाटक	640.58	658.89	898.92	5.00	75.78	76.89
केरल	483.72	539.83	516.22	19.00	57.45	37.42
मध्य प्रदेश	39.32	79.19	82.92	76.30	60.68	68.50
महाराष्ट्र	197.99	209.39	275.37	47.13	18.50	56.25

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	56.63	59.89	81.15	10.50	—	—
मेघालय	46.38	60.1	51.67	—	—	—
मिजोरम	29.52	30.06	29.67	—	—	8.00
नागालैंड	2.83	1.78	0.00	—	—	—
उड़ीसा	252.26	313.47	350.83	49.99	71.78	81.70
पांडिचेरी	6.59	5.85	6.13	—	—	—
पंजाब	91.39	79.85	97.43	96.98	63.96	75.80
राजस्थान	93.99	155.81	139.57	360.00	382.92	481.99
सिक्किम	—	1.94	5.67	—	—	—
तमिलनाडु	396.07	426.57	573.12	61.27	104.23	108.42
त्रिपुरा	6.02	6.5	10.26	0.72	4.15	2.69
उत्तर प्रदेश	873.19	715.33	756.68	150.33	237.05	245.95
उत्तरांचल	95.85	35.18	81.71	—	—	6.01
पश्चिम बंगाल	492.52	448.64	549.08	90.74	80.65	114.23
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	2.00
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—

* आवंटन राज्यवार नहीं किए जाते। दर्शाई गई राज्यवार राशि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित संगठनों/संस्थाओं को निर्मुक्त किए गए अनुमानों से सम्बन्धित है। इनमें राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थानों तथा एलिम्को को एडीआईपी के अन्तर्गत की गई निर्मुक्तियां शामिल नहीं हैं।

9वीं योजना (1999-2000, 2000-01 और 2001-02) के दौरान विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत निर्मुक्त निधियां तथा प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र*

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल निर्मुक्त राशि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	257.10	136.40
अरुणाचल प्रदेश	366.90	0.00
असम	476.70	254.60
बिहार	599.00	309.70
चंडीगढ़	147.30	0.00
छत्तीसगढ़	363.95	0.00
दादरा एवं नागर हवेली	147.30	5.08
दिल्ली	147.30	0.00
गोवा	147.30	20.42

1	2	3
गुजरात	366.90	0.00
हरियाणा	257.10	0.00
हिमाचल प्रदेश	257.10	57.37
जम्मू एवं कश्मीर	257.10	0.00
झारखंड	366.90	0.00
कर्नाटक	379.40	66.31
केरल	257.10	0.00
मध्य प्रदेश	708.80	0.00
महाराष्ट्र	379.40	223.35
मणिपुर	257.10	0.00
मेघालय	257.10	0.00
मिजोरम	147.30	4.65
नागालैंड	257.10	134.42
उड़ीसा	379.40	0.00
पांडिचेरी	147.30	28.64
पंजाब	257.10	12.56
राजस्थान	379.40	0.00
सिक्किम	147.30	147.30
तमिलनाडु	379.40	26.85
त्रिपुरा	147.30	0.00
उत्तर प्रदेश	818.60	25.64
उत्तरांचल	257.10	0.00
पश्चिम बंगाल	257.10	65.12
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	147.30	0.00
दमन एवं दीव	147.30	2.66
लक्षद्वीप	147.30	0.00

* चूंकि यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दी गई है इसलिए 2002-03 के दौरान कोई निर्मुक्ति नहीं की गई।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उसके 'क' और 'ख' भाग के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बजट आबंटन है और जो संशोधित बजट है, उसमें बहुत अन्तर है। व्यय की मद में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि शत-प्रतिशत व्यय हुआ है, फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। प्रश्न के 'ग' भाग का जो उत्तर है, वह स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि मंत्रालय एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों का पुनर्नियोजन स्कीम/कार्यक्रम के आवश्यकतानुसार करता है। पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कहां-कहां आपने यह डाइवर्शन किया है? मेरे प्रश्न का पहला भाग था कि मंत्रालय ने गत तीन वर्षों में आपको सीधे विकलांग व्यक्तियों से, गैर-सरकारी संस्थाओं से, सरकारी संस्थाओं से और सांसदों की अनुशंसा पर कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से कितने स्वीकृत हुए तथा कितने लम्बित पड़े हुए हैं और लम्बित पड़े होने के कारण क्या रहे हैं? क्या मंत्री महोदय प्रश्नकर्ता द्वारा स्वयंसेवी संस्था अम्बगम इंस्टीट्यूट फार दि मेण्टली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, मदुरै-2 (तमिलनाडु) द्वारा विकलांगों हेतु संचालित परियोजनाओं के लिए सहायतानुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा जुलाई-अगस्त मास, 2002 में की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि निधियों का अन्तरण किस तरह से होता है। निश्चित रूप से हम विकलांगता के क्षेत्र में जब काम करते हैं, तो हमें राज्य सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है और सामाजिक संगठनों पर निर्भर होना पड़ता है। सामाजिक संगठन जब अपने प्रस्ताव भेजते हैं तो उन प्रस्तावों की दृष्टि से भी हमें ध्यान देना होता है। उसमें जो-जो कमियां होती हैं, उन्हें इंगित करते हुए उन संगठनों से हम उपेक्षा करते हैं कि वे काम पूरा करें। बजट में प्रावधान हो जाने के बाद यह प्रस्ताव जब हमारे पास आते-आते विलम्ब हो जाता है तो फिर बजट में कटौती लागू की जाती है। उसके कारण से रिवाइज्ड एस्टीमेट बनता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट में भी हमने जो निष्पादन किया है, वह तीन साल का निष्पादन हमारे सामने है। 2000-2001 में हमने रिवाइज्ड एस्टीमेट का 95 प्रतिशत, 2001-2002 में 99 प्रतिशत और 2002-2003 में शत-प्रतिशत से कुछ अधिक हमने निष्पादन किया है।

निश्चित रूप से यह जो प्रश्न है, कि आबंटन कैसे कम हो गया है। कम होने का कारण यह है कि जो प्रस्ताव आते हैं, उस पर निर्भर होता है। यदि प्रस्ताव समय पर नहीं आते हैं, तो जो कटौती लागू होती है, उसके कारण रिवाइज्ड एस्टीमेट में जो प्रावधान होता है, हमें उसे देखना पड़ता है। जहां तक उन्होंने

किसी विशेष योजना के बारे में कहा है, निश्चित रूप से उस योजना के बारे में जो उन्होंने अग्रेषित की है, संप्रेषित की है, उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दूंगा। इस योजना के अन्तर्गत बाकी के जो प्रस्ताव हमारे पास आते हैं, निश्चित रूप से उनका काग्नीजेंस लेते हुए हम उन पर ध्यान देते हैं। इस योजना के अन्तर्गत हम कैम्प लगाकर जहां-जहां जिन-जिन स्थानों पर सर्वेक्षण करने का काम करना है और सर्वेक्षण करने के काम में स्थीनीय प्रशासन का जो सहयोग होता है, उसे प्राप्त करते हुए भी इन सारे कामों को करते हैं। इस दृष्टि से यह बहुत विशद और बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कि सभी लोगों के सहयोग से इसमें सफलता मिलती है। मुझे खुशी है कि विकलांगता के क्षेत्र में माननीय सदस्य ने जो रुचि और सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उसके कारण इस क्षेत्र में और भी काम करने के लिए हमें अवसर उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना है।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के "क" भाग का उत्तर नहीं आया। मैंने अपना प्रथम प्रश्न यह पूछा था कि आपको सांसदों के माध्यम से या एन.जी.ओज. के माध्यम से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने स्वीकृत हुए और कितने लंबित हैं? यदि इसकी जानकारी आपके पास अभी नहीं है तो आप उसे बाद में दे दीजिए।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या यह सत्य है कि जब-जब स्वयंसेवी संस्थाएं या अन्य संस्थाएं आपके यहां आवेदन-पत्र देती हैं तो कुछ आवेदनों को अनर्गल आपत्तियां लगाकर बार-बार वापिस भेजा जाता है जबकि कुछ आवेदन, जिनमें औपचारिकता भी पूर्ण नहीं होती है, फिर भी स्वीकृत हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय स्वयं भी इसके बारे में जानते होंगे कि जिन केसेस में कोई भी औपचारिकता पूर्ण न हो, वे कैसे सैंक्शन हो जाते हैं। इसी तरह जिन आवेदनों में अनर्गल आपत्तियां लगाकर उन्हें बार-बार वापिस भेजा जाता है, उसके बारे में भी मंत्री जी जानते होंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन केसेस को निपटाने के लिए क्या आप कोई समयबद्ध सीमा रखेंगे ताकि इन सारे कार्यकलापों में पारदर्शिता आये और सुनिश्चित हो जाये कि इतने दिन में ये केसेज सैंक्शन हो जायेंगे और अगर रद्द भी करने हैं तो समय पर पता चल जाये।

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है। चूंकि हम एन.जी.ओज. के बारे में कुछ निर्णय करते हैं और बड़ी संख्या में एन.जी.ओज. हमसे जुड़े होते हैं तो उसके लिए कोई प्रणाली सुनिश्चित होना अपेक्षित है। इस बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए मेरे मंत्रालय ने सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। हम उसकी सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि जो प्रस्ताव दिये गये हैं, उसमें विलंब होने का कोई कारण है। यह बात जरूर है कि राज्य सरकारों से हमें जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जो अग्रेषित किए प्रस्ताव होते हैं, उसमें बहुत सी बातों की जानकारी हमें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। फिर भी इन सारी जानकारियों को लेने में बहुत विलंब हो जाता है। कुछ एन.जी.ओज. और माननीय सदस्यों के आग्रह के कारण हम अपने मंत्रालय और हमारे इंस्टीट्यूट जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, उनको भी सीधे भेजकर वह जानकारी लेने का काम करते हैं। इसकी स्वीकृति हो जाने के बाद राज्य सरकारों को संसूचित करके उस प्रकार की योजना को स्वीकार करने का काम भी किया जाता है।

श्री महेश्वर सिंह: मैंने यह प्रश्न पूछा था कि आप केसेज के निपटान के लिए कोई समयबद्ध सीमा रखेंगे?

डा. सत्यनारायण जटिया: हम जरूर रखेंगे। मैंने कहा है कि कमेटी की सिफारिश आने के बाद इन सारी बातों को ठीक से करने का उपाय हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: महोदय, दिए गए वक्तव्य से पता चलता है कि योजना के लिए रखी गए निधि का अधिकांश और उचित उपयोग हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि धनराशि का सदुपयोग अथवा दुरूपयोग हुआ है, मैं धनराशि के उपयोग के बाद की स्थिति के बारे में चिंतित हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या निधि से सदुपयोग अथवा दुरूपयोग का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा समीक्षा तकनीक शुरू की गई है अथवा कोई मानदण्ड है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके पास क्या निधि के उपयोग के पश्चात् कोई मूल्यांकन तकनीक है। अनेक लोग निधि के उपयोग के बारे में चिंतित हो सकते हैं। संक्षेप में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी समीक्षा करने हेतु आपके पास कोई तकनीक है, क्या इसका मूल्यांकन करने हेतु आपके पास कोई तकनीक अथवा मानदण्ड है। यदि कोई पुनरीक्षा तकनीक है तो मैं मानदण्ड के बारे में जानना चाहूंगा। यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या आपको निधियों के दुरूपयोग का कोई अनुभव हुआ है? यदि हां, तो इसकी प्रतिशतता क्या है? क्या मैं जान सकता हूं कि यह थोड़ा बहुत अथवा काफी ज्यादा है?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, निधियों का ठीक प्रकार से उपयोग हुआ है, यह देखने के लिए क्या प्रणाली है, इस बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। निश्चित रूप से निरीक्षण और परीक्षण की प्रणाली है। राज्य सरकार जब किसी प्रस्ताव को अनुमोदित करके अग्रेपित करती है तो हम राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं। चूंकि राज्य सरकारों के दायरे में हम सारे क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए हमें उन पर विश्वास करना होता है। हमने इस प्रकार से कि कहीं भी, जब भी ऐसा लगे कि प्रदेशों में इसकी जांच होनी चाहिए तो अधिकारी वर्ग उन प्रदेशों में जाकर सरकार के साथ विचार-विमर्श करते हैं। यदि लगता है कि किसी एन.जी.ओ. के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसकी जांच करने का उपाय भी हम करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि यदि कोई एन.जी.ओ. ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रहा या फंड का यूटीलाइजेशन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, इन सारी बातों को देखने के लिए हम निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम ऐसी प्रणाली स्थापित करेंगे जिससे यूटीलाइजेशन करने के कामों को या फंड या ठीक प्रकार से उपयोग करने के कामों को उन्होंने किस तरह से अंजाम दिया है।

जहां तक एन.जी.ओज. के ठीक प्रकार से काम न करने की शिकायत है, हम उस आधार पर उनको ब्लैकलिस्ट भी करते हैं, और पिछले समय में हमने बड़ी संख्या में ऐसे आर्गनाईजेशन्स, जो ठीक प्रकार से फंड्स का यूटीलाईजेशन नहीं कर रहे थे, उनको ब्लैकलिस्ट भी किया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, कानपुर में एल.एमको नामक भारत सरकार का एक संस्थान है जो विकलांगों के लिए तरह-तरह के उपकरण बनाता है और उसके माध्यम से सरकार उनका वितरण विकलांगों तक करती है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो के दोनों जिलों के लिए मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उसके बाद सर्वेक्षण हुआ और टीकमगढ़ जिले में बीस हजार विभिन्न प्रकार के विकलांगों का सर्वेक्षण ब्लाकवार और ग्रामवार किया गया। सन् 2002 में, मेरे पत्र के बाद और 2002 में सर्वेक्षण हो जाने के बाद, सन् 2003 में अभी आठ या दस दिन पहले, उनमें से केवल मात्र 1006 विकलांग लोगों को उपकरण वितरित किए जा सके। मैं आपके माध्यम से पहले मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें इतना विलंब क्यों हुआ, क्या आप इस बात की जांच करवाएंगे? क्यों बीस हजार में से मात्र एक हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया और शेष जो उन्नीस हजार व्यक्ति विकलांगों की विभिन्न श्रेणियों में हैं, उनको आवश्यक उपकरणों से लाभ पहुंच सके, इस संबंध में खजुराहो क्षेत्र के छतरपुर और टीकमगढ़ दोनों जिलों में, क्या आप कोई कार्यवाई करेंगे?

प्रश्न का अंतिम भाग मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस बात का कोई सर्वेक्षण करवाया है कि विभिन्न सांसदों या अन्य संस्थाओं द्वारा जितने प्रस्ताव आए हैं, उनमें से कितनों का निष्पादन अभी तक किया गया है और कितने प्रतिशत प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, जिनका अभी तक निष्पादन नहीं हो सका?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह एल.एमको, कानपुर का मामला है। इनकी शिकायत शत-प्रतिशत सही है। एल.एमको, कानपुर के संबंध में जितने सांसदों की दरख्वास्त जाती हैं, उनमें से इनका मंत्रालय मुश्किल से पांच फीसदी से दस फीसदी ही एंटरटेन करता है, बाकी सारे सांसद चिट्ठी लिखते रहते हैं, सिफारिश करते रहते हैं, लेकिन विकलांगों को कुछ नहीं मिलता...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: एक साल के बाद तीस हजार लोगों में से केवल एक हजार लोगों को उपकरण दिए गए। अगर इस तरह भारत सरकार के उपक्रम काम करेंगे तो आप यहां हमें जो चाहे जवाब दे दें लेकिन जमीन के ऊपर स्थिति बिल्कुल निराशाजनक है।

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है जिस प्रकार की अपेक्षा है, उसकी पूर्ति करने में विलंब क्यों हो रहा है, आप जानते हैं कि देश की आबादी के 5 प्रतिशत लोग किसी न किसी विकलांगता से प्रभावित हैं, यह चुनौती हमारे सामने है। इस दृष्टि से सारी बातों का सर्वेक्षण करना भी एक बड़ी बात है कि किस विकलांग को कौन सी सहायता की अपेक्षा और जरूरत है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: एक वर्ष पहले सारा सर्वेक्षण हो गया। ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: अगर इस तरह का टालने का काम करेंगे तो कैसे चलेगा...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: मेरा निवेदन है कि यह सब जरूर हुआ होगा लेकिन हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में विकलांग हैं। जैसा आपने कहा कि आपके यहां 18 हजार हैं, कहीं 25 हजार, कहीं 30 हजार और कहीं 40 हजार हैं। माननीय सदस्यों ने निश्चित रूप से प्रस्ताव दिए हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के बारे में एकबारगी सब करना संभव नहीं होता, हम स्टेटवाइज लेते हैं। जैसा आपने कहा कि आपके यहां एक हजार लोगों को लाभ मिला है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी कोशिश है और हम उसे कर रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, संसाधनों के साथ उत्पादन की दृष्टि से जो उपलब्धता है, उस पर आधार पर हम उपकरण प्रदान भी करते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके लिए संसाधनों की जरूरत है और निश्चित रूप से आप सदन में इस बारे में...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या पिछले एक दशक में कोई संसाधन बढ़ाए गए हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया: हम इस बारे में ध्यान देंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मंत्री जी का उत्तर आ रहा है कि हमने संसाधनों में बढ़ोत्तरी की है और पर्याप्त संसाधन हैं और दूसरी तरफ मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि संसाधनों की कमी की वजह से आपूर्ति नहीं की जा सकती। सरकार के उत्तर में जो विसंगति है, वह इसे स्पष्ट करें। मैंने आपसे केवल यह पूछा था कि जो शेष लोग बचे हैं, क्या आप आश्वस्त कर रहे हैं कि सर्वेक्षण होने के बाद उनको लाभान्वित किया जाएगा?

डा. सत्यनारायण जटिया: आपने माना है कि हमने एक हजार लोगों को लाभान्वित किया है। अगले समय में बारी-बारी से शेष के उपाय करने के लिए हम प्रबंध करेंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: छ: महीने में उस फैक्ट्री का उत्पादन आप चार गुना कर सकते हैं।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय सरकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है क्योंकि यह मंत्रालय विकलांग, सुविधावंचित, वरिष्ठ नागरिकों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित है। विगत में मंत्रालय की बहुत बढ़िया और अच्छी प्रतिष्ठा थी। पिछले वर्ष विकलांगों के लिए 105 जिला अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों और अपने ही मंत्रालय में 'अधर' जो बूढ़े लोगों की शिकायतों का निवारण करने से संबंधित है, चाइल्ड लाइन जो बेसहारा बच्चों से संबंधित है, के लिए निधि में बहुत ज्यादा कमी की गई। यहां एक मौलाना आजाद एजुकेशन सोसायटी है जो इस मंत्रालय के अधीन आती है तथा अल्पसंख्यकों के लिए स्कूलों को वित्तीय सहायता देती है। पूर्व वित्तपोषण लगभग 40-50 लाख रुपये थे जबकि यह अब मात्र 25,000 रुपये है। स्वभाविक है कि कोई भी धनराशि नहीं मांग रहा है। धनराशि कहां जा रही है? मेरे विचार से शायद यह विज्ञापनों पर खर्च होती है। यह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की तुलना में विज्ञापनों पर अधिक खर्च करती है। एक पूरे पृष्ठ पर विज्ञापन की लागत लगभग 9 लाख रुपये आती है। चूंकि प्रश्न निधि से अन्यत्र उपयोग के बारे में है इसलिए मैं वर्ष 2002 से 2003 तक विज्ञापनों पर खर्च हुई कुल धनराशि के बारे में जानना चाहती हूं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से वह विकलांगता के क्षेत्र का है। विकलांगता के क्षेत्र में जो उपयोग किया गया है, मैंने उसके बारे में जानकारी दी है। 2002-2003 में विकलांगता में रिवाईज्ड ऐस्टीमेट के आधार पर हमने जो व्यय किया है, वह 100.87 प्रतिशत है, इसका अर्थ है कि हम विकलांगता के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर रहे हैं।

जहां तक अन्य सवाल जो पूछा गया है, वह जरूर इससे संबंधित नहीं है किन्तु अगर माननीय सदस्या इस बारे में जानना चाहेंगी तो हम उसका जवाब दे देंगे।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: यह विषय से किस तरह संबंधित नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: आज हमें आंकड़े बता सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा को पुन: प्रश्न पूछने दीजिए। वे पुन: वही प्रश्न पूछ सकती हैं। आपको कम से कम अपने दल के सदस्य के साथ सहयोग करना चाहिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मेरे विचार से मंत्री महोदय को पता होना चाहिए कि भारत में 80 प्रतिशत ग्रामीण हैं। यद्यपि यहां यह सब योजनाएं हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के बाहर रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहां तक कि सरकार जो अस्पताल स्थापित कर रही है, उसके लिए दी जा रही धनराशि भी इन लोगों को नहीं पहुंच रही है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं, हैंडीकैप्ड के लिए इम्लायमेंट में जो रिजर्वेशन है, वह किसी को नहीं मिल रहा है। हम बार-बार रिकमण्ड करते हैं, बोलते हैं कदापि संभव नही है। किसी भी विकलांग व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है जिसकी आरक्षण के अंतर्गत गारंटी दी गई है। जैसाकि मेरे सहयोगी ने बताया है कि सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है। महोदय, मैं प्रश्न को दोहराती हूं। सरकार बजट का कितना भाग अथवा प्रतिशत विज्ञापनों पर खर्च कर रही है? सरकार के पास यह सुनिश्चित करने की क्या योजना है कि विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लोगों के लिए आरक्षण को पूरा किया जा रहा है? मैं चाहती हूं कि वे हमें बताएं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्यक्रमों का विस्तार करने की उनकी कोई योजना है क्योंकि मेरे जिले में भी पूर्ण सर्वेक्षण किया गया था। हमने प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को व्हीलचेयर से लेकर चश्मे तक, प्रत्येक उपकरण दिया है। हमने केन्द्र सरकार के

कोप से यह वस्तुएं नहीं दी हैं हमने यह धन निजी क्षेत्र, राज्य सरकार तथा रेड क्रास से जुटाया है। हमने प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की सहायता की है और वह भी बिना केन्द्र सरकार की सहायता से।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: नौकरियों में विकलांग लोगों के आरक्षण के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। उनके लिए केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का कोटा निर्धारित है। इस कोटे के अन्तर्गत ग्रुप 'ए' की कैटेगरी में 6.56 प्रतिशत की पूर्ति की गई है, ग्रुप 'बी' में 5.43 प्रतिशत की गई है।...*(व्यवधान)* मैं केन्द्र सरकार के बारे में जानकारी दे रहा हूं। केन्द्र सरकार ने यह काम अपने मंत्रालयों के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमैंट्स में किया है। ग्रुप 'सी' में यह 6.5 प्रतिशत है और ग्रुप 'डी' में 6.39 प्रतिशत है। पीएसयूज में भी इस प्रकार के जो आंकड़े मेरे पास आए हुए हैं, ग्रुप 'ए' में 2.78 प्रतिशत, ग्रुप 'बी' में 8.54 प्रतिशत, ग्रुप 'सी' में 5.04 प्रतिशत और ग्रुप 'डी' में 6.75 प्रतिशत है और ओवरआल उसका औसत 5.63 प्रतिशत है। राज्य सरकारों से हमने आग्रह किया है कि विकलांगता के क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण को पूरा करने का काम करें।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: क्या आपने उन्हें भर दिया है?...*(व्यवधान)* महोदय, ये कभी सहमत नहीं हुए। इन्होंने कभी भी विज्ञापनों पर आबंटित बजट का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बजट का आबंटन किया जाए। हमारी कोशिश रेडियो-टेलीविजन के माध्यम से लोगों में इसकी अवैयरनैस को बढ़ाने की होगी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आपने इस पर कितना स्पैंड किया है?

[अनुवाद]

आपने कितनी धनराशि खर्च की है?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: मैंने जैसा बताया है कि अवैयरनैस पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, रेडियो-टेलीविजन के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आपने पैसा कितना स्पैंड किया है?...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: उसके लिए हमारे पास ज्यादा बजट नहीं है। आपने अभी प्रश्न पूछा है, जानकारी मांगी है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, कृपया बैठ जाइए। मैंने अगला प्रश्न पूछने के लिए अन्य माननीय सदस्य के नाम की घोषणा की है। उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: यह आवश्यक रूप से मुख्य प्रश्न का भाग था कि बजट का कितना भाग विज्ञापनों पर खर्च हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: हम लोग यही कह रहे हैं कि पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है, विकलांगों पर पैसा नहीं लग रहा है।...*(व्यवधान)* तस्वीरें अखबार में आती हैं, उन पर पैसा लग रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. जसवंतसिंह यादव।

[हिन्दी]

डा. जसवंतसिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए काफी योजनाएं आपने बनाई हैं और काफी कम कर रहे हैं। जितने काम इस सरकार के समय में हुए हैं, आज तक उतने कभी नहीं हुए। लेकिन चिंता इस बात की हो रही है कि जिस तरह निजीकरण सरकारी उपक्रमों का हो रहा है और विकलांग व्यक्तियों को सबसे ज्यादा नौकरी सरकारी उपक्रमों में ही मिलती थीं, लेकिन अब सरकारी उपक्रमों, उद्योगों और होटलों के निजीकरण के बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए रिजर्व्ड कोटे के अंतर्गत जो नौकरी मिलती थी, वह अब नहीं मिलेंगी और विकलांग व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। इससे उनके जीवन-यापन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्रालय ने कोई कार्य योजना बनाई है जिससे उन विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा हो सके, उनको नौकरी मिल सके तथा उनको अपनी रोजी-रोटी के लिए कोई दिक्कत न आए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी हां। विनिवेश मुद्दे के संबंध में आप विनिवेश मंत्री से यह पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मुझे विश्वास है कि आपको पता होगा कि प्रश्न संख्या 667 को भी इस प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: जी हां, महोदय। जैसा माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए क्या प्रभावी उपाय सरकार कर रही है, निश्चित रूप से रोजगार देने की दृष्टि से, रेल मंत्रालय के अन्तर्गत तथा फाइनेंशियल कारपोरेशन के माध्यम से ऋण देने का काम हम कर रहे हैं और विकलांग लोगों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए माइक्रो क्रैडिट की योजना ढ़ाई प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना शुरू की है। जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए कि किस प्रकार से विकलांगता की अवशेष क्षमता जो उनके पास है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके और वे किस प्रकार से आजीविका अर्जित कर सकें ताकि सम्मानजनक स्थिति उनकी हो सके। मेरा मंत्रालय फाइनेंशियल डैवलमेंट कारपोरेशन के माध्यम से सहायता देने का काम करता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शायद प्रश्न आपने समझा नहीं है। मैं बताता हूं। प्रश्न यह है कि जिन पीएसयूज में उनको अभी तक नौकरियां दी जाती थीं, लेकिन कंपनी डिसइंवेस्टमेंट होने के बाद वह सुविधा बंद हो जाएगी। डिसइंवेस्टमेंट करते समय, एग्रीमेंट बनाते समय ऐसा क्या कोई क्लाज उसमें डालेंगे, क्योंकि क्लाज होगा तभी तो उनको नौकरियां मिलेंगी, क्या ऐसा कोई क्लाज डालने की कोशिश आप करेंगे?

...(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया: हम यह सुझाव संबंधित मंत्रालय को भेज देंगे।

डा. जसवन्तसिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने दुनियाभर की योजनाओं की जानकारी दी है लेकिन आप देखिए कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, अगर लोक सभा में कोई बात कहना चाहता है लेकिन सबसे बड़ी मूल समस्या है कि लोक सभा में, जो सबसे सर्वोच्च संस्थान है लेकिन आज विकलांग व्यक्ति यदि आना चाहे तो वह नहीं आ सकता है। उसके लिए कोई ऐसी गैलरी नहीं बनाई गई है जहां वह आसानी से आ सके।

इसी तरह दिल्ली की बस की मैं बात करता हूं। किसी योजना का लाभ उनको तब मिलेगा जब वे उसके आफिस तक पहुंचेंगे। जब वे आफिस ही नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्हें योजना का लाभ कैसे मिलेगा? किसी बस के अंदर विकलांगों के चढ़ने के लिए आज तक कोई प्रावधान नहीं हुआ ताकि वे आराम से चढ़ जाए। किसी ट्रेन के अंदर भी विकलांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह से शौचालय भी उनके लिए नहीं बनाये गये हैं जिससे विकलांगों को सुविधा मिल सकें। कोई भी सरकारी दफ्तर या गैर-सरकारी दफ्तर इस चीज को फालो नहीं कर रहे हैं। कई बार सरकार के आदेश भी आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया कि विकलांगों के लिए प्रोवीजन हो लेकिन आज तक वह लागू नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

डा. जसवन्तसिंह यादव: प्रश्न यही है कि मानवीय आधार पर विकलांग व्यक्तियों को क्योंकि जब तक वे आफिस नहीं पहुंचेंगे, अपनी बात नहीं कह सकेंगे तो उनको सुविधाएं नहीं मिल सकती चाहे सरकार उनके लिए कितनी भी योजनाएं बना ले, इसलिए सरकार प्रभावी ढंग से ट्रेन में उनके चढ़ने के रास्ते, मकानों में जाने के लिए रास्ते बना सके, इसलिए प्रभावी ढंग से लागू करने की क्या कोई सरकार की योजना है?...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: इस प्रकार का जब भी कोई निर्माण सरकारी तौर पर किया जाता है तो एक्साइज फ्री होना चाहिए कि सभी के लिए सुविधाजनक हो और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक पहुंच के लिए उपाय किये जाए, इस प्रकार का नक्शा पास करने के पहले तथा इस प्रकार का प्रबंध करने के लिए भी हमने आग्रह किया हुआ है। दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर यह पूरा करने का काम हुआ है। कुछ स्टेशनों पर पूरा करने का काम हुआ है।...*(व्यवधान)* चूंकि यह काम ऐसा है कि हमने इन सभी लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये काम पर्याप्त किये जाएं।...*(व्यवधान)*

डा. जसवंतसिंह यादव: अध्यक्ष जी, आप लोक सभा से ही शुरू करवाइए।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो बताया है, उत्तर प्रदेश में विकलांगों की अनुमानित संख्या साढ़े पच्चीस लाख के आसपास है और इस संबंध में उन्होंने विभिन्न राज्यों को धनराशि अवमुक्त की है, उसमें उत्तर प्रदेश को 818

लाख रुपया अवमुक्त किया गया था जिसमें से केवल 25,64,000 रुपया ही अब तक खर्च हुआ है। साथ ही साथ जो जिला पुनर्वास केन्द्र समाज कल्याण मंत्रालय के माध्यम से चलते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहां पर महीनों से कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको वेतन नहीं मिला है जिससे उनके द्वारा जो इस प्रकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए, वे नहीं चल पा रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विषमता का क्या कारण है कि 818 लाख रुपया अवमुक्त किया जाता है लेकिन 25 लाख रुपया ही खर्च हो पाया है। दूसरे, पूरे विश्व में पोलियो के रोगी भारत के अंदर और यू.पी. में सबसे अधिक हैं। पोलियो से जो लोग विकलांग हो गये हैं, उनके लिए आपके मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? अब तक पोलियो से ग्रस्त कितने विकलागों को जिला पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से आवश्यक उपकरण वितरित किये गये हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया: देशभर में 82 जिला पुनर्वास केन्द्र काम करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहां इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए भी उन सारे विकलांग लोगों का उपचार तथा उनको एड्स एंड एप्लायेंसेज देने के काम में सहायता करने का काम किया जाता है। जैसे पोलियो के बारे में पूछा गया है, निश्चित रूप से एनजीओज के माध्यम से बड़ी संख्या में कैम्प लगाकर काम होता है और मंत्रालय की ओर से उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाती है।

योगी आदित्यनाथ: मैं इस विषमता का कारण जानना चाहता हूं। जो मंत्रालय के द्वारा धनराशि दी गई थी, वह खर्च क्यों नहीं हो सकी?...*(व्यवधान)* केवल 0.3 प्रतिशत ही खर्च हो पाई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चर्चा मांगिए, मैं चर्चा दे दूंगा।

रेलवे की वित्तीय स्थिति

+

***666. प्रो. दुखा भगत:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के प्रशासनिक व्यय और बढ़ते हुए ऋण का इसके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप अनेक रेल परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे द्वारा गत वर्ष के दौरान इस संबंध में वित्तीय सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त प्रयासों के फलस्वरूप रेलवे की उपलब्धियां क्या रहीं?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न उपायों से 2000-01 के बाद रेलों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद खर्च में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया गया है और आमदनी में भी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, परिचालन अनुपात 2000-01 के 98.3% से सुधरकर 2001-02 में 96% और 2002-03 (संशोधित अनुमान) में 92.5% हो गया है। जहां तक ऋण का संबंध है, मुख्यत: चल स्टाक की खरीद/बदलाव और आधुनिकीकरण के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय रेल वित्त निगम के जरिए बाजार से ऋण लिया जाता है। यातायात की मांगों को पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा तक ऋण लिया जाता है। कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में, बाजार ऋण वर्ष 1998-99 के दौरान 33% से घटकर वर्ष 2002-03 के दौरान 23% हो गया है। देय पट्टा प्रभारों में मूल और ब्याज दायिता की अदायगी भी शामिल होती है। बाजार ऋण से वित्त पोषित परिसम्पत्तियों के संबंध में भारतीय रेल वित्त निगम को देय पट्टा प्रभारों के कारण रेलों की औसत लागत वर्ष 1998-99 के दौरान 13.17% से उत्तरोत्तर रूप से घटकर वर्ष 2001-02 के दौरान 10.17% हो गई है जिसके 2002-03 के दौरान और घटकर 7.5% हो जाने की संभावना है।

(ग) से (च) जी नहीं, क्योंकि रेल परियोजनाओं का वित्त पोषण मुख्यत: सामान्य बजटीय समर्थन से किया जाता है न कि आंतरिक संसाधनों से/विगत दो वर्षों में रेलों के बजटीय समर्थन में वृद्धि हुई है। बहरहाल, रेलों के पास बड़ी संख्या में बकाया परियोजनाएं हैं और उनके निष्पादन की गति प्राप्त होने वाले बजटीय समर्थन पर निर्भर करती है। बजटीय समर्थन में वृद्धि के अलावा, रेलों ने कतिपय राज्यों के साथ परियोजनाओं के लिए लागत में भागीदारी के प्रबंध किए हैं। सामरिक महत्व की कतिपय परियोजनाओं का वित्त पोषण रक्षा मंत्रालय, द्वारा किया जा रहा है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला की राष्ट्रीय परियोजना का वित्तपोषण पृथक रूप से अतिरिक्त बजटीय समर्थन के जरिए किया जा रहा है। रेलें परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन के लिए निजी भागीदारी और विशेष प्रयोजन योजना तैयार करने, आदि जैसे क्षेत्रों का भी पता लगा रही हैं, गैर-बजटीय पहल के जरिए 15,000 करोड़ रुपए से कतिपय रेल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक राष्ट्रीय रेल विकास योजना भी शुरू की गई है। इन सभी उपायों से लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में रेलों को सहायता मिलेगी।

प्रो. दुखा भगत: अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे देश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। रेल मंत्रालय के पास अपार सम्पत्ति है। भारतीय रेल का 150 वर्षों का इतिहास है। रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में मंत्री जी ने कहा है कि उसमें काफी सुधार किया गया है, लेकिन रेलवे की काफी परियोजनाएं अभी भी लम्बित हैं। झारखंड राज्य में रांची-लोहरदगा रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन वह धीमी गति से चल रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर कब तक रेलगाड़ी चलने लगेगी?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता है, लेकिन जिस परियोजना का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उसमें तेजी से काम हो रहा है। झारखंड की सरकार ने भी उस परियोजना के लिए धन देना प्रारम्भ किया है। राज्य सरकार के साथ हमारा एक समझौता हुआ है। वहां की कुल पांच परियोजनाएं हैं। एक परियोजना में राज्य सरकार का आंशिक योगदान है। एक परियोजना दो राज्यों की है। इन सारी परियोजनाओं को एक समय सीमा में पूरा होना है। जिस अमान परिवर्तन का उन्होंने जिक्र किया है, रांची-लोहरदगा, उससे भी आगे तोरी तक रेल लाइन का काम हो रहा है और उसे समय से पूरा किया जाएगा।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: रेल मंत्री जी ने ब्यौरा दिया है कि पांचवें वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों की जो तनख्वाहें बढ़ाई गईं थीं, उससे रेलवे पर वेतन और पेंशन के भुगतान में लगभग पांच हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। उनकी व्यवस्था के कारण 2001-02 में रेलवे की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है और 92 प्रतिशत तक अनुपात बढ़ गया है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इसके अलावा ऋण लेने की जो प्रक्रिया है, वह भी 33 प्रतिशत से 23 प्रतिशत रह गई है। इसी तरह से जो पट्टाधारी व्यवस्था थी, वह भी 13 प्रतिशत से दस प्रतिशत हो गई है। मेरा प्रश्न था कि इस तरह से रेलवे की वित्तीय व्यवस्था ठीक होने के बावजूद क्या कई परियोजनाएं अभी भी निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, यदि हां, तो उसका तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। यह बहुत लम्बी लिस्ट होती, लेकिन मंत्री जी ने उसको नकार दिया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के बारे में मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पिछले छः वर्षों से जयनगर-दरभंगा-सीतामढ़ी-नरकटियागंज रेल लाइन को ब्राडगेज करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी तक केवल अर्थ वर्क पूरा हुआ है। उसके लिए जितनी राशि का प्रबंध करना है, वह नहीं किया जा रहा है। यह उत्तर बिहार का मुख्य मार्ग है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आमान परिवर्तन की इस योजना का वित्तीय कमी के कारण काम नहीं हो रहा है इसके लिए पर्याप्त राशि देकर, यह किस वर्ष तक पूरी हो जाएगी, इसकी सूचना तिथि के साथ देने की कृपा करें?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते हमारा खर्च स्टाफ कास्ट में बढ़ा है। हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में हमारा इंटरनल रिसोर्स जेनरेशन कम हो रहा था, वह भी एक कारण था। अब हम धीरे-धीरे उसको एब्जौर्ब करते जा रहे हैं। जहां तक खर्च का सवाल है, उसमें भी कई प्रकार के उपाय करके, कमी लाने की कोशिश हम कर रहे हैं।

हमारी आमदनी बढ़े, उसके लिए भी कई कदम उठाए गये हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इस साल के बजट में भी हमने, इसके लिए कई उपायों की चर्चा की है। कुल मिलाकर जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वह अब रिवर्स होकर ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस तरह से स्टाफ खर्च बढ़ा है, रेल परियोजनाओं पर इसके चलते असर पड़ा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रेल परियोजनाओं के लिए धन का इंतजाम मुख्यतः बजटरी स्पोर्ट के माध्यम से होता है। उसमें धीरे-धीरे वृद्धि होती जा रही है। खासकर जितनी हमारी नयी रेल लाइन्स की परियोजनाएं, आमान परिवर्तन की परियोजनाएं हैं, दोहरीकरण की या जो एमटीपी प्रोजैक्ट्स हैं, रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन के प्रोजैक्ट्स हैं, अगर मौटे तौर पर इन्हीं प्रोजैक्ट्स को लिया जाए, इनको पूरा करने के लिए लगभग 44 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। हमारी कोशिश है कि हम अन्य स्रोतों से भी धन जुटाएं। इसमें राज्य सरकारों से भी मदद मिल रही है। जैसे झारखंड में, कर्नाटक में भी राज्य सरकारों से मदद मिल रही है। एमटीपी प्रोजैक्ट्स में महाराष्ट्र सरकार की मदद है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सरकार की मदद है। पश्चिम बंगाल की सरकार वहां की मेट्रो प्रोजैक्ट में मदद कर रही है। कई राज्यों द्वारा प्रोजैक्ट्स में धन दिया जा रहा है। कुछ परियोजनाओं में, जैसे जम्मू-कश्मीर की परियोजना में केन्द्र सरकार अतिरिक्त मदद दे रही है। इसी तरह से डिफेंस की स्ट्रेटेजिक लाइन्स के लिए डिफेंस

लाइन्स के लिए डिफेंस से मदद मिल रही है। प्राइवेट सैक्टर के साथ पार्टिसिपेशन के जरिये कुछ परियोजनाओं को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से अन्य स्रोतों से भी धन जुटाकर हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय रेल विकास योजना की घोषणा की है। इसके लिए भी अलग से प्रबंध किया जा रहा है, जिसमें हम बाहर से कर्ज लेकर इन परियोजनाओं को समय-सीमा के अंदर पूरा करना चाहते हैं। इस प्रकार से अन्य स्रोतों से भी धन जुटाया जा रहा है और बजटीय सहायता भी बढ़ी है। समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने का सवाल है, किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में परियोजना होती है, उस माननीय सदस्य की दिलचस्पी उसमें ज्यादा होती है, उसका हम ख्याल रखेंगे। उन परियोजनाओं की हम समीक्षा कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि उनके लिए भी हम एक समय-सीमा निर्धारित करें।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री ने सही कहा है कि निधि की मांग और इसकी उपलब्धता के बीच बहुत अधिक अंतर है। इसकी आवश्यकता ने भारत सरकार पर बाह्य वित्त जैसे अन्य कदम उठाने के लिए जोर डाला है, जैसाकि आपने बताया है। माननीय प्रधानमंत्री ने बृहत् परियोजना योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपये दिए हैं। दुर्भाग्य से जब कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दूर-दराज के क्षेत्रों में परियोजनाओं का चयन किया जाता है तो धनराशि का हिस्सा उन्हें नहीं दिया जाता है। मैं आग्रह करता रहा हूं कि लमडिंग और सिल्चर को थोड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपने स्वयं इन स्थानों का दौरा किया है। आप उनके बारे में जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में इस विशेष परियोजना पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता से मैं भलीभांति अवगत हूं। जो उनका कंसर्न है, उसे भी मैं शेयर करता हूं। जहां तक हमारे मंत्रालय का संबंध है, हम उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के रेल प्रोजैक्ट के लिए अलग से धन देने का केन्द्र सरकार ने फैसला किया है और उसमें हमें सफलता मिली है। उसी प्रकार के पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए हमारा प्रयत्न जारी है।

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में रेलवे की पूर्णा-अकोला, मुदखेड़-आदिलाबाद, दो गेज-कन्वर्जन के लिए लाइन्स हैं। इन दोनों परियोजनाओं के लिए गत वर्ष के बजट में और इस वर्ष के बजट में भी बहुत कम राशि आवंटित की गयी है। इस बजट से यह परियोजना शीघ्र पूर्ण होने वाली नहीं है। मेरा सवाल है कि इस प्रोजैक्ट के पूर्ण होने की समय-सीमा क्या होगी? तीस करोड़ रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। पिछले साल इसके लिए दस करोड़ रुपया ही दिया गया था। यह परियोजना 220 करोड़ रुपये की है। इतनी कम राशि से यह परियोजना दस वर्ष में भी पूरी नहीं होगी।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की परियोजना के बारे में चिंतित है, जो स्वाभाविक है, लेकिन आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं कि हमारे सामने कुल-मिलाकर सवा दो सौ रेलवे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है। हमारे पास साधन सीमित है और हम अतिरिक्त स्रोतों से भी धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयत्न है कि जितने भी पैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक समय सीमा में—मान लीजिए आउटर लिमिट दस साल है—पूरे कर लिए जायें। इसके लिए हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्यों द्वारा सदन में विचार रखने से हमें बल मिलता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बजटीय समर्थन मिल रहा है, पंचम वेतन आयोग के बाद हमने सुधार किया है और रेल विकास निधि में भी 15 हजार करोड़ से ज्यादा राशि हो गई है। इन सब बातों का उन्होंने दावा किया है और कहा है कि वित्तीय हालत में सुधार किया है या सुधार कर रहे हैं। इन सुधारों के बावजूद हाजीपुर-वैशाली-सुगौली नई रेल परियोजना की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इस रेल लाइन को स्वीकृति दी जाएगी और इसका शिलान्यास कब करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय: इसमें गुस्सा करने की क्या बात है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसमें पैसे का सवाल है, मंत्रीजी कह रहे हैं कि सुधार कर रहे हैं। सुधार तब माना जाएगा, जब वे इस रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे।

श्री नीतीश कुमार: महोदय, अगर सुधार हो रहा है, तो उसमें आपका सहयोग भी शामिल है। जब सुधार हो रहा है, तो उनकी लम्बे काल से जो मांग है, उसमें भी हमें सहयोग दें।

[अनुवाद]

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: प्रश्न रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में हैं। रेलवे के वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु माननीय मंत्री ने उपाय बताए हैं जिन पर चर्चा की जानी आवश्यक है, यहां अनेक उपाय हैं जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिए उठा सकते हैं। जब तक वे रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं करते, वे नई

परियोजनाओं को शुरू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया है कि रेलवे लागत कम करने संबंधी कौन से उपाय करने पर विचार कर रही है। लेकिन वे रेलनीर बेचने जैसे अनावश्यक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। इस उद्यम में वे लाभ कमाने की बजाय घाटा उठाएंगे। वह ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। ये फायदेमंद क्रियाकलाप नहीं हैं और उन्हें अलाभकारी क्रियाकलापों को शुरू नहीं करना चाहिए। उन्हें वही परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए जो रेलवे की कार्यकुशलता से संबंधित हैं।

उदाहरण के लिए, विद्युत की लागत को ही लीजिए। वह एन.टी.पी.सी. तथा अन्य विद्युत उत्पादकों के साथ महत्वपूर्ण समझौता करके विद्युत लागत को कम कर सकते हैं। वह कुछ राज्यों में विद्युत और बिजली के लिए बहुत बड़ी राशि का भुगतान कर रहे हैं। रेलवे के पास उपलब्ध बिजली की समान दर नहीं है। उन्होंने इस संबंध में उठाए जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं किया है।

यात्रा करते हुए किसी को भी पटरी के दोनों ओर पिछले कई वर्षों से बेकार सामग्री पड़ी हुई मिल सकती है। इसे बेचकर धन प्राप्त नहीं जा रहा है। वे रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु ये उपाय कर सकते हैं। भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय रेल विकास योजना जैसी अच्छी योजना दी है। लेकिन यह केवल 15,000 करोड़ रुपये की राशि है। वे अन्य कौन से उपाय कर रहे हैं? जब तक वे ये उपाय नहीं करेंगे, वह नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकते हैं। रेलवे रेलगाड़ियों को उसी गति से चला रहा है जैसे पिछले पचास वर्ष पूर्व चल रही थी। यदि वह गति में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो तत्काल दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उन्हें केवल लागत कम करने संबंधी उपायों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, अपितु शत प्रतिशत यात्री किराया एकत्रित करने की भी कोशिश करनी चाहिए। वे कुछ राज्यों में एकत्रित नहीं कर रहे हैं।

रेलवे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु अगले छह महीनों में कौन से उपाय करने पर विचार कर रहा है? मैं माननीय मंत्री से इसका विशेष उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न से यही एक प्रश्न उत्पन्न होता है। माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है।

श्री नीतीश कुमार: मैं माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पूछने के लिए उनका बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्रालय ने अपनी आमदनी बढ़ाने और खर्चा घटाने के लिए एक नहीं अनेक कदम उठाए हैं, जिसकी चर्चा यहां समय-समय पर होती है। बजट भाषण के दौरान भी उठाए गए ऐसे कई स्टैप्स की चर्चा हुई है। जहां तक आमदनी बढ़ाने का सवाल है, हमने फ्रेट्स में रैशनलाइजेशन किया है। इसका मकसद यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को अपनी ओर आकर्षित करें। जब हम ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करेंगे, तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी। इसी प्रकार से जहां तक खर्चा घटाने की सवाल है, उसके लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे पावर की चर्चा की गई। स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हमसे पावर का जो टैरिफ लेती हैं, वह काफी ज्यादा है। जितना रेट वे एनटीपीसी को देती हैं, उससे दो-तीन गुना ज्यादा हमसे चार्ज करती हैं। किसी-किसी राज्य में चार्जेज डबल से भी ज्यादा है।

हम इसके लिए लगातार उनके सम्पर्क में रहते हैं। जहां रैगुलेटरी कमिशन हैं, उनसे एप्रोच करते हैं या राज्य सरकारों को एप्रोच करते हैं। इसका कोई असर नहीं होने पर हम सीधे एनटीपीसी से पावर ले रहे हैं, खास तौर पर कानपुर सैक्शन में। हम गाजियाबाद-कानपुर सैक्शन में लगभग 100 मेगावाट पावर सीधे एनटीपीसी से ले रहे हैं। हरेक साल उससे लगभग 84 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है। हमारा प्रस्ताव है कि हम कानपुर से इलाहाबाद के बीच पावर एनटीपीसी से लें। यही नहीं इसके अलावा हमारी कोशिश है कि हम रेलवे के ट्रैक्शन रिक्वायरमैंट को एक हद तक पूरा करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक संयुक्त वैंचर कम्पनी बना कर पावर जैनरेट करें। इस प्रकार से एक नहीं, अनेकों ऐसी योजनाएं है। माननीय सदस्य ने रेल नीर की चर्चा की। रेल नीर से न केवल लोगों को क्वालिटी बाटल्ड वाटर सप्लाई करेंगे बल्कि उससे अर्निंग होगी और लाभ भी होगा। जितनी भी बाटल्ड ड्रिंकिंग वाटर की कंट्री में मार्किट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा...*(व्यवधान)* अपने-अपने विचार की बात है। उसमें रेलवे का बहुत बड़ा शेयर है। रेलवे स्टेशन पर लोग बोतल बंद पानी खरीदते हैं। यदि हम अपना पानी बना कर बेचेंगे तो उससे रेलवे की आमदनी बढ़ेगी। केवल यहां की बात होती है, लेकिन जहां प्राइवेट रेल है, दुनिया में रेलवे प्राइवेटाइजेशन की एक ही सक्सैस स्टोरी है और वह ईस्ट जापान रेलवे की है। जापान रेलवे अपना बोतल बंद पानी बेचती है। हम यहां उनसे सबक नहीं सीखते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप अभी तक आम लोगों को पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और अब पानी बेचने की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: माफ करें, अगर बोतल बंद पानी में अशुद्धता पायी गई है और रेलवे ने इस चुनौती को स्वीकार किया है कि लोगों को बोतल बंद शुद्ध पानी देंगे, इससे रेलवे के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही आई है। हम उनको न सिर्फ क्वालिटी बाटल्ड वाटर देंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी पानी जो

पाइप वाटर सप्लाई होता है, हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं है। अभी सवाल केवल बाटल्ड वाटर का है जिसे हम बेचेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, हमें इससे भी प्राफिट होगा। हमने कास्ट कटिंग मैजर्स जैसे विज्ञापन और ट्रैवलिंग में उठाए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह काम अनइम्पलाडय यूथ्स के हाथ में दे दिया जाए जो इनकी देखभाल करें जिससे उन्हें कुछ पैसा मिलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: यह ठीक बात है। वह डिस्ट्रीब्यूशन नैट-वर्किंग का काम है। अभी इसका एक प्लांट लगा है, जो जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं माननीय मंत्री जी की इस राय से सहमत हूं कि वह बोतलबंद पानी बेचना चाहते हैं जो बहुत अच्छी बात है। लोगों को सार्वजनिक पानी मिलता रहेगा लेकिन साथ में बोतल बंद पानी भी मिलेगा। मेरा मंत्री से केवल इतना अनुरोध है कि रेल मंत्रालय वह पानी बाजार में बोतल बंद पानी की दर से कम पर बेचे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने कास्ट कटिंग मैजर्स और भी उठाए हैं। यही कारण है कि पिछले अनेक वर्षों से जो भी आपरेटिंग एक्सपैंडिचर का प्रावधान किया है, उसमें आर्डिनरी वर्किंग एक्सपैंस में कमी ला रहे हैं। हमने इसमें पिछले साल भी कमी की है। इस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा कि स्क्रैप पड़े रहते हैं। हमारी स्क्रैप डिसपोजल से आमदनी बढ़ी है। हमने उसका एक कम्प्यूराइज्ड सैंटरलाइज्ड एकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ताकि स्क्रैप डिसपोजल से ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और लीकेज होने पर वह खत्म हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न और उत्तर दोनों की समय सीमा रखनी चाहिए। सप्लीमैंट्री प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को लिख कर प्रश्न पूछ सकते हैं।

विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों को केन्द्रीय प्रोत्साहन

***669. डा. अशोक पटेल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्रों की कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने वाली निजी कंपनियों को सरकार द्वारा किस तरह का प्रोत्साहन दिया जाना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के जरिए अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने की नीति की घोषणा वर्ष 1991 में सरकार अपेक्षित वित्तीय संसाधन को स्वयं जुटाने में असमर्थता के मद्देनजर की गयी थी। विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा इसमें तेजी से विकास लाने के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार समय-समय पर इस नीति की समीक्षा का संशोधन किया जाता है। उपलब्ध प्रोत्साहनों समेत इस नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे बतायी गयी हैं:-

(1) व्यवहार्य सीमा तक पर्यावरणीय स्वीकृति देने की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण,

(2) पूंजीगत लागत सीमा, जिसके बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) आवश्यक है, में समय-समय पर वृद्धि जिससे कि स्कीमों को टीईसी की आवश्यकता नहीं रहे,

(3) विदेशी निवेश को बिना किसी ऊपरी सीमा के स्वतः अनुमोदन,

(4) निवेश पर प्रतिफल दर तथा विभिन्न प्रकार की विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रचालन मानदंड निर्धारित करते हुए टैरिफ अधिसूचना,

(5) मेगा पावर पालिसी, कैप्टिव विद्युत नीति, तरल ईंधन नीति, जल विद्युत नीति आदि तैयार करना,

(6) भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण एक्सपोजर का 40% की सीमा में छूट।

सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कुछ और कदम, जिसने विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में वृद्धि होगी, मैं निम्नलिखित शामिल है:-

— 31 मार्च, 2003 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) में राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों को नकद हानियों में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन घटक भी शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक नकद हानि में हासिल की गयी 50% की कमी को भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी।

— विद्युत उत्पादन के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त नेफ्था एवं कम सल्फर वाले हैवी स्टाक तथा अन्य अवशिष्ट ईंधन तेल पर उत्पाद शुल्क/काउंटरवेलिंग ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है।

— "मेगा पावर पालिसी" के अंतर्गत "मेगा परियोजना" के रूप में अभिज्ञात विद्युत परियोजनाओं को उपलब्ध शुल्क छूट का लाभ अन्य नई परियोजनाओं को भी दिया गया है जो आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

डा. अशोक पटेल: अध्यक्ष महोदय, बिजली क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने के परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है और इससे देश की जनता की कितनी प्रतिशत बिजली की मांग की पूर्ति हो सकेगी? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आज देश में बिजली की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति अथवा राज्य विद्युत बोर्डों की जो स्थिति है, उसे देखते हुये देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने जा रहे हैं। दसवीं प्लान में इस वर्ष हमें लगभग 7 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा निजी क्षेत्र से मिलने की संभावना है।

डा. अशोक पटेल: अध्यक्ष जी, बिजली में कमी का प्रमुख कारण बिजली की चोरी और बिजली वितरण में गड़बड़ी है। क्या सरकार बिजली की चोरी और बिजली वितरण में गड़बड़ी को रोकने के लिये कठोर कदम उठाने पर विचार कर रही है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या बिजली क्षेत्र को दी जाने वाली राजकीय सहायता में कमी करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का मूल प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जताई है, वह सत्य है कि बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है। उस चोरी के कारण राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। इस चोरी को रोकने के लिये सभी राज्यों को सख्त कानून में निर्देश दिये गये थे और सदन इससे अवगत है। अभी हमने विद्युत विधेयक, 2001 लोक सभा और राज्य सभा में पारित किया है जिसमें बिजली की चोरी रोकने के लिये कानून बनाने के सख्त प्रावधान किये गये हैं। कुछ राज्यों ने इस संदर्भ में कदम भी उठाये हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश प्रमुख हैं जिन्होंने इस प्रकार के कानून बनाये हैं और उन कानूनों को लागू भी किया है। उसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल ने सख्ती से उस कानून को लागू किया है जिसके अच्छे परिणाम आये हैं। इससे बिजली की चोरी में कमी आई और रिकवरी भी बढ़ गई है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: देश में विद्युत की भारी कमी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। अन्यथा आपको उत्तर नहीं मिलेगा। कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री ए.सी. जोस: उत्तर में यह बताया गया है कि 6595 मे.वा. की कुल क्षमता वाली पैंतीस जल विद्युत योजनाएं राज्यों के बीच विवाद के कारण ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। तीसरा उत्तर है कि इस समय सरकार का इस विवाद का समाधान करने हेतु समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी? यह बहुत गंभीर स्थिति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए। अन्यथा प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा और आपको उत्तर नहीं मिलेगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह पिछले प्रश्न संख्या 668 से रिलेटेड है जबकि हम प्रश्न 669 पर हैं। फिर भी इस प्रश्न के महत्व को जानते हुये मैं उत्तर देना चाहूंगा कि इस प्रकार की मांग आई है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न में कैसे दे सकते हैं?

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, यहां बिजली के निजीकरण की बात की गई है। हम प्रिंसीपली इसके समर्थक हैं कि निजीकरण होना चाहिये। निजीकरण इसलिये होता है कि सरकार को जो घाटा होता है, वह न हो। मैंने पिछले सत्र के अंदर इस बात को कहा था कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर झुग्गी-झोंपडियों में रहने वाले 50 लाख गरीब लोगों द्वारा बिजली की चोरी हो रही है, एक हजार ठेकेदार लूट रहे हैं, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं कि जब सरकार के पास बिजली वितरण का कार्य था, उस समय बिजली का घाटा एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हुआ लेकिन जब से निजीकरण किया गया है, पिछले 9 महीने में 1250 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये नहीं तो उत्तर नहीं आयेगा।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मैंने लिखकर दिया हुआ है कि दिल्ली के अंदर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिए। अन्यथा प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें भी यही करने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया हुआ है, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उत्तर आने दीजिये।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, दिल्ली में विद्युत वितरण के संदर्भ में जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उसके निजीकरण के संबंध में मुझे उन्होंने लिखकर भी दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। निश्चित रूप से इस संबंध में जो आवश्यक कार्यवाही करनी है, वहां से जानकारी मिलने के पश्चात् ही की जा सकती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में आज बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। विद्युत मंत्रालय ने 24000 मिलियन यूनिट उत्पादन करने का अपना लक्ष्य तय किया है, लेकिन सम्पूर्ण बजट में हजार करोड़ रुपये की केवल बढ़ोतरी हुई है। ए.पी.डी.आर.पी. जो प्रधान मंत्री जी की विशेष योजना है, उसके माध्यम से पिछले साल के 3500 करोड़ रुपये से 1800 करोड़ रुपये तक की बजट में गिरावट हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या निजी क्षेत्र, एन.टी.पी.सी. और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन में ज्यादा इनवैस्टमैन्ट को आप प्रोत्साहन देंगे।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किये जाते हैं और निश्चित रूप में आज ऊर्जा की जो कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं और इसके लिए जो भी सहयोग करने की आवश्यकता है, मंत्रालय की ओर से वह निश्चित रूप से किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ केन्द्रों का आबंटन

***664. श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ केन्द्रों के आबंटन हेतु नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निविदा प्रणाली के माध्यम से आबंटित किए जाने वाले एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ केन्द्रों से वसूली करने हेतु कितना प्रतिशत कमीशन निर्धारित किया जा रहा है; और

(घ) विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के लोगों के विद्यमान एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह इन पर निर्भर हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के आबंटन को विनियमित करने वाले समय-समय पर नीतिगत मार्ग

निदेश जारी किए हैं। इस विषय पर पिछली बार नीतिगत मार्गनिदेश अप्रैल/मई 2002 में जारी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ हों, के नए आबंटन के लिए विस्तृत मार्गनिदेशों में अन्य बातों के साथ स्टेशनों की कोटि के आधार पर बूथों के आकार और संख्या, पात्रता का आधार, शैक्षणिक अर्हताएं, विभिन्न कोटियों के व्यक्तियों को आबंटन में आरक्षण, प्रवरण की प्रक्रिया, लाइसेंस फीस और वसूल किए जाने वाले अन्य प्रभारों तथा मौजूदा ठेकों के नवीकरण की सूचना शामिल होती है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, केवल "ए" "बी" और "सी" कोटियों के स्टेशनों पर ही टेंडर प्रणाली को अपनाया जाना है। कमीशन का प्रतिशत वह कमीशन होगी जो बोली के अनुसार देय होगी परंतु यह टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर अर्थात् एमटीएनएल आदि द्वारा बूथ आपरेटर को दी जाने वाली कमीशन के 10% से कम नहीं होगी।

(घ) क्षेत्रीय रेलों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि यदि वांछनीय समझा जाए और यदि वे नीति संबंधी मार्गनिदेशों में उल्लिखित शर्तें पूरी करते हों तो मौजूदा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ धारियों के लाइसेंसों को 27.4.2005 तक जारी रहने दिया जाए। इस तारीख के बाद भी, कमजोर वर्गों के लोग जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, व्यक्ति, युद्ध विधवाएं और रेल कर्मचारियों की विधवाओं सहित महिलाएं जिनके लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया है, जब कभी आवेदन पत्र मंगाए जाएं, उस समय खुले प्रवरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों के लिए गैस

***665. श्री मानसिंह पटेल:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के एनटीपीसी विद्युत संयंत्र गैस की आपूर्ति न होने के कारण अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के गैस आधारित संयंत्र, जिनकी कुल क्षमता 3955 मेगवाट है और जिनकी गैस मांग 17.60 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है, अपनी परियोजनाओं के लिए कम गैस प्राप्त करते हैं और इन्होंने वर्ष 2002-03 में प्रतिदिन औसतन 10.63 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त किया है।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन गैस लिंकेज समिति एनटीपीसी की विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों को गैस का आवंटन गैस की आवश्यकता व उपलब्धता की स्थिति पर विचार करके करती है। देश में प्राकृतिक गैस का प्रतिदिन लगभग 120 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर आवंटन की तुलना में इसकी आपूर्ति प्रतिदिन लगभग 65 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर मात्र तक सीमित है, जिससे उपयोगकर्त्ताओं के लिए आपूर्ति में कमी करना आवश्यक हो गया है।

(ग) घरेलू उत्पादन में वृद्धि करके और तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों एवं पारदेशीय गैस पाइपलाईनों से आयात के जरिए गैस की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब

***668. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राज्यीय विवादों के कारण जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राज्यीय विवादों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार का अंतर्राज्यीय अधिकरण की स्थापना करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिकरण के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) वर्तमान में अंत:राज्यीय विवादों के कारण 35 जल विद्युत स्कीम स्थगित हैं, जिनकी कुल क्षमता 6595 मेगावाट है। इनके राज्यवार संलग्न ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जल विद्युत परियोजनाओं समेत विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत परियोजना-विशिष्ट होती है। किन्तु जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में ईंधन की लागत शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अंत:राज्यीय अधिकरण स्थापित किए जाने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

अंत:राज्यीय विवाद में लिप्त जल विद्युत परियोजनाओं के नाम

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं का संख्या
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	पंजाब	1
2.	राजस्थान	1
3.	उत्तर प्रदेश	1
4.	उत्तरांचल	1
पश्चिमी क्षेत्र		
5.	महाराष्ट्र	1
6.	मध्य प्रदेश	3
7.	गोवा	1
दक्षिणी क्षेत्र		
8.	आंध्र प्रदेश	1
9.	कर्नाटक	6
10.	केरल	6
11.	तमिलनाडु	7
पूर्वी क्षेत्र		
12.	असम	1
13.	बिहार	1
14.	झारखंड	1
15.	उड़ीसा	3
	कुल	35

[हिन्दी]

देश में अनाथालय

***670. श्री शिवराजसिंह चौहान:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनाथालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अनाथालयों को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनाथालयों के सम्बन्ध में अपनी नीति की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) अनाथालयों का पंजीकरण और उनको मान्यता राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों द्वारा दी जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंत:देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृहों) को सहायता देने की अपनी योजना के अधीन शिशु गृहों को सहायता अनुदान दे रहा है जिसके अंतर्गत 2002-2003 के दौरान ऐसे 42 गृहों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है। समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम की दूसरी योजना के अधीन अंडमान और निकोबार में लड़कियों के लिए एक अनाथालय अर्थात् प्रनाब कन्या संघ, पोर्ट ब्लेयर को वित्तीय सहायता दी जा रही है। 2002-2003 के दौरान दोनों योजनाओं के अधीन उन्हें निर्मुक्त राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार सहायता अनुदान को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न है। गृहों (शिशु गृहों) को सहायता अनुदान देने की नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

देश में अंत:देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों हेतु गृहों (शिशु गृहों) को सहायता की योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपयों में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	4,90,500
2.	असम	1	2,30,338
3.	दिल्ली	2	12,37,824
4.	गुजरात	2	8,24,400
5.	हरियाणा	2	4,74,911
6.	हिमाचल प्रदेश	1	3,94,074
7.	केरल	3	6,65,378
8.	मध्य प्रदेश	1	3,98,700
9.	महाराष्ट्र	14	78,05,908
10.	मणिपुर	3	18,79,670
11.	मिजोरम	1	4,67,550
12.	उड़ीसा	5	36,88,560
13.	राजस्थान	2	10,16,100
14.	त्रिपुरा	2	9,83,700
15.	पश्चिम बंगाल	2	7,33,577
	कुल	42	2,12,91,190

समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम

1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	4,09,334

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ संयुक्त उद्यम

***671. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रमुख शेयर धारक है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में एनटीपीसी को संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए परिचालन तथा अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार दिया गया है; और

(ग) एनटीपीसी द्वारा, जिसके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, सेवाओं के संचालन से इंकार करने की स्थिति में, सरकार द्वारा स्थिति में निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) रेलें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ संयुक्त प्रस्तावित उद्यम कंपनी में प्रमुख शेयर धारक (51%) बनने पर विचार कर रही हैं।

(ख) रेलों के उपयोग के लिए विद्युत संयंत्र के कैप्टिव स्टेटस को प्राप्त करने की दृष्टि से, रेलों द्वारा प्रमुख शेयर धारक (51%) बनने के बारे में विचार किया गया है। चूंकि प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एक भागीदार है और उसे इस क्षेत्र में व्यापक सुविज्ञता प्राप्त है तथा इस तथ्य को देखते हुए भी कि रेलों के पास विशिष्ट क्षमता नहीं है, परिचालन और अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु अस्वीकार करने का उसे प्रथम अधिकार दिया गया है।

(ग) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में भागीदार होने तथा इस क्षेत्र में अद्वितीय सुविज्ञता प्राप्त होने के नाते, आमतौर पर ऐसा नहीं समझा जाता कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विद्युत संयंत्रों के लिए परिचालन और अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने से इन्कार करेगा, बहरहाल, ऐसा करने के लिए सहमत न होने की अप्रत्याशित स्थिति में, किसी अन्य कंपनी/फर्म से, जिसके पास इन क्षेत्रों में पर्याप्त विशेषज्ञता है, सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में अपव्यय

***672. कुंवर अखिलेश सिंह:**
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में अपव्यय और इसके कार्यकरण पर उचित नियंत्रण और रोक नहीं है;

(ख) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2001 को अपनी रिपोर्ट में इस समस्या का उल्लेख किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किफायत और मितव्ययिता संबंधी ठोस नीति/कार्यक्रम बनाने तथा क्रियान्वित करने एवं रेलवे में अपव्यय को रोकने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं। रेलों में खर्च पर नियंत्रण और रेलवे के कामकाज पर नजर करने के लिए एक सुगठित व्यापक तंत्र मौजूद हैं।

(ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2001 की अपनी रिपोर्ट में समग्र रूप से रेल प्रणाली पर अनावश्यक खर्च पर समुचित नियंत्रण के अभाव और रोक पर कोई टिप्पणी नहीं की है परंतु, बहरहाल, राजस्व की संभावित हानि/परिहार्य खर्च के कुछ विशिष्ट मामलों पर ही टिप्पणी की है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों पर मौजूद आंतरिक जांच प्रणाली के अनुसार सभी वित्तीय लेन-देनों की विभिन्न रेल संहिताओं में अन्तर्विष्ट उपबंधों, समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आगे के अनुदेशों के संदर्भ में तथा वित्तीय औचित्य के मान्य मानकों के संदर्भ में पूरी तरह से पूर्व जांच की जानी होती है। रेलवे खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इन उपायों में कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करना, परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग वस्तुसूचि प्रबंधन, ईंधन की खपत में बचत और यात्रा, प्रचार, आवभगत आदि जैसे क्षेत्रों में सादगी सुनिश्चित करना शामिल हैं। विगत छह वर्षों के दौरान रेलों ने बजट अनुमान की तुलना में साधारण संचालन व्यय में निरंतर बचत की है।

[अनुवाद]

क्रय वरीयता नीति

***673. डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के और अधिक उत्पादों एवं सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जीर्णोद्धार हेतु उक्त नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त नीति किस हद तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (घ) सरकार की वर्तमान क्रय-अधिमानता नीति घाटा उठाने वाले उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के उन सभी उत्पादों और सेवाओं के मामले में लागू होती है, जिनमें निविदा/निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अंतर्गत क्रय का मूल्य 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है। वर्तमानत: उपर्युक्त नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। बहरहाल, इस नीति के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है और इसलिए इस मामले में संबंधित संगठनों के सहयोग से प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घाटा उठाने वाले 8 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के 2 संयुक्त उद्यमों सहित 28 सरकारी उद्यमों को वर्तमान क्रय अधिमानता नीति से लाभ प्राप्त हुआ है (सूची संलग्न विवरण में दी गयी है)। तथापि, घाटा उठाने वाले सरकारी उपक्रमों को पुन: अर्थक्षम बनाने में सिर्फ क्रय अधिमानता नीति से प्राप्त होने वाले लाभों का निर्धारण कर पाना कठिन है, क्योंकि संयंत्रों एवं मशीनों का आधुनिकीकरण, कार्यचालन पूंजी की उपलब्धता, व्यापारिक पुनर्गठन, विपणन रणनीतियां, श्रमशक्ति या यौक्तिकीकरण आदि जैसे अन्य कारक भी इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के प्रथम नौ महीनों के दौरान लाभान्वित होने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों/संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उपक्रम का नाम
1	2
1.	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड
2.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
3.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
5.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
7.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
8.	इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
9.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
10.	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड

1	2
11.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड
12.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
13.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
14.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
15.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
16.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
17.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड
18.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
19.	आईबीबी कंपनी लिमिटेड
20.	आईटीआई लिमिटेड
21.	कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड
22.	जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड
23.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
24.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड
25.	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
26.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड
संयुक्त उद्यमः	
1.	भारत शैल लिमिटेड
2.	टाईड वाटर आयल कं. लिमिटेड

कोल बेड मैथेन

***674. श्री जी.जे. जावीयाः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोल बेड मैथेन का उत्पादन करने वाले राज्यों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्यों/क्षेत्रों में कोल बेड मैथेन का वार्षिक कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या सरकार की कोल बेड मैथेन के संबंध में कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोल बेड मैथेन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार भारत में कोल बेड मैथेन (सीबीएम) का कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है।

(ग) से (ङ) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सीबीएम का उपयोग करने के लिए सरकार ने 1997 में सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए नीति बनाई जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ब्लाकों को प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। नीति के तहत ब्लाकों के प्रथम प्रस्ताव में पांच ब्लाक अर्थात झारखंड और मध्य प्रदेश प्रत्येक में दो ब्लाक और पश्चिम बंगाल में एक ब्लाक, प्रदान किए गए हैं। इस सभी पांचों ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इनमें से दो के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के परिसंघ के साथ, एक के लिए एस्सार आयल लिमिटेड के साथ और दो के लिए रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दो ब्लाकों अर्थात झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक के लिए संविदाओं पर ओएनजीसी और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के परिसंघ के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में एक और सीबीएम ब्लाक के लिए संविदा पर मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (जीईईसीएल) के हस्ताक्षर किए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र के सुधारों हेतु समिति

***675. श्री चिंतामन वनगाः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को शीघ्र बहाल करने और उसे बनाए रखने के लिए राज्य विशिष्ट सुधार कार्यक्रमों को विकसित करने में सहायता देने हेतु गठित की गई पारेख समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वाकीर कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी, हां। समिति की रिपोर्ट के प्रथम भाग की मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैं:-

(1) समिति ने रा.वि. बोर्डों की सामान्य वित्तीय अक्षमता को दो विस्तृत प्रकार की कमियों में वर्गीकृत किया है, नामशः विगत की कमी और भावी कमी। रा.वि. बोर्डों की वित्तीय पुनर्संरचना हेतु विस्तृत सिद्धांत तैयार करने के लिए समिति ने देयताओं को कम करने और रियायती शर्तों पर पुनवित्तपोषण के संयोजन का सुझाव दिया है।

(2) रा.वि. बोर्डों/राज्यों में विद्युत व्यापार की वित्तीय व्यवहार्यता को शीघ्रतापूर्वक बहाल करने और बनाए रखने के लिए सुधार संबंधी पहलों का समर्थन करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत सहायता के लिए दो तरीके होंगे। एक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए संकटकालीन निवेश के लिए होगा। एक और तरीका प्रति यूनिट आपूर्ति और राजस्व वसूली के बीच अंतर को कम करने के लिएं प्रोत्साहन देने के लिए होगा।

(3) रा.वि. बोर्डों के विकेन्द्रीकरण पर विचार किया जाए और बाजार ढांचे के उपयुक्त मॉडलों में से किसी एक को अपनाकर इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाए।

समिति ने हाल ही में अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कथित रिपोर्ट में समिति ने यह सिफारिश की है कि विश्वसनीय आमूल-चूल परिवर्तन योजना के लिए राज्यों द्वारा व्यापक सुधार लक्ष्य प्राप्त करने आवश्यक हैं। उपरोक्त के मद्देनजर समिति ने राज्य सरकारों और रा.वि. बोर्डों/यूटिलिटियों को सुझाव दिया है कि वे संबंधित राज्यों में स्थितियों के मद्देनजर उपयुक्त सुधार कार्यनीतियों तैयार करें तथा विभिन्न मुख्य पणधारियों के साथ परामर्श करके आमूल-चूल परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ करें। समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसा करते समय राज्य सरकारें ऐसे एक या अधिक विकल्पों को चुन सकते हैं जो संबंधित विकल्पों की शर्तों के साथ उनके संबंधित सुविधाजनक स्तर के आधार पर संक्रमणकालीन वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है और इन्हें राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे रा.वि. बोर्डों की वित्तीय पुनर्संरचना संबंधी सिफारिशों को लागू करें और उपयुक्त बाजार ढांचा तैयार करें। ऐसा करते समय यह प्रत्याशा की जाती है कि राज्य सरकारें अपेक्षित संक्रमणकालीन वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखेंगी तथा आमूल-चूल परिवर्तन कार्यनीति के प्रति यूटिलिटियों और राज्यों की वचनबद्धताओं को प्रदर्शित करके अपने सुविधा स्तर से वित्तपोषक एजेन्सियों को संतुष्ट करेंगे।

राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. आयोग की सिफारिश

***676. श्री प्रवीण राष्ट्रपालः**
श्री वीरेन्द्र कुमारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निजी बैंकों, विश्वविद्यालयों, अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले निकायों आदि में आरक्षण लागू करने के लिए केन्द्रीय विधान पारित किए जाने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी पांचवीं और छठी रिपोर्ट में की गई सिफारिश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा विधान पारित करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की 5वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित 17.05.2002 को सदन के पटल पर रखा गया है। आयोग की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर मंत्रालय में कार्यवाही की जा रही है और उन्हें की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

एन.आई.एम.एच. और एन.आई.एच.एच. को संपूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देना

***677. श्री ए. ब्रह्मनैयाः** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शारीरिक निःशक्तता और संबंधित शिक्षा से जुड़ी "नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड" और "नेशनल इंस्टीट्यूट फार हियरिंग हैंडीकैप्ड" का उन्नयन कर उन्हें पूर्ण विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.आई.एम.एच. और एन.आई.एच.एच. देश में अपेक्षित संख्या में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है;

(घ) क्या सरकार और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एन.आई.एन.एच. और एन.आई.एम.एच. में अलग और संशोधित पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजे गए हैं।

(ग) (1) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रम चलाता है:-

1. श्रवण, भाषा तथा वाणी में विज्ञान स्नातक
2. शिक्षा में स्नातक (श्रवण विकलांग)-3 पाठ्यक्रम
3. ओडियोलाजी, वाणी भाषा पैथोलौजी में स्नातक
4. श्रवण, भाषा तथा वाणी में डिप्लोमा
5. विशेष शिक्षा (श्रवण विकलांग) में डिप्लोमा
6. शिक्षा स्नातकोत्तर (श्रवण विकलांग)
7. विज्ञान स्नातकोत्तर (ओडियोलाजी तथा वाणी भाषा पैथालॉजी)

(2) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रम चलाता है-

1. विशेप शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सशक्तिकरण (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा
3. पुनर्वास सेवाओं (मानसिक मंदता) में स्नातक
4. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातक
5. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातक-सुदूरवर्ती मोड
6. शीघ्र हस्तक्षेप में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
7. प्रारंभिक बचपन विशेष शिक्षा में डिप्लोमा।

कुछ अन्य संस्थान तथा गैर-सरकारी संगठन भी संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाते हैं। तथापि, भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुमानों के अनुसार मानसिक मंदता तथा श्रवण विकलांगता के क्षेत्र में जरूरतों तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता में अंतराल विद्यमान है।

(घ) और (ङ) जबकि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की योजना मानसिक मंदता के क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय नया पाठ्यक्रम शुरू करने की है, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान की योजना आडियोलाजी में डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को जोड़ने की है।

रेल विभाग का "आनलाइन" होना

***678. श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने साइबर माध्यम से आनलाइन होने का निर्णय लिया है तथा इस दिशा में कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को क्या सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी; और

(घ) इसमें अब तक कितनी लागत आई है और इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) (1) जी हां। भारतीय रेल ने 1980 के दशक के मध्य की शुरूआत के समय से यात्री आरक्षण प्रणाली, मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली और अनारक्षित टिकट जारी करने की प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से ही आन-लाइन सेवाएं शुरू कर दी थीं। पिछले 3 वर्षों के दौरान इनमें से कुछ सेवाएं वेब के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं और अब टिकटों के आरक्षण से संबंधित पूछताछ जैसे यात्री किराए, समय सारणी की सूचनाएं, शिकायतें और सुझाव, पर्यटन संबंधी सूचनाएं वेब पर उपलब्ध हैं।

(2) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने जो कि रेल मंत्रालय के अधीन एक निगम है, टिकट की आन-लाइन आरक्षण सेवा शुरू की है। इस सेवा के जरिए कोई भी यात्री आन-लाइन के जरिए अपनी टिकट बुक करवा सकता है और उसका भुगतान कर सकता है तथा मनचाहे पते पर टिकट मंगवा सकता है।

(3) रेलवे की आप्टीकल फाइबर केबल (ओएफसी) परिसम्पत्तियों और उसके मार्गाधिकार का उपयोग करके एक राष्ट्रव्यापी दूरसंचार और मल्टी मीडिया नेटवर्क का सृजन करने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल टेल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (रेल टेल), सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम की स्थापना की है।

रेल टेल की योजना है कि उके आप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क के जरिए चालू वित्त वर्ष के दौरान एक पायलट परियोजना के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट क्योस्क खोले जाएं और एक चुनी हुई गाड़ी पर इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाए। इनके सफल परीक्षण के बाद इन सेवाओं का आगे विस्तार किया जाएगा। रेल टेल की यह भी योजना है कि आप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क पर धीरे-धीरे 150 महत्वपूर्ण नगरों और 1500 स्टेशनों को जोड़ा जाए, जिससे रेल यात्रियों को आन-लाइन सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

(4) यात्रियों को अतिरिक्त और सुगम तरीके से सूचना उपलब्ध कराने के लिए यात्रियों से संबंधित सूचना को अपग्रेड किया जाना तथा उसका आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे क्षेत्रीय रेलों और रेलवे की अन्य यूनिटों जैसे आईआरसीटीसी, रेल सूचना प्रणाली के लिए केन्द्र (क्रिस), रेल टेल द्वारा किया जाता है। अब तक रेलों ने विभिन्न सेवाओं के कंप्यूटरीकरण पर लगभग 856.73 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रेल सेवाओं का अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

सफाई कर्मचारियों हेतु पुनर्वास योजना

***679. श्री रामदास रूपला गावीत:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उद्धार एवं उनके पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितना धन आवंटित किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) भारत सरकार 1992 से स्क्वैंजरों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना चला रही है। योजना का उद्देश्य स्क्वैंजरों को उनके मौजूदा व्यवसाय से मुक्त करना तथा उनके लिए वैकल्पिक और प्रतिष्ठित व्यवसायों की व्यवस्था करना और उनमें लगाना है। योजना के मुख्य संघटक स्क्वैंजरों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण और पुनर्वास करना है। एनएसएलआरएस को सक्रिय बनाने और उसकी गति बढ़ाने के लिए समूहों में स्क्वैंजरों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1999-2002 में सेनिटरी मार्ट की संकल्पना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) आवधिक ऋण और लघु ऋण वित्त कार्यक्रमों के अधीन आय सृजक कार्यकलापों को शुरू करने हेतु स्क्वैंजरों और उनके आश्रितों सहित सफाई कर्मचारियों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है।

(ग) आबंटित निधियां इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष	एनएसएलआरएस के अधीन आबंटित निधियां (बजट अनुमान) (रु. करोड़ में)
2000-2001	67.50
2001-2002	74.00
2002-2003	80.00

(घ) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष	एनएसएलआरएस के अधीन सहायता प्राप्त लाभार्थी	एनएसकेएफडीसी के आवधिक ऋण और लघु वित्त कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त लाभार्थी
2000-2001	22768	20489
2001-2002	22059	9249
2002-2003	62069 (प्रत्याशित)	25262 (प्रत्याशित)

[अनुवाद]

दूरदर्शन में डी.टी.एच. सेवाएं

***680. श्री अधीर चौधरी:**
श्री कमलनाथ:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने 'डायरेक्ट-टू-होम' (डी.टी.एच.) सेवाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 15 अप्रैल, 2003 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) उक्त योजना के देश में राज्यवार विशेषकर पश्चिम बंगाल में कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है;

(घ) उक्त योजना दर्शकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है;

(ङ) इस योजना में सरकार द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है;

(च) क्या डी.टी.एच. सेवाओं के लागू होने से केबल नेटवर्क पर प्रभाव पड़ेगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ज) प्रसार भारती बोर्ड ने अप्रैल, 2003 में हुई अपनी बैठक में डायरेक्ट-टू-होम कार्यक्रम में दूरदर्शन की भागीदारी को स्वीकृति दे दी है। दर्शक केबल या किसी केबल आपरेटर के हस्तक्षेप के बिना टीवी चैनलों को देख सकेंगे। इस स्कीम के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से गांवों का विद्युतीकरण

*681. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन 18,000 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा दृष्टिकोण 2012 तैयार किया है जिनका परम्परागत स्रोतों से विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गांवों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए पता लगाए गए राज्य-वार अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और वर्ष 2003-2004 में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने आगामी दशक के दौरान कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अनुमानित 18000 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। दसवीं योजना अवधि के लिए ऐसे 5000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए दूरदराज के गांवों की पहचान करने हेतु राज्यों को सलाह दी है। कई राज्यों ने मंत्रालय को ऐसे गांवों की आंशिक या पूर्ण सूचियां भेजी हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए पहचान किए गए दूरदराज के गांवों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न-I विवरण में दिए गए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा, बायोमास और लघु पनबिजली हैं जिन्हें अत्यधिक दूरदराज के गांवों के विद्युतीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने की संभावना है। एक विशेष गांव में लगाई जाने वाली विशिष्ट प्रौद्योगिकी का निर्धारण स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा संसाधनों और नियोजित मांग द्वारा किया जाता है।

(घ) मंत्रालय के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से 915 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। इन गांवों और कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं वाले गांवों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान 1000 गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। लक्ष्यों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण I

ऐसे राज्य जिन्होंने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए पहचान किए गए दूरदराज के गांवों की आंशिक अथवा पूर्ण सूचियां प्रस्तुत की हैं

क्र.सं.	राज्य	सूचियों में निर्दिष्ट गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	77
3.	असम	2,800

1	2	3
4.	बिहार	321
5.	छत्तीसगढ़	1250
6.	जम्मू एवं कश्मीर	96
7.	झारखंड	70
8.	मध्य प्रदेश	1226
9.	महाराष्ट्र	307
10.	मणिपुर	137
11.	मेघालय	2332
12.	मिजोरम	25
13.	नागालैंड	13
14.	उड़ीसा	200
15.	राजस्थान	565
16.	सिक्किम	32
17.	त्रिपुरा	585
18.	उत्तर प्रदेश	100
19.	उत्तरांचल	1127
20.	पश्चिम बंगाल	1450

विवरण II

वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान मंत्रालय के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकृत और विद्युतीकरण किए जा रहे दूरदराज के गांवों के राज्यवार विवरण

(राज्यों से दिनांक 03.05.2003 तक प्राप्त सूचना पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकरण किए जा रहे गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	67
3.	असम	36	3
4.	छत्तीसगढ़	120	200
5.	गुजरात	—	1
6.	जम्मू एवं कश्मीर	57	—
7.	झारखंड	—	20
8.	मध्य प्रदेश	—	55
9.	मणिपुर	—	137
10.	मेघालय	—	25
11.	मिजोरम	7	14
12.	नागालैंड	—	13
13.	त्रिपुरा	11	18
14.	उत्तरांचल	80	209
15.	उत्तर प्रदेश	—	14
16.	पश्चिम बंगाल	594	321
	अन्य	915	1114

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन की सेवाओं में सुधार

***682. श्री रामदास आठवले:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रसार भारती द्वारा निजी चैनलों की तुलना में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की सेवाओं में सुधार लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का चैनलों के बीच आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की बेहतर स्थिति के लिए इनके आधुनिकीकरण तथा संचालन को डिजीटल बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए सतत् रूप से प्रयास कर रहा है और इस प्रयोजनार्थ, विभिन्न केन्द्रों में सुविधाओं के उन्नयन व आधुनिकीकरण की स्कीमें समय-समय पर बनायी और कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख) आकाशवाणी एफएम सेवाओं, स्थलीय व उपग्रह लिंकों के जरिए स्टूडियो निर्माण और कार्यक्रम वितरण में डिजिटल प्रणालियों के विस्तार पर बल देने की योजना बनाती है। दूरदर्शन के पास भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने केन्द्रों का आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण करने के प्रस्ताव हैं।

(ग) प्रसार भारती ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने संचालनों के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को क्रमशः 222 करोड़ रु. और 1043 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

आर.आर.बी., गोरखपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखा सहायक की परीक्षा

6545. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर द्वारा कनिष्ठ लेखा सहायक के पद के लिए वर्ष 2001 के उन चयनित कुछ अभ्यर्थियों को रोजगार देने में असफल रहने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उन शेष बचे चयनित अभ्यर्थियों को कब तक रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कनिष्ठ लेखा सहायक के पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर द्वारा चयनित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आटो ईंधन नीति

6546. श्री एस. मुरूगेसन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख व्यक्तियों ने नई आटो ईंधन नीति को निष्प्रभावी बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा तैयार किया गया "अनिल अग्रवाल क्लीन एयर माडल" शीघ्र ही जारी किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस "एयर माडल" की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) नई आटो ईंधन नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

"बायो-मास ऊर्जा" विकसित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी

6547. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में 'बायो-मास ऊर्जा उत्पादन' विकसित करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में 'बायो-मास ऊर्जा' विकसित करने की विशाल संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में क्षमता के दोहन हेतु कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बायोमास विद्युत परियोजनाओं हेतु 775 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजनाएं, प्रत्यक्ष दहन, सह-उत्पादन और गैसीकरण सहित विभिन्न बायोमास रूपान्तरण प्रौद्योगिकियों पर आधारित होंगी।

(ग) देश के लिए 19,500 मेगावाट की कुल बायोमास विद्युत की संभाव्यता का आकलन किया गया है।

(घ) और (ङ) देश में 537 मेगावाट की समग्र क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है जिसमें 180 मेगावाट क्षमता की बायोमास विद्युत परियोजनाएं, 304 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं और 53 मेगावाट क्षमता की बायोमास गैसीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, 587 मेगावाट की क्षमता स्थापनाधीन हैं। वर्ष 2003-04 के लिए 138 मेगावाट के क्षमता संयोजन की योजना है।

(च) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। त्वरित अवमूल्यन और करों तथा शुल्कों से रियायत सहित राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से आवधिक ऋण उपलब्ध हैं। ग्रिड संयोजन उपलब्ध कराने और इन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए राज्यों द्वारा नीतियों की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का विकास

6548. श्री राजो सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त योजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है और इसके लिए राज्य सरकार को कब तक धनराशि प्रदान की जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं। बिहार सरकार ने 2003-2004 के लिए राज्य के पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोगों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य रेलवे, मुम्बई में नई रेल परियोजनाएं

6549. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे ने हाल ही में पैदल उपरी पुलों के विस्तार कुर्ला-मुलुंद और कुर्ला-मनखुर्द के बीच रेलवे स्टेशनों की मरम्मत के लिए नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति दी है और धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या मुलुंद में छठी लाइन के निर्माण के कारण मुलुंद (पूर्व) में पहुंचना कठिन हो गया है;

(ङ) क्या रेलवे प्रवासी संघ, स्थानीय संसद सदस्य ने इस परेशानी की चर्चा मध्य रेलवे, मुम्बई के संबंधित इंजीनियरिंग कर्मचारियों के साथ की है; और

(च) यदि हां, तो समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं। पहुंच मार्ग वही रहेगा। प्लेटफार्म सं. 4 के लिए सीधा प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और नए प्रवेश की व्यवस्था पूर्व की ओर बढ़ाए गए ऊपरी पैदल पुल से होकर की जाएगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) से (ग) ब्यौरा इस प्रकार है:–

(1) नए ऊपरी पैदल पुल:

क्र.सं.	स्टेशन	ऊपरी पैदल पुल के कार्य का ब्यौरा	स्थिति
1.	कंजूरमार्ग	38 लाख रु. की लागत पर ओवर हैड बुकिंग कार्यालय सहित ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य। 2003-04 के लिए परिव्यय 5.00 लाख रुपये	यह कार्य निर्माण-कार्यक्रम 2003-04 में स्वीकृत किया गया है। (पूरा करने की लक्ष्य तिथि जुलाई, 2004 है)
2.	कुर्ला	175 लाख रु. की लागत पर 6 मीटर चौड़े अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य 2003-04 के लिए परिव्यय—69.00 लाख रुपये	निविदा आमंत्रित की गई है। (पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसंबर, 2004 है)
3.	घाटकोटपर	257 लाख रु. की लागत पर 12 मीटर चौड़े अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य 2003-04 के लिए परिव्यय— 87.00 लाख रुपये	निविदा आमंत्रित की गई है। (पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2005 है)

(2) कुर्ला-मानखुर्द खंड में कोई नया ऊपरी पैदल पुल स्वीकृत नहीं किया गया है:

(3) ऊपरी पैदल पुल का विस्तार:

क्र.सं.	स्टेशन	ऊपरी पैदल पुल के कार्य का ब्यौरा	स्थिति
1.	गोवांडी	30 लाख रु. की लागत पर पश्चिम की ओर ऊपरी पैदल पुल का विस्तार। 2003-04 के लिए परिव्यय-15.00 लाख रुपये	निविदा आमंत्रित की गई है। (पूरा करने की लक्ष्य तिथि सितंबर, 2004 है।
2.	भांडुप	27 लाख रु. की लागत पर प्लेटफार्म सं. 2/3 से प्लेटफार्म सं. 4 तक विस्तार। 2003-04 के लिए परिव्यय-15.00 लाख रुपये	पूरा करने की लक्ष्य तिथि सितंबर, 2004 है।

(4) उपरोक्त के अलावा, घाटकोपर, कंजूरमार्ग और मुलुंद में ऊपरी पैदल पुलों का विस्तार पांचवीं और छठी लाइन के कार्य के संबंध में पहले ही कर दिया गया है।

(5) रेलवे स्टेशनों पर मरम्मत का कार्य स्थिति के आधार पर जब कभी अपेक्षित होता है, नियमित रूप से किए जाते हैं।

आंतरिक संसाधन सृजन संबंधी योजना

6550. **श्री ए.सी. जोसः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कुछ क्षेत्रों में आंतरिक संसाधन सृजन संबंधी योजना को क्रियान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) माल और यात्री आमदनी रेलवे राजस्व का लगभग 90% है। अधिक राजस्व सृजन के उद्देश्य से रेलें अधिक से अधिक यातायात प्राप्त करके अपनी यातायात आमदनियां बढ़ाने के

लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। माल यातायात के संबंध में विभिन्न विपणन नीतियां जिनमें मालभाड़ा संरचना का यौक्तिकीकरण शामिल है, अपनाई जा रही है। युक्तिसंगत बनाई गई माल भाड़ा संरचना में अधिकतम और निम्नतम मालभाड़े के बीच अनुपात विगत दो रेल बजटों में 8.0 से घटाकर 2.8 कर दिया गया है और श्रेणियों की कुल संख्या 59 से घटाकर 27 कर दी गई है। माल दरों के बैंड को उच्चतम श्रेणी, श्रेणी 300 से कम करके श्रेणी 250 करके और सघन बना दिया गया है। विशिष्ट प्रकार के यातायात पर माल रियायत देने के लिए स्टेशन से स्टेशन दर योजना को उदारीकृत बनाया गया है। रेलवे के उन प्रमुख ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जो अतिरिक्त आमदनी के लिए माल की पेशकश करते हैं। पार्सल यातायात से आमदनियों में सुधार करने के लिए दरों को दर स्केल 7 से घटाकर 4 करके युक्तिसंगत भी बनाया गया है और सभी प्रकार के पण्यों को एक समान दर पर प्रभारित किया जा रहा है जो ग्राहक द्वारा चुनी गई सेवा की किस्म पर निर्भर करता है। पार्सल दरों के मामले में उच्चतम दर और निम्नतम दर का अनुपात 8.7 से घटाकर 6.2 कर दिया गया है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर और विशेष/नई गाड़ियां चलाकर यात्री आमदनी में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, रेलपथ और संरचना से इतर रेलवे भूमि विभिन्न उपयोगों जैसे साइडिंग और स्टेशनों के निकट सामग्रियों के लदान/चट्टा लगाने, थोक तेल संस्थापनाओं, वे लीव सुविधाओं आदि से राजस्व के सृजन के लिए पट्टे पर दी जाती है। इसके अलावा, रेलें रेलवे भूमि और ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक दोहन और चल स्टाक और रेलवे स्टेशनों आदि पर वाणिज्यिक प्रचार करके राजस्व सृजन बढ़ा रही हैं। रेलवे भूमि/ऊपरी स्थान की वाणिज्यिक संभाव्यता का पता लगाने के लिए व्यावहारिकता/बाजार अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा, रेलवे ने रेल-टेल कार्पोरेशन आफ लि. नामक एक निगम बनाया है जो आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए रेलवे के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) का उपयोग करके और टेलीकाम नेटवर्क में सरप्लस क्षमता का वाणिज्यिक दोहन करके रेलवे के लिए राजस्व अर्जित करेगा।

इस समय संसाधन सृजन में वृद्धि करने के लिए रेलवे के विचाराधीन कोई अतिरिक्त क्षेत्र नहीं है।

रेल दावा अधिकरण में दावों का निपटान

6551. **श्री मंजय लाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रेल दावा अधिकरणों में दावा निपटान संबंधी जोन-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या रेल दुर्घटनाओं के शिकार कई लोगों ने रेल दावा अधिकरणों की सुनवाई का बहिष्कार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(घ) लंबित दावों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने दावों के त्वरित निपटान हेतु नीति संबंधी दिशा-निर्देश बनाए हैं;

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 1.4.03 को लंबित मामलों की संख्या।

जोन का नाम	पीठ का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
उत्तरी जोन	दिल्ली	945
	चंडीगढ़	365
	लखनऊ	1418
	गाजियाबाद	960
	गोरखपुर	2472
	कुल	6160
पूर्वी जोन	कोलकाता	4967
	पटना	3853
	गुवाहाटी	3336
	भुवनेश्वर	363
	जोड़	12519
पश्चिमी जोन	मुंबई	1257
	भोपाल	1104
	अहमदाबाद	917
	जयपुर	443
	नागपुर	48
	जोड़	3769

1	2	3
दक्षिणी जोन	चेन्नै	333
	सिकंदराबाद	1229
	एर्णाकुलम	388
	बंगलौर	347
	जोड़	2297
	कुल जोड़	24745

(ख) और (ग) ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(घ) रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक निकाय है तथा वह दावों के निपटान संबंधी सुनवाई के लिए रेल दावा अधिकरण अधिनियम में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अत: रेल दावा अधिकरण में लंबित दावों को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ङ) जी हां।

(च) 1. रेल दावा अधिकरण में दायर दावों को शीघ्र निपटाने के लिए रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है:-

(i) सामान्यतया दावाकर्ता के निवास, प्रारंभिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन पर दुर्घटना मामलों में दावा दायर करने हेतु दावाकर्ता को सुविधा, जबकि पहले केवल दुर्घटना स्थल पर ही यह सुविधा थी।

(ii) प्रत्येक मामले में स्थगन की संख्या तीन तक प्रतिबंधित।

(iii) अंतिम सुनवाई की तारीख के बाद 21 दिनों के भीतर रेल दावा अधिकरण द्वारा आदेश की घोषणा करना।

(iv) लंबित मामलों तथा अधिकरण के फैसलों की स्थिति के संबंध में इंटरनेट पर सूचना मुहैया कराना, रेल दावा अधिकरण की कार्य प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है।

2. दुर्घटना मामलों के शीघ्र निपटान के संबंध में प्रशासनिक उपाय:-

(1) मुख्य दावा अधिकारी के अधीन एक दुर्घटना कक्ष स्थापित किया गया है जो राहत मुहैया कराने के लिए मृत्यु, घायल के सभी मामलों की निगरानी करता है।

(2) दुर्घटना कक्ष लिखित बयान को तैयार करने तथा मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा के समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों को निगरानी करता है।

(3) डिगरी पास किए जाने के बाद फैसले की एक प्रति प्राप्त की जाती है तथा शीघ्र चेक तैयार किए जाते हैं।

3. माल दावों के संबंध में प्रशासनिक उपाय:

(1) दावा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रमुख पण्यों हेतु एकल खिड़की क्लीयरेंस।

(2) दावा तथा लेखा कार्यालयों के अधिकारी दावों के शीघ्र निपटान में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से अंत:सम्पर्क करते हैं।

(3) विभिन्न पण्यों के दावों के निपटान के लिए लक्ष्य समय निर्धारित किया जाता है तथा समय-सीमा के भीतर मामले के निपटान के लिए प्रयास किए जाते हैं;

(4) महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ उनके मामलों को निपटाने हेतु नियमित बैठकें की जाती हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्धा-यवतमाल-पुसद नांदेड़ क्षेत्र में उचित सुविधाओं का अभाव

6552. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्धा-यवतमाल-पुसद-नांदेड़ क्षेत्र में व्यापक आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ है और क्षेत्र में पर्याप्त रेल सुविधाओं का अभाव है;

(ख) क्या रेलवे ने इस क्षेत्र में बड़ी लाइन बिछाने के लिए यातायात सर्वेक्षण कराया है;

(ग) क्या कुछ पुलों का निर्माण भी कराया गया था लेकिन पहले से ही भूमि कार्य पूरा कर लिए जाने के बावजूद लाइन बिछाने का कार्य अभी भी शुरू किया जाना बाकी है;

(घ) यदि हां, तो करीब 270 कि.मी. की दूरी को शामिल करने वाले इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) वर्धा से नांदेड़ बरास्ता, यवतमाल, पुसद और उमरखेड़ (260 कि.मी.) नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 2001 में पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 260 कि.मी. लम्बी लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की दर (-) 2.056% सहित 459.76 करोड़ रुपए आंकी गई थी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति, चालू निर्माण कार्यों के भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं समझा गया था।

महाराष्ट्र में आर.ओ.बी./आर.यू.बी.

6553. **श्री शिवाजी माने:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में निर्माणाधीन ओवर ब्रिजों/अंडर ब्रिजों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेल समपारों पर ओवर ब्रिजों/अंडर ब्रिजों के निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे पुलों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रोड ओवर ब्रिजों/अंडर ब्रिजों को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण हेतु राज्य सरकार से प्राप्त सभी ठोस प्रस्तावों को जैसा कि (क) में दिखाया गया है, स्वीकृत किया गया था।

(घ) महाराष्ट्र राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण हेतु आवंटित निधि नीचे दी गई है:

2000-01	2001-2002	2002-03
22.06 करोड़ रु.	26.63 करोड़ रु.	28.6 करोड़ रु.

(ङ) रेलवे पुलों के निर्माण का कार्य (रेलपथ के ऊपर) करती है, जबकि राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाता है। बहरहाल, रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण से पहले या उसके साथ-साथ पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

विवरण

लागत में भागीदारी के आधार पर, बोट (निर्माण परिचालन और हस्तांतरण) और निक्षेप योजना के तहत महाराष्ट्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है

क्र.सं.	कार्य	स्वीकृति का वर्ष	स्थिति
1	2	3	4
1.	चूना भट्टी - कि.मी. 13/12-13 पर समपार सं. 1-एचबी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1997-98	एमसीजीएम द्वारा पहुंच मार्गों के संरेखण द्वारा अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सामान्य आरेखण व्यवस्था को तैयार नहीं किया जा सका।
2.	निफड़-कि.मी. 218/8-9 पर समपार सं. 99-बी के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	1996-97	सामान्य आरेखण व्यवस्था स्वीकृत। विस्तृत अनुमान को 3.8.2000 को पीडब्ल्यूडी को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी में असमर्थता जताई थी। उन्होंने बोट के लिए प्रस्ताव किया है। तदनुसार पीडब्ल्यूडी ने 4 अक्तूबर, 2002 को पहुंच मार्गों का अनुमान प्रस्तुत किया था जो प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4
3.	शेवरी-समपार सं. 7/3-4 पर समपार सं. 7 ए के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	1997-98	पीडब्ल्यूडी द्वारा पहुंच संरेखण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सामान्य आरेख व्यवस्था को तैयार नहीं किया गया। राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा भूमि को बंबई पोर्ट ट्रस्ट को पट्टे पर हस्तांतरण करने का निश्चय प्राप्त नहीं हुआ है। यह कार्य मुंबई ट्रांसहारबर लिंक परियोजना के साथ जुड़ा है और परियोजना को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	कुर्दुवाड़ी-कि.मी. 375/13-14 पर समपार सं. 38-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य आरेखण व्यवस्था 15.11.2001 को स्वीकृति की गई। राज्य सरकार से पहुंच मार्ग के कार्य हेतु अनुमान की प्रतीक्षा की गई है। कार्य को बोट के आधार पर पूरा किया जा रहा है।
5.	विखरौली-कि.मी. 22/11-12 पर समपार सं. 14सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1997-98	बीएमसी द्वारा पहुंच संरेखण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सामान्य आरेखण व्यवस्था को तैयार नहीं किया जा सका।
6.	जेउर-कि.मी. 342/3-4 पर समपार सं. 33-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2001-02	जीएडी स्वीकृत। विस्तृत अनुमान की छानबीन की जी रही है।
7.	उल्लहास नगर-कि.मी. 57/9-10 पर समपार सं. 3 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	रेलवे के भाग में कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
8.	रामवाड़ी-कि.मी. 456/0-1 पर समपार सं. 55-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2001-02 बोट	5.12.2002 को जीएडी की स्वीकृति मिल गई है। एमएसआरडीसी द्वारा ठेका दे दिया गया है।
9.	उल्लहास नगर-कि.मी. 57/9-10 पर समपार सं. 3-सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1995-96	रेलवा भाग का कार्य जून 2003 तक पूरा होने की संभावना है और नगर निगम द्वारा पहुंच मार्गों को बनाया जा रहा है।
10.	कल्याण - कि.मी. 57/16-58/18 पर समपार सं. 47-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2003-04	यह कार्य निर्माण कार्यक्रम 2003-04 में स्वीकृत हो गया है।
11.	नगर देवला-कि.मी. 353/23-25 पर समपार सं. 127-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2003-04	यह कार्य निर्माण कार्यक्रम 2003-04 में स्वीकृत हो गया है।
12.	बोयसर-पालघर-समपार सं. 51 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97	रेलवे कार्य पूरा हो गया है। एमआईडीसी द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा किया जा रहा है।
13.	नवड़े रोड-कि.मी. 60/4-5 पर समपार सं. 12ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2001-02	जीएडी अनुमान स्वीकृत हो गया है। ठेका दे दिया गया है। रेलवे के भाग का कार्य प्रगति पर है।
14.	हिंगनघाट-कि.मी. 790/34-36 पर समपार सं. 13-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2000-01	इस प्रस्ताव को लागत भागीदारी के आधार पर पीडब्ल्यूडी/नागपुर द्वारा प्रायोजित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक प्रक्रियाएं पूरी करनी शेष हैं।

1	2	3	4
15.	भायंदर-समपार सं. 35 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1997-98	रेलवे का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
16.	श्री रामपुर-कि.मी. 416/11-12 पर निचला सड़क पुल	1999-2000	रेलवे के भाग का कार्य पूरा हो गया है।
17.	कल्याण-कि.मी. 54/18-19 पर समपार सं. 1ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2003-04	यह कार्य निर्माण कार्यक्रम 2003-04 में स्वीकृत हो गया है।
18.	विरार-समपार सं. 40 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000	पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रतीक्षा की जा रही है। एमआरडीसी द्वारा पहुंच मार्गों के कार्य को निष्पादित किया जाना है।
19.	बोरिवली-समपार सं. 33 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल उत्तर छोर पर	1995-96	रेलवे के भाग का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
20.	सांताक्रुज-समपार सं. 21 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97	पहुंच मार्ग के संरेखण के रास्ते में हुए अतिक्रमों के संबंध में पुनर्वास की समस्या है। बीएमसी द्वारा कार्य शुरू करने के पश्चात ही रेलवे की ओर से कार्य की प्रगति होगी।
21.	कांदीवली-मलाड-समपार सं. 31 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97	मुख्य ऊपरी सड़क पुल का ठेका दे दिया गया है और रेलवे चार दीवारी में कार्य प्रगति पर है।
22.	पचौरा-कि.मी. 371/23-25 पर समपार सं. 131-ए के स्थान पर निचला सड़क पुल	2002-03	वर्ष 2002-03 की अनुदान की अनुपूरक मांगों में कार्य स्वीकृत हो गया है। राज्य सरकार से जीएडी के बारे में पूछा गया है।
23.	पनवेल-कि.मी. 74/9-10 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	2001-02 .. बोट	जीएडी स्वीकृत भा.रा.रा.प्रा. द्वारा निविदाएं बुलाई गई हैं और कार्य प्रगति पर है।
24.	प्रभनी के समीप मी. 289/7-9 के स्थान पर समपार सं. 121/ई ऊपरी सड़क पुल	.. बोट	रेलवे सीमा में कार्य पूरा हो गया है।
25.	नागपुर-आदिलाबाद-कि.मी. 798/5-7 पर ऊपरी सड़क पुल	2001-02 .. बोट	भा.रा.रा.प्रा. से प्रस्ताव और जीएडी की प्रतीक्षा।
26.	जेजूरी-कि.मी. 58/9-10 पर समपार सं. 20 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	.. बोट	जीएडी स्वीकृत और 8.1.2002 को पार्टी को सूचित कर दिया गया है। पार्टी को संयुक्त स्थल निरीक्षण का प्रबंध करना है।
27.	इचल्करनजी-कि.मी. 31/11-10 पर समपार सं. 20 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	.. बोट	जीएडी स्वीकृत किंतु पार्टी के आग्रह पर लंबित रखा गया है।
28.	शेलगांव-कि.मी. 11/11-12 पर समपार सं. 9 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	.. बोट	पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्यों की प्रगति हो रही है।

1	2	3	4
29.	रोटेगांव-कि.मी. 52/1-2 पर समपार सं. 22 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	.. बोट	कार्य पूरा हो गया है।
30.	लदगांव-कि.मी. 133/7-8 पर समपार 61-सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	.. बोट	कार्य पूरा हो गया है।
31.	सेलगांव-कि.मी. 161/2-3 पर समपार 71 सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	.. बोट	रेलवे स्पैन में लांचिंग गर्डरों को खड़ा कर दिया गया है और गर्डरों को लगाना प्रक्रियाधीन है।
32.	जाल्टा-कि.मी. 124/15-16 पर समपार सं. 5 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99	सड़क ऊपरी पुल पूरा हो गया है।
33.	विरार समपार सं. 41 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99	नगरपालिक/पीडब्ल्यूडी को कार्य का फैसला करना है।
34.	नयगांव-नयगांव एमएसआरडीसी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99 बोट	जीएडी स्वीकृत अभिकल्प और आरेखण की जांच की जा रही है। एमएसआरडीसी को पहुंच मार्ग की भूमि के लिए प्रबंध करना है।
35.	चेम्बूर-कि.मी. 17/2-3-8 पर एफसीआई सर्कल पर सड़क निचले पुल को चौड़ा करना	1999-2000	जीएडी स्वीकृत।
36.	आनंद टाकिज कि.मी. 835/29-31 पर सड़क निचला पुल	1999-2000 बोट	जीएडी स्वीकृत। एमएसआरडीसी ने इस कार्य को बोट के अंतर्गत करने का प्रस्ताव किया है और मेसर्स राइट्स इसका निष्पादन कर रही है।
37.	नागपुर यार्ड-कि.मी. 837/1 पर संतरा मार्केट सड़क ऊपरी पुल	2000-2001 बोट	राइट्स से प्राप्त जीएडी को मंडल अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त होनी है।
38.	केड़गांव-कि.मी. 246/2-3 पर समपार सं. 11-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 बोट	1. जीएडी का अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है। 2. अधिरचना-गर्डर लांचिंग पूरा हो गया है। 3. पहुंचमार्ग पूरा हो गया है।
39.	मंजरी-कि.मी. 202/1-2 पर समपार सं. 3-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2001-02	जीएडी स्वीकृत। एमआरडीसी के साथ निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
40.	चालीस गांव-कि.मी. 324/3-5 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 बोट	कार्य पूरा हो गया है।
41.	फेकरी-कि.मी. 450/3-4 पर समपार सं. 1-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2001-2002 बोट	जीएडी स्वीकृत। निविदा को ईई, एनएच मंडल, जलगांव द्वारा बुलाई जा रही है।
42.	जसाई-कि.मी. 89/12-13 पर ऊपरी सड़क पुल को पूरा करना	2001-02 बोट	जीएडी स्वीकृत। भा.रा.रा.प्र. द्वारा ठेका दे दिया है। कार्य प्रगति पर है।
43.	बड़नेरा-कि.मी. 664/7-8 पर ऊपरी सड़क पुल	2001-2002 बोट	कार्य प्रगति पर है। गर्डर लगा दिए गए हैं। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
44.	कंजूरमार्ग-कि.मी. 24/4-5 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	2001-2002 बोट	एमएसआरडीसी द्वारा निविदाएं बुलाई जा रही हैं।
45.	भिवंडी-कि.मी. 54/184 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 बोट	कार्य पूरा हो गया है और अगस्त 2002 में शुरू किया गया है।
46.	अलंकार टाकीज-पुणे के पास कि.मी. 191/19-20 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	1996-97 निक्षेप	पूना नगर निगम द्वारा तटबंध हेतु भूमि को हस्तांतरित नहीं किया गया है। अनुमान स्वीकृत हो गया है।
47.	उल्लहास नगर-कि.मी. 56/2 ऊपरी सड़क पुल	1991-92 निक्षेप	ठेका दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है। सभी गर्डरों को लगा दिया गया है। पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
48.	कालानगर-कि.मी. 14/4-5 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	1985-86 निक्षेप	पुल अवसंरचना का कार्य पूरा हो गया है। तीन स्पैनों में से दो स्पैनों को पूरा कर दिया गया है। और तीसरे स्पैन का कार्य प्रगति पर है।
49.	बंद गार्डन-कि.मी. 192/6-7 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	1999-2000 निक्षेप	जीएडी स्वीकृत। इस कार्य को निक्षेप शर्त से बोट आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया है। एमआरडीसी ठेका देने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
50.	अंबरनाथ-कि.मी. 62/14-15 पर एमआईडीसी के लिए ऊपरी सड़क पुल	2001-02 निक्षेप	एमआईडीसी ने अनुमान स्वीकृत कर लिया है। अभिकल्प और आरेखण आईआईटी में प्रूफ चैक हेतु भेजे गए हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
51.	चिकलताना-कर्मा कि.मी. 160/5-6 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 निक्षेप	जीएडी स्वीकृत। राज्य सरकार से निक्षेप की प्रतीक्षा की जा रही है।
52.	धमनगांव-कि.मी. 709/19-21 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 निक्षेप	जीएडी को अंतिम रूप दिया गया है। पीडब्ल्यूडी से अनुमान के स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
53.	कुर्ला, सांताक्रुज-चेम्बूर रेलपथ पर लिंक रोड क्रासिंग	1997-98 निक्षेप	बीएमसी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बीएमएनसी ने पहुंच मार्गों के लिए संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया है।
54.	अकुर्दी-कि.मी. 172/11-12 पर ऊपरी सड़क पुल	1995-96 निक्षेप	रेलवे का भाग पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों के कार्य की प्रगति हो रही है।
55.	बाम्बे-अहमदाबाद कि.मी. 76-18 पर ऊपरी सड़क पुल	1995-96 निक्षेप	रेलवे का भाग पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों के कार्य की प्रगति हो रही है।
56.	बिम्बारी-भोकर कि.मी. 20/4-5 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 निक्षेप	राशि जमा करवाने हेतु पीडब्ल्यूडी प्राधिकारियों को स्वीकृत अनुमान भेज दिया गया है। आर एण्ड बी द्वारा निधि को जमा करवाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4
57.	कोपरी-कि.मी. 31/13-14 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 निक्षेप	जीएडी को अंतिम रूप दे दिया है। ठेका दे दिया गया है।
58.	वितावा-कि.मी. 34/4-5 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	1999-2000 निक्षेप	जीएडी को अंतिम रूप दे दिया है। ठेका दे दिया गया है।
59.	स्तनवाक-कि.मी. 19/13-14 पर ऊपरी सड़क पुल	1997-98 निक्षेप	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। बीएमसी ने अभी तक राशि जमा नहीं करवाई है।
60.	घाटकोपर-कि.मी. 18/15-16 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	1998-99 निक्षेप	पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
61.	पिम्परी-छिंदवाड़ा कि.मी. 175/12-13 पर ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	1998-99 निक्षेप	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। निविदा सारणी को तैयार किया जा रहा है। पीएमसी द्वारा अभी तक भूमि को नहीं सौंपा गया है।
62.	संचेती अस्पताल-शिवाजी नगर, पुणे के निकट को चौड़ा करना	1996-97 निक्षेप	पीएमसी द्वारा अभी तक भूमि को नहीं सौंपा गया है। अनुमान स्वीकृत
63.	नान्देड़-पाथेनोर कि.मी. 353/15-16 पर ऊपरी सड़क पुल	1999-2000 निक्षेप	राशि जमा करने हेतु स्वीकृत अनुमान की पीडब्ल्यूडी प्राधिकारियों को भेज दी गई है। आर एंड बी द्वारा निधि जमा करने की प्रतीक्षा की जा रही है।
64.	विवेकानंद नगर-समपार सं. 40-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	.. निक्षेप	अधिसंरचना की प्रगति हो रही है। पहुंच मार्गों की प्रगति की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों में सुविधाएं

6554. श्री सुकदेव पासवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां रात में प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर जल की अनुपलब्धता के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन स्टेशनों पर सुविधाओं का सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशन विद्युतीकृत हैं और वहां रात्रि के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था मौजूद है। बहरहाल, पूर्वोत्तर रेलवे में 63 हाल्ट स्टेशन हैं जो विद्युतीकृत नहीं हैं क्योंकि वे विद्युतीकरण के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

(ख) से (घ) पीने का पानी पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर साधारणत: उपलब्ध है। बहरहाल, विभिन्न कारणों जैसे नगरपालिका द्वारा पानी की कम आपूर्ति, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की लोड शेडिंग और उपस्करों की खराबी आदि के कारण कभी-कभार कम आपूर्ति होती है। रेलों द्वारा यथासंभव कम समय में उपस्कर की खराबियां दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके भी कभी-कभार की ऐसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे में सिगनलिंग और दूरसंचार प्रणाली के सुधार हेतु विदेशी सहायता

6555. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे सिगनलिंग, दूरसंचार और अन्य सेवाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल प्रणाली में सुधार हेतु विदेश से कुल कितनी सहायता प्राप्त की गई; और

(घ) भारतीय रेलवे द्वारा ऋण अनुबंध योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे को सुधारने हेतु विदेशी सहायता के लिए कितने प्रस्ताव रखे गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) रेलवे परियोजनाओं के लिए इस समय निम्नलिखित बाहरी सहायता ली जा रही है:

(1) गाजियाबाद तथा कानपुर के बीच सिगनल प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना के वित्तपोषण के लिए क्रेडिटांसटाल्ट पर वीडराफ्बाऊ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी से 185 मिलियन ड्यूश मार्क का ऋण।

(2) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के रेल घटकों के वित्त पोषण के लिए इन्टरनेशन बैंक फार रीकन्सट्रकशन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 305 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण तथा इन्टरनेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) से 60 मिलियन अमरीकी डालर का क्रेडिट।

(ग) रेलवे ने विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से लगभग 2.27 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के 20 ऋण/उधार (क्रेडिट), संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ओपेक (पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन) से 140.84 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के आठ ऋण तथा कनाडा, जर्मनी, जापान यू.के., सऊदी अरब, स्विटजरलैंड तथा फ्रांस से उनकी निजी मुद्राओं में 23 ऋण/उधार (क्रेडिट)/अनुदान उपयोग किए हैं।

(घ) 313.6 मिलियन अमरीकी डालर का एक रेलवे सेक्टर ऋण एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस ऋण का उपयोग राष्ट्रीय रेल विकास योजना की कुछ परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय रेल विकास योजना की कुछ परियोजनाओं तथा कुछ संरक्षा कार्य विश्व बैंक को प्रस्तुत करने की भी योजना है।

दूरदर्शन का मलयाली कार्यक्रम

6556. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय दूरदर्शन पर मलयाली कार्यक्रम अचानक रोक दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है और कार्यक्रम को पुनः चालू करने हेतु दूरदर्शन प्राधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि केवल लक्षद्वीप स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर ने मलयाली कार्यक्रमों को रिले करना बंद किया है। द्वीपसमूह के दर्शकों के अनुरोध पर दूरदर्शन राष्ट्रीय कार्यक्रम (डीडी-1) रिले किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्लास्टिक स्लीपर्स

6557. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे वर्तमान में उपयोग किए जा रहे लकड़ी और आर.सी.सी. के स्लीपरों के स्थान पर प्लास्टिक के स्लीपरों के उपयोग पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्लास्टिक स्लीपरों का निर्माण आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं जहां ऐसे स्लीपरों के निर्माण के लिए फैक्ट्रियों की स्थापना का प्रस्ताव है और ऐसे प्रत्येक फैक्ट्री में कितनी वार्षिक उत्पादन नियत की जानी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां। लकड़ी के स्लीपरों के विकल्प के रूप में गर्डर पुलों पर इस्तेमाल के लिए, परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ख) दो किस्म के स्लीपर अर्थात् फाइबर प्रबलित तथा उन्नत कंपोजिट स्लीपरों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तथा फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अभी तक ऐसे स्लीपरों के विनिर्माण के लिए फैक्ट्रियों की स्थापना किए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्योंकि,

अभी परीक्षण किए जा रहे हैं। इन्हें रेलवे की आवश्यकताओं के अनुसार निजी विनिर्माताओं द्वारा विकसित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

झारखंड में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

6558. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने झारखंड में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान निर्मुक्त करने की सिफारिश करते हुए राज्य सरकारों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही उन्हें अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान झारखंड राज्य में कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2001-2002	2002-2003
अनुसूचित जाति विकास			
1.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.90	0.00
अन्य पिछड़ा वर्ग			
2.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.05	1.23
विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
3.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना	7.00	20.94
4.	सहायक यंत्रों/उपकरणों खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	1.00	4.00
समाज रक्षा			
5.	मद्य निषेध तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण की योजना	13.21	28.60
6.	बेसहारा बच्चों का कल्याण	0.00	2.76

मेजिया ताप विद्युत केन्द्रों को हुई हानि

6559. श्री सुनील खां: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल परिवहन द्वारा मेजिया ताप विद्युत परियोजना को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या कोयला मूल्य में गिरावट दंडात्मक दर पर की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उसी व्यक्ति को कई वर्षों से आर्डर दिए गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रति वर्ष बिजली उत्पादन करने के लिए कितने कोयले की जरूरत है और बीसीसीएल और ईसीएल से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड से रेल द्वारा कोयले की ढुलाई के दौरान कोयले की मात्रा में कमी होती रहती है किन्तु यह कमी सीमित मात्रा में होती है।

(ख) और (ग) जैसा कि यह कमी ढुलाई के दौरान दुरूपयोग के कारण होती है, पेनल दर से कोयले के मूल्य में कटौती का भार किसी एजेंसी पर नहीं डाला जा सकता है।

(घ) डीवीसी के सबी ठेके निविदा प्रक्रिया के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं और तकनीकी रूप से स्वीकार्य सबसे कम बोली दाता को ये ठेके दिये जाते हैं।

(ङ) कोयले की मात्रा किसी वर्ष में उत्पादित विद्युत पर निर्भर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोल फील्ड लि. और भारत कोकिंग कोल लि. से प्राप्त और खपत की गई कोयले की मात्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

वर्ष	प्राप्त कोयले की मात्रा		खपत की गई कोयले
	बीसीसीएल से	ईसीएल से	की मात्रा
2000-01	1741475	182266	1866098
2001-02	2094102	5294	1941788
2002-03	1986325	11494	2275422

राज्य बिजली बोर्डों को पारेषण और वितरण में हानि

6560. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य बिजली बोर्डों/राज्यों को पारेषण और वितरण में कितनी हानि हुई;

(ख) सुधार शुरू किए जाने के पूर्व और इसके बाद पारेषण और वितरण में वर्ष-वार एवं राज्यवार कितनी हानि हुई;

(ग) राज्य बिजली बोर्डों/कंपनियों/राज्यों को होने वाली भारी पारेषण और वितरण घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या बिजली चोरी के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 1997-98 से 1999-2000 तक वर्ष-वार व राज्य-वार वितरण हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम को जिसे विद्युत सुधार कार्य के लिए शुरू किया गया था अब त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का नाम दिया गया है, फरवरी 2001 में शुरू किया गया था। सुधार प्रक्रिया के बाद सम्बद्ध राज्यों द्वारा वहन की गयी पारेषण और वितरण क्षेत्र की हानियों का राज्यवार/वर्षवार आंकलन तभी किया जा सकता है जब राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटी द्वारा वर्ष 2001-2002 तक के लेखा परीक्षित आंकड़े उपलब्ध करा दिए जायें।

(ग) पारेषण और वितरण क्षेत्र की तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने, राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों की नकद हानियों में कमी लाने और निर्बाध एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को समुन्नत करने के लिए भारत सरकार ने एपीडीआरपी योजना शुरू की थी। एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उन्नयन, ऊर्जा लेखा परीक्षा संबंधी कार्य और चरणबद्ध ढंग से मीटरों की व्यवस्था कार्य शामिल है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों में प्रतिशत अंतरण, पारेषण व वितरण हानियां (वाणिज्यिक हानियों जैसे चोरी इत्यादि सहित)

(%)

क्षेत्र/रा.वि.बोर्ड/विद्युत विभाग	1997-1998	1998-1999	1999-2000*
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा (एचवीपीएन)	34.04	35.33	38.28
हिमाचल प्रदेश	20.13	26.11	22.41
जम्मृ व कश्मीर	49.95	47.64	44.90
पंजाब	18.94	18.11	18.40
राजस्थान (आरआरवीपीएनएल)	26.41	29.53	30.44
उत्तर प्रदेश (यूपीपीसीएल)	26.18	30.23	39.83
चंडीगढ़	22.38	22.48	24.70
डीवीबी (दिल्ली)	47.91	43.71	46.29
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	21.57	20.83	21.59
मध्य प्रदेश	19.58	19.87	32.38
महाराष्ट्र	18.75	18.41	32.28
दादरा व नगर हवेली	12.90	15.37	31.69
गोवा	31.02	30.40	27.56
दमन व दीव	14.69	21.83	11.33
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	32.14	34.09	37.13
कर्नाटक (केपीटीसीएल)	19.31	30.45	38.22
केरल	18.73	17.18	17.05
तमिलनाडु	17.29	17.22	16.83
लक्षद्वीप	15.70	12.78	10.13
पांडिचेरी	13.56	10.44	12.25
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	16.26	24.80	21.43
उड़ीसा (ग्रिडको)	50.10	36.72	5.62@
सिक्किम	22.87	12.44	12.07
पश्चिम बंगाल	19.67	23.73	27.79
पांडिचेरी	20.59	20.03	16.52
पूर्वी क्षेत्र			
असम	27.32	38.72	38.96
मणिपुर	21.09	59.55	62.06
मेघालय	12.28	19.66	27.66
नागालैंड	29.79	26.52	32.32
त्रिपुरा	31.11	26.82	29.63
अरुणाचल प्रदेश	34.10	30.60	47.12
मिजोरम	46.84	44.79	47.63
अखिल भारत यूटिलिटीज	24.79	26.45	30.93

*अनंतिम

@उड़ीसा के मामले में 1999-2000 के लिए, हानियां केवल ग्रिडको के लिए हैं।

गैर-सरकारी संगठनों की मदद से योजनाओं का क्रियान्वयन

6561. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों की मदद से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के विशेष संदर्भ के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए वर्ष 2001-2002, 2002-2003 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और वर्ष 2003-04 के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां। योजनाएं संलग्न विवरण के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख) मुम्बई में स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त पोषित एनजीओ की संख्या	2002-03 में निर्मुक्त राशि (लाख रु. में)
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना	8	99.91
2.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	1	0.75
3.	मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग की रोकथाम	2	16.45
4.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	11	110.90
5.	समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम	1	4.86
	कुल	23	232.87

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं को आबंटित निधियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	व्यय (रु. करोड़ में)
2001-2002	191.19
2002-2003	221.40 बजट आवंटन
2003-2004	219.14

विवरण

मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत एनजीओ द्वारा संचालित योजना के ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम
योजना	
1.	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा
2.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता
3.	मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण
4.	समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम
5.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम
6.	वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम
7.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान
8.	अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा संबद्ध सहायता
9.	अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
गैर-योजना	
10.	वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रमों/बहुसेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता

इंटरनेट सेवाएं शुरू करने हेतु पायलट परियोजना

6562. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट सेवाएं शुरू करने हेतु कोई पायलट परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिण मध्य रेल मण्डल में आने वाली किन-किन रेलगाड़ियों, मार्गों और स्टेशनों को ये इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। भारतीय रेल टेल निगम लि. जो रेल मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, वर्ष 2003-2004 के दौरान पायलट परियोजनाओं के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट किओस्क और एक गाड़ी में इंटरनेट सेवा मुहैया कराने की योजना बना रहा है। गाड़ी और उसके मार्ग को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

छावनियों और रक्षा भूमि का निरीक्षण

6563. श्री राजैया मल्याला: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा छावनियों और रक्षा भूमि के वार्षिक निरीक्षण की पद्धति और आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों से बंद हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण की गई छावनियों, सेना, वायुसेना और नौसेना स्टेशनों का ब्यौरा क्या है और निरीक्षण रिपोर्ट में लगाई गई कमियों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमणाधीन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और अनेक रक्षा भूमियों और भवनों को गैर-रक्षा प्रयोजनों हेतु परिवर्तित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा भूमियों की सुरक्षा करने में विफलता हेतु किसी रक्षा संपदा सेवा अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) रक्षा संपदा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जिन छावनियों/सैन्य स्टेशनों और रक्षा संपदा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई कमियों की मानीटरिंग कमान मुख्यालयों में नियंत्रण अधिकारियों द्वारा की जानी अपेक्षित है ताकि फील्ड अफसरों द्वारा उनका अनुपालन किया जाए।

(ग) और (घ) कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमणों में किंचित वृद्धि हुई है जबकि कुछ क्षेत्रों में इसमें कमी आई है। अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई छावनी अधिनियम, 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत की जाती है। पिछले 3-5 वर्षों के दौरान लगभग 4638 एकड़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए गए हैं।

रक्षा भूमि/इमारतों को स्कूलों, शापिंग काम्प्लेक्सों और कल्याण संस्थाओं आदि के प्रयोजनार्थ परिवर्तित किए जाने के कुछ मामले सरकार के देखने में आए हैं। ऐसे मामलों में उपचारात्मक उपाय के रूप में सभी संबंधितों को समुचित निदेश जारी किए गए हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा भूमि की सुरक्षा करने में विफलता हेतु पांच अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम
1	2
1.	महू
2.	अंबाला
3.	जतोग
4.	बेलगाम
5.	कण्णनूर
6.	जबलपुर
7.	दिल्ली
8.	जालंधर

1	2
9.	देवलाली
10.	कामठी
11.	वाराणसी
12.	कानपुर
13.	कसौली
14.	अमृतसर
15.	सिकन्दराबाद
16.	आगरा
17.	बरेली
18.	अहमदनगर
19.	वेलिंग्टन
20.	अजमेर
21.	इलाहाबाद
22.	दानापुर
23.	नसीराबाद
24.	कामठी
25.	पुणे
26.	सेंट थामस माउंट
27.	जम्मू
28.	श्रीनगर
29.	डलहौजी
30.	बकलौह
31.	खसयौल
32.	शिलांग
33.	बैरकपुर
34.	जबलपुर
35.	लेबांग
36.	मुंबई
37.	बेंगलूर
38.	जयपुर
39.	चेन्नई
40.	त्रिवेन्द्रम
41.	गोवा
42.	लेह
43.	सपाटू
44.	रामगढ़
45.	दानापुर
46.	बीकानेर
47.	चण्डीगढ़
48.	उधमपुर
49.	पठानकोट
50.	मथुरा
51.	बक्शी का तालाब
वायुसेना स्टेशनः	
52.	मेमौरा वायुसेना स्टेशन
53.	चकेरी वायुसेना स्टेशन
54.	गयाबाद सैन्य स्टेशन
55.	ढाणा सैन्य स्टेशन
56.	भोपाल सैन्य स्टेशन
57.	इटारसी सैन्य स्टेशन
58.	आमला वायुसेना स्टेशन
59.	महाराजपुर वायुसेना स्टेशन
60.	रनोही सैन्य स्टेशन
61.	जमशेदपुर सैन्य स्टेशन
62.	बिहटा वायुसेना स्टेशन

1	2
63.	दरभंगा वायुसेना स्टेशन
64.	सिंहर्षी वायुसेना स्टेशन
65.	बनबासा सैन्य स्टेशन
66.	हेमपुर सैन्य स्टेशन
67.	हल्द्वानी सैन्य स्टेशन
68.	धारचूला सैन्य स्टेशन
69.	पिथौरागढ़ सैन्य स्टेशन
70.	इज्जतनगर सैन्य स्टेशन
71.	भोवाली वायुसेना स्टेशन
72.	वायुसेना चयन बोर्ड, वाराणसी
73.	17 विंग वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर
74.	जीआरडी कर्णघाट, गोरखपुर
75.	केन्द्रीय आयुध डिपो, छिवकी, इलाहाबाद
76.	24 उपस्कर डिपो, वायुसेना स्टेशन, मनौरी इलाहाबाद
77.	29 विंग वायुसेना स्टेशन, बमरौली, इलाहाबाद
78.	वायुसेना स्टेशन खेड़िया, आगरा
79.	सैन्य स्टेशन नौगांव, जिला-छतरपुर

टिप्पणी: कुछ स्टेशनों का रक्षा संपदा संगठन के अलग-अलग अफसरों द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है।

सीपट-1 विद्युत परियोजना हेतु वित्तपोषण

6564. श्री सुबोध मोहिते: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने सीपट (1) विद्युत परियोजना हेतु आगे वित्त पोषण करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समय सीमा के अनुसार कार्य का कार्यान्वयन न होने के कारण परियोजनाओं की लागत दुगुनी हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार इसकी अनुमानित मूल लागत और संशोधित लागत कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना के समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने अपनी सीपत सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु पावर फाइनेंस कारपोरेशन से अनुरोध नहीं किया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सीपत (3×660 मेगावाट) को 1999 की पहली तिमाही के मूल्य स्तर पर इसके विद्युत केन्द्र एवं सुविधाओं के लिए 7662.93 करोड़ रुपये की लागत पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। तत्पश्चात् सरकार के निर्णय के अनुसार विद्युत केन्द्र के लिए एनटीपीसी क्षेत्र में स्विचयार्ड को भी शामिल किया गया और के.वि.प्रा. ने 2001 की चौथी तिमाही के मूल्य स्तर पर स्विचयार्ड को 236.81 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृति दे दी है। संशोधित लागत अनुमान मुख्य संयंत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण पैकेज सौंपे जाने के बाद तैयार किया जाएगा अत: परियोजना की लागत में अंतर संशोधित लागत तैयार करने के बाद पता चल पाएगा।

(ङ) एनटीपीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजना की मानीटरिंग सरकार द्वारा दी जा रही है।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग न किया जाना

6565. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौडा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग करने में विफल रहने वाली राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्यों से केन्द्रीय सहायता का उपयोग न करने के कारण पूछे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इतनी विशाल धनराशि के खर्च न किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कारण दिए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों जिन्होंने अभी तक नौवीं योजना के दौरान योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकारों से सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुदान पूर्व निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

विवरण

योजनाओं के अंतर्गत अभी तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची का संकेत नीचे दिया गया है

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	योजना का नाम
1	2
असम	1. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
	2. योग्यता उन्नयन
	3. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
	4. सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना
बिहार	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
	2. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
	3. अ.पि. वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
	4. अ.पि. वर्गों लड़कों तथा लड़कियों के होस्टल
	5. अ.पि. वर्ग के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
छत्तीसगढ़	1. योग्यता उन्नयन अनु. जाति
	2. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
गोवा	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
	2. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
	3. अ.पि. वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
गुजरात	1. अ.जा. के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना
	2. योग्यता उन्नयन
	3. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
हिमाचल प्रदेश	1. अ.पि. वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
जम्मू और कश्मीर	1. अ.जा. के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना
	2. अ.पि. वर्ग के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
झारखंड	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
	2. योग्यता उन्नयन
	3. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
	4. अ.पि. वर्ग लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल
कर्नाटक	1. अ.जा., अ.पि.वर्ग तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्ग के लिए कोचिंग तथा संबद्ध
केरल	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
मध्य प्रदेश	1. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
	2. अ.पि. वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

1	2
महाराष्ट्र	1. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
	2. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
मणिपुर	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
	2. अ.पि. वर्ग के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
	3. सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना
उड़ीसा	1. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
	2. अ.जा. के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना
पंजाब	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
	2. योग्यता उन्नयन
	3. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
	4. अ.जा. के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना
राजस्थान	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
	2. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
	3. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
तमिलनाडु	1. अ.जा. के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना
	2. अ.जा., अ.पि.वर्ग तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्ग के लिए कोचिंग तथा संबद्ध
	3. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
	4. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

1	2
	5. अ.पि. वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के होस्टल
त्रिपुरा	1. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
	2. अ.जा. का योग्यता उर्न्नयन
	3. सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना
	4. अ.पि. वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
उत्तरांचल	1. अ.पि. वर्ग के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति
	2. अ.पि. वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
	3. योग्यता उन्नयन
	4. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
उत्तर प्रदेश	1. अ.जा. के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना
संघ राज्य क्षेत्र:	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. अ.जा. के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना
चंडीगढ़	1. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
दिल्ली	1. विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
दादर और नगर हवेली	1. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक
पांडिचेरी	1. योग्यता उन्नयन
	2. अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक

सभी राज्यों में सेनेट्री मार्टों की स्थापना

6566. **श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में सेनेट्री मार्टों की स्थापना की प्रक्रिया को कुछ राज्यों द्वारा इस योजना के धीमे कार्यान्वयन के कारण धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक किसी जिले में एक भी सेनेट्री मोर्टों की स्थापना नहीं की है;

(ग) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में सेनेट्री मोर्ट स्थापित किए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संख्या में झाड़ूदार रखने के लिए सभी राज्यों पर जोर देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, असम, झारखंड, राजस्थान तथा उत्तरांचल राज्यों ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी अभी तक सैनिटरी मार्टों की स्थापना नहीं की है।

(ग) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने सैनिटरी मार्टों की स्थापना की है।

(घ) सैनिटरी मार्टों की शीघ्र स्थापना संबंधी मामले को समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि

6567. **श्री परसुराम माझी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान किन-किन राज्यों ने विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि की है;

(ख) उनके द्वारा विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि हेतु क्या कारण दिए गए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार एक समान विद्युत प्रशुल्क हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) 15 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2002-03 के दौरान विद्युत टैरिफ को संशोधित/बढ़ा दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आपूर्ति लागत में बढ़ोत्तरी के कारण टैरिफ संशोधन आवश्यक हो गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य के नाम/संघ शासित प्रदेश
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	गोवा
4.	गुजरात
5.	जम्मू और कश्मीर
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मध्य प्रदेश
9.	मणिपुर
10.	मिजोरम
11.	उड़ीसा
12.	पंजाब
13.	तमिलनाडु
14.	उत्तर प्रदेश
15.	पश्चिम बंगाल
16.	पांडिचेरी
17.	दमन और दीव

आंध्र प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को पीएफसी और आरईसी सहायता

6568. **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सिंगल फेज एनर्जी मीटरों की खरीद हेतु आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युतर वितरण कंपनी लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और अन्य फर्मों को दिए आर्डरों को बीच में ही निरस्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और अन्य फर्मों को दिए गए आर्डरों की बहाली और उन्हें पूरा करने के लिए एपीसीपीडीसीएल को सम्मत करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है, और एपीसीपीडीसीएल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) सिंगल फेज ऊर्जा मीटर की खरीद के लिए आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी लि. (एपीसीपीडीसीएल) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने एपीसीपीडीसीएल को कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की है।

(ख) पीएफसी द्वारा एपीसीपीडीसीएल को सिंगल फेज ऊर्जा मीटरों की खरीद हेतु की गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

स्कीम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत राशि	सिंगल फेज मीटरों की संख्या	स्थिति
11 केवी फीडरों के लिए ट्रिवेक्टर मीटर तथा एलटी उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुण वाले विद्युत यांत्रिकी मीटर	04/02/03	157.70 करोड़ रुपये	6,00,000 (लगभग 120 करोड़ रुपये के मूल्य का)	ऋण दस्तावेज निष्पन्न किए जाने शेष हैं।
एपीडीआरपी के अंतर्गत हैदराबाद शहर के लिए वैकल्पिक वित्त पोषण	09/12/02	153.64 करोड़ रुपये	5.38 लाख (अनुमानित मूल्य 53.78 करोड़ रुपये)	ऋण दस्तावेज निष्पन्न किए जाने शेष हैं।

(ग) पीएफसी की जानकारी के असार एपीसीपीडीसीएल ने भेल या अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं को कोई आदेश नहीं सौंपा है और न ही आदेश में किसी प्रकार की कटौती है।

(घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जुनै और रंगिया के मध्य रेल पटरी की स्थिति

6569. श्री एम. के. सुब्बा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रंगिया से जुनै के मध्य रेल लाइन बहुत बुरी स्थिति में है और उसका रख-रखाव ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान रेल लाइन की पता लगाई टूट-फूट की गई मरम्मत और उसके किसी भाग को बदले जाने और पुन: बनाई गई रेल लाइन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वर्षों के दौरान इस रेल लाइन के संबंध में रख-रखाव और मरम्मत पर कितनी लागत आई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) पिछले दो वर्षों में टूट-फूट तथा किए गए नवीकरणों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	टूट-फूट की संख्या	किया गया नवीकरण
2001-2002	3	कुछ नहीं
2002-2003	4	स्लीपर नवीकरण (गौण) 17.5 कि.मी.

(ग) 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान अनुरक्षण की लागत क्रमश: लगभग 80 लाख रु. और 60 लाख रु. थी।

पंजाब में खुदरा विक्रय केन्द्रों का आबंटन

6570. **श्री जे.एस. बराड़: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** दिनांक 19.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4752 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रित मूल्य प्रणाली के समाप्त करने के पश्चात तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रय केन्द्रों की डीलरशिप के आबंटन हेतु कोई कार्यविधि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आईबीपी और एचपीसीएल द्वारा गैर-अनुमोदित विपणन योजना के अंतर्गत पंजाब में तदर्थ आधार पर आबंटित खुदरा विक्रय केन्द्रों की डीलरशिप का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आईबीपी को ऐसे आबंटन न करने का अनुदेश दिया है: और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों का चयन तेल विपणन कम्पनियों द्वारा स्वयं अपने द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पंजाब राज्य में अनुमोदित विपणन योजनाओं से बाहर तदर्थ आधार पर 11 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों का आबंटन किया है। लेकिन आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने पंजाब राज्य में अनुमोदित विपणन योजनाओं से बाहर तदर्थ आधार पर किसी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप का आबंटन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

बग्गा समिति की रिपोर्ट

6571. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना अधिकारियों के लिए आश्वस्त प्रोन्नति (एसीपी) हेतु सरकार द्वारा गठित बग्गा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और करगिल युद्ध के समाप्त होने के पश्चात् इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा बग्गा आयोग की रिपोर्ट शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस रिपोर्ट को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सेना के अफसर संवर्ग की पुनर्संरचना के बारे में सेना मुख्यालय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए रक्षा मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में 16 जुलाई, 2001 को एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। उसमें दी गई सिफारिशों की इस समय जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

6572. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) राज्य में बिजली की कुल मांग कितनी है और इसे पूरा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 2002-2003 के लिए और अप्रैल 2003 के दौरान महाराष्ट्र में उत्पादित विद्युत की मात्रा नीचे दी गई है।

क्षेत्र	उत्पादन मिलियन क्षेत्र यूनिट में	
	2002-2003	अप्रैल 2003
राज्य क्षेत्र:		
थर्मल	57231	4998
हाइड्रो	5372	437
कुल	62603	5435
केन्द्रीय क्षेत्र:		
न्यूक्लियर	2544	150
कुल योग	65147	5585

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में विद्युत आपूर्ति को स्थिति निम्नवत थी:-

ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)		व्यस्ततमकालीन (मे.वा.)	
आवश्यकता	87152	व्यस्ततकालीन मांग	13697
उपलब्धता	75472	व्यस्ततकालीन आपूर्ति	10984
कमी	11680	कमी	2713
%	13.4	%	19.8

विद्युत समवर्ती सूची की विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की होती है। महाराष्ट्र में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(1) पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के अनावंटित कोटे से आवंटन को 3.1.03 से 11% (89 मे.वा.) से बढ़ाकर 20% (162 मे.वा.) किया गया है और इसे 28.3.03 से और बढ़ाकर 24.5% (228 मे.वा.) किया गया है।

(2) दिनांक 21.4.03 से पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों के अनावंटित कोटे से 80 मे.वा. का आवंटन।

(3) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से गैर व्यस्ततम अवधि के दौरान 350 मे.वा. और 24 घंटे 100 मे.वा. विद्युत खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

(4) ओवरहालिंग की अवधि कम करके विद्यमान विद्युत स्टेशनों से विद्युत उत्पादन अधिकतम किया जाना।

(5) विद्युत उत्पादन में समग्र सुधार हेतु पुराने और अकुशल विद्युत उत्पादक यूनिटों के लिए नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार (आर एण्ड एम एण्ड एल ई) स्कीमों का क्रियान्वयन। वर्ष 2000-01 के दौरान त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत कुल 88.46 करोड़ रुपये लागत वाली 5 नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 44.24 करोड़ रुपये (एपीडीपी की मांग) स्वीकृत किया गया था और जारी किया गया था। विद्युत वित्त निगम ने शेष काउंटर पार्ट वित्तपोषण भी जारी कर दिया है।

(6) दसवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में राज्य क्षेत्र में 500 मे.वा. और निजी क्षेत्र में 1444 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि के अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में 5367 मे.वा. विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आयोजना की गई है जिसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी होगी।

(7) कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करके राज्यों में विद्युत वितरण सुधार करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) आरंभ किया गया है।

(ग) समयबद्ध तरीके से सुधार कार्य आरंभ करने के लिए संयुक्त वचनबद्धता के रूप में महाराष्ट्र सरकार और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 16.3.2001 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न निर्धारित हैं:-

(1) महाराष्ट्र सरकार मांग वक्र को संतुलित रखने और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए एचटी उपभोक्ताओं हेतु दिन के समय की मीटरिंग लागू करेगी।

(2) महाराष्ट्र सरकार अपने ताल विद्युत उत्पादन संयंत्रों की उपलब्धता सन् 2005 तक 80% से सुधार कर 85% करने के लिए कार्रवाई करेगी।

(3) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड पारेषण एवं वितरण प्रणाली में कैपेसिटरों की अधिष्ठापना हेतु अधिक कृषिय खपत और कम विद्युत घटक भार वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात करेगा।

चीन यात्रा

6573. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल में चीन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) उक्त यात्रा का क्या परिणाम निकला?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। रक्षा मंत्री ने 21 से 27 अप्रैल, तक चीन की यात्रा की।

(ख) इस यात्रा का लक्ष्य पुरानी समस्याओं के समाधान को सुकर बनाने की दृष्टि से रक्षा संबंधी अधिक संविदाओं, आदान-प्रदान कार्यक्रमों और संबंधों के द्वारा दोनों देशों के बीच अधिक भरोसा, विश्वास तथा सहयोग कायम करना था।

(ग) इस यात्रा से नई पीढ़ी के चीनी नेतृत्व से मुलाकात करने, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय तथा पारस्परिक हित व चिंता के द्विपक्षीय मुद्दों पर चीनी नेतृत्व के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने और रक्षा क्षेत्र सहित दोनों देशों के बीच एक दूसरे के अनुपूरक तथा सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर मिला है। इस मुलाकात से ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंधों वाले दो बड़े एशियाई पड़ोसी देशों के बीच बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

आयल इंडिया लिमिटेड के उत्पादों के विपणन हेतु अनुमति

6574. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल की खोज से लेकर तेल के विपणन तक सभी प्रकार का कारोबार करने के लिए सरकारी क्षेत्र की सभी तेल कंपनियों को अनुमति देने हेतु अपनी नीति के अंतर्गत आयल इंडिया लिमिटेड को अपने उत्पादों के विपणन हेतु अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार को मैसर्स आयल इंडिया लिमिटेड से परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए प्रांधिकार प्रदान करने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

संशोधित मेगा विद्युत नीति

6575. श्री वेत्रिसेलवन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक से अधिक राज्य को बिजली की आपूर्ति करने हेतु गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु संशोधित मेगा विद्युत नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कार्य कर रही मेगा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और वे किन राज्यों को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं हेतु अपनाए गए भुगतान समर्थन तंत्र का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) भारत सरकार की नवंबर, 1998 में घोषित संशोधित मेगा विद्युत नीति में 19 मेगा परियोजनाओं की पहचान की गयी है। संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विवरण में सूचीबद्ध परियोजनाओं के अलावा, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन छत्तीसगढ़ में सीपत सुपर ताप विद्युत परियोजना (4×660 मेगावट) को क्रियान्वित कर रहा है, इस परियोजना को दिसम्बर, 2001 में भारत सरकार द्वारा मेगा विद्युत परियोजना का स्तर प्रदान दिया गया है। सरकार ने निम्नांकित विद्युत परियोजनाओं को मेगा विद्युत परियोजनाओं के लाभ प्रदान करके मेगा विद्युत नीति को और अधिक उदार बनाया है, ये परियोजनाएं हैं:-

1. अंतर्राज्यीय ताप विद्युत संयंत्र, 1000 मेगावाट क्षमता अथवा अधिक, और
2. अंतर्राज्यीय जल विद्युत संयंत्र, 500 मेगावाट क्षमता अथवा अधिक,

यदि ये मेगा विद्युत परियोजनाओं की शर्तों का पूरा करती है।

(ख) अभी तक किसी भी मेगा विद्युत-परियोजना ने उत्पादन आरंभ नहीं किया है।

(ग) निजी क्षेत्र में अभिनिर्धारित मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए नवंबर, 1998 में भारत सरकार द्वारा घोषित संशोधित मेगा विद्युत नीति में एक पावर ट्रेडिंग कंपनी (पीटीसी) स्थापित करने की व्यवस्था है। पीटीसी को साख-पत्र और केन्द्रीय योजना आवंटन में राज्य के हिस्से तथा अन्य अंतरणों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जानी थी।

सरकारी क्षेत्र में अभिनिर्धारित मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादक कंपनी तथा क्रेताओं के बीच करार के अनुसार भुगतान सहायता प्रणाली अपनाई जानी है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
निजी क्षेत्र		
1.	हिरमा ताप विद्युत परियोजना, उड़ीसा	3960
2.	कुड्डालोर ताप विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	1000
3.	कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश	1500

1	2	3
4.	पिपावाव ताप विद्युत परियोजना, गुजरात	2000
5.	नर्मदा ताप विद्युत परियोजना (एलएनजी), गुजरात	1000
सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	कहलगांव ताप विद्युत परियोजना, चरण-2, एनटीपीसी, बिहार	1500
2.	उत्तर करनपुरा ताप विद्युत परियोजना, एनटीपीसी, बिहार	2000
3.	बाढ़ ताप विद्युत परियोजना चरण-1, एनटीपीसी, बिहार	2000
4.	मैथान ताप विद्युत परियोजना, दामोदर वैली कारपोरेशन	1000
5.	नेय्यूर ताप विद्युत परियोजना, चरण-1, एनटीपीसी, तमिलनाडु	1500
6.	अंता सीसीपीपी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	1300
7.	औरैया सीसीपीपी, चरण-2, एनटीपीसी,	1300
8.	कवास सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	1300
9.	गांधार सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	1300
10.	कोयल कारो एचईपी, एनएचपीसी, बिहार	710
11.	चमेरा एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	300
12.	तीस्ता एचईपी-5, एनएचपीसी, सिक्किम	510
13.	कोलडैम एचईपी, एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश	800
14.	पार्वती एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	800

[हिन्दी]

घाटे को कम से कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन

6576. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में घाटे को कम से कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2003 में अनुमोदित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) में नकद हानियों को कम करने हेतु राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) यूटिलिटियों को प्रोत्साहित/प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन घटक रखा गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों (यूटिलिटियों) द्वारा नकद हानि में वास्तविक कमी के 50% के बराबर राशि भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान तीन राज्य अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में नकद हानि में क्रमशः 579.74 करोड़ रु. 1072.29 करोड़ रु. और 10.02 करोड़ रु. की कमी दर्शाई है तथा इस प्रकार वे क्रमशः 289.87 करोड़ रु., 536.245 करोड़ रु. और 5.01 करोड़ रु. की प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र हो गए हैं। 31 मार्च, 2003 तक इन राज्यों को क्रमशः 137.89 करोड़ रु., 236.37 करोड़ रु. तथा 5.01 करोड़ रु. की राशि प्रोत्साहन के रूप में जारी की गई है।

[अनुवाद]

डाटा एंट्री आपरेटरों का वेतनमान

6577. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के पश्चात् जे.सी.बी. में काम करने वाले डाटा एंट्री आपरेटरों का वेतनमान संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्णय अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निर्णय के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) माननीय अधिकरण (पीबी) ने ओए सं. 3316/2001 और एमए सं. 2748/2001 में दिनांक 12.12.2001 के अपने निर्णय में संयुक्त बीजलेख ब्यूरो में डाटा एंट्री आपरेटरों, डाटा प्रोसैसिंग सहायकों और जूनियर प्रोग्रामरों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने का निदेश दिया है जिसमें उन्होंने अपने वेतनमानों में 11.9.1989 के स्थान पर 1.1.1986 से संशोधन किए जाने का अनुरोध किया है। दिनांक 8.1.1991 के सरकारी पत्र

के तहत अधिसूचित संशोधित वेतनमानों को 11.9.1989 के स्थान पर 1.1.1986 से लागू किए जाने हेतु एक प्रस्ताव व्यय विभाग के साथ उठाया गया था। उस विभाग ने यह प्रस्ताव इस आधार स्वीकार नहीं किया है कि 11 सितंबर, 1989 की बजाय 1.1.1986 से संशोधित वेतनमान देने हेतु कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल को ऋण

6578. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज की दर घटाने के उद्देश्य से केरल राज्य विद्युत बोर्ड के ऋण हेतु सरकार की गारंटी पर जोर देने वाली शर्तों में माफी छूट देकर आरईसी और विद्युत निगम के क्रमश: 1197.22 करोड़ रुपये और 134.06 करोड़ रुपये के ऋणों संबंधी वचन पत्रों में संशोधन करने और पुनर्निर्धारण करने हेतु कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने 264.14 करोड़ रुपये राशि के ऋण के पुन:समायोजन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्तमान निम्नतर ब्याज दर वाले ऋण सहित उच्च लागत वाले ऋणों की जगह अपने ऋणों को पुन:समायोजन का प्रस्ताव किया है। इस योजना के तहत आरईसी वर्तमान और नए दर के मध्य के अंतर के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का 50% ले सकेगा। शेष 50% माफ कर दिया जाएगा। जहां तक विद्युत वित्त निगम का संबंध है केरल राज्य विद्युत बोर्ड की 134.06 करोड़ रुपये की राशि के पुन:समायोजन संबंधी कोई प्रस्ताव उनके पास लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त विद्युत वित्त निगम ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरोध पर निगम के नीति के अनुसार दिसंबर 2002 में 100 करोड़ रुपये के केरल राज्य विद्युत बोर्ड के ऋण को पुन:समायोजित किया है।

[हिन्दी]

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6579. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
डा. चरणदास महंत:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा निवेश से लाभ कमाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन विदेशी निवेशकों का देशवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने विभिन्न समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में निवेश द्वारा प्रिन्ट मीडिया में निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(च) प्रिन्ट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(छ) क्या सरकार आई.पी.ओ. और इक्विटी संबंधी प्रिन्ट मीडिया की आशंकाएं दूर करने में असफल रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, हां। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी निवेश के संबंध में वर्ष 1955 से अपनायी जा रही नीति में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(1) वैज्ञानिक/तकनीकी और विशिष्ट मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में 74 प्रतिशत तक के विदेशी विनिवेश की अनुमति देना,

(2) विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट मैग्जीनों/आवधिकियों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति देना,

(3) उपयुक्त सुरक्षोपायों के अधीन, समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित समाचारपत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में चुकता इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत भाग तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना।

(ख) इस संबंध में दिशा-निर्देश क्रमश: 12 नवंबर, 2002 और 21 नवंबर, 2002 को जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश के संबंध में हाल ही में हुए नीतिगत परिवर्तनों का उद्देश्य विभिन्न दैनिकों के बीच अधिक विविधता लाना, प्रिंट मीडिया में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करना तथा गुणवत्ता की दृष्टि से भारतीय समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के समतुल्य बनाना और विशेष विषयों में रुचि रखने वाले युवकों, छात्रों, व्यावसायिकों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी समुदाय व पाठकों को उचित दर पर विशिष्ट पत्रिकाएं आसानी से सुलभ कराके लाभ पहुंचाना है। इस समय निर्णय की वित्तीय विवक्षाओं का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

(ङ) किसी भी विदेशी निवेशक से विभिन्न समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में प्रिंट मीडिया में नए निवेश के लिए अनुमोदन संबंधी कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) उपरोक्त (ङ) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के निर्णय पर पहुंचते समय विभिन्न मंचों में व्यक्त की गयी चिंताओं को ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

प्रसारकों के बकाये

6580. श्री के.पी. सिंह देव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी प्रसारकों द्वारा दूरदर्शन को बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान बकाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रसारक का ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित प्रसारकों के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) उनसे बकाया धनराशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) दूरदर्शन, संसद के अधिनियम द्वारा 1990 में स्थापित और सितम्बर, 1997 में अधिसूचित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) का टेलीविजन स्कंध है। दूरदर्शन राष्ट्रीय सांविधिक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। दूरदर्शन पर सरकारी प्रसारक का बड़ी मात्रा में बकाया होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जिन पर सांविधिक प्रसारक दूरदर्शन का धन बकाया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन.एफ.ए.आई. में आग

6581. श्री सुरेश कुरूप: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री एफ.टी.आई.आई. और एन.एफ.ए.आई., पुणे में आग के बारे में 20 फरवरी, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस उद्देश्य के लिए गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने आग के निश्चित कारण बताये हैं;

(ख) यदि हां, तो आग में नष्ट दुलर्भ प्रिन्ट्स, डाक्यूमेन्ट्रियों, का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रसार भारती के मूल्यवान अभिलेखागारों की सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाई गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) उच्च स्तरीय जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि किसी अन्य प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में, इस बात की प्रबल संभावना है कि नाइट्रेट वाल्ट में अधिष्ठापित चार वातानुकूलकों में से एक विंडो वातानुकूलक में विद्युत शार्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी।

(ख) दिनांक 8.1.2003 को लगी आग में नाइट्रेट बेस में भंडार की गयीं 607 फिल्में (5095 रीलें) नष्ट हो गयी थीं। आग में नष्ट हो गयी अधिकांश फिल्मों की प्रतिलिपियां सुरक्षित बेस पर तैयार करके रख ली गयीं थी और वे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में सुरक्षित रखी हुयी हैं तथा केवल 544 रीलें जिनको सुरक्षित बेस पर स्थानांतरित नहीं किया गया था, नष्ट हो गयीं थीं। इनमें अधिकांशत: सिंगल रीलें और अधूरी फिल्में थीं।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अभिलेखीय सामग्री के प्रति लापरवाही नहीं बरती जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक अलग एकक अभिलेखीय टेपों की देख-रेख कर रहा है, जिनको वातानुकूलित कक्षों में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी ने अपने अभिलेखों के संरक्षण हेतु अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) मैग्नेटिक टेपों पर उपलब्ध पुरानी रिकार्डिंगों का डिजिटलीकरण करने के लिए नवंबर, 2001 से 3 करोड़ रुपये की एक परियोजना चलायी गयी है।

(2) अभिलेखागार में मैग्नेटिक टेपों की विषयवस्तु को टूट-फूट प्रतिरोधक इलेक्ट्रोनिक फार्मेटों में अंतरित किया जा रहा है।

(3) डिजिटलीकृत अभिलेखीय सामग्री का भंडारण करने के लिए विशेष अभिलेखीय आलमारियां प्रदान की जा रही हैं और यू.एन.डी.पी. की सहायता से आकाशवाणी भवन में अत्याधुनिक पुनर्परिष्करण तंत्र संस्थापित किया गया है।

लगभग 13000 घंटे की अभिलेखीय रिकार्डिंगों का पहले ही डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

सी एन जी का प्रयोग

6582. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में शमशान घाटों पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना देश के शमशान घाटों पर बड़े पैमाने पर सीएनजी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं। तथापि, महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) मुलंद, मुंबई स्थित एक शवदाहगृह, जिसके लिए पाइपलाइन पहले ही बिछा दी गई है, को गैस की आपूर्ति करने के बारे में विचार-विमर्श कर रही है।

(ख) से (घ) वर्तमान में मुंबई, दिल्ली तथा गुजरात राज्य के कुछ अन्य शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति घरेलू, वाणिज्यिक तथा सीएनजी प्रयोजनार्थ की जा रही है। ऐसे स्थानों में प्राकृतिक गैस का उपयोग शवदाहगृहों में भी एक स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इस संबंध में पहल संबंधित राज्य सरकारों तथा म्यूनिसिपल निकायों द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

एचएमटी का विनिवेश

6583. श्री राम सिंह कस्वां:
डा. एन. वेंकटस्वामी:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) में अपनी अंशधारिता के विनिवेश का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुली बोरियों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो विनिवेश के लिए अब तक प्राप्त निविदाओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विनिवेश द्वारा कुल कितनी धनराशि प्राप्त करने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) जी हां।

(ख) से (घ) अब तक विभिन्न इकाईयों के लिए संयुक्त उद्यम का गठन करने हेतु रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है। एच.एम.टी. बियरिंग, एट.एम.टी. वाचेज तथा एच.एम.टी. चिनार वाचेज के लिए ही रुचि अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। एच.एम.टी. मशीन टूल्स के लिए कोई भी रुचि अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) चूंकि, मूल्य बोली अब तक प्राप्त नहीं हुई है अतः वसूली के लिए प्रत्याशित राशि इस समय विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

जी.टी. एक्सप्रेस में डकैती की घटना

6584. श्री पदमसेन चौधरी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा और दिल्ली के बीच अजह-चटा के निकट जी.टी. एक्सप्रेस में लूट की घटना घटी थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में कितने लोगों को लूटा गया और उनका कितने मूल्य का सामान लूटा गया;

(ग) पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) जनवरी, 2002 से आज तब लूट, डकैती और हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई हैं और आज की तिथि पर गिरफ्तार अपराधियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) रेल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां। मध्य रेलवे के कोसीकलां-छाता के बीच 9.3.2003 को गाड़ी सं. 2615 डाउन जी.टी. एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में 4-5 हथियारबन्द अपराधियों ने 8 यात्रियों के साथ लूटपाट की थी।

(ख) 8 यात्रियों से 5600 रुपये नकद, सोने की चैन और चांदी के आभूषणों की लूटपाट की गई थी।

(ग) रेलवे प्रशासन केवल बुक किए हुए सामान के नुकसान के लिए ही जिम्मेदार है।

(घ) चलती हुई गाड़ियों और रेलवे पर अपराध की रोकथाम और उसका पता लगाना राज्य सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। रेलवे में अपराध के मामलों की रिपोर्ट करने, दर्ज करने और उनकी जांच करने का कार्य राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा किया जाता है। अतः रेल मंत्रालय के पास पूछी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) "पुलिस व्यवस्था" राज्य सरकार का विषय होने के नाते यात्रियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व रा.रे.पु. और राज्य की पुलिस का है। रेलवे प्रशासन भेद्य खंडों के स्टेशनों पर चौकसी करने के अलावा रेलवे पुलिस राजकीय रेलवे पुलिस को यात्री गाड़ियों के मार्गरक्षण में सहायता करती है।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण में नई तकनीक

6585. श्री रामपाल सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में नई तकनीक विकसित की गयी है जिसके तहत वितरण का नियंत्रण सब-स्टेशनों से किए जाने की संभावना है और उससे उच्चस्तरीय निगरानी तथा वितरण संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त तकनीक कब से लागू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) समुचित स्तर पर आंकड़े प्राप्त करने और उसके नियंत्रण और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकियां प्रचलन में हैं। ऐसी प्रणालियों को आमतौर पर सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन (एससीएडीए) सिस्टम कहा जाता है। इन प्रणालियों का प्रयोग उप-केन्द्रों से संबंधित आंकड़े यथा बस-बार वोल्टेज, करेन्ट आदि से संबंधी आंकड़े प्राप्त करने और सुदूरवर्ती संचालित स्विचों के लिए किया जाता है।

(ग) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने हैदराबाद और चेन्नई में उपकेन्द्र/फीडर स्तर पर वितरण कार्य को नियंत्रित करने और उसकी देखरेख के लिए एससीएडीए प्रणाली शुरू की है। फीडर स्तर से कम के वितरण कार्य का स्वचालन अब तक किसी राज्य/यूटिलिटी द्वारा नहीं किया गया है।

एचईसी द्वारा जनजातीय भूमि का अधिग्रहण

6586. श्री राम टहल चौधरी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लिए भूमि का अधिग्रहण के बारे में 16 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2930 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातियों को अधिग्रहण के पश्चात् प्रदान किए गए मुआवजे और अन्य लाभ अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले में प्रभावित लोगों को पर्याप्त लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) और (ख) आदिवासियों सहित प्रभावित हुए परिवारों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य लाभ मुहैया कराए गए हैं।

(ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

वक्फ न्यायाधिकरण

6587. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वक्फ की सम्पत्तियों की देखभाल और इमामों का वेतन निर्धारित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वक्फ न्यायाधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है जहां ये न्यायाधिकरण अस्तित्व में नहीं हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ अथवा वक्फ सम्पति से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न अथवा अन्य मामले के निर्धारण के लिए अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकरणों की स्थापना करनी होती है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक वक्फ अधिकरणों का गठन नहीं किया है–

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम
3. गोवा
4. मिजोरम
5. नागालैंड
6. सिक्किम
7. दमन एवं दीव

उपर्युक्त 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा दमन एवं दीव में मुस्लिम आबादी/वक्फ सम्पत्ति नगण्य है। असम सरकार ने वक्फ अधिकरणों के गठन संबंधी मामले को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में उठाया है। गोवा राज्य में वक्फ सम्पत्तियों के रिकार्ड के अभाव में, राज्य सरकार किसी अधिकरण की जरूरत महसूस नहीं करती।

[हिन्दी]

भिवाड़ी में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो

6588. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भिवाड़ी में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने की संभावना है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने भी रेलवे से भिवाड़ी को बड़ी रेल लाइन द्वारा धारूहेड़ा-रेवाड़ी और सिरसा में बड़ी लाइन से जोड़ने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. (राजसिको) जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है पहले ही भिवाड़ी से राड लिंक्ड इनलैंड कंटेनर डिपो चला रहा है। भारतीय कंटेनर निगम (कानकोर) द्वारा भिवाड़ी में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पहले से ही रेवाड़ी से रेल-लिंक्ड इनलैंड कंटेनर डिपो कार्य कर रहा है जो भिवाड़ी से लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर है।

(घ) और (ङ) रेवाड़ी-भिवाड़ी के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। रेवाड़ी-भिवाड़ी के बीच रेल संपर्क के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

राशन की मात्रा में अंतर

6589. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेना और जीआरईएफ के अधिकारियों/कार्मिकों की राशन की मात्रा में भारी अंतर होने की जानकारी है;

(ख) क्या यह सही है कि सेना और जीआरईएफ के कार्मिक अग्रिम क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं और जीआरईएफ की कार्य दशा सेना के उनके समकक्षों से भी ज्यादा कठिन है;

(ग) क्या सेना और जीआरईएफ के अधिकारी और कार्मिक साथ-साथ कार्य करते हैं और एक ही मेज पर साथ खाते भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सेना और जीआरईएफ के लिए राशन की मात्रा के अंतर को समाप्त न करने के क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) यह सही है कि ग्रेफ कार्मिक संक्रियाओं के दौरान सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। शांति के दौरान, ग्रेफ कार्मिक सीमा क्षेत्रों में सेना के लिए जनरल स्टाफ सड़कों का निर्माण करने के वास्ते मुख्य रूप से तैनात किए जाते हैं। ग्रेफ कार्मिकों की कार्य स्थितियां सेना में उनके प्रतिपदधारियों की तरह ही कठिन हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लिए लागू तरीके के अनुसार ग्रेफ कार्मिकों को सेना पैमाने पर राशन देने की मंजूरी दी है अर्थात् जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना के साथ-साथ अथवा सेना के आगे काम पर लगाया जाता है अथवा जब वे सेना के संक्रियात्मक नियंत्रण में होते हैं अथवा सीमा क्षेत्रों और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में सेना के साथ-साथ विद्रोहरोधी संक्रियाओं पर होते हैं।

विद्युत चालित उदवह सिंचाई स्थल

6590. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रारंभ किए गए विद्युत चालित उदवह सिंचाई स्थलों की स्थापना संबंधी राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) सतही जल के प्रत्यक्ष उदवह स्थलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उदवह सिंचाई द्वारा सिंचाई की शुद्ध प्रति एकड़ लागत ज्ञात करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पम्पसेट ऊर्जीकरण के राज्य-वार लक्ष्य और प्रगति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) भूतल जल से विद्युत प्रचालित लिफ्ट स्थलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंपसेटों को विद्युतीकृत किये जाने संबंधी राज्य वार लक्ष्य और प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	नौवीं योजना हेतु लक्ष्य	नौवीं योजना के दौरान ऊर्जीकृत पंपसेट
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	250000	113098
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	5000	—
4.	बिहार	50000	6704
5.	झारखंड*	—	—
6.	गोआ	100	1045
7.	गुजरात	50000	141436
8.	हरियाणा	20000	18961
9.	हिमाचल प्रदेश	1000	1889
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4000	1101
11.	कर्नाटक	250000	268699
12.	केरल	60000	91268
13.	मध्य प्रदेश	400000	169618
14.	छत्तीसगढ़*	—	10277
15.	महाराष्ट्र	300000	275357
16.	मणिपुर	100	—
17.	मेघालय	100	—
18.	मिजोरम	—	—
19.	नागालैंड	100	—
20.	उड़ीसा	98000	4481
21.	पंजाब	30000	85046
22.	राजस्थान	100000	114420
23.	सिक्किम	100	—

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	60000	196763
25.	त्रिपुरा	100	764
26.	उत्तर प्रदेश	300000	62070
27.	उत्तरांचल*	—	291
28.	पश्चिम बंगाल	20000	8740
	कुल (राज्य)	1998600	1572028
	कुल (संघ राज्य)	—	2184
	कुल (अखिल भारतीय)	1998600	1574212

*2000-2001 में सृजित राज्य

विवरण II

गणना के अनुसार (1993-94) विद्युत संचालित सरफेस लिफ्ट योजनाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	सरफेस लिफ्ट योजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16038
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	653
4.	बिहार	954
5.	झारखंड*	—
6.	गोआ	564
7.	गुजरात	उ.न.
8.	हरियाणा	170
9.	हिमाचल प्रदेश	500
10.	जम्मू एवं कश्मीर	320
11.	कर्नाटक	27762
12.	केरल	7806
13.	मध्य प्रदेश	133236
14.	छत्तीसगढ़@	—
15.	महाराष्ट्र	उ.न.
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	11
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	9
20.	उड़ीसा	8889
21.	पंजाब	465
22.	राजस्थान	161
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	2334
25.	त्रिपुरा	397
26.	उत्तर प्रदेश	720
27.	उत्तरांचल#	—
28.	पश्चिम बंगाल	2877
	कुल (राज्य)	203876
	कुल (संघ राज्य)	128
	कुल (अखिल भारतीय)	204004

टिप्पणी (*) बिहार में शामिल है

(@) मध्य प्रदेश में शामिल है

(#) उत्तर प्रदेश में शामिल है

[हिन्दी]

रेल लाइनों की सुरक्षा

6591. प्रो. रीता वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झरिया कोयला क्षेत्र जहां भूमिगत खानों में आग लगी है में रेल लाइनों और रेल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की पूर्ण जिम्मेदारी अकेले रेलवे की है;

(ख) यदि हां, तो भूमिगत खानों में लगी आग से रेल लाइनों/रेलयात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो वे कौन सी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी उक्त खतरे से बचाव प्रदान करने की है;

(ङ) क्या रेलवे ने खान सुरक्षा निदेशालय से झरिया कोयला क्षेत्र की भूमिगत खानों में लगी आग से रेल लाइनों की सुरक्षा के लिए सहायता प्राप्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) जी हां। रेल यात्रियों की संरक्षा हमेशा सुनिश्चित की जाती है।

झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत खानों की आग आदि के कारण रेल लाइनों और रेल यात्रियों की संरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी कोयला खान प्राधिकारियों (कोयला मंत्रालय के अधीन) की है और आग से अपेक्षित बचाव और निवारक उपायों के लिए महानिदेशक, खान संरक्षा (श्रम मंत्रालय के अधीन) द्वारा लागू किया जाता है।

(धनबाद में स्थित रेल खनन संरक्षा विंग रेलवे लाइन के नीचे और समीप आग की स्थिति का नियमित निरीक्षण करता है और आग रोकने के लिए आवश्यक संरक्षात्मक उपाय करने के लिए महानिदेशक, खान संरक्षा और कोयला खान प्राधिकारियों को सूचित करता है ताकि रेलवे लाइनों और रेल यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग की समस्या हुई थी। कोयला मंत्रालय ने कोयला एवं खान मंत्रालय के स्थानीय प्रशासन और कोयला खान प्राधिकारियों की सहभागिता से रेल मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया था। तदनुसार, जून 2001 में एक समिति गठित की गई थी। इसी दौरान भारत सरकार के तत्कालीन कोयला एवं खानं मंत्री ने अक्टूबर, 2001 में सलाह दी थी कि इसमें निर्दिष्ट समिति की सिफारिशों के लिए रेलवे को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत आगे और विलम्ब किए बिना जन और सम्पत्ति के लिए खतरा समाप्त करने के लिए लाइन बंद कर दें। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, धनबाद-पाथरडीह लाइन पर यात्री यातायात स्थगित करने की समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और जुलाई 2002 से कार्यान्वित कर दी गई है।

समिति ने आग बुझाने और अन्य निवारक उपायों के लिए बहुत सी अन्य सिफारिशें भी की हैं। इन पर कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है जिसे जुलाई 2002 में और पुनः जनवरी 2003 में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

6592. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के भरे गये पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपयुक्त अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में गत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरी गई पदों की श्रेणियों का ब्यौरा विवरण-I में है।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में रिक्त पड़े पदों और इन पदों को भरने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण-II में है।

विवरण I

समूह	2000-2001			2001-2002			2002-2003		
	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी
क	शून्य	03	01	शून्य	03	01	शून्य	02	शून्य
ख	01	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	01	03	शून्य
ग	07	शून्य	01	शून्य	01	शून्य	01	शून्य	शून्य
घ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण II

पद	ओबीसी	एससी	एसटी	इन पदों को भरने के लिए उठाए गए कदम
वैयक्तिक सहायक (समूह ख)	01	शून्य	शून्य	यह रिक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचित कर दी गई है।
आशुलिपिक ग्रेड घ (समूह ग)	01	01	01	यह रिक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचित कर दी गई है।
बावरजी (समूह ग)	शून्य	01	शून्य	नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इन पदों को जल्दी भर लिया जाएगा।
बैरा (समूह घ)	01	01	शून्य	-वही-

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाला वित्तीय घाटा

6593. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 से आज तक हुई रेल दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलवे को कितना वित्तीय घाटा हुआ है; और

(ख) घाटे को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) 2001-02 तथा 2002-03 की अवधि के रेलवे को रेल संपत्ति जैसे रेलपथ, चल स्टाक, सिगनलिंग अवसरंचना, शिरोपरि उपस्कर आदि में नुकसान के कारण 54.51 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष घाटा तथा परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण 40.20 करोड़ रु. (अनंतिम) का घाटा हुआ। रेल दुर्घटनाओं के कारण परोक्ष रूप से हुए वित्तीय घाटे का आकलन नहीं रखा जाता है।

घाटों को कम करने का एकमात्र तरीका दुर्घटनाओं को रोकना है। अत: दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित रूप से निवारक उपाय किए जाते हैं जिसमें संरक्षा अभियानों को चलाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा बेहतर अनुरक्षण तौर-तरीके अपनाना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

सेना में नकली मदिरा

6594. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्री अधीर चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 2003 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में ''हयुज रैकेट इन फेक आर्मी बूज'' शीर्षक से छपी खबर की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों की सांठ-गांठ से कई सीएसडी विक्रय केन्द्रों पर नकली शराब बेची जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिकारियों और शराब बेचने वालों की सांठ-गांठ को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार-पत्र की खबरों के आधार पर जांच करवाई गई है जिससे यह पता चला है कि किसी भी कैंटीन स्टोर विभाग डिपो या यूनिट चालित कैन्टीनों के माध्यम से कोई नकली शराब नहीं बेची गई है।

सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के लिए पुनरुद्धार परियोजना

6595. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बी.ओ.जी.एल. हिन्दुस्तान केबल, ब्रिज एण्ड रूफ, भारत अर्थमूवर, टायर कारपोरेशन आफ इंडिया, बर्न स्टैंडर्ड की बर्नपुर और हावड़ा इकाई के पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.)	रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी क्षेत्र का एक नीति मूलक (स्ट्रेटजिक) उपक्रम है तथा यह लगातार लाभ कमा रहा है। अत: पुनरुद्धार योजना का प्रश्न नहीं उठता।
2.	बी.ओ.जी.एल.	बी.ओ.जी.एल. को वर्ष 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। बीआईएफआर ने जुलाई 2002 में कंपनी को बंद करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
3.	ब्रिज एण्ड रूफ (बी एण्ड आर)	बी एण्ड आर एक लाभ कमाने वाला उपक्रम है इसलिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
4.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.)	बीआईएफआर ने आपरेटिंग एजेंसी को एक पुनरुद्धार योजना तैयार करने का निदेश दिया। भारत सरकार ने बीआईएफआर द्वारा परिचालित मसौदा पुनरुद्धार स्कीम (डी.आर.एस.) के अनुरूप फरवरी 1999 में निम्नलिखित वित्तीय राहत स्वीकृत की है:

(करोड़ रुपये में)

योजना तथा गैर-योजना ऋण पर ब्याज की माफी	-	79.24
बकाया गैर-योजना ऋण की माफी	-	19.11
बकाया गारंटी शुल्क की माफी	-	1.94
पुनर्निर्धारण तथा योजना ऋण का परिवर्तन	-	5.55

1	2	3
		बकाया योजना ऋण का पुनर्निर्धारण - 65.74
		नगद निवेश - 12.60
		बीआईएफआर के आदेश के अनुरूप अजैव्य टांगड़ा यूनिट को अक्टूबर 2000 में बंद कर दिया गया है। कम्पनी के लिए विनिवेश/संयुक्त उपक्रम के गठन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	बीआईएफआर ने एच.सी.एल. को रुग्ण घोषित कर दिया है। बीआईएफआर द्वारा नियुक्त आपरेटिंग एजेंसी सरकारी क्षेत्र के उद्यम की तकनीकी-आर्थिक जैव्यता पर अध्ययन कर रही हैं।
6.	बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड (बीएससीएल)	यह बीआईएफआर को संदर्भित एक रुग्ण कम्पनी है। दिनांक 9.12.2002 को बीआईएफआर ने प्रबन्धन में परिवर्तन के लिए आदेश जारी किया है। विनिवेश मंत्रालय ने रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए दिनांक 26.03.2003 को एक विज्ञापन जारी किया है। उद्यम के पुनरुद्धार के उपाय के रूप में विनिवेश की प्रक्रिया पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अतिक्रमण का हटाया जाना

6596. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रक्षा विभाग की कुछ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद दिल्ली में रक्षा विभाग की कुछ भूमि से अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण किस तरह का है और इसमें कितने लोग शामिल हैं; और

(ङ) इन अतिक्रमणों को न हटाए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में लगभग 100.2186 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण है।

(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 3761/2000 के संबंध में दिनांक 6.2.2002 को दिए गए निर्देशों के अनुसरण में सभी संबंधितों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे रक्षा भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सभी संभावित कदम उठाएं।

(घ) और (ङ) अधिकांश अतिक्रम विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके कब्जे वाली भूमि में विस्तार, अस्थायी/स्थायी मकानों और झोपड़ियों आदि के रूप में हैं। अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई छावनी अधिनियम, 1924 और सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत की जाती है। अतिक्रमणों का पता लगाना तथा उन्हें हटाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ अतिक्रमणों के बारे में न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं और उन्हें हटाना न्यायालय के आदेश के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

कार्पोरेट लैडर शुरू करने की योजना

6597. श्री सईदुज्जमा: क्या **रेल मंत्री** 20 फरवरी, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब रेलवे सरकारी क्षेत्र की अन्य इकाइयों की तरह कार्पोरेट लैडर शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या रेलवे का किसी लेखा-जोखा अथवा प्रबंधन से कोई लिंक नहीं है जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि शताब्दी ट्रनों के चलाए जाने के कारण इसको लाभ और घाटे के संबंध में कोई अनुमान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलवे के पास मौजूदा अवसंरचना और प्रतिभा के साथ सावधानीपूर्वक इस मामले में जल्दी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) रेल मंत्रालय के लेखे, निर्धारित लेखांकन शीर्षों, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के परामर्श से निर्धारित किए गए हैं, के अंतर्गत रखे जाते हैं। लाभदायिता, आमदनी और खर्च के आंकड़े गाड़ीवार पृथक रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रोजेक्ट्स गो आफ ट्रैक

6598. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 2003 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रोजेक्ट्स गो आफ ट्रैक, रेलवेज टाप्स लिस्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मेगा परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है जो पूरा होने की अपनी समय सीमा से पीछे चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने की परियोजनावार अनुमानित लागत क्या है और इनके पूरे होने के उपरांत कुल वास्तविक लागत कितनी होगी;

(घ) क्या लागत वृद्धि को रोकने के लिए परियोजनाओं की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इनके विलम्ब हेतु कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) परियोजना में अधिक समय लगने का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब आश्वस्त वित्तपोषण किया जाए। रेलों के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता के साथ बड़ी संख्या में चल रही रेल परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर रही हैं।

(ग) 1.4.2003 को नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, महानगर परिवहन और विद्युतीकरण के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का थ्रो फारवर्ड लगभग 44,733 करोड़ रुपए है। समापन की वास्तविक लागत परियोजना पूरी होने के पश्चात ही ज्ञात हो सकेगी।

(घ) से (छ) परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। चल रही परियोजनाओं के शीघ्र समापन के लिए सामान्य बजटीय सहायता के अलावा और निधियां सृजित करने के प्रयास किए गए हैं।

[हिन्दी]

एक्सट्रा स्कीम

6599. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "एक्सट्रा स्कीम" नामक कोई स्कीम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त स्कीम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रसार भारती को सहायता राशि का आबंटन

6600. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रसार भारती निगम को वित्तीय सहायता के रूप में 900 करोड़ रुपए का आबंटन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस आबंटन पर रोक लगाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, हां। सरकार द्वारा प्रसार भारती को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

सरकार द्वारा प्रसार भारती को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि (सहायता अनुदान/ऋण) का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(रुपये करोड़ में)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003
राजस्व योजना	70.94	82.91	75.96
राजस्व गैर-योजना	890.00	847.22	891.28
ऋण	139.30	142.05	228.9970

[हिन्दी]

सतनामी समाज को 14वीं अनुसूची से हटाकर दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना

6601. **श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने 'सतनामी समाज' को 14वीं अनुसूची से हटाकर दूसरी अनुसूची में शामिल करने का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, दिनांक 9.1.2002 को छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची की वर्तमान क्रम संख्या 14 से सतनामी समुदाय को हटाने तथा छत्तीसगढ़ में इसे क्रम संख्या 14(ख) पर स्वतंत्र प्रविष्टि के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित रूप-रेखाओं के अनुसार भारत के महापंजीयक को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

मेगा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

6602. **डा. बलिराम:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश और झारखंड में मेगा ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना और झारखंड में मेगा ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में कार्यान्वयन के लिए अभिनिर्धारित बड़ी विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

परियोजना/राज्य/क्षमता (मे.वा.)	स्थिति
1	2
नार्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झारखंड (2000 मे.वा.)	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस परियोजना का अभिनिर्धारण 11वीं योजना में लाभार्थ कार्यान्वित किए जाने के लिए किया है। इस संदर्भ में भारतीय विमानपत्तन

1	2
	प्राधिकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी है।
मैथान, झारखंड (1000 मे.वा.)	दामोदर घाटी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित इस परियोजना का कार्य 10वीं योजना में पूरा होना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। सांविधिक और अन्य स्वीकृतियों का प्रबंध किया जा रहा है।
औरेय्या विस्तार, उत्तर प्रदेश (1300 मे.वा.)	एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित। 650 मे.वा. प्रत्येक के चरण-1 और चरण-2 अर्थात् दो चरणों में इसका कार्यान्वयन होना है। चरण-2 से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केविप्रा से स्वीकृतियां मिल गयी हैं। उचित मूल्य पर लिक्विफायड नेचुरल गैस/नेचुरल गैस उपलब्ध होने पर ही प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अनपारा सी, उत्तर प्रदेश (1000 मे.वा.) (राज्य क्षेत्र)	इस परियोजना का अभिनिर्धारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. द्वारा किया गया है।

[अनुवाद]

किशोर न्याय अधिनियम

6603. श्री नरेश पुगलिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 70 में इस अधिनियम के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर कठिनाइयों को दूर करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में किस-किस तरह की कठिनाइयों को दूर किया गया है;

(ग) क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अनाथ शिशुओं के अधिकारों के संबंध में कठिनाइयां, जो पर्सनल ला के प्रावधानों से मेल नहीं खाती हैं, दूर कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत निर्दिष्ट कठिनाइयों को दूर करने की अवधि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाना होता है जिन्होंने उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में किसी कठिनाई की सूचना नहीं दी है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000 के किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत दत्तक ग्रहणों को अनुमति देने में मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार रहित बच्चे नामत: एक परित्यक्त/अनाथ/निराश्रित बच्चे को एक परिवार द्वारा दिए गए एक पारिवारिक महौल में विकास करने के अधिकार से वंचित न किया जाए। ये समर्थकारी प्रावधान है और व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों के विरोध में नहीं हैं। इस संबंध में किसी कठिनाई का अब तक अनुभव अथवा पता नहीं चला है और इसलिए कठिनाइयां दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दो वर्षों की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अब तक इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं की गई है।

केरल को अतिरिक्त विद्युत का आवंटन

6604. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल को इदुक्की सहित अन्य जलाशयों में कम पानी होने और मुझियार विद्युत केन्द्र के क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल के सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत आवंटन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अप्रैल-मार्च 2003 अवधि के दौरान केरल में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 6.9% तथा 16.3% थी।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्र सरकार ने केरल को निम्नांकित सहायता उपलब्ध कराई है:

(i) दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) में केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) के 15% अनाबंटित कोटे से आबंटन को अगस्त 2002 के मध्य में 4% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया जिससे लगभग 100 मे.वा. अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो गई। अग्नि दुर्घटना के पश्चात सबीरीगिरी एचईपी के बंद हो जाने के कारण 50 मे.वा. की और वृद्धि के साथ मार्च 2003 के मध्य में इसे पुनः बढ़ाकर 35% (दक्षिणी क्षेत्र राज्यों के बीच अधिकतम) कर दिया गया।

(ii) पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से 73 से 100 मेगावाट का आवंटन।

(iii) कम खपत वाले समय में पूर्वी क्षेत्र से आस्थिर अतिरिक्त विद्युत में केरल का हिस्सा 200 मेगावाट से बढ़ाकर 300 मेगावाट किया गया है।

(iv) एनटीपीसी ने फरवरी, 2003 में पूर्वी क्षेत्र में तालचेर एसटीपीसी (4×500 मेगावाट) एक एकक (500 मेगावाट) को शुरू किया और इस एक द्वारा उत्पादित विद्युत का 14 प्रतिशत केरल को उपलब्ध कराया जा रहा है।

सशस्त्र बलों में एनसीसी प्रमाण-पत्र धारकों का प्रतिनिधित्व

6605. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में एनसीसी प्रमाण-पत्र धारकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार एनसीसी पाठ्यक्रम को संशोधित करने या उसमें सुधार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) को दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता का स्तर आशा के अनुकूल नहीं था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गुणवत्ता स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। सशक्त बलों में एनसीसी प्रमाण-पत्र धारकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। मौजूदा एनसीसी पाठ्यक्रम से एनसीसी के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय कैडेट कोर को दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता का स्तर अपेक्षा के अनुरूप है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। एनसीसी प्रशिक्षण को अधिक कारगर बनाने के लिए पर्वतारोहण, पैरा-सेलिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग तथा स्क्यूबा डाइविंग जैसे साहसिक कार्यकलाप और अधिक कैडेटों के लिए शुरू कर दिए गए हैं।

निःशक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

6606. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ने निःशक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है और भविष्य में व्यावसायिक अनुदेशक तैयार करने की जवाबदेही भारतीय पुनर्वास परिषद की होगी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए किस सीमा तक सहमत हो गया है;

(घ) क्या सरकार की अत्यधिक निःशक्त व्यक्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए के विशेष कोष की भी योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कोष के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को मदद और सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल के कार्यकलाप के दायरे में नहीं आता है। तथापि, भारतीय पुनर्वास परिषद ने व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार (मानसिक मंदता) में अनुदेशों को प्रशिक्षित करने के लिए एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम का मानकीकरण किया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, अत्यंत विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकलांगता क्षेत्र के लिए 213.95 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में एफएम/आकाशवाणी केन्द्र खोला जाना

6607. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं योजनावधि के दौरान मीडिया वेब और एफ.एम. कवरेज में वृद्धि करने के लिए उत्तरांचल में दस आकाशवाणी केन्द्र खोलने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान पौड़ी क्षेत्र तथा लैंसडाउन क्षेत्रों के पोखरा, एकेश्वर, ब्यूरौंखाल ब्लाकों को उक्त सुविधा से वंचित रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों को कवर करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) दसवीं योजना के दौरान, उत्तरांचल के लिए एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना करने हेतु निम्नलिखित स्कीमों का प्रस्ताव है-

1. टाइप-2 स्टूडियो, प्ले बैक, अभिग्रहण सुविधा और स्टाफ क्वाटरों सहित देहरादून में 10 किवा. एफएम ट्रांसमीटर।

2. निम्नलिखित स्थानों पर अभिग्रहण, प्ले बैक और वायस ओवर रिकार्डिंग/डबिंग, क्षेत्र उत्पादन सुविधा और स्टाफ क्वार्टर, सहित एफएम ट्रांसमीटर

(1) हल्द्वानी/कालाडुंगी 10 किवा।

(2) भटवाड़ी 5 किवा।

(3) बागेश्वर 5 किवा।

3. निम्नलिखित स्थानों पर 1 किवा एफएम ट्रांसमीटर अभिग्रहण सुविधा और स्टाफ क्वार्टर सहित रिले स्टेशन-

(1) चम्पावत

(2) गैरसैंण

(3) रूद्रप्रयाग

(4) न्यू टिहरी

उपरोक्त स्कीमों के कार्यान्वयन के बाद, उत्तरांचल में एफएम कवरेज क्षेत्र के हिसाब से मौजूदा 30.8% से बढ़कर 60.6% और जनसंख्या के हिसाब से मौजूदा 46.43% से बढ़कर 79.1% हो जाएगी।

(ख) और (ग) क्योंकि मसूरी में पोखरा और लैंसडाउन 10 किवा. एफएम ट्रांसमीटर द्वारा कवर किए जाते हैं इसलिए दसवीं योजना के दौरान इन स्थानों पर एफएम स्टेशनों को स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। वर्तमान में 10वीं योजना के दौरान एकेश्वर और ब्यूरौंखाल में एफएम स्टेशन स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल सुधार गृह

6608. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उड़ीसा में और अन्य राज्यों में कितने बाल सुधार गृह और महिला निकेतन कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें राज्यवार कितने लड़के, लड़कियों और महिलाओं को आश्रय दिया गया है; और

(ग) इन गृहों/महिला निकेतनों में और सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) सभी राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

आर्थिक सम्पन्नता के लिए एनएसएफडीसी की योजना

6609. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) ने सुविधाहीन लोगों को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने के लिए रणनीतिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) एनएसएफडीसी को कार्य-नीतिक योजना (2003-2012) की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्रथम पांच वर्षों में 1.47 लाख लाभग्राहियों तथा अगले 5 वर्षों के दौरान 6.25 लाख के कवरेज की योजना।

(2) योजना वृद्धि लघु वित्तपोषण के अनुपात में जिसे 18% के वर्तमान स्तर से 5 वर्ष में 25% तथा 10वें वर्ष तक 40% करना है।

(3) लक्ष्य समूह के लिए अधिक कौशल प्रशिक्षण तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की योजना (अर्थात् प्रतिवर्ष 80 की दर से)

(4) लक्ष्य समूह के आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के प्रति मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाना तथा तदनुसार उधारी तथा समर्थन नीतियों का पुन: उन्मुखीकरण।

(5) अवसर की रूप-रेखा के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन।

(ग) योजना में 10 वित्तीय वर्ष की अवधि शामिल है।

[हिन्दी]

शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को उपलब्ध कराया गया वार्षिक अनुदान

6610. श्री सुरेश चन्देल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वक्फ बोर्ड संपत्ति के अन्तर्गत कब्रिस्तान की भूमि को पट्टे पर दिए जाने की मनाही है, किन्तु इन प्रावधानों के बावजूद देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले और कुल्लू शहर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उनके अधिकारियों की मिली-भगत से अनेक कब्रिस्तानों की भूमि को पट्टे पर दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और वक्फ बोर्ड के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डुप्लीकेट रेल टिकटों के लिए अतिरिक्त राशि

6611. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डुप्लीकेट रेल टिकटों के लिए अतिरिक्त राशि न लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) यह विनिश्चिय किया गया है कि आरक्षण चार्ट तैयार करने से पहले डुप्लीकेट टिकटें जारी करने के लिए वसूले गए प्रभारों की वापसी गाड़ी के गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के पश्चात् 3 दिनों तक गंतव्य स्टेशन पर की जाएगी। यह व्यवस्था 1.4.2003 को तथा उसके पश्चात् जारी डुप्लीकेट टिकटों के लिए लागू है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में समपार

6612. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में दोषपूर्ण समपारों अथवा समपारों के न होने के कारण राज्य में कितनी छोटी और बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या रेल विभाग को पश्चिम बंगाल सरकार से चालू वर्ष के दौरान समपारों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे परिचालनों की इकाइयां रेलवे जोन हैं राज्य नहीं, अतः राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पूर्व, दक्षिण-पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पश्चिम बंगाल राज्य में परिचालित हैं और 2000-01 से 2002-03 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान इन रेलों पर 32* समपार दुर्घटनाएं हुई हैं। इन तीन रेलों पर कथित समय में दोषपूर्ण अथवा समपार न होने के कारण कोई परिणामी गाड़ी दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नौवीं योजना के दौरान क्षमता में वृद्धि किया जाना

6613. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना में क्षमता वृद्धि का अपेक्षित लक्ष्य 40,245 मेगावाट के लक्ष्य से काफी कम रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने नौवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करने/जांच करने के लिए कृतिक बल की स्थापना की सिफारिश की है ताकि दसवीं योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही सुझायी जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान 40245.2 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की तुलना में 19015.17 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि की गयी है। परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) एस्क्रो की अनुपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्तीय समापन प्राप्त करने में असमर्थता

(2) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

(3) निवेश निर्णय में विलम्ब

(4) आर एंड आर समस्या

(5) संविदात्मक समस्या।

*आंकड़े अनंतिम हैं

(ग) और (घ) अक्टूबर, 2000 में नौवीं योजना पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह सिफारिश की गयी थी कि नौवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के कार्यनिष्पादन से संबंधित मामलों का विश्लेषण/की जांच करने तथा 10वीं योजना के लिए अग्रिम कार्रवाई सुझाने हेतु एक कार्यबल गठित किया जाए।

दसवीं योजना हेतु विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने उन घटकों को ध्यान में लिया है जिनसे नौवीं योजना के दौरान परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति प्रभावित हुई। निर्धारित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कारगर मानीटरिंग तंत्र स्थापित किए गए हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मासिक समीक्षा की जा रही है तथा तिमाही समीक्षा सचिव (विद्युत) द्वारा की जा रही है।

प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रणाली शुरू की गयी है। नोडल अधिकारी द्वारा उन समस्याओं का उपयुक्त स्तर से समाधान किया जाएगा जिनकी वजह से परियोजना के कार्य में विलम्ब होता है।

जल विद्युत परियोजना के लिए समय एवं लागत आधिक्य को कम करने के उद्देश्य से तीन चरण की विकास प्रणाली शुरू की गयी है ताकि मुख्य संविदा पैकेज सौंपने के पूर्व निम्न को सुनिश्चित किया जाए:-

(1) आवश्यक बुनियादी सुविधा विकसित कर ली जाए,

(2) भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए, और

(3) गहन जांच के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली जाए।

[हिन्दी]

एचएमटी में घाटा

6614. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाईवार स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार ने इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) जी हां।

(ख) एच.एम.टी. तथा इसकी निम्नलिखित सहायिकाओं ने निम्नानुसार लाभ/हानि अर्जित की है:-

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी	2001-02	2002-03 (अनन्तिम)
एचएमटी धारक कंपनी	10.24	(-)47.05
एचएमटी मशीन टूल्स	(-)70.65	(-)92.5
एचएमटी वाचेज	(-)106.29	(-)98.5
एचएमटी चिनार वाचेज	(-)10.16	(-)7.32
एचएमटी बियरिंग	0.86	(-)12.91
एचएमटी इंटरनेशनल	0.50	0.43

(ग) वर्ष 2000 में सरकार द्वारा अनुमोदित टर्न अराउन्ड योजना के तहत दी गई राहत के अतिरिक्त कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त सहायता दी गई है। जिसमें 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और बिना गारंटी के मुहैया कराए गए शुल्क के साथ-साथ 310.00 करोड़ रुपये के वीरआरएस बांड के लिए नवीनतम सरकारी गारन्टी शामिल है जिससे कि कम्पनी न्यूनतम ब्याज दर पर पहले से ही वर्धित बांडों की सौदाबाजी कर सके। इस प्रकार कम्पनी पर वित्तीय बोझ में कमी आयेगी। सरकार ने घड़ी व्यापार समूह के लिए 40.00 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी गत बांडों हेतु उनकी गारन्टी की अवधि भी बढ़ा दी। एचएमटी तथा इसकी सहायक कम्पनियों में अतिरिक्त 2085 कर्मचारियों का पृथक्करण करने के लिए श्रम बल का योक्तिकरण करने हेतु 172.17 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता मुहैया करायी गयी थी।

अनाथ और बेसहारा बच्चों का पुनर्वास

6615. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक भूकंप और साम्प्रदायिक हिंसा के कारण अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों का राज्य-वार/घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे अनाथ और बेसहारा बचों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कल्याणकारी उपाय किये हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान और आज की तिथि तक इस संबंध में कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) सभी राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा कार्य न किया जाना

6616. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर राज्यों में आकाशवाणी केन्द्रों को खोले जाने के अलावा, विभिन्न राज्यों में कतिपय आकाशवाणी केन्द्र पिछले कुछ वर्षों से पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों की नियुक्ति के अभाव में इन केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्र कौन-कौन से हैं और इन सभी केन्द्रों में कर्मचारियों को कब तक तैनात किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे का वित्तीय कार्य निष्पादन

6617. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकसित/विकासशील देशों में अन्य रेल विभागों के वित्तीय कार्य निष्पादन की तुलना में भारतीय रेल के वित्तीय कार्य निष्पादन की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या भारत में रेल मार्गों का आकार जनसंख्या के हिसाब से अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा देश के प्रत्येक स्थान को जोड़ने और इन अलाभकारी लाइनों को चलाने का खर्चा वहन करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश के कौन-कौन से क्षेत्र रेलमार्ग से नहीं जुड़े हैं और इन स्थानों पर सभी सुविधाओं सहित रेलमार्गों को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई तुलना नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) देश के अधिकांश भाग रेल नेटवर्क से भली-भांति जुड़े हैं और कुछ और क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य

6618. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन का दोहरीकरण का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) दोहरीकरण कार्य को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है और तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सर्वेक्षण में समय लगा है क्योंकि इसके लिए 900 किमी. से ज्यादा लम्बे मार्ग का विस्तृत अध्ययन किया जाना था। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और इसके 2003-04 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

पटना दूरदर्शन से ग्रामीण कार्यक्रम

6619. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पटना दूरदर्शन केन्द्र से ग्रामीण भाषाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भाषावार अवधि कितनी है;

(ख) क्या उक्त समय-सीमा में वृद्धि किये जाने की कार्य योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान कमीशन श्रेणी के अंतर्गत पटना दूरदर्शन को कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ङ) क्या कमीशन की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और चालू वर्ष के दौरान उक्त श्रेणी के अन्तर्गत कितने कार्यक्रम हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, पटना ग्रामीण दर्शकों के लिए स्थानीय भाषाओं/बोलियों में निम्नानुसार कार्यक्रम प्रसारित करता है:-

(1) ग्रामीण भारत सहित बोलियों में ग्रामीण कार्यक्रम—प्रति सप्ताह 90 मिनट।

(2) (i) भोजपुरी और मगधी—प्रति माह 60 मिनट।

(ii) प्रायोजित कार्यक्रम भोजपुरी महाभारत—प्रति माह 30 मिनट।

(iii) मैथिली एवं मगधी में "कल्याणी" नामक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शून्य

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना

6620. श्री राम विलास पासवानः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में गुर्जर जाति के लोग उक्त जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले दो वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से गुर्जर लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है लेकिन राजस्थान सरकार ने अब तक इसे प्रस्तुत नहीं किया है;

(ग) क्या हाल का सर्वेक्षण गुर्जर लोगों में शिक्षा के प्रतिशत को 0.4 प्रतिशत से कम दर्शाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार की पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाना

6621. डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में नोनियां, मल्लाह, तटवा, तांति और तुरहा जातियों को अति पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या इन जातियों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक दशा अनुसूचित जातियों की सूची में इनके शामिल किये जाने का मजबूत मामला बनाने के लिए स्वयं में पर्याप्त है;

(ग) क्या इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन सतत रूप से ऐसी मांग करता आ रहा है;

(घ) क्या सामाजिक अध्ययन समूहों और राज्य सरकार ने भी इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त पांच जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) दिनांक 13.09.1993 की गजट अधिसूचना के अनुसार नूनिया, नोनिया (नोनियां नहीं) मल्लाह, टट्वा, तांती और तुरहा जातियों को बिहार के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(ख) से (ङ) जनजाति कल्याण अनुसंधान संस्थान, रांची की रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में नूनिया (नूनियां नहीं) समुदाय को शामिल करने के लिए अपनी सिफारिशें भेजी थी परन्तु अपेक्षित नृजातीय ब्यौरे के अभाव में राज्य सरकार से अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार प्रस्ताव की आगे जांच करने हेतु उन्हें भेजने का अनुरोध किया गया है। जहां तक मल्लाह समुदाय का संबंध है, एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक के सिलसिले में बिहार सरकार से अनुसूचित जातियों की सूची में इस समुदाय को शामिल करने के लिए अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है और राज्य सरकार के विचार अभी प्रतिक्षित हैं। बिहार में अनुसूचित जातियों की सूची में तांती, टटवे (टटवा नहीं) तुराहा (तुर्हा नहीं) जातियों को शामिल करने के संबंध में बिहार राज्य सरकार से उनकी टिप्पणियां और आवश्यक नृजातीय ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है। बिहार राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना अभी प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल और गैस का उत्पादन

6622. श्री खगेन दासः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल/गैस के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल/गैस के नए कुओं का पता लगाने में कितनी सफलता मिली है;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का क्या योगदान है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में कच्चे तेल/गैस के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आरम्भ किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) नामतया आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य तथा इनका वास्तविक उत्पादन नीचे दिए गए हैं:-

एनओसी	तेल मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी)		गैस बिलियन घन मीटर (बीसीएम)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ओएनजीसी	144.894	129.050	119.042	117.203
ओआईएल	16.47	16.096	12.86	8.59
योग	161.364	145.146	131.902	125.793

जहां तक निजी/संयुक्त उद्यम (निजी/सं.उ.) कंपनियों का संबंध है, 9वीं योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा तेल एवं गैस का उत्पादन क्रमशः 17.8 एमएमटी तथा 15.7 बीसीएम था।

(ग) 9वीं योजना अवधि के दौरान ओ.एन.जी.सी. ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 110 अन्वेषी कूपों का वेधन किया है, जिसमें से 51 कूप हाइड्रोकार्बनयुक्त हैं। इसी अवधि के दौरान इस क्षेत्र में ओआईएल द्वारा वेधन किए गए 55 अन्वेषी में से 20 कूप हाइड्रोकार्बन का उत्पादन कर रहे हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निजी/सं.उ. कंपनियों के द्वारा किसी अन्वेषी कूप का वेधन अथवा हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई।

(घ) एक मध्यमाकारीय खोजा गया तेल क्षेत्र तथा चार अन्वेषण ब्लाक, नामतया, एएपी-ओएन-94/1, सीआर-ओएन-90/1, एए-ओएन-7 तथा एएस-ओएन-2000/1 निजी कंपनियों को एवार्ड किए गए हैं। खरसांग क्षेत्र से तेल उत्पादन, इस क्षेत्र को सौंपे जाने के समय के प्रति दिन लगभग 30 टन के उत्पादन की तुलना में प्रति दिन लगभग 135 टन है।

(ङ) तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं के माध्यम से मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करने के लिए विशेषकर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने इस प्रयोजनार्थ 15 क्षेत्रों में 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कार्य आरम्भ किया है जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन को त्वरित करने में भी सहायता मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वद्धि करने के लिए एनईएलपी के तीन दौरों के अंतर्गत 70 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) विशेषकर गहरे समुद्र क्षेत्र और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में नए क्षेत्रों के अन्वेषण के लिए और उत्पादनशील क्षेत्रों के गहनतर संस्तरों में अन्वेषण करने के लिए।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर उत्पादनशील क्षेत्रों में उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नयी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए कल्याणकारी योजनाएं

6623. श्री सुबोध राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अंतर्गत उनके मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण, अनुदान आदि अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाये हैं; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों का हिस्सा कितना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना अर्थात् शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों के उन्नयन/स्थापना की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत नियमित रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठों के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा विशेष रोजगार कार्यालयों के संबंध में 80% व्यय की अदायगी केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम स्वरोजगार उद्यमों के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए विकलांग व्यक्तियों को आसान ऋण प्रदान करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

6624. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में गोधरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जनजाति बहुल गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों के आदिवासियों को सौर-ऊर्जा प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे गांवों को कब तक सौर-ऊर्जा प्रदान कर दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) गुजरात विद्युत बोर्ड के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के बाद गोधरा संसदीय चुनाव क्षेत्र के तहत 196 जनजातीय गांव हैं। इन सब जनजातीय गावों का विद्युतीकरण पारम्परिक तरीके से कर दिया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित विद्यालय

6625. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार कितने प्राथमिक और माध्यमिक आवासीय विद्यालय आबंटित किये गये;

(ख) इस वर्ष राज्यवार कितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आबंटित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किये गये बजट प्रावधान का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को 21 प्राथमिक एवं माध्यमिक आवासीय स्कूल आबंटित किए गए हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ख) और (ग) योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है और इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक बजट प्रावधान नहीं है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 (नए मामले) के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय स्कूल प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संगठन का नाम	संगठन का पता	परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	श्री रामकृष्ण शिक्षा संस्थान	बेदाभाथिनागारा, के.एच.बी. कलोनी, हिरियूर-572144, जिला चित्रदुर्गा, कर्नाटक	आवासीय माध्यमिक स्कूल
2.	कर्नाटक	श्री रामकृष्ण शिक्षा संस्थान	बेदाभाथिनागारा, के.एच.बी. कलोनी, हिरियूर-572144, जिला चित्रदुर्गा, कर्नाटक	आवासीय प्राथमिक स्कूल

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र	श्री संत सिरोमणि मनमथ स्वामी शिक्षण प्रसारक मंडल	शेबाद (बी), ताल्लुकः लोहा, जिला, नानदेड,	आवासीय प्राथमकि स्कूल
4.	उड़ीसा	अम्बेडकर कल्याण समिति	एट/पो. बलियापाल, जिला बालाशौर, उड़ीसा	आवासीय माध्यमिक स्कूल
5.	उड़ीसा	डा. अम्बेडकर हरिजन युवा परिषद	एट-नेकुलपतना, पो. गदिसागोदा वाया कनास, जिला पुरी-752017, उड़ीसा	आवासीय माध्यमिक स्कूल
6.	राजस्थान	4 एल.एल. पब्लिक स्कूल समिति	चांदनी चौक, पुरानी अबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान	आवासीय प्राथमिक स्कूल
7.	राजस्थान	आदर्श शिक्षण समिति	117-एच-ब्लाक, श्रीगंगानगर, राजस्थान	आवासीय प्राथमिक स्कूल
8.	राजस्थान	जेक एंड जिल प्रबंध समिति	7-इ चोट्टी, श्रीगंगानगर, राजस्थान	आवासीय प्राथमिक स्कूल
9.	राजस्थान	जनकल्याण शिक्षण समिति	528, मेन रोड, अग्रसेन नगर, जिला - श्रीगंगानगर 335001, राजस्थान	आवासीय प्राथमिक स्कूल
10.	राजस्थान	पब्लिक सेवा समिति	1-ए, चोट्टी एस बलवंत सिंह की धानी श्रीगंगानगर, राजस्थान	आवासीय प्राथमिक स्कूल
11.	राजस्थान	एस.के. पब्लिक सेवा समिति	चांदनी चौक, पुरानी अबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान	आवासीय प्राथमिक स्कूल
12.	राजस्थान	सुमित बाल विद्या शिक्षा विकास समिति	11/बी/3, महावीर नगर-3, कोटा, राजस्थान	आवासीय प्राथमिक स्कूल

वर्ष 2001-2002 (नए मामले) के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय स्कूल प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संगठन का नाम	संगठन का पता	परियोजना का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	मदरस एजुकेशनल सोसाइटी फार रूरल एंड आरफन	11-62-5, बहादुरपेट, श्रीकालाहस्ती, चित्तौर जिला, आंध्र प्रदेश	आवासीय प्राथमिक स्कूल
2.	कर्नाटक	जनानेश एजुकेशन सोसाइटी	मालाभेली, जिला मांडया, कर्नाटक	आवासीय प्राथमिक स्कूल
3.	महाराष्ट्र	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान	सिविल लाइन रिसोद्, जिला वासीम, महाराष्ट्र	आवासीय माध्यमिक स्कूल
4.	महाराष्ट्र	दन्यानोपासक शिक्षण मंडली	दोनदेचा, ताल, सिंधखेडा, जिला धुले-425408, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक स्कूल
5.	महाराष्ट्र	प्रियदर्शनी महिला मंडल	सुभाष नगर, कोरेगांव जिला, सतारा, महाराष्ट्र	आवासीय माध्यमिक स्कूल
6.	महाराष्ट्र	मातोश्री बहुद्देशीय विकास प्रशिक्षण संस्था	नागपुर, मेन रोड, नारखेद, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	आवासीय माध्यमिक स्कूल
7.	महाराष्ट्र	भाग्योदय बहुदेशीय शिक्षण संस्था	चित्राकुट्टी 1-6-7-22, श्री गंगानगर, जिला, नानदेड, महाराष्ट्र	आवासीय माध्यमिक स्कूल
8.	महाराष्ट्र	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल	74, आदर्श कालोनी, देवपुर, धुले, महाराष्ट्र	आवासीय माध्यमिक स्कूल
9.	महाराष्ट्र	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल	74, आदर्श कालोनी, देवपुर, धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक स्कूल

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज

6626. श्री बीर सिंह महतो: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को हाल ही में धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में तेल की तीव्र खोज के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण को हाल में कोई धक्का नहीं लगा है। क्षेत्र में विद्यमान स्थिति की अपेक्षा के अनुसार उचित उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि

6627. श्रीमती रेनू कुमारी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय कल्याणकारी योजनाओं के लिए बिहार जैसे पिछड़े राज्य का हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में कम रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न राज्यों की योजनाओं के लिए संबंधित राज्यों की सिफारिशें प्राप्त न होने की दशा में इन प्रस्तावों को सीधे स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को निधियों की निर्मुक्ति मानदंडों के अनुसार तथा उनसे पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने के आधार पर की जाती है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उनसे पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने पर ही निर्मुक्त की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों को भी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर सहायता दी जाती है। यदि, राज्य सरकार की सिफारिशें दूसरी किस्त की निर्मुक्ति के पूर्व प्राप्त नहीं की जाती है तब मंत्रालय स्वयं अथवा पदनामित एजेन्सियों के माध्यम से निरीक्षण करा सकता है और गैर-सरकारी संगठनों को निधियां निर्मुक्त करता है यदि निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है।

[अनुवाद]

बारूदी सुरंगों को हटाने के कार्य में मारे गए सैनिक

6628. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा और नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगों को हटाने के कार्य में लगे थल सेना के सैनिक इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये बिना बारूदी सुरंगों को हटाने का कार्य आरंभ करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, नहीं। सेना के पास पर्याप्त संरचनात्मक गियर और बारूदी सुरंग हटाने के उपस्कर उपलब्ध हैं, जो ऐसे अग्रवर्ती क्षेत्रों में बारूदी सुरंग हटाने के कार्य में लगी हुई हैं जहां 'आपरेशन पराक्रम' के दौरान बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं।

बारूदी सुरंग हटाने का कार्य, जो प्रकृतितः जोखिम भरा है, में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल ऐसे प्रशिक्षित सेना कार्मिकों को बारूदी सुरंगों की बरामदगी के लिए तैनात किया गया है जिन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थीं और जो इस भू-भाग से परिचित थे। तथापि, मैदान और भू-भाग की प्रकृति/पर्यावरणीय स्थितियों के कारण कुछ बारूदी सुरंगों के अत्यधिक संवेदनशील हो जाने या अपने मूल स्थान से नीचे चले जाने अथवा इधर-उधर खिसक जाने से हताहत होने की घटनाएं होती ही हैं।

(ग) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अत्यधिक उन्नत उपस्करों से मौजूदा संसाधनों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक

कदम उठाए हैं ताकि बारूदी सुरंगें हटाए जाने की इस समय चल रही प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से और तेजी से पूरा किया जा सके।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष परियोजनाएं

6629. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी एजेन्सियां विभिन्न राज्यों में मूक-बधिर और नेत्रहीन लोगों की संस्थाओं को चला रही हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में मूक-बधिर और नेत्रहीन लोगों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) दो शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान नामत: अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई और राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून क्रमश: श्रवण विकलांग और दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने हेतु योजना के अधीन बधिर, मूक तथा दृष्टिहीनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता भी दी जाती है। योजना के अधीन वर्ष 2002-2003 में विभिन्न राज्यों में सहायता प्राप्त ऐसे संगठनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ऐसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु.शोशलजस्टिस.एनआईसी.इन) पर है।

(ख) यह सूचना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नहीं रखी गयी है।

विवरण

राज्य का नाम	2002-2003 के दौरान सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	34
अरुणाचल प्रदेश	1
बिहार	7
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	12
गोवा	1
गुजरात	6
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	32
केरल	6
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	9
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	2
उड़ीसा	7
पांडिचेरी	1
पंजाब	. 8
राजस्थान	5
सिक्किम	1
तमिलनाडु	20
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	21
उत्तरांचल	3
पश्चिम बंगाल	17

खराब रक्षा उपकरणों की आपूर्ति

6630. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस ने अनुबंध का उल्लंघन करते हुए कुछ पुराने, खराब और अनुपयोगी रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है;

(ख) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस मामले को रूस के साथ उठाया गया था और वे दोषयुक्त मदों को बदलने और गुम हो गई मदों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं।

रेलपथ परिवहन योजना

6631. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेल पटरियों में हुई किसी तोड़-फोड़ के संबंध में समय से पता लगाने हेतु रेलपथ परिवहन योजना शुरू करने का है ताकि रेल दुर्घटनाएं रोकी जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। ऐसी कोई रेलपथ परिवहन योजना नहीं है। बहरहाल, पटरी/झलाई की टूट अथवा किसी अन्य कारणों के कारण रेलपथ में रुकावट का पता लगाने की दृष्टि से सतत् रेलपथ परिपथन की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर लगभग 2000 मार्ग किमी पर लगभग 425 करोड़ रु. की लागत पर सतत रेलपथ परिपथन की व्यवस्था स्वीकृत की गई है।

(घ) कार्य के अगले 4-5 वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

वर्तमान विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि

6632. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु में लागू की जा रही एन.सी.ई.एस. की विभिन्न वर्तमान विकास परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित और संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने वर्ष 2002-2003 के दौरान तमिलनाडु को विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विकास के लिए शेष देश के लिए 205.00 करोड़ रु. की तुलना में 3.68 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान तमिलनाडु को शेष देश के लिए 617.88 करोड़ रुपये की तुलना में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा योजनाओं के अंतर्गत कुल 12.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

(ग) और (घ) कार्यक्रमों/योजनाओं के दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। तमिलनाडु से किसी उपयोग न की गई राशि के बारे में सूचना नहीं है। मंत्रालय भी निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसियों तथा अन्य संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं की आवधिक समीक्षा कर रहा है।

मार्शलिंग यार्ड

6633. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी समय पहले मार्शलिंग यार्डों को न बंद कर उन्हें परिचालनात्मक बनाए रखने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले 15 वर्षों के दौरान नियमित रखरखाव किए जाने के अलावा यार्डों में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है;

(घ) क्या उन्हें आधुनिक बनाने के लिए कोई कदम उठाया जाने वाला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश में बड़े, मध्यम और छोटे आकार वाले मार्शलिंग यार्डों की कुल संख्या कितनी है और इस समय उनमें से कितने चालू हालत में हैं और उनमें से कितने बंद हो गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 (रेलवे) की अपनी रिपोर्ट संख्या-9 में यार्डों के आधुनिकीकरण कार्य पर एक अलग अध्याय तैयार किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मार्शलिंग यार्ड वह यार्ड है जहां निकटवर्ती खंडों से आरंभ होने वाली मालगाड़ियां प्राप्त की जाती हैं, उनको क्रमबद्ध किया/छांटा जाता है और एक नई गाड़ी बनाई जाती है और आगे के विभिन्न गंतव्यों की ओर प्रस्थान किया जाता है। इस प्रकार मार्शलिंग यार्ड, रेलवे नेटवर्क पर लदानों का संघटन/पुनर्संघटन, माल यातायात के आवक तथा रवानगी के समन्वय को सरल बनाया जाता है। फुटकर यातायात से ब्लाक रेक अवधारणा में निश्चित रूप से तब्दील होने की नीति से मार्शलिंग यार्ड का महत्व कम हो गया तथा मार्शलिंग यार्ड का आधुनिकीकरण कोई खास प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं रहा। अब प्राथमिकता ब्लाक रेक अवधारणा के आधार पर तथा साथ-साथ मार्शलिंग यार्ड में गतिविधियों जो कि आवश्यकता से ज्यादा है, पर अकुंश लगाकर मार्शलिंग यार्ड को सरल एवं कारगर बनाना है।

(च) सितंबर, 2002 तक भारतीय रेलवे पर 43 मार्शलिंग यार्ड हैं।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

6634. प्रो. रीता वर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन, एनएचपीसी और पावर फाइनैंस कारपोरेशन के किसी अधिकारी ने कभी लोक सभा अथवा राज्य विधान सभाओं का चुनाव लड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ये अधिकारी कौन-कौन से हैं और उन्होंने कौन-कौन से निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है;

(ग) क्या चुनाव लड़ने के लिए किसी अधिकारी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के और चुनाव हारने की दशा में अपने पद पर वापस लौटने के उदाहरण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कानून के अंतर्गत इसकी अनुमति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र देने वाले अधिकारियों द्वारा चुनाव हारने पर उन्हें उनके पदों पर किस कानून के अंतर्गत बहाल किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी फर्मों को तेल की खोज के ठेके

6635. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 2003 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "फोर नेशन्स में बी बार्ड फ्राम अंडमान आयल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष कर विदेशी फर्मों को तेल की खोज संबंधी ठेके देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) किन देशों ने ठेकों में भागीदारी का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि विदेशी कंपनियों को ठेके देते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता न हो?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी), जिसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों से निवेश समेत बड़ी मात्रा में निजी निवेश आकर्षित करना है, एक ऐसा समान कार्यव्यापार क्षेत्र प्रस्तुत करती है जहां दोनों ही अर्थात निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियां, अन्वेषण रकबों के एवार्ड के लिए प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(ग) एनईएलपी के चौथे दौर के विदेशों की प्रतिभागिता प्रस्ताव आमंत्रण नोटिस (एनआईओ) पर निर्भर करती है।

(घ) एनईएलपी-4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली के लिए प्रस्तावित अन्वेषण ब्लाकों को अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात ही शामिल किया जाता है।

कर्नाटक में रायचुर में ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार

6636. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं योजना के दौरान कर्नाटक के रायचुर स्थित ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्र के विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके विस्तार के पश्चात कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 10वीं योजना अवधि के दौरान रायचुर ताप विद्युत संयंत्र के यूनिट-8 को विस्तारित करने की योजना है। यूनिट-8 को विस्तारित करने के कार्य के कार्य की लागत अनुमानतः 664.66 करोड़ रुपये है जिसमें निर्माण कार्य के दौरान का ब्याज भी शामिल है। इस विस्तारित यूनिट से प्रतिवर्ष 1416 मिलियन यूनिट सहित 210 मे.वा. अतिरिक्त विद्युत प्राप्त की जा सकेगी।

कोटा मंडल में रिक्त पद

6637. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1 मार्च, 2003 को "दैनिक भास्कर" के कोटा संस्करण में कोटा मंडल में 623 रिक्त पदों के संबंध में प्रकाशित खबर के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोटा मंडल में रिक्त पदों को भरने का है या इन पदों को समाप्त माना जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन खाली पदों के कारण रेलवे की सुरक्षा और कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख), (ग) और (ङ) विभिन्न कोटियों में 623 रिक्त पदों में से गैंगमैनों के 252 पद तीव्र रेलपथ अनुरक्षण की चल अनुरक्षण इकाई (एमएमयू) विचारधारा के दृष्टिगत नहीं भरे जा सके। इसके अलावा, 371 शेष पदों को सरप्लस/विकोटिकृत पदों की पुनः तैनाती करके तथा रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से नई भर्ती करके भरने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(घ) जी नहीं। रिक्तियों के बावजूद अनुपस्थिति पर नियंत्रण रखकर और उन क्षेत्रों जहां रिक्तियां विद्यमान हैं, के सरप्लस कर्मचारियों का समुचित उपयोग करके और रेलपथ अनुरक्षण कार्य के लिए रेल एवं सड़क वाहन (आरआरवी) की शुरूआत करके अवसंरचना का समुचित अनुरक्षण और सेवा का संतोषजनक स्तर सुनिश्चित किया गया है।

आटो उद्योग में करार

6638. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रक बनाने वाली बड़ी कंपनियों जैसे ए बी वोल्वो, आरडी मोटर कंपनी, डायमलर क्रिसलर एवी और डीजल इंजन बनाने वाली कुमिन्स आई.एन.सी. ने भारत की ओर रुख किया है क्योंकि करीब ट्रिलियन डालर का आटो उद्योग मांग की मंदी से उबरना चाहता है जिस कारण उन्हें मूल्यों में कटौती करनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो आटो पार्टस लेना चाहते हैं और भारतीय आटो पार्ट्स खरीदने के संबंध में जिनके साथ समझौते किये गये हैं;

(ग) भारत की ऐसी इंजीनियरिंग कंपनियों (स्थानीय साफ्टवेयर उद्योगों) के नाम क्या हैं जो इलेक्ट्रानिक पार्ट्स विकसित और डिजाइन कर सकती हैं; और

(घ) हमारी सरकार द्वारा इन कंपनियों के पक्ष में दिये जा रहे प्रोत्साहन के संबंध में ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (घ) उत्तरोतर उदारीकृत अर्थव्यवस्था में अनेक अन्तरराष्ट्रीय आटो विनिर्माताओं जिनमें वोल्वो, डेमलर क्राइसर और क्यूमिंस इंक शामिल है, ने पर्याप्त बजार जोकि देश की पेशकश है को प्राप्त करने के लिए भारत में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना का है। भारत अनेक देशों को आटो कल-पुर्जों का निर्यात कर रहा है और विगत तीन वर्षों के दौरान कल पूर्जों के निर्यात में औसत वृद्धि लगभग 25% रही है। भारत के पास क्षमताओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी है जिसका आटोमोटिव उद्योग के लाभ के लिए लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है। आयात-निर्यात नीति (एक्जिम) के तहत उद्योग को उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त आटोमोटिव इलेक्ट्रोनिक कल-पुर्जों को विकसित और रूपांकित करने वाली कम्पनियों के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।

उपनगरीय रेलगाड़ियों से लगेज रैक का हटाया जाना

6639. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे मुंबई में उपनगरीय रेलगाड़ियों से लगेज रैक को हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि उपनगरीय रेलगाड़ियों से ऐसे रैक हटाये गये तो यह नियम देश भर की सभी रेलगाड़ियों पर लागू होगा; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। रेलवे मुंबई में उपनगरीय गाड़ियों से लगेज रेकों को हटाने पर विचार नहीं कर रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारी और हल्के वाहनों का उत्पादन

6640. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारी और हल्के वाहनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार और वाहनवार कितने भारी और हल्के वाहनों का उत्पादन किया गया;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने वाहनों का निर्यात किया गया और इसमें देशवार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(घ) सरकार द्वारा वाहनों के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) हालांकि, वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र ने वर्ष 2001-02 में 6.70% की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है, इस क्षेत्र ने विगत वर्ष अर्थात 2002-03 के दौरान 25% की धनात्मक वृद्धि-दर की है।

(ख) भारतीय आटोमोबाईल विनिर्माता सोसायटी (एस.आई.ए.एम.) से प्राप्त सूचना के अनुसार हल्के तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों का विगत दो वर्षों में उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-

(संख्या में)

श्रेणी	2001-02	2002-03
मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन	96752	120081
हल्के वाणिज्यिक वाहन	66756	82865

(ग) वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात कई देशों में किया जाता है। भारतीय आटोमोबाईल विनिर्माता सोसायटी (एस.आई.ए.एम.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत दो वर्षों के दौरान, निर्यात की गई वाणिज्यिक वाहनों की संख्या निम्नानुसार रही है:-

(संख्या में)

श्रेणी	2001-02	2002-03
मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन	4824	4804
हल्के वाणिज्यिक वाहन	7046	5900

विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2001-02 के दौरान वाणिज्यिक वाहनों के निर्यात का कुल मूल्य 240.80 करोड़ रुपये तथा यह वर्ष 2002-03 (दिसम्बर 2002 तक) के दौरान 85.27 करोड़ रुपये था।

(घ) आटोमोटिव परीक्षण के आधारभूत ढांचे को बृहद उन्नत बनाने के लिए आटो नीति के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए जिसका उद्देश्य भारत को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आटोमोटिव केन्द्र बनाना है तथा अन्तरराष्ट्रीय आटो मेलों इत्यादि में भाग लेने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन देना, कुछ ऐसे प्रोत्साहन हैं जिनका लक्ष्य वाणिज्यिक वाहनों के निर्यात की वृद्धि में सहायता देना है।

नि:शक्त लोगों के लिए धनराशि

6641. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार नि:शक्त लोगों के लिये प्रतिवर्ष धनराशि देती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात को आवंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विकलांग बंधु योजना के अन्तर्गत और नेत्रहीनों की सहायता के लिये आंध्र प्रदेश को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(च) यति हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाए जा रहे हैं कि आवंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग हो?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, निधियां योजनावार आबंटित की जाती हैं न कि राज्यवार।

(ग) और (घ) शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों का उन्नयन/स्थापना की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता व्यय की प्रतिपूर्ति के स्वरूप का है। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना तथा सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को पूर्व में दिए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

(ङ) से (छ) पिछले दो वर्षों के दौरान विकलांग बंधु योजना के अंतर्गत 10 गैर-सरकारी संगठनों को 19,83,300 रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में विकलांगों का उत्थान

6642. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में बिकलांगों के उत्थान हेतु कितने केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में उपलब्ध कराये गये अनुदान का केन्द्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य द्वारा अनुदान राशि का पूरी तरह उपयोग न किये जाने के कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) वर्ष 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना, सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना तथा जिला पुनर्वास केन्द्र योजना के अंतर्गत वर्षवार राजस्थान में 28 केन्द्रों को दी गई सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्रों का नाम और पता	परियोजना का नाम	राशि (लाख रु. में)		
			2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	बाधित बाल विकास समिति वैशाली नगर, जिला अजमेर, राजस्थान	वाहन की खरीद	0.00	4.49	0.00
2.	नवदीव विकास समिति, सी-6, हसनखान मेवाती नगर, अलवर, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	2.00	5.42
3.	नवदिशा विकास समिति, सी-6, हसनखान मेवाती नगर, अलवर, राजस्थान	भवन निर्माण	5.00	8.50	0.00
		स्कूल-कम-वीटीसी	8.60	10.08	10.65
4.	जीवन निर्माण संस्थान, 1, गोलबाग रोड, भरतपुर-321001, राजस्थान	मूक बधिर के लिए विशेष स्कूल	1.11	2.10	2.32
5.	महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, 470, राजेन्द्र नगर, भरतपुर, राजस्थान	एमआर के लिए स्कूल-कम-वीटीसी	0.00	1.89	0.00
6.	बधिर बाल कल्याण विकास समिति, चतुर क्लीनिक, एम.जी. हास्पिटल रोड, भीलवाडा-311001	बधिर हेतु आवासीय स्कूल	13.38	17.02	14.41
		दृष्टिहीन के लिए विशेष स्कूल	3.70	2.11	1.09
		सहायक यंत्र तथा उपकरणों का वितरण	—	2.00	2.00
7.	सोना विकलांग पुनर्वास एवं शोध संस्थान, अशोक नगर, भीलवाडा-311001, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	4.12	5.29	6.28
8.	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान सेवा विकलांग, सेक्टर 6, हनुमानगढ़ ज.-335512, राज.	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	2.12	5.30
9.	चेतना संवर्धन समिति, सूर्या मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान	एमआर बच्चों के लिए शिक्षा तथा वीटीसी	6.16	11.79	13.38
10.	दीक्षा-सेन्टर फार स्पेशल एजुकेशन-एफ-139, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	8.79	9.52
11.	इंडियन काउंसिल आफ सोशल वेलफेयर सेक्टर नं.6 हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020, राजस्थान	वयस्कों के लिए वीटीसी	8.75	8.01	8.60
12.	जैमिनी शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, सी-234, दयानंद मार्ग, तिलक नगर, जयपुर	विकलांगों के लिए वीटीसी	0.00	0.00	1.58
13.	प्रयास, सेन्टर फार स्पेशल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, 343, लेन नं. 2, राजा पार्क, जयपुर-302004	विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.00	0.00	1.07

1	2	3	4	5	6
14.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, 3780, लंगर के बालाजी का रास्ता, गणगौरी बाजार, जयपुर-302001	दृष्टिहीनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.00	0.99	4.20
15.	सोसायटी फार वेलफेयर आफ मेंटली हैंडीकैप्ड, 36-ए, सूरज नगर (पूर्व), सिविल लाइन्स, जयपुर, राज.	निर्मल विवेक स्कूल व होस्टल	5.13	5.15	5.19
16.	जोधपुर बधिर कल्याण समिति बसनी तम्बोलिया मागरा पुंगला, जोधपुर-342303, राजस्थान	मूक व बधिर के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	0.00	0.48	0.00
17.	सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन, पीओ मानकलाओं-342305, जोधपुर (राजस्थान)	ओएस के लिए शिक्षा तथा वीटीसी	0.00	0.00	3.76
18.	बाधित बाल विकास केन्द्र, 132, स्टेशन रोड, कोटा-324002, राजस्थान	बधिर के लिए होस्टल तथा वीटीसी	0.00	2.90	2.73
19.	श्रद्धालय आश्रम समिति, इन फ्रंट आफ झाला हाउस, सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	सीबीआर प्रोग्राम	0.00	1.84	6.88
		विकलांगों के लिए शिक्षा तथा वीटीसी	1.09	6.25	3.13
20.	टैगोर ग्रामीण उत्थान समिति, 1-डी-4, विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान	विकलांगों के लिए वीटीसी	0.00	1.98	0.00
21.	नव फिरोज एंड नौशिर मेडवानजी रिहेबिलिटेशन सेंटर फार दी ब्लाइंड, इस्ट व्यू, माउंट आबू-307501	दृष्टिहीनों के लिए होस्टल का रखरखाव	0.00	0.57	0.00
22.	एलके सील श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर-335001, राजस्थान	स्कूल/होस्टल के लिए भवन निर्माण	2.00	1.00	0.00
		मूक बधिर के लिए स्कूल-कम-होस्टल	34.16	34.09	21.94
23.	मनोहर बाल मंदिर समिति, 5-डी ब्लाक, श्रीगंगानगर, राजस्थान	समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम	0.00	0.00	3.33
24.	तपोवन मनोविकास विद्यालय, 4, एमएल लिंबावली, नेशनल हाईवे, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर, राजस्थान	होस्टल का निर्माण	0.00	2.50	2.50
		एमआर बच्चों के लिए होस्टल का रखरखाव	—	3.78	4.00
25.	नारायण सेवा संस्थान, 483, हीरन माग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान	सीबीआर कार्यक्रम	0.49	3.75	2.20
		विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	0.00	3.05	0.00
		सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण	60.00	80.00	100.00

1	2	3	4	5	6
26.	प्रयास-प्राचार्य शोध पीत समिति, 30-ए, सी-1, भौपालपुरा, उदयपुर-313001, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	3.15	0.00
27.	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, एसएम एस हास्पिटल, जयपुर	सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण	300.00	300.00	371.00
28.	डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेन्टर, सोशल वेलफेयर डिपार्ट, एमबीएस हास्पिटल कैम्पस, कोटा-324001, राजस्थान	सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण/डीआरसी योजना	16.00	17.92	28.2

[अनुवाद]

किशोर अपराधियों के लिए बाल सुधार गृहों की अनिवार्य स्थापना

6643. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशोर अपराधियों के लिए बाल सुधार गृहों की अनिवार्य स्थापना हेतु "प्रोग्राम आफ जुवेनाइल जस्टिस" के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) स्थापित किये गये अनिवार्य बाल सुधार गृहों की राज्यवार संख्या क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कितने किशोर अपराधियों को सुधारा गया;

(ग) क्या इन अनिवार्य सुधार गृहों के लिये केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) वर्ष 2002-03 के दौरान प्रेक्षण गृहों/किशोर गृहों/विशेष गृहों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1271.99 लाख रु. की राशि प्रदान की गई थी।

(ख) किशोर न्याय संबंधी कार्यक्रम नामक एक योजना के अंतर्गत उपेक्षित तथा अपराधी बच्चों के लिए संस्थाओं की राज्यवार संख्या को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 2002-03 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 38821 संवासियों को सहायता प्रदान की गई।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का प्रस्ताव किशोर तथा प्रेक्षण गृहों के संवासियों के लिए भरण-पोषण अनुदान में वृद्धि करने का है।

विवरण

किशोर न्याय संबंधी एक कार्यक्रम नामक योजना के अंतर्गत उपेक्षित तथा अपराधी बच्चों के लिए राज्यवार संस्थाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रेक्षय गृह	किशोर गृह	विशेष गृह	उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	9	5	2	1	17
2.	असम	7	25	1	1	34
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	–	2
4.	बिहार	10	8	5	2	25

1	2	3	4	5	6	7
5.	गुजरात	22	6	2	14	44
6.	गोवा	2	2	2	—	6
7.	हरियाणा	2	2	1	1	6
8.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1	—	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर					
10.	कर्नाटक	22	19	—	11	52
11.	केरल	12	5	2	—	19
12.	महाराष्ट्र	53	127	3	2	185
13.	मध्य प्रदेश	23	4	3	2	32
14.	मणिपुर	1	2	1	—	4
15.	मेघालय	1	—	—	—	1
16.	मिजोरम	3	3	—	—	6
17.	नागालैंड	—	1	1	—	2
18.	उड़ीसा	12	2	—	—	14
19.	पंजाब	7	2	1	2	12
20.	राजस्थान	11	4	1	—	16
21.	सिक्किम	1	—	—	—	1
22.	तमिलनाडु	14	17	3	3	37
23.	त्रिपुरा	1	1	—	—	2
24.	उत्तर प्रदेश	59	10	1	—	70
25.	पश्चिम बंगाल	10	31	3	10	54
26.	अंडमान एवं निकोबार	—	1	—	—	1
27.	चण्डीगढ़	1	1	1	—	3
28.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—
29.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	2	9	—	—	11
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	1	1	1	1	4
	जोड़	287	290	35	50	662

ओ.एन.जी.सी. द्वारा अपनायी गई संचार की आधुनिक विधियां

6644. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये संचार की आधुनिक विधियों और वीडियो कान्फ्रेंसिंग का प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आधुनिक दूरसंचार और वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग तेल और अपतटीय कारोबार में महत्वपूर्ण कारक है;

(ग) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. और इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा;

(घ) उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी क्या है; और

(ङ) संचार और वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिये ओ.एन.जी.सी. की क्या कार्य-योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रचालनों के कुशल और प्रभावी कार्य संचालन के लिए ओ.एन.जी.सी. के वसुंधरा भवन, मुंबई स्थित कार्यालय और मुंबई हाई उत्तरी क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र और हीरा क्षेत्र के बीच मार्च, 1997 में वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली आरम्भ की गई।

(घ) उन्नत और प्रभावशाली संचार संपर्क के लिए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (टीडीएमए), आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (ओएफसी) वेरी स्माल एपरचयर टर्मिनल (वी-सेट) कु-बैंड आदि सहित कई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं।

(ङ) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को सुकर बनाने के लिए संचार नेटवर्क में तकनीकी और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। ओ.एन.जी.सी. जब भी बड़े अंतराल देखती है, तब इन्हें पाटने के लिए प्रणाली का उन्नयन करती है।

आंथम और मेलूत में सड़क ऊपरिपुलों का निर्माण

6645. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंथम और मेलूत-तेलीचेरी ऊपरिपुल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनायें समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) वर्ष 1997-98 में निक्षेप आधार पर किमी. 711/9-10 पर आंथम रोड के निकट ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया था। रेलवे पुल खास (रेलपथ के ऊपर) का निर्माण कर रही है और वर्तमान प्रगति 69% तक है तथा पहुंच मार्ग का कार्य केरल राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जबकि किमी. 731/14-15 (जगन्नाथ मंदिर) पर समपार सं. 228 के स्थान पर तेलीचेरी में ऊपरी सड़क पुल का कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर 2003-04 में स्वीकृत किया गया है। सामान्य प्रबंधन आरेखन को अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे पुल का कार्य करती है जबकि पहुंच मार्ग का कार्य राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। कार्य पर रेलवे का हिस्सा पहुंच मार्गों के साथ-साथ अथवा पहले पूरा हो जाएगा।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिये नौकरियों में आरक्षण

6646. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शीरीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिये शैक्षिणिक संस्थानों में भी आरक्षण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षण की इस परिधि से बाहर रखा गया है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस नीति का पालन न करने वाले कुछ शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) निशक्त व्यक्ति, 1995 की धारा 39 में यह अपेक्षित है कि सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाएं और अन्य शैक्षिक संस्थाएं निशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% सीटें आरक्षित करेंगी। यह प्रावधान निजी रूप से संचालित शैक्षिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं हैं।

(ङ) से (च) कुछ शैक्षिक संस्थाओं द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में धारा 39 का कार्यान्वयन न करने के संबंध में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। दोनों अभ्यावेदन निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय को भेज दिए गए हैं और ये न्यायालय के विचाराधीन भी हैं।

राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान का विलय

6647. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान और नेत्रहीन लोगों संबंधी राष्ट्रीय संस्थान का विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसे विलय से उपरिशीर्ष संबंधी व्यय में कमी आएगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संभावित विलय पर किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह विलय किस तारीख तक होगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समस्त देश में जिला पुनर्वास केन्द्र

6648. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समस्त देश में जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) अभी तक कितने जिलों को कवर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान जिलावार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ङ) क्या ऐसे जिला पुनर्वास केन्द्रों के सम्बंध में कोई लागत/लाभ अध्ययन किया गया है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या ऐसे केन्द्रों की उपयोगिता की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) 10 राज्यों में भिवानी (हरियाणा), भुवनेश्वर (उड़ीसा), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), चेंगलपट्टी (तमिलनाडु), कोटा (राजस्थान), जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), विरार (थाने जिला-महाराष्ट्र), मिदनापुर (पश्चिम बंगाल), मैसूर (कर्नाटक), तथा विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के जिलों में 11 जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान 11 डी.आर.सी. को निर्मुक्त सहायता अनुदान नीचे दिया गया है:-

(रुपया लाख में)

1.	डी.आर.सी., भिवानी	रु. 26.90
2.	डी.आर.सी., बिलासपुर	रु. 19.90
3.	डी.आर.सी., भुवनेश्वर	रु. 29.90
4.	डी.आर.सी., चेंगलपट्टी	रु. 15.95
5.	डी.आर.सी., कोटा	रु. 19.28
6.	डी.आर.सी., जगदीशपुर	रु. 11.90
7.	डी.आर.सी., मिदनापुर	रु. 36.90
8.	डी.आर.सी., सीतापुर	रु. 45.90
9.	डी.आर.सी., मैसूर	रु. 34.90
10.	डी.आर.सी., विरार	रु. 33.90
11.	डी.आर.सी., विजयवाड़ा	रु. 35.90
	कुल	रु. 311.33

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) डीआरसी. के निष्पादन/कार्यकलापों के सम्बन्ध में रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि ये संतोषजनक ढंग से कार्य करा रहे है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का रख-रखाव

6649. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सैनिक यातायात के अतिरिक्त रक्षा परिवहन के प्रयोग हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-52 की मरम्मत, रख-रखाव और संवर्धन हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-37 ए से जमुगुरी वाया चौकीघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को पुन: मिलाने सहित चौकीघाट पर जियाभारली नदी के ऊपर पुल निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) असम राज्य में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के भाग को मई, 2002 में जब सीमा सड़क संगठन ने राज्य सरकार से अपने हाथ में लिया था तो उसके अनुरक्षण की स्थिति बड़ी खराब थी। गड्ढों की मरम्मत, संरचना के संरक्षण, ह्यूम पाइप के छोटे पुलों की मरम्मत, लकड़ी के पुलों की मरम्मत और स्थायी पुलों तक के पहुंच-मार्गों की मरम्मत करने के संबंध में तब से तात्कालिक पुनर्स्थापना प्रयास किए गए हैं। सीमा सड़क संगठन अन्य पुनर्स्थापन उपायों के साथ-साथ इस राष्ट्रीय मार्ग को डबल-लेन विनिर्दिष्ट के रूप में वर्ष 2003-04 से अपग्रेड करने का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से शुरू कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के अरुणाचल प्रदेश में आने वाले भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग (सिंगल लेन) विनिर्दिष्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(ख) प्रस्तावित कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अभी तक सीमा सड़क संगठन को सौंपा नहीं गया है।

जेपोर-नवरंगपुर के बीच नई बड़ी लाइन का सर्वेक्षण

6650. **श्री परसुराम माझी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में जेपोर-नवरंगपुर के बीच नई बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) उक्त परियोजना का कार्य कब तक शुरू करने तथा पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कार्य पूरा होने का संशोधित लक्ष्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। बहरहाल, सर्वेक्षण का फील्ड कार्य पूरा हो गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्षेत्रीय रेलवे पर बड़ी संख्या में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इन्हें चरणबद्ध आधार पर पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की संभावना है।

छावनी बोर्ड अधिनियम में संशोधन

6651. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम में संशोधन करने में कोई बाधा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी छावनी बोर्डों को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा छावनी क्षेत्र में पर्याप्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं;

(च) क्या अधिकांश छावनी बोर्ड सिविल सदस्य के बिना कार्य कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक छावनी बोर्ड में सिविल सदस्य चुनने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) छावनी बोर्डों हेतु चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री. जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) नया छावनी अधिनियम तैयार करने के लिए व्यापक कवायद की गई है, जिसके लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय से इसके संरूपण का कार्य शीघ्रता से करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) सिविल सदस्यों के मनोनयन के संबंध में छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत् उपयुक्त कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है। नया छावनी अधिनियम तैयार करने की कवायद को देखते हुए, छावनी बोर्डों के चुनाव नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

6652. श्री जी.एस. बसवराजः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सारे देश में गत तीन वर्ष और आज की तारीख के अनुसार राज्यवार राज्य विद्युत बोर्डों को कितना घाटा हुआ है;

(ख) इन घाटों हेतु जिम्मेवार मुख्य कारक कौन से हैं;

(ग) कृषि क्षेत्र को राजसहायता और प्रति राजसहायता दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे घाटे को रोकने हेतु क्या कदम उठाए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मार्च 2002 तक राज्य विद्युत बोर्डों (एसइबी) की संचयी वाणिज्यिक हानियां, सब्सिडी के बिना, 33,177 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया था। सब्सिडी के बिना वाणिज्यिक हानियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी हानियों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण ये हैं-विद्युत की चोरी, उच्च तकनीकी हानियां, यूटिलिटियों में कार्मिकों की अधिकता, कम मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रह, असंगत टैरिफ तथा राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडियों का भुगतान न किया जाना।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान 239.92 पैसा प्रति यूनिट समग्र औसत टैरिफ की तुलना में अनुमानित घरेलू तथा कृषि टैरिफ क्रमशः 195.62 तथा 41.56 पैसा प्रति यूनिट थी।

(घ) विद्युत मंत्रालय ने 27 राज्यों के साथ विद्युत सेक्टर सुधार संबंधी राज्य विशिष्ट समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए हैं। नए त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार आमूल चूल परिवर्तन हेतु लक्षित वितरण सर्किलों में विशिष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों को मिलने वाले अनुदान को हानियों में वास्तविक कमी से जोड़ा जाए। त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों की विगत देयताओं के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से राज्य यूटिलिटियों को पर्याप्त राहत भी प्रदान की गई है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों के लाभ/हानि 2001-2002
(वार्षिक योजना)

क्र.सं.	रा.वि. बोर्ड	बिना सब्सिडी के
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश (एपीएसईबी/एपीट्रांस्को)	-2820
2.	असम	-370
3.	बिहार	-753
4.	दिल्ली (डीवीबी)	-1092
5.	गुजरात	-3491
6.	हरियाणा	-1949
7.	हिमाचल प्रदेश	-48
8.	जम्मू व कश्मीर	-1141
9.	कर्नाटक	-2340
10.	केरल	-1354
11.	मध्य प्रदेश	-3682
12.	महाराष्ट्र	-3527
13.	मेघालय	-49

1	2	3
14.	उड़ीसा (ओएसईबी/ग्रिडको)	-230
15.	पंजाब	-1633
16.	राजस्थान (ट्रांस्को)	-2412
17.	तमिलनाडु	-2510
18.	उत्तर प्रदेश (पावर कारपोरेशन)	-2687
19.	पश्चिम बंगाल	-1086
	कुल	-33177

स्रोत: योजना आयोग दस्तावेज।

बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अविभाजित राज्यों के आंकड़े दर्शाते हैं।

कोलकाता दूरदर्शन के चूककर्ताओं को दूरदर्शन कार्यक्रम देना

6653. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री सुनील खां:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता दूरदर्शन केन्द्र के दस सबसे बड़े चूककर्ताओं पर राष्ट्रीय राजकोष का लगभग 10 करोड़ रुपये बकाया होने और उनके विरुद्ध अनेक मामले लंबित होने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संविदा के बिना कार्यक्रम दिखाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या अधिक रेटिंग होने तथा कोई बकाया न होने के बावजूद 'अंतराले' को अपने धारावाहिकों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) अधिक रेटिंग वाले और कोई उनके विरुद्ध बकाया राशि न होने वाले निर्माताओं के धारावाहिकों/कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की स्थिति

6654. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 वर्षों से अधिक समय से नि:शक्तता अधिनियम लागू होने के बावजूद, लाखों नि:शक्त व्यक्तियों विशेषकर मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वास्तव में थोड़ा बहुत ही काम हुआ है;

(ख) शारीरिक नि:शक्तता और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) (एक) शारीरिक नि:शक्त और (दो) मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु क्या विशेष योजनाएं बनाई गई और वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार की योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई तथा वर्ष 2003-04 में इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 1991 में एक सर्वेक्षण के माध्यम से अनुमान लगाया था कि कुल जनसंख्या का 1.9% किसी न किसी शारीरिक अथवा संवेदनात्मक विकलांगता से पीड़ित है। बच्चों (0-14 वर्ष आयु) के एक अलग सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 3% देर से मानसिक विकास से ग्रस्त है।

(ग) (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में स्थापित छ: राष्ट्रीय संस्थानों/शीर्ष स्तरीय संस्थाओं को सहायता दे रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास के लिए कार्य करते है, पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करते है और कार्यात्मक अनुसंधान आदि करते है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) जो इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, विकलांग व्यक्तियों को गुणवत्ता

वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करता है और उनकी उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देता है। वर्ष 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) स्व-रोजगार तथा आय सृजक कार्यकलापों के लिए आसान शर्तों पर विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(2) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने के लिए योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं। वर्ष 2000 में स्थापित आटिज्म प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और इन व्यक्तियों की देखभाल एवं संरक्षण के उपायों को भी, उनके माता-पिता तथा अभिभावकों की मृत्यु होने की दशा में, बढ़ावा देता है। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 विकलांग व्यक्तियों के शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों में 3% के आरक्षण तथा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अभिज्ञात पदों में 3% आरक्षण की व्यवस्था करता है।

(3) वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए योजना तथा गैर योजनाओं पर किए गए व्यय तथा वर्ष 2003-04 के लिए परिव्यय की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	योजना व्यय				गैर योजना व्यय			
		2001-01	2001-02	2002-03	2003-04 के लिए आवंटन	2001-01	2001-02	2002-03	2003-04 के लिए आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता	1.12	1.55	1.80	3.00	2.20	2.42	2.66	2.66
2.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	2.60	2.76	4.00	6.50	3.30	3.63	3.99	3.99
3.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग, मुम्बई	2.63	2.61	5.80	7.50	3.52	3.94	4.25	4.25
4.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण संस्थान, कटक	3.60	3.60	6.00	7.00	3.08	3.30	2.26	3.57
5.	विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली	1.35	1.35	2.00	3.00	3.08	3.64	3.72	3.72
6.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	3.32	3.49	5.75	8.50	1.98	2.18	2.39	2.39
7.	राष्ट्रीय बहुविकलांग संस्थान	0.00	0.00	0.00	1.00	—	—	—	—
8.	कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर	0.00	5.40	2.20	1.00	2.00	2.20	—	—
9.	भारतीय मेरूदंड क्षति केन्द्र	2.30	2.07	3.00	3.50	—	—	—	—
10.	भारतीय पुनर्वास परिषद	3.75	2.20	4.00	3.00	0.71	0.80	0.85	0.85
11.	विकलांग व्यक्तियों को रोजगार	0.97	1.53	1.49	2.00	—	—	—	—
12.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	0.00	0.00	10.00	10.00	—	—	—	—
13.	मानसिक अवरूद्रताग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास	44.00	51.00	1.00	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं	4.01	8.71	9.66	6.75	—	—	—	—
15.	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय	0.27	0.77	0.90	—	—	—	—	0.90
16.	मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	0.30	1.03	0.86	1.80	—	—	—	—
17.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना	62.12	60.71	75.58	75.00	—	—	—	—
18.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता की योजना	29.01	43.41	57.00	55.00	—	—	—	—
19.	विकलांग बच्चों के लिए यूएनडीपी वित्तपोषित सहायता	0.18	0.93	2.01	1.00	—	—	—	—
20.	जिला पुनर्वास केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.63	4.20	4.20
21.	विकलां व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम	55.52	43.61	0.00	—	—	—	—	—
22.	द्विपक्षीय करार	0.00	0.00	0.00	—	7.82	8.00	7.00	3.82
23.	विविध योजनाएं								
	(i) आई टी योजना	—	0.86	0.50	0.25	—	—	—	—
	(ii) अन्य	0.78	0.45	0.50	0.75	—	—	—	—
24.	नई योजनाएं								
	(i) पुनर्वास विज्ञान आदि सम्बंधी कालेज	—	—	—	1.00	—	—	—	—

*यह योजना वर्ष 2003-04 से गैर योजना को हस्तांतरित कर दी गई है।

**एक राज्य क्षेत्र योजना है जिसका वित्तपोषण राज्यों द्वारा दसवीं योजना तथा इसके बाद किया जाना हैं।

[हिन्दी]

सांभर नमक झील की इक्विटी में कमी

6655. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सांभर झील में अपनी 74 प्रतिशत इक्विटी को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सुविधाएं/वित्तीय छूट देनें का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) राज्य के हित में उक्त झील का नियंत्रण राज्य सरकार को कब तक सौंपे जाने की संभावना हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) और (ख) सांभर साल्टस लिमिटेड (एसएसएल) में इक्विटी का विनिवेश, विनिवेश मंत्रालय के विचाराधीन हैं। एसएसएल में इक्विटी की प्रतिशतता कम करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) सांभर साल्टस लिमिटेड का उत्पादन, सांभर लेक क्षेत्र पर निर्भर करता है, तथा सांभर लेक का भविष्य विनिवेश की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

गुजरात में सर्कुलर रेल सेवा

6656. श्री मानसिंह पटेल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में अनेक स्थानों पर सर्कुलर रेल सेवा शुरू करने हेतु प्रस्ताव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) अहमदाबाद के चारों ओर सर्कुलर गाड़ियां चलाने के लिए गुजरात चेम्बर आफ कामर्स, अहमदाबाद के श्री भावेश शाह के अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले की जांच की गई परन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

झारखंड के गांवों का विद्युतीकरण

6657. प्रो. दुखा भगत:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य में विद्युतीकरण कार्य की प्रगति बहुत असंतपजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य में जिले-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) जिले-वार कितने गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसइबी) वर्ष 2001 में ही मामूली श्रमशक्ति के साथ अस्तित्व में आया है। इसलिए, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए जरूरी सामग्रियों की यथासंभव प्राप्ति गत दो वर्ष के दौरान नहीं की जा सकी। इसी कारण झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति धीमी रही।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान 1308 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिले-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं।

(घ) झारखंड राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के तहत 2819 लाख रुपए और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के तहत 337.60 लाख रु. की राशि वर्ष 2001-02 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त, झारखंड राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान एमएनपी योजना के तहत 6800 लाख रु. की राशि और पीएमजीवाई योजना के तहत 1116.90 लाख रु. की राशि दी गयी थी।

(ङ) झारखंड राज्य में कुल 29,336 आबादी गांवों में से 22,920 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना अब भी शेष है। गैर विद्युतीकृत गांवों के जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण I

झारखंड राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की जिले-वार संख्या

क्र. सं.	जिला	2001-02 के दौरान विद्युतीकृत	2002-03 के दौरान विद्युतीकृत
1	2	3	4
1.	रांची	26	65
2.	कोडरमा	29	52
3.	चतरा	8	14
4.	हजारीबाग	52	97
5.	बोकारो	37	78
6.	धनबाद	73	105
7.	सिंहभूम (पूर्व)	42	50
8.	सिंहभूम (पश्चिम)	12	13
9.	सरायकेला	30	25
10.	गिरीडीह	42	54
11.	देवधर	25	90
12.	गोड्डा	15	19
13.	साहेबगंज	9	6

1	2	3	4
14.	डुमका	9	23
15.	जामतारा	46	22
16.	पाकुर	17	3
17.	गुमला	3	13
18.	सिमडेगा	शून्य	2
19.	लोहरदग्गा	1	5
20.	पलामू	24	19
21.	लातेहार	8	शून्य
22.	गरवा	29	16
	कुल	537	771

विवरण II

दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य में गैर विद्युतीकृत गांवों की जिले-वार संख्या

क्र. सं.	जिला	गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकरण के लिए शेष गांव
1	2	3	4
1.	रांची	2146	1756
2.	कोडरमा	1033	733
3.	चतरा	1287	1097
4.	हजारीबाग	1025	630
5.	बोकारो	628	320
6.	धनबाद	1098	270
7.	सिंहभूम (पूर्व)	1612	1106
8.	सिंहभूम (पश्चिम)	2299	1729
9.	सरायकेला		
10.	गिरीडीह	2451	1581
11.	देवधर	2666	2187
12.	गोड्डा	1881	1641
13.	साहेबगंज	1302	1205
14.	डुमका	3776	3354
15.	जामतारा		
16.	पाकुर	1121	1028
17.	गुमला	938	817
18.	सिमडेगा	425	407
19.	लोहरदग्गा	350	301
20.	पलामू	1681	1412
21.	लातेहार	756	727
22.	गरवा	861	619
	कुल	29336	22920

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

6658. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्डों को इस समय कितना वार्षिक घाटा हो रहा है;

(ख) उक्त राज्यों में विद्युत की वर्तमान खपत कितनी है और वे अपने संसाधनों द्वारा कितना विद्युत उत्पादन करते हैं;

(ग) वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनसे शेष विद्युत की आपूर्ति की जाती है; और

(घ) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों द्वारा विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें केन्द्र सरकार का क्या योगदान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 2001-02 वार्षिक योजना आंकड़े के दौरान आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के विद्युत यूटिलिटियों की वाणिज्यिक हानियां क्रमशः 2820 करोड़ रु. तथा 2340 करोड़ रु. थी।

(ख) वर्ष 2002-03 के लिए आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में वर्तमान विद्युत खपत और उनके निजी संसाधनों से उत्पादित विद्युत का प्रतिशत निम्नानुसार है-

राज्य	सभी आंकड़े मि. यूनिट में		
	खपत	राज्य का अपना उत्पादन	खपत में निजी उत्पादन का %
आंध्र प्रदेश	44049	35496	81
कर्नाटक	29084	19920	68

(ग) आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक को शेष ऊर्जा केंद्रीय क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों में उनके हिस्से और अन्य राज्यों से आयात के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2002-03 में द्विपक्षीय आधार पर उड़ीसा और कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से विद्युत का आयात किया।

(घ) आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की विद्युत जरूरत को पूरा करने के लिए 10वीं योजना के दौरान राज्य/निजी क्षेत्रों में क्रमश: 3055.20 मेगावाट तथा 1297 मेगावाट क्षमता संवृद्धि की कार्यक्रम बनाया गया है।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से अपने हिस्से के आबंटन के लिए पात्र हैं।

[हिन्दी]

विकलांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

6659. **डा. अशोक पटेल:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा जारी रखने के इच्छुक विकलांग छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ष कितने विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 2002-2003 से शुरू की गई है। इसके अधीन कम से कम एक वर्ष की अवधि के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से मासिक आय 15,000/-रु. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि दिवा छात्र के लिए 400/- रु. प्रतिमाह से लेकर छात्रावासी छात्रों के लिए 1,000/- रु. प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न है। यह योजना मंत्रालय की वेब साइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सोशलजस्टिस.एनआईसी.इन) में शामिल है।

(ग) प्रत्येक वर्ष 500 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है।

(घ) यह योजना विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय निधि का उपयोग करके चलायी जा रही है।

[अनुवाद]

नव-बौद्धों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने संबंधी विधान

6660. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:**
श्री ए.सी. जोस:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मई 1990 में नव बौद्धों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु विधान पारित करते समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार दलित ईसाईयों और दलित मुसलमानों को भी यही दर्जा देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इतने वर्षों तक उक्त आश्वासन को लागू न करने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) दिनांक 29 मई, 1990 को राज्य सभा में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 पर चर्चा के दौरान माननीय मंत्री, श्रम तथा कल्याण ने यह उल्लेख किया था कि ईसाई तथा मुस्लिम दोनों धर्मों के परिवर्तित अनुसूचित जातियों के मामले पर विचार किया जाएगा।

(ख) सरकार द्वारा भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के परामर्श से अनुसूचित जातियों की सूची में ईसाई धर्म परिवर्तित अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के मुद्दे से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया और इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ। तदनुसार दिनांक 08.03.1996 को राज्य सभा में दिए गए एक आश्वासन के मामले में दिनांक 31.07.2002 को सरकारी आश्वासन संबंधी समिति को भी सूचित कर दिया गया है। जहां तक अनुसूचित जातियों की सूची में प्रस्ताव का संबंध है भारत के महापंजीयक से जबकि मत प्राप्त हो गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से मत की प्रतीक्षा है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी की फालतू भूमि का उपयोग

6661. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री कमलनाथ:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अप्रैल, 2003 के 'द स्टेट्समैन' में ''एआईआर्स नो मैन्स लैंड लाइज अनयूज्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देशभर में दूरदर्शन/आकाशवाणी की अनेक वर्गमीटर फालतू भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी भूमि के समुचित उपयोग हेतु क्या ठोस योजनाएं बनाई गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

6662. श्री चिंतामन वनगा:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ अनुदान सहायता के रूप में दी गई धनराशि का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गैर-सरकारी संगठन-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	प्रजा अभुयादया सेवा समिति, आ.प्र.	आवासीय स्कूल तथा शिल्प केन्द्र	मंत्रालय के जांच अधिकारियों द्वारा शिकायत में कोई सत्यतता नहीं पाई गई।
2.	पेडा प्रजाला सेवा समिति, चित्तौर, आ.प्र.	आवासीय स्कूल, टाइप एंड शार्टहैंड और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से विस्तृत जांच रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया है।
3.	पश्चिम बंगाल एससी, ट्राइब्स एंड मानिटरी वेलफेयर एसोसिएशन, मिदनापोर, पश्चिम बंगाल	आईटीआई एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर	मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा शिकायत में कोई सत्य नहीं पाया गया।

1	2	3	4
4.	श्री दुर्गा शिक्षा समिति, चित्तौर, आ.प्र.	शिल्प केन्द्र	इसका निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण हल द्वारा किया गया और संगठन को काली सूची-बद्ध किया गया।
5.	हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली	तमिलनाडु तथा उड़ीसा में आवासीय स्कूल	तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्य सरकारों से विस्तृत जांच तथा रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया है।
6.	श्री साई महिला मंडली प्रकाशम, आ.प्र.	गैर आवासीय स्कूल	मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा शिकायत सत्य नहीं पाया गया।
7.	महालक्ष्मी महिला समिति, धेनाकानाल, उड़ीसा	शिल्प केन्द्र	उड़ीसा राज्य सरकार से विस्तृत जांच तथा रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया है।
8.	आयुष फाउंडेशन, डी/4, पंचवटी अपार्टमेंटस, पंचवटी क्रास रोड, इलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात	शिल्प केन्द्र	इस मंत्रालय के अधिकारी को परियोजना की जांच करने के लिए तैनात किया गया है।

विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना हेतु आवंटित धनराशि

6663. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2000-2003 के दौरान विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को दी गई वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्यों ने विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना में अपना अंश दे दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) राज्य सरकारें क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत निधियों के निर्धारण द्वारा विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना तैयार करती हैं। केन्द्र सरकार विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना के प्रति विशेष केन्द्रीय सहायता को निर्मुक्ति राज्य सरकारों की विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय योजना के योगज के रूप में करती है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(क) ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त, विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना के प्रति, विशेष केन्द्रीय सहायता

(रु. करोड़ में)

वर्ष	एससीपी को एससीए	एससीए को टीएसपी
2000-2001	450.39	400.00
2001-2002	452.51	500.00
2002-2003	434.04	500.00

(ख) से (घ) ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश को विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना के प्रति निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता तथा राज्य योजनाओं में एससीपी और टीएसपी के लिए आवंटन

राज्यों के नाम	एससीपी को एससीए			टीएसपी को एससीए			राज्य योजना में एससीपी हेतु आवंटन			राज्य योजना में टीसीपी हेतु आवंटन		
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2000-2001	2001-2002	2002-2003
गुजरात	15.22	12.28	5.60	31.40	39.31	39.31	309.76	211.40	252.18	838.89	445.44	778.99
राजस्थान	37.39	30.05	34.23	29.15	36.50	36.50	673.92	718.43	895.73	246.56	366.27	345.07
आंध्र प्रदेश	37.20	35.52	72.16	21.83	27.33	27.33	450.51	406.72	870.00	93.52	608.54	उ.न.
महाराष्ट्र	27.22	33.14	10.27	29.75	37.24	37.24	508.55	550.00	530.27	525.00	567.00	उ.न.
मध्य प्रदेश	17.20	11.48	25.98	62.57	78.33	78.33	432.73	466.33	611.79	566.95	631.20	867.66

सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ का संरक्षण

6664. श्री जे.एस. बराड़: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और कामगारों को सेवानिवृत्ति लेने के लिए आकर्षित करने हेतु उनके सेवानिवृत्ति लाभों को संरक्षण देने अथवा आकर्षक क्षतिपूर्ति देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पर होने वाले व्यय का वहन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सरकार द्वारा किया जाएगा; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और कामगारों को किस प्रकार अन्य संगठनों में खपाया जाएगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकार ने मई, 2000 तथा नवम्बर, 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत मुख्यत: वित्तीय रूप से सशक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में विचलन कर सकते हैं तथा उन्हें लागू कर सकते हैं, परंतु किसी भी मामले में प्रतिपूर्ति पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के 60 दिनों के वेतन अथवा शेष सेवा के महीनों के वेतन, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। आंशिक रूप से लाभ अर्जित करने वाले अथवा घाटा उठाने वाले उद्यम गुजरात राज्य में लागू योजना के आधार पर तैयार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिपूर्ति में पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के 35 दिनों का वेतन तथा अधिवर्षिता तक शेष बची सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों का वेतन शामिल है। रुग्ण तथा अक्षम एककों के लिए भारी उद्योग विभाग का स्वैच्छिक पृथक्करण पैकेज अपनाया जाए, जिसमें कोई कर्मचारी पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभ के समकक्ष अनुग्रह राशि के भुगतान अथवा शेष सेवा के शेष महीनों के समकक्ष मासिक परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, का पात्र होगा। नवम्बर, 2001 में और उदारीकृत योजना के अंतर्गत कर्मचारी गुजरात प्रणाली अथवा भारी उद्योग के स्वैच्छिक पृथक्करण पैकेज के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी 1.1.87 तथा 1.1.92 के स्तर के वेतनमानों पर हैं, उनके संबंध में अनुग्रह राशि का भुगतान मौजूदा योजना के अनुसार उनके वर्तमान वेतनमानों पर परिकलित किया जाएगा तथा उनमें क्रमश: 100% तथा 50% की वृद्धि की जाएगी।

(घ) कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना विनिवेश/निजीकरण नीति का एक अनिवार्य अंग है। सौदा करारों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाता है कि विनिवेश/निजीकरण के पश्चात एक वर्ष तक कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी तथा इसके बाद भी सरकारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा कंपनी की स्वयं की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इनमें से जो भी लाभकारी हो, के अंतर्गत पृथक्करण संभव है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को अधिकारिता

6665. श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं की अधिकारिता हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय की गई धनराशि कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) सरकार अन्य पिछड़े वर्गों जिनमें महिला लाभार्थी शामिल हैं के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है:-

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति।

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास।

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग।

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता; और

(6) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अपनी विभिन्न ऋण योजनाओं के अलावा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं (ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000/- रु. और शहरी क्षेत्रों में 27,500/- रु. से कम वार्षिक पारिवारिक आय) के लिए नयी स्वर्णिमा योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है। योजना के अन्तर्गत निगम अन्य पिछड़े वर्गों की पात्र महिला लाभार्थियों को राज्य माध्यम एजेन्सियों के जरिए 4% की रियायती ब्याज दर पर 50,000/- रु. तक का ऋण देता है। निगम 95% ऋण धनराशि देता है और राज्य माध्यम एजेन्सियां 5% का अंशदान करती हैं। चुकौती की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है।

(ग) लक्षित समूहों के लिए इन योजनाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई और प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

योजना का नाम	व्यय की गई राशि 2000-01	2001-02	2002 03	2003-04 में खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि
अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	6.00	17.40	18.74	17.00
अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	8.99	21.96	28.42	23.99
अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास	5.00	11.45	14.33	13.00
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहायता	1.57	3.80	4.80	5.00
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग	0.01	0.65	0.17	6.40**
एनबीसीएफडीसी	87.01	119.35	135.93	120.00

निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्णिमा योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की महिला लाभार्थियों को 25.80 करोड़ रु. संवितरित किए हैं।

**अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबंधित लाभग्राहियों पर प्रस्तावित व्यय।

रसोई गैस का आयात

6666. **श्री रामजी लाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु इसका आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के दौरान आयातित रसोई गैस की वर्ष-वार मात्रा कितनी है;

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आयातित रसोई गैस की मात्रा अलग-अलग कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान निजी/सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा रसोई गैस की खरीद वर्ष-वार किन मूल्यों पर की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान आयातित एलपीजी की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (टीएमटी में)
2000-01	853
2001-02	659
2002-03 (अनंतिम)	1061

(ग) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आयातित एलपीजी की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	सार्वजनिक	मात्रा (टीएमटी में) निजी
2000-01	674	179
2001-02	481	178
2002-03 (अनंतिम)	865	196

(घ) औसत मूल्य, जिस पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ऊपर दिए गए प्रत्येक वर्ष में एलपीजी खरीदी गई थी, नीचे दिया गया है:-

वर्ष	रुपए/एमटी
2000-01	15,623
2001-02	12,328
2002-03 (अनंतिम)	18,127

[अनुवाद]

तंबाकू उत्पाद विधेयक

6667. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तंबाकू उत्पाद विधेयक सिगरेट और अन्य तंबाकू निर्माता कंपनियों द्वारा खेलकूद और एथलैटिक स्पर्धाओं को प्रायोजित करने से निषेध करता है;

(ख) क्या यह प्रतिबंध प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर लागू होता है;

(ग) क्या दूरदर्शन ने बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय तंबाकू कंपनियों द्वारा समर्थित और प्रायोजित 2003 एफ.आई.ए. फार्मूला 1 की सभी 16 रेसों का सीधा प्रसारण करने के लिए अधिकार प्राप्त किए हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन द्वारा बड़ी तंबाकू कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित एफ 1 के प्रसारण का निर्णय तंबाकू उत्पाद विधेयक के खंड 4(1), 4(2क) का उल्लंघन करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने इस स्पर्द्धा के आयोजन के अधिकारधारक डब्ल्यू.एस.एंड आर.एफ. (वैलेस स्पोर्टस एंड रिसर्च फाउन्डेशन) के जरिए फार्मूला-1 2003 के प्रसारण की मंजूरी दी है। दूरदर्शन पर इस स्पर्द्धा के आयोजन के प्रसारण को किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू कंपनी द्वारा प्रायोजित नहीं किया जाता है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इसे किसी तम्बाकू कम्पनी द्वारा प्रायोजित नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

6668. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिला क्षेत्र में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में 500 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु काफी पहले एक सर्वेक्षण किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति क्या है और योजना के कार्यान्वयन में हुए इस अत्यधिक विलंब के क्या कारण है; और

(ङ) इस कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

6669. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अब तक अन्य एशियाई देशों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन में की गई प्रगति के बराबर प्रगति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में व्यावहारिक नीति की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (घ) कुछ अन्य एशियाई देशों की तुलना में अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन में भारत ने विशेष प्रगति की है। एशियाई देशों के बीच भारत का पवन विद्युत में पहला, बायोगैस संयंत्रों तथा प्रकाशवोल्टीय में दूसरा और सौर जल तापकों में तीसरा स्थान है। यहां अक्षय ऊर्जा के संवर्धन के लिए एक नीति पहले से ही विद्यमान है और मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत बहुत से राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

बिहार में रेल परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त आबंटन

6670. **श्री राजो सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में चल रही रेल परियोजनाओं के व्यय में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त आबंटन की कोई मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं हेतु संस्वीकृत धन की मात्रा परियोजनावार कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) बिहार में चल रही परियोजनाओं के संबंध में 2003-04 के लिए परिव्यय का ब्यौरा तथा चालू परियोजनाओं के पूरा होने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, नीचे दी गई है:-

	परियोजना का नाम	2003-04 के लिए परिव्यय (करोड़ रुपयों में)	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
नई लाइनें			
1.	आरा-सासाराम	16.00	सासाराम-नोखा-2003-04 में
2.	बांका-बाराहाट और बांका-बेतिया रोड तक विस्तार तथा वस्तुपरक आशोधन सहित देवगढ़-सुल्तानगंज	9.00	अभी निर्धारित नहीं है.
3.	दुरौंदा-महाराजगंज	1.00	कार्य पूरा हो गया।

1	2	3	4
4.	बिहार शरीफ से बरबीधा तक नई लाइन के लिए सामग्री आशोधन सहित फतुआ-इस्लामपुर का पुनर्स्थापन	12.00	फतुआ-इस्लामपुर लाइन पूरी हो गई है और यातायात के लिए खोल दी गई।
5.	खगरिया-कुशेश्वर स्थान	2.00	अभी निर्धारित नहीं है।
6.	कोडरमा-तिलैया	15.00	2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य।
7.	कोसी पुल	10.00	2003-04 के बजट में शामिल नया कार्य।
8.	मन्दारहिल-रामपुरहाट बरास्ता दुमका	10.00	रामपुरहाट-दुमका 2006-07 तक
9.	गंगा पर मुंगेर-रेल पुल	30.00	अभी निर्धारित नहीं है।
10.	मुजफ्फर-सीतामढ़ी	12.00	अभी निर्धारित नहीं है।
11.	पटना और हाजीपुर के बीच संपर्क लाइनों सहित पटना-गंगापुल	50.00	2007-08
12.	राजगीर-हिसुआ-तिलैया	12.00	2005-06
13.	सकरी-हसनपुर	10.00	अभी निर्धारित नहीं है।
आमान परिवर्तन			
1.	छपरा-औंडिहार	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
2.	हाजीपुर-बछवाड़ा	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
3.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	18.00	अभी निर्धारित नहीं है।
4.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	10.00	अभी निर्धारित नहीं है।
5.	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित)	21.00	2005 में पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	दौराम-माधेपुरा तक विस्तार के लिए भौतिक आशोधन सहित मानसी-सहरसा	16.00	मानसी-सहरसा के 2004 में पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	नरकटियागंज वाल्मीकिनगर	0.06	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
8.	रक्सौल-बीरगंज	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
9.	समस्तीपुर-दरभंगा	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
10.	समस्तीपुर-खगरिया	5.00	अभी निर्धारित नहीं है।
दोहरीकरण			
1.	बरौनी-तिलरथ वाईपास	1.00	बजट 2003-04 में शामिल नया कार्य।

1	2	3	4
2.	छपरा-हाजीपुर	8.00	अभी निर्धारित नहीं है।
3.	गया-चाखंड	2.00	2004-05
4.	जहानाबाद-बेला	1.00	बजट 2003-04 में शामिल नया कार्य।
5.	कजरा-क्यूल	2.56	अभी निर्धारित नहीं है।
6.	कर्पूरीग्राम-सिहो	7.00	सिहो-धोली खंड पूरा हो गया है। शेष खंड के 2003-04 में पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	कटिहार-सेमापुर	2.00	अभी निर्धारित नहीं है।
8.	किशनगंज-दलकोल्हा	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
9.	मानसी-महेशखूंट	1.00	बजट 2003-04 में शामिल नया कार्य
10.	परसा बाजार-पुनपुन (पटना-गया, चरण-II)	1.00	कार्य पूरा हो गया है।
11.	पटना-परसा बाजार (पटना-गया, चरण-I)	0.03	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
12.	पुनपुन-तरेगना (पटना-गया, चरण-III)	5.00	2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
13.	साहिबगंज-न्यू फरक्का-मालदा	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
14.	सोननगर-मुगलसराय	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
15.	तरेगना-जहानाबाद	2.00	अभी निर्धारित नहीं है।
विद्युतीकरण			
1.	पटना-गया	5.50	जून 2003
2.	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	1.45	कार्य पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

पेट्रोल पंपों पर सीएनजी को सुविधा

6671. डा. बलिराम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के उन पेट्रोल पंप मालिकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने पेट्रोल पंपों पर सी.एन.जी. के सुविधा उपलब्ध करने हेतु 31 मार्च, 2003 तक आवेदन किया है;

(ख) सी.एन.जी. उपलब्ध कराने हेतु कितने पेट्रोल पंपों को मंजूरी प्रदान की गई है और किस तिथि को उपरोक्त मंजूरी प्रदान की गई थी; और

(ग) इससे संबंधित सभी आवेदनों को कब तक निपटाया जाने की संभावना है और सभी पेट्रोल पंपों पर सी.एन.जी. की सुविधा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार अथवा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने वर्तमान पेट्रोल पम्प मालिकों से सीएनजी केन्द्रों के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार आईजीएल ने दिल्ली में प्रचलित 35 खुदरा बिक्री केन्द्रों में सीएनजी सुविधा आरम्भ कर दी है। ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त आईजीएल

द्वारा 20 और खुदरा बिक्री केन्द्र अनन्तिम रूप से सीएनजी संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए चुने गए हैं। इन अतिरिक्त 20 खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। आईजीएल गैस पाइपलाइन से दूरी, इन केन्द्रों पर और इनके आसपास सीएनजी की बाजार मांग और सुरक्षा से संबंधित मामलों के संदर्भ में उपयुक्तता के संबंध में इन 20 खुदरा बिक्री केन्द्रों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन कर रही है। इस सुदृढ़ीकरण के लिए अनन्तिम समय कार्यक्रम दिसम्बर, 2003 में अंत तक है।

विवरण I

सी.एन.जी. सुविधाओं सहित दिल्ली में प्रचालनरत खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	पेट्रोल पम्प का नाम	तेल विपणन कंपनी का नाम
1	2	3
1.	आरावली एस/एस	बी.पी.सी.एल.
2.	जिमखाना एस/एस	बी.पी.सी.एल.
3.	जी.एस. भसीन	बी.पी.सी.एल.
4.	दीपक आटोमोबाइल	बी.पी.सी.एल.
5.	मुकुल डीजल	बी.पी.सी.एल.
6.	श्याल	बी.पी.सी.एल.
7.	वैभव	बी.पी.सी.एल.
8.	वीजे	बी.पी.सी.एल.
9.	राजेन्द्रा एस/एस	बी.पी.सी.एल.
10.	आर.एस. भोला राम	बी.पी.सी.एल.
11.	विनोद	बी.पी.सी.एल.
12.	बुद्ध सिंह गुलाब सिंह	बी.पी.सी.एल.
13.	बग्गा लिंक	बी.पी.सी.एल.
14.	भाटिया एस/एस	आई.ओ.सी.एल.
15.	सेठी, एन एच-8	आई.ओ.सी.एल.
16.	सुपर आटो सेन्टर	आई.ओ.सी.एल.
17.	आई.पी. सर्विस स्टेशन	आई.ओ.सी.एल.
18.	सूर्या सर्विस स्टेशन	आई.ओ.सी.एल.
19.	कपूर आटो एस/एस	आई.ओ.सी.एल.
20.	जिन्दल सर्विस स्टेशन	आई.ओ.सी.एल.
21.	प्रगति सर्विस स्टेशन	आई.ओ.सी.एल.
22.	किंग्जवे एस/एस	आई.ओ.सी.एल.
23.	शीवान	आई.ओ.सी.एल.
24.	शिवेष	आई.ओ.सी.एल.
25.	शंकर आटोमोबाइल्स	आई.ओ.सी.एल.
26.	राज सुपर एस/एस	आई.ओ.सी.एल.
27.	आनन्द सर्विस स्टेशन	एच.पी.सी.एल.
28.	राजीव एस/एस	एच.पी.सी.एल.
29.	हेमकुन्ट	एच.पी.सी.एल.
30.	एवरग्रीन	एच.पी.सी.एल.
31.	बेदी	एच.पी.सी.एल.
32.	आटोमोटिव एस/एस	एच.पी.सी.एल.
33.	सविता फिलिंग स्टेशन	आई.बी.पी.
34.	अमन फिल पाइंट	आई.बी.पी.
35.	कार केयर	आई.बी.पी.

विवरण II

उन 20 खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची जहां जून, 2003 तक सी.एन.जी. की सुविधा अन्य सुविधाओं के साथ प्रदान की जाएगी

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	स्थान	आर.ओ.	केन्द्र की किस्म
1	2	3	4	5
1.	आटो रिंक	बदरपुर मथुरा रोड	बी.पी.सी.एल.	डीबी
2.	नेमचन्द ताराचन्द	जीटी करनाल रोड	बी.पी.सी.एल.	आन लाइन

1	2	3	4	5
3.	सक्षम मोटर्स	हरी नगर, डीडीयू अस्पताल के नजदीक	बी.पी.सी.एल.	डी बी
4.	सिद्धू एस एस	जीटी करनाल रोड	बी.पी.सी.एल.	आन लाइन
5.	चड्ढ़ा एस एस	दिल्ली गेट	एच.पी.सी.एल.	डी बी
6.	दीप फ्यूल सेन्टर	विकास मार्ग विस्तार, कड़कड़डूमा	एच.पी.सी.एल.	डी बी
7.	राकेश एफ एस	वरुण निकेतन	आई.बी.पी.	आन लाइन
8.	श्रीआयल	नोएडा टीपीटी	आई.बी.पी.	आन लाइन
9.	लोटस आटोमोबाइल्स	अन्धेरिया मोड़	आई.बी.पी.	डी बी
10.	अजीत मोटर	दिल्ली कैन्ट	आई.ओ.सी.	डी बी
11.	स्पीडवेज एस सी	जेल रोड	आई.ओ.सी.	आन लाइन
12.	ए के बत्रा	संजय लेक	एच.पी.सी.एल.	आन लाइन
13.	उग्रसेन एण्ड संस	शाहदरा, ओल्ड एनएच-24	एच.पी.सी.एल.	डी बी
14.	आटो ग्रिट	महरोली बदरपुर रोड़	बी.पी.सी.एल.	डी बी
15.	चड्ढ़ा आयल कौल.	शिवाजी पार्क	एच.पी.सी.एल.	आन लाइन
16.	एसोसिएटिड एस/एस	अलीपुर	एच.पी.सी.एल.	डी बी
17.	एसडी सोइन एंड संस	कुदसिया रोड	आई.बी.पी.	डी बी
18.	संसार एस/एस	नांगलोई ढांसा बार्डर	बी.पी.सी.एल.	डी बी
19.	तुली	राजा गार्डन	आई.ओ.सी.	आन लाइन
20.	अरोड़ा एस/एस	पीतम पुरा	आई.ओ.सी.	डी बी

विभिन्न राजनीतिक दलों से धन की वसूली

6672. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य लोगों से उनके द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर उनकी रैलियों में लोगों को ढोने के उनके अनुरोध पर उनके लिए विशेष रेलगाड़ियों चलाने के मद में काफी धनराशि वसूल की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन ब्यौरा क्या है और ये दल/व्यक्ति कौन है तथा इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है और कब से बकाया है; और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव द्वारा रखी गई मांग पर 12.12.1981 को बर्धमान से बोलपुर तक दो विशेष गाड़ियां चलाई गई थी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ 1,13,316 रु. की राशि बकाया है। यद्यपि यह मामला कई वर्षों से पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ नियमित रूप से उठाया गया है लेकिन पार्टी द्वारा भुगतान न करने के कारण उक्त राशि बकाया रहती है।

चौकीदार सहित रेलवे समपारों को बंद करने के कारण स्थानीय जनता को समस्या

6673. श्री रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौकीदार रहित रेलवे समपारों को बंद करने से स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रेलवे समपारों पर चौकीदारों को नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो चौकीदार रहित समपारों को चौकीदार वाले समपारों में कब तक बदले-जाने की संभावना है और ये कहां पर स्थित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति प्राप्त होने के बाद ही समपार बंद किए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

6674. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्वास सेवाओं के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ने विजन दस्तावेज-2010 प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दस्तावेज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) दिसम्बर 2002 तक भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रशिक्षित और पंजीकृत किए गए विशेष शिक्षा शिक्षक एवं अन्य विशेषज्ञों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रगति में और तेजी लाने तथा अधिक धन एकत्र करने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद ने एक दृष्टि दस्तावेज 2000-2010 (विजन डाक्यूमेंट) तैयार किया है जो जागरूकता, शिक्षा, समुदाय आधारित पुनर्वास, प्रकाशन और जरावस्था पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ग) 31.12.2002 तक भारतीय पुनर्वास परिषद के पास 8967 विशेष शिक्षा अध्यापक और 12910 अन्य व्यावसायिक पंजीकृत हुए हैं।

(घ) और (ङ) विशेष शिक्षा सहित पुनर्वास सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है और गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत संस्थाओं को सहायता के जरिए बेहतर आऊटरीच प्राप्त की जा रही है।

सिर पर मैला ढ़ोने वालों का पुनर्वास

6675. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिर पर मैला ढ़ोने वालों का सम्मानित पेशे में पुनर्वास करने हेतु विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई धनराशि कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों को किस आधार पर आबंटन किए है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा सिर पर मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य में संचालित सर्वेक्षण द्वारा पहचान की गई सफाई कर्मचारियों की संख्या तथा राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(ग) राज्य एस.सी.डी.सी. सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की पहचान करते हैं। स्थानीय स्थितियों के साथ-साथ उनकी दक्षता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवसाय में 15-50 वर्षों की आयु समूह में सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और तब आर्थिक सहायता, सीमान्त राशि ऋण और बैंकों तथा राष्ट्रीय सफाई

कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण प्रदान करते हुए 50000/- रुपए की तक परियोजना लागत में उन्हें पुनर्वासित किया गया है। सफाई कर्मचारी "सैनिटरी मार्ट" की अवधारणा के अन्तर्गत समूहों में भी पुनर्वासित किए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त निधियां

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	2.25	29.67
2.	असम	3.72	0.00	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.40
4.	कर्नाटक	0.00	6.95	8.88
5.	महाराष्ट्र	21.35	0.00	0.00
6.	छत्तीसगढ़	15.00	0.00	0.00
7.	झारखंड	10.85	0.00	0.00
8.	उत्तरांचल	10.00	0.00	0.00
	कुल	60.92	9.20	40.95

[हिन्दी]

यात्रियों की सुरक्षा हेतु रक्षा कवच

6676. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यात्रियों की सुरक्षा हेतु 'रक्षा कवच' को लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई प्रगति की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर उत्तरोत्तर रक्षा कवच (टक्कर रोधी उपकरण-एसीडी) मुहैया कराने का प्रस्ताव है। शुरू में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लगभग 1800 मार्ग किमी. (मार्ग किमी.) पर एसीडी मुहैया कराने का कार्य शुरू किया गया है। दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे के 1641 मार्ग किमी. पर एसीडी के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। भारतीय रेलों के चुनिंदा मार्गों को कवर करने के लिए अतिरिक्त 10,000 मार्ग किमी. हेतु एसीडी सर्वेक्षण करने की भी स्वीकृति मिल गई है। इसके पश्चात् दक्षिण, दक्षिण मध्य और उत्तर रेलों के लगभग 1750 मार्ग किमी. पर एसीडी मुहैया कराने के अगले कार्य को भी स्वीकृति मिल गई है जिसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कार्य के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर शुरू किया जाएगा।

रेलवे का विनिवेश

6677. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रेल में विनिवेश शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रेल के उन मार्गों/क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान की है, जिनका विनिवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निशक्तों हेतु सामाजिक सुरक्षा कोष

6678. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में अत्यंत निशक्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु नियत धनराशि राज्य-वार कितनी है;

(ग) निशक्त को धन संस्वीकृत करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या है; और

(घ) अत्यंत निशक्त व्यक्तियों हेतु योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अत्यन्त विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई अलग योजना नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास, विकलांगता क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा शीर्ष संस्थाओं एवं गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

निम्न जीवन स्तर

6679. श्री राम विलास पासवान: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 12 फरवरी, 2003 के "दि पायनियर" में प्रकाशित समाचार "व्हेयर ह्यूमन्स मस्ट काल इन्टू होम्स" की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना शहरी विकास मंत्रालय और आगरा विकास प्राधिकरण से एकत्र की जा रही है।

राजस्थान में विकलांग लोगों के लिए कार्यरत केन्द्र

6680. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं और केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) ये केन्द्र कौन-कौन से हैं और इनके पते क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र को वर्षवार कितना अनुदान दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को इनमें से कुछ केन्द्रों द्वारा धन का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा केन्द्रों की की-गई-लेखा परीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन केन्द्रों/गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण को सुचारू बनाने और कदाचार रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 से 2002-03 की अवधि के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना, सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता तथा जिला पुनर्वास केन्द्र योजना के अंतर्गत वर्षवार राजस्थान में 28 केन्द्रों को दी गई सहायता के ब्यौरे को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इन केन्द्रों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का राज्य सरकार तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एजेंसियों द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षण किया जाता है। बाद के वर्षों के लिए अनुदान केवल कार्यकरण तथा पिछले वर्ष में अनुदानों के समुचित उपयोग के संबंध में संतोषजनक जांच रिपोर्टों के आधार पर ही निर्मुक्त किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्रों का नाम और पता	परियोजना का नाम	राशि (लाख रु. में)		
			2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	बाधित बाल विकास समिति वैशाली नगर, जिला अजमेर, राजस्थान	वाहन की खरीद	0.00	4.49	0.00
2.	नवदीप विकास समिति, सी-6 हसनखान मेवाती नगर अलवर, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	2.16	5.42
3.	नवदिशा विकास समिति, सी-6 हसनखान मेवाती नगर अलवर, राजस्थान	भवन निर्माण	5.00	8.50	0.00
		स्कूल-कम-वीटीसी	8.60	10.08	10.65
4.	जीवन निर्माण संस्थान, 1, गोलबाग रोड़, भरतपुर-321001, राजस्थान	मूल बाधिर के लिए विशेष स्कूल	1.11	2.10	2.32
5.	महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, 470, राजेन्द्र नगर, भरतपुर, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	1.89	0.00
6.	बधिर बाल कल्याण विकास समिति, चतुर क्लीनिक, एम.डी. हास्पिटल रोड़, भीलवाड़ा-311001	बधिर हेतु आवासीस स्कूल	13.38	17.02	14.41
		दृष्टिहीन के लिए विशेष स्कूल	3.70	2.11	1.09
		सयायक यंत्र तथा उपकरणों का वितरण	—	2.00	2.00
7.	सोना विकलांग पुनर्वास एवं शोध संस्थान, अशोक नगर, भीलवाड़ा-311001, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	4.12	5.29	6.28
8.	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान सेवा विकलांग, सेक्टर 6, हनुमानगढ़, ज.-335512, राज.	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	2.12	5.30
9.	चेतना संवर्धन समिति, सूर्या मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान	एमआर बच्चों के लिए शिक्षा तथा बीटीसी	6.16	11.79	13.38
10.	दीक्षा-सेन्टर फार स्पेशल एजुकेशन, एफ-139, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	8.79	9.52
11.	इंडियन काउंसिल आफ सोशल वेलफेयर सेक्टर नं.6 हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020, राजस्थान	वयस्कों के लिए वीटीसी	8.75	8.01	8.60
12.	जैमिनी शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, सी-234, दयानंद मार्ग, तिलक नगर, जयपुर	विकलांगों के लिए वीटीसी	0.00	0.00	1.58
13.	प्रयास, सेन्टर फार स्पेशल एजेकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, 343, लेन न. 2, राजा पार्क, जयपुर-302004	विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.00	0.00	1.07

1	2	3	4	5	6
14.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, 3780, लंगर के बालाजी का रास्ता, गणगौरी बाजार, जयपुर-302001	दृष्टिहीनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.00	0.99	4.20
15.	सोसायटी फार वेलफेयर आफ मेंटली हैंडीकैप्ड, 36-ए. सूरज नगर (पूर्व), सिविल लाइन्स, जयपुर, राजस्थान	निर्मल विवेक स्कूल व होस्टल	5.13	5.15	5.19
16.	जोधपुर बधिर कल्याण समिति बसनी तम्बोलिया, मागरा पुंगला, जोधपुर-342303, राजस्थान	मूक व बधिर के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	0.00	0.48	0.00
17.	सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन, पीओ मानकलाओं-342305, जोधपुर (राजस्थान)	ओएस के लिए शिक्षा तथा वीटीसी	0.00	0.00	3.76
18.	बाधित बाल विकास केन्द्र, 132, स्टेशन रोड, कोटा-324002, राजस्थान	बधिर के लिए होस्टल तथा वीटीसी	0.00	2.90	2.73
19.	श्रद्धालय आश्रम समिति, इन फ्रंट आफ झाला हाउस, सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	सीबीआर प्रोग्राम	0.00	1.84	6.88
		विकलांगों के लिए शिक्षा तथा वीटीसी	1.09	6.25	3.13
20.	टैगोर ग्रामीण उत्थान समिति, 1-डी-4, विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान	विकलांगों के लिए वीटीसी	0.00	1.98	0.00
21.	नव फिरोज एंड नौशिर मेडवानजी रिहेबिलिटेशन सेंटर फार दी ब्लाइंड, इस्ट व्यू, माउंट आबू-307501	दृष्टिहीनों के लिए होस्टल का रखरखाव	0.00	0.57	0.00
22.	एल के सील श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर-335001, राजस्थान	स्कूल/होस्टल के लिए भवन निर्माण	2.00	1.00	0.00
		मूक बधिर के लिए स्कूल कम होस्टल	34.16	34.09	21.94
23.	मनोहर बाल मंदिर समिति, 5 डी ब्लाक, श्रीगंगानगर, राजस्थान	समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम	0.00	0.00	3.33
24.	तपोवन मनोविकास विद्यालय, 4, एमएल लिंबावली, नेशनल हाईवे, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर, राजस्थान	होस्टल का निर्माण	0.00	2.50	2.50
		एमआर बच्चों के लिए होस्टल का रखरखाव		3.78	4.02
25.	नारायण सेवा संस्थान, 483, हीरन माग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान	सीबीआर कार्यक्रम	0.49	3.75	2.25
		विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	0.00	3.05	0.00
		सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण	60.00	80.00	100.00

1	2	3	4	5	6
26.	प्रयास-प्राचार्य शोध पीत समिति, 30-ए, सी-1, भौपालपुरा, उदयपुर-313001, राजस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	0.00	3.15	0.00
27.	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, एसएम एस हास्पिटल, जयपुर	सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण	300.00	300.00	371.03
28.	डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेन्टर, सोशल वेलफेयर डिपार्ट, एमबीएस हास्पिटल कैम्पस, कोटा-32400, राजस्थान	सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण/डीआरसी योजना	16.00	17.92	28.25

विद्युत वितरण हेतु एल्सटोम कंपनी के साथ समझौता

6681. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने ब्रिटेन की एल्सटोम कंपनी के साथ देश में विद्युत वितरण हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक को इस समझौते पर आपत्ति है;

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) पावर ग्रिड निगम ने सूचित किया है कि देश में विद्युत वितरण कार्य के लिए यूनाइटेड किंगडम की मेसर्स एलस्टाम के साथ कोई करार नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अत्याधुनिक इंजन

6682. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अत्याधुनिक इंजनों और सवारी डिब्बों के आयात हेतु दीर्घकालिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल द्वारा कितने अत्याधुनिक इंजनों और सवारी डिब्बों का आयात किया गया है;

(घ) इस पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कारखानेवार किस प्रकार के इंजनों और सवारी डिब्बों का विनिर्माण किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं रेलों की रेल इंजनों का आयात करने की कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेसेंजर सेवा के लिए 10 अदद 4000 अश्व शक्ति डीजल बिजली रेल इंजनों और 24 अदद सभी धातु के हल्के भार वाले सवारी डिब्बे आयात किए गए हैं।

(घ) रेल इंजनों का गंतव्य स्थान पर सुपुर्दगी मूल्य (एफओबी)-23,989,350 अमरीकी डालर (अनुमानत: 105 करोड़ रुपए) है।

इन रेल इंजनों की उतराई लागत-178 करोड़ रुपए अनुमानित थी।

24 अदद सभी धातु के हल्के भार वाले सवारी डिब्बों का एफओबी मूल्य है-52,663,000 ड्यूश मार्क (अनुमानत: 106 करोड़ रुपए)

इन सवारी डिब्बों की उतराई लागत-159 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ङ) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान कारखाना-वार विनिर्मित रेल इंजनों और डिब्बों की किस्म:

सवारी डिब्बे	2000-01		2001-02		2002-03	
	सडिका	रेडिका	सडिका	रेडिका	सडिका	रेडिका
वा.ता. सवारी डिब्बे	93	198	100	275	98	223
गैर वा.ता. सवारी डिब्बे	691	867	789	751	630	579
ईएमयू सवारी डिब्बे	111	—	71	—	72	—
डीएमयू सवारी डिब्बे	65	—	57	—	30	12
एमईएमयू सवारी डिब्बे	40	40	—	48	84	—
पीओडब्ल्यू					21	
शिरोपरि यान			8		9	
मी.ला. सवारी डिब्बा		85		130		130
जोड़	1000	1190	1025	1204	944	944

चिरेका: बिजली इंजन

टाइप	2000-01	2001-02	2002-03
डब्ल्यू. एपी-5	2	6	1
डब्ल्यूएजी-9	5	—	7
डब्ल्यूएजी-5	—	40	—
डब्ल्यूएजी-7	62	—	27
डब्ल्यूएपी1/3/4	—	34	—
डब्ल्यूएपी-4	50	2	28
डब्ल्यूएपी-7	1	—	6
जोड़	120	82	69

डिरेका: डीजल इंजन

टाइप	2000-01	2001-02	2002-03
डब्ल्यूडीएस-6	3	—	—
डब्ल्यडीपी-2	30		
डब्ल्यूडीएम-2सी	20	41	—
निर्यात	5	8	10
डब्ल्यूडीजी-2	44	50	—
पीकेडी लोको	1	—	—
डब्ल्यूडीजी-4	—	3	19
डब्ल्यूडीजी-4	—	—	1
डब्ल्यूडीजीउए	—	—	55
डब्ल्यूडीएमउए	—	—	25
एनआरसी			6
जोड़	103	102	116

गेल की परियोजनाएं

6683. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की उन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें नौंवी योजनावधि के दौरान पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) परियोजनाओं को पूरा न किए जाने के क्या कारण है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अतिरिक्त आने वाली लागत कितनी है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) गेल (इंडिया) लिमिटेड के संबंध में नौवीं योजना के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 6417.95 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5715 करोड़ रुपए पेट्रोलियम क्षेत्र और 702.95 करोड़ रुपए की पेट्रोरसायन क्षेत्र से संबंधित योजनओं के लिए व्यवस्था की गई थी। नौवीं योजनावधि के दौरान उपर्युक्त योजना परिव्यय के मुकाबले वास्तविक व्यय 4531.45 करोड़ रुपए था। नौवीं योजना के दौरान पूरी न की जा सकी मुख्य योजनाएं कमी के कारण, इन परियोजना की वर्तमान स्थिति और इन्हें पूर्ण करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गेल (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित नौवीं योजना के दौरान पूरी न की जा सकी परियोजनाएं और इसके कारण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल परिव्यय नौवीं योजना	वास्तविक नौवीं योजना व्यय	कमी	विलंब के कारण	पूरा करने के लिए किए गए उपाय
1	2	3	4	5	6	7
1.	दादरी बवाना पाइपलाइन	82	0	(82)	विद्युत संयंत्र, जिसके लिए गैस आबंटन किए गए हैं, को प्रगति पावर में स्थानांतरित कर दिया गया है और पाइपलाइन 3 करोड़ रुपए की लागत पर पूरी की गई है।	परियोजना के लिए आगे और निवेश आपेक्षित नहीं है।
2.	संयुक्त उद्यम में विद्युत संयंत्र	400	21	(379)	जुलाई 2001 में जीएसईजी जीएसईजी विद्युत परियोजना के लिए इक्विटी अंशदान के रूप में 20.76 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया	इक्विटी के रूप में विद्युत क्षेत्र में और अधिक निवेश की योजना नहीं है।
3.	एलएनजी पूर्वी तट	200	0	(200)	परियोजना आईओसी द्वारा लागू की जा रही है।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4.	जीआरईपी विस्तार	985	5	(980)	दहेज में पेट्रोनेट एलएनजी लि. टर्मिनल को चालू करने से संबद्ध व्यय अब 2003-04 में आने आने की संभावना है।	31.3.2003 की स्थिति के अनुसार परियोजना ने 18.90 प्रतिशत की कुल प्रगति की है। जून/जुलाई 2003 तक पाइपों की आपूर्ति के लिए लाइन पाइप निर्माताओं से शीघ्रता करने के लिए कहा जा रहा है। चरणों में, इस परियोजना के सितंबर 2004 तक पूरा होने की संभावना है।
	उप योग	1667	26	1641		
	नौवीं योजना का कुल परिव्यय	6417.95	4531.45	(1887)		

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में दीर्घकालिक समझौते

6684. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कामगारों को दिए जा सकने वाले न्यूनतम और अधिकतम अतिरिक्त लाभ क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी उद्यमों को कतिपय शर्तों के अधीन 10 वर्ष अथवा 5 वर्ष की अवधि के लिए मजूरी वार्ता करने का विकल्प प्राप्त है। जिन उद्यमों ने 10 वर्षों या 5 वर्ष के लिए मजूरी वार्ता की है, उनकी सूची एक स्थान पर नहीं रखी जाती है। सरकार ने कामगारों को दिए जा सकने वाले अतिरिक्त लाभों के संबंध में कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है, सिर्फ शर्त यह है कि वार्तासम्मत मजूरी के परिणामस्वरूप सरकारी उद्यमों के अधिकारियों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के मजूरी संशोधन के बीच कोई संघर्ष न उत्पन्न हो।

[अनुवाद]

वर्तमान विकास परियोजनाओं हेतु धनराशि

6685. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में उनके मंत्रालय द्वारा निष्पादित विभिन्न वर्तमान विकास परियोजनाओं के विकास हेतु और धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न केन्द्रीय सहायता प्राप्त योनजाओं हेतु आवंटित और संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान तामिलनाडु राज्य में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) से (घ) तमिलनाडु को त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (परियोजना लागत का 50% अनुदान और ऋण के

रूप में केन्द्र सरकार द्वारा बराबर अनुपात में) और त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (10वीं योजना में संवितरित राशि पर 3% की दर से ब्याज सब्सिडी पर) उपलब्ध करायी गयी राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

वर्ष	स्वीकृत	अवमुक्त	प्रयुक्त
2000-01	65.54	65.54	65.54
2002-03	484.09	111.57	77.14

(2) त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
2000-01	266.03
2001-02	441.71
2002-03	336

नियमों की अनियमितताएं और उल्लंघन

6686. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "कैग" ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट संख्या 9 (रेलवे) के अध्याय 3 में बहुत सी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कई सौ करोड़ रुपयों अर्थात 214.13 करोड़ रुपए का घाटा होने की बात प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में कोई कार्रवाई की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में नियमों में ऐसी अनियमितताओं और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट सं. 9/2001 (रेलें) के अध्याय 3 के 35 पैराग्राफों में विभिन्न मदों पर राजस्व व वसूले जाने का उल्लेख किया है।

(ख) से (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल लेखा-परीक्षा के पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोटों को लोक लेखा समिति को भेजा जाता है जिसकी लेखा-परीक्षा द्वारा विधिवत् विधीक्षा की जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां उपयुक्त निवारक/शोधक कार्रवाई की जाती है।

रेलवे में राजस्व अर्जन और व्यय

6687. **श्री रघुनाथ झा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे के व्यय और राजस्व अर्जन का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा रेलवे में राजस्व अर्जन को बढ़ाने और व्यय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों की जोनवार आमदनी और कुल संचालन व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे जोन	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	कुल आमदनी	कुल संचालन व्यय	कुल आमदनी	कुल संचालन व्यय	कुल आमदनी	कुल संचालन व्यय
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	5418.37	4831.91	5737.15	5305.29	6536.18	5511.41
पूर्व	3655.69	4131.55	3793.43	4566.48	3914.76	4742.03
उत्तर	6221.73	5143.69	6301.56	5683.36	6575.89	5906.51

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर	1043.99	1597.84	1164.14	1818.89	1241.57	1916.48
पूर्वोत्तर सीमा	682.71	1373.87	767.90	1600.28	957.26	1671.08
दक्षिण	2338.27	2679.55	2600.25	3140.57	2606.97	3251.10
दक्षिण मध्य	3234.70	2759.91	3625.03	3132.92	3797.06	3356.42
दक्षिण पूर्व	5950.39	4534.37	6561.94	5151.13	7158.36	5443.39
पश्चिम	4551.93	3706.39	4701.80	4171.83	5031.32	4392.81
मेट्रो	26.93	84.91	34.38	96.59	39.17	101.98

(ख) आमदनी बढ़ाने के उपाय:-

1. रेल बजट 2002-03 और 2003-04 में मालभाड़ा और किराया संरचना का यौक्तिकीकरण
2. 22 पण्यों की मालभाड़ा के वर्गीकरण में कमी।
3. सभी पण्यों के लिए गाड़ी भार वर्गीकरण निश्चित करना
4. विशिष्ट प्रकार के यातायात में रियायत देने के लिए स्टेशन दर स्टेशन दर योजना का उदारीकरण।
5. 100 किमी. तक कम गमन दूरी के यातायात के लिए उच्चतर रियायत।
6. पार्सल दरों का यौक्तिकीकरण और कमी।
7. नियत समय सारणी पर अनुसूची पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना।
8. बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान चलाना।
9. भीड़ की निकासी के लिए विशेष गाड़ियां चलाना एवं अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना।
10. व्यस्त अवधि के दौरान गाड़िये संयोजन में वृद्धि
11. 24 सवारी डिब्बों तक गाड़ियों के सवारी डिब्बों में वृद्धि करना
12. नई गाड़ियां चलाना
13. गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करना

खर्च कम करने के उपाय:

(1) क्षेत्रीय रेलों को अपरिहार्य बजटोपरांत वृद्धि यथा डीजल कीमतों में संशोधन, ऊर्जा दरों में वृद्धि, कतिपय भत्तों/प्रोत्साहन बोनस आदि की दरों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व खर्च में बचत करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(2) ईंधन और ऊर्जा खपत, संविदागत भुगतानों, समयोपरि भत्तों, सामग्रियों की खरीद आदि जैसे क्षेत्रों में खर्च पर कड़ा नियंत्रण।

(3) आतिथ्य, प्रचार, विज्ञापन, उद्घाटन समारोह, गोष्ठी और कार्यशाला, आकस्मिक कार्यालय व्ययों आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता और किफायती उपाय।

(4) उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए निर्माण कार्यों पर खर्च का प्राथमिकीकरण।

(5) जनशक्ति का उत्पादकीय उपयोग।

(6) परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग।

(7) चल स्टाक के परिचालन और अनुरक्षण की लागतों को कम करने के विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं।

(8) वस्तुसूची प्रबंधन में सुधार करना।

सेट टाप बाक्स का मूल्य

6688. श्री किरीट सोमैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वैकल्पिक सेट टाप बाक्स के मूल्य के संबंध में कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन सी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं;

(ग) क्या 'पे चैनल' और एम.एस.ओ. लागत को वहन नहीं करेंगे;

(घ) यदि हां, तो लागत को किस तरह से कम किया जाएगा;

(ङ) यह उपभोक्ताओं के लिए कितनी उपयोगी होगी;

(च) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस संबंध में शुल्कों में छूट देने के लिए कहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार सेट टाप बाक्सों के मूल्य और प्रौद्योगिकी के संबंध में उत्पादों सहित स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत कर रही है। यह अनुमान है कि डिजिटल और एनालांग दोनों प्रकार के सेट टाप बाक्सों का प्रयोग किया जाएगा।

(ग) और (घ) सेट टाप बाक्स की कीमत शक्तियों द्वारा संचालित की जाएगी। विभिन्न वाणिज्यिक माडलों को ग्राहकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसके बाजार में आ जाने की संभावना है। देशी निर्माण क्षमता स्थापित होने तक शुरू में मांग की आपूर्ति द्वारा किए जाने की संभावना है। आशा है कि अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ने से कीमते गिरेंगी।

(ङ) इससे ग्राहकों को केवल उन्हें पे चैनलों के लिए भुगतान करने का विकल्प मिलेगा जिन्हें वे देखना चाहेंगे।

(च) और (छ) जी, हां। तथापि शुल्कों में कोई कमीं नहीं हुई है।

नि:शक्तता संबंधी पेंशन

6689. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है कि जिसके अंतर्गत नि:शक्तता संबंधी मानदंडों को पूरा न करने वाले भूतपूर्व सैनिकों की नि:शक्तता संबंधी पेंशन रोक दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय की टिप्पणियों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आदेश से कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या सरकार ने उन सैन्य कर्मियों के संबंध में भी विचार किया है जिन्हें 1 जनवरी, 1982 को अथवा इसके पश्चात् नि:शक्तता के कारण 'बोर्ड आउट' कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो भूतपूर्व सैनिकों (नि:शक्त) के कल्याण हेतु संशोधित नियम किस सीमा तक पक्षधर होंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के 06 मार्च, 2003 के निर्णय में 253 याचिकाएं हैं।

(घ) और (ङ) निशक्तता के आधार पर कार्यमुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिक सेना, नौसेना तथा वायुसेना के पेंशन विनियमों के संगत प्रावधानों तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार निशक्तता पेंशन के हकदार हैं।

विवरण

निशक्तता पेंशन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक से अधिक निर्णय मौजूद हैं। तथापि, माननीय दिल्ली न्यायालय में ''भूतपूर्व जसबीर सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य'' शीर्षक की सिविल रिट 5166/2000 में अपने 06 मार्च, 2003 के निर्णय में ''एन्टाइटल्ड भूतपूर्व सिग्नलमन श्री भगवान बनाम भारत संघ तथा अन्य'' शीर्षक की सिविल रिट 3868/1993 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के 15 नवंबर, 2002 के निर्णय के पृष्ठ 86 पर पैरा 199 के उप-पैरा 9 और 14 जनवरी, 1993 को निर्णित भूतपूर्व सैपर मोहिन्दर सिंह बनाम भारत संघ की सिविल अपील सं. 164/1993 में दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के अभिमतों का उल्लेख करते हुए निम्नवत् टिप्पणी की है:-

> ''हम, निर्णय के अनुपात के अनुसरण में, यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी ऐसे रिट याचिकाकर्ताओं, जिनके पक्ष में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के प्रपत्र-16 में चिकित्सा अभिमत व्यक्त किया गया है तथा उक्त प्रपत्र-16 के संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया गया है, को पेंशन प्रदान करें, क्योंकि उसके तहत उन्हें पेंशन न दिए जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसे मामलों में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के प्रपत्र-16 पर की गई सिफारिश से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर उपलब्ध तथ्यों, जिसके कारण लिखित में दर्ज करने होंगे, के अनुरूप ठोस कारण मौजूद हैं, वहां ऐसे पेंशन भोगियों के मामले की जांच पुनरीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के कार्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा

सलाहकार के अभिमत से पुनरीक्षा चिकित्सा बोर्ड भी सहमत हो जाता है तब पेंशन प्रदान किए जाने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित याचिकाकर्ता को अवसर प्रदान किया जाएगा।''

[हिन्दी]

राजस्थान में अनाथालय

6690. डा. जसवंतसिंह यादवः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने अनाथालय हैं और उनका स्थानावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त राज्य में कार्यरत अनाथालयों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान इन अनाथालयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या हैं और इसमें से वास्तव में कितनी धनराशि उपयोग की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में अनाथालयों का ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि अनाथालयों का लाइसेंसीकरण और पर्यवेक्षण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनाथालयों को कोई वित्तीय सहायता नहीं देता। तथापि, मंत्रालय अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के शिशु गृहों को सहायता की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और राज्य संचालित गृहों को सहायता देता है। उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में दो शिशु गृहों को सहायता अनुदान दिया गया है। सहायता अनुदान का उपयोग सामान्यतया उसी वर्ष में कर लिया जाता है और व्यय न हुई धनराशि, यदि कोई हो तो, को अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुदान से समायोजित किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के गैर सरकारी संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा निम्नलिखित है–

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	श्री कार्णि नगर विकास समिति, कोटा	8.91	5.47	5.26
2.	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, रंगबाड़ी, कोटा	4.97	4.93	4.91

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खड़ी रेलगाड़ियों में शौचालयों/वॉशरूमों का प्रयोग न किया जाना

6691. श्री ए. ब्रह्मनैयाः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाएगी कि जब देश के किसी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी हो तो यात्री शौचालयों/वॉशरूमों का प्रयोग न करें; और

(ख) यदि हां, तो चलाए जाने वाले इस जागरूकता अभियान का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जब गाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो तब गाड़ी के शौचालयों का उपयोग न करने के लिए यात्रियों को जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती है। जब गाड़ी स्टेशनों पर खड़ी हो तब यात्रियों को शौचालयों का उपयोग न करने के लिए अनुदेश भी सवारी डिब्बों में प्रमुखतः प्रदर्शित होते हैं। इस संबंध में जन उद्घोषणा प्रणाली, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से भी संदेश दिए जाते हैं।

पीजीसीआई को कम लागत पर ऋण

6692. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन 14000 करोड़ रुपये की अधिक लागत वाले ऋण का पूर्व भुगतान करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऐसी रणनीति के माध्यम से कितनी धनराशि की बचत कर पायेगा; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड पर भारत सरकार का 1660 करोड़ रुपए राशि का ऋण बकाया है जिस पर प्रतिवर्ष 12.25% से लेकर 17% तक ब्याज लग रहा है। पावरग्रिड का ऋण को वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान घरेलू बाजार से ऋण लेकर चुकता करने का इरादा है।

(ग) से (ङ) पावर ग्रिड को आशा है कि घरेलू बाजार से ऋण सरकारी ऋणों पर लगने वाले ब्याज दर से कम ब्याज दर पर प्राप्त हो जाएगी। पावरग्रिड ने सूचित किया है कि वर्तमान बाजारीय स्थिति के आधार पर ऋण भुगतान करने की समय-सीमा की समाप्ति तक प्रतिवर्ष लगभग 5% की बचत की जा सकेगी।

मारूति उद्योग लिमिटेड के सर्विस सेन्टर

6693. श्री परसुराम माझी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों के दौरान मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा देश में स्थापित किये गये बिक्री और सर्विस सेन्टरों का स्थानावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड का देश में अपने डीलर नेटवर्क में विस्तार करने का विचार है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी नगर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड का राज्यों के प्रत्येक जिले में बिक्री और सर्विस सेन्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) भारत सरकार (गवर्नमेंट आफ इंडिया) कम्पनी में अल्प शेयर धारक है। मारूति उद्योग लि. (एम.यू.एल.) के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान इसने अपने बिक्री और सेवा नेटवर्क में 300 से अधिक शहरों को जोड़ा है। सभी बिक्री तथा सेवा केन्द्र पूरे देश में स्थापित किए गए हैं।

(ख) से (ङ) बिक्री नेटवर्क का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। स्थानों का चयन पूरे देश के विभिन्न बाजारों में बदलती हुई मांग के परिदृश्य के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

रांची-हजारीबाग के बीच रेल लाइन

6694. प्रो. दुखा भगत:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची और हजारीबाग के बीच रेल लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समीक्षा के निष्कर्षों पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और कार्य निम्नलिखित चरणों में शुरू किया गया है।

चरण-1: कोडरमा-हजारीबाग टाउन: कोडरमा-पदमा खंड के लिए वन-विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जहां कहीं भूमि उपलब्ध है कार्य टुकड़ों में शुरू हो गया है। पदमा-हजारीबाग के बीच खंड के लिए वन-विभाग से स्वीकृति लेना प्रक्रियाधीन है।

चरण-2: हजारीबाग-बरकाखाना: हजारीबाग छोर से कार्य शुरू हो गया है। वन-विभाग से स्वीकृति लेना प्रक्रियाधीन है।

चरण-3: बरकाखाना-रांची: भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।

(ग) जी हां।

(घ) क्षेत्रीय रेलों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण और वन-विभाग से स्वीकृति हेतु अनुसरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र का निजीकरण

6695. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने हेतु विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निजीकरण की नीति की घोषणा के पश्चात् योजना आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निजी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितना वास्तविक निवेश किया गया है;

(ग) निजी क्षेत्र में अनुमानित लागत, उनकी क्षमता और अब तक परियोजनावार प्रगति सहित पूरी की गई और चालू विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्राप्त नए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) निजी क्षेत्र निवेश वाली स्कीमों की प्रगति में राज्य विद्युत बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति एक मुख्य बाधा है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की हानि 1992-93 में 4560 करोड़ रु. थी और 2001-02 में यह बढ़कर 33177 करोड़ रु. हो गई है। राज्यों के लिए विद्युत क्षेत्र सुधार एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि वितरण की पूरी जिम्मेवारी राज्यों की है और विद्युत क्षेत्र सुधार के लिए यह एक प्रमुख क्षेत्र है। प्रधानमंत्री द्वारा मार्च, 2001 में आयोजित किए गए मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में वितरण क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यावहारिकता प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर आम सहमति थी। साथ ही सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि सुधारों को लागू करने से वाणिज्यिक व्यावहारिकता बहाल होने पर ही विद्युत एवं पारेषण में पर्याप्त निवेश आकर्षित करना संभव होगा।

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 27 राज्यों के साथ राज्य विशिष्ट समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीन त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार अभिज्ञात सर्किलों में सुधार लाने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ-साथ राज्यों को उनके द्वारा हानियों में की गई वास्तविक कमी के लिए अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है।

विद्युत विधेयक, 2003 जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उदार एवं प्रतिस्पर्धात्मक ढांचा उपलब्ध कराता है।

(ख) और (ग) योजना आयोग को निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार नहीं है। विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को आकर्षित करने के लिए 1991 में घोषित नीति के पश्चात 61 निजी विद्युत परियोजना, जिनकी कुल क्षमता 30824.5 मे.वा. है, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत क्षेत्र में किए गए वास्तविक निवेश के आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है। किन्तु वे निजी विद्युत परियोजनाएं, जिन्हें चालू कर दिया गया है/जो निर्माणाधीन हैं तथा जिन्हें तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, उनमें कुल 238.49 मिलियन डीएम+4950.52 मिलियन अमेरिका डालर + 13,515.16 करोड़ रु. का निवेश किया जाना है। शेष परियोजनाओं का क्रियान्वयन परियोजना प्रवर्तकों द्वारा अपेक्षित सूचना/लिंकेज सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने के बाद शुरू किया जा सकता है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में केविप्रा की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु में गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कंपनी लि. की केवल एक थर्मल स्कीम, नामशः सूरत लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना (250 मे.वा.) केविप्रा. के विचाराधीन है। इस परियोजना के लिए टीईसी बैठक 18.3.2003 को आयोजित की गई उक्त परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति तभी जारी की जा सकती है जब वे लंबित मामलों का समाधान कर लें, जिसकी जानकारी गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि. को 21.4.2003 को दे दी गई है।

विवरण

चालू/निर्माणाधीन निजी परियोजनाएं जिन्हें के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	लागत डीईएम घटक मिलियन में)	लागत (मिलियन अमरीकी डालर में)	लागत (घटक) करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
चालू परियोजना					
गुजरात					
1.	पगुथन सीसीजीटी (मै. गुजरात पावर जेनरेशन एनर्जी कारपोरेशन), गुजरात	655	—	—	2298.14
2.	हजारी सीसीजीटी (मै. एस्सार पावर लि.), गुजरात	515	—	284.35	770.87
3.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै. जीआईपीसीएल), गुजरात	167	—	—	368.22
4.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै. जीआईपीसीएल), गुजरात	250	4.92	44.538	999.99
महाराष्ट्र					
5.	डाभोल सीसीजीटी (चरण-1) (मै. डाभोल पावर कंपनी), महाराष्ट्र	740	—	2828.524	—
आंध्र प्रदेश					
6.	जेगरूपाडू सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज), आंध्र प्रदेश	216.0	233.568	8.727	363.28
7.	गोदावरी सीसीजीटी (मै. स्पैक्ट्रम टेक्नोलाजी)	206.2	—	143.44	296.59
8.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (मै. कोंडापल्ली पावर कारपोरेशन)	350	—	178.636	384.441
तमिलनाडु					
9.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै. जीएमआर पावर कारपोरेशन प्रा.लि.)	200	—	125.65	354.213
10.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै समलपट्टी पावर कंपनी), तमिलनाडु	105.66	—	55.978	172.508
11.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै. पीपीएन पावर जेनरेशन कंपनी), तमिलनाडु	330.5	—	206.549	429.80
12.	मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी की नैवेली लिग्नाइट टीपीपी, तमिलनाडु	250	—	261.59	501.1
13.	समयानल्लूर डीजीपी (मै. मदुरई पावर कारपोरेशन प्रा. लि.), तमिलनाडु	106	—	59.84	150.845

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक					
14.	तोरंगल्लू टीपीएस (मै. जिन्दल ट्रैक्टेबल), कर्नाटक	260	—	106.87	725.16
हिमाचल प्रदेश					
15.	मलाना एचईपी (मलाना पावर कंपनी लि.) हि.प्र.	86	—	—	341.911
झारखंड					
16.	जोजोबेरा टीपीएस (मै. जमशेदपुर पावर कंपनी लि.), झारखंड	240	—	—	1025.11
निर्माणाधीन परियोजनाएं					
महाराष्ट्र					
	**डाभोल सीसीजीटी चरण-II (मै. डाभोल पावर कंपनी)	1444	—	—	—
मध्य प्रदेश					
17.	महेश्वर एचईपी (श्री महेश्वर हाइडल)	400	—	211.68	921.6648
हिमाचल प्रदेश					
18.	बास्पा-2 एचईपी** (मै. जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि.)	300	—	—	949.23
आंध्र प्रदेश					
19.	रामागुण्डम टीपीपी (करीमनगर)	520	—	326.80	1228.52
उत्तरांचल					
20.	विष्णुप्रयाग एचईपी	400	—	107.35	1233.57
	कुल-क	—	238.49	4950.52	13515.163

**डाभोल परियोजना के दोनों चरणों को के.वि.प्रा. की एकल टीईसी दी गयी।

गुजरात में चारे और पानी की ढुलाई हेतु रैक्स

6696. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार महीनों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए चारे और पान की ढुलाई हेतु कितने रैकों/वाटर टैंकों के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या रेलवे ने गुजरात सरकार की मांग के अनुसार रैक आबंटित कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे को किस तरह से अभावग्रस्त क्षेत्रों की मांग को पूरा करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) रेलों पर दर्ज पत्रों के अनुसार रेलवे रेकों की व्यवस्था की जाती है। जनवरी, 2003 से अप्रैल, 2003 तक पिछले 4 महीनों

के दौरान गुजरात के लिए चारे के परिवहन के लिए 116 रेकों का लदान किया गया था और अप्रैल 2003 के अंत में 64 मांग पत्र लंबित थे। गुजरात अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए चारे की लदान के लिए और खाली रैक मुहैया कराने के लिए प्रयास किए गए हैं।

गुजरात के लिए पानी के परिवहन के लिए प्रथम मांगपत्र 28 अप्रैल, 2003 को दर्ज किया गया था और 28 अप्रैल, 2003 से 30 अप्रैल, 2003 तक, गुजरात के लिए पानी के चार रेकों का लदान किया गया है। गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी के परिवहन हेतु समर्पित रेकों की व्यवस्था की गई है।

यात्री यातायात में गिरावट

6697. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगरीय और गैर-उपनगरीय क्षेत्रों में सीजन टिकट सेगमेंट्स के संबंध में यातायात में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सीजन टिकट के संबंध में यात्री यातायात को बढ़ाने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या इससे मंत्रालय के व्यय में वृद्धि होगी; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) 15 रु. मूल्य वाले कम मूल्य के मासिक सीजन टिकटों की बिक्री काफी कम होने के कारण सीजन टिकटों की बिक्री में कमी आई थी।

(ग) सीजन टिकटों वाले यात्री यातायात में वृद्धि करने के लिए वित्त वर्ष 2003-04 में इस सेगमेंट के किरायों में वृद्धि नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेरूदंड संबंधी चोटों वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र

6698. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मेरूदंड संबंधी चोटों और अस्थि संबंधी अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र (आर.आर.सी.) स्थापित करने का है; या कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र राज्यवार किन शहरों में स्थापित किए गए हैं अथवा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या हैदराबाद में आर.आर.सी. स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना के अंतर्गत कुल कितना धन स्वीकृत किया गया और खर्च किया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां। मेरूदंड क्षति और अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए मोहाली (पंजाब), बरेली (उत्तर प्रदेश), कटक (उड़ीसा) और जबलपुर (मध्य प्रदेश) में और क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु अनुमोदित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अब तक क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों के लिए 9.35 करोड़ रुपए की कुल राशि निर्मुक्त की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीएनजी स्टेशन

6699. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री भास्करराव पाटील:
श्री नरेश पुगलिया:
डा. चरणदास महंत:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीएनजी की अनुपलब्धता के कारण वाहन चालकों को होने वाली असुविधा की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार सीएनजी वाहन चालकों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीएनजी स्टेशनों की एक श्रृंखला स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीएनजी स्टेशन स्थापित करने में रुचि दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, प्रमुख नगरों को सम्मिलित करने के लिए सीएनजी सुविधाओं का चरणबद्ध रूप से क्रमिक तरीके से विस्तार किया जाएगा। वितरण नेटवर्क के तहत आने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों में भी सीएनजी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है।

(घ) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

केबल संचालकों/दर्शकों की शिकायतें

6700. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री सईदुज्जमा:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल संचालकों ने महानगरों में अपने प्रसारणों को रोक कर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो केबल संचालकों की मुख्य शिकायतें क्या हैं;

(ग) क्या केबल संचालकों के कार्य से प्रमुख सड़कों और आम रास्तों में रूकावट और बारबार बाधाएं उत्पन्न होती हैं और सब तरफ अस्त-व्यस्त रूप से तार लटकते रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को लूटने वाले केबल संचालकों के साथ सख्ती बरतने और देशभर में टीवी केबल के कार्य को पूरा करने के लिए दर्शकों के सहयोग से अलग एजेंसी स्थापित करने और केबल नेटवर्क के माध्यम से तेजी से इन्टरनेट सेवाएं आरम्भ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार को केबल आपरेटरों द्वारा केबल नेटवर्क संबंधी नीति के खिलाफ विरोध के रूप में किसी महानगर में हड़ताल की धमकी की जानकारी नहीं है। केबल आपरेटरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला केबल मुख्यतः कोएक्सियल केबल है जो यदा-कदा प्रमुख सड़कों और आम रास्तों पर आड़ा-तिरछा लटक सकता है।

(घ) से (च) शुल्क दरों में मनमानी वृद्धि के विरुद्ध लोगों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के पे चैनलों को चुनने तथा उनके लिए भुगतान करने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से तथा प्रत्येक ग्राहक द्वारा उचित दर पर कम से कम न्यूनतम संख्या में फ्री-टू-एयर चैनल देखने को सुनिश्चित करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियंमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन कर दिया गया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के खंड 4क के उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 15 जनवरी, 2003 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया है जिससे छह महीने में प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह चार महानगरों नामतः चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में एक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण/पुनर्प्रसारण करे। उनके पश्चात पे चैनलों को देखने के लिए सेट-टाप-बाक्स की आवश्यकता होगी न कि फ्री-टू-एयर चैनलों को देखने के लिए।

सूडान में कच्चे तेल का आयात

6701. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने भविष्य की अपनी आवश्यकताओं के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु सूडान के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत-सूडान संविदा को भारत द्वारा सूडानी तेल क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार चीन के सीएनपीसी और सिंगापुर के पेट्रोनास को सूडानी कच्चे तेल की आपूर्ति में हिस्सा प्राप्त करने का भी प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो संविदा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), जो आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने खरीद मूल्य के रूप में 720 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3,456 करोड़ रुपए) का निवेश करते हुए ग्रेटर नील तेल परियोजना, सूडान में तालिसमैन एनर्जी इंक, कनाडा की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त की थी। ओवीएल की इस परियोजना, जो वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 13 मिलियन टन (एमएमटीपीए) कच्चे तेल का उत्पादन करती है, से 25 प्रतिशत इक्विटी तेल हिस्सेदारी लगभग 3 एमएमटीपीए है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में उपग्रह टेलीफोन सुविधा

6702. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के सभी जोनल और मंडल मुख्यालयों में उपग्रह दूरभाप (सेटलाइट फोन) लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी रेलगाड़ियों के चालक दल के सदस्यों को वाकी-टाकी प्रदान किए गए हैं ताकि वे सभी महत्वपूर्ण जोनों पर 25 डब्ल्यू.वी.एच.एफ. वाले स्टेशनों से संपर्क कर सकें;

(घ) क्या ये दूरसंचार सुरक्षा सहायताएं रेलवे में सभी स्थानों पर प्रदान की जानी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। सभी क्षेत्रीय तथा मंडल रेलवे मुख्यालयों में एक-एक सेटेलाइट फोन उपलब्ध करा दिए गए हैं, सिवाय दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय तथा इसके 3 मंडलों तथा नवसृजित जोनों तथा मंडलों के जिनके लिए मुहैया कराने संबंधी कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी हां। सभी गाड़ियों के ड्राइवरों तथा गार्डों को वाकी-टाकी सेट मुहैया कराए जा चुके हैं। सभी बड़ी लाइन, दोहरी लाइन तथा बहुल लाइन खंडों पर 25 डब्ल्यू वीएचएफ सेट मुहैया कराए जा चुके हैं। बड़े आमान की इकहरी लाइन, मीटर आमान की दोहरी तथा इकहरी लाइन तथा मिश्रित 2 लाइन खंडों पर 25 डब्ल्यू वी.एच.एफ. सेट मुहैया कराने की कार्रवाई विचाराधीन है।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के प्रत्येक क्षेत्रीय तथा मंडल रेलवे मुख्यालयों में एक अतिरिक्त सेटेलाइट फोन मुहैया कराने के लिए भी निदेश जारी किए हैं।

(च) बड़े आमान की इकहरी लाइन, मीटर आमान की दोहरी तथा इकहरी लाइन तथा मिश्रित 2 लाइन खंडों पर जहां अभी तक 25 डब्ल्यू वीएचएफ सेट मुहैया नहीं कराए गए हैं, उक्त सेट मुहैया कराने के लिए लगभग 900 लाख रु. खर्च होने की संभावना है और क्षेत्रीय तथा मंडल रेलवे मुख्यालयों पर अतिरिक्त सेटेलाइट फोन मुहैया कराने के लिए लगभग 65 लाख रु. का खर्च आएगा।

महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्ताव

6703. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान लाइनों का विस्तार करने, नई लाइनें बिछाने तथा वर्तमान लाइनों के दोहरीकरण हेतु अधिक प्रस्ताव किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण के कुछ प्रस्तावों का ब्यौरा तथा रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

(1) वे परियोजनाएं, जहां सर्वेक्षण किए गए हैं और परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण कार्य शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है, इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	प्रस्ताव	किमी.	लागत (करोड़ रु. में)
1.	वर्धा-पुसाद-नानदेड़ नई लाइन	260	460
2.	पुणे-मिरज-कोल्हापुर दोहरीकरण	326	647
3.	पूर्णा-खंडवा आमान परिवर्तन	625	1284
4.	पुणे-नासिक नई लाइन	265	1044
5.	दहानू-नासिक नई लाइन	168	821
6.	नंदगांव के रास्ते कोंकण रेलवे को जोड़ने के लिए कोल्हापुर नई लाइन	211	1273
7.	मालेगांव के रास्ते मनमाड-धुले नई लाइन	98	144

(2) निम्नलिखित रेल परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

1. जलगांव-उधना एवं जलगांव-सूरत दोहरीकरण
2. सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद नई लाइन
3. मनमाड-धुले-सिरपुर-इंदौर नई लाइन

(3) संसाधनों की तंगी के कारण निम्नलिखित लाइनों के सर्वेक्षण शुरू नहीं किए गए:

1. राजूरा-गढ़ चिलौरी-आदिलाबाद नई लाइन
2. अचलपुर-यावतमल-मुतिजापुर आमान परिवर्तन
3. पंढरपुर-लोनोद नई लाइन
4. गुहागर-लोनांद नई लाइन
5. बोधन-डिगलूर नई लाइन
6. पचोरा-जामनेर आमान परिवर्तन
7. मुदखेड़-काचीगुडा आमान परिवर्तन
8. जालना-वासिम नई लाइन
9. सेगांव-जालना नई लाइन
10. बोधन-भिलड़ी-नरसी-मुदखेड़-सिरूर-ताजबंद-लातूर रोड नई लाइन
11. लोहा-कंधार-मुदखेड़ नई लाइन
12. धर्माबाद-बिलोली-डिगलूर नई लाइन
13. नानदेड़-लोहा-कंगाखेड़ नई लाइन
14. लोहा-अहमदपुर-चाकूर-लातूर रोड नई लाइन
15. उदगिर-बोधन-डिगलूर नई लाइन

लोको पहियों की आवश्यकता

6704. श्री जी.एस. बसवराज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल में लोको पहियों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) कौन सी इकाइयां इन लोको पहियों की आपूर्ति कर रही हैं;

(ग) क्या रेलवे बड़ी संख्या में लोको पहियों का आयात करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उन पर देश-वार कितना खर्च किया गया;

(ङ) क्या पहियों की घटिया गुणवत्ता के कारण अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो उच्च गुणवत्ता वाले पहिये प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं। परम्परागत रेल इंजनों के लिए सभी पहियों की वार्षिक आवश्यकता की लगभग 90 प्रतिशत खरीद स्वदेशी तौर

पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (सेल) और रेल पहिया कारखाना, बेंगलूरू से की जाती है। फिलहाल, शेष पहिये आयात किये जाते हैं। क्योंकि उनकी कम आवश्यकता स्वदेशीकरण के लिए किफायती नहीं है। इसके साथ-साथ उनका स्वदेश में विकास भी किया जा रहा है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) बहरहाल, पहियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अ.अ.मा.सं. द्वारा स्वदेशी स्रोतों के विनिर्माण प्रक्रिया की आवधिक रूप से गुणवत्ता लेखा परीक्षा की जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल इंजनों के पहियों के आयात की आवश्यकता, स्रोत और उस पर किए गए खर्च का ब्यौरा

वर्ष	आवश्यकता (अदद में)	स्वदेशी		आयात		
		स्रोत	मात्रा (अदद)	स्रोत/देश	मात्रा (अदद)	भारतीय रुपयों में सीआईएफ कीमत
2000-01	27284	डीएसपी	16940	मैसर्स लुच्छीनीएसपीए, लोवेरे, ईटली	42	0.19 करोड़
		आरडब्ल्यूएफ	0	मैसर्स व्यक्सा स्टील वर्क्स, व्यक्सा, रूस	2647	4.72 करोड़
				मैसर्स निजहेंडेप्रोवस्की ट्यूब रालिंग प्लांट, उक्रेन	7,655	16.10 करोड़
जोड़	27284		16940		10,344	21.01 करोड़
2001-02	15,189	डीएसपी	13,666	मैसर्स लुच्छीनीएसपीए, लोवेरे, ईटली	284	0.39 करोड़
		आरडब्ल्यूएफ	750	मैसर्स निजहेंडेप्रोवस्की ट्यूब रालिंग प्लांट, उक्रेन	489	0.78 करोड़
जोड़	15,189		14,416		733	1.17 करोड़
2002-03	16,585	डीएसपी	13,191	मैसर्स सुमितोमो मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओसाका, जापान	492	1.21 करोड़
		आरडब्ल्यूएफ	1496	मैसर्स निजहेंडेप्रोवस्की ट्यूब रालिंग प्लांट, उक्रेनियन	104	0.16 करोड़
				मैसर्स बोनाट्रांस ए.एस., चैक रिपब्लिक	1302	3.28 करोड़
जोड़	16,585		14,687		1898	4.65 करोड़

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ट्रांसमीटर

6705. **डा. बलिराम:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितने उच्च और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में उच्च शक्ति के और टीवी ट्रांसमीटर लगाने हेतु एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना हेतु निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) उत्तर प्रदेश में 16 उच्च शक्ति और 69 अल्प/अति अल्प शक्ति टीवी ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इनके स्थान संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और बरेली में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी 2) इस समय कार्यान्वयनाधीन है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, फैजाबाद और बरेली के क्रमश: वर्ष 2003-04 और 2004-05 में चालू हो जाने की आशा है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में कार्यरत उच्च एवं अल्प/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

आगरा

इलाहाबाद

बरेली

गोरखपुर

कानपुर

लखनऊ

मऊ

वाराणसी

बांदा

लखीमपुर (अंतरिम)

इलाहाबाद (डीडी 2)

आगरा (डीडी 2)

गोरखपुर (डीडी 2)

वाराणसी (डीडी 2)

लखनऊ (डीडी 2)

कानपुर (डीडी 2)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अकबरपुर

अलीगढ़

अमरोहा

अठडामा

औरैया

बहराइच

बलिया

बलरामपुर

बस्ती

बिधूना

छिबरामऊ

देवारिया

दूधीनगर

एटा

इटावा

फैजाबाद

फरूखाबाद

फतेहपुर

गंज डुंडवाड़ा

गौरीगंज

गोंडा

हरदोई

जगदीशपुर

झांसी

करवी

कासगंज

कोसी

लालगंज (जिला रायबरेली)

ललितपुर

महोबा

माहरोनी

मैनपुरी

मऊ रानीपुर

मोहम्मदाबाद

मुरादाबाद

नानपाड़ा

नरोरा

नवगढ़

ओबरा

उरई

पीलीभीत

पुरानपुर

रायबरेली

रामपुर

राठ

रूदौली

सम्भल

शाहजहापुर

सकंदरपुर

सीतापुर

सुल्तानपुर

तालबेहट

थिरवा

अलीगढ़ (डीडी 2)

आजमगढ़ (डीडी 2)

बरेली (डीडी 2)

झांसी (डीडी 2)

लालगंज (डीडी 2) (जिला प्रतापगढ़)

मथुरा (डीडी 2)

मऊ (डीडी 2)

मुरादाबाद (डीडी 2)

रामपुर (डीडी 2)

रासरा (डीडी 2)

शाहजहांपुर (डीडी 2)

सुल्तानपुर (डीडी 2)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

खुफिया नांगल

मानिकपुर

मनकापुर

ठाकुरद्वारा (डीडी 2)

[अनुवाद]

किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन

6706. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में संशोधन के बारे में 19 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर न्याय कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जवेनिल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन एक्ट, 2000) के कतिपय प्रावधानों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मामले पर निर्णय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28.07.2003 को सुनवाई की अगली तारीख नियत की है।

[हिन्दी]

पूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा योजना

6707. **श्री रामदास आठवले:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व सैनिकों तथा बाड़मेर में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए अप्रैल, 2003 में कोई चिकित्सा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के अन्य क्षेत्रों में ऐसी चिकित्सा योजनाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) सरकार ने 1 अप्रैल, 2003 से पेंशन ले रहे सभी भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें निशक्तता पेंशन और परिवार पेंशन भोगियों के साथ-साथ उन पर आश्रित व्यक्ति जिनमें पत्नी/पति, वैध संतान जिसमें स्थायी निशक्तता पुत्र और उन पर पूर्णत: आश्रित माता-पिता भी शामिल हैं, के वास्ते व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का सदस्य बनने पर उनके वास्ते भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वस्थ्य योजना प्रारंभ की है। इस योजना में विभिन्न सैन्य स्टेशनों पर 104 सशस्त्र सैन्य संवर्धित क्लीनिकों और विभिन्न गैर मिलिटरी स्टेशनों पर 123 नए सशस्त्र सैन्य पोलिक्लीनिक स्थापित करके भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होगी। भूतपूर्व सैनिकों की आबादी और उनमें अपेक्षित सुविधाओं पर विचार करते हुए इन पोलीक्लीनिकों को 'क', 'ख', 'ग', और 'घ' प्रखार के पोलीक्लीनिकों का नाम दिया गया है। स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के पोलीक्लीनिक के वास्ते उपलब्ध कराई जाने वाली आधारभूत संरचना, चिकित्सा सुविधाओं और जन-शक्ति का निर्धारण पहले से किया जा चुका है। बाड़मेर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विद्यमान मिलिटरी स्टेशनों में से ही संवर्धित सशस्त्र सैन्य क्लीनिकों की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा रक्षा उत्पादन

6708. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी की सीमा का अध्ययन करने हेतु एक पैनल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा सौदों में निजी क्षेत्र की अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी;

(घ) यदि हां, तो कौन सी रक्षा परियोजनाएं निजी क्षेत्र को प्रदान की गई हैं; और

(ङ) यह किस सीमा तक मददगार रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के दायरे का अध्ययन करने अध्ययन करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति नहीं की गई है। निजी क्षेत्र में विविध रक्षा मदों का लाइसेंसशुदा उत्पादन करने की अनुमति हाल ही में सरकार द्वारा दी गई है जिसमें विविध मदों के विनिर्माण के साथ-साथ बुलेट प्रूफ वेस्टों/जैकेटों, कवचित एवं अन्य युद्धक वाहनों, पुल बिछाने की प्रणालियों, पोतों, पनडुब्बियों, शस्त्र प्लेटफार्मों, रडारों एवं सोनार प्रणालियों, शस्त्र लांचरों, शस्त्र एवं गोलाबारूद, टैंकरोधी शस्त्रों, तारपीडों वैमानिकी मदों एवं सैन्य वायुयानों का उत्पादन करने के लिए रक्षा मंत्रालय से परामर्श करके औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा विगत आठ महीनों में अब तक आठ आशयपत्र जारी किए जा चुके हैं। अभी तक किसी भी आशयपत्र धारक ने उत्पादन शुरू नहीं किया है।

अ.जा. के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता

6709. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अ.जा. के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, और

(ख) ऐसे अ.जा. छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) योजना आयोग के परामर्श से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्रदान की एक योजना तैयार की जा रही है।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों की पहचान

6710. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1999 में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों की पहचान हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने हाल ही में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो उस विषय पर समिति द्वारा क्या प्रमुख सिफारिशें की गई;

(घ) क्या सरकार ने सभी राज्यों तथा केन्द्रीय एजेंसियों को इन सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने का अनुदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारें पर्सन्स विद डिसउबिल्टिज (इक्वल अपोर्चुनिटीज प्रोटेक्शन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसीपेशन) एक्ट 1995 के प्रावधानों तथा विशेष समिति की सिफारिशों के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों को लागू नहीं कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए अथवा उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) जी, हां। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 32 के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले समूह क, ख, ग तथा घ पदों की पहचान/समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है तथा दिनांक 30.6.2001 को पहचान किए गए पदों की नयी सूची अधिसूचित की गई है।

(घ) जून, 2001 में अधिसूचित सूची केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है। इस अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों से उनके अपने प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, यह मंत्रालय इस मामले में राज्यों के साथ लिखा-पढ़ी करता रहा है और उन्हें सुझाव दिया है कि उनकी अपनी विशेषज्ञ समितियों द्वारा नौकरियों की पहचान करने तक वे उन नौकरियों के संदर्भ और चयन के लिए केन्द्रीय सूची का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इस अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अनुदेश जारी करता रहा है। केन्द्रीय समन्वय समिति तथा केन्द्रीय कार्यकारी समिति समुचित प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रति की गई प्रगति की समीक्षा करती रही है।

[हिन्दी]

झारखंड में सामाजिक न्याय क्षेत्र में उपलब्धियां

6711. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान झारखंड और अन्य राज्यों में सामाजिक न्याय क्षेत्र में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन कल्याण योजनाओं के लिए झारखंड सहित विभिन्न राज्यों को अलग-अलग योजनावार निधियों का कितना आवंटन किया गया है;

(ग) इन निधियों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान आज तक निधियों का दुरूपयोग किए जाने के संबंध में किसी गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ग) गत दो वर्षों के दौरान निर्मुक्त, उपयोग की गई राज्यवार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यवार कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान झारखंड तथा अन्य राज्यों में सामाजिक न्याय क्षेत्र में उपलब्धियां

विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 निर्मुक्त	2001-02 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3551.51	2007.20	7216.48
2.	असम	127.14	1453.00	512.76
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	414.68	465.1	430.25
5.	गुजरात	1227.91	435.6	559.73
6.	गोवा	0.00	0.13	0.00
7.	हरियाणा	443.53	833.8	1098.19
8.	हिमाचल प्रदेश	368.66	221.15	447.99
9.	जम्मू एवं कश्मीर	201.84	200.6	122.88
10.	झारखंड	578.84	0.00	0
11.	कर्नाटक	2985.43	2396.03	2386.12
12.	केरल	533.44	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	1148.23	1737.76	2598.12
14.	महाराष्ट्र	3314.14	854.57	1077.1
15.	मणिपुर	2.73	8.94	0
16.	उड़ीसा	2480.19	223.25	1792.01
17.	पंजाब	0.00	161.14	0.00
18.	राजस्थान	3005.41	2556.29	3422.9
19.	सिक्किम	16.68	1.68	42.21
20.	तमिलनाडु	5020.32	3385.53	4500.71
21.	त्रिपुरा	83.45	32.45	176.91
22.	उत्तर प्रदेश	11816.86	10181.17	10173.64
23.	उत्तरांचल	433.21	192.19	174.57
24.	पश्चिम बंगाल	7421.59	2333.36	6640.5
25.	चंडीगढ़	25.00	12.50	25.00
26.	दिल्ली	0.00	93.21	0.00
27.	पांडिचेरी	50.00	0.00	5.81

अनुसूचित जाति विकास निगम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 निर्मुक्तियां	2002-03 निर्मुक्तियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	498.50
2.	छत्तीसगढ़	शून्य	503.70
3.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	48.79	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	25.60

1	2	3	4
6.	कर्नाटक	391.00	160.50
7.	केरल	शून्य	437.70
8.	महाराष्ट्र	1191.47	शून्य
9.	राजस्थान	118.74	शून्य
10.	सिक्किम	शून्य	100.50
11.	तमिलनाडु	शून्य	400.00
12.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
13.	उत्तर प्रदेश	350.00	314.60
14.	उत्तरांचल	शून्य	61.40
15.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य

*राज्यों द्वारा पूर्व वर्षों में निर्मुक्त राशि की उपयोग रिपोर्ट भेजने के बाद ही राशि निर्मुक्त की जाती है।

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03
		निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	224.70	उपलब्ध नहीं	2966.80
2.	हिमाचल प्रदेश	0.00	उपलब्ध नहीं	239.96
3.	झारखंड	0.00	उपलब्ध नहीं	—
4.	कर्नाटक	695.17	65.35	888.37
5.	मध्य प्रदेश	0.00	473.47	—
6.	महाराष्ट्र	0.00	128.48	—
7.	उड़ीसा	0.00	84.6	—
8.	पंजाब	0.00	8.68	—
9.	राजस्थान	0.00	59.85	—

अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03
		निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6426.72	0.00	5804.52
2.	असम	272.31	218.32	221.32
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	229.97	185.90	106.83
5.	गोवा	0.00	0.00	2.70
6.	गुजरात	60.14	0.00	0.00
7.	हरियाणा	275.61	0.00	180.92
8.	हिमाचल प्रदेश	21.84	0.00	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	85.36	0.00	19.99
10.	झारखंड	0.00	0.00	266.64
11.	कर्नाटक	732.13	1806.13	984.47
12.	केरल	938.16	0.00	674.44
13.	मध्य प्रदेश	490.53	630.67	371.81
14.	महाराष्ट्र	658.33	0.00	1696.66
15.	मणिपुर	48.15	64.16	71.28
16.	मेघालय	5.47	5.46	6.90
17.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
18.	पंजाब	239.90	0.00	60.00
19.	राजस्थान	470.13	0.00	400.67
20.	तमिलनाडु	1168.95	1566.02	1658.56
21.	त्रिपुरा	138.71	0.00	85.06
22.	उत्तर प्रदेश	2304.94	2027.81	1994.42
23.	उत्तरांचल	411.74	0.00	0.00

1	2	3	4	5
24.	पश्चिम बंगाल	911.06	0.00	677.37
25.	दमन एवं दीव	2.50	0.00	0.08
26.	पांडिचेरी	35.00	0.00	20.03

टिप्पणी: संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के लिए प्रत्याशित व्यय तथा कवरेज के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। निधियों की खर्च में की गई शेष राशि या देय बकाया राशि को वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करते समय समायोजित किया जाता है। आसामान्य रूप से अधिक प्रत्याशित व्यय से बचने के लिए पूर्व वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण भी केन्द्रीय सहायता को निर्मुक्त करने पर विचार करते समय किया जाता है।

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03
		निर्मुक्त	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	57.94	66.88	252.60
2.	असम	—	—	8.11
3.	बिहार	15.47	26.75	20.00
4.	छत्तीसगढ़	2.24	शून्य	21.80
5.	गोवा	0.72	0.36	0.02
6.	गुजरात	510.07	411.84	0.00
7.	हरियाणा	38.20	74.13	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	4.07	9.74
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	5.09
10.	झारखंड	30.20	शून्य	1.15
11.	कर्नाटक	3.36	2.95	11.45
12.	केरल	शून्य	1.58	0.00
13.	मध्य प्रदेश	70.15	120.79	62.62
14.	महाराष्ट्र	154.41	235.23	0.00
15.	उड़ीसा	4.00	7.34	2.07
16.	पंजाब	शून्य	25.31	0.00
17.	राजस्थान	59.69	77.45	38.83
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	0.00
19.	तमिलनाडु	49.72	106.11	61.50
20.	त्रिपुरा	3.08	2.44	2.30
21.	पश्चिम बंगाल	2.87	2.89	5.60
22.	पांडिचेरी	शून्य	13.27	1.80
23.	उत्तरांचल	2.21	शून्य	7.78

टिप्पणी: संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के लिए प्रत्याशित व्यय तथा कवरेज के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। निधियों को खर्च में की गई शेष राशि या देय बकाया राशि को वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करते समय समायोजित किया जाता है। असामान्य रूप से अधिक प्रत्याशित व्यय से बचने के लिए पूर्व वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण भी केन्द्रीय सहायता को निर्मुक्त करने पर विचार करते समय किया जाता है।

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रु लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03
		निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	462.83
2.	असम	शून्य	शून्य	9.00
3.	छत्तीसगढ़	0	—	421.00
4.	गुजरात	0	—	77.00
5.	हरियाणा	2.00	प्राप्त नहीं	4.50
6.	हिमाचल प्रदेश	60.13	प्राप्त नहीं	0.00
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	—	24.97
8.	झारखंड	245.80	प्राप्त नहीं	0.00

1	2	3	4	5
9.	कर्नाटक	563.19	प्राप्त नहीं	274.31
10.	केरल	4.00	प्राप्त नहीं	0.00
11.	मध्य प्रदेश	284.37	प्राप्त नहीं	344.67
12.	महाराष्ट्र	0	—	65.75
13.	उड़ीसा	21.12	प्राप्त नहीं	0.00
14.	पंजाब	11.57	प्राप्त नहीं	0.00
15.	तमिलनाडु	182.59	प्राप्त नहीं	89.41
16.	त्रिपुरा	18.58	प्राप्त नहीं	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	155.64	प्राप्त नहीं	71.08
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	—	4.48
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	चंडीगढ़	50.18	प्राप्त नहीं	50.18

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रु लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 निर्मुक्त	2001-02 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	505.50
2.	असम	शून्य	शून्य	9.00
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	54.00
4.	गुजरात	शून्य	शून्य	23.05
5.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	38.64
6.	झारखंड	245.80	प्राप्त नहीं	0.00
7.	कर्नाटक	207.42	प्राप्त नहीं	651.84
8.	केरल	45.5	प्राप्त नहीं	79.50
9.	मध्य प्रदेश	665.74	प्राप्त नहीं	शून्य
10.	उड़ीसा	25	प्राप्त नहीं	शून्य
11.	तमिलनाडु	43.5	प्राप्त नहीं	61.50
12.	त्रिपुरा	9.49	प्राप्त नहीं	शून्य
13.	उत्तर प्रदेश	196.04	प्राप्त नहीं	36.91
14.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	40.06
15.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	35.42

अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 निर्मुक्त	2001-02 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	76.43
2.	असम	शून्य	शून्य	2.78
3.	बिहार	शून्य	शून्य	10.00
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	5.31
5.	गोवा	शून्य	1.34	0.00
6.	हरियाणा	शून्य	शून्य	8.47
7.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	5.99
8.	कर्नाटक	33.27	प्राप्त नहीं	115.63
9.	केरल	40.00	प्राप्त नहीं	16.79
10.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	24.99
11.	महाराष्ट्र	85.79	प्राप्त नहीं	0.00
12.	पंजाब	शून्य	प्राप्त नहीं	14.51
13.	राजस्थान	9.40	प्राप्त नहीं	—

1	2	3	4	5
14.	तमिलनाडु	13.38	प्राप्त नहीं	61.86
15.	त्रिपुरा	1.86	प्राप्त नहीं	1.18
16.	उत्तर प्रदेश	103.16	प्राप्त नहीं	87.85
17.	पश्चिम बंगाल	—	—	3.21
18.	दिल्ली	12.00	4.03	12.00

प्रतिभा उन्नयन

(लाख रु. में)

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03
	निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त
1. आंध्र प्रदेश	37.80	प्राप्त नहीं	26.70
3. असम	शून्य	शून्य	13.80
4. छत्तीसगढ़	9.23	प्राप्त नहीं	21.52
5. गोवा	1.43	प्राप्त नहीं	—
6. हरियाणा	7.93	प्राप्त नहीं	7.65
9. कर्नाटक	—	—	28.20
10. केरल	4.5	प्राप्त नहीं	3.00
11. मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	73.50
12. उड़ीसा	—	—	36.60
14. राजस्थान	8.24	प्राप्त नहीं	7.01
15. सिक्किम	शून्य	शून्य	1.50
16. त्रिपुरा	1.20	प्राप्त नहीं	3.00
17. उत्तर प्रदेश	30.87	प्राप्त नहीं	36.25
19. पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	45.90

अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01		2001-02
	निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त
1. आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	111.80
2. बिहार	—	—	6.00
3. गुजरात	—	—	5.45
4. हरियाणा	2.19	2.19	24.68
5. केरल	20.86	प्राप्त नहीं	22.01
6. मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	19.99
7. उड़ीसा	2.50	प्राप्त नहीं	—
8. पंजाब	शून्य	शून्य	7.76
9. तमिलनाडु	11.15	प्राप्त नहीं	—
10. उत्तर प्रदेश	2.61	प्राप्त नहीं	—
11. पश्चिम बंगाल	2.68	प्राप्त नहीं	—
12. दिल्ली	1.90	2.45	10.00

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 निर्मुक्त	2000-01 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	2001-02 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	165.01	प्राप्त नहीं	328.14
2.	बिहार	0.00	प्राप्त नहीं	65.00

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	—	—	88.27
4.	गुजरात	178.20	प्राप्त नहीं	226.62
5.	हरियाणा	13.78	13.76	27.28
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	शून्य	4.72
7.	झारखंड	—	—	105.97
8.	कर्नाटक	174.59	409.33	567.05
9.	केरल	44.15	प्राप्त नहीं	73.15
10.	मध्य प्रदेश	812.86	प्राप्त नहीं	435.98
11.	महाराष्ट्र	6.48	प्राप्त नहीं	772.52
12.	उड़ीसा	0.97	1.62	0.81
13.	पंजाब	33.10	प्राप्त नहीं	—
14.	राजस्थान	317.38	प्राप्त नहीं	19.28
15.	सिक्किम	0.00	प्राप्त नहीं	1.90
16.	तमिलनाडु	502.48	प्राप्त नहीं	336.66
17.	उत्तर प्रदेश	700.00	785.07	886.64
18.	उत्तरांचल	—	—	22.42
19.	दादरा एवं नगर हवेली	25.00	26.25	26.32
20.	पांडिचेरी	31.50	प्राप्त नहीं	29.23

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 निर्मुक्त	2001-02 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	645.25
2.	असम	0.00	0.00	26.85
3.	कर्नाटक	278.15	278.15	—
4.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	606.00
5.	तमिलनाडु	—	—	240.00
6.	त्रिपुरा	110.04	0.00	171.23
7.	उत्तर प्रदेश	1222.21	0.00	—
8.	उत्तरांचल	73.19	0.00	—
9.	पश्चिम बंगाल	—	—	184.75
10.	सिक्किम	5.00	0.00	—
11.	झारखंड	31.45	0.00	—
12.	जम्मू एवं कश्मीर	20.00	0.00	—

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिककोत्तर छात्रवृति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 निर्मुक्त	2000-01 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	2001-02 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	357.77	0.00	247.86
2.	असम	32.77	0.00	8.39
3.	बिहार	500.00	0.00	—
4.	हिमाचल प्रदेश	55.02	0.00	—
5.	जम्मू एवं कश्मीर	42.00	0.00	14.32
6.	झारखंड	191.88	0.00	214.08
7.	कर्नाटक	145.57	145.57	211.69
9.	महाराष्ट्र	452.84	0.00	0.00
10.	मणिपुर	0.00	0.00	60.20
11.	राजस्थान	0.00	0.00	198.95

1	2	3	4	5
12.	सिक्किम	0.22	0.00	5.29
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	352.81
14.	त्रिपुरा	63.31	0.00	254.03
15.	उत्तर प्रदेश	329.00	0.00	1016.14
16.	उत्तरांचल	25.92	0.00	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	258.14

अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास

(लाख रु. में)

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03
	निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त
1. आंध्र प्रदेश	188.74	0.00	210.00
2. बिहार	149.58	0.00	—
3. जम्मू एवं कश्मीर	—	—	108.27
4. झारखंड	147.28	0.00	—
5. कर्नाटक	216.99	149.6	263.77
6. मध्य प्रदेश	—	—	50.00
7. मणिपुर	0.00	0.00	—
8. उड़ीसा	—	—	120.04
9. राजस्थान	0.00	0.00	—
10. सिक्किम	20.00	0.00	20.00
11. तमिलनाडु	157.28	0.00	283.50
12. त्रिपुरा	0.00	0.00	—
13. उत्तर प्रदेश	265.13	0.00	195.47
14. पश्चिम बंगाल	—	—	68.95

विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की योजना

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
2.	गुजरात	0.00	0.00
3.	हरियाणा	0.00	0.00
4.	कर्नाटक	14.44	25.94
5.	केरल	64.46	0.00
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00
7.	मिजोरम	15.21	0.00
8.	उड़ीसा	0.00	0.00
9.	पंजाब	6.27	0.00
10.	राजस्थान	10.41	26.10
11.	तमिलनाडु	—	77.60
12.	उत्तर प्रदेश	29.05	14.10
13.	चंडीगढ़	5.72	4.35
14.	दिल्ली	6.03	0.00
15.	पांडिचेरी	1.97	0.00

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	136.40	108.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	198.35	156.05
3.	असम	260.30	203.90
4.	बिहार	322.25	251.75
5.	छत्तीसगढ़	207.00	156.05

1	2	3	4
6.	गोवा	74.45	60.35
7.	गुजरात	198.35	156.05
8.	हरियाणा	136.40	108.20
9.	हिमाचल प्रदेश	136.40	108.20
10.	जम्मू एवं कश्मीर	136.40	108.20
11.	झारखंड	210.85	156.05
12.	कर्नाटक	198.35	156.05
13.	केरल	136.40	108.20
14.	मध्य प्रदेश	384.20	299.60
15.	महाराष्ट्र	198.35	156.05
16.	मणिपुर	136.40	108.20
17.	मेघालय	136.40	108.20
18.	मिजोरम	74.45	60.35
19.	नागालैंड	136.40	108.20
20.	उड़ीसा	198.35	156.05
21.	पंजाब	136.40	108.20
22.	राजस्थान	198.35	156.05
23.	सिक्किम	74.45	60.35
24.	तमिलनाडु	198.35	156.05
25.	त्रिपुरा	74.45	60.35
26.	उत्तर प्रदेश	446.15	347.45
27.	उत्तरांचल	148.90	108.20
28.	पश्चिम बंगाल	136.40	108.20
29.	अंडमान एवं निकोबार	74.45	60.35
30.	चंडीगढ़	74.45	60.35
31.	दादरा व नगर हवेली	74.45	60.35
32.	दमन व दीव	74.45	60.35
33.	दिल्ली	74.45	60.35
34.	लक्षद्वीप	74.45	60.35
35.	पांडिचेरी	74.45	60.35

टिप्पणी: विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना राज्य क्षेत्र की योजना है। दसवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण

(रु लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 निर्मुक्त	2001-02 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	78.76	प्राप्त नहीं	95.61
2.	असम	0.00	0.00	45.69
3.	बिहार	30.08	30.08	71.90
4.	छत्तीसगढ़	—	—	8.04
5.	गोवा	4.04	प्राप्त नहीं	8.21
6.	गुजारत	47.50	प्राप्त नहीं	102.75
7.	हरियाणा	3.09	प्राप्त नहीं	116.83
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	शून्य	15.60
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	10.69
10.	झारखंड	—	—	28.60
11.	कर्नाटक	49.44	प्राप्त नहीं	123.02
12.	केरल	25.28	22.19	155.98
13.	मध्य प्रदेश	113.58	103.53	90.23
14.	महाराष्ट्र	710.77	प्राप्त नहीं	370.11
15.	मणिपुर	0.00	प्राप्त नहीं	205.06

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	5.89	प्राप्त नहीं	17.83
17.	मिजोरम	8.99	8.99	63.77
18.	उड़ीसा	—	—	215.75
19.	पंजाब	13.37	13.37	105.60
20.	राजस्थान	12.17	9.15	77.62
21.	सिक्किम	1.70	1.70	1.20
22.	तमिलनाडु	190.51	प्राप्त नहीं	90.84
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	11.57
24.	उत्तर प्रदेश	64.95	प्राप्त नहीं	250.05
25.	उत्तरांचल	—	—	30.10
26.	पश्चिम बंगाल	73.49	0.00	98.97
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	9.40
28.	दिल्ली	82.03	प्राप्त नहीं	78.16
29.	पांडिचेरी	0.00	0.00	4.95
	कुल	1518.86	189.01	2545.06

[अनुवाद]

बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

6712. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की क्या स्थिति है;

(ख) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार इस प्रतिष्ठान के पास उपलब्ध विभिन्न कार्पस निधियों का शीर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रतिष्ठान की भविष्य की योजनाएं तथा परियोजनाएं क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) डा. बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर पर शताब्दी समारोह समिति द्वारा पहचान की गई महत्वपूर्ण और दीर्घावधि की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबन्धन, संचालन और उनका कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) इस प्रतिष्ठान में मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध विभिन्न कार्पस निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का वर्षवार संलग्न विवरण-III में है।

(घ) (1) सभी वर्तमान योजनाओं को पूरा करना और उन्हें इक्कठा करना।

(2) बहु मीडिया दृष्टिकोण के माध्यम से डा. अम्बेडकर के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए गहन जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

(3) डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठानों के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यकलाप चलाना।

विवरण I

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं/ कार्यक्रम

- 26, अलीपुर रोड दिल्ली में डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना।
- डा. अम्बेडकर राष्ट्रीयजन पुस्तकालय की स्थापना।
- सामाजिक समझबूझ और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार।
- सामाजिक परिवर्तन के लिए डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
- बाबा साहेब के विचारों और सिद्धान्तों पर अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डा. अम्बेडकर पीठ।
- हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में डा. बी.आर. अंम्बेडकर की एकत्रित रचनाओं का प्रकाशन।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों को डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृति।

- डा. अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर व्याख्यान, विचार गोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां आयोजित करना।
- प्रत्येक वर्ष क्रमश: 14 अप्रैल और 6 दिसम्बर को डा. अम्बेडकर वार्षिक जन्मोत्सव और वरसी समारोह मनाना।
- महान सन्तों की वर्षगांठ मनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
- मासिक पत्रिका का प्रकाशन।

विवरण II

दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कार्पस निधियां, उत्पन्न ब्याज, उपयोग की गई ब्याज की धनराशि और शेष धनराशि दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	परियोजना/योजना का नाम	निर्मुक्त कार्पस की धनराशि	31.3.03 तक कार्पस पर अर्जित ब्याज	02.03 के दौरान उपयोग की गई ब्याज की राशि	31.03 को शेष धनराशि
1.	डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार	2.00	4.71	शून्य	4.71
2.	डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	2.50	2.68	0.18	2.50
3.	डा. अम्बेडकर समुद्रपारीय फैलोशिप	8.00	11.59	शून्य	11.59
4.	डा. अम्बेडकर पीठ (40 करोड़ रु. की कार्पस निधि से 8 करोड़ रु. 1.9.97 को निर्मुक्त)	10.00	5.56	0.59	4.97
5.	सामान्तय कार्यकलाप (किसी योजना/परियोजना के लिए निर्धारित नहीं)	32.00	23.57	0.52	23.05
6.	सामान्य कार्यकलाप (किसी योजना/परियोजना के लिए निर्धारित नहीं)	12.00	7.58	0.46	7.12
	कुल	86.00	55.69	1.75	53.94
	जोड़: कार्पस निधि				66.50
	सकल योग				120.44

विवरण III

क्र.सं.	परियोजना/योजना	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
क. कार्पस				
1.	डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार	21.80	0.75	18.00
2.	डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	16.70	—	—
3.	डा. अम्बेडकर समुद्रपारीय फैलोशिप	—	-	—

1	2	3	4	5
4.	डा. अम्बेडकर पीठ	59.11	54.75	59.00
5.	सामान्य कार्यकलाप	19.22	32.80	45.73
6.	डा. अम्बेडकर योग्यता छात्रवृत्ति	—	—	52.00
ख. सहायता अनुदान				
1.	डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुस्तकालय	—	25.00	
2.	डा. अम्बेडकर स्मारक	—	834.00	—
3.	सीडब्ल्यू ए प्रकाशन	58.56	25.00	48.52
4.	डा. अम्बेडकर फीचर फिल्म	—	20.00	—
5.	सामान्य कार्यकलाप	—	—	—
	कुल	175.39	992.30	223.25

भारतीय नौसेना की उपस्थिति

6713. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने अपने को तटों तक ही सीमित कर रखा है और भारत के लिए सामरिक महत्व के क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है जैसा कि 15 मार्च, 2003 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय नौसेना की पुनर्भराई के लिए गोदी पर आए बिना अपने तटों से बहुत दूर कार्य करने में सक्षम रहने की औसत अवधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार भारतीय नौसेना के भविष्य की भूमिका का मूल्यांकन करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय नौसेना की कार्य करने की पद्धति में परिवर्तन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय नौसेना पुनर्भराई के लिए डॉक पर आए बिना अपतटीय क्षेत्र में कार्य करते रहने की अवधि तट से दूरी, पोत का आकार आदि जैसी उसकी संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। भारतीय नौसेना का उन्नयन/संवर्धन किया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मुख्यत: खतरे की अवधारणाओं, मौजूदा बाह्य सामरिक/सुरक्षा परिवेश के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

राज्यों में सेनेटरी मार्ट .

6714. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान सेनेटरी मार्ट नगर पालिकाओं के कार्यों संबंधी स्वच्छता कराने के लिए सफाई कर्मियों को समूहों में संगठित करके स्थापित किए हैं;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक ऐसे सेनेटरी मार्ट स्थापित नहीं किए हैं;

(ग) क्या राज्यों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जबकि वे ऐसी वित्तीय सहायता का उपभोग करने में विफल रहे हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में सेनेटरी मार्ट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सैनिटरी मार्टस स्थापित किए हैं।

(ख) और (घ) वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान सैनेटरी मार्टस की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। असम, झारखंड, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों ने अभी तक उन्हें निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का अभी तक उपयोग नहीं किया है।

(ग) जी, हां।

(ङ) सैनिटरी मार्टों की शीघ्र स्थापना संबंधी मामले को समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

विवरण

सैनेटरी मोर्टों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्यों का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	10.41	शून्य	शून्य
2.	असम	शून्य	3.72	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	15.00	शून्य
4.	गुजरात	11.61	शून्य	शून्य
5.	झारखंड	शून्य	10.85	शून्य
6.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	4.67
7.	मध्य प्रदेश	8.83	शून्य	शून्य
8.	महाराष्ट्र	शून्य	15.81	शून्य
9.	राजस्थान	16.62	शून्य	शून्य
10.	तमिलनाडु	22.53	शून्य	शून्य
11.	उत्तरांचल	शून्य	10.00	शून्य
	कुल	70.00	55.38	4.67

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण

6715. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उनके मंत्रालय के तहत कार्यरत सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थानों, संबद्ध कार्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजपत्रित नौकरियों अथवा श्रेणी I और श्रेणी II के रोजगारों में नौकरियों प्रदान करने में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों हेतु निर्धारित आरक्षण नीति का कठोरता से पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों हेतु आरक्षित कितने पदों (सरकारी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र में श्रेणी I और श्रेणी II के पद) को अब तक नहीं भरा गया और उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी समिति (इरेडा) में रिक्त पद केवल अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षित है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इरेडा द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों के अनुरूप तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

इरेडा में अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त पद

क्र.सं.	समूह	पदों की सं.
1.	क	03
2.	ख	02

पदों को इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। रिक्त पद को भरने के लिए पुन: प्रक्रिया की जा रही है।

उड़ीसा में तलचर में वित्तीय संकट

6716. श्री के.पी. सिंह देव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के तलचर स्थित ताप विद्युत संयंत्र गंभीर वित्तीय संकट में फंसा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एनटीपीसी द्वारा उक्त ताप विद्युत संयंत्र के संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उड़ीसा स्थित 460 मे.वा. क्षमता के तलचर ताप विद्युत केन्द्र को तत्कालीन उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को दिनांक 3 जून, 1995 में सौंप दिया गया था और इस केन्द्र को तब से किसी वित्तीय कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नाहुर में रेलवे स्टेशन

6717. श्री किरीट सोमैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नाहुर में रेलवे स्टेशन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) निर्माण कार्य के पूरा होने की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कार्य को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) मुंबई-कल्याण खंड पर भाडुंप और मुलुंद स्टेशनों के बीच नाहुर में एक नए स्टेशन का निर्माण कार्य, निर्माण कार्यक्रम 2003-04 में 2.0 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, यह स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क/नाम मात्र के प्रभारों पर भूमि की व्यवस्था करने के अध्यधीन है। 1745 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण और उसे रेलवे को उपलब्ध कराने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

चूंकि समग्र परियोजना राज्य सरकार द्वारा भूमि के उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर है इस संबंध में संभावित खर्च, समय अनुसूची और कार्य के समय पर पूरा करने जैसा विशेष ब्यौरा फिलहाल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

दुर्घटना स्थलों हेतु स्वतंत्र पर्यवेक्षक

6718. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे दुर्घटना के पीड़ित लोगों को रेलवे द्वारा दी जा रही सहायता व राहत के पर्यवेक्षण, निगरानी और देख-रेख करने हेतु दुर्घटना स्थलों पर तुरंत जाने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को नियुक्त करेगी;

(ख) क्या रेलवे दुर्घटना संबंधी समाचार पर बहुत धीमी गति से कार्रवाई करती है;

(ग) क्या राहत ट्रेनें दुर्घटना स्थल पर बहुत देर से पहुंचती है; और

(घ) दुर्घटना स्थलों पर राहत ट्रेनों के पहुंचने में होने वाले विलम्ब को दूर करने और समय पर पहुंचने हेतु वर्तमान प्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) प्रणाली को सुधारने तथा इसे और अधिक कार्यकुशल तथा प्रभावशाली बनाने के लिए सतत् प्रयास जारी रहते हैं। कुछ प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं:-

1. तीव्रतर शुरूआती कार्रवाई के लिए तीन सवारी डिब्बे की उच्च गति वाली आत्मनिर्भर स्पार्ट्स (स्वप्रेरित दुर्घटना राहत गाड़ी) को सेवा में लगाना।
2. दुर्घटना राहत ट्रेन (आर्ट) तथा दुर्घटना राहत चिकित्सा वेन (एआरएमवी) की स्थिति का यौक्तिकीकरण।
3. आपसी सहयोग के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्तखत करना।
4. सशस्त्र बलों के साथ स्थायी व्यवस्था का संस्थानीकरण।
5. दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) तथा दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन (एआरएमवी) की अधिकतम अनुमेय गति को बढ़ाना।

6. बेहतर संचार सुविधाएं जैसे सेटेलाइट फोन तथा मोबाइल एक्सचेंजों इत्यादि की उपलब्धता।

7. विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजना को अंजाम देना।

8. आपदा स्थिति के बाद प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए फील्ड इकाइयों को सशक्त करना।

९. पूरे पैमाने पर आपदा प्रबंधन कवायदें।

[हिन्दी]

देश में विद्युतीकरण और आमान परिवर्तन

6719. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न राज्यों में विद्युतीकरण और आमान परिवर्तन की स्थिति क्या है;

(ख) देश में रेल लाइनों जिनका अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है और जिन्हें बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है उनकी जोनवार अलग-अलग किलोमीटर में लम्बाई क्या है; और

(ग) उन रेल लाइनों की लम्बाई का किलोमीटर में राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना और जिन्हें बड़ी लाइन में बदला जाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में 1782 कि.मी. विद्युतीकरण और 7890 कि.मी. आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) देश में अब तक विद्युतीकरण और बड़ी लाइनों में परिवर्तित कि.मी में रेल लाइनों की लंबाई, पृथक-पृथक, जोन वार इस प्रकार है:-

क्र. सं.	जोन/रेलवे	31.03.2003 तक विद्युतीकृत मार्ग किमी	1.4.1992 से 31.3.03 तक किया गया आमान परिवर्तन
1	2	3	4
1.	मध्य	2947	237
2.	पूर्व	2451	0
3.	पूर्वोत्तर	23	1196
4.	पूर्वो. सीमा	0	829
5.	उत्तर	1652	1548
6.	दक्षिण मध्य	1540	2044
7.	दक्षिण पूर्व	4314	290
8.	दक्षिण	1505	2116
9.	पश्चिम	2024	1570
	जोड़	16456	9830

जोनवार स्थिति नए जोनों के सृजन से पूर्व 1.4.2002 को विद्यमान 5 जोनों के संबंध में है।

(ग) 1.4.2003 को बची मीटर लाइन (मी.ला./छो.ला.) की राज्यवार शेष मार्ग लम्बाई इस प्रकार है:-

क्र. सं.	राज्य	1.4.2003 को मी.ला./छो.ला. खंडों की शेष लंबाई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	588
2.	असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र	1429
3.	बिहार	1287
	गोवा	4
4.	गुजरात	2855
5.	हरियाणा	236
	हिमाचल प्रदेश	244
6.	कर्नाटक	626
7.	केरल	114
8.	मध्य प्रदेश	1369
9.	महाराष्ट्र	1155
10.	उड़ीसा	143
	पंजाब	25

1	2	3
11.	राजस्थान	2606
12.	तमिलनाडु	1912
13.	उत्तर प्रदेश	1860
14.	पश्चिम बंगाल	795
	जोड़	17248

जहां तक रेल लाइनों के विद्युतीकरण का संबंध है, यह आवश्यकता आधारित कार्य है जिसकी निरंतर समीक्षा की जाती है। जिन मार्गों की प्रतिफल की दर 14 प्रतिशत से अधिक है और/या परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित हैं, उनका विद्युतीकरण किया जाता है।

[अनुवाद]

मंत्रालय के तहत कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

6720. **श्री ए. नरेन्द्रः**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के तहत कितने गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) कार्यरत हैं;

(ख) क्या वे सभी पंजीकृत हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गैर सरकारी संगठनों में से प्रत्येक को कितनी सरकारी निधि संवितरित की गयी है;

(ङ) उनके द्वारा निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कौन सा तंत्र प्रणाली अपनाया जा रहा है;

(च) क्या विदेशी निधियां प्राप्त करने के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों का पर्यवेक्षण करने हेतु कोई व्यवस्था है और उनका उपयोग करने के संबंध में उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के कुप्रबंधन और उसका अन्यत्र उपयोग किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान 2709 गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी गई।

(ख) जी, हां।

(ग) केवल पंजीकृत एनजीओ सहायता के पात्र हैं।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले तीन वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को इस प्रकार सहायतानुदान निर्मुक्त किया है:-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मद	वर्ष		
1.	एनजीओ की संख्या	1961	2665	2709
2.	निर्मुक्त राशि	161.65	190.19	221.40

गैर सरकारी संगठनों के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सोशलजस्टिस.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध हैं।

(ङ) उपयोग प्रमाणपत्र निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं और संगठनों की आवधिक जांच राज्य सरकार तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा की जाती है। यदि निरीक्षण के दौरान त्रुटि पाई जाती है तो अनुदानग्राही संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सहायतानुदान रोक लिया जाता है/निलंबित कर दिया जाता है तथा संबंधित राज्य सरकार/जिला कलेक्टर से सरकारी सहायता से सृजित परिसंपत्तियों को जब्त करने, इसका निपटारा करने, इस प्रकार एकत्र किए गए धन को सरकार के पास जमा कराने और भूमि राजस्व के बकाये के रूप में शेष राशि की वसूली करने के लिए कहा जाता है।

(च) और (छ) यह मंत्रालय यह सूचना नहीं रखता।

(ज) और (झ) कुछ गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रम के संबंध में विपरीत रिपोर्टें प्राप्त होने पर इस मंत्रालय द्वारा 54 संगठनों को काली सूची-बद्ध करने की कार्रवाई की गई है तथा राज्य सरकारों से अनुदानों की वसूली की अपेक्षा की गई है।

पश्चिम रेलवे में वैगनों की मांग

6721. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में प्याज, चूना, पत्थर, सीमेंट, नमक इत्यादि जैसी विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई हेतु आवश्यक वैगनों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य में यातायात की मांग को पूरा करने में रेलें पूरी तरह सक्षम रही हैं। बहरहाल, कुछ मामलों में, मुख्यत: पर्वोत्तर जैसे विशेष क्षेत्र की संचलन समस्याओं के कारण रेकों के मांग पत्रों के रजिस्ट्रेशन और रैकों की आपूर्ति के बीच कुछ समय का अंतराल हुआ है।

इन्वेन्टरीज पर व्यय

6722. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा वर्ष 2002-2003 में इन्वेन्टरीज हेतु जितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था उससे इन्वेटरीज पर हुआ व्यय काफी अधिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुशल और प्रभावी इन्वेंटरी प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन्वेन्टरीज पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु कुछ अन्य शीर्षों से धनराशि ली गयी है;

(ङ) यदि हां, तो यह धनराशि किस अन्य शीर्ष से ली गयी है और इसकी वजह से प्रभावित परियोजनाओं के नाम क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस व्यय की किस स्रोत से व्यवस्था की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलवे पर एक भली प्रकार निर्धारित प्रणाली मौजूद है, जो बजटीय प्रावधान की तुलना में पावती और निर्गमों को नियंत्रण, मानिटर और नियमित करने के लिए अत्याधिक सावधानीपूर्वक अपनाई जाती है, ताकि कुशलता एवं प्रभावी इन्वेन्टरी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) किया गया खर्च बजट व्यवस्था के अंतर्गत था।

विशेष पार्सल रेलगाड़ियां

6723. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के सुपरफास्ट ट्रेनों की 'शैडो पाथ' का उपयोग करते हुए ''विशेष पार्सल रेलगाड़ियां'' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये रेलगाड़ियां किन मार्गों पर चल रही हैं;

(ग) इन पार्सल रेलगाड़ियों द्वारा ढोए जा रहे मालों के भाड़े का ढांचा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितनी विशेष पार्सल रेलगाड़ियों को शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन पार्सल रेलगाड़ियों के चलने हेतु चिन्हित मार्गों का जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) रेलवे ने साप्ताहिक पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों की समय सारिणी जारी की है। 2002-03 के दौरान, पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों के ब्यौरे तथा उनके मार्ग विवरण में दिए गए हैं। इन गाड़ियों द्वारा ढोए गए पण्यों में नश्य एवं गैर नश्य यातायात शामिल है।

(घ) और (ङ) रेलवे अतिरिक्त पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाने की आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा करती है। यातायात की मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

विवरण

क्र. सं.	2002-03 के दौरान चलाई गई पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियां	मार्ग	शुरू करने की तारीख
1.	नई दिल्ली-गुवाहाटी-नई दिल्ली, साप्ताहिक पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी	कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, पटना, माल्दा, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बोंगाईगांव	14.07.2002
2.	नई दिल्ली-हावड़ा, नई दिल्ली साप्ताहिक पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी	कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, गया, धनबाद, आसनसोल	02.08.2002
3.	नई दिल्ली-बेंगलूर एक्सप्रेस-नई दिल्ली पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी	आगरा, झांसी, इटारसी, नागपुर, बल्लारशाह, सिकंदराबाद, धर्मावरम	23.08.2002
4.	लोक मान्य तिलक (टी)-गुवाहाटी-लोक मान्य तिलक (टी) साप्ताहिक पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी	इगतपुरी, नासिक, भुसावल, नागपुर, टाटानगर, हावड़ा, माल्दा टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बोंगाईगांव	08.10.2002
5.	चेन्नै-गुवाहाटी-चेन्नै साप्ताहिक पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी	विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, पलासा, खुर्दा, भुवनेश्वर, भद्रक, खड़गपुर, हावड़ा, मालदा टाउन	11.12.2002

कमर्शियल ब्रेक के बगैर दूरदर्शन कार्यक्रम

6724. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं कि 'पे चैनलों को नए कानून के अन्तर्गत बिना किसी कमर्शियल ब्रेक के सेवाएं प्रदान करनी होगीं और उन्हें अपने राजस्व के स्रोत के बारे में निर्णय लेना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए नियमों हेतु कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं। सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में अन्य बातों के साथ-साथ एक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पे चैनल को कार्यक्रम के प्रसारण/पुनर्प्रसारण की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टेलीविजन के दर्शकों हेतु सी.ए.एस.

6725. **श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन के दर्शकों हेतु 14 जुलाई, 2003 से कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम शुरू किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 'सी.ए.एस.' के चलते सेट टाप बाक्सों के माध्यम से पे चैनलों की रूटिंग पर बल देगी;

(ग) क्या सरकार ने 'फ्री-टू-एयर टीवी चैनल्स हेतु अधिकतम मूल्य बैंड पर निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अनेक केबल आपरेटरों ने 'सेट-टाप-बाक्सेज' हेतु अपना क्रयादेश दिया है;

(ङ) क्या प्रसारणकर्ता दर्शकों की संख्या में संभावित कमी आने की वजह से सी.ए.एस. के कार्यान्वयन को स्थगित रखने पर बल दे रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 4क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 15 जनवरी, 2003 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया है जिससे छह माह में प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह चार महानगरों नामतः चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में एक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण/पुनर्प्रसारण करे। उसके बाद पे चैनलों के देखने के लिए सेट टाप बाक्स की जरूरत पड़ेगी न कि फ्री-टू-एअर चैनलों के देखने के लिए। सरकार ने फ्री-टू-एअर चैनलों के बेसिक सर्विस टियर हेतु मासिक शुल्क तय कर लिया है और इसे शीघ्र ही घोषित किया जाना है।

(घ) बहु प्रणाली संचालक के साथ अनौपचारिक विचार विमर्शों से पता चला है कि सेट-टाप-बाक्स के लिए आदेश दिए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) सरकार का सशर्त पहुंच प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख को स्थगित करने का विचार नहीं है।

जन शताब्दी रेकों/कोचों हेतु विकासात्मक स्रोतों में कमी

6726. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन शताब्दी रेकों/कोचों के विकास और उत्पादन हेतु स्रोतों और उपकरणों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। सवारी डिब्बा कारखाने में 2002-03 में जनशताब्दी के जिन 16 रेकों के उत्पादन की योजना थी, उनका उत्पादन समय पर कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत कर्षण शुल्क

6727. श्री जी.एस. बसवराज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने उच्च विद्युत कर्षण शुल्क में कमी हेतु राज्य विद्युत विनियामक आयोग से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्ड शुल्क दरों में कमी किए जाने का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से विद्युत खरीद हेतु दीर्घावधि समझौता करने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। इस समय रेलवे 17 राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) और 3 अन्य ऊर्जा कम्पनियों से कर्षण हेतु बिजली खरीद रही है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल राज्यों को छोड़कर 13 राज्यों में राज्य बिजली नियामक आयोग (एसईआरसी) कार्य कर रहे हैं। रेलवे सहित विभिन्न उपयोगकर्ताओं हेतु टैरिफ निर्धारित करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/वितरण कंपनियों द्वारा राज्य बिजली नियामक आयोगों को टैरिफ संशोधन प्रस्ताव भेजे जाते हैं। प्रस्तावित टैरिफ पर विभिन्न उपभोगकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों और अभ्यावेदनों/जन सुनवाई की जांच करने के पश्चात् राज्य बिजली नियामक आयोग टैरिफ को अंतिम रूप देता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान रेलों ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बिजली नियामक आयोग से सम्पर्क किया है।

(ग) और (घ) जी हां। रेलवे सहित सभी उपभोगकर्ता राज्य बिजली नियामक आयोगों के समक्ष टैरिफ कम करने का आग्रह करते हैं जबकि राज्य बिजली बोर्ड/वितरण कम्पनियां अपने टैरिफ प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह करती हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

6728. डा. बलिराम: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कुल कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) उक्त राज्य में विभिन्न प्रकार की कुल कितनी अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गयी हैं और प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु राज्य को सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गयी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2002-03 के दौरान उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लगभग 258.50 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था।

(ख) और (ग) 31.3.2003 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कुल 74.12 मे.वा. क्षमता स्थापित की गई है जिसमें लघु पनबिजली से 21.50 मे.वा., बायोमास सह-उत्पादन से 46.50 मे.वा., बायोमास गैसीफायर से 2.80 मे.वा., सौर से 0.32 मे.वा. और अपशिष्ट ऊर्जा से 3.00 मे.वा. शामिल है। 31.3.2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन परियोजनाओं सहित विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 254.00 करोड़ रु. की कुल राशि उपलब्ध कराई गई है। 31.3.2003 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को विद्युत उत्पादन के लिए इन अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत 17.81 करोड़ रु. की कुल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों हेतु नेशनल ट्रस्ट की स्थापना

6729. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु**: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आत्मविमोह और अन्य मानसिक मंदन से ग्रस्ति व्यक्तियों हेतु गठित "नेशनल ट्रस्ट" ने आम जनता से दानों और उपहारों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस ट्रस्ट की स्थापना के समय से वार्षिक रूप से प्राप्त दान और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां। मार्च 2003 तक प्राप्त 79,628 रुपए राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए इसकी निधि में जमा कर दिए गए हैं।

विद्युत विनियामक आयोगों हेतु नियुक्ति

6730. **श्री इकबाल अहमद सरडगी**: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत विनियामक आयोगों जिन्हें विद्युत क्षेत्र में संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने हेतु गठित किया गया था, सफल नहीं रहे है क्योंकि अधिकांश राज्यों ने अभी भी विद्युत विनियामक आयोग की अवधारणा से सामंजस्य स्थापित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोगों को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने का विरोध हुआ है और नियुक्तियों में देर हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार विद्युत विनियामक आयोग को सभी राज्यों में कार्यान्वित करने में किस हद तक समर्थ रही है;

(ङ) क्या सभी राज्य सरकारों से इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु अनुरोध किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन वैकल्पिक है। इस अधिनियम की धारा 17 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन उचित समझे जाने पर कर सकती है। अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को कार्य की सुपुर्दगी के संदर्भ में अपने विवेक का इस्तेमाल करने का भी प्रावधान है। एक ओर जहां इस अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनिवार्य कार्यों का उल्लेख है वहीं दूसरी ओर धारा 22 की उप-धारा (2) में वैकल्पिक कार्यों का प्रावधान है जो कार्य राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को स्वेच्छा से राज्य सरकारों द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

अब तक 21 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन अथवा इस आशय की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इनमें से 17 आयोग कार्यरत हैं। 15 आयोगों ने टैरिफ आदेश निर्गत करने शुरू किए हैं।

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को कार्यशील बनाया जाना पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित कर दिया गया है।

राज्य सरकारों को आबंटित एससीपी

6731. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को एसपीसी की कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) उसी अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को कल्याण निधि की कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) प्राचीन स्मारकों की संरक्षा के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम के प्रतिष्ठानों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) न तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और न ही इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई तेल सा.क्षे. उपक्रम किसी राज्य सरकार के लिए एससीपी की किसी राशि का आबंटन करता है। तथापि तेल सा.क्षे. उपक्रम विभिन्न राज्यों में अपने-अपने परियोजना स्थलों के आसपास रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपने आप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप चलाते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए ओएनजीसी द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट धनराशि नियत नहीं की गई है।

रक्षा सौदे में पारदर्शिता

6732. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तहलका डाट काम द्वारा बनाई गई फिल्म में उजागर हुए तथ्यों के बाद रक्षा सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने रक्षा सौदों में दलाली को रोकने के लिए नई नीति तैयार की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त नई नीति किस हद तक सफल रही है; और

(ङ) यह नई नीति कितने रक्षा सौदों में लागू की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) कारगिल संक्रिया के बाद तथा तहलका डाट काम द्वारा रहस्योद्‌घाटन किए जाने के पूर्व, सरकार ने अधिप्राप्ति ढांचे सहित उच्च रक्षा प्रबंधन में फेरबदल करने का प्रयास आरंभ किया था। रक्षा अधिप्राप्तियों पर नजर रखने एवं निदेश देने के लिए क्रमशः रक्षा मंत्री एवं रक्षा सचिव की अध्यक्षता में रक्षा अर्जन परिषद और रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का गठन किया गया है जिनमें मंत्रालय के सभी विभागों और सेना मुख्यालयों को वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से सभी प्रमुख अधिप्राप्तियों की अनिवार्य तथा समयबद्ध जांच किए जाने के लिए व्यवस्था विद्यमान है। नयी रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2002 से प्रभावी हो गई है।

(ख) और (ग) सरकार की नीति एजेंटों को प्रोत्साहित करने की नहीं है तथापि, अधिकृत भारतीय प्रतिनिधियों/विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के एजेंटों की भूमिका निर्धारित की गई है तथा पंजीयन प्रणाली बनाई गई है। रक्षा खरीददारियों में भ्रष्टाचार से लड़ने संबंधी दंडनीय प्रावधान अक्षुण्ण हैं।

(घ) अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी।

(ङ) अब सभी रक्षा सौदे रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2002 के अनुसार किए जा रहे हैं।

नौकरियों में आरक्षण नीति

6733. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजपत्रित पदों अथवा श्रेणी I और श्रेणी II की नौकरियों के संबंध में क्या उनका मंत्रालय अपने अधीन आने वाले विभिन्न विभागों तथा स्वायत्त संस्थानों और संबद्ध कार्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थान व अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए आरक्षण नीति का सख्ती से पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने पदों को अभी तक नहीं भरा गया है और कुछ आरक्षित पदो (अन्य पिछड़ा वर्ग) से संबंधित व्यक्तियों के लिए नामांकित सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी I और श्रेणी II को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मंत्रालय में वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' (राजपत्रित) पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित आरक्षण नीतियों का ध्यान रखता है, द्वारा भरे जाते हैं तथा इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपने संबंधित संगठनों में तुलनीय पदों की भर्ती के समय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों से संबंधित राष्ट्रपति के निर्देशों का ध्यान रखते हैं।

(ग) और (घ) कुछ एक तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों/पदों का कुछ बैकलाग है और ये रिक्त पद भरे नहीं जा सके क्योंकि ये कंपनियां परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के उपयुक्त बनने के लिए स्वयं का इष्टतमीकरण कर रही हैं। तथापि, संबंधित तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित बकाया रिक्तियों/पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी

6734. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रसोई गैस, मिट्टी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कीमत किस तारीख से घटाई जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पेट्रोलियम क्षेत्र में 1.4.2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समप्ति के बाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी जो रियायती उत्पाद है, के अलावा सारे पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण बाजार निर्धारित हो गया है। तेल कंपनियां अब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के विद्यमान मूल्यों के साथ-साथ अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यनिर्धारण कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के लिए भी राजसहायता की समान दर की व्यवस्था करने के बाद उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन तेल कंपनियों द्वारा किए जाने हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के भविष्य के मूल्यों में परिवर्तन अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में परिवर्तनों पर निर्भर करेगा।

कूपन वैलिडेटिंग मशीनों का कार्यकरण

6735. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे ने हाल ही में कूपन वैलिडेटिंग मशीनों के कार्यकरण के संबंध में वर्ष 2003 में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या पश्चिम तथा मध्य रेलवे उपनगरीय स्टेशनों में यात्रियों को मशीनों के कार्य न करने के कारण पहले कूपन खरीदने के लिए और बाद में इस पर रबर स्टाम्प लगाने हेतु दो बार लाइन में खड़ा होना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो मध्य रेलवे पर इन मशीनों को लगाने तथा इसके रखरखाव का कितना खर्च आया; और

(घ) यात्रियों की सहायता करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) कुछ मशीनें कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अथवा शरारती तत्वों द्वारा उसमें उल्टा सीधा सामान डाल देने से खराब हो जाती है। ऐसे अवसरों पर यात्रीगण यात्रा आरंभ करने से पहले बुकिंग काउंटरों से अथवा टिकट जांचकर्मियों से हाथ से लगी मोहर वाले कूपन प्राप्त करते हैं और इसके लिए उनको प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) इस मशीन की लागत 29,651/- रु. प्रति मशीन है तथा मध्य रेलवे पर स्थापित मशीनों के वार्षिक रखरखाव का ठेका 10,62,600/- रु. का है।

(घ) सीवीएम के संचालन को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) सीवी मशीनों के संचालन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर दिन प्रति दिन आधार पर रखी जा रही है।

(2) संबंधित कर्मियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे छोटी-मोटी विफलताओं जैसे पेपरजाम, सीवी एम्स में बाह्य तत्वों की उपस्थिति आदि को स्वयं देखे और तत्काल दूर करें।

(3) बड़ी विफलताओं के मामलों में मशीनों को तत्काल ठीक करने के लिए कर्मचारियों को फोन के जरिए उस कंपनी से इंजीनियरों को बुलाने के अनुदेश दिए गए हैं जिन्हें वार्षिक अनुरक्षण ठेका सौंपा गया है।

(4) सीवी मशीनों के परिचालन के संबंध में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निशक्त व्यक्तियों के लिए धनराशि

6736. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निशक्त व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं/आतंकवाद प्रभावित बच्चों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) उपर्युक्त वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा राजस्थान में लाभान्वित होने वाले परिवारों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय की विभिन्न कल्याण योजनाओं तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान में लाभान्वित परिवारों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण I

विशेष संगठक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3720.00	3551.51	7216.48
2.	असम	1810.69	127.14	512.76
3.	छत्तीसगढ़	500.00	414.68	430.25
4.	गुजरात	1521.88	1227.91	559.73
5.	गोवा	8.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	930.63	443.53	1098.19
7.	हिमाचल प्रदेश	440.00	368.66	447.99
8.	जम्मू और कश्मीर	218.00	201.84	122.88
9.	झारखंड	500.00	578.84	0.00
10.	कर्नाटक	2643.64	2985.43	2386.12
11.	केरल$	1251.07	533.44	0.00
12.	मध्य प्रदेश$	1720.00	1148.23	2598.12
13.	मध्य प्रदेश**	2722.00	3314.14	1077.10
14.	मणिपुर$	38.96	2.73	0.00
15.	उड़ीसा	1884.00	2480.19	1792.01
16.	पंजाब	1784.00	0.00	0.00
17.	राजस्थान	3738.96	3005.41	3422.9
18.	सिक्किम	23.87	16.68	42.21
19.	तमिलनाडु	3558.00	5020.32	4500.71
20.	त्रिपुरा	476.48	83.45	176.91
21.	उत्तर प्रदेश	9398.00	11816.86	10173.64
22.	उत्तरांचल	500.00	433.21	174.57
23.	पश्चिम बंगाल	5450.63	7421.59	6640.5

1	2	3	4	5
24.	छत्तीसगढ़	25.00	25.00	25.00
25.	दिल्ली	149.91	0.00	0.00
26.	पांडिचेरी	25.18	50.00	5.81

*अनुसूचित जाति विकास निगम**

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	792.65	0.00	498.50
2.	चंडीगढ़	38.43	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	503.70
4.	गुजरात	200.00	48.79	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	25.60
6.	कर्नाटक	727.39	391.00	160.50
7.	केरल	33.60	0.00	437.70
8.	महाराष्ट्र	487.98	1191.47	0.00
9.	राजस्थान	0.00	118.74	0.00
10.	सिक्किम	0.00	0.00	100.50
11.	तमिलनाडु	0.00	0.00	400.00
12.	त्रिपुरा	12.69	0.00	0.00
13.	उत्तर प्रदेश	300.00	350.00	314.60
14.	उत्तरांचल	169.95	0.00	61.40

*गत वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशि की उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे राशि निर्मुक्त की जाती है।

सफाई कर्मचारी की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	224.70	2966.80
2.	असम	372.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1500.00	0.00	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	239.96
5.	झारखंड	10.85	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	0.00	695.17	888.37
7.	महाराष्ट्र	21.35	0.00	0.00
8.	उत्तरांचल	10.00	0.00	0.00

अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों मैट्रिकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3099.56	6426.72	5804.52
2.	असम	233.75	272.31	221.32
3.	छत्तीसगढ़	0.00	229.97	106.83
4.	गोवा	0.00	0.00	2.70
5.	गुजरात	149.39	60.14	0.00
6.	हरियाणा	126.35	275.61	180.92
7.	हिमाचल प्रदेश	21.23	21.84	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	85.36	19.99
9.	झारखंड	0.00	0.00	266.64
10.	कर्नाटक	1111.61	732.13	984.47
11.	केरल	301.90	938.16	674.44
12.	मध्य प्रदेश	382.47	490.53	371.81
13.	महाराष्ट्र	727.78	658.33	1696.66
14.	मणिपुर	43.71	48.15	71.28
15.	मेघालय	4.17	5.47	6.90

1	2	3	4	5
16.	उड़ीसा	196.98	0.00	0.00
17.	पंजाब	0.00	239.90	60.00
18.	राजस्थान	411.36	470.13	400.67
19.	तमिलनाडु	1950.46	1168.95	1658.56
20.	त्रिपुरा	141.20	138.71	85.06
21.	उत्तर प्रदेश	1383.22	2304.94	1994.42
22.	उत्तरांचल	0.00	411.74	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	1098.42	911.06	677.37
24.	दमन और दीव	1.68	2.50	0.08
25.	पांडिचेरी	30.00	35.00	20.03

अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	63.90	57.94	252.60
2.	असम	0.00	0.00	8.11
3.	बिहार	20.00	15.47	20.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	2.24	21.80
5.	गोवा	0.34	0.72	0.02
6.	गुजरात	459.25	510.07	0.00
7.	हरियाणा	0.00	38.20	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	22.05	0.00	9.74
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	5.09
10.	झारखंड	0.00	30.20	1.15
11.	कर्नाटक	3.03	3.36	11.45
12.	मध्य प्रदेश	153.45	70.15	62.62
13.	महाराष्ट्र	160.96	154.41	0.00

1	2	3	4	5
14.	राजस्थान	107.51	59.69	38.83
15.	तमिलनाडु	170.25	49.72	61.50
16.	त्रिपुरा	2.45	3.08	2.30
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	2.87	5.60
18.	पांडिचेरी	0.00	0.00	1.80
19.	उत्तरांचल	0.00	2.21	7.78
	कुल	1163.19	1000.33	510.39

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	462.83
2.	असम	0.00	0.00	9.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	421.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	77.00
5.	हरियाणा	0.00	2.00	4.50
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	60.13	0.00
7.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	24.97
8.	झारखंड	0.00	245.80	0.00
9.	कर्नाटक	495.00	563.19	274.31
10.	केरल	0.00	4.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	764.95	284.37	344.67
12.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	65.75
13.	उड़ीसा	12.75	21.12	0.00
14.	पंजाब	0.00	11.57	0.00

1	2	3	4	5
15.	तमिलनाडु	0.00	182.59	89.41
16.	त्रिपुरा	0.00	18.58	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	155.64	71.08
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	4.48
19.	चंडीगढ़	45.00	50.18	50.18

अनुसूचित जाति के लड़कियों के लिए छात्रावास व निर्माण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	505.50
2.	असम	0.00	0.00	9.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	54.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	23.05
5.	हरियाणा	140.04	0.00	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	67.30	0.00	0.00
7.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	38.64
8.	झारखंड	148.96	245.80	0.00
9.	कर्नाटक	0.00	207.42	651.84
10.	केरल	0.00	45.5	79.50
11.	मध्य प्रदेश	437.51	665.74	0.00
12.	उड़ीसा	12.75	25	0.00
13.	तमिलनाडु	258.34	43.5	61.50
14.	त्रिपुरा	22.05	9.49	0.00
15.	उत्तर प्रदेश	0.00	196.04	36.91
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	40.06
17.	चंडीगढ़	0.00	0.00	35.42

अनुसूचित जाति के लिए पुस्तक बैंक

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	116.59	0.00	76.43
2.	असम	0.00	0.00	2.78
3.	बिहार	7.38	0.00	10.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.31
5.	गोवा	0.59	0.00	0.00
6.	हरियाणा	3.27	0.00	8.47
7.	हिमाचल प्रदेश	1.00	0.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	3.45	0.00	5.99
9.	कर्नाटक	20.5	33.27	115.63
10.	केरल	13.92	40.00	16.79
11.	मध्य प्रदेश	12.79	0.00	24.99
12.	महाराष्ट्र	27.03	85.79	0.00
13.	मिजोरम	1.59	0.00	0.00
14.	उड़ीसा	9.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	8.28	0.00	14.51
16.	राजस्थान	0.00	9.40	0.00
17.	तमिलनाडु	15.21	13.38	61.86
18.	त्रिपुरा	1.68	1.86	1.18

1	2	3	4	5
19.	उत्तर प्रदेश	0.00	103.16	87.85
20.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	3.21
21.	दिल्ली	5.89	12.00	12.00
22.	चंडीगढ़	0.72	0.00	0.00

दक्षता सूची का उन्नयन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	37.80	26.70
2.	असम	0.00	0.00	13.80
3.	छत्तीसगढ़	4.20	9.23	21.52
4.	गोवा	1.05	1.43	0.00
5.	हरियाणा	8.70	7.93	7.65
6.	झारखंड	5.25	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	0.00	0.00	28.20
8.	केरल	0.00	4.50	3.00
9.	मध्य प्रदेश	16.80	0.00	73.50
10.	उड़ीसा	0.00	0.00	36.60
11.	राजस्थान	0.00	8.24	7.01
12.	सिक्किम	0.75	0.00	1.50
13.	त्रिपुरा	1.20	1.20	3.00
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	30.87	36.25
15.	उत्तरांचल	2.40	0.00	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	6.01	0.00	45.90
17.	पांडिचेरी	0.50	0.00	0.00

अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग और संबंधित योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	111.80
2.	बिहार	0.00	0.00	6.00
3.	गुजरात	0.00	0.00	5.45
4.	हरियाणा	0.00	2.19	24.68
5.	केरल	8.69	20.86	22.01
6.	मध्य प्रदेश	44.03	0.00	19.99
7.	मेघालय	1.79	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	0.00	2.50	0.00
9.	पंजाब	2.39	0.00	7.76
10.	राजस्थान	43.10	0.00	0.00
11.	तमिलनाडु	0.00	11.15	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	2.61	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	2.68	0.00
14.	दिल्ली	2.95	1.90	10.00

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) एक्ट, 1989 का संरक्षण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	208.60	165.01	328.14
2.	असम	2.00	0.00	0.00
3.	बिहार	34.03	0.00	65.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	88.27
5.	गुजरात	325.79	178.20	226.62
6.	हरियाणा	11.53	13.78	27.28

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	4.89	0.00	4.72
8.	झारखंड	0.00	0.00	105.97
9.	कर्नाटक	150.44	174.59	567.05
10.	केरल	41.95	44.15	73.15
11.	मध्य प्रदेश	977.24	812.86	435.98
12.	महाराष्ट्र	190.44	6.48	772.52
13.	उड़ीसा	0.58	0.97	0.81
14.	पंजाब	18.39	33.10	0.00
15.	राजस्थान	150.00	317.38	19.28
16.	सिक्किम	0.00	0.00	1.90
17.	तमिलनाडु	89.08	502.48	336.66
18.	उत्तर प्रदेश	448.20	700.00	886.64
19.	उत्तरांचल	0.00	0.00	22.42
20.	दादरा व नगर हवेली	27.00	25.00	26.32
21.	पांडिचेरी	28.64	31.50	29.23

अन्य पिछड़ी जातियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	645.25
2.	पश्चिम बंगाल	62.50	0.00	26.85
3.	उत्तरांचल	425.71	278.15	0.00
4.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	606.00
5.	त्रिपुरा	16.00	0.00	0.00
6.	तमिलनाडु	0.00	0.00	240.00
7.	सिक्किम	95.79	110.04	171.23

1	2	3	4	5
8.	मणिपुर	0.00	1222.21	0.00
9.	मध्य प्रदेश	0.00	73.19	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0	184.75
11.	झारखंड	0.00	5.00	0.00
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	31.45	0.00
13.	असम	0.00	20.00	0.00

अन्य पिछड़ी जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	559.25	357.77	247.86
2.	असम	94.47	32.77	8.39
3.	बिहार	0.00	500.00	0.00
4.	गोवा	25.00	0.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	55.02	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर	8.00	42.00	14.32
7.	झारखंड	0.00	191.88	214.08
8.	कर्नाटक	110.72	145.57	211.69
9.	महाराष्ट्र	0.00	452.84	0.00
10.	मणिपुर	91.36	0.00	60.20
11.	राजस्थान	0.00	0.00	198.95
12.	सिक्किम	0.00	0.22	5.29
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	352.81
14.	त्रिपुरा	0.00	63.31	254.03
15.	उत्तर प्रदेश	10.20	329.00	1016.14
16.	उत्तरांचल	0.00	25.92	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	258.14

अन्य पिछड़ी जातियों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	188.74	210.00
2.	बिहार	0.00	149.58	0.00
3.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	108.27
4.	झारखंड	0.00	147.28	0.00
5.	कर्नाटक	183.23	216.99	263.77
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	50.00
7.	मणिपुर	46.91	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	0.00	0.00	120.04
9.	सिक्किम	0.00	20.00	20.00
10.	तमिलनाडु	259.86	157.28	283.50
11.	त्रिपुरा	10.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	265.13	195.47
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	68.95

नि:शक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8.17	0.00	0.00
2.	गुजरात	14.25	0.00	0.00
3.	हरियाणा	0.52	0.00	0.00
4.	कर्नाटक	0.00	14.44	25.94
5.	केरल	0.00	64.46	0.00
6.	मिजोरम	0.00	15.21	0.00
7.	पंजाब	6.46	6.27	0.00
8.	राजस्थान	39.26	10.41	26.10
9.	तमिलनाडु	0.00	0.00	77.60
10.	उत्तर प्रदेश	17.63	29.05	14.10
11.	चंडीगढ़	4.56	5.72	4.35
12.	दिल्ली	0.00	6.03	0.00
13.	पांडिचेरी	8.71	1.97	0.00

निशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	136.40	108.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	198.35	156.05
3.	असम	260.30	203.90
4.	बिहार	322.25	251.75
5.	चंडीगढ़	207.00	156.05
6.	गोवा	74.45	60.35
7.	गुजरात	198.35	156.05
8.	हरियाणा	136.40	108.20
9.	हिमाचल प्रदेश	136.40	108.20
10.	जम्मू और कश्मीर	136.40	108.20
11.	झारखंड	210.85	156.05
12.	कर्नाटक	198.35	156.05
13.	केरल	136.40	108.20
14.	मध्य प्रदेश	384.20	299.60
15.	महाराष्ट्र	198.35	156.05
16.	मणिपुर	136.40	108.20

1	2	3	4
17.	मेघालय	136.40	108.20
18.	मिजोरम	74.45	60.35
19.	नागालैंड	136.40	108.20
20.	उड़ीसा	198.35	156.05
21.	पंजाब	136.40	108.20
22.	राजस्थान	198.35	156.05
23.	सिक्किम	74.45	60.35
24.	तमिलनाडु	198.35	156.05
25.	त्रिपुरा	74.45	60.35
26.	उत्तर प्रदेश	446.15	347.45
27.	उत्तरांचल	148.90	108.20
28.	पश्चिम बंगाल	136.40	108.20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप	74.45	60.35
30.	चंडीगढ़	74.45	60.35
31.	दादरा व नगर हवेली	74.45	60.35
32.	दमन व दीव	74.45	60.35
33.	दिल्ली	74.45	60.35
34.	लक्षद्वीप	74.45	60.35
35.	पांडिचेरी	74.45	60.35

नोट: एनपीआरपीडी योजना राज्य क्षेत्र की योजना है। 10वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना को राज्यों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

किशोर सामाजिक कुसमंजन का संरक्षण और नियंत्रण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	78.76	95.61
2.	असम	0.00	0.00	45.69
3.	बिहार	0.00	30.08	71.90
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	8.04
5.	गोवा	7.33	4.04	8.21
6.	गुजरात	35.98	47.50	102.75
7.	हरियाणा	25.06	3.09	116.83
8.	हिमाचल प्रदेश	24.58	0.00	15.60
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	10.69
10.	झारखंड	0.00	0.00	28.60
11.	कर्नाटक	87.00	49.44	123.02
12.	केरल	21.30	25.28	155.98
13.	मध्य प्रदेश	159.27	113.58	90.23
14.	महाराष्ट्र	251.16	710.77	370.11
15.	मणिपुर	5.35	0.00	205.06
16.	मेघालय	5.62	5.89	17.83
17.	मिजोरम	4.26	8.99	63.77
18.	नागालैंड	6.67	3.22	40.93
19.	उड़ीसा	0.00	0.00	215.75
20.	पंजाब	24.06	13.37	105.60
21.	राजस्थान	8.00	12.17	77.62
22.	सिक्किम	1.70	1.70	1.20
23.	तमिलनाडु	118.21	190.51	90.84
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	11.57
25.	उत्तर प्रदेश	184.45	64.95	250.05
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	30.10
27.	पश्चिम बंगाल	80.00	73.49	98.97
28.	चंडीगढ़	3.10	0.00	9.40
29.	दिल्ली	0.00	82.03	78.16
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00	4.95

जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	2182.94	2732.80	2732.80
2.	असम	2443.50	3058.99	3058.99
3.	बिहार	1711.06	556.56	556.56
4.	छत्तीसगढ़	3695.36	4626.18	4626.18
5.	गुजरात	3139.98	3930.91	3930.91
6.	हिमाचल प्रदेश	514.05	643.53	643.53
7.	जम्मू और कश्मीर	776.38	971.94	971.94
8.	झारखंड	3422.62	5870.24	5870.24
9.	कर्नाटक	616.13	771.33	771.33
10.	केरल	218.63	273.70	273.70
11.	मध्य प्रदेश	6257.12	7833.22	7833.22
12.	महाराष्ट्र	2974.57	3723.83	3723.83
13.	मणिपुर	608.65	761.96	761.96
14.	उड़ीसा	5188.40	6495.30	6495.30
15.	राजस्थान	2915.24	3649.56	3649.56
16.	सिक्किम	86.28	108.02	108.02
17.	तमिलनाडु	258.27	323.32	323.32
18.	त्रिपुरा	831.57	1041.03	1041.03
19.	उत्तर प्रदेश	41.83	32.10	32.10
20.	उत्तरांचल	58.02	92.91	92.91
21.	पश्चिम बंगाल	1759.40	2202.57	2202.57
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप	233.90	230.85	200.85
23.	दमन व दीव	66.10	99.15	99.15

संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	460.50	2715.35	2160.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	376.55	200.00	300.00
3.	असम	443.40	845.56	1023.40
4.	बिहार	0.00	209.35	209.00
5.	छत्तीसगढ़	1530.62	2086.77	2689.50
6.	गुजरात	2250.00	3050.00	2250.00
7.	हिमाचल प्रदेश	99.50	78.00	80.00
8.	जम्मू और कश्मीर	190.50	502.94	318.00
9.	झारखंड	1320.00	2208.51	2808.00
10.	कर्नाटक	420.00	1314.37	904.35
11.	केरल	0.00	117.50	588.00
12.	मध्य प्रदेश	2057.84	4346.06	4052.32
13.	महाराष्ट्र	1603.50	2672.50	2925.00
14.	मणिपुर	650.00	230.00	424.55
15.	मेघालय	477.00	0.00	555.00
16.	मिजोरम	72.00	0.00	240.00
17.	नागालैंड	950.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	2957.10	4104.91	3641.60
19.	राजस्थान	1700.00	2550.00	2224.48
20.	सिक्किम	327.88	239.38	83.00
21.	तमिलनाडु	63.00	405.00	210.00
22.	त्रिपुरा	287.50	462.50	665.00
23.	उत्तर प्रदेश	9.61	176.95	27.00
24.	उत्तरांचल	46.94	78.05	78.00
25.	पश्चिम बंगाल	835.50	1406.67	1543.00

अनु.जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	232.52	1.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	20.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	10.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	10.29	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	96.04	0.00
6.	झारखंड	0.00	197.37	0.00
7.	कर्नाटक	0.00	40.00	0.00
8.	केरल	0.00	0.59	0.00
9.	मध्य प्रदेश	44.80	0.00	400.00
10.	महाराष्ट्र	0.00	67.72	0.00
11.	मेघालय	11.00	0.00	0.00
12.	नागालैंड	32.50	0.00	32.50
13.	उड़ीसा	8.50	25.00	0.00
14.	त्रिपुरा	20.00	10.00	0.00
15.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	13.75
16.	दिल्ली	117.00	0.00	0.00

अनु.जाति के लड़कों के लिए छात्रावास

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	10.00	38.00
3.	गुजरात	0.00	21.57	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	0.00	113.50	0.00
5.	झारखंड	0.00	197.37	0.00
6.	कर्नाटक	75.00	135.00	0.00
7.	केरल	0.00	22.05	0.00
8.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	462.00
9.	महाराष्ट्र	0.00	217.19	0.00
10.	मेघालय	13.75	0.00	0.00
11.	नागालैंड	32.50	0.00	32.50
12.	उड़ीसा	12.75	30.00	0.00
13.	त्रिपुरा	0.00	40.00	0.00
14.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	13.75
15.	दिल्ली	116.70	50.00	0.00

प्रशिक्षण और संबद्ध

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	8.04
2.	असम	0.00	0.00	1.69
3.	गुजरात	0.00	0.00	8.64
4.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.9
5.	कर्नाटक	0.00	2.15	1.76
6.	उड़ीसा	0.00	2.49	4.82
7.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.20
8.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	5.48
9.	दिल्ली	0.00	0.00	8.79
10.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	2.79	0.00

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	145.16	0.00
2.	असम	0.00	0.00	44.26
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	118.95
4.	गुजरात	0.00	86.27	29.79
5.	जम्मू और कश्मीर	6.18	10.07	47.72
6.	कर्नाटक	0.00	40.50	0.00
7.	मिजोरम	28.89	18.00	36.00
8.	उड़ीसा	64.61	0.00	64.15
9.	तमिलनाडु	0.00	0.00	2.40
10.	त्रिपुरा	54.00	0.00	54.00
11.	पश्चिम बंगाल	6.02	0.00	6.13

आश्रम स्कूल

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	आंध्र प्रदेश	0.00	262.50	0.00
2.	छत्तीसगढ़	0.00	400.00	0.00
3.	गुजरात	0.00	157.30	0.00
4.	कर्नाटक	0.00	128.00	130.00
5.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	820.00
6.	नागालैंड	0.00	14.46	0.00
7.	त्रिपुरा	0.00	50.00	0.00

अन्य बैंक

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	11.66	0.00	177.72
2.	गुजरात	100.00	0.00	0.00
3.	केरल	10.16	0.00	0.00
4.	मध्य प्रदेश	0.00	80.78	712.16
5.	महाराष्ट्र	0.00	83.18	0.00
6.	उड़ीसा	184.96	100.00	0.00
7.	त्रिपुरा	18.88	18.03	0.00
8.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	28.93

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1577.74	1915.10	774.88
2.	असम	1000.00	0.00	1275.94
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	8.21
4.	हिमाचल प्रदेश	18.27	20.27	0.00
5.	जम्मू और कश्मीर	18.27	39.03	6.50
6.	कर्नाटक	301.98	239.74	75.38
7.	केरल	83.52	92.00	0.00
8.	मध्य प्रदेश	0.00	323.18	259.01
9.	महाराष्ट्र	249.08	368.61	165.02
10.	मणिपुर	665.56	737.49	820.11
11.	मेघालय	666.09	732.70	805.98
12.	मिजोरम	281.65	249.00	379.98
13.	नागालैंड	1231.94	509.82	697.19
14.	उड़ीसा	113.83	0.00	0.00

1	2	3	4	5
15.	राजस्थान	0.00	111.00	131.95
16.	सिक्किम	0.00	347.40	0.00
17.	तमिलनाडु	5.20	3.31	0.00
18.	त्रिपुरा	51.07	90.79	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	0.00	6.40	0.00
20.	उत्तरांचल	0.00	166.54	0.00
21.	पश्चिम बंगाल	64.06	73.63	0.00
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.55	1.59
23.	दमन और दीव	0.00	0.00	1.05

पुस्तक बैंक

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	30.29	47.20
2.	असम	0.00	1.99	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	8.21
4.	गुजरात	0.00	4.88	10.25
5.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	7.00
6.	कर्नाटक	0.00	23.94	20.00
7.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	30.14

1	2	3	4	5
8.	उड़ीसा	0.00	0.00	5.02
9.	राजस्थान	0.00	6.00	5.20
10.	तमिलनाडु	0.00	2.06	2.64
11.	त्रिपुरा	0.00	2.88	1.49
12.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	2.85

दक्षता का उन्नयन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2000-01 निर्मुक्त	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	12.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	6.45
3.	असम	0.00	8.85	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	21.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.15	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	2.10
7.	केरल	0.00	0.75	0.00
8.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	25.80
9.	उड़ीसा	0.00	10.20	10.20
10.	राजस्थान	0.00	7.05	4.45
11.	सिक्किम	0.00	0.00	0.75
12.	त्रिपुरा	0.00	2.40	2.40
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	4.50	6.30

विवरण II

राजस्थान राज्य में लाभान्वित परिवारों का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभार्थी		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
	अनुसूचित जाति विकास			
1.	अनुसूचित जातियों से संबंधित विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	66724	62494	63071
2.	अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	59721	62002	65110

1	2	3	4	5
3.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	3713	20184	21310
4.	अनुसचित जाति के छात्रों के पुस्तक बैंक	लागू नहीं	लागू नहीं	3067
5.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	उ.न.	3320	लागू नहीं
6.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना	172	404	800
7.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	176	लागू नहीं	87
9.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1380	1370	1140
	अन्य पिछड़ा वर्ग			
10.	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण	175	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	लागू नहीं	लागू नहीं	540
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	40
	अल्पसंख्यक			
13.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व-कोचिंग	200	150	200
	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
14.	विकलांग व्यक्तियों से संबंधित स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना	उ.न.	1384	2303
15.	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	3804	4577	5675
16.	विकलांगों को रोजगार			
	(क) लाइव रजिस्टर	6293	6761*	**
	(ख) स्थापन	75	88	**
17.	विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	—	—	—
	समाज रक्षा			
18.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	337	337	337
19.	मद्द निषेध तथा पदार्थ (नशीला दवा) दुरूपयोग निवारण संबंधी योजना	7578	5763	3933
20.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	800	800	800
21.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	250	लागू नहीं	150
22.	वृद्धाश्रमों का निर्माण	—	—	—

1	2	3	4	5
23.	देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुओं तथा छोटे बच्चों के लिए गृहों को सहायता	63	73	58
	जनजातीय कार्य मंत्रालय			
1.	बीस सूत्री कार्यक्रम का सूत्र 11 (ख)	68673	74374	85256

*श्रम मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2000 तक समेकित

**श्रम मंत्रालय से सूचना का इंतजार है।

उ.न. उपलब्ध नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अल्पावधि ऋण

6737. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक तरफ रेलवे के पास अपनी प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी धन की कमी है और दूसरी ओर यह आई.आर.एफ.सी. के माध्यम से जुटाए गए धन में से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अल्पावधि ऋण प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करना रेलवे के लिए लाभकारी है; और

(ग) यदि हां, तो रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उक्त ऋण प्रदान करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे ने भारतीय रेल वित्त निगम के ज़रिए जुटाई गई निधियों में से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई अल्पकालीन ऋण स्वीकृत नहीं किया है। बहरहाल, भा.रे.वि.नि. द्वारा रेलवे के वित्त पोषण योजना को प्रभावित किए बिना अपने संसाधनों से रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मियादी ऋण दिया गया है।

(ख) भा.रे.वि.नि. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया लागत किफायती हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण, उनके अनुरोध पर उनके द्वारा निष्पादित की जा रही रेल परियोजनाओं की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के लिए किया गया था।

अल्पसंख्यक मूल के लोगों को सहायता

6738. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक मूल के लोगों की सहायता हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना की है;

(ख) यह निगम किस सीमा तक अल्पसंख्यकों को उनकी आजीविका सुधारने में सहायता हेतु सफल रहा है;

(ग) वर्ष 2002-2003 में इस निगम द्वारा कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किए गए हैं;

(घ) क्या इस निकाय की गतिविधियों में विस्तार की योजना है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान अल्संख्यक समुदाय को व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अपने स्वयं के अवसर सृजित करने हेतु सहायता के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना एक शीर्ष निकाय के रूप में भारत सरकार द्वारा मुस्लिमों, ईसाईयों, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों सहित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर, 1994 में की गई थी।

(ख) एनएमडीएफसी ने स्थापना से अब तक अल्पसंख्यकों से संबंधित 1,78,398 व्यक्तियों की स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहायता 469.70 करोड़ रु. के ऋणों के कुल संवितरण से की है।

(ग) 2002-03 में निगम द्वारा 73.93 करोड रु. का ऋण प्रदान किया गया है।

(घ) प्रचार तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के अतिरिक्त शिक्षा ऋण योजना; महिला समृद्धि योजना, रिवाल्विंग निधि योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना तथा कारीगरों के लिए विपणन समर्थन नामक नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय व्यापार के वित्त पोषण के लिए 109.00 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।

दर्शकों के लिए पे चैनलों का विकल्प

6739. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दर्शकों की इसके चैनलों में रुचि न होने पर इनसे जुड़े रहने का विकल्प देने हेतु अपने चैनलों को पे चैनल बनाने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) सरकार का अपना स्वयं का कोई चैनल नहीं है। जहां तक प्रसार भारती का संबंध है, यह संवैधानिक स्वायत्तशासी निगम है कार्यक्रम संबंधी मामलों में इसे स्वायत्ता प्राप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

6740. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने अभी तक मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में केन्द्र सरकार किस हद तक सफल रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप समूह के मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग जनसंख्या नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। मंडल आयोग की सिफारिशें उनके कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है। उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्यों को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत ऋण

6741. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन वर्ष 2003-2004 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए लगभग 1050 करोड़ रुपये के ऋण को स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत राशि वर्ष 2002-2003 की तुलना में कितनी अधिक है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान विद्युत के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2003-2004 के लिए विद्युत के निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह प्रदान किया गया ऋण वर्ष 2003-2004 के दौरान विद्युत के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। वर्ष 2003-04 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार पावर फाइनेंस द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए 10,500 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति देने का लक्ष्य है।

(ख) वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारित ऋण की तुलना में वर्ष 2003-04 में ऋण प्रदान करने का लक्ष्य 3000 करोड़ रुपये अधिक है।

(ग) 2002-03 में 2979.40 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि का लक्ष्य था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4109.10 मेगावाट था।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए क्षमता अभिवृद्धि हेतु राष्ट्रीय लक्ष्य 5200 मेगावाट है विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन से भी ऋण लिया जाएगा। जहां तक 2003-04 के लिए क्षमता अभिवृद्धि का

लक्ष्य प्राप्त करने का प्रश्न है, पीएफसी समेत विभिन्न स्रोतों से वित्त की व्यवस्था कर ली गयी है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कश्मीर में शहीद हुए लोगों को पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों के आबंटन हेतु योजना

6742. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कश्मीर में शहीद हुए लोगों की विधवाओं को पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसी आवंटित करने की योजना को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की समय सीमा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या विधवाओं और आश्रितों को इस निधि की सूचना दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे सभी आवेदकों को सूचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) कारगिल में 'आपरेशन विजय' में शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधी को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए एक विशेष योजना है।

सरकार ने निम्न श्रेणियों में योग्य व्यक्तियों को वास्तविक अनुकम्पा आधार पर आबंटन के लिए डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का विवेकाधीन कोटा भी निर्धारित किया है:-

(1) रक्षा/अर्ध सैनिक बलों/पुलिस कार्मिकों, जो युद्ध में शहीद हो गए हों या वे व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए स्थायी रूप से अपंग हो गए हों और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास न किया गया हो, के आश्रित।

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हो गए हों या स्थायी रूप से अपंग हो गए हों और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास न किया गया हो, के आश्रित।

कश्मीर के शहीदों के आश्रित भी विवेकाधीन कोटे के अधीन डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

उपर्युक्त दोनों योजनाएं अभी लागू हैं।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा इक्विटी

6743. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का प्राथमिक बाजार में अपनी पांच प्रतिशत इक्विटी देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता के धन के उपयोग से कितने मेगावाट विद्युत के उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपनी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने पूंजीगत आधार को इनिसियल पब्लिक आफरिंग के माध्यम से बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में सरकार को अभी विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पेट्रोनेट एलएनजी परियोजना

6744. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की प्रथम एलएनजी परियोजना को बनाने वाले पेट्रोनेट एलएनजी प्रमोटर अपनी गैस के लिए खरीदारों को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से घटक जिम्मेदार है;

(ग) क्या सरकार का परियोजना लागत में वृद्धि की जांच करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की दहेज परियोजना से पुन: गैसीकृत एलएनजी की बिक्री तीन प्रवर्तक एवं माल उठाने वाली कंपनियों अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल और गेल द्वारा की जाएगी। ये कंपनियों प्राकृतिक गैस के उपभोक्ताओं और विशेषकर प्राकृतिक गैस की कमी वाले उपभोक्ताओं के साथ और ऐसे अन्य उपभोक्ताओं के साथ एलएनजी

के विपणन समझौते के लिए प्रयास कर रहीं हैं जो वर्तमान में प्राकृतिक गैस उपलब्ध न होने के कारण नाफ्था/एफओ/एलएसएचएस/एलपीजी जैसे अपेक्षाकृत महंगे ईंधनों/फीडस्टाक्स का उपयोग कर रहे हैं। माल उठाने वाले, भावी उपभोक्ता और एलएनजी आपूर्तिकर्ता एलएनजी के समझौते के लिए विभिन्न संविदात्मक और वाणिज्यिक शर्तों पर वार्ता कर रहे हैं।

(ग) पेट्रोनेट परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवार्ड की गई थी जिसमें दहेज परियोजना के निर्माण के लिए ईपीसी संविदा सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर अवार्ड की गई थी। परियोजना का निर्माण निर्धारित समय में हो रहा है और परियोजना की लागतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण

6745. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजपत्रित पदों अथवा श्रेणी-I और श्रेणी-II की नौकरियों के संबंध में क्या उनका मंत्रालय अपने अधीन आने वाले विभिन्न विभागों तथा स्वायत्त संस्थानों और संबद्ध कार्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थानों व अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग में व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए आरक्षण नीति का सख्ती से पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने पदों को अभी तक नहीं भरा गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के नामित कुछ आरक्षित पदों (सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी-I और श्रेणी-II) को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा वस्तुओं की खरीद

6746. श्री महबूब जाहेदी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000 के दौरान हेलीथॉक्स गैस, चप्पल इत्यादि जैसी छोटी वस्तुओं की एकल निविदा के आधार पर खरीद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वे वस्तुएं अभी भी अप्रयुक्त पड़ी हैं जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ऐसी अनियमितताओं की जांच कराएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आईबीपी द्वारा डीलरों हेतु नए स्थलों का चयन

6747. श्री भास्करराव पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आईबीपी ने बिना प्रेस विज्ञापनों के नए स्थलों और डीलरों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे प्रेस को जारी करने के पश्चात बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल ने स्थानों और डीलरों का चयन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा अथवा विपणन अधिभारों वाली निजी तेलशोधनशालाओं की सहायता करने हेतु ही नए आदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ये निदेश भविष्य के मामलों में ही प्रयोज्य होंगे और पहले समाप्त मामलों में नहीं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अभी भी अपनी नीति के अनुसार स्थानों और डीलरों के चयन हेतु प्राधिकृत हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए अपनी नीति बनाने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों का चयन अब तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्वयं उनके द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन जैसी प्राथमिक कार्यवाही संबंधित तेल कंपनियों के द्वारा आरंभ की गई है। आईबीपी कं. लिमिटेड ने उनके द्वारा प्रारूपित नीति के अनुसार डीलरों के चयन के लिए कुछ साक्षात्कार किए हैं।

क्षमता संवर्द्धन के संबंध में एनटीपीसी का प्रदर्शन

6748. श्री रामजी मांझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौंवी योजना अवधि के दौरान क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के संबंध में एनटीपीसी का प्रदर्शन खराब तथा असंतोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं; और

(ग) एनटीपीसी के कार्यकरण को दुरूस्त करने हेतु क्या उपाय किए गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) नौवीं योजना के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) हेतु क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 5300 मेगावाट था। इसकी तुलना में एनटीपीसी ने 9वीं योजना के दौरान 2700 मेगावाट की क्षमता अभ्वृद्धि प्राप्त की है।

(ख) और (ग) एनटीपीसी की अंता, औरया, कवास और गंधार स्थित प्रत्येक गैस आधारित संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजनाओं में 650 मेगावाट से दूसरा चरण विस्तार का पिछड़ना ही क्षमता अभिवृद्धि में कमी का प्राथमिक कारण है। एनटीपीसी ने अब विद्यमान/विस्तार गैस परियोजनाओं के लिए एलएनजी/ प्राकृतिक गैस/पुनर्गैसीकृत एलएनजी प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का सहारा लिया है। गैस आधारित परियोजनाओं की स्थापना पना युक्तिसंगत सुनिश्चित कीमत पर एलएनजी/प्राकृतिक गैस की उपलब्धता/स्टेशन से विद्युत खरीदने के लिए लाभभोगियों की वचनबद्धताओं एवं शर्तों पर निर्भर करती है।

एनटीपीसी की 10वीं योजना अवधि के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं से क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 9160 मेगावाट है। परियोजनाओं की प्रगति की सघन मानीटरिंग की जा रही है और इनका क्रियान्वयन कार्यक्रमानुसार चल रहा है।

सी.सी.आई. मे कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान न किया जाना

6749. श्री वाई.वी. राव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को गत आठ महीनों से प्रत्येक महीने नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत भर में अनावश्यक स्थानान्तरण को रोककर और आवेदन करने वालों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार कर सी.सी.आई. में अनावश्यक व्यय में कटौती हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की तीन प्रचलन इकाईयों अर्थात, राजबन (हिमाचल प्रदेश) बोकाजन (असम) तथा तंदुर (आंध्र प्रदेश) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कंपनी के आंतरिक संसाधनों से नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की शेष 7 इकाईयों जो उत्पादन में नहीं है अर्थात मंधार (छत्तीसगढ़), कुरकूंटा (कर्नाटक), नयागांव (मध्य प्रदेश), अकलतारा (छत्तीसगढ़), चरखी दादरी (हरियाणा), आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश), दिल्ली ग्राईडिंग इकाई (दिल्ली)/बीजीयू के लिए सरकार ने जून 2002 तक वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिए निधियां पहले ही जारी कर दी हैं।

(ख) इन सात इकाईयों में वित्तीय अक्षमता, धन की कमी इत्यादि के कारण उत्पादन बहुत पहले ही बंद हो गया है। सरकार ने वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिए पहले ही 130 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी लागू की गई है।

(ग) केवल आवश्यक आधारित स्थानांतरण ही किए जा रहे हैं। उन कर्मचारियों जिनकी सेवाएं संगठन के लिए आवश्यक हैं, को छोड़कर उन सभी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जा रही जिन्होंने आवेदन किया हैं।

मोटरचालकों को टेलीविजन देना

6750. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने मोटरचालकों को टेलीविजन प्रदान करने हेतु तकनीकी दक्षता हासिल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मोटरचालकों को इस सेवा के क्या लाभ होंगे;

(ग) क्या दूरदर्शन को इस बात की जानकारी है कि मोटरचालक मोटर चलाते समय टेलीविजन देख सकते हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन ने चलती कारों में टेलीविजन के संबंध में अन्य देशों में विद्यमान कानूनों का कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह अध्ययन करने हेतु किन कदमों का प्रस्ताव किया गया है कि दूरदर्शन द्वारा ऐसी सुविधा दिये जाने से सड़कों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) दूरदर्शन द्वारा प्रयोगात्मक सेवा हेतु दिल्ली, मुम्बई कोलकाता और चेन्नई में स्थापित किए गए चार डिजिटल ट्रांसमीटर में चल अभिग्रहण उपलब्ध कराने की क्षमता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहीदों के परिवारों को आवास

6751. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारगिल युद्ध के शहीदों और उसमें भाग लेने वाले सैनिकों के कितने परिवारों को वाजपेयी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संक्रिया विजय (कारगिल) और 1-5-1999 के बाद की अन्य संक्रियाओं में (1) मारे गए सिपाहियों की पत्नियों/निकटतम संबंधियों और (2) स्थायी रूप से निशक्त हुए सैनिकों को "विजयी वीर आवास योजना" के तहत आबंटन के लिए 414 मकान निर्धारित करके एक योजना बनाई है। संक्रिया विजय कारगिल के मामले में 177 मकान और अन्य संक्रियाओं के मामलों में संबंधित 139 मकान इस योजना के तहत आबंटित किए जा चुके हैं जो 30 सितंबर, 2003 तक खुली है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षक

6752. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की संरक्षक संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय महिलायें पाकिस्तान में बेची जाती हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान तस्करी का केन्द्र बन गया है कि और वहां पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की खुलेआम मेलों में बिक्री होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सामाजिक बुराई को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलगाड़ियों के संचालन में निजी क्षेत्र के निगम

6753. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों के संचालन में निजी क्षेत्र के निगमों को लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.एफ.टी.आई. के शैक्षणिक कार्यक्रम

6754. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे ने एक पुनर्गठित शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिवर्ष प्रत्येक पाठ्यक्रम से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष में संस्थान को आवंटित और इसके द्वारा व्यय राशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) शैक्षणिक समिति की सिफारिशों के आधार पर 1996 की पाठ्यक्रम पुनर्संरचना की गयी थी। संशोधित पुनर्संरचित पाठ्यक्रम को शासी परिषद द्वारा अगस्त, 1999 में अनुमोदित किया गया था जिसे शैक्षिक वर्ष 2000 से लागू कर दिया गया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 1991 से 1999 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2000 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष में हैं और वर्ष 2001 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में हैं। तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा अभी होनी है।

(घ) भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को आवंटित धनराशि और उसके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है–

वित्त वर्ष	आबंटित धनराशि (लाख रुपयों में)		किया गया वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	
	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
2000-01	533.20	196.32	561.41	365.00
2001-02	519.13	125.00	572.24	125.00
2002-03	451.67	30.00	564.63	30.00

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान हेतु गैर-योजना और योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान क्रमशः 503.27 लाख रुपये और 358.00 लाख रुपये है। अब तक चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान द्वारा किए गए वास्तविक व्यय में संस्थान द्वारा अर्जित राजस्व का भाग और वर्ष 2000-01 के दौरान खर्च न हुई बकाया राशि शामिल है।

विवरण

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के डिप्लोमाधारी

उत्तीर्ण करने का वर्ष	फिल्म निर्देशन	चलचित्र फोटोग्राफी	ध्वनि रिकार्डिंग एवं ध्वनि अभियांत्रिकी	फिल्म सम्पादन	कुल
1	2	3	4	5	6
1991	6	4	2	6	18
1992	5	10	9	8	32
1993	8	8	8	10	34
1994	10	9	9	10	38

1	2	3	4	5	6
1995	10	8	8	9	35
1996	10	10	10	9	39
1997	10	10	7	10	47
1998	7	10	8	पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया गया	25

उत्तीर्ण करने का वर्ष	निर्देशन में पोस्ट डिप्लोमा	चलचित्र फोटोग्राफी	आडियोग्राफी	फिल्म संपादन	निर्माण प्रबंधन (फिल्म एवं टीवी)	कला निर्देशन (फिल्म एवं टीवी)	कुल
1999	4	10	4	11	6	8	43

रसोई गैस का आयात/निर्यात

6755. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित रसोई गैस का भी कुछ देशों में निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रसोई गैस के इस आयात और निर्यात के कारण हुई हानि/लाभ कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी नामतया इंडियन आयल पेट्रोनास प्रा.लि. द्वारा आयोजित आयातों में से बंगलादेश के लिए एलपीजी की 270 एमटी मात्रा निर्यात की है।

(ख) बंगलादेश में एलपीजी बाजार की शुरूआत करने के लिए।

(ग) निर्यातों की उपर्युक्त मात्रा में आईओसी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की मात्रा 84000 अमरीकी डालर है, जिसमें से लाभ लगभग 4600 अमरीकी डालर है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र को आबंटित धनराशि

6756. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे कितने विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की योजना तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यों को निर्मुक्त और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र में गत वर्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 1.57 लाख थी।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1.	आंध्र प्रदेश	8.17	0.00	0
2.	गुजरात	14.25	0.00	0
3.	हरियाणा	0.52	0.00	0
4.	कर्नाटक	0.00	14.44	25.94
5.	केरल	0.00	64.46	0.00
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
7.	मिजोरम	0.00	15.21	0.00
8.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
9.	पंजाब	6.46	6.27	0.00
10.	राजस्थान	39.26	10.41	26.10
11.	तमिलनाडु	0.00	0.00	77.60
12.	उत्तर प्रदेश	17.63	29.05	14.10
13.	चंड़ीगढ़	4.56	5.72	4.35
14.	दिल्ली	0.00	6.03	0.00
15.	पांडिचेरी	8.71	1.97	0.00

टिप्पणी: राज्य सरकारों को योजना के मानदंडों के अनुसार सहायता की अदायगी की जाती है।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01		2001-02	
		निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्त	के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	136.40	136.40	108.20	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	198.35	—	156.05	—

1	2	3	4	5	6
3.	असम	260.30	—	203.90	254.60
4.	बिहार	322.25	309.70	251.75	—
5.	छत्तीसगढ़	207.00	—	156.05	—
6.	गोवा	74.45	—	60.35	20.42
7.	गुजरात	198.35	—	156.05	—
8.	हरियाणा	136.40	—	108.20	—
9.	हिमाचल प्रदेश	136.40	—	108.20	57.37
10.	जम्मू एवं कश्मीर	136.40	—	108.20	—
11.	झारखंड	210.85	—	156.05	—
12.	कर्नाटक	198.35	22.20	156.05	44.11
13.	केरल	136.40	—	108.20	—
14.	मध्य प्रदेश	384.20	—	299.60	—
15.	महाराष्ट्र	198.35	198.40	156.05	—
16.	मणिपुर	136.40	—	108.20	—
17.	मेघालय	136.40	—	108.20	—
18.	मिजोरम	74.45	—	60.35	—
19.	नागालैंड	136.40	—	108.20	122.00
20.	उड़ीसा	198.35	—	156.05	—
21.	पंजाब	136.40	—	108.20	—
22.	राजस्थान	198.35	—	156.05	—
23.	सिक्किम	75.45	74.45	60.35	60.35
24.	तमिलनाडु	198.35	—	156.05	26.85
25.	त्रिपुरा	74.45	—	60.35	—
26.	उत्तर प्रदेश	446.15	25.64	347.45	—
27.	उत्तरांचल	148.90	—	108.20	—
28.	पश्चिम बंगाल	136.40	52.62	108.20	—
29.	अंडमान एवं निकोबार	74.45	—	60.35	—
30.	चंडीगढ़	74.45	—	60.35	—

1	2	3	4	5	6
31.	दादर एवं नगर हवेली	74.45	4.76	60.35	0.32
32.	दमन एवं दीव	74.45	0.91	60.35	1.75
33.	दिल्ली	74.45	—	60.35	—
34.	लक्षद्वीप	74.45	—	60.35	—
35.	पांडिचेरी	74.45	—	60.35	28.64

* 2002-03 से राज्यों को सौंपी।

[अनुवाद]

नौसेना करार में अनियमिततायें

6757. **श्री रामजी मांझी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी एक रिपोर्ट में नौसेना संबंधी समझौतों में व्यापक अनियमितताओं और कलपुर्जों, उपकरणों और घटिया स्तर की अन्य वस्तुओं पर बेवजह आर्थिक व्यय की बात पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने नौसेना को यह सलाह दी है कि वह उच्च उपयोग वाली वस्तुओं की पहचान करने और उनकी खुली निविदा या दर संविदा के आधार पर ही करे;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने यह पाया है कि खुली निविदा आमंत्रित करने की बजाय एकल और सीमित निविदायें ही बहुतायात में आमंत्रित की जाती थीं;

(घ) क्या इस मामले की जांच करने और इसके लिये दोषी पाये गये लोगों को सजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो भंडार और लेखन सामग्री की खरीद को बेहतर बनाने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने की प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उल्लिखित अधिकांश मामले 1995 और 1997 के बीच संभारिकी प्रत्यायोजन अधिप्राप्तियों से संबंधित हैं। इस अवधि में खरीदी गई लाखों मदों में से पुनरीक्षित केवल 4 मामलों का उल्लेख किया गया है। अत: इन मामलों को व्यापक नहीं माना जा सकता।

(ख) नौसेना भंडारों के संबंध में कड़े विनिर्देशन हैं तथा इन्हें सीधी खरीद से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जहां प्रतियोगिता पैदा करना संभव हो, गुणता के लिए अच्छी साख वाले पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क किया जाता है, अथवा खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आमतौर पर उपलब्ध मदें आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नौसेना मुख्यालय तथा नौसेना मुख्यालय सामग्री संगठनों द्वारा की गई दर संविदाओं के माध्यम से खरीदी जाती है। अत: नियंत्रक एवं महालेखीपरीक्षक की सिफारिशों का पहले ही क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने एकल निविदा का मामला उठाया है परंतु उन्होंने ऐसा स्वामित्व मद प्रमाणपत्र को एकल निविदा के समान मान कर किया है। नौसेना राजस्व अधिप्राप्ति का लगभग 70 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों तथा उपस्करों के लिए होता हैं जिन्हें स्वामित्व मद प्रमाणपत्र के आधार पर मूल उपस्कर विनिर्माता से खरीदा जाता है। विशेषकर यूक्रेन तथा रूस के मामले में, जहां पर एकाधिकार व्यापार है, इस प्रकार की अधिप्राप्तियां उनकी सरकारी एजेंसियों, यूक्रेसपेटसएक्सपोर्ट तथा रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट, के माध्यम से होती हैं। कुछ रूसी फर्मों के साथ, जिन्हें हमारे साथ सीधे व्यापार करने की अनुमति होती है, उपलब्ध होने, पर प्रतियोगिता पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। पश्चिमी देशों से अधिप्राप्ति के मामले में स्थिति यही रहती है। यह मानना होगा कि विशिष्ट उपस्कर स्वामित्व मद प्रमाणपत्र अथवा सीमित निविदा के आधार पर खरीदे जा सकते हैं।

(घ) चूंकि अधिप्राप्ति अनुमोदित प्रक्रिया तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, इसलिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा नौसेना मुख्यालय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के लिए किसी भी व्यक्ति को इंगित नहीं किया गया था।

(ङ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 1992 को अद्यतन कर लिया गया है तथा रक्षा मंत्रालय रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2002 का कड़ाई

से अनुपालन कर रहा है। नौसेना मुख्यालय ने प्रत्याजित वित्तीय शक्तियों के तहत अधिप्राप्ति हेतु विस्तृत अधिप्राप्ति दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में धोबी समाज को शामिल किया जाना

6758. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के "धोबी समाज" ने अपने को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्हें उक्त राज्यों के एक या दो जिलों में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने भी केन्द्र से इसके लिए सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश धोबी महासभा, इन्दौर से धोबी समुदाय को समस्त मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) फिलहाल धोबी समुदाय मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन तथा सिहोर जिलों में तथा समस्त राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध हैं।

(ग) धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत के महापंजीयक के प्रस्ताव से अनुमोदित रूप रेखा के अनुसार कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार से समस्त मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए उनके प्रस्ताव के समर्थन में अतिरिक्त नृजाति सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उच्च शक्ति वाले वी.एच.एफ. मोबाइल सेटों की सुविधा

6759. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर उच्च शक्ति वाले वी.एच.एफ. मोबाइल सेटों की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च शक्ति वाले वी.एच.एफ. मोबाइल सेटों पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) रेलों ने पहले ही सभी गाड़ियों के ड्राइवरों तथा गार्डों को 5 वाट के मोबाइल वीएचएफ सेट तथा बड़े आमान की दोहरी लाइन तथा बहुल लाइन खंडों के सभी स्टेशनों पर 25 वाट के वीएचएफ सेट मुहैया करा दिए है। इस सुविधा को ब.ला. इकहरी लाइन, मी.ला./ दोहरी लाइन तथा इकहरी लाइन तथा मिश्रित 2 लाइन खंडों पर मुहैया कराने पर विचार किया जा रहा है और इस पर लगभग 900 लाख रु. की लागत आने की संभावना है।

[अनुवाद]

आतंकवादी विरोधी कार्रवाई

6760. **श्री एन. जर्नादन रेड्डी:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कश्मीर और देश के अन्य भागों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में सेना के कितने जवान मारे गए और कितने घायल हुए;

(ख) क्या यह शांतिकाल के दौरान किसी सेना के लिए हुई दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा आंकड़ा है;

(ग) यदि हां, तो हताहतों के इतने अधिक आंकड़ों के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(घ) क्या आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में लगे सैन्य बलों और अन्य आसूचना एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ऐसे शहीदों के आश्रितों को कोई विशेष सुविधाएं प्रदान करती हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ज) गत तीन वर्षों के दौरान 29 अप्रैल, 2003 तक जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी कार्रवाइयों में मारे गए/घायल हुए सेना के जवानों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	मारे गए	घायल हुए
2000	352	783
2001	364	1014
2002	256	667
2003 (29.4.2003 तक)	37	99
कुल	1009	2563

2003 के हताहतों के आंकड़ों का रिकार्ड कार्यालयों के आंकड़ों से मिलान किए जाने के अध्यधीन है।

संक्रियाओं की गहनता तथा जम्मू और कश्मीर में कार्य कर रहे आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान द्वारा मुहैया कराए जा रहे साधनों के परिप्रेक्ष्य में, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित छद्म युद्ध का मुकाबला करने के दौरान सेना के हताहतों की संख्या अधिक नहीं मानी गई है।

सेना तथा आतंकवाद विरोधी संक्रियाओं में लगी हुई अन्य आसूचना एजेंसियों गहरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं। फील्ड स्तर पर उच्चतर स्तर पर आसूचना का मुक्त आदान-प्रदान होता है। राज्य स्तर के तथा नई दिल्ली स्थित बहु-एजेंसी केन्द्र के विभिन्न औपचारिक मंचों पर नियमित रूप से बातचीत हो रही है।

आतंकवादी कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के निकटतम रिश्तेदारों के लिए एक व्यापक कल्याण पैकेज, जिसमें ग्रेडिड स्केल पर एकमुश्त अनुग्रही मुआवजा, दिवंगत कार्मिक द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर उदारीकृत परिवार पेंशन, यथालागू विनिर्दिष्ट दर के अनुसार मृत्यु उपदान और परिवार उपदान और यथालागू परिरक्षा शामिल हैं, तैयार करके लागू किया गया है। देय राशि का भुगतान किया जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा दिवंगत कार्मिक के निकटतम रिश्तेदार को सभी यथालागू लाभ आवश्यक कागजात पूरा होने तथा कानूनी आवश्यकताएं पूरा होने पर दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बुंदी से डीडी-2 के कार्यक्रमों का प्रसारण

6761. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रसारण की शुरूआत करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में बुंदी के डीडी-1 पारेषण केन्द्र से डीडी-2 के कार्यक्रमों को प्रसारित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जयपुर में स्थित पूर्ण रूप से सुसज्जित दूरदर्शन केन्द्र के अलावा राजस्थान 100 टीवी रिले ट्रांसमीटर हैं जो वहां पर कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डीडी-2 सेवा के लिए बूंदी में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की एक स्कीम इस समय कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना के वर्ष 2004 के दौरान पूरी हो जाने की आशा है।

निर्दोष रेल यात्रियों को पीटा जाना

6762. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत वर्ष दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में विशेष टिकट निरीक्षक द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस की मिलीभगत से निर्दोष दैनिक रेल यात्रियों को पीटे जाने के संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अभी तक दोषी पाए गए विशेष टिकट निरीक्षक और राजकीय रेलवे पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टायरों और ट्यूबों का उपयोग

6763. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने आयुध निर्माणियों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया है कि सम्पूर्ण कार्यबल द्वारा सैंड कम-हाइवे टायर्स के उपयोग संबंधी कार्यान्वयन नीति की विफलता की वजह से 15,185 टायर और 6,669 ट्यूब अप्रयुक्त पड़े हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या 1.66 करोड़ रुपये के 5,492 टायरों और 6,669 ट्यूबों की मियाद पहले ही समाप्त हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नीति निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किए जाने और आवश्यकताओं के गलत आकलन करने की वजह से आवश्यकता से अधिक टायरों और ट्यूबों का प्रावधान किया गया, का उत्तरादायित्व निर्धारित करने हेतु किसी न्यायिक जांच अथवा जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या है और जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा इस हानि हेतु किन लोगों को दोषी ठहराया गया है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी हानियों से बचने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 2002 (रक्षा सेवाएं) की रिपोर्ट संख्या 7 के पैरा 23 (प्रकरण-2), में यह उल्लेख किया गया है कि सैंड-कम-हाइवे टायरों के उपयोग की नीति के क्रियान्वित न हो पाने के कारण 15185 टायर तथा 6669 ट्यूब अप्रयुक्त पड़े थे। ये सैंड-कम-हाइवे टायर जोंगा वाहनों में इस्तेमाल करने के लिए खरीदे गए थे क्योंकि रेगिस्तानी तथा अर्धरेगिस्तानी भू-भागों में प्रशिक्षण तथा संक्रियात्मक अभियानों के दौरान सैन्य टुकड़ियों की गतिशीलता बनाए रखने के लिए इनकी प्रचालनात्मक जरूरत महसूस की गई थी। इन सैंड-कम-हाइवे टायरों को सामान्य क्रास कंट्री टायरों के अतिरिक्त खरीदा गया था क्योंकि इनका इस्तेमाल केवल प्रशिक्षण तथा संक्रियात्मक अभियानों के दौरान किया जाना था। इन सैंड-कम-हाइवे टायरों/ट्यूबों का आरक्षित भंडार रखना एक प्रचालनात्मक जरूरत थी।

(ख) लेखापरीक्षा पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि 5492 टायरों तथा 6669 ट्यूबों की भंडारण अवधि समाप्त हो चुकी है। टायरों/ट्यूबों की भंडारण अवधि का समाप्त होना सीधे-सीधे उस स्थान की जलवायु की परिस्थितियों तथा भंडारण व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है जहां ये रखे होते हैं। उक्त सैंड-कम-हाइवे टायरों को आदर्श तापमान/भंडारण व्यवस्था में रखा गया था जिससे उनका संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हुआ, जैसाकि बाद में उनके इस्तेमाल से सिद्ध हुआ जिसमें ये टायर पूरे कि.मी. चले थे तथा कोई खामी संबंधी रिपोर्ट नहीं मिली थी। शत-प्रतिशत टायरों तथा ट्यूबों का पूर्ण तथा संतोषजनक इस्तेमाल किया जा चुका है। हाल ही में शामिल की गई एमएंडएम 550 एक्स डी नामक जीप के मामले में भी इन टायरों तथा ट्यूबों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए इन रिजर्व भंडारों को रखे जाने की जरूरत बराबर बनी हुई है।

(ग) टायर तथा ट्यूबों की संपूर्ण मात्रा के संतोषजनक इस्तेमाल के मद्देनजर जांच अदालत की जरूरत नहीं समझी गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कोलकाता दूरदर्शन में कार्यक्रमों के चयन हेतु मानदंड

6764. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सुनील खां:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता दूरदर्शन में टाईम स्लाट देने और समय विस्तार देने के मामले में प्रसार भारती में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो कोलकाता दूरदर्शन केन्द्र में दिखाए जा रहे दैनिक कार्यक्रम/स्लाट की संख्या का ब्यौरा क्या है और कार्यक्रमों के चयन का क्या मानदंड है;

(ग) क्या बाहरी निर्माताओं द्वारा सभी स्लाटों आवंटित निर्मित कार्यक्रमों के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुरूद्वारों को दिए जा रहे रसोई गैस सिलेंडरों हेतु बाजार कीमत का लिया जाना

6765. श्री जे.एस. बराड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में गुरूद्वारों में दिए जा रहे रसोई गैस सिलिंडरों के लिए घरेलू कीमत के बजाय बाजार कीमत वसूलने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने और यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार ने ऐसी कतिपय श्रेणियां के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक दर पर एलपीजी की आपूर्ति करने के अपने निर्णय का पुनरीक्षण किया है। जिनको पहले राजसहायता प्राप्त एलपीजी की आपूर्ति की जा रही थी। इसमें समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाएं शामिल हैं जिनमें गुरूद्वारे भी आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को इन श्रेणियों के ग्राहकों को राजसहायता प्राप्त एलपीजी की आपूर्ति जारी रखने के लिए कहा गया है।

महिलाओं पर तेजाब फेंकना

6766. श्री श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 30 मार्च, 2003 को नेशनल डेली डेक्कन हेरल्ड में प्रकाशित महिलाओं पर तेजाब फेंकने की स्तब्ध कर देने वाले समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य महिला आयोग को इन भयानक हमलों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महिलाओं को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में महिलाओं की रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा

6767. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के सामाजिक क्षेत्र की इन योजनाओं के धन के पुनर्नियोजन की रोकथाम हेतु कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों के विकास और नि:शक्त व्यक्ति कल्याण, देखभाल और और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, मद्य-पान, नशीली दवा आदि के व्यसनी व्यक्तियों के लिए योजनाओं का मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन की गई योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में है। इन योजनाओं के मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में फीड़ बैंक प्राप्त करना था।

(ग) से (ङ) जी, हां। मंत्रालय, राज्य सरकारों की निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त करने के पश्चात कल्याण योजनाओं के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को निधियां निर्मुक्त करता है। यदि कोई गैर सरकारी संगठन संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है अथवा यदि निधियों का कोई दुर्विनियोजन होता है तो उनसे देय धनराशि की

वसूली करने के लिए कार्रवाई की जाती है। निधियों के दुर्विनियोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में भी डाला गया है। गत तीन वर्षों में 71 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययन की सूची

क्र.सं.	मूल्यांकन अध्ययन का नाम
1	2
अनुसूचित जाति विकास	
1.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
2.	अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना
4.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
5.	अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना
6.	सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग	
7.	अनुसूचित जाति विकास निगम का मूल्यांकन
8.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का मूल्यांकन
9.	उत्तर प्रदेश के तीन जिलों मेरठ, माओ और मुरादाबाद में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन अध्ययन
10.	उत्तर प्रदेश में अल्लसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व और कोचिंग की मूल्यांकन योजना
11.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा किए गए कार्यकलापों का मूल्यांकन
12.	लक्षित समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर एनएमडीएफसी वित्त सहायता योजनाओं का प्रभाव
13.	विकलांग व्यक्तियों से संबंधित स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना
14.	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना
समाज रक्षा	
15.	मद्य निषेध तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण संबंधी योजना
16.	दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का मूल्यांकन

किसानों को विद्युत की आपूर्ति

6768. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में तमिलनाडु में 17 लाख कृषि संबंधी कनेक्शनों हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करने की दो दशक पुरानी योजना को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन किसानों के बोझ को कम करने हेतु इन्हें क्या क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग ने अपनी सांविधिक जिम्मेदारी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ टैरिफ द्वारा आपूर्ति की लागत को उत्तरोतर रूप में प्रभावित करने की आवश्यकता शामिल है, निभाते हुये मार्च, 2003 में कृषि उपभोक्ता के लिए गैर मीटरीकृत आपूर्ति हेतु प्रतिवर्ष 250 रुपये/हार्स पावर तथा मीटरीकृत आपूर्ति के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से टैरिफ लागू की है। मीटरीकृत आपूर्ति के लिए 25 रुपये का मासिक न्यूनतम प्रभार नियत किया गया है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु राज्य में 9.41 लाख छोटे और सीमांत किसान है। तमिलनाडु सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों

के लिए नि:शुल्क विद्युत आपूर्ति जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 1000 रुपये प्रतिवर्ष नगद सहायता दो किस्तों में प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार को जाने वाली रेलगाड़ियों में घटिया गुणवत्ता वाले खाने का परोसा जाना

6769. डा. बलिराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमजीवी एक्सप्रेस, लिछवी एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस तथा सद्भावना एक्सप्रेस जैसी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली रेलगाड़ियों में रेल खान-पान सेवा द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले खाने को परोसने के क्या कारण हैं और क्या परोसा जा रहा है। खाना निर्धारित मात्रा से कम है; और

(ख) इस संबंध में गलती करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) चलती गाड़ियों में भोजन निर्धारित मीनु तथा दरों के अनुसार मुहैया कराया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भोजन के बारे में श्रमजीवी एक्सप्रेस में दो शिकायतें तथा लिच्छवी एक्सप्रेस में सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें लाइसेंसधारी पर जुर्माना लगाया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है। शिवगंगा एक्सप्रेस में भोजन का प्रबंध भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा किया जा रहा है और जिसमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। सद्भावना एक्सप्रेस में पैंट्रीकार सेवाएं मुहैया नहीं है और इस गाड़ी की खानपान व्यवस्था ट्रेनसाइड वेंडिंग के माध्यम से की जाती है। रेलवे समय-समय पर मानक आईएसआई/एफपीओ चिन्हित कच्ची सामग्री की खरीद, निरन्तर निरक्षण इत्यादि जैसी सेवाओं को बेहतर करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

6770. श्री विनय कुमार सोराके: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश पेट्रोलियम ने सस्ती दर यथा 3.00 डालर प्रति एमएमबीटीयू पर भारत के विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश गैस का विचार ईरान से इसकी आपूर्ति प्राप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पन्ना मुक्ता और राव्वा तेल क्षेत्रों से संबंधित ब्रिटिश गैस और ओएनजीसी/रिलायंस के बीच के लंबित विवाद के मद्देनजर पेशकश पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में दिनांक 12.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (ग) वर्ष 2002-03 के लिए ओएनजीसी और निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्य निम्नानुसार है:-

	ओएनजीसी (समझौता ज्ञापन लक्ष्य)	निजी/संयुक्त उद्यम (ब.अ.)	योग
कच्चा तेल (टीएमटी)	6,126	36	6,162
प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएम)	2,463	933	3,396

ब.अ. : बजट अनुमान

एमएमएससीएम : मिलियन मानक घन मीटर

एमओयू : समझौता ज्ञापन

टीएमटी : हजार मीट्रिक टन

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.7715/2003]

गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में दिनांक 12.12.2002 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 के भाग (ग) का संशोधित उत्तर प्रस्तुत करने में विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

दिनांक 12.12.2002 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 के भाग (ग) के उत्तर में वर्ष 2002-03 के लिए निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों द्वारा गुजरात राज्य में कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 36 टीएमटी की बजाए भूल से 3,600 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) बताया गया था। चूंकि इस गलती का संसद के शीत सत्र के अंत में पता लगा और सदन 20.12.2002 को स्थगित हो गया था, इसलिए संशोधित उत्तर उस सत्र के दौरान सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों की सूचना हेतु मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं आज हमारे पास चर्चा के लिए कार्यसूची में बहुत से मुद्दे हैं।

सूचीबद्ध किये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और सूची में शामिल किये गए कम से कम दो विधेयकों, नामत: (1) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2003, और (2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2003 को पारित किये जाने के लिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि सभा आज भोजनावकाश न ले और 'शून्यकाल' को यथासंभव कम समय दें।

जैसा कि सूची में दिया गया है विनिवेश पर अल्पावधि की चर्चा अपराह्न 2.00 बजे शुरू होगी।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

378

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेपाधिकार के संबंध में एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने अभी 'शून्यकाल' प्रारम्भ नहीं किया है। आज 'शून्यकाल' बहुत कम समय के लिए लिया जाएगा। आप उस समय बोल सकते हैं। कृपया अब अपनी सीट पर बैठिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मुझे आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मैंने दो सप्ताह पहले केरल में मेरे और साथियों पर पुलिस अत्याचार के विरुद्ध यहां मामला उठाया था। हमने इस पर विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी क्या मैं जान सकता हूं कि अब उसकी क्या स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय: स्थिति यह है कि हमने राज्य सरकार से इस संबंध में सूचना मांगी है। जैसे ही हमें यह मिल जाती है मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के विशेष न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि रिलायंस समूह के चेयरमैन श्री मुकेश अम्बानी और उसके प्रबंध निदेशक श्री अनिल अम्बानी को सम्मन जारी किया जाए, क्योंकि इन लोगों पर गोपनीयता उल्लंघन के आरोप कानून के तहत प्रमाणिक हो चुके हैं। क्या इस पर सरकार ने कोई कदम उठाया है।

अध्यक्ष महोदय: उत्तर आने के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7683/2003]

(2)(एक) नेहरू इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7684/2003]

(4)(एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट दार्जिलिंग के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट दार्जिलिंग के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7685/2003]

(6)(एक) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, बटोट के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, बटोट के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7686/2003]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 438(अ) जो 16 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 2 अगस्त, 1999 को गैसल में हुई रेल दुर्घटना की जांच के लिए स्थापित जस्टिस जी.एन. रेल जांच आयोग का प्रतिवेदन अंतर्विष्ट है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7687/2003]

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या 97/ईएण्डआर/700/1 अधिसूचना (1) जो 14 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विद्यमान उत्तर तथा पश्चिम रेलवे जोनों में से उत्तर पश्चिमी रेलवे नाम से 1 अक्तूबर, 2002 से एक नए जोन जिसका मुख्यालय जयपुर होगा, की स्थापना करने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 97/ईएण्डआर/700/1 अधिसूचना (2) जो 14 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विद्यमान पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी रेलवे जोनों में से पूर्वी मध्य रेलवे नाम से 1 अक्तूबर, 2002 से एक नए जोन जिसका मुख्यालय हाजीपुर होगा, की स्थापना करने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 97/ईएण्डआर/700/1 अधिसूचना (3) जो 5 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित पांच नए रेलवे जोनों की 1 अप्रैल, 2002 से स्थापना करने के बारे में है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7688/2003]

(5) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 2002/ई.आर./3400/16 जो 16 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ), लखनऊ, जो कि रेल मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, को 1 जनवरी, 2003 से जोनल रेलवे घोषित किया गया है जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7689/2003]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.7690/2003]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) "दूरदर्शन/आकाशवाणी पर विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व कमाना" के बारे में सर्वश्री सुरेश रामाराव जाधव, पी.आर. खुंटे और जे.एस. बराड़, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2441 के 6 मार्च, 2003 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.7691/2003]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

(1) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7692/2003]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण:–

(एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7693/2003]

(2) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2002 जो 10 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-8/1(1)/99-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.7694/2003]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क)(एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.7695/2003]

(ख)(एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7696/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मैं नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

नौवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 52 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7697/2003]

दसवीं लोक सभा

(दो) विवरण संख्या 46 तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7698/2003]

ग्यारहवीं लोक सभा

(तीन) विवरण संख्या तीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7699/2003]

बारहवीं लोक सभा

(चार) विवरण संख्या तीस दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7700/2003]

(पांच) विवरण संख्या तेइस चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7701/2003]

तेरहवीं लोक सभा

(छह) विवरण संख्या बाइस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7702/2003]

(सात) विवरण संख्या अठारह चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7703/2003]

(आठ) विवरण संख्या सोलह पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7704/2003]

(नौ) विवरण संख्या पन्द्रह छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7705/2003]

(दस) विवरण संख्या तेरह सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7706/2003]

(ग्यारह) विवरण संख्या दस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7707/2003]

(बारह) विवरण संख्या आठ नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7708/2003]

(तेरह) विवरण संख्या पांच दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7709/2003]

(चौदह) विवरण संख्या तीन ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7710/2003]

(पन्द्रह) विवरण संख्या दो बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7711/2003]

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1)(एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7712/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2003 को, जिसे लोक सभा द्वारा 25 अप्रैल 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2003 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 30 अप्रैल 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 7 मई, 2003 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने दर्शायी गयी अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए:-

1.	श्री अम्बरीश	17.2.2003 से 13.3.2003
		7.4.2003 से 10.4.2003 और
		21.4.2003 से 9.5.2003
2.	श्री खगेन दास	17.2.2003 से 7.3.2003
3.	श्री वैको	17.2.2003 से 13.3.2003
		7.4.2003 से 10.4.2003 और
		21.4.2003 से 9.5.2003
4.	श्रीमती गंती विजया कुमारी	17.2.2003 से 13.3.2003
5.	श्री एन.आर. के रेड्डी	17.2.2003 से 13.3.2003
		7.4.2003 से 10.4.2003 और
		21.4.2003 से 9.5.2003

क्या सभा चाहती है कि समिति द्वारा सिफारिश की गयी अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए?

कई माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति दी जाती है। सदस्यों को इसके संबंध में सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2003-2004) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं-

1. "29 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय-संचार नेटवर्क" के संबंध में लोक लेखा समिति (बारहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी उनचासवां प्रतिवेदन।

[डा. मदन प्रसाद जायसवाल]

2. ''पर्यटन अवसंरचना का विकास'' के संबंध में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी पचासवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

बयालीसवां, तैंतालीसवां और चवालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) 'तेल और गैस कंपनियों का विलय और अधिग्रहण' संबंधी बयालीसवां प्रतिवेदन।

(दो) 'पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002' संबंधी तैंतालीसवां प्रतिवेदन; और

(तीन) 'उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और वितरण' संबंधी चवालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न $12.05^{1}/_{2}$ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

इकसठवां, बासठवां और तिरसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रदीप रावत (पुणे): महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) के कार्यकरण संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(2) राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) के कार्यकरण संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(3) वस्त्र निर्यात संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

एक सौ ग्यारहवें से एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अलाय स्टील प्लांट (एएसपी), दुर्गापुर (इस्पात मंत्रालय) की संचालनात्मक क्षमता तथा इसके बने रहने संबंधी 111वां प्रतिवेदन।

(2) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (इस्पात मंत्रालय) के आधुनिकीकरण, उसकी पुनर्रचना तथा विस्तार कार्यक्रमों संबंधी समिति के 89वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 112वां प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बारे में समिति के 88वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 113वां प्रतिवेदन।

(4) भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित सहबद्ध सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली के बारे में समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 114वां प्रतिवेदन।

(5) 'उत्तर प्रदेश में सीमेंट के उद्योग लघु उद्योगों में रुग्णता' (लघु उद्योग मंत्रालय) के बारे में समिति के 81वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 115वां प्रतिवेदन।

(6) भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग से संबंधित नीतिगत सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली के बारे में समिति के 82वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 116वां प्रतिवेदन।

(7) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) संबंधी 117वां प्रतिवेदन।

(8) 'उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता' (लघु उद्योग मंत्रालय) के बारे में समिति के 90वें प्रतिवेदन

में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 118वां प्रतिवेदन।

(9) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) संबंधी 119वां प्रतिवेदन।

(10) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) संबंधी 120वां प्रतिवेदन।

(11) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (इस्पात मंत्रालय) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बारे में समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 121वां प्रतिवेदन।

(12) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) संबंधी 122वां प्रतिवेदन।

(13) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) संबंधी 123वां प्रतिवेदन।

(14) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) संबंधी 124वां प्रतिवेदन।

(15) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय) के आधुनिकीकरण, विस्तार तथा वित्तीय एवं कारबार पुनर्संरचना कार्यक्रमों की क्रियान्वयन स्थिति-एक अवलोकन संबंधी 125वां प्रतिवेदन।

(16) नागालैंड पल्प और पेपर कंपनी (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के पुनरुद्धार संबंधी 126वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06¼ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, मैं भारतीय जन-संचार संस्थान, ढेंकानाल को उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में स्थानान्तरित किए जाने के विरुद्ध उड़ीसा के श्री नबीन चन्द्र नारायण दास तथा अन्य निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए संख्या** एल.टी. 7713/2003]

अपराह्न 12.06½ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में मिग लड़ाकू विमानों के बार-बार दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर रक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आग्रह करूंगा कि इस पर वक्तव्य दें:

"देश में मिग लड़ाकू विमानों के निरन्तर दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम"

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम रक्षा मंत्री की बात नहीं सुनना चाहते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ अच्छी बात हो रही है सदन में तो उसे होने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य चाहते हैं कि मंत्री जी उत्तर दें। कोई अच्छी बात होती है तो होने दें आपको क्या दिक्कत है उसमें? वे आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रक्षा मंत्री जी, आप उत्तर पढ़िये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम लोग रक्षा मंत्री के जवाब का बहिष्कार करते हैं और सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप करिये, लेकिन जो जवाब सुनना चाहते हैं, वे सुनेंगे।

अपराह्न 12.07 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं। इटली की एक दुकान में जो मूर्तियां रखी हैं, उसके बारे में मैंने कई बार निवेदन किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह विषय अभी मेरे सामने नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रक्षा मंत्री के वक्तव्य के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको भी समझना चाहिए कि एक अच्छी बात सदन में हो रही है। इसी पार्टी के सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है और मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। उसे रिकार्ड पर आने दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कांग्रेस दल के सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है और बहुत से सदस्य सदन में उपस्थित हैं। उन्हें वक्तव्य देने दें। यह एक बहुत वैध विषय है।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)*: भारतीय वायु सेना द्वारा विमान दुर्घटनाओं को श्रेणी-1, श्रेणी-2 तथा श्रेणी-3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी-1 की दुर्घटना वह होती है जिसमें विमान पूर्णतया नष्ट हो गया हो तथा जिसकी मरम्मत आर्थिक रूप से व्यवहार्य न हो। श्रेणी-2 में क्षति 30-50 प्रतिशत होती है तथा श्रेणी-3 में 10-30 प्रतिशत के बीच होती है।

लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों को मोटे तौर पर मानवीय चूक, तकनीकी खराबी, पक्षी टकराना तथा प्रतिकूल मौसमी दशाएं, आपरेशनों के विषम भू-भाग से जुड़ी कठिनाइयां तथा बाहरी वस्तु से क्षति जैसी विविध कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लगभग 38 प्रतिशत श्रेणी-1 दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण होती हैं तथा 37 प्रतिशत तकनीकी खराबी के कारण। पक्षी टकराने के कारण लगभग 15 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं जबकि शेष दुर्घटनाएं विविध कारणों से होती हैं।

*[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या** एल.टी. 7714/2003]

मानवीय चूक में उड़ान ड्यूटी पर तैनात चालक दल से चूक और/अथवा जमीन पर तैनात कार्मिकों से चूक शामिल हैं। अधिकांश मानवीय-चूक संबंधी दुर्घटनाएं निपुणता में कमी, निर्णय में चूक, विमान चालन दक्षता में कमी, अनुदेशों का पालन न करने, परिस्थितिजन्य जागरूकता आदि में कमी के कारण होती हैं।

विमान दुर्घटनाओं के प्रमुख तकनीकी खराबी संबंधी कारण रोटर जाम होना, लगातार उपयोग के कारण दरार आ जाना, ईंधन में मिलावट, टर्बाइन ब्लेडों का अधिक गर्म हो जाना, हाइड्रालिक विफलता, इंजन विफलता आदि हैं।

भारतीय वायु सेना में मिग रूपांतर के अनेक स्क्वाड्रन हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रचालनात्मक भूमिकाओं तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। उड़ान शुरू करने से पहले प्रत्येक विमान को पूर्ण रूप से उड़ान योग्य प्रमाणित किया जाता है। तथापि, लड़ाकू उड़ान में, इसकी प्रकृति के कारण ही, कतिपय जोखिम निहित होते हैं जिनसे पूर्णरूप से बचा नहीं जा सकता। मिग रूपांतरणों के डिजायन संबंधी पहलुओं का उनके दुर्घटनाग्रस्त होने से कोई संबंध नहीं है।

इस समय, सुपरसोनिक प्रशिक्षण मिग-21 एफएल विमानों पर दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलटों को यथासंभव उत्तम प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण मानकों में कोई कमी नहीं की गई है।

दुर्घटनाओं को कम करने तथा उड़ान सुरक्षा में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस संदर्भ में दक्षता स्तरों में सुधार लाने, सुविचारित निर्णय लेने तथा पायलटों की परिस्थितिजन्य जागरूकता के लिए प्रशिक्षण स्तर में सुधार हेतु उपायों का अनुसरण किया जा रहा है। तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाओं को कम किए जाने के मद्देनजर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ उच्च स्तर पर लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य बनाने हेतु दुर्घटना की सभी जांचों में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और अन्य तकनीकी एजेंसियां भी शामिल की जा रही हैं। पक्षी जोखिम के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय भी कार्यान्वित किए जा रहे है।

यद्यपि उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों के नहीं होने और विमान दुर्घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, तथापि, सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी वाले विमानों से युक्त अग्रिम पंक्ति के स्क्वाड्रनों

पर प्रशिक्षणार्थी पायलटों को सुचारू रूप से प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान को सेवा में शामिल किए जाने का निर्णय लिया है। सरकार उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों को अधिप्राप्ति के विभिन्न विकल्पों पर विचार करती रही है तथा उम्मीद है कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

भारत सरकार ने लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए लड़ाकू विमान दुर्घटना संबंधी समिति का गठन किया है। इस समिति ने सितंबर, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सभी सिफारिशों पर कार्रवाई कर ली गई है तथा ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा निरंतर किए गए विभिन्न प्रयासों तथा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की कुल संख्या में कमी आई है। मंत्रालय द्वारा कुछ पुराने विमानों को चरणबद्ध ढंग से हटाया तथा कुछ का उन्नयन किया जा रहा है तथा भारतीय वायुसेना के बेड़े में नए विमानों को भी शामिल किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि माननीय संसद सदस्य बोलना शुरू करें मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इस मुद्दे पर मैंने भी दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए उन्हें पत्र लिखा था। मैं सरकार का भी आभारी हूं कि उसने यह निर्णय लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री जे.एस. बराड़।

श्री जे.एस. बराड़: अध्यक्ष महोदय, यह इस देश की बहुत गंभीर समस्याओं में से एक है। मैं बहुत दुख और खेद के साथ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मैं कुछ बिंदु रखूंगा। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं केवल पांच बिंदु रखूंगा।

मिग-23 की बड़ी दुर्घटनाओं की चिंताजनक स्थिति पर एक नजर डालें। यह इस प्रकार हैं: 6 अप्रैल, 2003-अम्बाला, 4 अप्रैल, 2003, हलवाड़ा; 5 जुलाई, 2001-जोधपुर; 26 जून, 2002-हलवाड़ा; 12 मार्च, 2001-हलवाड़ा; 10 मई, 2000 हलवाड़ा; 25 अप्रैल, 2000-पटियाला; 25 मार्च, 2000-करगिल, 2 फरवरी, 1999-हलवाड़ा; 1 अक्टूबर, 1998-हलवाड़ा; 9 अक्टूबर, 1997-हलवाड़ा; 8 मई, 1997-हलवाड़ा; 9 मार्च, 1997- हलवाड़ा; 5 जून, 1996-जोधपुर; 26 दिसंबर, 1995-आदमपुर, 20 मार्च, 1993-जोधपुर; 10 सितंबर, 1992-आदमपुर; 3 अप्रैल, 1993-जोधपुर; 17 मई, 1989-अहमदाबाद; 22 सितंबर, 1987-हिमाचल में ऊना; 28 नवंबर, 1983-तिलपत रेंज और 26 दिसंबर, 2002-श्रीनगर।

मैं इस मामले पर प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे राज्य के लोगों से संबंधित है। उन्होंने इस देश के लिए परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे मुख्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। वे शहीद हैं। मैं मंत्री जी से पहला प्रश्न तो यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें ज्ञात है कि हलवाड़ा वह स्थान है जो कि श्री निर्मलजीत सिंह सेखों, जिन्होंने इस देश के लिए परमवीर चक्र प्राप्त किया था, के पैतृक गांव से केवल दो किलोमीटर दूर है। उस समय इन्होंने चार साइबर जेट विमानों को नष्ट किया था और उनके शरीर के हजारों टुकड़े इस देश की मिट्टी में मिल गए थे। उन्होंने ये बलिदान किए हैं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि 1965 से 2002 तक भारतीय वायु सेना ने 135 मिग-20 विमान खोए हैं फिर चाहे ऐसा टकराने से हुआ हो या पक्षियों के टकराने से या दुश्मन की गोलाबरी या फिर किसी अन्य कारणवश ऐसा हुआ हो। यदि मैं इस जोखिम की गणना करूं तो सब विमान बिना लड़ाई लड़े ही हमेशा के लिए समाप्त हो गए। भारतीय वायु सेना लगभग 200 लड़ाकू विमान चालकों को दुर्घटनाओं में ही खो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 200 लड़ाकू विमान चालक खो चुके हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। मैंने मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा है। वर्ष 1985 के आस-पास रक्षा संबंधी समिति ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक प्रशिक्षण विमान (ए.जे.टी.) खरीदने चाहिएं और 1986 में 66 विमान खरीदने हेतु स्वीकृति दी गई थी।

आज, मेरे ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री जी ने इस प्रकार कहा है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ और धक्का लगा। जब वे दसवीं लोक सभा में विपक्ष में थे तो मैंने उन्हें दहाड़ते हुए सुना है। वे अकसर सागर की भांति दहाड़ते थे। लेकिन अब वे पूर्णतया रिक्त हैं। वे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति चिंतित नहीं हैं। वे अपने वक्तव्य में कहते हैं, मैंने इसे रेखांकित किया है, कि पक्षियों से टकराने के जोखिम को कम करने के उपायों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। फिर दूसरे पैरा में लिखा है, 1986 से अब तक इतनी सारी दुर्घटनाएं होने के बाद सरकार उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों की अधिप्राप्ति के विभिन्न विकल्पों पर विचार करती रही है तथा उम्मीद है कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय यह कैसा उत्तर है? जहां तक लागत के प्रश्न का संबंध है मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे कि रिपोर्ट आई है एक विमान का मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये हैं और एक विमान चालक को प्रशिक्षण देने में 23-45 करोड रुपये का व्यय होता है। यह पांचवे वेतन आयोग के खण्ड-3 के पृष्ठ 1921 पर दिया गया है। अर्थात, एक विमान

[श्री जे.एस. बराड़]

चालक की मृत्यु से, एक मानवीय जीवन की हानि व उसके सभी दुखद परिणामों के अलावा राजकोष पर भी भारी बोझ पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षा समिति ने यह कहा है कि इस अवधि के दौरान, 1 अप्रैल, 1993 से, भारत को विमान क्षतिग्रस्त होने से 10,000 करोड़ रुपये और विमान चालकों को खोने से 2,250 करोड़ रुपये की हानि हुई है। माननीय मंत्री जी आप जो नए ए.जे.टी. खरीदने जा रहे हैं। उनका मूल्य कितना है? इसमें विलंब क्यों हो रहा है? सरकार की ओर से जानबूझकर विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगली बात यह कहना चाहूंगा कि समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और मेरे पास उस रिपोर्ट की कतरन है। यह रिपोर्ट कहती है कि एच.ए.एल. द्वारा रूस से प्रमाणित गुणवत्ता वाले कल-पुर्जे आयात करके उन्हें अल्जीरिया और वियतनाम को पुन: निर्यात कर दिया जाता था और भारतीय वायु सेना को वारसा संधि वाले यूरोप के देशों और सी.आई.एस. देशों से अप्रमाणिक और सस्ते कल-पुर्जे खरीद कर दिए जा रहे थे। क्या मंत्री जी के पास इसका कोई उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय, एक और उद्घाटक बात है। कुछ मामलों में तो ये विमान एक 'जुगाड़' बन गए हैं क्योंकि इनका अगला हिस्सा एक देश से खरीदा जा रहा है तो पंख दूसरे देश से और इंजन किसी तीसरे देश से ही खरीदा गया है। अलग-अलग देशों से तीन हिस्से उठाए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनायें नहीं होंगी और विमान चालक अपने प्राण नहीं गंवाएंगे।

मुझे एक मां वरसोवा की श्रीमती गाडगिल की रिपोर्ट मिली है। यहां तक कि उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है। इस मां को चार हजार पत्र मिले हैं कि ये दुर्घटनाएं इस सरकार की आपराधिक लापरवाही और इस विभाग के भ्रष्टाचार के कारण हुई हैं।

आपकी अनुमति से मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। यह मामला भारी महत्व का है और मैं इस सबका परिणाम भी जानता हूं। हम और उन परिवारों के लोग यह महसूस कहते हैं कि दुख सहना उनकी नियति है और मंत्री महोदय आप इससे अप्रभावित हैं और आपकी स्थिति और हमारी स्थिति दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इस विषादपूर्ण स्थिति का क्या कारण है? ऐसा आपके द्वारा कम से कम 15 से 20 वक्तव्य दिए जाने के बाद है जबकि एक मंत्री के रूप में आपके द्वारा आदेशित किसी भी नए विमान की खरीद नहीं हुई है।

अब, मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूं, मेरे सहकर्मी बहिर्गमन कर गए हैं...*(व्यवधान)* मैं इस सरकार पर आपराधिक उपेक्षा का आरोप लगाता हूं। यह सरकार संवेदनाशून्य हो गयी है। इस सरकार को शहीदों और जिन लोगों ने शौर्य पुरस्कार जीते हैं, उन सबका कोई लिहाज नहीं है। मैं इस सरकार पर आपराधिक उपेक्षा का आरोप लगाता हूं। उन्हें शीघ्र ही नया एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए जिससे भारतीय नौसेना इससे सुसज्जित हो सके।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा के ध्यान में दो तथ्यों को लाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह आप चाहे तो, कुछ प्रश्न पूछ सकते है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं।

अमेरिका और इराक के बीच युद्ध के दौरान, पूरे युद्ध में अमेरिका को मात्र तीन एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। इसी अवधि के दौरान, युद्ध में भाग लिये बिना ही भारत को दो एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ...*(व्यवधान)*

इजरायल 1948 में स्वतंत्र हुआ था, भारत 1947 में प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य बना; जापान और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गये थे। उन सभी राष्ट्रों के पास सुसम्पन्न वैमानिकी उद्योग है और वे लड़ाकू जेट विमान और युद्धक वायुयान का उत्पादन करने में समर्थ हैं। हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। हमें भारतीय राष्ट्रवाद पर गर्व है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि 1947 के बाद वह क्या करते रहे हैं और राष्ट्र क्या करता रहा है जो हम अब भी एक भी एयरक्राफ्ट तैयार करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं और हम इन एयरक्राफ्टों के लिए विदेशी राष्ट्रों पर क्यों निर्भर हैं।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): यदि विश्व में ऐसे भी राष्ट्र है जिन्हें अपने लड़ाकू वायुयानों से हाथ नहीं धोना पड़ता है, तो वे किस प्रकार उनका प्रबंध कर रहे हैं? वे इसका प्रबंध कैसे कर पा रहे हैं जबकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, सर्वप्रथम मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन दुर्घटनाओं और इनके परिणामों के बारे में रक्षा मंत्रालय और वायुसेना से अधिक चिंतित कोई नहीं हो सकता है।

जिन अभिभावकों के पुत्र पायलटों के तौर पर अपनी जान गंवा रहे हैं उस त्रासदी में-रक्षा मंत्रालय और वायु सेना तथा देश का प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ है।

मिग विमान हमारे पास 1971-72 से हैं। उनकी खरीद के प्रथम वर्ष 1971-72 में ही दस मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे; दूसरे वर्ष 1972-73 में 8 आठ मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और तीसरे वर्ष 1973-74 में 11 मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। मैं इस सूची को 2003-04 तक पढ़ सकता हूं जिसमें अब तक एक 21 विमान ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मैं यहां पर यह इसलिए बता रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार यह सरकार, यह एनडीए सरकार, यह रक्षा मंत्री नहीं है। इस स्थिति के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। 1982 में, एक उन्नत जेट प्रशिक्षक (एजेटी) खरीदने आवश्यकता महसूस की गयी थी। भारत के पास कभी भी आधुनिक जेट प्रशिक्षक नहीं था। हमें यह बात मान लेनी होगी कि हमारी वायुसेना उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा यह देश है और एक राष्ट्र के तौर पर, हमारे पास कभी आधुनिक जेट प्रशिक्षक नहीं रहा।

अब क्या हो रहा है कि प्रारंभिक प्रशिक्षण या एयरक्राफ्ट संभालने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अथवा अपेक्षित प्रशिक्षण के बाद पायलट को सीधे जेट एयरक्राफ्ट मिग 21 जेट वायुयान में उड़ान भरनी होती। अब, यह मैंने एक नहीं बल्कि दो सम्बद्ध भूतपूर्व और वर्तमान वायुसेना प्रमुखों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि मिग-वायुयान की अत्यंत मांग है। तत्कालीन वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल, ए.वाई. टिपनिस जब वायु सेनाध्यक्ष बने तो उन्होंने पहला कार्य एक सीट वाले मिग-21 वायुयान प्राप्त करने का निर्णय किया था और फिर देश के प्रत्येक वायुसेना अड्डे में उन्हें शामिल किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि 'आप यह क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मशीन गलत नहीं है, मशीन से चूक नहीं हो रही है, बल्कि चूक कही और है'। जब वह सेवानिवृत्त होने वाले थे और प्रत्येक वायुसेना अड्डे पर लोगों और अधिकारियों से विदाई लेने के लिए जाना चाहते थे, तब भी उन्होंने यह दिखाने के लिए कि मिग-21 वायुयान उड़ते हुए शव या किसी प्रकार के ताबूत नहीं हैं पुनः वही कवायद दोहराई।

दुर्भाग्यवश, यह चीजें हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करती है। दुर्भाग्यवश जो कुछ सकारात्मक बाते होती है वह तो मीडिया के लिए प्रचार होता है और जो नकारात्मक बातें होती हैं वे समाचार बन जाती हैं और यह नकारात्मक है इसलिए यह लोगों के कानों में बार-बार दोहरायी जा रही है। इसलिए, या तो हम वास्तविकता का सामना करने से इंकार कर देते हैं या हमें ऐसी परिस्थितियों के रूबरू कर दिया जाते है जहां हम वास्तविकता को कभी जान ही नहीं पाते हैं।

इसलिए, महोदय, अब हमें इस बारे में अत्यंत स्पष्ट रुख अपनाना होगा कि यह एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना का मुख्य आधार रहा है और आज भी यह हमारी वायुसेना का मुख्य आधार बना हुआ है और यह कुछ और वर्षों तक बना रहेगा जब तक कि हम नया, आधुनिक, अत्यंत महंगा एयरक्राफ्ट प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो कि अब खरीदे जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: माननीय मंत्रीजी, यह नुकसान धनराशि और कीमत के हिसाब से अत्यधिक है।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: माफ करना, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया।

श्री जे.एस. बराड़: जहां तक कीमत का संबंध है, आप कह सकते हैं कि यह अत्यंत महंगा है और कुछ समय के लिए ये बने भी रहेंगे और आपका वक्तव्य भी यही है कि इस मिग-23 वायुयान और मिग-21 वायुयान में कोई तकनीकी खराबी नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि आज की तारीख तक कीमत और जो नुकसान अंततः हुआ है वह 10,000 करोड़ का है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, यह सरकार विगत पांच वर्ष पूर्व सत्ता में आयी थी और उस प्रथम दिन से हम उसी आधुनिक जेट प्रशिक्षक पर निर्भर हैं। इसके कई कारण है कि इसने इतना समय क्यों लिया। जैसे ही कीमत वार्ता समिति अपना कार्य समाप्त करती है, कई क्षेत्रों से पत्र, याचिकाएं, अखबारों की खबरें आती हैं कि उन्नत जेट प्रशिक्षक की खरीद मैं काफी कुछ गलत है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसकी जांच की जाती है और यह सम्पूर्ण प्रक्रिया एक बार फिर प्रारम्भ होगी है। अब जब हम एयरक्राफ्ट की खरीद पर वार्ताएं कर रहे हैं और इसे अंतिम रूप दे रहे हैं तो अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं, उन विज्ञापनों में यह खबरें आ रही हैं कि अभी और भी एयरक्राफ्ट है जिनके परीक्षण की आवश्यकता है, और यह कि और भी एयरक्राफ्ट हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, अब एक वायुयान की जांच करना उसे जांच और परीक्षणों से गुजारने, कीमत निर्धारण करना—सामान्यतः इन सब में दो से तीन वर्ष लग जाते हैं। आज भी हम इस प्रकार की प्रक्रिया के दबाव में रहते हैं।

इसलिए जहां तक इस सरकार का सम्बंध है। इसमें कहीं भी असाधारण विलंब नहीं हो रही है। यह कहना गलत होगा कि...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: मंत्री महोदय, क्या आपको इस उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयान की खरीद में हो रहे विलंब के सम्बंध में 150 से ज्यादा सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री को दिये गये ज्ञापन पत्र की जानकारी है? माननीय मंत्रीजी, क्या आपको इसकी जानकारी है? यह एक वर्ष पहले की बात है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, मैं अपने वक्तव्यों के प्रति सचेत हूं और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। सरकार को भी अपने कर्तव्यों की जानकारी है और सरकार भी अपना कर्तव्य निभा रही है...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): मंत्री जी, जगमीत सिंह जी जो कह रहे हैं, यह सही बात है। एक साल नहीं, कम से कम तीन साल पहले डेढ़ पौने दो सौ सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे कि हमको एजेटी खरीदना चाहिए। आपने बार-बार कहा कि प्रैस नेगेटिव है, प्रैस नेगेटिव है। आप देश के रक्षा मंत्री हैं, देश की सुरक्षा की जवाबदारी आपकी है। आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए।...*(व्यवधान)* आप परवाह मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: यह देश का सवाल है, इसे गंभीरता से लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि ये अपने साथियों से अलग हैं क्योंकि जब कभी रक्षा मंत्री जी बात करने आए, यही लोग रोड़ा अटका रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: हम जवाबदेह हैं।...*(व्यवधान)* हमारे लोगों की जानें गई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, सदन शान्ति से चल रहा है और कांग्रेस के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। जो साथी देश के महत्वपूर्ण सवाल पर बैठे हुए हैं, अगर ये उनको डीमौरलाइज करेंगे तो कैसे काम चलेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपकी बात सही है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: जब धीरे-धीरे बहिष्कार बंद हो रहा है तो ये खुद बहिष्कार करवाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उनको बधाई दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, 120 या 125 सांसदो द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उल्लेख किया गया है। उस समय मैं रक्षा मंत्री नहीं था और वह मेरे हाथों में नहीं आयी। मुझे मात्र इतनी जानकारी है कि एक याचिका आई थी।

श्री जे.एस. बराड़: उस समय आप एनडीए के सदस्य थे आप एनडीए के संयोजक थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: एनडीए सरकार नहीं चला रहा है। सरकार कैबिनेट द्वारा चलायी जा रही है। यहां कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं।...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, यदि कोई याचिका माननीय मंत्रीजी को नहीं दी जाती है, तो वह याचिका पर कार्यवाही नहीं करेंगे। क्या उनका यही मतलब है?

अध्यक्ष महोदय: निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: धन्यवाद, महोदय, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्यात किये जा रहे कलपुर्जों और वायुसेना को दिये गये घटिया श्रेणी के कलपुर्जों के संबंध में एक बात कही गयी थी। महोदय, यह सही नहीं है। हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए न कलपुर्जों का निर्माण करती है और फिर जो कलपुर्जे बच जाते हैं या यदि किसी अन्य स्रोत द्वारा विशेष क्रयादेश दिए जाते हैं तो हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड उनका निर्यात करता है। हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड मूलतः निर्यात के लिए उत्पादन नहीं करती है। वह जो कुछ बनाता है वह भारतीय वायुसेना के लिए होता है। यदि उसमें से अधिशेष रहता है, तो उसका निर्यात किया जाता हैं और उसी का निर्यात किया जाता है जोकि पहले भारतीय वायुसेना के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसी झूठ को पकड़े जाने की आवश्यकता है।

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष, महोदय...

अध्यक्ष महोदय: श्री बराड़, मैं पहले ही आपको पर्याप्त अवसर दे चुका हूं।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, अपनी बात को सत्यापित करने के लिए मैं सभा पटल पर पत्र रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्रीजी को दस्तावेज भेज सकते हैं।

श्री जे.एस. बराड़: यह झूठ नहीं है। इस कड़वी सच्चाई को रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया सामने लाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जारी रखिए आपको उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उन्होंने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कही थी। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे इस विषय पर जो भी जानकारी उनके पास उपलब्ध है भेज दें ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।

महोदय, हलवाड़ा का नाम बार-बार आया है मिग-21 का बेस हलवाड़ा में है इसलिए जब भी मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त होता है हलवाड़ा का नाम आना अपरिहार्य है। इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि हलवाड़ा में समस्याएं हैं।

श्री जे.एस. बराड़: जब हलवाड़ा दुर्घटना का मुख्य स्थान था तब सरकार ने क्या किया? क्या कोई समिति गठित की गयी है? क्या मंत्री जी ने किसी परिवार से भेंट की है? क्या वे हलवाड़ा गये हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, बड़ी संख्या में हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 1975 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन 1977 में दिया। 1996 में उसी समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया गया और इसका क्रियान्वयन अभी भी जारी है।

अब, मुद्दा यह है कि हमें एजेटी की आवश्यकता है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम एजेटी खरीदने वाले हैं जब मैं यह कह रहा हूं कि हम एजेटी खरीदने वाले हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम उस दिशा में निर्णय ले रहे हैं। एजेटी आने में कुछ वर्ष जाएंगे चूंकि ये हवाई जहाज तुरन्त बने बनाए नहीं मिलते हैं। एक बार जब सरकार निर्णय लेगी और खरीदने का आर्डर देगी उसके बाद ही इन हवाई जहाजों का निर्माण किया जाएगा और ये हवाई जहाज हमें उपलब्ध हो सकेंगे।

हम सरकार और वायुसेना की ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके और सच तो यह है कि यदि हम पिछले तीन चार दशकों के आंकड़ों को देखें जब से ये विमान सेवारत हैं तो हम पाएंगे कि दुर्घटनाओं में कमी आयी है। सरकार की ओर से यह देखने के लिए कि दुर्घटनाओं की दर कम हो, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं हम हर संभव प्रयास करेंगे और बेहतर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर भी खरीदे जा सकते हैं। हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि मौजूदा परिस्थिति को बदला जाए और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं बचे।

मैं इससे अधिक इस पर कुछ कहना नहीं चाहता मैं आपको यह मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम 'शून्य काल' आरंभ करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और वायुसेना अध्यक्ष के वक्तव्य में विरोधाभास है।

अध्यक्ष महोदय: नियम में अब बोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्यों में विरोधाभास है।

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं 'शून्य काल' आरंभ करने जा रहा हूं। मैं श्री खगेन दास को बोलने का निमंत्रण देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): जवाब हो तो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का यह जो तरीका है, यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' को आरंभ करने से पहले दो विधेयकों को पुर:स्थापित किया जाना है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि रक्षा मंत्रालय पर कोई बहस नहीं हो सकती। इनकी पार्टी ने मंत्री जी का वाकआउट किया है इसलिए कोई डिसकशन डिफेंस मिनिस्ट्री पर नहीं हुआ। इतना अनडैमोक्रेटिक और इर्रिस्पोंसिबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: आप हमारी चिंता छोड़िए, अपनी पार्टी की चिंता करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं बहिष्कार कर रहा हूं।

अपराह्न 12.41 बजे

(इस समय श्री जे.एस. बराड़ सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुत गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री जी ने रक्षा मंत्री को नियुक्त किया है। ये कहते हैं कि हम इनको रिकोग्नाइज नहीं करते हैं। जब भी कोई रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्न आता है तो ये वाकआउट कर जाते हैं। यह काफी गम्भीर मामला है। आप इसको देखें कि यह कौन सा तरीका है। इतनी जिम्मेदारी वाली पार्टी है, 114-115 साल पुरानी पार्टी है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे सामने जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, वह यहां बैठे हैं। उन्होंने सवाल पूछा और मंत्री जी ने उत्तर दिया।

[अनुवाद]

यह अच्छा कदम है और आपको इसका स्वागत करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): जब स्थिति सामान्य हो रही है, श्री बरार यहां बैठे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पुर:स्थापन के लिए दो विधेयक है और मैं उन्हें ले रहा हूं।

अपराह्न 12.42 बजे

सरकारी विधेयक — *पुर:स्थापित*

(एक) असम राइफल विधेयक*

[अनुवाद]

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने का अभियान चलाने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता में कार्य करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल असम राइफल्स का शासन करने से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने का अभियान चलाने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता में कार्य करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल असम राइफल्स का शासन करने से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.44 बजे

(दो) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अरुण जेटली की ओर से श्रीमती सुषमा स्वराज विधेयक प्रस्तुत करेंगी जोकि मद संख्या 20 के रूप में सूचीबद्ध है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री अरुण जेटली की ओर से प्रस्ताव करती हूं:

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 8.5.2003 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 8.5.2003 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं जीरो आवर ले रहा हूं। सबसे पहले मैं श्री खगेन दास को बोलने का मौका दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सबसे पहले उनको इजाजत दे रहा हूं। आप बैठिए, मैं आपको भी मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री जी को आपके विषय के लिये सदन में बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आपको अपने विषय पर बोलना है तो एक के बाद एक विषय लेना होगा। अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अगर आप कोआपरेट नहीं करेंगे तो किसी का भी विषय नहीं आ सकेगा। आप जानते हैं कि त्रिपुरा में बहुत हत्याएं हुई हैं इसलिए मैं पहले उनको मौका दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खगेन दास (पश्चिम त्रिपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं, जो कि प्रतिबंधित अतिवादी संगठनों द्वारा 6 और 7 मई को चार अलग-अलग घटनाओं में 33 निर्दोष लोगों की मृत्यु, महिलाओं बच्चों सहित 23 लोगों को घायल करने, काफी संख्या में घरों को जलाए जाने से संबंधित है। सरकार को इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और आल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (एटीटीएफ) नामक दो गैर-कानूनी अतिवादी संगठन त्रिपुरा में अत्यधिक सक्रिय हैं और वे बर्बर हत्याओं, अपहरणों, घरों को जलाने, धनराशि लूटने, इत्यादि में लिप्त हैं। उनकी गतिविधियां त्रिपुरा के दूरस्थ जनजातीय-बहुल क्षेत्रों के विकास में बाधा पहुंचा रही है। वे, एके-47 और दूरसंचार के उपकरणों सहित वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं।

त्रिपुरा की बंगलादेश के साथ लगभग 856 कि.मी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भेद्य है। उग्रवादियों के बंगलादेश में लगभग 51 अड्डे अथवा छिपने के स्थान हैं। आई.एस.आई. तथा अन्य ऐसी विदेशी एजेंसियां इनका अपराधों में साथ दे रही हैं। विद्रोह के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बल की संख्या अपर्याप्त है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विद्रोह के विरुद्ध कारगर जवाबी कार्रवाई के लिए सेना सहित सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या तत्काल त्रिपुरा भेजे। मैं अनुरोध करता हूं कि प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए तत्काल पर्याप्त सीमा सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। बंगलादेश में स्थित उग्रवादियों के छिपने के स्थानों को ध्वस्त करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। सीमा पर बाड़ लगाने हेतु समुचित उपाय किए जाने चाहिए ताकि सीमापार से आतंकवाद को रोका जा सके।

श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं बाजूबन रियान जी का नाम इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैंने इस संबंध में क्वैश्चन आवर को सस्पेंड करने के लिए नोटिस और एडजोर्नमेंट मोशन भी दिया है। इसके दो पहलू हैं। उग्रवादी कार्यवाहियों में जो लोग मारे गये हैं, उस संबंध में सरकार और होम मिनिस्टर को वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो आदिवासियों की समस्याओं से संबंधित है। वहां कोई यह नहीं कह सकता है कि कोई बंगलादेशी मुसलमान आकर मार दिया है बल्कि जो मूलभूत समस्या है वह यह है कि मच्छर को हम लाख डीडीटी से मारने का प्रयत्न करें, जब तक गंदे नाले की सफाई नहीं होगी, मच्छर कम नहीं होगा। आदिवासियों, शैड्यूल्ड-कास्ट, वीकर-सैक्शन की जो मूल समस्याएं हैं इनके ऊपर जब तक सदन और सरकार गंभीरता से विचार नहीं करेगी, तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। जो घटना वहां घटी है, वह पहली नहीं है। वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार को स्वस्फूर्त वक्तव्य गृह मंत्रालय द्वारा देना चाहिए था कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, मैं इस मुद्दे पर श्री पासवान के विचारों से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर का नाम संबद्ध कर दिया गया है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सर, त्रिपुरा के बारे में हम एसोसिएट करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपका नाम भी एसोसिएट किया जाता हैं।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार, श्री प्रभुनाथ सिंह तथा श्री रघुनाथ झा, इन तीनों सदस्यों ने इस मुद्दे पर सूचना दी है। इन तीनों सदस्यों के नाम संबद्ध कर दिए गए हैं। श्रीमती रेनु कुमारी का नाम भी संबद्ध कर दिया गया है।

अपराह्न 12.47 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सरकारी कर्मचारियों और एक औद्योगिक घराने के कर्मचारियों की सांठगांठ से सरकारी दस्तावेजों और फाइलों के कथित रूप से गुम होने की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): दिल्ली के एक विशेष न्यायालय ने निर्देश दिया है कि रिलाइन्स समूह के चेयरमैन मुकेश अम्बानी और उसके प्रबंध-निदेशक अनिल अम्बानी को सम्मन जारी किया जाए क्योंकि उन्होंने सरकारी दस्तावेज चोरी किये। वे सीबीआई के छापे में पकड़े गये। पोटा का कानून ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बना था। जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ, लोगों के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें पोटा के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, जिससे देश का कल्याण हो सके।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, यह काफी गंभीर मामला है और यह तब प्रकाश में आया जब सीबीआई ने रमेश नाम के माफिया के यहां छापा मारा और उसके यहां से ऐसे दस्तावेज पकड़े गये जो केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से चोरी करके मंगवाये गये थे। रिलाइन्स ग्रुप के मालिक और उसके जो तत्कालीन प्रबंध निदेशक थे, उसके यहां फैक्स करके ये दस्तावेज भेजे गये। ये इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। सीबीआई ने न्यायालय से आग्रह किया था कि इन लोगों पर आरोप प्रथम-दृष्टया बनता है। इसलिए इन लोगों पर सम्मन जारी किया जाए। रिलाइन्स ग्रुप के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वही ग्रुप है जिसके बारे में कहा गया कि रिलाइन्स इस देश की ऐसी कंपनी है जिसके विरुद्ध जिस किसी व्यक्ति ने आवाज उठाने की कोशिश की, उसे समाप्त किया गया है। चाहे वह कपिल मेहरा का मामला हो, नुस्ली-वाडिया का मामला हो, रुईया का मामला हो या इस्सार-ग्रुप का मामला हो। इन पर देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने और नाजायज रूप से देश का धन हड़पने, सरकारी गोपनीय दस्तावेजों को चोरी करने का गंभीर आरोप प्रमाणित होता है।

सीबीआई ने इस मामले में प्रथम दृष्टया आरोप स्वीकार किया है और न्यायालय ने लिख कर दिया है। छोटे-छोटे मामले में सरकार आम लोगों के यहां छापा मारकर गिरफ्तार करती है। महोदय, आपको स्मरण होगा, कल सदन में वीएसएनएल का मामला चल रहा था और अरुण शौरी जी सदन में थे, काफी हंगामा हुआ था। उस समय सदन में प्रथम पंक्ति में बैठे हुए नेता लोग चुप्पी लगाए हुए थे, क्योंकि रिलायंस से संबंधित मामला था। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप आसन से निर्देश दीजिए कि सरकार रिलायंस ग्रुप के मालिक, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक और वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को गिरफ्तार करे। उनके द्वारा देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। उनके कारनामों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को लूटने की साजिश हो रही है। इस पर अकुंश लगना चाहिए और आसन की तरफ से उनको गिरफ्तार करने के लिए निदेश दें। यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं भी इस विषय से एसोसिएट करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर सभी को बोलने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। हमारे पास केवल दस मिनट शेष हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सरकार को नोटिस तो लेना चाहिए। गरीब लोगों के अलग कानून और रिलायंस के लिए अलग कानून है। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकद्दमा चलना चाहिए। बहुत गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में दो कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं। वे उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला सदन में उठाया है, मैं संबंधित मंत्री को सूचित करूंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसी सदन में तत्कालीन गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि रिलायंस का संबंध देश के नामी-गिरामी लोगों से है। गृह मंत्री जी इस सदन में आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आपको बोलने का मौका मिल चुका है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: गम्भीर मामला है, इसलिए मंत्री जी ने कहा है कि वे इसको संबंधित मंत्री जी के पास लेकर जायेंगी और उनको बताएंगी। इस विषय पर संबंधित मंत्री उचित कार्यवाही करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा कही गई बात के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.53 बजे

(दो) कावेरी नदी जल अधिकरण के अंतरिम अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के बारे में

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, कावेरी डेल्टा में एक और कुरवाई मौसम आने वाला है और मौसम संबंधी रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि हजारों वर्षों से भारत का धान का कटोरा कहे जाने वाला कावेरी डेल्टा कावेरी नदी प्राधिकरण द्वारा कावेरी अधिकरण के अंतरिम पंचाट के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल होने के कारण एक और मरूस्थल में बदल जाएगा।

महोदय, पिछले 12 वर्षों से कावेरी डेल्टा के किसानों की बकाया राशि देने में कथित रूप से धोखाधड़ी हो रही है। यह मात्र जल का प्रश्न नहीं है। यह न्याय का प्रश्न है। महोदय, यह चौंकाने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कावेरी नदी प्राधिकरण के गठन के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी कावेरी प्राधिकरण के अंतरिम पंचाट का एक वर्ष, एक माह, एक सप्ताह और एक दिन के लिए भी सम्मान नहीं किया गया। मेरे विचार से यह विशेषरूप से भारत के प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य है, क्योंकि वह कावेरी नदी प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और हम पर संकट आने से पहले उन्हें अपना दायित्व पूरा करना चाहिए न कि वर्ष दर वर्ष संकट आने के बाद जैसा वे करते हैं और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकरण के पंचाट के अनुसार जल कावेरी डेल्टा तक पहुंचे।

मैं, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के उत्तर की मांग करता हूं और मुझे विश्वास है कि मैंने अभी-अभी जो बात कही, तमिलनाडु के सभी सदस्यों का भी मत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम बोलेंगे।

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम)**:** महोदय, हमने भी बोलने हेतु सूचनाएं दी हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप भी इसी मुद्दे पर बोलना चाहती हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. वी. सरोजा: जी हां, महोदय, हमने भी इसी मुद्दे पर बोलने की सूचनाएं दी हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, ये बोलना चाहती हैं इसलिए उन्हें बोलने दीजिए। उनके निवेदन के बाद आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं।

डा. वी. सरोजा: माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल अन्नाद्रमुक, अन्नाद्रमुक के सभी सदस्यों, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री तथा वहां की जनता की ओर से यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती हूं।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह 'जल संकट के समय बंटवारे के फार्मूले के मुद्दे पर चर्चा करने तथा तमिलनाडु में इसे क्रियान्वित करने की नीति बनाने हेतु कावेरी निगरानी समिति तथा कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक आयोजित करे।

इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव ने केन्द्रीय जल संसाधन सचिव को यथाशीघ्र बैठक कराने हेतु 21.4.2003 एक पत्र लिखा था। हम सभी जानते हैं कि यह आम बात है कि प्रत्येक वर्ष कावेरी डेल्टा क्षेत्र में किसानों के लाभ के लिए मटूर बांध खोलने के लिए 12 जून की तारीख निर्धारित की गई है।

मैं इस संबंध में बताना चाहती हूं कि मेट्टूर बांध की कुल क्षमता 92 टीएमसीफुट है; जनवरी में औसत भंडारण मात्र चार टीएमसी फुट था; अब यह 3.5 टीएमसी फुट से लेकर 6 टीएमसी फुट है जो केवल नाममात्र है। मैं सरकार तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहती हूं कि यदि यह मंत्रालय तमिलनाडु में यह स्थिति जारी रखना चाहता है तो हमें मुरझाए धान, झुलसे गन्ने, कुम्हलाए ताड़ के वृक्ष, हाथों में घड़े लिए परेशान महिलाएं पानी की मांग करते हुए तथा निराश व्यक्ति ही मिलेंगे जिसकी सूखे क्षेत्र अर्थात् खेतों के कारण से दुर्दशा हो गई है।

मैं पुन: मांग करती हूं कि भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री यथाशीघ्र एक बैठक करें। सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्णय लिया गया था कि 4500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने भी 1200 क्यूसेक पानी छोड़ने का भी वादा किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब भी वे तमिलनाडु की जनता की आवाज को अनसुना कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: यह 1200 क्यूसेक नहीं हो सकता है क्योंकि वार्षिक नियतन ही केवल 205 टीएमसी फुट है। कृपया उन्हें आंकड़े सही करने के लिए कहें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया यहां बहस मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: मैं भारत सरकार तथा कर्नाटक सरकार, जहां कांग्रेसी की सरकार है, से आग्रह करती हूं कि वे तमिलनाडु की जनता के फायदे के लिए जल विवाद का निपटान करे और पानी छोड़े...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह 'शून्य काल' है। इस विषय पर वाद-विवाद क्यों हो?

डा. वी. सरोजा: मुझे खेद है। यह 1200 क्यूसेक है। मैं भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूं कि वे कावेरी नदी प्राधिकरण के यथाशीघ्र बैठक करवाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में उनके दल के उपस्थित सभी माननीय सदस्य इस मुद्दे से संबद्ध होंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): पिछले वर्ष कावेरी डेल्टा प्रदेश में विशेषरूप से तंजावूर, मायावरन, नागापट्टिनम, पुडुक्कोट्टाई जिलों तथा पांडिचेरी में भी अभूतपूर्व सूखा पड़ा। अभूतपूर्व सूखे के कारण कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों को काफी समस्या हो रही थी। पिछले वर्ष भयंकर सूखे के कारण खेतिहर मजदूरों को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वे अपने खाने के लिए चूहे तथा अन्य चीजें ढूंढने लगे।

जो लोग कावेरी नदी जल अधिकरण का विरोध कर रहे थे, वे अधिकरण की तत्काल बैठक कराने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। मैं द्रमुक की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह बैठक करवाए तथा किसानों की समस्याओं का समाधान करे...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, सरकार को इस विषय का उत्तर देना होगा। यह मुद्दा समग्र तमिलनाडु राज्य से संबंधित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, यदि कल मंत्री महोदय उपस्थित रहे तो क्या आप तब यह प्रश्न पूछ सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, यह मुद्दा समग्र तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हम सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब मंत्री महोदय, को उत्तर देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय तमिलनाडु से संबंधित मुद्दे का उत्तर देना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं। प्रत्येक माननीय सदस्य को अनुमति नहीं है। इसके अलावा, आपने मुझे सूचना नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं। मैं सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। यह संभव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, डा. वी. सरोजा ने जो मामला उठाया है, मैं आपके आदेशानुसार माननीय प्रधान मंत्री जी को सूचित करूंगी।

अपराह्न 1.01 बजे

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—*पारित*

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए मैंने सभा की अनुमति ले रखी है।

मंत्री महोदय कल आपने विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर आज बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष जी, मैंने कल आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया था। इस बिल के बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और पूरे देश में गन्ना उत्पादक किसानों के सवाल पर सदन में सरकार की ओर से कदम उठाये गये हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी मेरे विचार से इस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय आप इस पर बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैं कई बार कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: फिर बोलने की क्या जरूरत है?

[अनुवाद]

मैं इसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि

[हिन्दी]

हमारे पास टाइम कम है आप पाइंट्स पर अपनी बात रखिये।

[अनुवाद]

पूरे विधेयक के लिए हमारे पास केवल आधा घंटा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मैंने सदन के सामने यह बात रखी थी। यदि आप इसका फायदा उपभोक्ताओं को देना चाहते हैं तो भाषण कम करें और किसानों को ज्यादा फायदा लेने दो। आप अपनी भावना व्यक्त करिये और जल्दी खत्म करिये।

[अनुवाद]

यह किसानों के हित में है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे कितना समय देंगे।

अध्यक्ष महोदयः आपको तीन मिनट मिलेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंहः अध्यक्ष जी, तीन मिनट कम हैं, मुझे दस मिनट दीजिये।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, इस सदन में कई बार इसमें चिन्ता व्यक्त की गई है। इस बिल को लाने के बाद कई कदम उठाये गये हैं। इनमें एम.एस.पी. 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, 20 लाख टन का बफर स्टाक क्रिएट किया गया और इंटरनल ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी गई। इसके अलावा ओशन ट्रेड में सब्सिडी दी गई। जब इस विधेयक पर चर्चा की गई थी, उस समय प्रधान मंत्री जी ने 19 दिसम्बर को इसी सदन में कहा था। रेगुलेटेड रिलीज मैकेनिज्म आने के पहले बाजार में चीनी का दाम घट गया था, लगातार हमारा स्टाक नीचे नहीं आ रहा है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस विषय पर पहले ही बहस हो गई है। इसको जल्दी ही पास कर दें।

अध्यक्ष महोदयः मेरा भी यह सजेशन है कि इसे जल्दी पास कर दिया जाये।

श्री लक्ष्मण सिंहः अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि रेगुलेटेड रिलीज मैकेनिज्म के माध्यम से चीनी के दामों पर नियंत्रण करेंगे और गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद की कीमत दिलायेंगे लेकिन मुझे कई शंकायें हैं। सब से पहली बात यह है कि मैं उन गन्ना किसानों को बधाई देता हूं जिन्होंने 184 लाख टन चीनी का उत्पादन कर विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस मामले में उन्होंने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह उनके प्रयास का फल नहीं, यह उन मेहनतकश किसानों की वजह से हुआ है। देश के तीन राज्यों— महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने क्रमशः 67 लाख टन, 47 लाख टन और 5.90 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 184 लाख टन चीनी में से 110 लाख टन चीनी का उत्पादन इन तीन राज्यों ने किया है।

अपराह्न 1.05 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

एक तरह से किसानों की मेहनत से इतना गन्ना पैदा किया गया। जब उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपना दाम मांगने आ रहे थे, उन पर गोलियों की बौछार की गई, इन्हें शर्म आनी चाहिये। आज चीनी मिलों की हालत यह है कि 5500 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर रिकवरी अच्छी होगी तो दाम अच्छे मिलेंगे। अगर चीनी की 8.7 प्रतिशत रिकवरी होगी तो उसके दाम आप 59 रुपये प्रति क्विंटल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र की हुतात्मा और मंजरा चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। इन चीनी मिलों ने 13.7 प्रतिशत रिकवरी निकाली है, जब इन्होंने इतनी बड़ी रिकवरी निकाली है तो 90 रुपये प्रति क्विंटल दाम आप क्यों नहीं देते हैं। सारी लड़ाई यही है, चूंकि आपकी नीति सही नहीं है। इसी वजह से आज चीनी मिल और उनके बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मंत्री जी आपने बताया कि निर्यात बढ़ाने के आपने प्रयास किये हैं। आपने क्यू.आर. हटाये हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने निर्यातकों को कह दिया कि एपीडी में पंजीयन मत कराइये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भी हमारा चीनी का निर्यात घटा है। चीनी का निर्यात 2001 में जो 11.5 लाख मीटरिक टन था, वह वर्ष 2002 में घटकर 9.38 लाख मीट्रिक टन हो गया है और इस वर्ष भी चीनी का निर्यात बढ़ने की संभावना नहीं है। आपने चीनी पर 20 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी है, लेकिन उसके बाद भी चीनी का आयात हुआ है। इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ जब तक आप एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं बढ़ायेंगे, तब तक चीनी का निर्यात हम लोग नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों के सामने आज सबसे बड़ी समस्या उसकी उत्पादन लागत है। हमारे यहां 13700 रुपये मीट्रिक टन चीनी की लागत बैठती है और दूसरे देशों में 9975 रुपये मीट्रिक टन लागत बैठती है। लगभग चार हजार रुपये मीट्रिक टन लागत हमारे यहां ज्यादा है। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां बिजली की दरें और पानी का टैक्स ज्यादा है और जो टैक्नोलोजी हमारे पास होनी चाहिए, वह हमारे पास नहीं है। टैक्नोलोजी के प्रश्न पर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर आपका एक संस्थान है। लेकिन मुझे पढ़ते हुए हंसी भी आती है और दुख

भी होता है कि उस इंस्टीट्यूट में छात्रों की कुल संख्या 151 है। आपको चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट को तकनीकी दृष्टि से और उपयुक्त बनाया जाए। एसोसिएटशिप आफ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर टैक्नोलोजी, इस कोर्स के लिए 44 छात्र हैं। एसोसिएटशिप आफ नेशन शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए केवल 12 छात्र हैं और शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए केवल चार छात्र हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस इंस्टीट्यूट को मदद देने की आवश्यकता है, ताकि हम तकनीकी दृष्टि से मजबूत हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कम समय दिया है, इसलिए मैं दो-चार बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके पास शुगर डेवलपमेंट फंड में बहुत पैसा पड़ा हुआ है। शुगर डेवलपमेंट फंड का आपने 458 करोड़ रुपया गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया है। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का काम राज्य सरकारों का है, वे इसे करेंगी। इसलिए इस पैसे को कम करके अगर आप एथनाल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को दें तो उनकी वायबिलिटी बढ़ेगी। ब्राजील में दस प्रतिशत एथनाल पेट्रोल में मिलाने की अनुमति है। आपने पांच प्रतिशत मिलाने की अनुमति दी है, यह आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यह कम है, इसे कम से कम 15 प्रतिशत किया जाए, तब चीनी मिलों को कुछ लाभ होगा।

एक तरफ आपने फ्यूचर ट्रेडिंग की बात की है। आपने शुगर एक्सचेंज भी खोले हैं, मुम्बई में दो और हैदराबाद में एक खोलने की परमीशन दी है। एक तरफ आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कानून लाते हैं, जिसके अंतर्गत चीनी मिल के मालिक या सहकारी क्षेत्र के कारखाने को बाजार में माल बेचने की अनुमति लेनी पड़ेगी, तो ट्रेडिंग कैसे होगी।

इसलिए अंत में मेरा कहना है कि जब तक आप चीनी का निर्यात बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल है। इसी तरह बातचीत विफल होती रहेंगी, इसी तरह गन्ना किसान प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह चीनी की मिलें बंद होती रहेंगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह बहुत गंभीर विषय है इसको जरा गंभीरता से लें और समस्या का निदान जल्दी करें।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौडा (कनकपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने संक्षेप में बताया है कि इस विधेयक का उद्देश्य चीनी जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित करना है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चीनी के भण्डार से बाजार में चीनी की भरमार न हो तथा इसके कारण मूल्य कम होने से किसान मुश्किल में न आ जाएं। यह देखना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। कुछ लोग न्यायालय जाकर रिलीज आर्डर ले आए हैं। ऐसे मामलों में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सरकार का इरादा न्यायालयों से इस प्रकार रिलीज आर्डर लाए जाने को रोकने के लिए कुछ उपाय करने का है।

महोदय, मैं पुराने भंडार के आंकड़े और इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ, के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आज मुख्य मुद्दा है कि चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों को कैसे बचाया जाए। सरकार ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी को मैं दोष नहीं दूंगा। यह ऐसा मामला है जिस पर सरकार को एक व्यापक नीति लाने के लिए ध्यान देना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान के समक्ष लंबित पड़ा है। यदि यह स्थिति है, तो किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार अथवा न्यायालय?

महोदय, मैं न्यायपालिका की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं जानता कि सरकार ने, विधि मंत्रालय ने या फिर महान्यायवादी ने अपना दिमाग इस ओर लगाया है। किसानों का क्या हाल होगा? पिछले चार-पांच वर्षों से यह मामला विभिन्न न्यायालयों की ठोकरें खा रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष लम्बित पड़ा है।

महोदय, अन्य बात है कि सरकार चीनी जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित करने का प्रयास कर रही है, किन्तु चीनी के पुराने भंडार का क्या होगा? गत 2-3 वर्षों से चीनी के भंडार गोदामों में पड़े हैं। अब वे मानव उपभोग योग्य भी नहीं हैं। सरकार उस पुराने भंडार का क्या करेगी? एक उसके मूल्य का प्रश्न है। महाराष्ट्र राज्य का कहना है कि वे प्रति टन 1000 रुपये देंगे। हरियाणा राज्य 950 से 960 रुपये प्रति टन दे रहा है। लेकिन कुछ राज्य तो 450 रुपये प्रति टन देने की स्थिति में भी नहीं हैं। चार-पांच महीने बीत जाने के बावजूद भी कई राज्यों में गन्ने की पिराई नहीं हुई है। इसके बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। आज सरकार मात्र चीनी जारी करने को विनियमित करना चाहती है। सरकार किस प्रकार किसानों की सहायता करना चाहती है? आप इस प्रकार के कार्य से किसानों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह उनकी सहायता नहीं होगी।

महोदय, यहां मैं एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए से अधिक राशि, भारत सरकार के पास गन्ना

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

उपकर निधि के अन्तर्गत पड़ी है। मैं नहीं जानता कि क्या यह सामान्य बजट के अंतर्गत सरकार के वित्तीय घाटे से निपटने के लिए किया गया है या नहीं। उस विषय पर मैं बहस नहीं करना चाहता। 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि गन्ना उपकर निधि के अंतर्गत एकत्रित की गयी है। उसका किस प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है? क्या सरकार किसानों को, परिवहन राजसहायता अथवा निर्यात राजसहायता या खरीद कर में कटौती के रूप में कुछ सहायता देने वाली है? ऐसी ही बहुत सी और भी बातें हैं।

मेरे सहयोगी इथनोल के बारे में बता रहे थे। लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी। इथनोल के व्यापार पर हम जोर-शोर से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका कोई हल होगा। सरकार शत प्रतिशत शीरा भी किसानों से ले रही है। यदि किसानों के पास 25-30 प्रतिशत तक शीरा छोड़ दे तो भी मिले स्पिरिट बना सकती हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चीनी उद्योग को बचाने के और भी बहुत से तरीके मौजूद हैं।

हमारे वित्त मंत्री ने गिरवी ऋण के बारे में घोषणाएं की थी, लेकिन मैं इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे पास समय कम है और अन्य पार्टी के लोगों को भी बोलना है साथ ही मैं पीठासीन अधिकारी को भी दोष नहीं देना चाहता। रिजर्व बैंक ब्याज माफ करने के लिए निर्देश जारी करने वाला है सुनकर श्री येरननायडू बहुत खुश हुए थे। लेकिन रिजर्व बैंक के वे निदेश कहां हैं? रिजर्व बैंक की मैं आलोचना नहीं कर रहा। क्या आपने रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश देखे हैं? क्या आपने नाबार्ड के दिशा-निर्देश देखें हैं? आप कहना चाहते हैं कि एक वर्ष के ब्याज को माफ करने की बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह कहां है? इस बारे में क्या आपने वित्त मंत्री से जांच-पड़ताल की? अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो मैं माफी मांग लूंगा। बेवजह आप लोगों को भ्रम में क्यों डाल रहे हो? गिरवी ऋण पर भी गन्ना स्टाकिस्टों को 17 प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है। जबकि कार की खरीद के लिए ऋण, 8-9 प्रतिशत पर उपलब्ध है। क्या इस तरह आप किसानों और चीनी उद्योग को बचायेंगे?

आय इस भ्रम में मत रहना कि किसानों के हितों की अनदेखी कर आप सदा सरकार में रहेंगे। इस विषय पर मैं लगातार घंटों बहस कर सकता हूं। कितने किसानों ने, विशेषकर गन्ना उत्पादक किसानों ने आत्महत्या की, यह कहते हुये मुझे दुख हो रहा है कि वे किसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, 1998 से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है। पहले यह उच्च न्यायालय में था तथा बाद में यह सुप्रीम कोर्ट पड़ा रहा। भारत सरकार क्या कर रही है? विधि मंत्रालय क्या कर रहा है? आपके महान्यायवादी क्या कर रहे हैं? क्या सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती? इस कानून को ला कर आप केवल विनियमित करना चाहते हैं। यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि पिछले 53 वर्षों में अगर कोई सरकार किसानों के प्रति निर्दय रही है, तो वह वाजपेयी की सरकार रही है। इस देश के किसानों की नियति पर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2003 की मुख्य बातों पर ही बोलूंगा। यह संशोधनकारी विधेयक चीनी की खुली बिक्री को विनियमित करने के उद्देश्य से लाया गया है क्योंकि कतिपय निहित स्वार्थों से प्रेरित लोग न्यायालय जा रहे हैं वास्तव में वे निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति नहीं अपितु उन्हें वास्तव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिलें भी अतिरिक्त चीनी जारी किये जाने के उद्देश्य से न्यायालय से संपर्क कर रही हैं। सरकार इसे विनियमित करना चाहती है क्योंकि वह स्टाक को जारी नहीं करना चाहती।

श्री एच.डी. देवगौडा: एक मिनट के लिए कृपया मेरी बात सुने। जिन लोगों ने न्यायालय के माध्यम से जारी करा ली है और गन्ने की बिक्री की है उन्होंने भी किसानों को उनकी अदायगी नहीं की है। जहां तक चीनी जारी करने को विनियमित करने का संबंध है तो उस उपाय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिनके स्टाक जारी हो गये और जिन्होंने अपने स्टाक बेच दिये हैं उन्होंने भी किसानों को उसका भुगतान नहीं किया है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: ठीक ही कहा गया है और मुझे आशंका भी है कि इस संशोधन से किसानों तथा मिलों की और अधिक समस्याएं बढ़ जायेंगी क्योंकि आप न्यायालय में जाना नहीं चाहते साथ ही अपने स्टाक को उन्हें बेच नहीं रहे इसके परिणामस्वरूप किसानों को आप धन नहीं दे पायेंगे। अत: यह एक कुचक्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस कुचक्र से कैसे बाहर आयेगी? बिक्री गतिविधियों को रोकने के स्थान पर हमें चीनी मिलों को सक्षम बनाने के लिए कोई और रास्ता अपनाने के बारे में सोचना चाहिए। कुल 520 चीनी मिलें हैं जिनमें से केवल 55 सरकारी मिलें हैं। अन्य सभी मिलें सहकारिता क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में हैं। सहकारिता क्षेत्र की मिलें तथा सरकारी क्षेत्र की मिलें दाम चुकाने की स्थिति में पहले ही नहीं हैं। केवल निजी मिलें ही अदायगी कर रही हैं। गत वर्ष से वे भी भारी ऋण में दबे हुये हैं तथा अदायगी नहीं कर पा रहे। मिलों की खुशहाली के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

जैसाकि श्री देवगौडा ने बताया है, ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं। एक वर्ष पूर्व ब्याज दर 17 प्रतिशत थी। अब वे कम दरों के कारण 12 से 13 प्रतिशत का ब्याज ले रहे हैं। इसे कम करके 6 प्रतिशत किया जाना चाहिए। आप उस भंडारण पर उन्हें ब्याज अदा करने के लिए क्यों कह रहे हैं जो पहले से उनके पास है? सरकार कम से कम ब्याज में राजसहायता दे सकती है ताकि मिलों पर भार न पड़े। आप उन्हें बेचने नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही उनसे अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जा रहा है। समस्या यह है।

उदाहरण के लिए वर्ष दर वर्ष शीरे पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। आप कम से कम शीरे पर उत्पाद शुल्क हटाने के बारे में क्यों नहीं सोचते ताकि मिलों को उच्च दर मिल सके? मिलों को अधिक दर नहीं लेने दी जा रही है। दर बहुत ज्यादा है। चीनी उत्पादन में पहले ही गिरावट आ रही है। वर्ष 2002 के अंत में इसका उत्पादन 183 लाख टन था। वर्ष 2003 में 175 लाख टन का अनुमान लगाया गया है। इस तरह उत्पादन पहले ही कम हो रहा है। वर्ष 2001-2002 में निर्यात 14.6 लाख मी.टन था, इसे अपवाद मानते हुए निर्यात नाममात्र है। हम बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी आंतरिक खपत क्यों नहीं बढ़ रही है। गरीब लोग चीनी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आंतरिक खपत 173 लाख मी. टन है। इसका अर्थ है कि हमारा उत्पादन 175 लाख टन होने से हमारी आंतरिक खपत और उत्पादन बराबर हो जाते हैं।

श्री एच.डी. देवगौडा: हमारी आंतरिक खपत 130 लाख टन से अधिक नहीं है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वे हमारी आंतरिक खपत को 173 लाख टन दिखा रहे हैं। यह आंकड़े दिखाए गए हैं। इसका अर्थ है कि यदि यह प्रवृत्ति अगले दो या तीन वर्षों तक जारी रही तो आपको चीनी का आयात करना पड़ेगा। मौजूदा भंडारण को निपटाने का तरीका ही मानदण्ड है। इसलिए हमें अधिक चीनी का निर्यात करने हेतु प्रयास करने होंगे। उन्हें प्रोत्साहन दीजिए। चीनी का निर्यात बढ़ाने हेतु आप उन्हें 1000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में क्यों नहीं देते तथा पैकिंग सामग्री देकर उसे प्रस्तुत कर बेचने का प्रस्ताव क्यों नहीं करते? यदि वे चीनी का निर्यात कर पाए तो सभी मिलें किसानों को भुगतान कर पाएंगी।

हम फिलहाल विधेयक का समर्थन करते हैं। लेकिन यह दीर्घावधिक समाधान नहीं है। आपको किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधिक समाधान के बारे में विचार करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीनी मिलों की कुशलता, उनका नकदी प्रवाह तथा उत्पादकता में किस तरह सुधार हो। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन सभी सुझावों पर विचार करें।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप संक्षिप्त में बोलिए।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अगर समय नहीं देंगे तो हम ठीक से अपनी बात नहीं कह सकेंगे।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से किसानों का गला घुट रहा है, इसलिए मैं आपके संज्ञान में पूरे तथ्य लाना चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अध्यक्ष जी ने अपील की थी कि यह बिल और दूसरे भी दो-तीन बिल हैं, इसलिए इस बिल को जल्दी से खत्म करना है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना किसान मर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।*...(व्यवधान)* इस विधेयक से चीनी मिल मालिकों को लाभ मिलेगा, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप हर विषय पर इसी तरह करते हैं। आप बहस मत कीजिए और जितनी जल्दी हो सके, अपनी बात पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि आज देश का गन्ना किसान सबसे भीषण त्रासदी का सामना कर रहे हैं और आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा बहुत खराब है। उसका आलम यह है कि मुंडेरवा में पुलिस की गोली से तीन किसान मारे गये, पडरौना में दो किसान पुलिस की गोली से मारे गये और रामकोला में तीन किसान पुलिस की गोली से मारे गये। आंध्र प्रदेश की भी यही स्थिति है, यह बात अभी हमारे सदस्य साथी ने कही। किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

उत्तर प्रदेश में आज स्थिति इतनी दयनीय है कि गत वर्ष उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 95 और 100 रुपये प्रति क्विंटल मिला था। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश से और चीनी मिल मालिकों की साजिश से उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पांच रुपये एस.एम.पी. मूल्य बढ़ाने के बाद उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 82.5 रुपये और 85 रुपये निर्धारित किया है। वह मूल्य भी किसानों के गन्ने का अभी नहीं दिया जा रहा है। आपने इस विधेयक के अन्दर तर्क किया है कि न्यायालय के आदेश से जो चीनी मिल मालिक चीनी रिलीज आर्डर लेकर आ रहे हैं, हम ऐसा कानून लाएंगे कि वे न्यायालय के आदेश से रिलीज आर्डर नहीं ला पाएंगे और इससे चीनी के भाव बढ़ेंगे। हम आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहते हैं कि अगर किसान सबसे बड़ा उत्पादक है तो किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। चीनी के बढ़े हुए मूल्य का कोई लाभ ये चीनी मिल मालिक किसानों को देने वाले नहीं हैं।

खाद्य मंत्री जी, आप तो किसानों की बात करते रहे हैं, आपको इन पूंजीपतियों के विषय में बड़ा कड़वा अनुभव है, इसलिए मुगालते में मत रहिये कि अगर चीनी के भाव बढ़ेंगे तो उसका लाभ किसानों को मिलने वाला है।...*(व्यवधान)* यह किसानों का उपभोक्ताओं के रूप में शोषण करेंगे।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): महाराष्ट्र में तो चीनी मिल के मालिक किसान ही हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। मैं आप सबको एक साथ किस तरह बुला सकता हूं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आपने 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी शुगर मिलों को दी है। परचेज टैक्स में छूट दिया है, एंट्री टैक्स में छूट दिया है, इस तरह से लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ चीनी मिल मालिकों को मिला है। यह सरकार के द्वारा जो चीनी मिल मालिकों को रियायत दी गई है, उसमें 600 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। पिछले साल गन्ने का मूल्य 95 और 100 रुपये दिया गया और इस साल वे गन्ने का मूल्य 82.5 और 85 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। 24 मार्च तक जितने गन्ने की पिराई हुई है, वह पिछले साल की तुलना में इस साल 600 करोड़ का अतिरिक्त लाभ कमा चुके हैं।...*(व्यवधान)* मेरी बात खत्म नहीं हो पायेगी।

इस साल जो गन्ने का मूल्य दिया, उसमें अब तक 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा केवल दाम के अन्तर के आधार पर हो सका और आज चीनी मिलों पर बकाया जितना है, इसे देख लीजिए। अभी मेरे पास 22.4.2003 की उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है, उसमें 781 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले साल भी चीनी 11 रुपये किलो बिकी थी। खाद्य मंत्री जी सुनिये, पिछले साल चीनी मिल मालिकों का चीनी का थोक भाव 11 रुपये किलो था और इस साल भी उनकी चीनी 11 रुपये किलो बिकी है। उनको राज्य व केन्द्र सरकार की छूट व गन्ने का मूल्य कम देने से उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त मुनाफा 1200 करोड़ रुपये का हुआ। तब भी चीनी मिल मालिकों ने किसानों को गन्ने का गत वर्ष का मूल्य नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसे देख लीजिए।

भारत सरकार ने जो एस.एम.पी. मूल्य तय किया है, उस एस.एम.पी. का भुगतान भी चीनी मिल मालिकों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि नियम यह है कि अगर 15 दिन के अन्दर गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं होगा तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा और 30 दिन के अन्दर अगर भुगतान नहीं होगा तो उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को जब प्रधानमंत्री ने तलब किया तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट का 31.1.2001 का आदेश है, उसके मुताबिक जो समझौता मूल्य होगा, वह समझौता मूल्य ही लागू किया जायेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को गलत तथ्य प्रस्तुत किये थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चीनी मिल मालिकों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना किसानों को 95 और 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। मंत्री जी, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री की भी बात नहीं सुनी गई, तो इस बढ़े हुए चीनी मूल्य का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विधेयक आप वापस लीजिए और संसदीय समिति को सौंपने का काम करिये, वरना यदि चीनी का दाम बढ़ता है तो इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका उपभोक्ताओं पर जरूर असर पड़ेगा। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये और इस विधेयक को मंत्री जी अभी वापिस लें।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप निश्चित रहिये, मैं आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। यह विधेयक उन खामियों को दूर करने के लिए लाया गया है जिसका फायदा उठाकर मिल मालिक बेइमानी करते हैं। मंत्री महोदय आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में से दो उप खंड जोड़ने का प्रस्ताव कर रहे हैं और मैं इस विधान का स्वागत करता हूं।

मिल मालिक संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का फायदा उठाकर न्यायालय गए और जिस चीनी को सरकार समय-समय पर नियंत्रित करती रही है, उसे अधिक मात्रा में जारी करने हेतु उन्होंने अपने पक्ष में अदालत का फैसला प्राप्त कर लिया। लेकिन अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाने का निर्णय लिया है। यदि चीनी उद्योग से नियंत्रण हट जाता है तो गन्ना उत्पादक बुरी तरह से प्रभावित होंगे। 15.11.2002 की स्थिति के अनुसार मिल मालिकों पर गन्ना उत्पादकों के 556.37 करोड़ रुपये बकाया थे। मैं नहीं जानता की उन्हें बकाया राशि कब मिलेगी। यदि गन्ना उत्पादक देश में गन्ने का उत्पादन करने में विफल होते हैं तो पूरा चीनी उद्योग खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाने के अपने निर्णय की समीक्षा करे तथा देश में गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की कोशिश करे।

महोदय, हमारे पास चीनी नियंत्रण आदेश, 1966 है। लेकिन इससे उन खामियों को दूर नहीं किया जा सका जिसका फायदा उठाकर मिल मालिक बेइमानी करते थे। अब सरकार ने लेवी चीनी का कोटा न्यूनतम करने की कोशिश की है और वह चरणबद्ध तरीके से लेवी चीनी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। यदि चीनी उद्योग से नियंत्रण हट जाता है और चीनी मिल मालिकों को उनकी इच्छानुसार कारोबार करने दिया जाता है तो इस विधान की क्या आवश्यकता है? मेरे विचार से सरकार को यह विधान क्रियान्वित करने हेतु मिलों द्वारा 40 प्रतिशत उत्पादन करने को पुनः अनिवार्य करना चाहिये। अन्यथा यह विधान निष्प्रभावी हो जाएगा।

महोदय, मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि सभी राशन की दुकानों को चालू किया जाए। राशन की दुकानों को चलाना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है और यह केन्द्र सरकार को जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अचानक देश भर में गरीबी की रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए चीनी का मूल्य बढ़ा दिया गया। इसलिए सभी राशन की दुकानें घाटे में चल रही हैं और राशन के दुकानदारों ने अपना यह व्यवसाय छोड़ दिया है। इस तरह हमें, संसद सदस्यों को राशन नहीं मिल रहा है यद्यपि हमारे पास राशन कार्ड हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन्हें पुनः चालू किया जाना चाहिए। गरीब आदमी के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने लिए राशन की दुकान ही मुख्य दुकान है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: जो सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। श्री आदि शंकर अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने: उपाध्यक्ष जी, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वह ज्यादा अच्छा होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, एक मिनट में अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने: मैं अपनी स्पीच ले कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अनुमति है।

शेष सदस्य भी अपने भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। अब माननीय मंत्री।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। मैं किसानों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी से तीन नाम दिए गए हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी से कोई सदस्य नहीं बोला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सब कोआर्डीनेट करके, हम यहां कंडक्ट करते हैं। आप यह सब मुझे मत बताइए। आपकी पार्टी ने क्या कहा, वह मैं आपको नहीं बता सकता।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी स्पीच ले कर दीजिए।

[अनुवाद]

***श्री आदि शंकर** (कुड्डालोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मिल मालिकों को न्यायालय के आदेश की आड़ में चीनी विक्रय को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। लेकिन यह विधेयक और अधिक संशोधनों के साथ आना चाहिए था। मेरे कहने का अर्थ है कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल सरकार के हाथों को मजबूत करना है।

गन्ना उत्पादकों के पक्ष को भी मजबूत करने के लिए एक खंड होना चाहिए। इस विधेयक में गन्ना उत्पादकों के हितों की पूर्णत: उपेक्षा की गई है। हमारे देश में कोई उपभोक्ता यह नहीं कह रहा है कि उसे वाजिब दाम पर चीनी नहीं मिल रही है। इस देश में चीनी की कोई कमी नहीं है यह उन उपभोक्ताओं का मामला नहीं है जो कह रहे हैं कि उन्हें दुकानों में अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वाजिब दाम पर चीनी नहीं मिल रही है। देशभर में गन्ना उत्पादकों को भुगतान नहीं किया गया है। चीनी मिल मालिक फायदा उठा रहे हैं। गन्ना उत्पादकों को पिछले तीन वर्ष से भुगतान नहीं किया गया है। गन्ना उत्पादक गन्ने की फसल को जला रहे हैं। उनके पास फसल उगाने हेतु लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए धनराशि नहीं है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा था यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि मिल मालिक तथा निर्यातक अपन गोदामों अथवा भण्डागारों में जमा चीनी को बेच सकें। इसका यह उद्देश्य है। सरकार ने किसानों द्वारा बार-बार किए गए अनुरोध तथा मांग पर विचार नहीं किया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं कि वे गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं? सहकारी चीनी मिलों ने अपनी चीनी बैंकों में जमानत के तौर पर रखने के बाद ऋण लिया है। वे 14-16 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं। उन्हें सरकार से जारी करने के आदेश नहीं मिल रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे इस देश में गन्ना उत्पादकों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। इस विधेयक में आपने क्या उपबंध किया है? सरकार ने चीनी उत्पादकों की पूर्णत: उपेक्षा की है। वह गन्ना उत्पादकों की परवाह नहीं कर रहे हैं। अत:, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया गन्ना उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान दें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उपभोक्ताओं तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक दो उद्देश्यों को पूरा करेगा। जब मूल्य कम हो गए हैं तब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। गन्ना उत्पादकों का क्या होगा? आप समस्या का किस तरह समाधान करेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि मिल मालिकों ने गन्ना उत्पादकों को कितनी राशि का भुगतान करना है? वे कितने समय तक भुगतान नहीं किया गया? इसका क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 800 करोड़ रुपये देने के अलावा इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है। यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की जनता का मुद्दा है। पूरे भारत में गन्ना उत्पादक प्रभावित हुए हैं। मेरे विचार से इस विधेयक की मंशा अच्छी है।

[हिन्दी]

***श्री मानसिंह पटेल** (मांडवी): महोदय, माननीय मंत्री श्री शरद यादव जी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुधार हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 2003 लेकर आये हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अभिनंदन करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका भी आभारी हूं।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश के करीब 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि में गन्ना उत्पादक और चीनी उद्योग देश का सबसे बड़ा कृषि उद्योग है। पिछले तीन-चार साल से गन्ने का एवं चीनी का उत्पादन देश में लगातार बढ़ रहा है। देश की आनरोल खपत के अलावा बहुत भारी स्टॉक चीनी मिलों के गोदामों में भरा पड़ा है। अतिरिक्त गोदामों की कमी महसूस हो रही है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है। चीनी मिलें गन्ना किसानों का पूरा भुगतान दे नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप गन्ना किसान भूखे मर रहा है और बरबादी के कगार पर खड़ा हुआ है।

महोदय, गन्ना किसानों और चीनी मिलों को बचाने के लिये केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाये हैं। आज की चीनी मिलें गन्ना किसानों को न्यूनतम मूल्य भी नहीं दे पाती हैं, इससे कई कानूनी मुद्दे उपस्थित हो रहे हैं, जिससे चीनी मिले कानूनी मुश्किलों में फंस जायेंगी, इसके लिए माननीय मंत्री जी को कुछ रास्ता निकालना होगा।

महोदय, गन्ना उत्पादकों एवं चीनी मिलों को मदद करने हेतु हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी कदम उठाये हैं। पिछले सरकारों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की असमान आयात नीति को बदल कर देश में चीनी आयात पर रोक लगाने के लिये 60 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी है ताकि देश में चीनी आयात पर रोक लगायी जा सके। सालों से अनिर्णित प्रश्न इथोनोल का था। चीनी मिलों की साइड प्रोडक्ट, शीरे से इथोनोल बना कर पांच प्रतिशत पेट्रोल में मिलाने की परमिशन दे दी गयी, जिससे ईंधन के आयात पर रोक लगेगी और बचत होगी और गन्ना किसानों को बराबर कीमत दे पायेंगे। ईंधन में इथोनोल की मिलावट 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की जाये ताकि गन्ना किसान और भी फायदा उठा सकें।

अभी निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी आनरोल ढुलाई और औसत सब्सिडी देने का निर्णय आवश्यक है, जिससे चीनी के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। चीनी का बफर स्टॉक करने का केन्द्र सरकार के निर्णय से थोड़ा बहुत राहत चीनी मिलों को रही है और बफर स्टॉक करने की आवश्यकता है।

महोदय, केन्द्र सरकार के पास चीनी विकास फंड के रूप में गन्ना किसानों के पैसे बचत के रूप में पड़े हुए हैं, इस फंड का व्यापक उपयोग गन्ना विकास और चीनी उद्योग विकास में लगाने की आवश्यकता है।

अलबत्ता सरकार ने चीनी विकास कार्य से गन्ना विकास, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, रुग्ण चीनी मिलों को मदद, इथोनोल प्लांट के लिये ऋण देने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है।

महोदय, मेरे क्षेत्र गुजरात में और महाराष्ट्र में चीनी उद्योग 100 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में है और यह उद्योग मरणासन्न स्थिति में है, वहां पुरजोर मदद दी जाये, ऐसी मेरी मांग है।

पिछले चार-पांच माह में इस परिस्थिति को निपटाने के लिये कई ऐसी मिलें हैं, जिससे न्यायालय में जाकर केन्द्र सरकार ने चीनी रिलीज कर भारी मात्रा में चीनी बाजार में ला दी है। इससे बाजार में 100 से 300 तक की कीमतों में गिरावट आयी है। इससे तमाम सरकारी मिलें बंद होने के कगार पर हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को प्रसारित करके केन्द्र का रिलीज मिकेनिज्म को मजबूत किया जाये और चीनी स्टाक मार्केट में लाया जाये ताकि गन्ना एवं चीनी उद्योग और किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

महोदय, केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी से मैं यह भी मांग करता हूं कि जिन चीनी मिल मालिकों ने न्यायालय का आसरा लेकर चीनी के दामों को तहस-नहस कर दिया है उनको दंड दिया जाये और जो चीनी मिलें सरकार के नियमों का अनुपालन करती हैं उनको ज्यादा रिलीज दिया जाये ताकि खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ माल बरसात होने से पहले पहले बाजार में बेच सकें।

महोदय, मैं यह भी मांग करता हूं कि चीनी विकास निधि से ऋण दिया जाता है इसमें शीरे से इथोनोल तक पूरे प्लांट का ऋण दिया जाये और ये ऋण राज्य सरकारों को न देकर सीधा चीनी मिलों को दिया जाये इससे चीनी मिलों को ज्यादा फायदा होगा और गन्ना किसानों को भी मदद मिलेगी।

महोदय, मैं पुन: मंत्री जी और केन्द्र सरकार का अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

***श्री दानवे रावसाहेब पाटील** (जालना): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री शरद यादव जी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और सुधार लाने वाला विधेयक जो राज्य सभा में पहले ही पारित हो चुका है, वह लोक सभा में पारित करने के लिए रखा, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं।

महोदय, यह बिल मा. मंत्री जी को लोक सभा में लाने के लिये क्या जरूरत पड़ी, इसके बारे में कहता हूं- अध्यक्ष जी इस देश में जो चीनी मिल है। इस मिल में जो चीनी पैदा होती है, यह चीनी लोगों तक कैसे पहुंचे इसके लिए केन्द्र सरकार से एक मैकेनिज्म बनाया था, वह मैकेनिज्म सारे इंडिया के लिए लागू था। सरकार हर महीने हर चीनी मिल को उस मिल के स्टाक को रिलीज आडर देती थी। इस आर्डर के मुताबिक चीनी मिल बाजार में चीनी बेचता था। ये मैकेनिज्म जब तक चलता रहा तब तक कोई चीनी मिल को दिक्कत नहीं आयी। चीनी के भाव कम नहीं हुये।

अध्यक्ष जी, दिक्कत तो तब हुई जब उत्तर प्रदेश के प्राईवेट चीनी मिल मालिक हाईकोर्ट में गये और उन्होंने इस मैकेनिज्म को चैलेंच किया और कहा कि हमारे पास जो चीनी का स्टाक है, वह रखने के लिए हमारे पास गोदाम नहीं हैं। बैंकों से कर्जा लेकर हमने गन्ने का पैसा दिया है। चीनी रखने के लिए जगह नहीं है। किसानों को पैसा देना बाकी है और यह चीनी कोई इसेंनसियल कमोडिटीज में नहीं आती है और वह शेड्यूलड (9) में भी नहीं है। इसलिए हमें यह चीनी बाजार में बेचने की अनुमति दी जाये कोर्ट में इन मिलों को अनुमति दी है और चीनी बगैर सरकार को पूछे बेची जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने यह अनुमति क्यों दी क्योंकि चीनी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 शेड्यूल (9) में नहीं है। इसलिए कोर्ट ने इसमें अनुमति दी है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री दानवे रावसाहेब पाटील]

अगर चीनी शेड्यूल (9) में होती तो कोर्ट अनुमति नहीं देता इसीलिए माननीय मंत्री जी ने शेड्यूल (9) में लाने के लिए यह बिल लाया है।

महोदय, देश में चीनी की पैदावर कितनी है और उसका स्टाक कितना है। यह एक बात मैं आपको बता दूं। इ.स. 2001 से 2002--117 लाख मी. टन, इ.स. 2002 से 2003—191 लाख मी. टन. यह दो साल में 308 लाख मी. टन है।

महोदय, इस देश में अगर अगले साल चीनी मिल नहीं भी चले तो एक सौ अड़तीस लाख मीट्रिक टन चीनी 2003 में स्टाक रहने वाली है।

महोदय, इस देश में एक व्यक्ति एक साल में 15 किलो चीनी खाता है और इस देश की जनसंख्या सौ करोड़, आप पकड़ेंगे तो 15 किलो के हिसाब से 150 मीट्रिक टन चीनी एक साल में लगती है।

महोदय, लेकिन चीनी की पैदावार और चीनी का कंजप्शन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए चीनी मिल के पास जो ज्यादा चीनी पड़ी है, उस चीनी पर जो बैंकों का ब्याज चल रहा है, उसमें चीनी मिल को सरकार की तरफ से राहत देने की जरूरत है।

महोदय, राहत देने की जरूरत किन्हें है, यह आपको बता रहा हूं। अध्यक्ष जी जैसे कोर्ट ने चीनी बेचने का आर्डर किया, वैसे ही इन चीनी मिलों ने पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा यह स्टेट में चीनी बेचना शुरू कर दिया। इसका परिणाम महाराष्ट्र में सहकारिता मिल पर हुआ।

महोदय, कोर्ट के निर्णय के कारण 1568 कोटी रुपयों को शाट मार्जिन एक ही साल में होने के कारण चीनी मिल दिक्कत में आ गयी है लेकिन इन शाट मार्जिन को महाराष्ट्र शासन ने रिहेबिलेटिशन और उन 1568 कोटी के पांच हफ्ते कर पैसे रिटर्न करने को कहा लेकिन अध्यक्ष महाराज यह बिल पास नहीं हुआ और स्थिति यही रही तो शाट मार्जिन हर साल 30 प्रतिशत से और बढ़ेगा और चीनी मिल बंद होने में देरी नहीं लगेगी।

महोदय, कोर्ट के निर्णय के कारण, जो स्थिति पैदा हुयी उसे निपटाने के लिये महाराष्ट्र में कुछ प्रयास किये गये, इसमें से एक प्रयास यह था शुगर कमिश्नर की अध्यक्षता में शुगर एक्सपोर्ट सेल बनाया गया। इस सैल के जरिए चीनी मिल से चीनी एकत्र करके एक्सपोर्ट करना यह है आज तक सेल की तरफ से 8 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने का करार हुआ लेकिन पांच लाख मैट्रिक टन ही चीनी एक्सपोर्ट हुई क्योंकि बाहर देश में भी चीनी के भाव में गिरावट है।

महोदय, चीनी की पैदावार केवल भारत में ही नहीं ब्राजील, केन्या, थाइलैंड, इन देशों में भी चीनी ज्यादा होती है। इस देश में जो चीनी पैदा होती है वह चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए उस देश में बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है। इसलिए जो चीनी हमने एक्सपोर्ट की है, उसकी कीमत चीनी मिल को केवल 920 रु. प्रति क्विंटल मिली है।

महोदय, मैं आपको बता दूं, चीनी मिल को 1 क्विंटल चीनी पैदा करने के लिए कम से कम 1500 से 1600 रुपये लगते हैं और 900 से 1000 अगर मिलते हों, इस उद्योग का क्या होगा, इसका भविष्य देखने की कोई जरूरत नहीं।

महोदय, एक बार मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कुछ पाबंदियां मिल पर लगायी हैं, उसमें से एस.एम.पी. की याद मैं आपको दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार ने जिन चीनी मिलों की रिकवरी 8.30 है उनको 560 देने के बारे में कहा है। उसके ऊपर जो भी रिकवरी रहेगी उसके लिए प्रति प्वाइंट 70 पैसे देने को कहा है। यह रेट से कोई भी चीनी मिल यह रेट दे नहीं सकता और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि चीनी मिल को लेव्ही देना पड़ती है यह लेव्ही में हाल में बदलाव आया। पहले 40:60 बाद में 30:70, बाद में 15:85, बाद में 10:90, यह जो अंकों में बताया लेव्ही 10 प्रतिशत होने के बाद भी चीनी उठायी नहीं जाती, क्योंकि लेव्ही भाव 1191 प्रति क्विंटल है। बाजार में लेव्ही महंगी और खुली साखर सस्ती, आज बाजार में यह स्थिति है तो अध्यक्ष जी अंत में, वक्त कम होने के कारण इस बिल का मैं समर्थन तो करता हूं, इस स्थिति से उभारने के लिए जो उपाय शासन करने जा रही है, उसमें मेरे सुझाव देकर मैं भाषण खत्म करने वाला हूं।

उपाय इस प्रकार हैं— चीनी मिल को एग्री कल्चरल प्राइवेट सेक्टर में लाना चाहिए, बैंकों का ब्याज दर कम करना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए एक्साईज ड्यूटी कम करनी चाहिए, नये चीनी मिल को संपत कमेटी के बेनिफिट मिलते थे अब नहीं मिलते, उसके बजाय एस.डी.एफ. से उतने फंड मिलने चाहिए।

महोदय, चीनी मिल उभारने के लिए आज जो कर्जा लेना पड़ता है, उसकी ब्याज दर 17 प्रतिशत से 18 प्रतिशत है, जो कि एक साल में केवल ब्याज 8 से 10 करोड़ देना पड़ता है। मुझे लगता है कि ब्याज दरों में काफी कमी होती जा रही है, लेकिन

चीनी मिल के लिए कर्ज को कम ब्याज दर पर पैसा देने की जरूरत है।

चीनी मिल से जो चीनी बेची जाती है उस पर 85 रुपये क्विंटल एक्साइज केन्द्र सरकार को दी जाती है। जब तक चीनी का बाजार सुधरता नहीं तब तक एक्साइज ड्यूटी माफ की जाये।

चीनी मिल एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, इस वजह से इन मिलों को जो फायदा होना है, वह नहीं होता, इसलिए चीनी मिल को एग्रीकलचर प्राइवेट सेक्टर में लाया जाये।

महोदय, पहले चीनी मिल खड़ी करने के लिए बैंक जो पैसा देती थी, वह वापिस करने के लिए सम्मत कमेटी के बेनिफिट मिलते थे और आज सम्पत कमेटी के बेनिफिट नहीं मिलने के कारण चीनी मिल संकट में हैं।

मेरी आपसे विनती है कि सम्पत कमेटी के बेनिफिट से जितना फायदा चीनी मिल से होता था, उतने पैसे एस.डी.एफ. से नयी चीनी मिल को दिये जायें। इतना सुझाव करता हूं और बिल का समर्थन करता हूं।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दे तीन व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं— एक उपभोक्ता, दूसरा किसना और तीसरा चीनी मिलों से। मैं तीनों की बात रखना चाहता हूं। पिछली बार बहुत से चीनी मिल वाले न्यायालय में चले गए थे। न्यायालय में अपनी चीनी रिलीज कराने के लिए जो स्थिति बनी है, उस बारे में मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं इसी सदन में एक संकल्प लाया था कि किसानों के गन्ने का भुगतान करने के लिए और अपनी चीनी मिलों को चलाने के लिए व्यवस्था की जाए। मैं जिस जिले से आता हूं, वहां नौ चीनी मिले हैं। नौ चीनी मिलों में से दो सरकार की थीं जो बंद हो गईं, दो ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन की थीं, वे भी वंद हो गईं और दो जो प्राईवेट हैं, वे बंद होने की स्थिति में हैं। उनमें से केवल तीन चीनी मिलें चलीं। किसानों के साथ वहां आज जो दुर्दशा हो रही है, किसानों को जो पर्ची मिल रही है, उस पर उसका वजन लिखा जाता है लेकिन यह नहीं लिखा जाता कि कितना भुगतान किया जाना है, किस रेशियों से भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसानों को लेकर सबसे अधिक चिन्ता हमारी यह है कि गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों को चलाने की सरकार व्यवस्था करे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बाद में क्लैरीफिकेशन पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): चीनी मिलों के बारे में बात हो रही है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। यह नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.39 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.40 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय: यहां क्या कोई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इन मैम्बर्स को संभालने के लिए है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जायसवाल जी, अब कंक्लूड कीजिए।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: इस अधिनियम से यदि किसानों का फायदा होने जा रहा है तो...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): महोदय, हमें भी बोलने का अवसर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको मैं दो मिनट दे दूंगा।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: यदि इस अधिनियम से किसानों का फायदा होने जा रहा है तो सराहनीय बात होगी। लेकिन इसी विषय को लेकर मैं एक संकल्प लाया था और पांच घंटे जिस पर इसी सदन में बहस चली थी कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। करीब-करीब 300 करोड़ रुपया उनका बकाया है। जब यहां पर मामला उठा तो सरकार कहती है कि गन्ने की कीमत केन्द्र सरकार तय करेगी लेकिन भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, शुगर डैवलपमेंट फंड सरकार के पास पड़ा हुआ है इन चीनी मिलों को चलाने के लिए तो क्यों नहीं भुगतान किया जा रहा है? काफी राशि पड़ी हुई है। 1933 के दशक में ये चीनी मिलें बनी थीं जो आज चरमरा गई हैं। उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। चीनी का जो उत्पादन हो रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ...*(व्यवधान)* चीनी मिल मालिकों में भी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप इस अधिनियम के पक्ष में है और एक विपक्ष में बोल रहे हैं। इसलिए

[डा. मदन प्रसाद जायसवाल]

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों और उपभोक्ताओं की ऐसी दुर्दशा न हो, यह अधिनियम लागू हो। लेकिन इसको लेकर जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह सरकार को करनी चाहिए कि किसानों के गन्ने का भुगतान केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और केन्द्र सरकार यह न कहे कि प्रांत की सरकार गन्ने के किसानों का भुगतान करेगी। पर्ची पर राशि लिखी जानी चाहिए कि किस कीमत पर उनका भुगतान होगा और मैं सबसे अधिक पक्षधर किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हूं कि यदि सरकार उनके लिए व्यवस्था करने जा रही है तो अच्छी बात होगी लेकिन जो बफर स्टाक है, जो पैदावार हुई है, उसका सरकार क्या करेगी? उसको कहां रखेगी और एक महीना यदि चीनी पड़ी रह गई तो चीनी पड़े-पड़े पीली पड़ जाएगी, उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिए। कम से कम इतना तो सहयोग करिए।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: मैं सहयोग कर रहा हूं इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों के हक की रक्षा करने के लिए इस अधिनियम के जरिए कोई व्यवस्था कराएं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): इस अधिनियम, में कोई व्यवस्था ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश, जी, क्या आप अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बोलने देंगे?

श्री चन्द्रनाथ सिंह: यह बिल चीनी मिल मालिकों और पूंजीपतियों के दबाब से आया है। इसमें भयंकर घपता हुआ है। इस सरकार ने करोड़ों-करोड़ों रुपया लिया है। यह बिल इतनी जल्दबाजी में लाया जा रहा है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। 751 करोड़ रुपये किसानों को मिलने हैं और उसके बाद प्राइवेट चीनी मिल मालिकों को उनका स्टाक रखने को दिया जाएगा तो खुल्लमखुल्ला ब्लैकमार्केटिंग बढ़ेगी और इससे नुकसान होगा तथा चीनी मनचाहे दाम पर बेचेंगे और कहेंगे कि हमारे पास स्टाक है तो मैं किसानों से गन्ना नहीं खरीदूंगा। तो फिर किसान अपना गन्ना कहां ले जाएंगे? परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शरद यादव जी किसान के बेटे होते हुए भी किसान विरोधी बिल लेकर आए हैं। यह बिल उपभोक्ता विरोधी है और चीनी मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाए और वहां इस पर विचार किया जाए। अगर यह स्टेंडिंग कमेटी में नहीं ले जाया जाता तो मैं समझूंगा कि सरकार ने भारी घपला किया है और यह किसान विरोधी सरकार है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इस बिल पर व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महदोय, कल से मैं देख रहा हूं और आज भी देख रहा हूं कि चीनी लाबी कितनी सशक्त है। सरकारी की तरफ से कोई नहीं यह कह सकता कि इस बिल से चीनी मिल मालिकों की पौ बारह होगी और किसान की तकलीफ और बढ़ेगी। आगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्यों इसे चीनी मिल मालिकों के दबाव से जल्दी से जल्दी पास किया जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूं कि सरकार की तरफ से यह प्रयास हो रहा है कि अफरा-तफरी में यह बिल पास हो जाए। सारे सदस्य इस बिल पर बोलना चाहते हैं, क्योंकि किसान आज मारा जा रहा है।

इस बिल के द्वारा चीनी मिल मालिकों को तीन फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। पहले सरकार द्वारा चीनी पर 65 प्रतिशत लेवी थी, जिसको बाद में चीनी मिल मालिकों के दबाव में घटा कर 40 प्रतिशत कर दिया। उसके बाद इसको भी घटा कर दस प्रतिशत कर दिया गया और अब तो यह भी खत्म होने जा रही है। 350 करोड़ रुपए का लाभ चीनी मिल मालिकों को पहुंचाया गया है।

बफर स्टाक के नाम पर 750 करोड़ रुपए का लाभ चीनी मिल मालिकों को पहुंचाया गया है। मूल्य वृद्धि कराकर चीनी मिल मालिकों की पौ बारह होगी। लेकिन गन्ना किसानों की तकलीफ बढ़ रही है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई बहस या चर्चा नहीं है और कोई चिंता नहीं है। मदन प्रसाद जायसवाल जी अभी बोल रहे थे। किसान सदस्यों को खोज रहा है। इसलिए हमें मारे नहीं, वह उसके पक्ष में बोल गए, जबकि लाभ चीनी मिल मालिकों को मिलेगा। इस प्रकार की नीति सत्ता पक्ष की चल रही है। सरकार मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, लेकिन वह भी गन्ना किसानों को नहीं मिलता है, जबकि अन्य सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले साल एमएसपी 95 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन इस साल 85 रुपए कर दिया गया है। ऐसा अंधेर गन्ना किसानों के साथ हो रहा है। और किसी चीज की कीमनत नहीं घटी है, केवल गन्ने की कीमत घटा दी गई है।

किसान अपना गन्ना मिलों में देते हैं, लेनिक उनको लाभ नहीं मिलता है और समय पर पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए सूद का प्रावधान है, लेकिन सूद, क्या, मूल भी नहीं मिल रहा है। हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चीनी मिलें बंद हो रही हैं। इसके लिए सरकार की कोई नीति नहीं है,

कोई कानून नहीं है और कोई चर्चा नहीं हो रही है। चीनी मिल मालिकों को कैसे लाभ हो, कैसे चीनी की कीमत बढ़े, यह देखा जा रहा है। कहा जाता है कि 350 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दिए गए हैं। सरकार बताए कि कहां गन्ना किसानों को यह पैसा मिला है? नाम होता है किसानों का और फायदा चीनी मिल मालिकों को पहुंचाया जाता है। चीनी मिल मालिकों की बहुत सशक्त लाबी है। देश में 16 करोड़ परिवार उपभोक्ता हैं। छः करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और दस करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर हैं। उनके लिए पीडीएस से चीनी मिलना बंद हो गया है। एपीएल वालों का कार्ड बना हुआ है, लेकिन चीनी नहीं मिलती है। गरीबी रेखा से जो लोग थोड़ा ऊपर हैं, उनको पहले पीडीएस से चीनी मिलती थी, लेकिन वह भी बंद कर दी है और एपीएल वालों के लिए भी बंद कर दी है। आम उपभोक्ता के साथ अन्याय हो रहा है, गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। फायदा केवल चीनी मिल-मालिकों को हो रहा है। शुगर का जो कंट्रोल आर्डर था, उसका कानून में ही प्रावधान कर दिया जाए तो अच्छा है जिससे कम दाम में चीनी किसानों को मिले। गन्ना किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक तरफ चीनी मिल मालिकों की चीनी की कीमत बढ़ाई जा रही है और उन्हें चीनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में सब्सिडी भी दी जा रही है। इसमें सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। किसान और मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार द्वारा जो चीनी मिलें बंद हैं, उन्हें खोलने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है। गन्ना उत्पादन से लेकर, चीनी को चीनी मिलों तक पहुंचाने में, रास्ते भर उनका शोषण होता है, उनके साथ अन्याय होता है। पर्ची के लेन-देन में उनका शोषण होता है। आज किसानों की पीड़ा अनंत हैं। सभी एरिया के किसान कह रहे हैं कि वे तकलीफ में हैं लेकिन सरकार की ओर से उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चीनी मिल मालिकों की लाबी बहुत सशक्त है। वे जो चाहते हैं वह कानून बनवा लेते हैं। कल जब सारे सदस्य चले गये थे तो बिल को पास करवा रहे थे, ऐसी अंधेरगर्दी पहले नहीं देखी गयी। किसान के बकाये का भुगतान होना चाहिए। बंद चीनी मिलों को चलाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सरकार क्षमताहीन हो जाती है। मिल मालिकों के लिए तो सरकार की गाड़ी तेज दौड़ने लगती है लेकिन किसान के लिए सरकार की गाड़ी फंस जाती है। हम इसके खिलाफ हैं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सर, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उनके भाषण को पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है। हमें अपराह्न 2.00 बजे नियम 193 के अधीन मामलों पर बहस करानी है। नियम 193 के अंतर्गत दो मुद्दों को लिया जाना है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

*महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। चीनी उद्योग उद्योग के संरक्षण के लिए इस विधेयक में बहुत से प्रावधान हैं। चीनी पर नियंत्रण और उसके वितरण के लिए केन्द्र सरकार को और अधिक शक्तियां दी गयी हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में और संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

अब देश में खाद्य आपूर्ति का पूरी तरह निजीकरण कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरकार द्वारा लगभग छोड़ दिया गया है। अब लोगों को खुले बाजार पर निर्भर करना पड़ेगा। बड़े व्यापारियों और थोक व्यापारियों का प्रभाव बढ़ेगा। वे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तय करेंगे। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। चीनी उद्योग को भी संकट का सामना करा पड़ा रहा है। गन्ना उत्पादक कर्जे में हैं।

बैंक उचित समय पर उनकी सहायता नहीं करते। चीनी उद्योग को विदेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

फसल खराब होने का एक अन्य कारण सूखा है। यह विधेयक उनके हितों की रक्षा के लिए गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। कृपया अब व्यवधान न करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सिंह, एक सदस्य के लिए यह अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब व्यवधान न करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: सरकार मिल मालिकों से रिश्वत ले रही है।...*(व्यवधान)*

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्टर सिंह, मैंने आपको चांस दिया, फिर आप क्यों बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): उपाध्यक्ष जी, इस सवाल पर इस सदन में पहले भी कई बार बहस हुई है और बहस के तहत, एक नहीं कई कदम भारत सरकार की ओर से उठाये गये हैं। जो कदम हमारे हाथ में हैं, उनको हमने जरूर उठाया है। इस सवाल पर पिछले साल 16 दिसम्बर को जब चर्चा चल रही थी तब माननीय प्रधान मंत्री जी मौजूद थे। सारे लोगों की बहस के बाद उन्होंने चार-पांच कदम उठाये थे। मिनिमम स्पोर्ट प्राइस पर पांच रुपये यानि जो मिनिमम प्राइस 64 रुपये था उसे 69.50 किया। इसी सदन में ये कदम उठाये गये थे। भारत में यह जो स्थिति पैदा हुई है निश्चित तौर पर जो आज शुगर इंडस्ट्री है उसमें शुगर-केन ग्रोवर हैं, उपभोक्ता हैं और इस उद्योग के साथ गांव के लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है। इसमें जो परिस्थिति बनी है उसमें शुगर उत्पादन पिछले चार साल में लगातार बढ़ता गया है। लगभग 180 लाख टन प्रोडक्शन रहा है। शुगर प्रोडक्शन की वजह से स्टाक हाई लैवल पर रहा है। दिसम्बर, 2002 में 102 लाख टन का स्टाक था। इसके चलते सारे सिस्टम में, शुगर इन्डस्ट्रीज में क्राइसैस आया है। शुगर प्राइस 150 रुपए से लेकर 290 रुपए घटी है। इस वजह से उत्पादन में भी कमी आई है। हाई शुगर प्रोडक्शन की वजह से हिन्दुस्तान पहले स्थान पर चला गया है। कोर्ट से निश्चित तौर पर इस बिल को लाने की कतई जरूरत नहीं थी और स्थिति यह है कि शुगर इन्डस्ट्रीज के रिलीज मैकेनिज्म को तोड़ने का काम नहीं किया गया। पिछले एक-डेढ़ साल में डिकन्ट्रोल करने के फैसले के चलते यह फैसला हुआ कि शुगर लैवल घटाया जाए, डिकन्ट्रोल किया जाए, तो उससे इन्डस्ट्रीज में एक पैनिक क्रिएट हुई और लोग अदालत में चले गए।...*(व्यवधान)* महोदय, 40 लाख मिट्रिक टन शुगरकेन मार्केट में आ गया और मार्केट में बड़े पैमाने पर प्राइसैस नीचे चले गए। इस आधार पर शुगर इन्डस्ट्रीज के लोग कोर्ट में चले गए। इसके बाद स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस जो भारत सरकार तय करती है, उसमें हमने चार-पांच रुपए बढ़ाने का काम किया। पिछली बार कुंवर अखिलेश सिंह जी ने ठीक कहा था कि पिछले साल 95 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक कीमत मिली, लेकिन इस बार सरकार ने काम किया कि शुगर इन्डस्ट्रीज के लोग कोर्ट में चले गए और वे स्टे ले आए। इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया। इस सवाल पर प्रधान मंत्री जी के साथ तीन-चार मीटिंग हो चुकी हैं। अभी कीमतों में अंतर आ रहा है, लेकिन भारत सरकार और सूबों की सरकारों के साथ यह लड़ाई अभी चल रही है। इस मामले में हम जूझने का काम कर रहे हैं। शुगर इन्डस्ट्रीज और शुगर ग्रोअर्स के बीच काफी दिक्कतें हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। बफर स्टाक जो नीचे चला गया था, उसको बीस लाख टन तक किया गया है। दूसरी कदम हमने उठाया है कि इन्टरनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी है और बफर स्टाक 786 करोड़ रुपए...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उसके बाद एक्सपोर्ट क्यों घट रहा है?...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: महोदय, यह सारी परिस्थिति है। शरद पवार जी इस देश के नेता हैं और फार्मिंग कम्युनिटी से चर्चा की गई है। श्री देवगौडा जी ने ठीक कहा कि तात्कालिक कदम उठाए गए हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत वाजिब बात कही है। हमने बहुत से कदम उठाए हैं। शुगर डेवलपमेंट फंड के बारे में मैं एक चीज देवेगौड़ा जी की नजर में लाना चाहता हूं। भारत सरकार के एसडीएफ में 1300 करोड़ रुपए हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन मेरे हाथ में जो संभव था, वह काम मैंने किया। इसमें सबसे ज्यादा पैसा 786 करोड़ रुपया गया। जो पुराने केन ड्यूज हैं और आगे आने वाले जो ड्यूज हैं, उसके लिए अकेले शुगर डेवलपमेंट फंड में 786 करोड़ रुपए दिए गए जो सबसे बड़ा एमाउंट है। मैंने शुगरकेन के कमिश्नर और दूसरे सभी लोगों को बुला कर बैंक में ऐसा इंतजाम किया कि जब तक वह पैसा चुका नहीं देंगे और बैंक से ऐसा सर्टिफिकेट नहीं आ जाएगा कि किसानों को ये ड्यूज पे हो गए हैं, तब तक उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। मैं सदन को एश्योर करता हूं कि हमने जो भी पैसा दिया, उसके लिए एक कमेटी बनायी है और पूरे डिपार्टमैंट में डे-टुडे इसे आब्जर्व किया जाएगा जिससे किसानों के पास ठीक से पैसा जाए। माडर्नाइजेशन के बिना इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि एथनाल और को-जैनरेशन से काम नहीं चलेगा और यह क्राइसिज उससे मिटने वाली नहीं है। इंडस्ट्री को माडर्नाईज करना पड़ेगा। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ है और ओपन मार्किट हुई है। इसके चलते बहुत बड़ी दिक्कत है। दुनिया में शुगर के दाम नीचे गए हैं। हम जब तक इंडस्ट्री को माडर्नाईज नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। शुगर डैवलपमेंट फंड में 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं, को-जैनरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, एथनाल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केन डेवलपमेंट के बगैर रिकवरी जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक इंडस्ट्री प्राइसिज देने का काम नहीं कर पाएगी। देवेगौड़ा जी ने जो कहा मैं मानता हूं कि यह तात्कालिक कदम उठाए हैं। हमारे हाथ में जो था, वह

काम हमने किया। शुगर डेवलपमेंट फंड में 1300 करोड़ रुपए में से 1200 करोड़ रुपए इस परिस्थिति को बदलने में हुए चूंकि यह इंडस्ट्री गांव के लोगों से वास्ता रखती है। इसके नीचे जाने का मतलब गांव के उद्योगों को बरबाद करना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: कृष्णामूर्ति जी ने जो कुछ कहा, मैंने उसका थोड़ा बहुत जवाब दे दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि चीनी का एक्सपोर्ट घट रहा है। वह 2001 में 3 लाख 49 हजार गया। वह 2001-2002 में 14.56 लाख बढ़ा है।...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, चीनी का एक्सपोर्ट घटा है लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि वह बढ़ा है। वह बढ़ा नहीं हैं। मंत्री जी ऐसा कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है। हम यह बिल सदन की आम सहमति से लाए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि दूसरे बिल भी आपको लेने हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया इस तरह व्यवधान न करें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हमने नियम 193 टेक-अप करना है। आप अपनी सीट पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.05 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात यहां रखी है और उच्च न्यायालय का जो स्टे हुआ है, वहां हमारा वकील जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष जी, अभी जो कहा गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बात सुनाने की नहीं, आप उनकी सुनिये, वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात को मेरे संज्ञान में लाने का काम किया है, मैं चाहूंगा कि वे लिखकर दे दें। इसमें जो भी हो सकेगा, जिस तरह से सिस्टम वर्क आउट करना होगा, करेंगे। सरकार वह सब करने के लिए तैयार है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, मंत्री जी ने कह दिया है। आप उन्हें लिखकर दे दीजिये। उन्होंने आपकी बात मान ली है। आप बैठिये।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट के लिये आपसे इजाजत चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है, वह सत्य नहीं है...*(व्यवधान)* वे सत्य को छिपा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब उन्होंने आपकी बात मान ली है तो फिर इस पर बहस क्या है? आप दुबारा बहस पर नहीं जा सकते। जब एक बार उन्होंने कह दिया है कि आप लिखकर दे दीजिये, तो वे करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में न्यायालय का उल्लेख किया है, इसलिये मैं भी रिकार्ड पर लाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जिस उच्च न्यायालय का उल्लेख किया है, मैं उनके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि 31.01.2001 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गन्ना किसानों के मामले में फैसला दिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप दुबारा स्पीज शुरू मत करें। मंत्री जी ने आपकी बात मान ली है।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने तथ्य छिपाकर बात की है, इसलिये सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और चीनी मिल मालिकों के खिलाफ अवमानना का नोटिस दिया है। ये सारे तथ्य माननीय राष्ट्रपति जी के संज्ञान में लाये जा चुके हैं...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, हाई कोर्ट में हमारा वकील जाने वाला है। माननीय सदस्य तथ्य दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने कह दिया है कि आप सारे तथ्य उन्हें दे दें। मुझे नियम 193 टेक अप करना है, यह आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है।

श्री शिवाजी माने: उपाध्यक्ष जी, यह ठीक है कि कंट्रोल करना है लेकिन अगर चीनी एक दिन भी गोदाम में रहेगी तो उसका इंट्रेस्ट कौन पे करेगा?

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह रिलीज मैकेनिज्म सिस्टम आज से नहीं, पिछले 30-40 साल से चल रहा है। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बता रहे थे वे डी-कंट्रोल के खिलाफ हैं। उन लोगों की यह शंका ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री शरद यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्य यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, आपने हमारी बिल पर डिवीजन की मांग स्वीकार नहीं की है, इसलिए सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

अपराह्न 2.10 बजे

तत्पश्चात् कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए

अपराह्न 2.10 1/2 बजे

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं नागर विमानन मंत्री जी से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ प्रस्तुत करने को कहूं उससे पहले मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि श्री वरकला राधाकृष्णन ने माननीय अध्यक्षजी को सम्बोधित करते हुए एक सूचना दी है जिसमें उन्होंने विधेयक पर एक विचार शुरू किये जाने से पहले आपत्तियां उठाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि विधेयक को दो दिन पहले परिचालित किये जाने की परिपाटी को ऐसे विधेयक के लिए समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें निजीकरण के नीतिगत मामले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हों।

जब माननीय अध्यक्ष, माननीय नागर विमानन मंत्री जी द्वारा बताये कारणों के आधार पर निर्देश 19क और 19ख को समाप्त करने की आवश्यकता के अनुरोध पर सहमत हो गए तब कल इसे सभा में पुर:स्थापित किया गया और कक्ष में सदस्यों के बीच परिचालित किया। मंत्री जी ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 74 के दूसरे परन्तुक की आवश्यकता में छूट देकर इस विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने की अनुमति देने का भी आग्रह किया था माननीय अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी का आग्रह स्वीकार कर लिया है, अत: मैं मंत्री जी को यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

"कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट अथारिटी अमैन्डमैंट बिल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी और यह बहुत समय से लम्बित है। बंगलौर, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी बनाना है और इसमें प्राइवेट सैक्टर इनवैस्टमैन्ट के लिए यह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

"कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची देख ली जाए, उसमें एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. पर दो बजे बहस शुरू होनी थी। यह विधेयक कैसे पेश हो रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद इसे लिया जाएगा। यह विधेयक अगले सत्र में आएगा, अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही उस विधेयक पर विचार करने की घोषणा कर चुके हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी नहीं। उन्होंने अभी इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया है और यह अगले में आएगा।

श्री के. येरननायडू: नहीं महोदय, यह इसी सत्र में आएगा। अध्यक्ष महोदय ने सुबह घोषणा की थी कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, लेकिन अब हमें नियम 193 के अधीन विचार-विमर्श करना है। उन्होंने यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है। अगले सत्र में विचार किये जाने के लिए यह पहला विधेयक होगा।

श्री के. येरननायडू: महोदय, हमने कई बार इस मामले पर विचार किया है। दिल्ली और हैदराबाद में हरित भूमि विमानपत्तनों का मुद्दा काफी वर्षों से लम्बित है। इस विधेयक को पारित किये बगैर भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, यह कल भी सम्भव हो सकता है। आप इसे विचारार्थ ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: ठीक है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह समय की उपलब्धता के अध्यधीन है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे अपनी आपत्तियां उठाने की अनुमति दी जाए। निश्चय ही अध्यक्ष महोदय को इस मुद्दे पर निर्णय देने का अधिकार है लेकिन मुझे भी इस पर आपत्ति उठाने का अधिकार है। कृपया मेरी बात सुनी जाए। मेरी आपत्तियों को नहीं सुना गया...*(व्यवधान)* महोदय, आप मेरी आपत्ति को क्यों नहीं सुन रहे हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे पर पहले ही विस्तृत व्यवस्था दी जा चुकी है, मैं समझता हूं कि अब इस पर आपके द्वारा आपत्ति उठाना अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस पर विस्तार से व्यवस्था दी गई है। मुझे भी इस मामले में आपत्ति उठाने का अधिकार है...*(व्यवधान)* महोदय, आप अपना निर्णय दे सकते हैं लेकिन मुझे भी आपत्ति उठाने का अधिकार है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* अब मुझे अपनी आपत्तियों के बारे में कुछ कहने की अनुमति दी जाएं। एक सूचना दी गयी थी। मैंने काफी पहले इसकी सूचना दी थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह पुर:स्थापित करने की अवस्था नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब, मेरी बात सुनी जाए और और उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। मेरी बात सुने बिना ही आप किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही इसकी सूचना दे दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हां, मैं इसकी सूचना दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: उसी के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय एक विस्तृत विनिर्णय दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: प्रश्न यह है कि मैंने अपनी आपत्तियों के कारण नहीं बताये हैं। मुझे कारण बताने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय ने मेरी बात सुने बिना दी इस पर विनिर्णय दे दिया। कानून का मूलभत सिद्धान्त यह है कि निर्णय लेने से पहले मेरी बात अवश्य सुनी जाए। मेरी बात सुनी नहीं गयी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह निर्णय कायम रहेगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही सूचना दे दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी आपत्तियों का पहले ही निपटारा कर दिया गया है। विनिर्णय में आपकी आपत्तियां शामिल हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यह कानून का मूलभूत सिद्धान्त है कि निर्णय लेने से पहले मेरी बात सुनी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी आपत्तियां पहले ही दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने अपनी सूचना में इसके कारण नहीं बताये थे। अब, मेरी बात सुनी जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप केरल विधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको पता होना चाहिये कि आपकी आपत्तियां नियम समाप्त न करने के बारे में थी। यह नियम भी है। उन्होंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया मेरी बात सुनें। मैंने केवल यह सूचना दी थी कि मुझे आपत्तियां उठाने की अनुमति दी जाए। मेरी बात सुनने से पहले आप निर्णय नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: 'किस नियम के अधीन', मुझे यह बताइये?

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह कानून का नियम है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही अपनी आपत्तियां बता दी हैं और माननीय अध्यक्ष ने इस पर विनिर्णय भी दे दिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, कृपया मेरी बात सुनी जाए। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित होने दें। यह एक अलग बात है कि मुझे विनिर्णय स्वीकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अनावश्यक रूप से सभा समय बरबाद न करें। कृपया ऐसा नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए कि मुझे अपनी आपत्ति व्यक्त करने का अधिकार है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

महोदय, मेरी आपत्ति केवल यह है कि मेरी बात सुनी जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, इन्हें विनिर्णय स्वीकार है लेकिन वे शिकायत कर रहे हैं कि इससे पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। अब यह समाप्त हो गई है। अब इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरी बात सुनी जाए। मैंने जो बात सभा में कही उसे सुना जाए। मैं यह कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप जो कुछ भी कहना चाहते थे वह सुना गया और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आपने मेरी बात नहीं सुनी है मेरी बात सुने बिना आपने विनिर्णय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय पहले ही विधेयक प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह माननीय अध्यक्ष का विनिर्णय है। वह इस बारे में क्या कर सकते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह नीति का प्रश्न है। कम्पनियों का निजीकरण...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब चर्चा होगी तब वह बोल सकते हैं। चर्चा कल भी हो सकती है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप हमारे अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा के दौरान मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले कह चुका हूं कि ऐसा किया जाए। अब इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा चुका है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं उस समय से सभी आपत्तियां उठाऊंगा। आपको मुझे बुलाना चाहिए।

अपराह्न 2.16 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए। अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वायुसेना द्वारा जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चंद चौहान (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष होदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तहसील की लगभग 4700 एकड़ भूमि वायुसेना ने 1995 में अधिग्रहीत की, तब से लेकर आज तक पिछले 8 साल में राजस्थान सरकार वहां पर कोई भी विकास का काम नहीं कर रही है और तीन पंचायत मुख्यालय सहित सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं हो रही व सरकार वहां पर कोई कृषक को स्वयं का मकान भी नहीं बनाने दे रही है। लोग बहुत परेशान हैं। अधिग्रहीत भूमि की अनुमानित लागत भी सरकार ने बनायी। लगभग 47000 एकड़ भूमि का मुआवजा एक अरब उनसठ करोड़ रुपया बना, जो गजट में भी छप गया है, वहां के लोग परेशान हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तीनों पंचायत घाघुंसर, मोटेर, बनारस की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा केन्द्र सरकार तुरंत जारी कर वहां के लोगों को राहत दिलावे।

(दो) गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर के बीच गोल्डन ब्रिज का बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर भरूच एवं अंकलेश्वर के बीच गोल्डन ब्रिज पर एक बांध बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि नर्मदा नदी पर एक बांध बनने से अब समुद्र का पानी अमावस्या एवं पूर्णिमा के समय चढ़ता है तो गोल्डन ब्रिज के आसपास के गांव में पानी आता है, जो कि खारा होता है और इस खारे पानी के आने से यहां के गांवों की फसलों को नुकसान होता है और फसल की पैदावार समय-समय के साथ घटती जा रही है और लोगों के पीने के पानी में भी खारापान हो रहा है। जिसके कारण लोगों में बीमारी लग रही है और लोगों में विकलांगता जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार की मदद से समुद्र के पानी को इन गांवों में आने से रोकने के लिए भरूच एवं अंकलेश्वर के बीच एक बांध बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा के क्योंझर जिले के बांसपल ब्लाक में चाय बोर्ड को व्यापक चाय बागान लगाने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): उड़ीसा के बांसपल क्षेत्र में चाय बागान बंद होने के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। उस खंड में तरमाकांत क्षेत्र में तीन करोड़ के निवेश से शुरू किया गया चाय बागान कुछ माह रुग्ण रहने के बाद अंततः बंद कर दिया गया। गैर-पारम्परिक क्षेत्र में चाय बागान को बढ़ावा देने हेतु सरकारी के प्रस्ताव के अनुसार उस क्षेत्र में चाय बागान शुरू किया गया था। उस क्षेत्र में उत्पादित चाय बहुत लोकप्रिय थी और उसका अधिकतर निर्यात किया गया और यह तरमाकांत चाय के रूप में प्रसिद्ध थी। लगभग 500 आदिवासी कामगार उस चाय बागान में अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे, उन्हें काम से निकाल दिया गया। यह उस समय हुआ है जब चाय बोर्ड अपनी 'नई क्षेत्र विकास योजना' के अंतर्गत चाय बागान का संवर्धन कर रहा है। चाय उद्योग तथा चाय बागान पर निर्भर कामगारों के हित में वहां की जलवायु तथा चाय बागान के तहत क्षेत्र बढ़ाने की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा चाय बागान को अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की दृष्टि से क्योंझर जिले में बांसपल खंड में व्यापक चाय बागान और अधिक विलंब किए बिना शुरू करने हेतु चाय बोर्ड को निदेश दे।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[हिन्दी]

(चार) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया उल्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा, झारखंड): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र लोहरदगा (झारखंड) में हर साल मलेरिया से हो रही मौतों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आये दिन यहां के आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया फैलता है। मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए डी.डी.टी. का छिड़काव नहीं हो रहा है और मलेरिया की रोकथाम के लिए दवायें भी प्राथमिक चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। यह भी देखा गया है कि जो गोलियां दी जाती हैं, वह प्रभावकारी भी नहीं हैं। इन सबके कारण यहां पर मलेरिया से हरेक साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। मलेरिया की रोकथाम के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मलेरिया के रोकथाम के किये जा रहे कार्य की समीक्षा करवायें और समीक्षा के आधार पर सख्त कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

(पांच) वर्ष 2003-2004 के दौरान जैपुर से नौरंगपुर और जैपुर से मलकानगिरि में प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर): कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिले तथा विशेष रूप से अविभाजित कोरापुट जिला प्रचुर खनिज और वन संसाधनों से सम्पन्न है। लेकिन इन जिलों में रेल व्यवस्था पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। जैपुर से नौरंगपुर तक 45 कि.मी. बड़ी रेल लाइन के निर्माण की बहुत अधिक मांग थी इसलिए यह कार्य प्रगति पर है जबकि जैपुर से मलकानगिरि तक रेल लाइन के सर्वेक्षण को पूरा करने हेतु कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

एक बार इन रेल लाइनों के निर्माण हो जाता है तो अविभाजित कोरोपुट जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रेल व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा इन लाइनों से अनेक खनिज, वन और कृषि आधारित संयंत्रों की स्थापना सुगम हो जाएगी। इन क्षेत्रों के लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैपुर-नौरंगपुर और जैपुर से मलकानगिरि तक प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण वर्ष 2003-04 तक पूरा हो जाए ताकि दसवीं योजनावधि के दौरान इन छोटी बीजी रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए और कदम उठाए जा सकें।

(छह) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार को अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): कर्नाटक सरकार ने स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी रोजगार परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषण बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के लिए कम से कम 40 करोड़ रुपये अतिरिक्त आबंटन करने लिए आग्रह किया है और सुझाव दिया है कि प्रशासन पर 5 प्रतिशत का व्यय तथा अन्य व्यय को सीमित करने संबंधी मार्गनिदेश को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जा सके।

कर्नाटक राज्य सरकार ने बताया है कि योजना के लिए आबंटन में अत्यधिक कटौती से कर्नाटक राज्य में पहले से शुरू किए गए गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री शहरी रोजगार परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को अपेक्षाकृत अधिक आबंटन प्रदान करने हेतु सहमत हुई थी।

महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पहले से शुरू किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि कर्नाटक राज्य में शहरी गरीबी का उन्मूलन हो सके।

(सात) गुजरात के हिम्मतनगर आकाशवाणी केन्द्र में पर्याप्त संख्या में तकनीकी और कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में आकाशवाणी रेडियो केन्द्र चालू होने के लिए तैयार है। तथापि, कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण इस केन्द्र ने काम करना शुरू नहीं किया है।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हिम्मतनगर में तकनीकी और कार्यक्रम कर्मचारी नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह केन्द्र काम करना शुरू कर दे।

(आठ) रीवा और मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के बीच रेल लाइन शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, रीवा-मिर्जापुर रेल लाइन के निर्माण की उस क्षेत्र की जनता की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। इस रेल लाइन के निर्माण से रीवा से मिर्जापुर, वाराणसी और पटना की ओर जाने वाले यात्रियों को आवागमन की काफी सुविधा हो जायेगी। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि रीवा में लाइम स्टोन प्रचुरता में उपलब्ध है और इसको मिर्जापुर तथा अन्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। इस रेल लाइन का निर्माण न केवल वाणिज्यिक दृष्टि से उचित होगा, वरन उससे रीवा के चहुंमुखी विकास में भी मदद मिलेगी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि रीवा-मिर्जापुर रेल लाइन का निर्माण शुरू कराये जाने हेतु आवश्यक आदेश प्रदान करें।

[अनुवाद]

(नौ) तमिलनाडु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान एक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): तमिलनाडु में आम जनता का उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाएं उच्च स्तर की हैं। यद्यपि, निजी तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा अस्पताल चलाए जाते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल वांछित स्तर के नहीं हैं और वहां उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। तथापि, निजी क्षेत्र के अंतर्गत काफी संख्या में विशिष्ट सुविधाओं वाले अस्पताल हैं जो इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी के उच्च गुणवत्ता उपचार उपलब्ध करते हैं। चूंकि यहां लागत बहुत अधिक आती है इसलिए आम आदमी तथा गरीब लोग ऐसा उच्च गुणवत्ता का उपचार नहीं करा पाते हैं। पांडिचेरी में 'जिपम' भारत सरकार द्वारा स्थापित उन्नत चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र है। तमिलनाडु में इसके अलावा कोई चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र नहीं है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 1999 में घोषणा की थी कि तमिलनाडु में अनुसंधान केन्द्र सहित अति विशिष्ट सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोला जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार और मदुरै जिला प्रशासन मदुरै में एक उपयुक्त स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि छह राज्यों में 'एम्स' के समतुल्य छह चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र खोले जाएंगे। इस घोषणा में तमिलनाडु का नाम नहीं था। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अन्य छह अनुसंधान केन्द्रों की बाद में की गई घोषणा सहित तमिलनाडु में एक ऐसे ही अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की पूर्व घोषणा को क्रियान्वित किया जाए।

(दस) बकाया लंबित पेटेंट मामलों के निपटान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): हमारे देश में उचित पेटेंट संवीक्षा प्रणाली के अभाव में बड़ी संख्या में पेटेंट मामले लंबित पड़े हैं। लगभग 45000 मामलों का निपटान किया जाना है। एक अग्रणी फार्मा कम्पनी ने कहा था कि खोजी गई एक नई मलेरिया ड्रग मालिक्यूल पिछले दो वर्षों से भारतीय पेटेंट कार्यालय में लंबित पड़ी है। वर्ष 2005 के बाद विशेष रूप से विशिष्ट विपणन अधिकार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु एक मजबूत पेटेंट प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करने तथा यथाशीघ्र मौजूदा मामलों को निपटाए जाने की आवश्यकता है। अन्य देशों की तुलना में भारत में निपटाए गए पेटेंट मामलों की संख्या बहुत कम है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में समुचित ध्यान दे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु पर्याप्त श्रमशक्ति, आधारभूत ढांचे तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा पेटेंट कार्यालयों को सुदृढ़ करे ताकि यथाशीघ्र बकाया लंबित मामलों को निपटाया जा सके और पेटेंट संवीक्षा कार्य शीघ्रता से पूरा हो सके तथा आवेदकों को यथाशीघ्र पेटेंट प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खीरी, उ.प्र. में केन्द्रीय विद्यालय न होने के कारण केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जनपद में शिक्षा का स्तर अपेक्षाओं के अनुरूप न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसका बुरा असर उन कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर पड़ रहा है।

सरकार से आग्रह है कि तत्काल जनपद खीरी में केन्द्रीय विद्यालय खुलवाने की व्यवस्था करे।

(बारह) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की हिमायतनगर तहसील के जबलगांव में एक रेलवे क्रासिंग की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) अध्यक्ष, मुदखेड़, अदिलाबाद रेलवे लाइन पर मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली के जिले नांदेड़ के

[श्री शिवाजी माने]

तालुका हिमायत नगर के जवलगांव पर मैं एक रेलवे गेट बनाने हेतु कई सालों से मांग कर रहा हूं और जिला प्रशासन को इस पर सड़क बनाने हेतु भी अपनी सहमति बनानी पड़ती है। इस क्षेत्र के इस ओर और उस पार को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और किसानों को अपना गन्ना बाजार एवं शुगर मिल तक पहुंचाने हेतु 20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है जिसके कारण समय भी ज्यादा लगता है और डीजल की खपत भी ज्यादा होती है। पहले यहां पर रेलवे गेट था पर न जाने क्यों इसको बंद कर दिया गया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन पर एक रेलवे गेट तत्काल लगाने का निर्देश दे, जिससे यहां के कई गांवों को हो रही दिक्कतों को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

(तेरह) उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी भी भाषा में लोक सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमारासामी (पलानी): प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जैसी विभिन्न सेवाओं हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए सिविल सेवा परीक्षाओं का संचालन करता है। यह परीक्षा तीन चरणों में होती है—अर्थात् प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा व्यक्तित्व परीक्षा। इन तीन चरणों में से केवल मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा के चरण पर ही अभ्यर्थी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं को भी परीक्षा माध्यम के रूप में अपनाने की अनुमति होती है। प्रारम्भिक परीक्षा में केवल अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम से ही परीक्षा देने की अनुमति होती है। प्रारम्भिक परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो अभ्यर्थी इसमें उत्तीण होते हैं केवल उन्हीं को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति होती है। वर्ष 2002 में प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने वाले 1.5 लाख अभ्यर्थियों में से केवल 3,483 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के योग्य पाये गये। वे अभ्यर्थी विशेषकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के अभ्यर्थियों के लिए, जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलगु और मलयालम इत्यादि है, प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन होता है। इस अड़चन के कारण बहुत अधिक प्रतिभावान अभ्यर्थी भी जिनका शैक्षणिक रिकार्ड शानदार होता है, सिविल सेवाओं में नहीं जा पाते। यदि उन्हें परीक्षा के दो चरणों में अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है तो इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि उन्हें अपनी मातृभाषा में प्रारम्भिक परीक्षा देने का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में देने की अनुमति प्रदान करे।

(चौदह) कृषि क्षेत्र के विविधीकरण संबंधी सरदार सिंह जोहाल समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): श्री सरदार सिंह जोहल समिति का गठन इसलिए किया गया था कि वह कृषि क्षेत्र में फसलों के विविधीकरण से संबंधित मुद्दे की व्यापक जानकारी करे और राज्यों में इस बारे में उपलब्ध सभी विवरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिफारिशें दे जो संपूर्ण भारत के लिए उपयुक्त हों।

समिति ने उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है और यदि की भी है तो किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस बारे में क्या हुआ है।

इसलिए, मैं संबद्ध मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि वह इस प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त कदम उठाये। ऐसा करना इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कि दसवीं योजना आरंभ हो चुकी है और इसे प्रकाशित भी किया जा चुका है। कृषि क्षेत्र में उपलब्धि के घोषित लक्ष्य के मद्देनजर भी ऐसा करना आवश्यक है।

(पंद्रह) रेलवे के कुलियों को 'समूह घ' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर हजारों कुली, जबसे रेलवे व्यवस्था शुरू हुयी है, तब से कार्यरत हैं। ये समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं। 1996-97 में तत्कालीन रेल मंत्री ने कुलियों के हित में कुछ कार्य किया, जिसमें गर्म कपड़ा, विश्रामालय और मुफ्त रेलवे द्वितीय श्रेणी का पास शामिल है। लेकिन उनका परिवार सहित पास, स्वास्थ्य आदि की सुविधा पूर्ण रूपेण नहीं दी गयी है।

मेरी रेल मंत्री से मांग है कि रेलवे के कुली को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाये। उनको परिवार सहित पास, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

अपराह्न 2.17 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का विनिवेश

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री प्रबोध पण्डा के नाम से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के विनिवेश के बारे में चर्चा स्वीकार कर ली गयी है।

श्री बसुदेव आचार्य ने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि वह उनकी जगह श्री सोमनाथ चटर्जी को चर्चा आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री बसुदेव आचार्य का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

इसलिए अब श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अनुसार, इस राजनीतिक विसंगति जिसे राजग के नाम से जाना जाता है, द्वारा एचपीसीएल तथा बीपीसीएल का प्रस्तावित निजीकरण और बिक्री इस देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। इन कंपनियों को बेचना राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। जहां तक देश का संबंध है, ये कंपनियां हमारी खुद की परिसंपत्तियां हैं, देश की जनता की परिसंपत्तियां हैं। ये अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम हैं।

अपराह्न 2.18 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मुझे विगत में ऐसी किसी सरकार का स्मरण नहीं होता जिसने लोगों के प्रति इतनी ढिठाई दिखाई हो तथा इन दो महत्वपूर्ण उपक्रमों के प्रस्तावित निजीकरण के विरुद्ध सभा के अंदर और सभा के बाहर व्यक्त की गयी जनता की राय के प्रति उतना अधिक उपेक्षा भाव दर्शाया हो।

महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि इस देश के प्रति हमारा यह दायित्व बनता है कि हम देश के अंदर और देश के बाहर सरकार के कुछ मित्रों के दिशानिर्देशों और मनमर्जी पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की खरीद-फरोख्त संबंधी इस कुत्सित कार्य का विरोध करें। महोदय, कुछेक लोगों या कम्पनियों के लाभ के लिए, जिनमें से अधिकतर देश से बाहर के हैं आज इस देश के 100 करोड़ लोगों के हितों को खतरे में डाला जा रहा है। इसलिए, इस सभा के सभी राजनीतिक दलों विशेषकर राजग के घटक दलों से तथा भाजपा से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर सरकार के अड़ियल रवैये के बावजूद वह इस मामले पर अच्छी तरह विचार करें। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय हितों के प्रति इस सभा के माननीय सदस्यों की प्रतिबद्धता की यह परीक्षा की घड़ी है।

सदस्यों का आकलन इस बात से होगा कि वे यहां सदन के अंदर क्या रुख अपनाते हैं। आज उनकी कर्त्तव्य के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना लगी हुई है। उन्हें इस सभा के लिए निर्वाचित किया गया है और उन्हें यह साबित करना होगा कि लोग उनमें विश्वास करते हैं।

महोदय, हमने पहले भी यह बात कही है और मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं कि यह बहुमूल्य राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की लूट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन कंपनियों को देश के 'नवरत्नों' में शुमार किया जाता है, देश के गहने समझे जाते हैं। इन्हें इन नामों से इसलिए संबंधित किया जाता था क्योंकि देश की सेवा में इन उपक्रमों का शानदार रिकार्ड रहा है। जबसे ये कंपनियां अस्तित्व में आई हैं इन्होंने अपनी महत्ता के लिए सिद्ध किया है। इसलिए मैं एक बार फिर सभा के सभी सदस्यों तथा भाजपा के घटक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे एक बड़े राजनीतिक दल की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आगे बिलकुल न झुकें। तथा इस स्थिति का सामना करें। लोग बार-बार यही पूछते हैं कि "इन महत्वपूर्ण उपक्रमों का निजीकरण क्यों हो रहा है? सरकार की नीति क्या है? कई मामलों में लाभ कमाने वाली इकाइयों के बहुत सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है? इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी सामने आया है कि क्या सरकार विधायिका को दरकिनार कर केवल कार्यपालिका के निर्णय द्वारा इन कंपनियों को बेचने अथवा उनका विनिवेश करने का अधिकार रखती है?

महोदय, मैं यहां पर रिकार्ड के लिए बताना चाहूंगा कि ये दोनों उपक्रम राष्ट्रीय उपक्रम के रूप में अस्तित्व में तब आये जब 1974 में एस्सो के लिए तथा 1976 में बर्मा शेल के लिए उपक्रमों का अर्जन अधिनियम पारित किये गये। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विधान थे। मुझे इस बात में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, और श्री वाजपेयी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इन विधेयकों के लिए 1974 और 1976 में मतदान किया था, क्यों? 1971 के युद्ध के अनुभवों से हम अवगत हैं। उस समय देश के समक्ष जो खतरे पेश आ रहे थे, तत्कालीन सरकार ने उन्हें महसूस किया और सोचा यदि पेट्रोल, डीजल तथा दूसरी अत्यधिक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति विदेशी कंपनियों के हाथों में छोड़ दी जाती है और इस बारे में निर्णय भी विदेशी कंपनियां की इच्छा पर छोड़

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

दिया जाता है तो वे वही निर्णय लेंगी जो उनके हितों के अनुकूल हो। वे ऐसे निर्णय कदापि नहीं लेंगी जो भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हों अथवा यहां की जनता के हितों के अनुकूल हों। इसीलिए जानबूझकर पूरे राष्ट्र से वाहवाही और मंजूरी मिलने पर ही भारत सरकार द्वारा इन दोनों उपक्रमों का अधिग्रहण किया गया था।

उपक्रमों का अर्जन अधिनियम की उद्देशिका में यह दिया है कि जनहित में यह आवश्यक है कि भारत में कार्यरत उपक्रम एस्सो ईस्टर्न इनकारपोरेटेड को अधिग्रहीत कर लिया जाये ताकि "उक्त कंपनी द्वारा जिन पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन भारत में किया जाता है उनका स्वामित्व और नियंत्रण राज्य में निहित हो जाये और उससे उनका ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।"

महोदय, विधेयक की उद्देशिका में इस कानून के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है इस बारे में दिया गया है। मुझे यह पता नहीं कि श्री अरुण शौरी के पास कानून की डिग्री है या नहीं लेकिन वह किसी भी वकील से बढ़कर हैं। वह कहेंगे "ठीक है यह विधेयक की उद्देशिका में कहा गया है...*(व्यवधान)* क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? तब तो बहुत ही अच्छा है। मुझे यह सब कहने की जरूरत ही नहीं है। तब वह कहेंगे कि उद्देशिका में इस सभा द्वारा स्वीकृत कानून को अभिमत को व्यक्त किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ये उपक्रम अपनी सभी परिसंपत्तियों दायित्वों, अधिकारों और हितों सहित केन्द्र सरकार में विहित हैं।

इस विधान का उद्देश्य एक दम स्पष्ट है। एचपीसीएल तथा बीपीसीएल उपक्रमों का अर्जन अधिनियम के कारण ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में अस्तित्व में आये। वे अब राष्ट्रीय संपत्ति हैं। जैसा कि इस कानून द्वारा तय किया गया है-ये बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। लेकिन इसमें एक ही बात बची है कि सरकार अब इसमें कुछ न कुछ दोष निकालने का प्रयास कर रही है। वह कहती है, 'ठीक है, अब इसे सरकारी कंपनी के विहित कर दिया गया है। इस बारे में कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि

"धारा 3, 4 और 4 और 5 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कम्पनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने उनका अनुपालन कर दिया है, तो वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि भारत में एस्सो के किसी उपक्रम के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित तथा दायित्व, केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाय या तो अधिसूचना की तारीख को, या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख नहीं है) जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे"

इस सरकारी कंपनी द्वारा इसके प्रत्येक अधिकार और दायित्व को अपने अधिकार में लिया जाना चाहिए। इसे इस तरह से कहा जा रहा है जैसे इस उद्देशिका में जो मत व्यक्त किया गया है, वह यूं ही निरर्थक है अथवा राष्ट्रीयकरण की संपूर्ण प्रक्रिया व्यर्थ ही थी क्योंकि सरकार ने इस संस्था को एक सरकारी विभाग के बजाय एक कंपनी के रूप में चलाने का निश्चय किया है। स्पष्ट है कि एक सरकारी विभाग इस तरह की कंपनी को न तो चला सकता है और न ही उनका प्रबन्धन कर सकता है। यह कहा जाता है कि अंततः इसे एक सरकारी कंपनी के रूप में ही मान्यता देनी होगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि सरकारी कंपनी के रूप में ही क्यों? ऐसा इसलिए हैं क्योंकि सरकारी कंपनी ही इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगी।

महोदय, अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (2) के अनुसार:

"सरकारी कम्पनी ऐसे निहित होने की तारीख से ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, स्वामी, अभिधारी या पट्टेदार हुई समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के बारे में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से उस सरकारी कम्पनी के अधिकार और दायित्व हुए समझे जाएंगे।"

यहां सरकार का अधिकार इन्हें बनाए रखना और चलाना है; और उसका उत्तरदायित्व यह देखना है कि राष्ट्रीय हितों को नुकसान न हो। कानून ने सरकार को महत्वपूर्ण कार्य दिया है कि हमारी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों और राष्ट्रीय प्रयासों के रूप में इन इकाईयों को चलाए।

जहां तक कर्मचारियों की सेवाओं के स्थानांतरण का संबंध है, सांविधि के अंतर्गत वे सरकारी कम्पनी के कर्मचारी बन जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि कानून के अनुसार उनका कार्यकाल निर्धारित न किया जाए। पुरानी कम्पनियों में न्यास निधियां थी। जैसा कि आप जानते हैं कि उपदान और भविष्य निधि न्यास आदि हैं। श्री शौरी जी ऐसे प्रावधानों से भली-भांति परिचित हैं। अधिनियम की धारा 10 उपधारा (3) में यह कहा गया है कि:

"सरकारी कम्पनी, जिसमें भारत में एस्सो के उपक्रमों को निहित करने का निदेश है, निहित किए जाने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, उन धनराशियों और अन्य आस्तियों के सम्बन्ध में, जो इस धारा के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित हो जाती है, एक या अधिक न्यास बनाएगी, जिनका

उद्देश्य विद्यमान न्यासों के उद्देश्यों के उतने ही समान होगा, जितना कि परिस्थितियों में व्यावहारिक हो,''

यहां तक कि इन कामगारों के लाभ के लिए सरकारी कम्पनियों को भी न्यासें बनानी पड़ेगी। इनका क्या होगा?

धारा 11 में एक और गैर-आब्सटान्ट खंड है, जिसके अनुसार यह किसी अन्य अधिनियम या कानून या करार या इन्स्ट्रूमेंट के बावजूद यह अधिनियम प्रभावी होगा।

इसी तरह का एक कानून 1976 में बर्मा शैल के संबंध में भी पारित किया गया था और अंतत: इसे बीपीसीएल, जो कि अब एक सरकारी कम्पनी है, को दिया गया।

यह प्रश्न पहले भी सदन में उठाया जा चुका है कि कोई भी निकाय जो कि संसद के अधिनियम से अस्तित्व में आया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस सरकारी कम्पनी को राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के रूप में संचालन के लिए न्यास को दिया गया, क्या ऐसे किसी निकाय को इन प्रावधानों में संशोधन के बिना या भारतीय संसद के निर्णय के बिना बेचा जा सकता है। मैं समझता हूं कि उठाया गया प्रश्न काफी प्रासंगिक है।

अब मैं अन्य बात पर आता हूं। इस बारे में राय दे दी गयी है। हममें से कुछ लोग काफी विनम्र है जो कि हमारे विशिष्ट माननीय विनिवेश मंत्री की भांति इसके जानकार नही हैं। इस बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि तीन सेवा निवृत न्यायधीशों नामत: न्यायाधीश कृष्णा अय्यर, न्यायाधीश चिनप्पा रेड्डी, न्यायाधीश पी.बी. सावंत जो कि जाने माने और प्रतिष्ठित न्यायाधीश हैं, ने राय दी है। हम उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शान्तिभूषण जी ने स्पष्ट रूप से कहा है:

''प्रस्तावना में ही इस अधिनियमन की विधायी नीति और राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि इन अधिनियमों में संशोधन किये बिना व संसद की स्वीकृत के बिना एच.पी.सी.एल. या बी.पी.सी.एल. का निजीकरण करने का सरकार का निर्णय स्पष्टत: असंवैधानिक होगा। तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की अधिनियमन योजना बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें निदेश है कि तेल वितरण व्यवसाय राज्य के पास जाए यद्यपि यह सरकारी कम्पनी के माध्यम से किया जा सकता है...''

मैं भी इसी पर जोर दे रहा हूं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा:

''हमारी राय में, सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का निजीकरण अभिव्यक्त संसदीय अधिनियमन के माध्यम से या पहले के अधिनियमों में संशोधन करके या नया अधिनियम लाकर और पहले सभी अधिनियमों को निरस्त करके किया जा सकता है। सरकार का निर्णय संवैधानिक औचित्य और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। यह सुझाव देना असंगत होगा कि संसदीय निदेश को रद्द करने के लिए पहले शेयरों को सरकारी कम्पनी को बेचकर फिर उसका निजीकरण किया जाए।''

महोदय, मैं नहीं समझता कि इन सज्जनों में से किसी को भी आतंकवादी या राष्ट्रविरोधी व्यक्ति कहा जा सके। उन्होंने इस पर अपने विचार अभिव्यक्त किये है और स्पष्टत: इनमें से किसी का कोई व्यक्तिगत हित इसमें शामिल नहीं है।

संसद सदस्यों का आग्रह भी माना नही जा रहा है। इस बारे में विभिन्न विचार सामने आये हैं। मैं उनको बताने में सभा का समय नहीं लेना चाहता। यही विचार श्री प्रशांत भूषण ने भी अपने लेख में व्यक्त किये थे, यह एक अच्छा और विचारणीय लेख था। मैं इसे यहां पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इसे स्वीकार करता हूं।

महोदय, मुझे पता चला है कि ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 71 वकीलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि राष्ट्रीय हित और औचित्य के मद्देनजर यह संवैधानिक औचित्य की मांग है कि संसदीय निर्णय से जो कम्पनी स्थापित की गयी हो उसे ऐसे नहीं बेचा जाना चाहिये।

इस बारे में, हमें अखबारों के माध्यम से ज्यादा जानकारी मिली और मेरे विचार से माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस बारे में महान्यायवादी ने स्पष्ट संदेश दिया है। महोदय, मैं नहीं जानता कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध है जो यह कहता हो कि महान्यायवादी की राय या संदेश स्वयंमेव ही भारतीय संसद के लिए बाध्यकारी है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। यद्यपि मैं भी इसी वर्ग से हूं, पहले मैं भी एक सरकारी वकील था। लेकिन मैंने इतने उच्च स्तर के सरकारी वकीलों को समय विशेष पर सरकार की नीतियों के अनुरूप अपनी राय को बदलते कभी नहीं देखा। इसका विशिष्ट उदाहरण इन्हीं महान्यायवादी द्वारा दूरसंचार घोटाले में अपनी राय बदलने का है जिससे पूरे वर्ग पर प्रश्न चिह्न लग गया था।

यदि वे आम लोगों व संसद में अपने समर्थन तथा अपनी कानूनी स्थिति के प्रति इतने स्पष्ट हैं तो वे इसे यहां क्यों नहीं लाते? इस बारे में एक कानून पारित क्यों नहीं किया जाता? तब इन्हें संसद का निदेश प्राप्त होगा। यहां तक कि हम नियम 184 के अधीन चर्चा की अनुमति भी नही दी गयी। मैने नियम 184

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

के अधीन बहस कराने के लिए सूचना दी थी। जिसके परिणाम स्वरूप मतदान होता। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेकानुसार इसे स्वीकार नहीं किया। नियम 193 के अधीन इस पर बहस की अनुमति क्यों दी गयी? सरकार को स्वयं ही इस पर नियम 184 के अधीन बहस करानी चाहिए थी। यदि वे इसके लाभों के बारे में इतने ही आश्वस्त हैं तो नियम 184 के अधीन बहस कराने की अनुमति दी जानी चाहिये थी।

महोदय, एच.पी.सी.एल और बी.पी.सी.एल. क्या है? हम इस प्रस्ताव के इतने विरुद्ध क्यों है। इसे नोट करना महत्वपूर्ण है, मैं इसे उचित प्रकार से कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कराना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बी.पी.सी.एल. का कारोबार 42,294 करोड़ रुपए रहा है और 10,513 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क अदा किया गया है। एच.पी.सी.एल. का कारोबार 45,286 करोड़ रुपये रहा है और 11,246 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क और कर अदा किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों कम्पनियों का कारोबार 87,580 करोड़ रुपए रहा है और 21,759 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क अदा किया गया है। क्या यह मात्रा कम है? इनकी तुलना में, इस सरकार के नवरत्नों की क्या स्थिति है। रिलायंस, ग्रेसिम, बजाज आटो, टाटा स्टील, स्टरलाइट, कालगेट पामोलिव, एल. एंड टी., रेमण्ड और गलैक्सो, ये नवरत्न है। इन नौ कम्पनियों का कुल कारोबार 88,157 करोड़ रुपए है जो कि इन दो कम्पनियों के कारोबार से 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। इन वर्षों में इन सौ कम्पनियों ने कितना उत्पाद शुल्क और कर चुकाया है। इन दो कम्पनियों के 21,759 करोड़ रुपये की तुलना में यह 6,840 करोड़ रुपए है। क्या ये कम्पनियां खराब कार्य कर रही हैं? क्या ये कम्पनियां अपना कर्तव्य नहीं कर रही है? क्या इनका कार्य निष्पादन अच्छा नहीं हैं।

महोदय, पिछले वर्ष बी.पी.सी.एल. का शुद्ध लाभ 850 करोड़ रुपये था। बी.पी.सी.एल. की अचल परिसम्पत्तियां 9,722 करोड़ रुपये की थी और एच.पी.सी.एल. की परिसम्पत्तियां 10,224 करोड़ रुपये की थी। बी.पी.सी.एल. की आरक्षित नकदी 3,700 करोड़ थी और एच.पी.सी.एल. की 5,946 करोड़ रुपये थी।

बी.पी.सी.एल. का ही उदाहरण लेते हैं। 1991-92 में इसका शुद्ध लाभ 148.46 करोड़ रुपये था। कर अदा करने के माध्यम से 1,876 करोड़ रुपए राजकोष में देने के बाद 1991-92 में इसका लाभ 148.46 करोड़ रुपए था। 2001-02 में यह लाभ 148 करोड़ रुपए से बढ़कर 835 करोड़ रुपये हो गया। राजकोष का अंशदान 1,876 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,513 करोड़ रुपये हो गया। मैं नहीं समझता कि किसी अन्य कम्पनी का कार्य निष्पादन इतना अच्छा रहा है। यह राजकोष में काफी बड़ी मात्रा में धन दे रही है। देश में अवसंरचना के विकास में अंशदान करने के साथ-साथ यह देश में 26,000 लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। इस कारण से 26,000 परिवारों की रक्षा हो रही है। उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है; उनके विकास का ध्यान रखा जा रहा है, इन कंपनियों की वजह से पूरे परिवारों का संरक्षण हो रहा है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। इसके साथ ही रोजगार के क्षेत्र में इस सरकार का कार्य-निष्पादन सबको ज्ञात है। माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार के आंकड़े बताने में झिझक रहे हैं।

इन कम्पनियों ने क्या अपराध किया है? बी.पी.सी.एल. ने नौवीं योजना की अवधि में 6880 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय की योजना बनायी है। इसमें से 1600 करोड़ रुपये का इसका शुद्ध आंतरिक सृजन होगा। इससे मध्य प्रदेश में 6 मिलियन टन क्षमता वाले बीना तेल शोधक कारखाने तथा उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन टन क्षमता वाले तेल शोधक कारखाने की परिकल्पना की गयी। तमिलनाडु में पेट्रोरसायन परियोजना स्थापित करने के बी.पी.सी.एल. के प्रस्ताव में तीन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों ने रुचि दिखाई।

जहां तक पाइपलाईन का संबंध है, वे मुम्बई तेलशोधक कारखाने से मनमाड और इन्दौर तक तेल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछा रहे है। इन परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों में हजारों कामगारों को प्रत्यक्ष रूप से तथा लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा।

बी.पी.सी.एल. की कोची तेल शोधक कारखाने में 54 प्रतिशत धारिता है और नुमालीगढ़ तेल शोधक लिमिटेड में इसकी अधिकांश शेयरधारिता है। बी.पी.सी.एल. का निजीकरण या विनिवेश करने से सरकार एक लाभकारी एवं रोजगारोन्मुख सरकारी क्षेत्र के उद्यम को समाप्त रही है। 1998-99 के दौरान, एच.पी.सी.एल. में 1705 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जिसमें संयुक्त उद्यम. परियोजनाओं में किया निवेश सम्मिलित है। 13 नए डिपो बनाए गए। पाइपलाइन के व्यवसाय में बहुत सी विशेष परियोजनाएं शुरू की गयी हैं, जिनसे कि देश की उपलब्ध अवसंरचना में पहले ही काफी वृद्धि हुई है और आगे भी काफी बढ़ोत्तरी होगी।

मुझे इस बात की खुशी है कि ये तेल कम्पनियों खेलों, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ गांवों के विकास कार्य में लगातार लगी हुई हैं।

संसदीय स्थायी समिति की राय की उपेक्षा की गयी थी। इनसे निपटने या पीछा छुड़ाने का तरीका क्या है? मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि कम से कम एक दिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। इससे किसको लाभ होगा? इससे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के श्री सोमनाथ चटर्जी को लाभ नहीं होगा। इससे इस देश के लोगों, जिनकी हम यहां बात कर रहे हैं, को लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि आप सब इसमें

रूचि दिखायेंगे। मैं अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए विशेष श्रेय लेने का दावा नहीं कर रहा हूं। इसलिए, कृपया देखें कि इस सरकार ने किस तरीके को अपनाने का निर्णय लिया है।

बीपीसीएल के मामले में, सरकार घरेलू और विदेशी बाजारों में 35.2 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करेगी; कर्मचारियों को 5 प्रतिशत इक्विटी रियायती शर्तों पर मिल सकेगी और 26 प्रतिशत सरकार अपने अधिकार में रखेगी। इस प्रकार 74 प्रतिशत का विनिवेश हो जायेगा और एचपीसीएल के मामले में सरकार प्रमुख सहयोगियों को 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करेगी। इन तरीकों में यह अन्तर क्यों है?

वर्तमान सरकार के प्रिय व्यक्ति श्री जी.वी. रामाकृष्ण- मैं नहीं जानता कि वे उन्हें प्रिय व्यक्ति क्यों नहीं कहते है जो कि विनिवेश आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, ने भी यह पूछा है कि यह अंतर क्यों किया गया है। इन सबके अतिरिक्त अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उसके लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओएनजीसी इसमें बोली नहीं लगा सकती है; आईओसी भी इसकी बोली नहीं लगा सकती है। वे बोली क्यों नहीं लगा सकते है? आईबीपी को अनुमति दी गयी थी; आईओसी ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। सरकार का यह निर्णय है। वे या तो एक या दो धनवान भारतीयों को उन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं और आप जानते है कि वे वास्तविक इच्छित लाभार्थी या विदेशियों को मिलनी चाहिए। हमनें अखबारों में देखा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस सभा और राष्ट्र को विश्वास में लेकर हमें बताएं कि वे कौन सी कम्पनियां है जिन्होंने या तो रूचि दिखाई है या जिनसे वे यह अपेक्षा करते है कि वे रूचि दिखायें। हमें उनके बारे में बताएं। हम जानते हैं कि आईपीसीएल का क्या हुआ था। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आईपीसीएल किस प्रकार से बेची गयी थी। सार्वजनिक एकाधिकार की बजाय सरकार ने निजी एकाधिकार बना दिया है। परन्तु एक कम्पनी के संबंध में वे इस राष्ट्र के पेट्रो-रसायन उद्योग के शक्तिशाली शासक बन गये।

हमने देखा है कि माननीय पेट्रोलियम मंत्री को इस सभा में सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय जाता है परन्तु अब वे निष्क्रिय बन गए है। कभी-कभी वे ऊपर देखते है और शोर मचाते है और फिर दुबारा ऊंघने लगते है, जैसे कि अब ऊंघ रहे है। हमारे साथ एनडीए के विख्यात संयोजक हैं। ऐसा लगता है कि वे भी संदेह करते हैं। फिर वे लम्बी चुप्पी ले लेते है। प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला रहा था। यहां तक की उनके सहयोगी दल भी चिल्ला रहे थे। खैर, कोई बात नहीं। अब शोर कम हो जाएगा।

एक दिन प्रधानमंत्री ने उन सबको बुलाकर सचेत किया, मैं नहीं जानता। उन्होंने किसे क्या कहा मैं नहीं जानता। परन्तु उसका प्रभाव हुआ। आप अन्दर रहें या बाहर, यह इस पर निर्भर करता है। हमारे प्रसिद्ध विनिवेश मंत्री की ओर से वक्तव्य के रूप में अन्य निष्कर्ष सामने आया। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। उस पर प्रत्येक व्यक्ति हंसता है। विश्व में हमारा राष्ट्र विशेष है जहां विनिवेश मंत्री भी है। आपके उद्योग मंत्री, रोजगार मंत्री इत्यादि हो सकते है, परन्तु हमारे यहां विशेष मंत्री है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गिनीज बुक में इसका रिकार्ड होगा। उन्होंने कहा था: ''हां, हमारी बैठक हुई थी'' 6 दिसम्बर 2002 का दिन इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और कुछ निर्णय लिये गये थे। यह निर्णय किस संबंध में लिए गए थे? वे कहते है: ''यह विनिवेश नीति को सुव्यवस्थित करने के लिए गए थे।'' यह इस बात का प्रमाण है कि कई बार, कुछ नातों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा कितनी उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार विनिवेश नीति और कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाया गया था। विनिवेश का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों और परिसम्पत्तियों का ईष्टतम उपयोग करना है।

जहां तक इन दोनों कम्पनियों का सम्बंध है इनका अधिकतम ईष्टतम उपयोग क्या होगा। मैं यहां उपस्थित अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि हमें बताएं, हमें इसकी जानकारी दे कि जहां तक इन दोनों कम्पनियों संबंध है उनका ईष्टतम उपयोग क्या होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों उत्पादकों क्षमता का पता लगाकर उत्पादक क्षमता के हितों का बढ़ावा है। अब हम जानना चाहते है कि क्या आपने उन्हें बुलाया था। क्या आपने इन दोनों कम्पनियों के प्रबन्ध को बुलाकर इन उपक्रमों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा था? क्या वे समय की मांग के हिसाब से आगे नहीं बढ़ी? आपने उनके लिए क्या मापदंड रखा था? आपकी उनसे आगे और क्या अपेक्षायें हैं?

सभापति महोदय: महोदय, आप पहले ही आधा घंटा ले चुके है। आपको और कितने समय की आवश्यकता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: जब तक मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेता। मैं सहयोग करने का प्रयास करूंगा।

इसे व्यवस्थित बनाये जाने के क्या लक्ष्य हैं? वे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण और उन्नयन। श्री शौरी जी आपने यही कहा है। श्री राम नाईक पूरी तरह असफल रहे हैं; इन दोनों नवरत्नों को आधुनिक और उन्नत बनाने में आप असफल रहे क्या उन्हें नयी परिसम्पत्तियां बनाने के लिए कहा गया था? इन

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

दोनों महत्वपूर्ण उपक्रमों को बेचकर और रोजगार सृजित करने के लिए आप क्या आश्वासन दे रहे हैं?

अब वास्तविक बात पर आइए-सार्वजनिक ऋण से मुक्त होना। यही वास्तविक मुद्दा है। आपने इस देश को दिवालिया कर दिया है। सार्वजनिक ऋण की मात्रा सबसे ज्यादा है। अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ रही है और संसाधनों का सृजन नहीं हो रहा है। रोजगार के अवसर कहां से आयेंगे? सरकारी क्षेत्र को भूल जाइए, आपके पास अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार नहीं है। हमें मंदी का सामना करना पड़ रहा है। तब, इन दोनों उपक्रमों की बिक्री से रोजगार का सृजन कैसे होगा? इसी वजह से, बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए आपको धन की आवश्यकता है और आप यह कहते भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरे अच्छे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने इस वर्ष पहली बार ऐसा कोई विवरण नहीं दिया कि उन्हें निजीकरण द्वारा कितने करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। आप को अपनी सीमा में रहकर ही काम करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपके पास सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण नहीं चुकाने के लिए संसाधन नहीं है आप इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों को बेच देंगे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने क्या अपराध किया है। इन्होंने क्या गलती की है? इन्होंने कौनसी राष्ट्रविरोधी गतिविधि या अव्यावसायिक गतिविधि की है कि आपने लाभ देने वाली इन दोनों इकाइयों का चयन किया है?

फिर आपने आगे कहा:

''सरकार यह सुनिश्चित करती रहेगी कि विनिवेश के परिणामस्वरूप भारतीय परिसम्पत्तियां अलग-थलग न हों जो कि विनिवेश प्रक्रिया द्वारा वहीं बनी रहेंगी जहां वे हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि विनिवेश के परिणामस्वरूप निजी एकाधिकार स्थापित नहीं होगा।''

यदि यह दोनों कम्पनियां बेच दी गयी तो क्या बचेगा? यदि यह दोनों कम्पनियां किसी एक उद्योगपति के पास चली गयी तो आप निजी एकाधिकार को कैसे रोक पाएंगे? कौन जानता है कि अन्ततः यह किसे मिलेगी? यहां तक की सभा को भी विश्वास में नहीं लिया गया है कि आप अपना सलाहकार कैसे चुनेंगे और किस तरह प्रमुख भागीदार चुना जाएगा? संसद की क्या राय है? स्थायी समिति की कोई राय नहीं है। किसी भी संसदीय समिति की कोई राय नहीं है। सभा में-इस पर कभी चर्चा नहीं की गयी और यहां तक कि दलों के नेताओं को भी बुलाकर इसके बारे में कभी नहीं बताया गया।

इन महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों की बिक्री और निपटान कैसे किया जायेगा इस बारे में संसद को किसी भी तरह संबद्ध नहीं किया गया है। मेरा आप पर यह सीधा आरोप है कि जिस तरह से आपने आईपीसीएल में किया है, उसी तरह इन दोनों कंपनियों की बिक्री का परिणाम निजी क्षेत्र के एकाधिकार के रूप में सामने आयेगा और ये कंपनियां भी विदेशियों के हाथ में पहुंच जायेंगी। फिर यह देश पूरी तरह से विदेशियों और उन कंपनियों की दया पर निर्भर होगा जो पहले से ही हमें धमका रही हैं। कुछ देश ऐसा सोचते हैं जैसे कि विश्व में मानवता के रक्षक वही हैं। हमने हाल में ही देखा है कि किस तरह से एक देश को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है। किस तरह से आधिपत्य के लिए लालायित विश्व के इस देश ने उनके देश को बर्बाद कर दिया। ऐसी व्यक्तियों के आगे आपको समर्पण नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा ही होने वाला है। इसलिए, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा इन कंपनियों की खरीद में कौन-कौन सी कंपनियों रुचि ले रही हैं, या जिनके रुचि लेने की संभावना है। ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां हैं। फिर आपके वक्तव्य में कुछ मोहक बातें कही गयी हैं, यद्यपि विनियोग आयोग ने बहुत पहले यह कहा था. उसने कहा था कि:

''सरकार की निरंतर व्यक्त की गयी उस प्रतिबद्धता में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए कि विनिवेश आगमों का उपयोग सामाजिक तथा अवसंरचना क्षेत्रों में किया जायेगा, सरकार इसके लिए एक विनिवेश आगम कोष की स्थापना करेगी। इस विनिवेश से प्राप्त धनराशि का उपयोग नये रोजगार अवसरों के वित्तपोषण और निवेश तथा सरकारी ऋण को चुकता करने के लिए किया जायेगा।''

मैं समझता हूं कि देश के साथ यह एक और मजाक हो रहा है।

स्वाभाविक आस्ति कंपनियों के विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय और विनिवेश मंत्रालय मिलकर कार्य करेंगे।

इस वक्तव्य में आगे कहा गया है कि ''वित्त मंत्रालय आस्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की व्यावहार्यता तथा उपायों से संबंधित एक पत्र भी विनिवेश से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के विचारार्थ तैयार करेगी।'' भविष्य में हर चीज को किये जाने का प्रस्ताव है लेकिन अब तक किया कुछ भी नहीं गया है।

महोदय, इस वक्तव्य में आगे यह भी कहा गया है कि इन उद्देश्यों को दिशा निदेशक सिद्धांत मानते हुए सरकार के निम्नलिखित विशिष्ट निर्णय लिए हैं;

* भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में; जनता को शेयरों की बिक्री के माध्यम से विनिवेश।

* सामरिक बिक्री द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में (एचपीसीएल) में विनिवेश।

* कर्मचारियों को पांच प्रतिशत शेयरों का आवंटन।

महोदय, मैं माननीय विनिवेश मंत्री का व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर करता हूं। लेकिन उनकी यह परिवर्तन बहुत ही पीड़ादायक है। कभी वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे जिनके लेखों को पड़ने के लिए मैं बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल गये हैं। अब उनका ध्यान आते ही डा. जैकिल एंड मि. हाइड की याद आ जाती है।

महोदय, इसलिए लोक उद्यमों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, नयी आस्तियों का सृजन, रोजगार का सृजन तथा सरकारी ऋण को चुकता करना, हमारे सामने ये चार लक्ष्य हैं। अब सरकार यह बताये कि इन से उपक्रमों की बिक्री कर क्या सरकार सरकारी ऋण को चुकता करने के अलावा शेष लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी। 1971 के युद्ध के दौरान जिन दो विदेशी तेल कंपनियों ने दोहरी भूमिका निभायी थी उनका राष्ट्रीयकरण करने के संसद के निर्णय को कार्यपालिका के एक आदेश द्वारा रद्द किया जा रहा है और इस पर न तो संसद की राय ली जा रही है और न ही इसके स्थान पर कोई नई नीति लायी जा रही है। और तो और, इस पर गहराई से विचार तक नहीं किया जा रहा है, जैसे हम सब देश द्रोही लोग हैं और देशभक्ति तथा नेकनियति की खान यह विनिवेश मंत्रालय है जो बेसिर पैर के एक गठबंधन के अधीन कार्य कर रहा है। हम इसके गलत निर्णयों में भागीदार नहीं बनेंगे।

सभापति महोदय, मैंने अभी-अभी श्री जीवी रामाकृष्ण द्वारा लिखित एक लेख का उल्लेख किया है। उन्होंने एक बहुत ही सटीक सवाल पूछा है कि विनिवेश के लिए दो अलग-अलग उपायों को क्यों अपनाया गया है? उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया और मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? वह कहते है कि पेट्रो रसायन क्षेत्र में एकाधिकार सुनिश्चित करने हेतु अर्थात् आईपीसीएल को मेसर्स रिलायंस को बेचा गया है और अब बाजार शक्ति के आधार बनाकर एचपीसीएल की नीलामी में ओएनजीसी को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यद्यपि तेल शोधन में ओएनजीसी की भागीदारी, एमआरपीएल तथा एचपीसीएल के अर्जन के बाद भी किसी एक निजी क्षेत्र रिफाइनरी की क्षमता से कम होगी। अब एचपीसीएल की नीलामी में ओएनजीसी को भाग नहीं लेने दिया जा रहा है और वह भी इस आधार पर कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को विनिवेश में भाग नहीं लेना चाहिए। क्या अपने आप ही अपना विनिवेश करेंगी? इसमें आगे कहा गया है- 'कि यह तर्क समझ से परे है। आईबीपी की नीलामी में आईओसी को भाग लेने दिया गया और सरकार को आईबीपीके लिए आईओसी से नीलामी एक अच्छी बोली मिली। सरकार के सही निर्णय के अनुरूप ईआईएल की नीलामी में ओएनजीसी तथा गेल के भाग लेने की अनुमति दी गयी। बाद में भले ही इन्होंने उसे बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि, "सरकार की इस दोहरी नीति के कारण ऐसे बहुत से लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है जो अन्यथा इस पूरी प्रक्रिया के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते थे।" वह आगे कहते हैं "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नीलामी में बोली लगाने की स्वतंत्रता चाहिए न कि एक नामित बिक्री। वे किसी कंपनी को तभी पा सकेंगी जब उनकी बोली औरों से अधिक होगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नीलामी में बोली लगाने से मना करने पर निजी क्षेत्र कंपनियों की बोली कम लगायेंगे और इस तरह सरकार को कम धनराशि प्राप्त होगी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कम मूल्य पर निजी हाथों में चले जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसमें प्रतिस्पर्धा से क्यों बचना चाहती है?

अभी तक इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। वह कहते हैं, "सामरिक बिक्री के माध्यम से एचपीसीएल के निजी पक्ष को क्यों बेचा जाना चाहिए तथा बीपीसीएल को सरकारी क्षेत्र को क्यों बेचा जाना चाहिए? इन दोनों मामलों में शेयरों की बिक्री में समरूपता क्यों नहीं है और शेष 26 प्रतिशत शेयरों को अपने पास रखकर इसे निजी जागीर बनने से क्यों नहीं रोका जा रहा है? वीएसएनएल तथा संतूर होटल इन दोनों मामलों में ऐसा माना जा रहा है कि अंशधारक समझौता उचित ढंग से नहीं किया गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

संतूर होटल का मामला आपको अच्छी तरह पता है। कुछ ही महीने के अंदर संतूर होटल खरीदने वालों ने 34 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया। इन दोनों उपक्रमों को भी इसी तरह बेतरतीब ढंग से सौदा किया जा रहा है। संसद की राय को भी अनदेखा किया जा रहा है लोगों की यह महत्वपूर्ण राय की उपेक्षा की जा रही है। सरकार को इतनी हिम्मत नहीं कि वह संसद का सामना करे और इसके लिए मतदान कराये। इस चरण पर, हमें कम से कम इतना ही संतोष है कि हम इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं।

श्री जी.वी. रामकृष्ण इस बारे में आगे कहते हैं। वह सत्तापक्ष के आदमी हैं और मैं सरकार को केवल यह याद दिला रहा हूं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है:

"यह समझा जाता है कि अंशधारकों के गलत समझौते के कारण तथा गलत बिक्री समझौता के कारण, बिक्री के बाद भी, क्रेता माडर्न फूड्स, एचटीएल तथा पारादीप फास्फेट्स के मामले में अप्रकट हानियों के आधार पर बिक्री मूल्य की आंशिक धन वापसी की मांग कर रहे हैं। यदि यह सच है, तो मंत्रालय को यह स्पष्ट

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

करना चाहिए कि उसने सबसे पहले सरकार के हित को ध्यान में क्यों नहीं रखा।

जैसाकि आप जानते हैं बाल्को उच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ मिला है। इससे उनके हौसले और बढ़े हैं, यद्यपि ये गलत दिशा में हैं। अब स्थिति यह है कि बाल्को का मामला रंग दिखा रहा है और वहां के कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): टाइम्स आफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाल्को अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है इसलिए कृपया सभा को भ्रमित न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे पता नही है कि टाइम्स आफ इंडिया इतना अच्छा है। मैं समझता था कि केवल 'सामना' समाचार पत्र ही इतना अच्छा है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि सामना और टाइम्स आफ इंडिया दोनों ही बराबर के अखबार है।

श्री प्रकाश परांजपे: सामना, टाइम्स आफ इंडिया से कहीं अच्छा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसके बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विनिवेश से प्राप्त धनराशि को सरकारी ऋण चुकता करने अथवा बजट घाटा को पूरा करने के अलावा, सरकार ने अब तक मूलभूत ढांचा के सृजन की दिशा में क्या कदम उठाया है। हम सरकार से बार-बार यह प्रश्न पूछते आये हैं और पहले के वाद-विवादों में भी हमने यह प्रश्न उठाया था। लेकिन हमें कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया। सरकारी उपक्रमों की बिक्री के बाद नौकरी से हटाये गये कितने कर्मचारियों को पुन: नौकरी पर रखा गया है?

पहले, एक नवीकरण निधि हुआ करती थी, जो निरर्थक साबित हुई। तत्पश्चात् एक विनिवेश आगामी कोष की स्थापना की गयी। इस कोष में कुल कितना पैसा है? इसमें से कितने पैसे का उपयोग हुआ है और किस उद्देश्य के लिए हुआ है? इन दोनों कंपनियों की बिक्री से आप कितने धन अर्जित करने की आशा रखते हैं? आप उस धन का कैसे उपयोग करेंगे? क्या वह धन भारत की संचित निधि में नहीं जमा किया जायेगा? निश्चित रूप से यह धन भारत की संचित निधि में जाना चाहिए। केवल एक वक्तव्य देकर आप इसे भारत की संचित निधि में जाने से नहीं रोक सकते? फिर, इस निधि के लिए विनियोग कहां है? मैं नहीं जानता कि इसके लिए विनियोग है या नहीं? यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकें। हम जानना चाहेंगे कि आपने यह सब कैसे किया है।

वास्तव में, वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा इसी भय को व्यक्त किया गया है। मुझे इसमें बिलकुल संदेह नहीं है कि सत्तापक्ष बहुमत में है। उन्होंने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट भी दी है। लेकिन उन्होंने कई बातों पर अपनी आशंकाएं भी व्यक्त की हैं जैसे-बिक्री का तरीका क्या होगा; आस्तियों का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा, विनिवेश आगामों का उपयोग किस तरह किया जायेगा इत्यादि। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे है जिनका यहां उल्लेख किया गया है। समिति ने बोली लगाने वालों की पात्रता और अपात्रता के बारे में भी अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं। ये सभी बातें वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में कही गयी है। समिति ने यह भी कहा है कि कई मामलों में दिशा निर्देशों के पालन नहीं हो रहा है। इसमें अलावा, निश्चय ही, कर्मचारियों को कल्याण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें शामिल है। यह मुद्दा भी आपकी पंसद के अनुरूप नहीं है इसलिए आप इसका उल्लंख नहीं करते है और इस संबंध में समिति सिफारिशों का पालन भी नही करते हैं। आप पहले एक कोष बना दीजिये और उसके बाद आप जो चाहें वह करें। यह तो इस देश के लोगों के साथ सरासर ज्यादती है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए अलग उपाय क्यों अपनाया जा रहा है और इसमें कौन कौन से लोग रुचि ले रहे हैं। अब तक तो इसमें न तो पारदर्शिता दिखायी देती है और न ही स्पष्टता।

इसलिए मैं अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विनिवेश का प्रतिरोध करें क्योंकि यह इस सरकार द्वारा अपनाया गया सर्वाधिक देश-विरोधी तरीका है। ऐसा नहीं है कि इसका विरोध केवल मैं ही कर रहा हूं अपितु 26000 श्रमिक और उनके परिवार भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस देश का संपूर्ण श्रमिक वर्ग इसका विरोध कर रहा है और सही सोच रखने वाले समाज के सभी लोग इन दोनों उपक्रमों की बिक्री का विरोध कर रहे हैं। मैं आमतौर पर होने वाले विनिवेश की बात नहीं कर रहा हूं। पूर्व में मैंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं विनिवेश का विरोधी नहीं हूं। इस मामले में सही तरीकें अपनाए जाने चाहिए। लेकिन यदि इन उपक्रमों को जिस तरह से बेचने की धमकी दी जा रही है उस तरह से बेचा गया तब तो हम सार्वजनिक सत्यनिष्ठा की सभी सीमाओं को ही पार कर जायेंगे। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

अपनी बात समाप्त करने के पहले, मैं यहा उपस्थित सभी सदस्यों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वह दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका विरोध करें और इस देश के भविष्य के बारे में सोचें। भारतीय मुकुट के इन दो महत्वपूर्ण हीरों को कुछ ऐसे लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बेचा जा रहा है जो सत्ता दल से घनिष्ठ रूप से जुडे हुए हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): चूंकि मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी के बाद बोलना था, जो कि विनिवेश के एक प्रबल प्रख्याता

हैं, विनिवेश में विरुद्ध बोलने वाले मुख्य विपक्षी नेता हैं, अतः मैंने उनकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। सदा की भांति यह भी एक कर्मकाण्ड बनकर रह गया है। सदा की भांति उन्होंने इसके लिए ऐतिहासिक धोखाधड़ी; राजनैतिक पथभृष्टता, अनर्थकारी कार्यवाही आदि कहा। वे हमेशा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि आप उनके पिछले भाषणों को देखें तो पाएंगे कि उनमें दोहराव हैं बार-बार वही बात कही जा रही है। इन्होंने यह भी कहा है कि यह विनिवेश की प्रक्रिया एक राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है;

यह देश विदेशियों के हाथ में होगा; और इस देश की स्वाधीनता समाप्त हो जाएगी। बाबरी ढांचा के ध्वस्त होने के समय ऐसा कहने वाले लोग यही थे कि यदि बाबरी मस्जिद गिराई गई तो, तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हो जाएगा। उन्होंने देशभक्ति की भी बात की। यदि शिवसेना के माननीय सदस्य राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो मैं समझ सकता हूं...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, उनके द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के उल्लेख पर मैं गंभीर आपत्ति जताता हूं...*(व्यवधान)* यह प्रशंसनीय तरीका नहीं था और यह गर्व की बात भी नहीं है। वे श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ विवाद में जो महसूस करें, कह सकते है, लेकिन उन्हें संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री स्वाइं, हम विनिवेश पर चर्चा करे रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: जब शिवसेना के माननीय सदस्य राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन एक ऐसी पार्टी से राष्ट्रभक्ति की बात सुनना दिलचस्प है जिसने वर्ष 1963 में चीन के समर्थन के आधार पर अपनी पार्टी में ही विभाजन कर दिया था। वह उस समय हमलावर था। उन्होंने कई दिलचस्प बातें कहीं...*(व्यवधान)*

महोदय, उन्होंने राष्ट्रवाद के संपूर्ण आधार के बारे में भाषण दिया।

बिल्कुल यही मेरी भी राय है। राष्ट्रवाद की बात करने के पीछे क्या तर्क है? वर्ष 1971 में यही किया गया था। उस समय न कोई व्यक्ति, न कोई निजी पार्टी बड़े उद्योग की स्थापना के लिए आगे आयी। उनके पास धन नहीं था। सरकार ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया, सृजित और उत्पन्न करना चाहती थी। अतः सरकार उद्योग स्थापित करना चाहती थी। क्या अब भी यही स्थिति है? अब निजी उद्योग, निजी पार्टियां उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आई हैं। अतः जब कोई अन्य विकल्प नहीं था, तब सरकार के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। लेकिन जब सरकार के पास कोई विकल्प है, तो क्या सरकार का काम कारोबार करना है? मेरा यही प्रश्न है।

भारत सरकार के नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र की करीब 224 इकाइयां हैं। भारत सरकार ने करीब, 2,79,000 करोड़ रुपया निवेश किया है। ब्याज केवल 3.5% आता है। हम निवेश पर कितने ब्याज का भुगतान करते हैं क्या यह 12% है। अतः हर 1000 रुपये पर हमें प्रतिवर्ष 8.5% का घाटा हो रहा है। क्या देश के 19 लाख लोगों को रोजगार देने का यही तरीका है? अतः मेरा कहना यह है कि देश में सड़क, स्वच्छ पेय जल और विद्युत, स्वास्थ्य देख रेख और हर चीज की जरूरत है। लोगों के सभी मूलभूत सुविधायें प्रदान करना क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए सरकार के पास धन कहां से आएगा? अतः सरकारी उपक्रम जिनमें से अधिकांश को बुनियादी सुविधाओं के सृजन द्वारा लोगों को रोजगार देने हेतु हम घाटे में चल रहे हैं, फंसे धन को निकालना सरकारी की सही नीति है।

मैं दुनिया में जहां कहीं भी गया हूं, मैंने देखा है कि आधारभूत संरचना के सृजन से रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ हैं न कि केवल सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने से।

महोदय, उन्होंने चीन का भी उल्लेख किया है। चीन सभी साम्यवादियों का गुरू है। उन्हें खुद जाकर देखने दीजिए कि चीन में क्या कुछ हो रहा है। चीन ने केवल पांच-दस वर्ष के भीतर ही तीन लाख सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया है। एक मुद्दा उठाया गया। माननीय मंत्री महोदय वहां हैं, और वे इसका जवाब देंगे क्योंकि मुझे सभी ब्यौरों की जानकारी नहीं है। लेकिन एक आम आदमी के रूप में अपनी सामान्य बुद्धि से मैं दो-तीन मुद्दे उठाऊंगा।

एक बात उठाई गई थी कि बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. के विनिवेश के संबंध में सरकार ने संसद से कानून क्यों नहीं पारित कराया। क्या यह सच नहीं है कि एच.पी.सी.एल. की 49% हिस्सेदारी का पहले ही विनिवेश किया जा चुका है क्या यह सच नहीं है कि बी.पी.सी.एल. की 33% हिस्सेदारी का पहले ही विनिवेश हो चुका है? क्या संसद की सहमति से यह विनिवेश हुआ? मेरा यही प्रश्न है। यदि आप पहले ही विनिवेश कर चुके हैं, तो सरकार को अब संसद में कानून पारित कराने के लिए क्यों कह रहे हैं? यही मेरा प्रश्न है। अतः मुझे उम्मीद है कि मेरा तुरन्त बाद बोलने वाले माननीय सदस्य, इस प्रश्न को उठाएंगे और इस पर विचार करेंगे। क्या यह सच नहीं है कि संसद की सहमति के बिना बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. की क्रमशः 33% और 49% हिस्सेदारी का विनिवेश किया जा चुका है माननीय सदस्य अन्य ब्यौरों की जांच करेंगे और पूछेंगे कि अन्य बातों का क्या हुआ? मेरा यही कहना है।

[श्री खारबेल स्वांइ]

अब दूसरा बिंदु यह उठाया गया कि यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या यह एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सरकार पहले ही परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा इन तीनों क्षेत्रों को इस देश में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित कर चुकी है। हम इससे सहमत हैं। यदि हम सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते चले जाएंगे तो हम आगे यह भी कह सकते हैं कि खाद्य भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अत: सारी भूमि सरकार के पास होनी चाहिए क्योंकि खाद्य के बिना हम भूखे मरेंगे। हम 'रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण' नामक वाक्यांश को सभी चीजों से जोड़ सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि युद्ध हो जाता है और उस स्थिति में यदि तेल कंपनियां निजी हाथों में रही तो हमारा क्या होगा? वे युद्ध के समय हमें तेल उपलब्ध नहीं कराएंगी और भारतीय सेना पराजित हो जाएगी। इसी कारणवश वर्ष 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था। सेना के कई विशेषज्ञों से भी यह प्रश्न पूछा गया था। सेना के विशेषज्ञों ने कहा कि उनके पास नब्बे दिन आरक्षित भंडार है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण के समय में कोई भी युद्ध— मैं दोहरा—दूं। कोई भी युद्ध पन्द्रह दिन से अधिक नहीं चल सकता। आप इराक में भी यही परिणाम देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ से ही यह सोचकर प्रसन्न था कि यह युद्ध लंबे समय तक चलेगा और आमने-सामने की लड़ाई होगी और यही सब बातें कहीं गई थीं लेकिन यह दस से बारह दिनों में ही समाप्त हो गया। संसार में भविष्य में ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा जो पन्द्रह दिन से अधिक चले। यह कहना कि यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, देश अपनी स्वतंत्रता खो देगा और हम विदेशियों के हाथ में चले जाएंगे, बहुत दूर की कौडी है। हमने प्रतिस्पर्धा विधेयक भी पारित किया है। हम यह कह रहे हैं कि निजी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। उनका एकाधिकार कैसे स्थापित हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा विधेयक के खंड 4 में लिखा है "बाजार में किसी एक व्यक्ति या कंपनी की एकाधिकारपूर्ण स्थिति के दुरूपयोग का निषेध" अत: हमारे देश में एक कानून है। यदि कोई भी एकाधिकारी व्यवहार करता है तो एकाधिकार आयोग हस्तक्षेप कर सकता है और इस आयोग के माध्यम से सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है। आज खुदरा वितरण नेटवर्क का 55 प्रतिशत भाग इंडियन आयल कारपोरेशन के पास है। दि इंडियन आयल कारपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, गेल, ये सभी कंपनियां भी सरकार के साथ हैं। अत: हम मात्र दो तेल कंपनियों का विनिवेश करने से इस देश की स्वतंत्रता कैसे खो देंगे? सरकार के साथ कितनी तेल कंपनियां होंगी? अत: यह कहना बहुत दूर की कौडी होगा कि यदि दो कंपनियां निजी हाथों में चली जाएंगी तो देश अपनी स्वतंत्रता खो देगा।

मैंने यह भी सुना है कि सरकार इस सत्र या अगले सत्र में पेट्रोलियम विनियामक विधेयक लाने जा रही है। यदि यह विधेयक लाया जाता है तो मेरे विचार से दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या बीमा विनियामक प्राधिकरण की भांति ही स्वभाविक रूप से आयोग इस एकाधिकार संबंधी पहलू को भी देखेगा।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात रखते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। हम हर समय यह पूछते हैं कि लाभ-अर्जन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश क्यों किया जा रहा है। लाभ-अर्जन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से क्या तात्पर्य है? वे लाभ कब कमा रहे थे? वे उस समय लाभ कमा रहे थे जब वे सरकारी एकाधिकार के अन्तर्गत थे। एक समय मारूति और भारतीय इस्पात प्राधिकरण भी लाभ कमा रहे थे, जब कोई प्रतियोगिता नहीं थी लेकिन आज के वैश्वीकरण के संसार में जबकि कड़ी प्रतियोगिता है तब क्या एक सरकारी कम्पनी के लिए निजी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करना और लाभ कमाना संभव है? इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि आज की कड़ी प्रतियोगिता के समय में कायम रहने के लिए तुरंत निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है और सरकारी तंत्र ऐसा है कि एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए निजी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करना संभव ही नहीं होगा।

उदाहरण के लिए यदि आप वर्षा ऋतु में ताज होटल जाएं, जहां कि बहुत सी कम ग्राहक ठहरे हुए हैं, और उनसे कहें कि वे आपको कमरे के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दें तो ताज होटल के प्रबन्धक तुरंत कहेंगे कि ठीक है। लेकिन यदि आप अशोक होटल जाएं और उनसे यही बात कहें तो प्रबन्धक कहेगा कि सी.बी.आई.; सतर्कता विभाग और लेखा-परीक्षा विभाग उसके पीछे पड़ जाएंगे और इसलिए वह कहेगा कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के लिए फाइल भेजेगा। जब तक फाइल उनके वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचेगी और वहां से वापस आयेगी तब तक वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होगी और अगली ऋतु आरंभ हो जाएगी। सरकारी तंत्र इस प्रकार काम करता है और यही कारण है कि सरकार कभी भी एक सफल उद्यमी नहीं बन सकेगी।

अन्तत: इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें इस मामले पर बहुत कड़ाई से काम लेना चाहिए। उन्होंने इस देश में आर्थिक सुधार शुरू किए हैं और बिना आर्थिक सुधारों के यह देश फल-फूल नहीं सकेगा। यदि हम पुराने विचारों पर ही चलते रहेंगे तो हम कभी भी एक आर्थिक रूप से सक्षम देश नहीं बन सकेंगे। अत: बीच में घोड़ा न बदलें। जब एक बार हमने सुधारों की शुरूआत कर दी है तो हमें उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि ये सुधार सफल हों।

महोदय, माननीय मंत्री जी को कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अच्छा हो

या बुरा वे इसी संरचना के आदि हैं। अतः सरकार को यह देखना चाहिए कि वे अपना रोजगार न गवाएं। उन्होंने उड़ीसा में पारादीप फास्फेट में अपना रोजगार नहीं खोया है। अपने निजीकरण के तीन महीने के अन्दर-अन्दर ही पारादीप फास्फेट लिमिटेड का उत्पादन तिगुना हो गया है और कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। निजीकरण से पूर्व उन्हें डेढ़ वर्षों से उनका वेतन नहीं मिला था।

इसलिए, अन्तत: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और विनिवेश मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इस सिद्धांत से जुड़े रहें, उन्हें विपक्ष की उकसावे पूर्ण बातों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए और उन्हें उन नीतियों का पालन करना चाहिए जिनका पालन करने का उन्होंने वादा किया है।

***श्री सी. श्रीनिवासन** (डिंडीगुल): माननीय सभापति, महोदय, एचपीसीएल और बीपीसीएल के विनिवेश पर इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के सामरिक विनिवेश की रणनीति के तरीकों का सरकार द्वारा बदला जाना बड़ा ही विचित्र है। इस सरकार के बदले रवैये से सारा राष्ट्र चिन्तित है। इसी कारण इस बजट सत्र के अंतिम दिनों में हम इस सम्मांनीय सभा में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, महान संत कवि तिरूवल्लुवर ने कहा कि किसी भी नयी योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व आप उस पर पर्याप्त विचार कर ले अन्यथा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात उस पर सोचना अनुचित होगा। उनके दोहे में लिखा है:-

''एन्नी थुनिगा करूमम थुनिन्थपिन

एन्नुवम एन्पथु इलुक्कू।''

उन्होंने शासकों की अस्थिर मानसिकता की शिकायत सही ही की थी। केन्द्र में क्या हो रहा है? विगत वर्ष के शीतकालीन सत्र से ठीक पूर्व यह खबर आई थी कि एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों का विनिवेश किया जायेगा। बाद में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि इनका पूर्ण विनिवेश नहीं किया जायेगा बल्कि आंशिक विनिवेश किया जायेगा। यह बताया गया था कि शेयरों का कुछ प्रतिशत ही बेचा जायेगा। यह भी समाचार आया था कि विदेशी कम्पनियों और प्रमुख भारतीय तेल कम्पनियों दोनों को ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। उसके बाद यह बताया गया कि उनमें से एक का निजीकरण होगा और दूसरी के कुछ शेयर बेचे जायेंगे। यह भी समाचार था कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्य ओएनजीसी संभालेगी। बाद में प्रेस में यह विरोधी समाचार भी आया कि ओएनजीसी को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। इसी दौरान एकमात्र तेल कम्पनी ओएनजीसी ने, जो कच्चे तेल को निकालने और इसे संसाधित करने और विपणन करके समेकित तेल उत्पादन सुनिश्चित करती, बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया। इसने 600 से अधिक खुदरा पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रों में संचालन की अनुमति प्राप्त करती थी। मैंगलौर पेट्रोलियम रिफाइनरी को भी तैयार कर लिया गया था। परन्तु, तभी अचानक विनिवेश मंत्रालय के निर्णय ने ओएनजीसी को नीलामी में भाग लेने से रोक दिया। यहां यह बताना उल्लेखनीय होगा कि भारतीय तेल निगम को नीलामी में भाग लेने से पहले ही वंचित कर दिया गया था।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों संसद के अधिनियमों द्वारा बनायी गयी थी। देश में संचालित एस्सो काल्टेक्स, और बर्मा शैल जैसे ब्रांड नाम वाली विदेशी कम्पनियों का भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। वर्ष 1974 और 1976 के दौरान विशेष अधिनियमन द्वारा इन तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी थी। भारतीय संसद को औपचारिक आश्वासन दिया गया था कि यह कम्पनियां राज्य के पास ही रहेंगी और सरकारी कम्पनियां बनी रहेगी।

परंतु आज जो कुछ हो रहा है वह इसके विपरीत है और संसद की स्वीकृति लिये बिना ही विनिवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। जब यह चर्चा सभा में चल रही है तो सरकार स्वयं से कह रही है कि ''आप जो चाहें वह कह सकते हैं परन्तु हम हमारे तरीके से चलते रहेंगे।'' इस चर्चा के अन्त में कोई मतदान नहीं होगा। इसलिए सरकार बाद में दावा नहीं कर सकती है कि उसने संसद से अनुमति लेनी चाही थी जो उसे मिल गयी।

आप भूल गये कि केन्द्र में सरकार आपके सहयोग घटकों से गठबंधन करने के बाद बनी है। समता, तृणमूल, शिवसेना और जनता दल (यू) जैसे आपके एनडीए के सदस्य ही इसका विरोध कर रहे है...*(व्यवधान)* आपकी पार्टी के आपके ही मंत्री श्री राम नाईक ने प्रारम्भ में इसका कड़ा विरोध किया था। वह तब शांत हुए जब यह प्रस्ताव आया कि ओएनजीसी, एचपीसीएल को खरीद सकती है।

इस विनिवेश के द्वारा राजकोष में 10,000 करोड़ रु. जुटाने का प्रस्ताव है। आपके अपने सहयोगी स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि मूल्य-निर्धारण पारदर्शी होना चाहिए जिससे अधिक लाभ होगा। आप राय जानने के लिए महालेखाकार के पास जाने की बजाय एटार्नी जनरल महान्यायवादी के पास जा रहे है। वर्तमान एटार्नी जनरल सोली सोराबजी का कहना है कि संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

जब इस सभा को औपचारिक आश्वासन दिया गया था कि ये कम्पनियां सरकारी कम्पनियां ही रहेगी, तो फिर यह सरकार इससे पीछे कैसे हट सकती है। आपको इस पर विचार करना है। आप कह सकते हैं कि कम्पनी अधिनियम के तहत इसे अपना कहने के लिए आपके पास 51% दावेदारी है, यह पर्याप्त है। परन्तु मारूति में क्या हुआ। रातभर में ही 51%, 49% बन गये। अब इन तेल कम्पनियों के 35.2% शेयर बेचने का प्रस्ताव है। यह भी रिपोर्ट है कि बीपीसीएल निजी आपरेटरों के हाथों में जा सकती है। जब इतनी सारी विरोधी सूचनाएं मिल रही है तो हम सरकार का पक्ष समझने में असमर्थ है।

मेरा एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आप संसद को उचित सम्मान देते हैं कि नहीं। घटक सहयोगियों के बीच एकमत नहीं होने की वजह से आपने महिला आरक्षण विधेयक ताक पर रख दिया। इसी तरह, क्या आप बिक्री रोक देंगे? क्या आप इन तेल कम्पनियों के शेयरों की बिक्री रोक देंगे? क्या आप इन तेल कम्पनियों के शेयरों की बिक्री रोक देंगे? विगत छः मास से बने हुए निश्चित भ्रम के परिणामस्वरूप 100 करोड़ रु. की लागत से मुंबई रिफाइनरीज का आधुनिकीकरण का कार्य शुरू ही नहीं हो सका है।

मारूति उद्योग लिमिटेड नाममात्र को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी रह गयी है। नौकरियों में कटौती और छंटनी आजकल आम बात हो गई हैं क्या आप गारन्टी दे सकते है कि निकट भविष्य में एचपीसीएल और बीपीसीएल में यह नहीं दोहराया जायेगा? हाल ही में द इकोनामिक टाइम्स ने अपने सम्पादकीय में लिखा कि वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के बीच विनिवेश प्रस्तावों पर तू तू मैं मैं हो रही है।

ये राष्ट्रीय परिसम्पत्तियां तीन बार कानून बनाने के उपरांत प्राप्त की गयी थी और अब आप आनन फानन में इन्हें बेच देना चाहते है। आप यह भी कह रहे है कि इनकी बिक्री इन्हें लाभ में चलाने में सक्षम बनायेंगी। वित्तीय समाचारपत्रों में बताया गया है कि 1.2 और 2.1 बिलियन डालर से ज्यादा के इन संगठनों के मुद्दे को जिम्मेदार से निपटाया जाए। मैं इस सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि वह अपने कदमों सोच समझकर उठाये विनिवेश पर आगे कार्यवाही के लिए अभी तक एक सलाहकार भी नियुक्त नहीं किया गया है।

इसलिए मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे से संबंधित कई लोगों द्वारा व्यक्त विचारों पर विचार करे और राष्ट्रहित में इस नीति की व्याख्या करे। जब आप शेयर बेच रहे हो तो उनमें से कम से कम 5% मात्र कर्मचारियों को मिलने चाहिएं। कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेवारी है। वहां नौकरियों में कटौती और छंटनी नहीं होनी चाहिए। ये व्यवहार्य तेल कम्पनियां लाभ में चलती रहनी चाहिएं। मैं चाहता हूं कि सरकार पहलू का विशेष ध्यान रखें। तमिल में एक कहावत है "सिथ्थन पोक्कुल, सिवान पोक्कु।" प्रतिभावान लोगों के सद् विचारों को नजरअंदाज कर आपको इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिये जाने के लिए मैं पुनः सभापति महोदय तो धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदयः डा. बी.बी. रमैया।

रमैया जी, कृपया एक मिनट। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें। विनिवेश के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता के बारे में मैंने उस ओर से एक माननीय सदस्य, श्री सी. श्रीनिवासन और श्री सोमनाथ चटर्जी को सुना।

तब श्री मुखर्जी अतिरिक्त सालिसिटर जनरल थे। अगर सभी सदस्य कहें कि संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है तो वाद-विवाद की आवश्यकता ही नहीं है। मैग्ना कार्टा के अनुसार संसद की स्वीकृति के बिना एक पैसे का भी विनियोग नहीं किया जा सकता। इस तरह से सार्वजनिक सम्पत्ति कैसे बेची जा सकती है? यह मैग्ना कार्टा है। श्री मुखर्जी बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैग्ना कार्टा एक पुराना दस्तावेज है।

श्री सोमनाथ चटर्जीः श्री मुखर्जी मेरे अच्छे मित्र हैं, और वे मेरे राज्य से हैं। वे क्या कर सकते हैं? वे मुंह तक खोल नहीं पाते हैं।

सभापति महोदयः संसद की स्वीकृति के बिना एक पैसे का भी विनियोग नहीं किया जा सकता। बजट प्रस्तुत करने के लिए मंत्री यहां आते हैं। उन्हें विनियोग के लिए पैसा चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जीः वे पेन्डयुलम जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

सभापति महोदयः मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): माननीय सभापति, महोदय आप स्वयं एक अच्छे वकील हैं, इस संबंध में विनिर्णय दीजिए।

सभापति महोदयः कानून का छात्र भी जानता है कि किसी भी कार्य सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए संसद की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है और केवल संसद ही राशि की स्वीकृति देती है।

मैं केवल आपके मत को नहीं मान रहा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने अनेक राय दी हैं और वे अलग हैं। सभी जानते हैं और यह आम नियम है कि संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): इसका मैं विस्तृत उत्तर दूंगा क्योंकि इस बात को श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी उठाया है। लेकिन महोदय, केवल एक बात याद रखने योग्य है, कि अगर नियम है तो इक्विटी की बिक्री करना तथा एचपीसीएल के मामले में 100 प्रतिशत से 51 प्रतिशत करना और बीपीसीएल के मामले में इसे 56 प्रतिशत तक लाना गैर-कानूनी है और ऐसा 1991 से 1993 के बीच किया गया था वह भी बिना संसद की स्वीकृति के...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हस्तक्षेप के लिए आपको धन्यवाद।

श्री अरुण शौरी: मैं इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? जो किया गया क्या आप उससे प्रोत्साहित हैं? तो फिर आप क्यों गए और राय ली? आप उसे संसद के क्यों रख रहे?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपकी राय जानना चाहता हूं श्री सोमनाथ चटर्जी, ताकि संसद सर्वोपरि है इस बारे में सभा की राय का पता चल सके। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमारे हितों की रक्षा अब उनके हाथों में है। वे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अरुण शौरी: दूसरे सदन में विपक्ष के नेता ने महान्यायवादी की राय जाननी चाही। वह इस तरह ली गयी थी।

सभापति महोदय: संसद सर्वोपरि है और इस प्रश्न पर किसी की राय की आवश्यकता नहीं है।

श्री अरुण शौरी: इस समय आप अध्यक्ष के आसान पर हैं और ऐसी बातें पीठासीन अधिकारी को शोभा नहीं देतीं। अगर आप अपने आसन से बहस करना चाहते हैं, तो ठीक है।

सभापति महोदय: मेरा विनिर्णय है कि संसद के अधिकार पर बाहर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता।

श्री अरुण शौरी: नहीं महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैग्ना कार्टा के अनुसार धन का विनियोग केवल संसद द्वारा किया जा सकता है।

आप केवल संसद के अधिकार से पैसा ले सकते हैं। मैं विनिर्णय देता हूं कि संसद का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, आप कोई भी विनिर्णय दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई-उत्तर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संसद की कोई शक्ति नहीं है ऐसा कोई भी सदस्य नहीं कहेगा। क्या कोई ऐसा सदस्य है जो ऐसा कहेगा?

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत हमने चर्चा आरम्भ की है तथा चर्चा चल रही है। वाद-विवाद चलने दीजिए। अंत में माननीय मंत्री जी सरकार के विचार प्रस्तुत करेगें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी उसे आप स्पष्ट कीजिए। जैसा कि उन्होंने अनेक विचार दिये कुछ मेरे दिमाग में भी थे और मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं आपके दिशा निर्देशन के लिए आपका आभारी हूं। सभी सदस्यों आपका, श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य सभी सदस्यों का आदर करते हुए इस बारे में मैं अपने जवाब में विस्तृत जानकारी दूंगा...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: निश्चय ही, वे उनसे मिलने की कोशिश करेगें लेकिन ये सभी को अशांत कर रहे हैं। इसका दोष आप किसी को...*(व्यवधान)*

आप अजीब नमूना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, डा. बी.बी. रमैया बोलेंगें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, इस सभा के कई बहुसंख्यक पक्षों की मांग— मैं 'सर्वसम्मति' की नहीं कह रहा—कि यह सभा में किया जाना चाहिए तथा इस पर सभा की राय लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि उन्होंने महान्यायवादी की राय ली है लेकिन मेरा कहना है कि आजकल सभी सरकारी वकील पेन्डयुलम की तरह अपनी राय बदलते रहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने संवैधानिक सिद्धांतों के बारे में कहा था।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: हमने वाद-विवाद चर्चा शुरू कर दी है। सोमनाथ बाबू ने अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखी है। वाद-विवाद जारी रहना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): क्या आप मंत्री है, श्री किरीट सोमैया? कृपया मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: अब वाद-विवाद चर्चा शुरू हो चुकी है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: माननीय मंत्री जी जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं।...*(व्यवधान)* माननीय, सभापति महोदय वे हमारी तरह केवल एक सदस्य हैं। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह क्या है? श्री रमेश चेन्नितला जी। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (वडागारा): महोदय, वह मंत्री नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, डा. बी.बी. रमैया बोलेगें।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं विनिवेश के इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह 1991 में शुरू हुआ और औद्योगिक नीति पर दिये गये वक्तव्य में निम्नलिखित निर्णय सम्मिलित है:

''सरकारी क्षेत्र के सामरिक, उच्च प्रौद्योगिकी तथा आवश्यक अवसंरचना की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के निवेश विभाग की समीक्षा की जाएगी। जबकि सरकारी क्षेत्र के लिए कुछ आरक्षण रखा जा रहा है परन्तु केवल निजी क्षेत्र के लिए कोई क्षेत्र खुला रखने पर कोई रोक नहीं लगायी गई है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र को इसके लिए आरक्षित नहीं रखे गए क्षेत्र में भी प्रवेश का अधिकार होगा।

उन लोक उद्यमों को, जो कि निरंतर रुग्ण चल रहे है व जिन्हें सुचारू बनाना सम्भव नहीं है, उनके पुनरुद्धार। पुनर्वास की योजनाएं बनाने के लिए उन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड या ऐसे ही किसी उच्च स्तर के संस्थानों को संदर्भित किया जाएगा। कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र सृजित किया जाएगा।

संसाधनों को बढ़ाने और व्यापक लोक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता के एक अंश को म्यूच्युल फंड, वित्तीय संस्थानों, आम लोगों और कामगारों को दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के बोर्डों को और अधिक व्यावसायिक बनाया जाएगा और उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।''

इसमें यह भी कहा गया है:

''यदि आवश्यक हो तो सरकारी क्षेत्र के सभी गैर महत्वपूर्ण उद्यमों में सरकार की इक्विटी को कम करके 26 प्रतिशत या उससे भी कम किया जाए। लाभकारिता की सम्भावना वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार और समीक्षा की जाए। जिन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार सम्भव न हो उन्हें बंद किया जाए; और कामगारों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाए।''

इस मूल संरचनाओं के आधार पर यह शुरू किया गया। 1991-92 में जब यह शुरू हुआ तो विनिवेश का प्रतिशत काफी कम था। वर्ष 2001-02 तक कुल 26,000 करोड़ रुपये का विनिवेश हुआ। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगी निवेश की गयी 2,74,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का ऋण के द्वारा प्राप्त की गयी है। हम समझते हैं कि सरकार ने इन संगठनों की समीक्षा करने और इनके सुदृढ़ीकरण के लिए कामगारों को और अधिक उत्पादक व कार्यकुशल बनाने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है।

अब, मैं उन मामलों पर आता हूं जिन पर कि विचार-विमर्श चल रहा है। हम बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. के विनिवेश के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 1991-92 में बी.पी.सी.एल. की कुल परिसम्पत्तियां केवल 1147 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष 2001-02 में ये 8,545 करोड़ की थी।

इसकी बिक्री कारोबार 8,841 करोड़ रुपये से बढ़कर 42,294 करोड़ रुपये हो गया। इसका लाभ भी 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 2204 करोड़ रुपये हो गया। एच.पी.सी.एल. के मामले में वर्ष 1991-92 में इसकी कुल परिसम्पत्तियां केवल 1,372 करोड़ रुपये थी। अब यह बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई हैं। इसकी बिक्री भी 8,900 करोड़ रुपये से बढ़कर 45,000 करोड़ हो गयी है। इसका लाभ भी 367 करोड़ से बढ़कर 2,046 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें से वे एच.पी.सी.एल. के स्टाक का 34.01 प्रतिशत और बी.पी.सी.एल. के स्टाक 35.02 प्रतिशत विनिवेश करना चाहते हैं। स्टाक परचेज प्रैफरेन्स स्कीम के अंतर्गत 5 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए भी दिया गया है।

जो भी विनिवेश किया जाए वह पारदर्शिता पूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह विनिवेश किस प्रकार

किया जाएगा इस संबंध में हमें विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में विनिवेश किस प्रकार किया जा रहा है, इस संबंध में हमें काफी पारदर्शिता की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं निधियों के उपयोग के संबंध में कहना चाहूंगा। जैसा कि सभी ने बताया है कि क्या यह अन्य संगठनों के सुदृढ़ीकरण के लिए है? या क्या आप इन निधियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए देने जा रहे हैं। आज हमें सूखे, स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यों के लिए काफी अधिक सहायता की आवश्यकता है। किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले आपको इन बातों पर विचार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस विषय पर नीति बनाते समय, माननीय मंत्री जी इन मुद्दों पर विचार करेंगे और इन निधियों का उचित उपयोग करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के विनिवेश पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस सम्मानित सदन में विनिवेश में एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा हुई है। मैं कोई लम्बी बात न करके केवल तीन-चार बिन्दुओं पर अपने को केन्द्रित करूंगा।

सभापति महोदय, तेल का ईंधन का जो सवाल है, वह देश की सुरक्षा से, देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि 1971 में जब इन दोनों कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो निश्चित रूप से हमारे पुराने अनुभव उसके साथ रहे होंगे। 1971 में जब इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसकी स्वीकृति, उसकी मंजूरी इस संसद ने दी थी। इसलिए आवश्यक है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में सरकार अगर कोई निर्णय करती है तो सरकार को सबसे पहले सदन में आना चाहिए, सदन से इसकी अनुमति लेनी चाहिए।

सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं। जब पिछली बार यह सवाल उठा था कि सरकार कम से कम यह आश्वासन दे।...*(व्यवधान)* शौरी जी, आप हमारी बात सुन लीजिए। आप विजय जी से क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)** आप हमारी बात सुनिये।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात मैं आपकी सुन रहा हूं।...*(व्यवधान)* वे मुझसे डिबेट का टाइम पूछ रहे थे क्योंकि चार बजे यह डिबेट खत्म होनी है।...*(व्यवधान)* वह यही पूछ रहे थे।...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदय, मैं आपसे इन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकालने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय: मैं इन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने उन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप दोनों अपने स्थान पर बैठिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात मंत्री जी को बीच में बता रहा था किन्तु मैं इनसे इससे ज्यादा अच्छे शब्दों की उम्मीद भी नही करता था।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: आप जो सुरक्षा के बारे में कह रहे थे, उसे मैंने नोट किया है। उसका जवाब मैं जरूर दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे:*...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: .... आप क्या बात करते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा। अगर कोई असंसदीय शब्द कहा है तो उसे आप निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: वह तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: मैं आपके मार्फत निवेदन कर रहा था कि इसमें जो असल और बुनियादी सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा, 1971 में अपने पुराने अनुभवों का ध्यान में रखते हुए बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे संसद ने मंजूर किया। सबसे दुखद पहलू यह है कि हम लगातार धडल्ले से मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं। पिछली बार जब इस सदन में चर्चा हुई, जब नालको को बेचने का सवाल आया कि नालको मुनाफे में है, इसे क्यों

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

बेचा जा रहा है, तो अरुण शौरी जी ने फरमाया कि आज यह मुनाफे में है, कल यह भी घाटे में हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी उपक्रमों में व्याप्त कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को दूर करने में इस सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकार उसके सामने नतमस्तक है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. का 2001-2002 के नौ महीनों में क्रमश: 363 करोड़ रुपये और 476 करोड़ रुपये का मुनाफा है और 2002-2003 में लाभ क्रमश: 903 करोड़ रुपये और 802 करोड़ रुपये है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे देश में जो कम्पनियां सर्वाधिक लाभ अर्जित कर रही हैं, उनमें बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. भी हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो निजी कम्पनियां उनको खरीदने में दिलचस्पी रखती हैं, बहुत काट-छांट करने के बाद विनिवेश मंत्री जी ने सात कम्पनियां चिन्हित की हैं। उनमें से पांच कम्पनियां विदेशी हैं। मैं आपकी आज्ञा से उनके नाम पढ़ना चाहूंगा-रायल डच शैल, हालैंड, बी.पी. एमैको, इंग्लैंड, एराम्को, सऊदी अरब, पेट्रोनस, मलेशिया और कुवैत पेट्रो, कुवैत हैं। ये पांच कम्पनियां इन दोनों कम्पनियों को खरीदने में इंटरस्टेड हैं। यह बहुत गंभीर सवाल है। तेल जैसी महत्वपूर्ण चीज भी अगर भारत सरकार के अधीन नहीं रहेगी तो मैं समझता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से यह किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। अरुण शौरी जी, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पी.आई.एल. हुई। उसमें 13 अप्रैल को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपको नोटिस जारी किया। जो सज्जन पी.आई.एल. लेकर गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो निर्देशित किया, उसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल., दोनों का मिलाकर पेट्रोलियम बाजार में 40 प्रतिशत शेयर है, इनका राष्ट्रीयकरण 1970 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था और सी.पी.आई.एल. का दावा है कि इन दो कम्पनियों में विनिवेश संबंधित अर्जन अधिनियमों को निरस्त करके या उनमें संशोधन करके दिया जा सकता था और इसका कोई अन्य विकल्प नहीं था।"

[हिन्दी]

स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापोरेशन ने 1997 से लेकर अब तक कितना मुनाफा कमाया, मैं उसका उल्लेख भी करना चाहूंगा। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने 1997 में नेट प्राफिट 701 करोड़ रुपये 1998 में 901 करोड़ रुपये, 1999 में 1057 करोड़ रुपये, 2000 में 1088 करोड़ रुपये और 2001 में 788 करोड़ रुपये कमाया है। उसका नेट वर्थ 1997 में 4093 करोड़ रुपये और 2001-2002 में 5900 करोड़ रुपये है। यह सरकार को अत्यधिक मुनाफा देने वाली कम्पनी है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने पिछले पांच वर्षों में अपने नेट वर्थ पर 21 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। मैं आपकी मार्फत यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे देश में जो दस बड़ी कम्पनियां हैं, इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, रिलायंस पेट्रोलियम, स्टेट बैंक आफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आयल एंड नैचुरल गैस, स्टील अथारिटी आफ इंडिया, हिन्दुस्तान लीवर हैं। इनमें इंडियन आयल कार्पोरेशन को छोड़कर मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों में एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. दूसरे और तीसरे नम्बर की कम्पनियां हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब इतना ज्यादा मुनाफा ये कमा रही हैं तो कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि जिसकी वजह से हम इनको बेचने के लिए उतावले हैं। जो घाटे में सरकारी उपक्रम हैं, उनको लाभकारी बनाने में सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। हम धड़ाधड़ मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को बेचने में लगे हैं। सही मायने में बात क्या है? मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में बजटीय घाटा निरन्तर बढ़ रहा है। 2001-2002 में बजटीय घाटा 1,40,000 करोड़ रुपये था। 2002-2003 में 1,43,000 करोड़ रुपये हो गया और 2003-2004 में 1,53,000 करोड़ रुपये है। सही मायने में आज तक सरकार ने यह नहीं बताया कि सरकारी उपक्रम बेचने के बाद उस पैसे का क्या करेगी? बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि बजट का घाटा पूरा करने में इस धन का उपयोग होगा और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजटीय घाटा जो होता है, उसको पूरा करने के लिए सरकार कर लगाती है लेकिन सरकार सोचती है कि वह अलोकप्रिय हो जाएगी तो कर्जा लेती है। उस पर ब्याज पड़ता है। यह सरकार क्या कर रही है कि 1998 में जब सरकार बनी तो इस सरकार पर घरेलू कर्ज तीन लाख नवासी हजार करोड़ रुपये था और दिसम्बर 2000 में बढ़कर दस लाख 37 हजार करोड़ रुपया हो गया है। कुल मिलाकर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? विनिवेश हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? क्या विनिवेश कृषि, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा के लिए हो रहा है या फिर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिन्दुस्तान में दौलत इकट्ठा करके आप उन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम करेंगे जिसका जवाब आज तक इस सदन में नहीं दिया गया।

मैं यह निवेदन करना चाहूं कि हमारे देश में जो गैर योजना व्यय है, पिछले 3-4 वर्षों के बजट भाषण आप देखें तो आप पाएंगे कि यह गैर योजना व्यय निरन्तर बढ़ रहा है और हालत यह है कि गैर योजना व्यय इस हद तक हो गया है कि अगर एक आदमी के पास आप एक रूपया भेजेंगे तो हमारी सरकार का

जो तानाबाना है जो ढ़ांचा है, उस पर तीन रुपया खर्च कर रहे हैं। कोई अनुपात, कोई रेशियो हमारे देश में नहीं है। इस फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को जो प्रयास करने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं। कहीं से भी नहीं किये जा रहे हैं। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एचपीसीएल, बीपीसीएल सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यह जानता हूं ग्रामीण अंचल में ये कंपनियां कुछ गांवों को गोद लेने का काम करती हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां भी काम होता है। निजी क्षेत्र में जाने के बाद आप इन कंपनियों से कैसे अपेक्षा करेंगे कि ग्रामीण अंचल में किसी गरीब का भला ये कंपनी कैसे कर पाएंगी? निजी हाथों में जाने के बाद अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र में भी ये कंपनियां कुछ काम कर सकती हैं। देश को अंधकार में रखकर विनिवेश का काम किया जा रहा है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की विनिवेश के संबंध में पारदर्शी नीति नहीं है। सरकार बताए कि विनिवेश के मार्फत जो कोष जमा होगा, उसका सरकार क्या करेगी? इसी तरह मुनाफे के जो सरकारी उपक्रम हैं, उनको बेचने के लिए सरकार बेताब क्यों है? हिन्दुस्तान में बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. के जो कर्मचारी हैं, उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में जाने के बाद अरुण शौरी जी उनकी सेवा शर्तें तय करने का काम आपके हाथ से चला जाएगा, निजी क्षेत्र ही तय करेगा? उसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग काम करते हैं, उनका भविष्य क्या होगा?

संसद को अंधेरे में रख कर यह काम नहीं हो सकता। संसद ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस संसद को अधिकार है कि अगर कोई इसमें तब्दीली होनी है तो वह संसद ही कर सकती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं केवल पांच मिनट का समय लूंगा।

मैंने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के विनिवेश के बारे में दोनों पक्षों को सुना है। मैं विनिवेश के गुण अवगुण के बारे में नहीं बताऊंगा कि यह अच्छा है या बुरा। लेकिन मैं सरकार से एक निवेदन कर रहा हूं। शिव सेना के प्रमुख नेता ने हमें इन दोनों कम्पनियों के विनिवेश का विरोध करने का निर्देश दिया है। इसके लाभ और हानि के बारे में, जैसा कि मैंने कहा है, सत्तापक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि कोई भी सरकार इस कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकती। इसके बावजूद मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आपके अपने मंत्री माननीय श्री राम नाईक द्वारा किये गए अच्छे कार्यों और उनकी इस क्षेत्र में उपलब्धियों की प्रशंसा करने के बजाय आप श्री राम नाईक को उनके द्वारा देश के हित में किये अच्छे कार्यों के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं।

यदि यह किसी अन्य सरकार के द्वारा किया जाता, जैसे कि जब पिछली सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उचित ढंग से नहीं निपट रही थी, तो हम यह स्वीकार करते कि 'अच्छा, सरकार बेहतर ढंग से यह कार्य नहीं कर रही है।' लेकिन मैं माननीय मंत्री श्री राम नाईक के कार्यकाल में हुए अच्छे कार्यों की एक सूची दे सकता हूं, जिससे इस क्षेत्र में सुधार आया है।

दूसरे, मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब आपने इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों की प्रवेश की अनुमति दी है तो अब अपनी कम्पनियों को बेचने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। दोनों कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा होने दें। यदि कोई निजी कम्पनी इस क्षेत्र में होगी जो कि पेट्रोल कम कीमत पर बेचेगी तो उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य पर पेट्रोल प्राप्त हो सकेगा। फिर हमें अपनी अर्थात सरकारी कम्पनियों के बारे में सोचना होगा कि वे कैसे अपने खर्चों को कम करके और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्रदान कर सकती हैं। प्रतिस्पर्धा सदैव स्वागत योग्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यवसाय करने में सक्षम नहीं हैं तो आप इन्हें बेचना चाहते हैं।

पिछले छह वर्षों में यह सिद्ध हो चुका है कि हम बड़े अच्छे तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। इसके साथ ही हम निजी क्षेत्र के तेल क्षेत्र खरीदकर अपनी कम्पनियों के द्वारा पेट्रोल निकालने की अनुमति भी दे रहे हैं। अत: हमारे लिए यह आवश्यक नही है कि इसे बेचना ही एकमात्र हल होगा। जब इसे कुशलतापूर्वक और उचित ढंग से चलाया जा सकता है और अगर आप महसूस करते है कि इसे बेहतर तरीके से चलाकर इसमें सुधार लाया जा सकता तो ठीक है हम सुधार कर सकते है: परन्तु कि इस क्षेत्र में हम अकुशल हैं।

जैसा कि मैंने ठीक ही कहा है कि महत्वपूर्ण व्यवसाय में आपने केवल तीन क्षेत्रों को शामिल किया है। लेकिन हम और हमारे नेता श्री बाला साहेब ठाकरे महसूस करते हैं कि रेलवे रक्षा और अन्य गतिविधियों की तरह पेट्रोलियम क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हैं। अत: मेरे दल ने यह निर्णय लिया है कि आपको ऐसा करने की अनुमति न दी जाए। मैं इसको चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं एक बात के लिए सरकार की प्रशंसा करूंगा। नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति देकर आपने माननीय सदस्यों को सभा में अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है। यह बताया गया था कि यदि आप इन कम्पनियों का विनिवेश चाहते हैं तो नियमों के अनुसार आपको सभा की अनुमति लेनी होगी। मैं इस सरकार का

[श्री प्रकाश परांजपे]

बहुत आभारी हूं कि एक लोकतांत्रिक सरकार की भांति आपने लोगों को अपने विचार अभिव्यक्ति करने की अनुमति दी है। आपने अपने निर्णय का कार्यान्वयन करने के लिए उन्होंने किसी तरह की जल्दबाजी पर जोर नहीं दिया। अन्यथा, आपको भी पिछली सरकार की तरह अनुभव होता जैसे कि उन्होंने शाहबानों के मामले में जल्दबाजी में ऐसे, निर्णय लिया।

हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते है। सरकार को विनिवेश के निर्णय पर इस सभा की भावनाओं को समझना चाहिए।

मैं विनिवेश के फायदों में विस्तार से नहीं जाना चाहता लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मूलरूप से जैसा कि मैंने बताया है कि शिवसेना इस निर्णय का विरोध करेगी। जब नेता विरोध करने का निर्णय लेता है तो आप जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले भी इसी सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी यहां भारत में आकर क्रिकेट खेलेंगे लेकिन हमारे नेता ने कहा कि वे पाकिस्तान को भारत में आकर खेलने की अनुमति नहीं देंगे और सरकार को अपना निर्णय वापिस लेना पड़ा।

अपराह्न 4.00 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मेरे सुप्रीमों की ताकत पूरे देश को और पूरे विश्व को पता है...*(व्यवधान)* इसलिए सुप्रीमों ने यह निर्णय लिया है कि लाखों लोगों और परिवारों के हित में यह आवश्यक नहीं है कि.......

अध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, हमने यह तय किया है कि अगली चर्चा खत्म होने के बाद हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, मैं केवल दो मिनट लूंगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दूसरों की भांति यहां लंबी भाषण बाजी करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: तब तो आप सुप्रीमों के बारे में बात जारी रख सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, सुप्रीमों ने ही उन्हें पांच मिनट बोलने की अनुमति दी होगी...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा कि कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान। यह कोई गणित का सवाल नहीं है; यह लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों की भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रहित में यह बेहतर होगा कि यह विभाग अथवा पेट्रोलियम उद्योग सरकार के पास रहे और यह निजी हाथों में न जाने पाये अन्यथा वे देश को अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि इन कंपनियों को बिलकुल न बेचा जाये।

यह भी कहा गया है कि सरकार केवल लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को ही क्यों बेच रही है। यहां पर सरकार से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जब वह लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की नीलामी कर रही हो तो वह उसके साथ घाटे में जाने वाली दो कंपनियों को भी संलग्न कर दे ताकि लाभ अर्जित करने वाली कंपनी को जो भी खरीद रहा हो उस घाटे में जाने वाली दो कंपनियों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़े। तभी तो निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता का पता चलेगा। लाभ अर्जित करने वाली कंपनी से लाभ तो कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन यदि निजीकरण के बाद घाटे में जाने वाली कंपनी से लाभ हासिल कर कोई दिखाये तभी तो देश को यह पता चलेगा कि निजीकरण से क्या लाभ है। इसलिए, भविष्य में जब कभी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की नीलामी हो, तो मेरा अनुरोध और सुझाव यह है कि उसके साथ घाटे में जाने वाली दो कंपनियों को भी संलग्न किया जाये। इस तरह, यह एक पैकेज सौदा होगा कि बोली लगाने वाले को लाभ अर्जित करने वाली एक कंपनी के साथ घाटे में जाने वाली दो कंपनियों को भी खरीदना होगा। यदि ऐसा किया जा सके, तो मैं समझता हूं कि यह बदलाव बेहतरी के लिए होगा। दूसरी बात यह कि हमने आपने होटल संतूर के अनुभव से एक बात और सीखी है। जब भी कोई किसी कंपनी को खरीदे उससे अनिवार्य रूप से यह होना चाहिए, या इस आशय का अनुबंध किया जाना चाहिए कि वह अगले पांच वर्षों तक उस कंपनी को नहीं बेचेगा। मैं समझता हूं उस पर यह शर्त लगायी जानी चाहिए। नीलामी में बोली लगाने वाले के लिए दूसरी शर्त यह होनी चाहिए कि वह कम से कम तीन वर्षों तक कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगा तथा यह कि वह आगामी तीन वर्षों तक वेतन में संशोधन नहीं करेंगे तथा सरकारी योजनाओं की तर्ज पर वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर सकता है। इस तरह अंततः हमें आप श्रमिक के हितों की रक्षा करनी होगी। सरकार के हितों का समर्थन करने तथा सरकार की वित्तीय सहायता से मुद्दे पर उसका समर्थन करने के साथ-साथ, हमारी मूलभूत आवश्यकता और जिम्मेदारी यह है कि हम आम श्रमिक कों न केवल वित्तीय सहारा दें अपितु उसको भावनात्मक रूप से भी सहारा प्रदान करें। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले 23,000 श्रमिकों को अपनी नौकरी खोने का भय है। सरकार के रूप में हमारा दायित्व यह है कि यदि हम और अधिक रोजगार सृजित नहीं कर सकते, तो कम से कम हम निजीकरण के माध्यम से बेरोजगारी तो न बढ़ायें। हमारा मौलिक कर्तव्य यह है कि हम उनकी नौकरियों की रक्षा करें। जैसा कि मैंने कहा है कि

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और सरकार को इसे अपने पास ही रखना चाहिए। इसलिए हम इन दोनों कंपनियों के विनिवेश का विरोध करते हैं।''

अपराह्न 4.03 बजे

(दो) भारत-पाकिस्तान संबंध

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, श्री मणि शंकर अय्यर तथा श्री प्रबोध पण्डा के नाम से भारत-पाक संबंध के बारे में चर्चा स्वीकृत की गयी हैं। श्री मणिशंकर अय्यर ने मुझसे अनुरोध किया है कि उनकी ओर से श्रीमती सोनिया गांधी को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाये। चूंकि मैंने श्री मणिशंकर अय्यर का अनुरोध मान लिया है, इसलिए अब मैं विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी से अनुरोध करता हूं कि वह चर्चा आरम्भ करें।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति हेतु किये जा रहे प्रयास में कांग्रेस पार्टी के सर्मथन दोहराने के लिए खड़ी हुई हूं, लेकिन महोदय, मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के कांग्रेस के दृष्टिकोण को ही अंतत: स्वीकार किया गया है। हम केवल यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में भाजपा-नीति राजग सरकार की नीतियों में स्पष्टता, दृढ़ता और स्थिरता होनी चाहिए। भारत-पाक संबंधों पर सरकार के रवैये में काफी परिवर्तन होता रहा है जिससे गाहे-बगाहे ऐसा आभास हुआ कि सरकार बाहरी दबावों के आगे झुक रही है।

लेकिन इन विसंगतियों के बावजूद हम राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर में सीमापार से आतंकवाद तथा भारत-पाक संबंध जैसे मुद्दों पर सरकार को अपना विस्तृत और सतत समर्थन देते आये हैं।

लेकिन महोदय हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं और देश इस बात पर स्पष्टीकरण चाहता है कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर समय-समय पर प्रधानमंत्री उपप्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री द्वारा असंगत और विरोधाभासी बयान दिये गये। हमें बार-बार यही बताया गया कि जब तक जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद जारी रहता है पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत शुरू नहीं की जायेगी।

यहां मैं प्रधानमंत्री के एक भाषण से एक अंश उद्धृत करना चाहती हूं जो उन्होंने सिक्किम के गंगटोक शहर में 14 अप्रैल को दिया था। इसमें उन्होंने कहा था: ''बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बने इसके लिए सीमा पार से आतंकवाद को रोका जाना जरूरी है।'' यहां पर जिस बात पर बल दिया जा रहा है वह स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने यहां स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पार से आतंकवाद रुकने पर ही पाकिस्तान के साथ वार्ता की जायेगी।

लेकिन इसके बाद 17 अप्रैल को श्रीनगर में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, ''हम एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन दोस्ती का हाथ दोनों और से बढ़ना चाहिए, दोनों देशों के साथ-साथ रहने की बात सोचनी चाहिए।'' जहां तक मैं जानती हूं और जैसा कि हमने श्रीनगर से आने वाली खबरों को देखा-सुना है, उनमें सीमा पार से आतंकवाद का कोई उल्लेख तक नहीं है।

इसके बाद 23 अप्रैल को लोक सभा में दिये गये अपने स्वेच्छया वक्तव्य के अंत में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ''सीमापार से घुसपैठ रुकने और आतंकी ढांचा नष्ट किये जाने से बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं।'' इसको उतने स्पष्ट ढंग से नहीं कहा गया जितना स्पष्ट ढंग से इसे गंगटोक के भाषण में व्यक्त किया गया था। लेकिन कुल मिलाकर इसका भावार्थ यही है। इसलिए, अब हमें क्या यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत सरकार को यह वचन दिया है कि वह सीमा पार से आतंकवाद को शह देना पूरी तरह से बंद कर देगा। क्या हम यह समझें कि पाकिस्तान के साथ वार्ता आरंभ करने की यह पूर्व शर्त है?

महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है इस मामले पर कांग्रेस का दृष्टिकोण सदैव बड़ा ही स्पष्ट और असंदिग्ध रहा है। इसे बार-बार व्यक्त किया गया है। भाजपा ने हम पर बार-बार इस मुद्दे को लेकर हमला भी किया है, विशेषकर तब जब चुनाव होने वाले थे। लेकिन हम सदैव ही अपने सिद्धांतों पर डटे रहे क्योंकि हम यह समझते थे कि ये हमारे देश के हित में हैं। हमने सदैव इस बात को कहा है कि कूटनीति के कपाट और वार्ता के वातायन-आधिकारिक हों या अनाधिकारिक, औपचारिक हों या अनौपचारिक-हमेशा खुले रहने चाहिए और तथा परस्पर चिंता और हित के सभी मुद्दों पर हमें निरंतर सक्रिय रहने चाहिए।

महोदय, भारत और पाकिस्तान के भविष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे बीच सांस्कृतिक संपर्क और ज्यादा धनिष्ठ और जीवंत होने चाहिए। हमारी शैक्षणिक संस्थाओं, क्रिकेट, हाकी तथा दूसरी खेलकूद संस्थाओं के बीच संपर्क बढ़ना चाहिए। राजनीतिक दलों तथा सिविल समाज के बीच संबंध सुदृढ़ होने चाहिए। विभिन्न संगठनों, पर्यटन, आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ना चाहिए। इसके अलावा दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सहयोग होना चाहिए।

[श्रीमती सोनिया गांधी]

कांग्रेस, विगत पांच वर्षों से बार-बार परमाणु बम तथा मिसाइल से संबंधित मुद्दों पर विश्वास पैदा करने वाले ऐसे समझौतों की वकालत करती आयी है जो पारदर्शी और प्रामाणिक हों।

महोदय, जुलाई, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसमें द्विपक्षी संबंधों को मजबूत करने के लिए आवश्यक बातों का प्रावधान है। यदि मुझे अनुमति हो तो मैं कहना चाहूंगी कि शिमला समझौता इंदिरा जी और उनके वरिष्ठ सहयोगियों की दूरदर्शिता का परिचायक है। उस समय, इंदिरा जी ने राष्ट्रपति जिया-उल-हक के समक्ष एक मैत्री-समझौते का प्रस्ताव भी पेश किया था। उसके बाद श्री राजीव गांधी ने 1988 में पाकिस्तान की यात्रा की और तब थोड़े समय के लिए दोनों देशों के बीच आशा की एक किरण दिखाई दी। उस समय दूसरी बातों के साथ-साथ श्री राजीव गांधी और सुश्री बेनजीर भुट्टो ने एक दूसरे के परमाणु केन्द्रों पर हमला न करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। 1990 के दशक के आरंभ में श्री पी.वी. नरसिंहराव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विश्वास पैदा करने वाले समझौतों का एक व्यापक ब्यौरा पाकिस्तान से समक्ष प्रस्तुत किया।

महोदय, हमने फरवरी, 1999 में प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा का समर्थन किया लेकिन हम इस बारे में तत्कालीन विदेश मंत्री की तरह अति आशावादी होने की अपेक्षा जब उन्होंने "भारत पाक संबंधों में ऐतिहासिक क्षण" की बात कही थी काफी यथार्थवादी रहे। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि यह ऐतिहासिक क्षण 'कारगिल युद्ध' के रूप में हमारे सामने आया। स्पष्ट है जब हमारे प्रधानमंत्री का लाहौर में स्वागत हो रहा था, उसी समय कारगिल युद्ध की तैयारियां भी चल रही थीं। लेकिन काफी अंतराल के बाद सरकार ने बिना किसी तैयारी के, बिना किसी धर्मसूची के अचानक आगरा शिखर सम्मेलन का निश्चय कर लिया। इस शिखर सम्मेलन में व्याप्त संभ्रम को देखकर हम सब हतप्रभ हुए हैं। हम अच्छे परिणाम की आशा में थे लेकिन जो परिणाम सामने आये उनसे हम आश्चर्यचकित बिलकुल नहीं हुए।

आगरा शिखर सम्मेलन के बाद, कई बार युद्ध-विराम हुए हैं। हमने तब भी सरकार का समर्थन किया। तत्पश्चात् महोदय हमने देखा है दोनो ओर से तलवारें-भांजी जा रही हैं-वाकयुद्ध अपने चरम पर है। हमारी संसद पर हमला हुआ। जम्मू-कश्मीर में जघन्य हत्यायें की गयीं। इसके बाद, सेनाओं की अपूर्व तैनाती फिर विदेशों से आने वालों का तांता और फिर उसके बाद सेनाओं की वापसी। हम अभी इस दुविधा में हैं कि आपरेशन पराक्रम का उद्देश्य क्या था। वस्तुत: इससे क्या हासिल हुआ?

फिर, अचानक, प्रधानमंत्री जी ने पुन: तीन सप्ताह पूर्व श्रीनगर से शांति की गोटी फेंकी। मुझे विश्वास है कि संसद और देश को यह जानने का अधिकार है कि सरकार ने भारत-पाकिस्तान संबंध जैसे संवेदनशील मामले में इस प्रकार तदर्थवादी रवैया क्यों अपनाया है। प्रधानमंत्री जी के मन में पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर पुन: बहाल करने हेतु क्या समय-सीमा और घटनाक्रम रहा है और किस स्तर पर बातचीत की तैयारी की जा रही है? आगरा की असफलता की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महोदय, अतीत दुखदायी रहा है? वह दुखद रहा है, पीड़ा देने वाला रहा है, लेकिन हमें अपनी यादों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। भविष्य हमें पुकारता है। हमें अपने हितों की रक्षा करने के साथ-साथ एक नई शुरूआत करनी पड़ेगी। जम्मू और कश्मीर के विभाजन का कोई प्रश्न नहीं है। यह पूर्णतया अस्वीकार्य है। कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने का भी कोई प्रश्न नहीं है। यह भी अस्वीकार्य है। हमें यह बात पूर्णतया स्पष्ट करनी है कि हम क्या-क्या स्वीकार नहीं करेंगे। हम केवल तभी आगे बढ़ सकते हैं।

अब मैं प्रधानमंत्री जी को समर्थन का आश्वासन देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री जी को अपनी हाल ही में घोषित भावी सोच पर रा.ज.ग. के सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और क्या उनका रवैया उत्साहजनक है; क्या प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रिमंडल और दल के साथियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है; और सर्वोपरि, क्या प्रधानमंत्री जी को समान वैचारिक संगठनों का समर्थन और सहयोग प्राप्त है?

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिये जो पहल की है, विरोधी दल की नेता ने उसका स्वागत करते हुए अनेक बातें अपने भाषण में कही हैं। हम उनकी बहुत सारी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। मैं समझता हूं कि सारा देश उस प्रस्ताव से पूरी तरह एकमत है जिसे दोनों सदनों ने पारित किया था। उस प्रस्ताव से सारा देश बंधा हुआ है, और ये दोनों सदन बंधे हुये हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसे रिट्रीट करने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर के पार्टीशन का सवाल किसी के मन में आ सकता है, कोई कल्पना भी कर सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि यह अमान्य है। मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक बात कही जा रही है कि वे लाइन आफ कंट्रोल को कभी सीमा नहीं मानेंगे। मैं नहीं जानता कि भारत ने ऐसा कौन सा प्रस्ताव किया है? संसद के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पास किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का एकमात्र हमारा काम है। उससे हम लोग सर्वसम्मति से बंधे हुये हैं। उन बातों को रखकर

यहां कोई प्री-कंडीशन या कोई कल्पना हो सकती है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। सोनिया जी ने प्रारम्भ में कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं इसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर की बात है लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस एन.डी.ए. की सरकार ने एक्सटर्नल प्रेशर में कभी काम नहीं किया है और न करेगी।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) अध्यक्ष जी, मल्होत्रा जी को कुछ काम प्रधान मंत्री जी पर छोड़ देना चाहिये।

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): श्री बिल क्लिंटन ने केन्द्रीय कक्ष में कहा था कि पाकिस्तान में सेना वापस बुलाने के लिए वे ही जिम्मेदार थे।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं। यदि इस पर बहस न की जाये तो अच्छा होगा। जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया, अमरीका ने हमारे देश पर सैंक्शन्स लगाई, दुनिया के दूसरे देशों ने भी ऐसा ही किया। एक समय जब 1993 में इनकी सरकार ने परमाणु परीक्षण करना चाहा, सारी तैयारी पूरी हो गई लेकिन अमरीका की एक घुड़की से वह परीक्षण वापस ले लिया गया। इसलिये हम पर यह इल्जाम न लगाया जाता तो अच्छा होता। एक्सटर्नल प्रेशर की कोई बात की जा रही है या कोई बात है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ईराक पर अमरीका ने हमला किया, पाकिस्तान ने उसकी निन्दा की और जब अमरीका ने ईराक पर कब्जा किया, उसका भी विरोध किया गया। हम लोगों ने बीसियों बार साफ-साफ कहा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान वार्ता में अमरीका का कोई रोल नहीं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अगर अमरीका कोई काम कर सकता है तो वह यह है कि पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वह क्रास बौर्डर टैररिज्म को खत्म करने के लिये कार्यवाही करे। अगर अमरीका दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिये सिनसियर है, वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया से आतंकवाद खत्म करना चाहता है तो उसका प्रारम्भ वहां से हो रहा है। उसे खत्म करने के लिये वह पाकिस्तान पर दबाव डाले तो बात समझ में आ सकती है परन्तु हमारी बातचीत के बीच में आये कि बातचीत की जायेगी, यह हमारे देश को स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कही है कि कांग्रेस पार्टी आल टाइम, आल ईश्युज पर बातचीत करने के हक में है। उन्होंने जो बात कही, उसका अर्थ यह है कि आल टाइम, आल ईश्युज पर बातचीत होती रहनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब भारत की संसद पर हमला हुआ था तो क्या उसके बाद भी बातचीत जारी रखनी चाहिए थी। जब उन्होंने जम्मू-कश्मीर के अंदर...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई): आपने तो आगरा से बातचीत बंद कर रखी थी, फिर कैसे शुरू कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, जब देश पर आक्रमण होता है, जब हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई जाती है, तब यहां इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है और बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं और आपने उनका समर्थन किया था। जब पाकिस्तान के साथ राजदूतावासों का आकार छोटा किया गया था तो आपने उसका समर्थन किया था। आपने उसका भी समर्थन किया था कि बातचीत बंद कर दी जाए। क्रास बार्डर टैररिज्म के प्रश्न पर प्रधान मंत्री जी ने सारे मुस्लिम देशों में समझाने के लिए अनेक दल भेजे थे। उनमें कांग्रेस के अनेक नेता गये थे और उन नेताओं ने यहां आकर जो रिपोर्टें दी हैं, उन रिपोर्टों को आप देखिये। उनमें कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान क्रास बार्डर टैररिज्म बंद नहीं करता, स्ट्रक्चर्स खत्म नहीं करता, तब तक उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। वे देश उस पर दबाव डालें और उन सारे देशों ने इसे स्वीकार किया था। मैं समझता था कि यहां पर जो परिस्थितियां है, उनमें हर समय इसी तरह से कहा जायेगा, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रारम्भ किया था कि इंदिरा जी ने 1982 में ऐसा किया था, श्री राजीव गांधी जी ने 1988 में किया था। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा संघर्ष 1947 से चल रहा है। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। इन्होंने उनका नाम नहीं लिया, मुझे मालूम नहीं, उनका नाम क्यों नहीं लिया। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, उनका नाम क्यों नहीं आया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1947 में...*(व्यवधान)* पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से, 1947 से पाकिस्तान ने अपने जन्म से यह प्रारम्भ किया था। पहले कबाइलियों का हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की सेना पीछे से आ गई और उसके बाद लड़ाई हुई। उसमें एक गलती हो गई कि सीजफायर नहीं किया जाना चाहिए था। यदि सीजफायर न होता तो आज सदन में जो कहा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लो, वह बात पैदा ही नहीं होती। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद 1965 में लड़ाई लड़ी गई, उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधान मंत्री थे।

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

उसके बाद 1971 में लड़ाई हुई। भारत-पाक संबंधों का बिगड़ना 1982 में शुरू नहीं हुआ। 1971 में फिर लड़ाई शुरू हुई और बंगलादेश आजाद हुआ। उस समय हमारे कब्जे में पाकिस्तान के 91 हजार सैनिक थे। उसके बाद शिमला समझौता हुआ। हमने शिमला समझौते का विरोध किया था। हमने कहा था कि जो कुछ हमने पाया है, उसे इस तरह से न छोड़ा जाए। परंतु उस समझौते से हम बंधे हुए थे, इसलिए हमने कहा कि जो भी समझौता किया, चाहे गलत किया या सही किया, उसके मुताबिक पाकिस्तान कार्रवाई करे।

अध्यक्ष महोदय, जब पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है तो हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को दो-तीन बातों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनके मन में यह है, जिस तरह से उन्होंने देखा कि चारों युद्ध में वे हार गये, कोई युद्ध वे जीत नहीं सके, 1999 में भी वे हार गये, अगर वे कहें कि भारत के साथ हम युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए प्रच्छन्न युद्ध करें, प्राक्सी वार करें, जिसके आज हम शिकार हैं, हमारे देश के लगभग 60 हजार लोग इस युद्ध में मारे गये हैं, यदि इस युद्ध को पाकिस्तान जारी रखना चाहे, तो उसे यह काम बंद करना चाहिए। उसे यह काम बंद करना होगा, अन्यथा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कैसे हो सकती है।

हम भी चाहेंगे और दुनिया में कौन नहीं चाहेगा कि जो रूपया हम अपने देश की डिफैंस पर खर्च कर रहे हैं, वह रूपया देश के विकास पर खर्च हो, सड़कों, पानी, बिजली, शिक्षा और अन्य चीजों पर खर्च हो। लेकिन अगर हमारी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए, देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए तो इसका विचार करना आवश्यक होता है मैं फिर कहना चाहता हूं कि जैसा बार-बार कहा गया है और उन्होंने भी इस बात को दोहराने की कोशिश की थी कि प्रधान मंत्री जी, उप-प्रधान मंत्री जी और श्री यशवंत सिन्हा ये क्या अलग-अलग भाषाओं में बोल रहे हैं। मैंने श्री मणिशंकर अय्यर जी का एक लेख देखा, उसमें भी इस बात को कहने की कोशिश की गई। उनकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत तीखा लिखते हैं, भले ही उसमें सार हो या न हो, परंतु भाषा अच्छी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें उन्होंने यशवंत सिन्हा जी की आलोचना की और पाकिस्तान के खुर्शीद कसूरी साहब की प्रशंसा की है।

[अनुवाद]

वह लिखते हैं:

''मैं 20 वर्ष की आयु से खुर्शीद को जानता हूं। हमने 42 वर्ष पूर्व एक ही महाविद्यालय कैम्ब्रिज कालेज में दाखिला लिया था। वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे अपने वचन के पक्के हैं। आइये, भगवान के लिए, शांति को एक अवसर दें।''

[हिन्दी]

यशवंत सिन्हा जी के बारे में वे कहते हैं कि इन्होंने प्री-एम्पटिव स्ट्राइक की बात कैसे की। अध्यक्ष महोदय, सिन्हा जी ने जो बात कही, और जिस संदर्भ में कही, उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि अमेरिका ने इराक पर तीन कारणों से हमला किया-एक इस बात पर किया कि वहां डिक्टेटरशिप है, दूसरा कहा कि वहां मास डिस्ट्रक्शन के वैपन्स हैं और कहा कि इराक आतंकवाद फैला रहा है। यशवंत सिन्हा जी ने यह बात कही कि ये तीनों कारण पाकिस्तान पर पूरी तरह से लागू होते हैं। क्या कोई कह सकता है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि पाकिस्तान में मास डैस्ट्रक्शन के वैपन्स नहीं हैं? क्या उन्होंने आतंकवाद नहीं फैला रखा है? अगर इन कारणों से अमेरिका के इराक पर हमला करने को लोग जस्टिफाइ कर रहे हैं तो उन्होंने क्या गलती की यह कहकर कि भारत का पाकिस्तान पर हमला करना भी जायज है?

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): हमला जल्दी करो, बातें मत करो।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, अब पाकिस्तान ने कुछ बातों की घोषणा की है। हमारी पार्टी का और हमारा विचार यह है कि ये घोषणाएं पाकिस्तान ने बहुत बार कीं हैं। उनकी जो कथनी है, उसको करनी में परिवर्तित करना उनके लिए बहुत जरूरी है। अभी यह बात पूछी गई है कि क्रास बार्डर टैररिज्म को रोकना और टैररिज्म के इन्फ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना भी प्री-कंडीशन्स हैं या नहीं हैं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि जब तक ये नहीं होंगी, बातचीत के लिए अच्छा वातावरण नहीं बन सकता। दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। हम लाहौर गए थे, मैं भी प्रधान मंत्री जी के साथ गया था। मैं लाहौर में ही पैदा हुआ, मैं अपना घर भी देखने गया था। वहां जो स्थिति है, वह मैं जानता हूं परंतु वहां उस समय ऊधमपुर में 35 आदमी मार दिये गये। हम लाहौर में थे और ऊधमपुर में 35 आदमियों की हत्या हो गई। उन्होंने ठीक कहा कि उस समय कारगिल का तरीका अपनाया जा रहा था। पाकिस्तान को अपनी इन चीजों को भूलना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो पहले दिन से नारा बना कि 'हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान,' इस मनोवृत्ति को खत्म करना चाहिए। इसको भूलेंगे, तब बातचीत शुरू होगी। आतंकवाद का उन्होंने बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आज आई.एस.आई. के कितने अड्डे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह रहे थे कि बंगलादेश से आपरेट किया जा रहा है और 35 आदमी त्रिपुरा में मार डाले गए। त्रिपुरा में हत्याएं हो रही हैं, आई.एन.आई. के जो बंगलादेश में अड्डे बने हुए हैं उससे नार्थ ईस्ट जलता रहे और

कश्मीर में ऐसे हालात बने रहें, मंदिरों पर हमला होता रहे और कश्मीर के रेडियो स्टेशन पर हमला हो जाए।...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): आई.एस.आई. के 125 लोग बंगाल की जेल में हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण पहल की है। हम समझते हैं कि यह पहल होने के बाद पाकिस्तान को इसका सार्थक जवाब देना चाहिए। हम शांति के पक्ष में हैं। पाकिस्तान का बार-बार कहना है कि वो पैक्ट कर लो। नो वार पैक्ट शिमला समझौते में लिखा हुआ है। लाहौर डिक्लेयरेशन में नो वार पैक्ट लिखा हुआ है। अगर इस समय कुछ जरूरी है तो वह नो प्राक्सी वार पैक्ट होना चाहिए। कोई प्राक्सी वार नहीं करेंगे, वे इसकी घोषणा करें। कल वहां के प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, हम कम से कम उससे संतुष्ट नहीं हैं। वह पर्याप्त नहीं है। यहां पर व्यापारिक समझौता हुआ काठमांडू का, उसके बारे में कोई शब्द नहीं है। काठमांडू में किया, डब्लू.टी.ओ. में किया। उनके यहां से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग यहां आते हैं-गाने वाले आते हैं, और लोग आते हैं। यहां पर उनके लिए सब कुछ खुला है, लेकिन वे भारत से किसी को नहीं आने देते।

महोदय, वे भारत से किसी को नहीं आने देते। उनकी मैगजीन भारत में आना अलाउड हैं, लेकिन भारत की मैगजीन पाकिस्तान नहीं जा सकतीं। इस प्रकार से एकतरफा काम नहीं चल सकता है। जब प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैत्री के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अकेले अपनी तरफ से दोस्ती करें। इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास होने जरूरी हैं।

महोदय, सोनिया गांधी जी ने ठीक कहा कि केवल घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। अत: इन घोषणाओं के साथ-साथ दोस्ती हेतु जमीन तैयार करने का प्रयास किया जाना जरूरी है। उन्होंने कह दिया कि क्रिकेट और हाकी के मैच हेतु दोनों देशों के खिलाड़ियों को एक दूसरे के देश में जाने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन यह कहना बहुत आसान है। इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। हाकी और क्रिकेट के खेल हमने बहुत खेले हैं। मैं तो विशेष रूप से खेलों से जुड़ा रहा हूं, लेकिन यह सुपरफ्लुअस बात है। इसके लिए हमें पहले जमीन तैयार करनी चाहिए।

महोदय, वहां की जनता भारत के साथ मैत्री चाहती है। हम जब उनसे मिलते हैं, तो वे भी बहुत दोस्ती के साथ पेश आते हैं, परन्तु इसके पीछे उनकी जो भारत-विरोधी घृणा की भावना है, उसे उन्हें अपने मन से निकालना होगा और दोनों ओर से शांति के रास्ते पर चलते हुए अपने-अपने देश का विकास करने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी ने जो पहल की है, वह स्वागत योग्य है। इसमें किन्तु, परन्तु न लगाते हुए प्रधान मंत्री जी की पहल का पाकिस्तान की ओर से सार्थक उत्तर आना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बातचीत शुरू हो जाए या कल शुरू हो जाए।

महोदय, मैं समझता हूं कि जल्दीबाजी में कठिनाइयां पैदा होंगी। मुझे मालूम है, मैंने कांग्रेस के नेता श्री प्रणव मुखर्जी के बयान उस समय अखबारों में पढ़े थे, जिनमें उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब को आगरा शिखर वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाते, जल्दी बुलाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, डिक्टेटरशिप की बात शुरू नहीं करनी चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आगरा शिखर वार्ता सफल नहीं हुई, तो उन्होंने ही अखबारों में कहा कि क्यों बुलाया, कोई तैयारी क्यों नहीं की। इस प्रकार से दोनों तरफ से आक्रमण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री जी की पहल का स्वागत करते हुए, इस हेतु उन्हें पूरा का पूरा समर्थन देना चाहिए। यदि सभी लोग चाहें, तो मैं समझता हूं कि कोई सार्थक बातचीत हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू और कश्मीर की एक बैठक में 8 अप्रैल को दिए गए भाषण और उस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के त्वरित अनुकूल रवैये से भारत-पाक संबंधों में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

विश्वभर में, इस देश में, पाकिस्तान में और पूरे उप-महाद्वीप में शांतिप्रिय लोग सकारात्मक परिणामों के प्रति आशान्वित हैं; भारी आशा और उम्मीदें पैदा हुई हैं।

मेरे दल ने इस पहल का स्वागत किया है; लेकिन इस पहल का स्वागत करते समय उस बात को पुन: दोहराया है कि हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए; जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतया स्पष्ट किया है कि पर्याप्त और समुचित तैयारियां की जानी चाहिएं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इनका समुचित प्रत्युत्तर देना चाहिए। समुचित तैयारियां किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि आगरा सम्मेलन के परिणाम न दोहराए जाएं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे और सीमा-पार से आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा पहले ही उन 8 द्विपक्षीय मुद्दों का खुलासा कर चुके हैं जो आगरा सम्मेलन के समय से ही लंबित हैं और उन्हें उस समय भी उठाया गया था। सदन के सभी पक्षों ने सीमा-पार से जारी आतंकवाद की निंदा की है। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

[श्री रूपचन्द पाल]

इसमें पाकिस्तान सरकार की भी भूमिका है। उन्हें दुनिया को यह दिखाना चाहिए कि वे इसे रोकने आतंकवाद के आधारभूत ढांचे का विघटन करने, जो कि सीमा-पार से आतंकवादियों की घुसपैठ और अन्य सब बातों के लिए जिम्मेदार है, के प्रति गंभीर है। लेकिन हम अब भी यह सोचते हैं कि सीमा-पार से आतंकवाद की निंदा करते हुए, हमें बिना किसी शर्त के बातचीत आरंभ करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा जिन आठ द्विपक्षीय मुद्दों को उठाया गया है उनमें एक व्यापार से संबंधित है। मैं केवल उस बात का उल्लेख कर रहा हूं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री के.सी. पंत को अप्रैल, 2000 में अपने इस्लामाबाद दौरे के समय कहनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि सार्क देशों के बीच व्यापार की मात्रा कुल व्यापार की पांच प्रतिशत से भी कम है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने शेष संभावनाओं के दोहन पर जोर दिया था।

जब विश्व में गुट बन रहे हैं, यहां तक कि यूरोप के देश भी, जो सैकड़ों सालों तक आपस में युद्धरत रहे, निकट आए हैं और उन्होंने यूरोपीय संघ बनाया है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि अब से कुछ वर्ष पश्चात हम, दृष्टि 2020, दक्षिण एशिया क्षेत्र की परिकल्पना कर सकते हैं। यदि वह होता है तो इसका स्वागत है। लेकिन, कम से कम इस उप-महाद्वीप के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशों भारत और पाकिस्तान, जो कि दक्षेस के सदस्य है, के द्विपक्षीय संबंध बेहतर होने चाहिएं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। आप हमारी आर्थिक स्थिति जानते ही हैं। कैसे हमारे उद्योग मंदी की चपेट में हैं, कृषि क्षेत्र में गतिरोध आ गया है और इस इन सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम दोनों देशों को रक्षा पर भारी राशि व्यय करनी पड़ती है। व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खेलों का भी स्वागत है और ऐसा किया जा सकता है। लोगों का आपस में मेल मिलाप होना अधिक महत्वपूर्ण है।

आज पाकिस्तानी संसद के सदस्य भारत के दौरे पर हैं। वे महत्वपूर्ण दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। यह आश्वासन दिया गया है कि जो भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जा सकता है और हमारे बीच रेल, सड़क और वायु सम्पर्क पुन: बहाल हो सकते हैं। भारत सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि वहां शीघ्र ही एक बहुत विख्यात कूटनीतिज्ञ को नियुक्त किया जाएगा, इससे यह पता लगता है कि भारत कूटनीतिक संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाने के प्रति कितना गंभीर है। विश्वास बनाने के उपायों को जारी रखने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसमें न केवल तैयारी किए जाने, अपितु बहुत सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है क्योंकि वहां पाकिस्तानी सेना या आई.एस.आई. में ऐसे स्वार्थी समूह हो सकते हैं जो पूर्व की उन कार्यवाहियों में सम्मिलित रहे हों। कल ही जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ है? लगभग 20 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास भी हो सकते हैं क्योंकि ऐसे कुछ स्वार्थी तत्व हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रतापूर्ण तथा अच्छे पड़ोसी के संबंध नहीं होने देना चाहते।

मैं 30 अप्रैल के 'द एशियन एज' में दिए गए एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें क्या लिखा है? आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित समाचार पत्र, 'खबरें', जो कि एक बहुत विश्वसनीय समाचार पत्र है, जो कि आई.एस.आई. का मुखपत्र है में सोमवार को यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि संयुक्त राज्य अमरीका कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत रखे जाने के लिए उत्सुक था। आप इसे इराक युद्ध के समय कोलिन पावेल द्वारा दिए गए वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं। उनका कहना है कि उनके देश की कार्य सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जम्मू और कश्मीर है और यह बात 'द न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित हुई थी और बहुत फैली थी। आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित इस समाचार पत्र में यह कहा गया है भारत और पाकिस्तान को उनके परमाणु हथियारों और कार्यक्रमों से रहित करके परमाणु मुक्त क्षेत्र स्थापित करना ही अंतिम उद्देश्य है। इससे पहले इस समाचार पत्र में यह दावा किया गया था कि दोनों देशों में नियंत्रण रेखा से अपनी-अपनी सेनाएं चरणबद्ध तरीके से वापस हटाने और वहां केवल प्रतिकात्मक रूप में थोड़ी सी सेना रखने के लिए कहा जाएगा। आई.एस.आई. के इस स्कंध के अनुसार इसके बाद नियंत्रण रेखा के दोनों ओर रह रहे कश्मीरियों से पूर्ण स्वतंत्रता या भारत व पाकिस्तान में से किसी के साथ रहने के लिए कहा जाएगा। यह हाल ही में छापा है। 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के भाषण में मित्रता का हाथ बढ़ाया गया है और 30 अप्रैल को आई.एस.आई. के सर्वाधिक विश्वसनीय मुख्यपत्र में यह प्रकाशित हुआ है।

अब, आज श्री रिचर्ड आर्मिटिज दौरा कर रहे हैं और वे यहां भी आएंगे। मैं नहीं जानता कि हमारे सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्र और श्री रिचर्ड आर्मिटिज के बीच क्या बातचीत हुई है। कुछ दिन पहले ही उनकी लंदन में एक बैठक हुई थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमरीका क्यों जा रहे हैं। अभी वे श्री रिचर्ड आर्मिटिज से मिलकर अमरीका का दौरा कर रहे हैं।

अब, आज 'द एशियन एज' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। प्रधानमंत्री जी चाहें तो वे इससे इंकार कर सकते हैं। यह भारत सरकार पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और बातचीत शुरू करने के लिए अमरीका दबाव के बारे में है। अन्यथा बहुत से लोग पूर्णतया भ्रमित थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सप्ताह

पूर्व, विदेश मंत्री एक भाषा बोल रहे थे और रा.ज.ग. के संयोजक और रक्षा मंत्री एक बहुत उद्धृत राष्ट्रवादी की भाषा में बात कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद, बात पूर्णतया विपरीत दिशा में धूम जाती है। समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री जी का कहना है:

"सरकार के पास मंत्रिमंडल में अभी भी उनका विरोध है, वह अपने साथियों को स्पष्ट कर रहे हैं कि यह विकल्प थे कि स्वेच्छा से शांति प्रक्रिया प्रारम्भ करे या अमेरिकीयों द्वारा प्रत्यक्ष वक्तव्यों और दबाव के माध्यम से संदेश भेजने का इंतजार करे।"

यदि प्रधानमंत्री चाहे तो इससे इंकार कर सकते हैं। यह कल की कैबिनेट की बैठक के बारे में है, कैबिनेट में मतभेद है और माननीय प्रधानमंत्री उन्हें मनाने का प्रयास किया। अमेरिका की योजना सर्वविदित है। ऐसा नहीं है कि उसकी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल जी आपका समय समाप्त हो गया है। हमारे पास समय की कमी है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। साम्राज्यवादी पहलू को ध्यान में रखना है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पर्याप्त और उचित तैयारी के लिए दो माह की समय सीमा के बारे में कहा था कि यह संभव है? सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्या इसे वर्षों में नहीं होना चाहिए? यह दो माह की समय सीमा में ही होना चाहिए।

जब हम दोनों सरकारों के धीमी गति से बढ़ने के प्रयासों का समर्थन कर रहे है, तब यह स्वागत योग्य कदम है कि पाकिस्तान ने विशेषकर बताया है कि वे जम्मू और कश्मीर सहित संयुक्त वार्ता में रुचि रखते है। यह मात्र सरकार का हिम्मत नहीं है वरन् 4 मई की सर्वदलीय बैठक नें भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का समर्थन किया था। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने चर्चा का सफल अन्त करने के लिए कोई एजेंडा या समय सीमा निर्धारित की है। परन्तु इसे जारी रखने में दिक्कत यह है कि इस पर दबाव होंगे। विगत पांच दशकों से अमेरिका इसके समाधान का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। उस समय में जब भी यह विषय उठाया जाता था तो सोवियत रूप सामने आ जाता था। अब एक ध्रुवीय विश्व है और वे छोटे-छोटे मुद्दों पर धमकी दे रहे हैं। इसलिए, उनकी रणनीति को समझना होगा। इस प्रक्रिया को जल्दी पटरी से उतारने के प्रयास हो सकते हैं परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक बड़ा राष्ट्र और लोकतंत्र होने के कारण मुख्य जिम्मेवार हमारी है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सफलतापूर्ण एक ऐसे निष्कर्ष पर आने में समर्थ हों कि भारत उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव में असफल न हो। परन्तु सावधानी यह रखनी है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के मध्य किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्था न हो।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री मीर जफरूल्ला खां जमाली ने कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फोन करके चर्चा का सिलसिला शुरू किया। इस चर्चा से हम थोड़े से आशंकित हैं। जब पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मिया मुशर्रफ यहां आए थे, आगरा तक आए और बाद में आपस में बातचीत करके चले गए। उसके बाद भी हिन्दुस्तान में कई बार आतंकवादी घटनाएं हुई। वहां जमाली साहब की क्या हैसियत है? वे बहुत छोटे आदमी हैं जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितने बड़े हैं, हिन्दुस्तान भी कितना बड़ा है। हम नहीं चाहते कि आदरणीय जी उनसे बात करें, हमारे विदेश मंत्री जी बात करें और बाकी मंत्री बात करें। हम मुशर्रफ के बारे में आशंकित इसलिए हैं क्योंकि आज वे अगर इधर बोलेंगे तो क्या उसके बाद सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को कुछ कम करेंगे। पाकिस्तान के आई.एस.आई. एजेंट हिन्दुस्तान में घूम रहे हैं। मुम्बई में जो बम विस्फोट हुआ, उसे हम छोटा नहीं करेंगे। भगवान की कृपा है कि उसमें केवल दो आदमी मरे और 27 घायल हुए थे। उनका ट्रेनर पी.एच.डी. पढ़ा हुआ था। संसद पर जो हमला हुआ, उस हमले की कल्पना जिसने रची थी, वह भी पी.एच.डी. पढ़ा हुआ था। सारे हिन्दुस्तान में उनके इतने सारे एजेंट घूम रहे हैं। उनके पास अलग-अलग देशों की करेंसी होती है। हिन्दुस्तान की करेंसी भी उनके पास से मिली है। वे हिन्दुस्तान की गलत करेंसी छपवाकर उसे फाइनैंशियली डिनौमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। हमने एक बार टी.वी. में देखा कि पाकिस्तान औकूपाइड कश्मीर, जो हमारे हिन्दुस्तान का हिस्सा है, हम सब अखंड हिन्दुस्तान के प्रणेता हैं, सावरकर ने भी कहा था कि असल में सारा हिन्दुस्तान होना चाहिए लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस के राज में हिन्दुस्तान का थोड़ा हिस्सा चीन ने और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने औकूपाई कर लिया। वहां सारे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है जो आज भी चालू है।

मैंने आज का न्यूजपेपर देखा। आज यहां चर्चा होने वाली थी। आज आतंकवादियों ने किसी को नहीं मारा, कल-परसों तक मारा और इस तरह दस सालों में 35,000 लोग मर गए। दस सालों में 56,259 आतंकवाद की घटनाएं हुईं। अभी मुम्बई की पुलिस ने उनकी बहुत बड़ी साजिश को ढूंढ निकाला है। ठाणे के पास मुम्बरा, में परांजपे जी के चुनाव क्षेत्र, में उन्होंने साइनाइट के वैपन्स बनाने के पूरी लैब बनाई थी। पूरे महाराष्ट्र के जितने भी वी.आई. पीज हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, सबकी उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और पूरे हिन्दुस्तान में अराजकता फैलानी की उनकी प्लानिंग चल रही थी।

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक वी.सी.डी. कैसेट निकाली है जिसमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान से जेहाद करो। वी.सी.डी. निकालने के बाद मुम्बई में बम विस्फोट हुआ। उस समय आपने गृह मंत्रालय को इसकी जांच करने का आदेश दिया। उसके बाद हमारे गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से उस अभियुक्त को महाराष्ट्र में मेरे संसदीय क्षेत्र में पकड़ा था।

आज भी उनकी गतिविधियां चालू रहने के बावजूद, हम मुशर्रफ और उनके प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां की संसद के जो लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उन पर हम कब तक विश्वास रखेंगे, वे विश्वासपात्र लोग नहीं हैं। मैं कहूंगा कि उन पर हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आज तक कई हमारे धार्मिक मंदिरों तथा कई अन्य जगहों पर हमले किए। कुछ समय पहले अक्षरधाम मंदिर और दूसरे मंदिरों में ही उन्होंने हमले किए। इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान की सभागृह लोक सभा में भी 13 दिसम्बर को उनके द्वारा हमला किया गया। उससे पहले कश्मीर विधान सभा में भी हमले किए गए। शिवसेना का कहना है कि उनके साथ क्या चर्चा करें, उनकी गोली का उत्तर गोली से देना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे हमेशा कहते हैं कि उन पर कोई भरोसा न करें। आज हम उनके साथ बात करेंगे लेकिन कल पता नहीं कहां हमला हो जाए क्योंकि पूरे देश में आई.एस.आई. के एजेंट घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार कोशिश की कि युद्ध न हो। हमारी फौज आठ महीने बार्डर पर रही लेकिन आज भी सीमा पर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। रमजान के महीने में धार्मिकता के दृष्टिकोण से देश में कोई खतरा न हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भूमिका रखी थी कि रमजान में सीजफायर होना चाहिए, लेकिन उस समय भी हमारे यहां हमले हुए, कई जगह हमले हुए।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। उन्होंने इतने बड़े देश पर हमला किया। आज मुलुन्द में बम विस्फोट हुआ। 11 सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सैंटर पर हमला हुआ, जो लादेन ने करवाया था। वहां से भाग कर वह आज भी पाकिस्तान के आस-पास छिपा हुआ है। महाराष्ट्र में जो स्मगलर्स हैं, जिन्हें फाइनैंशियल सपोर्ट करने वाले आतंकवादी कहा जा सकता है, दाऊद जैसे लोग भी वहां छिपे हुए हैं। अमरीका के बारे में हमारी भूमिका थी कि उसे इराक पर हमला नहीं करना चाहिए, वह उसे कैपचर करना चाहता है। पाकिस्तान के हमला करने पर भी अमरीका ने सहानुभूति जताई थी, इसलिए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

कई पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व प्रधान मंत्री ने संबंध सुधारने के प्रयास किए लेकिन वे इसके लायक नहीं हैं। हम कहते हैं कि उनके साथ चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। 13 दिसम्बर को जब संसद पर हमला किया गया था, तब सब लोगों का कहना था कि हमें भी वहां हमला करना चाहिए, देश की सारी जनता प्रधान मंत्री जी के साथ है। इसलिए हम कहते हैं कि उनके साथ बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है और वे जैसा व्यवहार करते हैं, उनको वैसा ही उत्तर देना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते हों, हमारी राय में पूरे देश की जनता यही चाहती है और पाकिस्तान की जनता भी यही चाहती है, लेकिन मुश्किल सरकार में बैठे हुए लोगों की जाती है। अगर इसके लिए अच्छा माहौल बनाया जो, रिश्ते अच्छे हों तो समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है। प्रधान मंत्री जी का जो प्रयास है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोई सार्थक नतीजा निकले, यह बहुत जरूरी है। लेकिन हमने शुरू में कहा कि कुर्सी पर बैठे हुए लोग अपने स्वार्थ को पहले देखते हैं चाहे पाकिस्तान हो या हिन्दुस्तान हो दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है और अन्ततोगत्वा दोनों की दोस्ती के अलावा कोई दूसरा, विकल्प नहीं है। लेकिन दूसरी बात संक्षेप में हम यह कहेंगे कि इन अच्छे संबंधों को बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। सांस्कृतिक स्तर पर तथा खेलों के माध्यम से उसकी शुरूआत की जा सकती है। पाकिस्तान के कलाकार भारत आएं और भारत के पाकिस्तान जाए।

यद्यपि हम क्रिकेट खेल के बहुत विरोधी हैं क्योंकि यह गुलाम देशों का खेल है लेकिन अगर इससे अच्छे संबंध हो सकते हैं तो दोनों देशों के बीच पुन: क्रिकेट खेलों को प्रारम्भ किया जाए। दो साल पहले हमने राय दी थी कुछ आपके साथी जो आपके साथ सरकार में हैं, उन्होंने हमारा विरोध किया था। हमने कहा था कि दोनों देशों की एक टीम बनाई जाए. अगर प्रधानमंत्री जी यह प्रयास करते कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की क्रिकेट की टीम एक हो तो दुनिया की कोई भी टीम उस टीम से नहीं जीत सकती। इससे बातचीत और दोस्ती की एक मजबूत नींव खड़ी होगी। हिन्दुस्तान के कलाकार पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान के कलाकार हिन्दुस्तान आएं और उनके बीच प्रगाढ़ संबंध सांस्कृतिक आधार पर आरंभ हों तो इससे एकता और दोस्ती की एक मजबूत नींव तैयार हो सकती है।...*(व्यवधान)* यह माहौल प्रारम्भ हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खैरे जी, सुनिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: जैसा अखबारों के माध्यम से प्रचार हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली साहब के बीच वार्ता होने जा रही है तो इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। प्रधान मंत्री अटल बिहारी

वाजपेयी इस संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, देश की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली साहब केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ के प्रति उत्तरदायी हैं। आपका और जमाली साहब का कोई मुकाबला नहीं है। कोई समानता नहीं है। इस बात का कोई सार्थक नतीजा निकलने वाला नहीं है। अगर वास्तव में कोई सार्थक बात करनी है तो अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ के बीच बात होनी चाहिए तब तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं तो नहीं निकलेगा। ...*(व्यवधान)* कुर्सी बचाने की दोनों की राजनीति हो रही है तो वह अलग बात है। मुशर्रफ की कुर्सी को खतरा है और अटल जी की कुर्सी को खतरा है और उस कुर्सी को बचाने के लिए बातचीत शुरू कर दो, अगर यह नहीं है तो अटल जी और मुशर्रफ के बीच बात होनी चाहिए। जमाली साहब और अटल जी के बीच बातचीत का क्या मतलब है? जमाली साहब आपके सामने क्या हैं? अटल जी और उनमें क्या समानता है? अटल जी और उनमें क्या मुकाबला है? विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी को भेज दीजिए, तो शायद उनका मुकाबला हो सकता है, यही सही है। शुरूआत में ही आप पाकिस्तान को जिता रहे हैं। जितनी बार बातचीत हुई है, हमेशा हिन्दुस्तान ने बातचीत की शुरूआत की है।

अपराह्न 5.00 बजे

पाकिस्तान ने हमेशा युद्ध थोपा है। बातचीत की शुरूआत हमेशा हिन्दुस्तान ने की है, जबकि युद्ध हमेशा हिन्दुस्तान जीता है। जब भी बातचीत हुई है, पाकिस्तान जीता है और हिन्दुस्तान हारा है। अब हम आपको सावधान करना चाहते हैं। बातचीत हो, दोस्ती हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, यह भी हम स्वीकार करते हैं। इसका तरीका एक ही है कि दोनों देशों का एक महासंघ बनाया जाए, भले ही ढीला-ढाला बने। दोनों देशों की जनता के बीच महासंघ के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। हम तो यहां तक चाहते हैं कि श्रीलंका बंगलादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान सभी से अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे तथा प्रयास करने चाहिए तथा पाकिस्तान हिन्दुस्तान बंगलादेश का महासंघ बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा माहौल बनाना चाहिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: लोहिया जी ने भी कहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव: लोहिया जी ने अखंड भारत नहीं कहा, उन्होंने महासंघ की बात की थी। भले ही महासंघ ढीला-ढाला बने, किसी भी देश की प्रभुसत्ता पर असर न पड़े, किसी की सावर्नेटी पर असर न पड़े। यह खतरा न तो पाकिस्तान की जनता को हो और न ही बंगलादेश की जनता को हो। पाकिस्तान और बंगलादेश की जनता को यह समझाया जाए, भारत की जनता तो समझ रही है। जब तक सरहदें खत्म नहीं होंगी, तब तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों का कोई सार्थक परिणाम निकलने वाला नहीं है। यह कोशिश करनी चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी, आपने एक बात कही, उससे मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हो रहा है। आपने कहा कि मेरे जीवन की यह अंतिम और आखिरी बात होगी। यह आपने क्यों कहा? यह कहते कि हम जीवन भर प्रयास करते रहेंगे, तो बड़ी खुशी की बात होती। उनका यह बयान निराशा और कमजोरी का प्रतीक है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधान मंत्री अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी मजबूरी से बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, या मजबूरी झलकती है। क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है, क्या दबाव है? आपको कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की जनता के हितों के लिए, दोनों देशों की दोस्ती के लिए जीवन भर काम करेंगे। लेकिन आपने कहा कि हमारी आखिरी बात होगी। इसमें आप उत्तर देते समय अभी संशोधन कर लें, तो अच्छा रहेगा। आप प्रयास करिए, हम सब लोग आपको पूरा समर्थन देंगे। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती कराकर आप आएं, लेकिन हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा करते हुए। हम आखिर में बताएंगे कि हमारी क्या आशंका है। भारत के स्वाभिमान के खिलाफ किसी प्रकार का समझौता हमें स्वीकार नहीं होगा। अपने देश के हितों को बचाते हुए हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती के लिए समस्त विपक्ष आपको समर्थन देगा। लेकिन अखंड भारत को आप छोड़ दें। हम जब कहते थे कि महासंघ बने, तो आप नाराज होते थे। आपके गृह मंत्री आडवाणी जी, जो आज उप प्रधान मंत्री भी हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में भारत महासंघ की बात कही थी। मुझे इस बात से खुशी हुई कि चलिए देर-सवेर आप हमारे रास्ते पर तो आए, समाजवादियों के रास्ते पर आए। डा. लोहिया से लेकर अभी तक हम सभी समाजवादी महासंघ की बात करते रहे हैं। अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन महासंघ अवश्य बनेगा, इसको रोका नहीं जा सकता। जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं, तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान और बंगलादेश भी एक हो सकते हैं। हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है, अगर ईमानदारी से इस पर प्रयास हो।

एक विदेशी ने दोनों देशों का बंटवारा किया, अगर कोई दूसरा विदेशी जिसकी नीयत सही हो, दबाव न दे, दखल अंदाज न करे तथा भारत के हितों के खिलाफ न हो, तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। इसमें हम कोई दकियानूसी बात नहीं करेंगे कि फलां-फलां देश का दबाव है, दखलअंदाजी है और वह ऐसा कर रहा है। एक विदेशी ने हमारे देश के दो टुकड़े किए और दूसरा विदेशी उनको फिर से एक करा दे, तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। इसलिए हम इससे सहमत हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी यह काम कर दे और मजबूत दोस्ती हो, तीसरे पक्ष की कोई दखलअंदाजी न हो, तो इससे बेहतर रास्ता और कोई

[श्री मुलायम सिंह यादव]

नहीं हो सकता। हम आप पर तीसरे देश का दबाव बर्खास्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें आशंका है जब यह दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के मुठीभर कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को उन पर लगाम लगानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर भी मुठीभर कट्टरपंथी यहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तानी मिलेगा। इसलिए इन कट्टरपंथियों पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण-दिल्ली): कहां पहुंच गए?

श्री मुलायम सिंह यादव: सही कह रहा हूं दोनों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर दोनों देशों में दोस्ती चाहते हो तो मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान के कट्टरपंथियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को भारत के मुट्ठीभर कट्टरपंथियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। मुट्ठी भर कट्टरपंथी जो त्रिशुल लिये घूम रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने की खुलेआम घोषणा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का नामोनिशान मिटा देंगे-ऐसे लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या आप कह सकते हो कि हम पाकिस्तान का नामोनिशान मिटा देंगे।...*(व्यवधान)* लाठी तो बुढ़ापे का सहारा है, लाठी जरूर है, भगवान न करे कि आपको अभी से लाठी लेनी पड़े।...*(व्यवधान)* तलवार तो हम क्षत्रियों का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करती है। यहां पर कोई भी दल ऐसा नहीं है जो दोनों देशों की दोस्ती का समर्थक न हो। आप पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे तो हम पूरा साथ देंगे। सबकी यही राय है। आप दोस्ती कीजिए। इसलिए निराश मत होइये कि यह हमारे जीवन की आखिरी बातचीत होगी। आज के भाषण में इसमें जरूर आप संशोधन कर लीजिए तो हमें खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया है, अब समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, मैंने आपके निर्देशों का हमेशा पालन किया है, मैं एक अनुशासित सदस्य हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: इसलिए हम चाहते हैं कि अंकुश दोनों तरफ से लगे। मुझे पुरानी बातें नहीं कहनी हैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप वहां जाइये, हमारी शुभकामनाएं हैं लेकिन वहां कुछ ऐसा करिये कि वापस कुछ लेकर आइये, गवांकर मत आइये। कहीं कश्मीर देकर मत चले आना।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय मेरी पार्टी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई इस पहल का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह मात्र तेलगू देशम पार्टी ही नहीं वरन् समूचा राष्ट्र सभी राजनीतिक दल, इस उपमहाद्वीप सहित विश्व के कई शांतिप्रिय देश प्रधानमंत्री की इस पहल की प्रशंसा कर रहे है। इनमें श्री जमाली भी शामिल हैं।

भारत की दो मूलभूत नीतियां है-पहल-किसी तीसरे दल की मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए और दूसरी सीमापार आतंकवाद को रोका जाना चाहिए। स्वतंत्रता के समय से पंडित जवाहर लाल नेहरू से वर्तमान श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक हमें पाकिस्तान के साथ हमने कई अनुभव किये है। उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हमें दृढ़ता से काम लेना होगा। और सौहार्दपूर्ण माहौल हमें अच्छी तैयारियों करनी होंगी और निर्णय करना होगा कि यह वार्ता किस स्तर पर शुरू करनी चाहिए।

अब, जमाली महोदय की क्या स्थिति है? चाहे वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों परन्तु राष्ट्रपति मुशर्रफ सेना के मुखिया है, वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वह जनरल है और वही सर्वेसर्वा हैं। यदि सभी शक्तियां राष्ट्रपति मुशर्रफ के पास है, तो जमाली महोदय की क्या भूमिका है? इसलिए, जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की बात है, इसके स्तर का भी अत्यंत सावधानी से निर्णय किया जाना चाहिए। यह इस राष्ट्र के लोगों की इच्छा है। हमें अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखनी होगी। भारत एक शान्ति-प्रिय राष्ट्र है। हमने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अच्छे सम्बंध बना रखे है। इस सौहार्दपूर्ण माहौल में हमें सभी द्विपक्षीय संबंध और सांस्कृतिक संबंध भी बनाये रखने होंगे। हमें दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित करने चाहिएं। हमें वायु सम्पर्क भी बहाल करना होगा। यदि हम इन सभी चीजों को बहाल करेंगे तो दोनों राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। तब हम पुनःसंयुक्त सचिव स्तरीय वार्ता शुरू कर सकते है। तत्पश्चात हम धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते है। माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को यह मेरा सुझाव है।

बुनियादी बात यह होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर हमें घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद को रोकना होगा। वार्ता के बावजूद की घुसपैठ जारी हैं। अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में दो या तीन घटनायें घटी हैं। हमारी सेना ने कई उग्रवादियों को मारा और उग्रवादियों ने भी कुछ नागरिकों को मारा। इसलिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनकी सेना के अध्यक्ष के साथ प्रत्येक स्तर पर हमें अत्यंत सतर्कता से बढ़ना होगा। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी सीमा पार आतंकवाद जारी है और घुसपैठ भी जारी है। वार्ता पुनः प्रारम्भ करने के लिए बुनियादी बात यही होनी चाहिए।

गुजरात में अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन पर आक्रमण, जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर आक्रमण जैसे आतंकवादी हमलों का हमारे राष्ट्र को पर्याप्त अनुभव है। प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे के पश्चात कारगिल का युद्ध हुआ। आगरा सम्मेलन के पश्चात दोनों राष्ट्रों के मध्य तनावपूर्ण माहौल बन गया और लाखों सैनिक नियंत्रण रेखा पर तैनात हो गये थे। इस प्रकार के अनुभवों के पश्चात सरकार को पाकिस्तान के साथ वार्ता में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

महोदय, पाकिस्तान के साथ वार्तालाप पुनः प्रारम्भ करने के प्रधानमंत्री और सरकार के प्रयासों को इस देश के सभी लोगों और इस देश के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। हमारी जनता के हितों और हमारे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा, मर्यादा, और संप्रभुता को बनाये रखने के लिए हम माननीय मंत्रीजी को पूर्ण समर्थन देंगे।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर-उड़ीसा): माननीय, अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण के लिए उन्हें धन्यवाद करता हूं जो आरोप और प्रत्यारोपों से परे या तथा काफी गहन अध्ययन और विचार-विमर्श का नतीजा था। लेकिन व्यक्तिपरक आकलन के कारण इसमें कमियां रह गयी।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भारत की सर्वोत्कृष्ट परम्पराओं को कायम करते हुए वर्ष 1999 तथा 2001 में आपसी सहयोग और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन तत्कालीन जनरल का दुस्साहस तो देखिए कि हमारे प्रधान मंत्री के लाहौर दौरे के दौरान आयोजित समारोह में उन्होंने भाग तक नहीं लिया, जो वहीं आयोजित किया गया था। वही जनरल बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया।

महोदय, मैं यहां माननीय प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक संसद सदस्य को इस बात का स्मरण कराना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान जैसे एक नाकाम देश से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान का निर्माण घृणा, द्वेष तथा धार्मिक उन्माद पर हुआ था। वह कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास से यह बात साफ जाहिर है। यह देश अपने 56 वर्षों के इतिहास में लगभग 30 वर्ष सैनिक तानाशाहों द्वारा शासित रहा हैं। चाहे वह यायहा खान, अयुब खान या मुशर्रफ या इसी श्रेणी का कोई अन्य शासक रहा हो। जब किसी शासक को वैधानिक मान्यता नहीं मिलती तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसे कुछ बाहरी मुद्दों को उछालता है ताकि सत्ता में बने रहा जा सके। और यही पाकिस्तान में हो रहा है।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी मुस्लिम देश में दो बातें विद्यमान होती हैं। एक तो दारूल-हरब तथा दूसरा दारूल इस्लाम होता है। दारूल इस्लाम एक ऐसा देश होता है जो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम लोगों द्वारा शासित होता है। दारूल हरब वह देश होता है जिसे दारूल इस्लाम किसी भी कीमत तथा किसी भी तरीके से अपने अधीन करना चाहता है, और तथा फिर उन्हें मुस्लिम परम्पराओं के साथ जोड़ देता है। दुर्भाग्यवश, भारत को दारूल हरब के देश के रूप में चिन्हित किया जा रहा है और पाकिस्तान के निरंकुश शासक दारूल हरब देश को दारूल इस्लाम देश में परिवर्तित करने के अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जेहादियों को वहां प्रशिक्षण, वित्त पोषण कर उन्हें इस देश में भेज रहे हैं।

महोदय, 'जेहाद' बुरा शब्द नहीं है। कुरान में इसका अर्थ है 'आत्मा का शुद्धिकरण' लेकिन इसे धार्मिक कट्टरता आदेश में बदल दिया गया है, जहां जेहाद के नाम से पैसा लाया जाता है। जेहाद के अंतर्गत पांच सिद्धांत हैं, उनमें से एक जाकत है वहां धार्मिक कार्यों के लिए लोग कुछ पैसा दे देते हैं। पाकिस्तान में जाकत का उपयोग देश तथा देश के बाहर मदरसों को पैसा देने में करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत में कुल 137 मदरसे थे, जो अब वर्तमान गणना के अनुसार 5,325 हो गये हैं। पाकिस्तान के करीब 50,000 मदरसे हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसों के लिए पैसा जाकत धनराशि से आता है तथा जो देवबंध और वहानी ग्रुपों के माध्यम से आता है और जो टूट कर पाकिस्तान में चले गये थे और ये ही भारत में मदरसों को पैसा दे रहे हैं। आप इस पर मुझसे सहमत नहीं होगें लेकिन यह सच है। जैसा कि मैंने कहा वह एक नाकाम देश हैं, इसका नकारात्मक पहलू ही इसकी असफलता का कारण है।

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं श्री स्टीफन कोहन, प्रो. ब्रूकलियन इन्स्टिट्यूट, यूएसए द्वारा लिखित एक पैरा को उद्धृत करना चाहूंगा, उन्होंने कहा:-

> "पाकिस्तान नकारात्मकताओं से परिपूर्ण देश है। यह एक ऐसा देश है जो सामान्य राजनैतिक प्रक्रिया स्थापित कर पाने में अक्षम है, साथ ही यहां चरमपंथी इस्लामी तालिबान को समर्थन दिया जाता है तथा भारत में जेहादी आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि इसकी स्वयं की अर्थव्यवस्था तथा राजनैतिक व्यवस्था का ह्रास हो रहा है। यहां अंतरराष्ट्रीय धार्मिक तथा जाति आधारित हिंसा के घटनाओं में आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि हो रही है।"

मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति में हमें पाकिस्तान से जुझना पड़ता है।

महोदय, पाकिस्तान के संदर्भ में मैं एक दिलचस्प बात उद्धृत करना चाहूंगा। तेरहवीं शताब्दी में विश्वनाथ कविराज नामक व्यक्ति

[श्री अनादि साहू]

द्वारा व्याकरण और साहित्यक कार्य किया गया। इसे साहित्य दर्पण कहा जाता है, और यह स्वयं मेरे राज्य में लिखा गया। विश्वनाथ कविराज ने केवल एक बात पर जोर दिया वह की समझौता तथा कैसे समझौता निष्प्रभावी किया जाये। उसमें उन्होंने कहा है:-

[हिन्दी]

''अल्लावदिन नृपत: न संधि न च विग्रह''

[अनुवाद]

उस समय खिलजी वंशज और खिलजी सल्तनत के सुल्तान अल्लाऊद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे। समझौता के बारे में समझाने के लिए तथा कैसे समझौता निष्प्रभावी किया जायें, उस प्रसिद्ध व्याकरणविद् ने कहा है:

[हिन्दी]

''अल्लावदिन नृपत: न संधि न च विग्रह''

[अनुवाद]

कभी भी संधि मत करो, जो संधि आपने उनके साथ की है उसे कभी भी रद्द मत करो। अल्लाऊद्दीन खिलजी का वर्तमान अवतार आज जनरल मुशर्रफ है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पाकिस्तान द्वारा इस बातचीत की पेशकश पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक निर्णय लें। हमें बहुत सावधान रहना होगा।

मैं थोड़ा समय और लूंगा, महोदय, क्योंकि आप मेरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा और दो मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

मेरे विचार से इसके दो विकल्प हैं। पहला तो यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर के 50-60 कि.मी. क्षेत्र को, जैसे मुजफ्फराबाद, दुनकी आदि सभी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया जाये जो कि जेहादियों और तालिबानियों का मुख्य केन्द्र है; और यही से घुसपैठ और सीमा-पार आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। यह इस पहलू का नरम विकल्प है। या फिर जैसा कि हमारे मित्र ने कहा ''कि दूसरा विकल्प हमारे सामने यह है कि हम पाक अधिकृत क्षेत्र पर तत्काल अपना कब्जा जमा लें''।

महोदय, भाषण समाप्त करने से पहले मैं रोमन सम्राट कल्लिगुला के प्रसिद्ध वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा। कल्लिगुला ने लेटिन में कहा है:

''इटा फेरी डट से मोरी सैंटियूट''

इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है उस पर प्रहार ऐसा कीजिए ताकि उसे महसूस हो कि वह मर रहा है? यही संदेश हमें पाकिस्तान को देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह बहुत अहम विषय है। मुझे बात ज्यादा कहनी है और वक्त बहुत कम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में अपनी बात कह सकूं। यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए दावत दी और कहा कि हम तमाम मसायल पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं लेकिन मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर किसी से दोस्ती करनी है तो यह समझना पड़ेगा कि दूसरा क्या चाहता है, उसका क्या करैक्टर है, हमारी दोस्ती हो सकती है या नहीं? हिन्दुस्तान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती कोई हाकी का मैच नहीं है कि खेलते हुए हार जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता और जीत जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत अगर किसी नतीजे पर पहुंचती है तो हमें यकीनन आगे बढ़ कर पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए लेकिन मैं प्रधान मंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से लगातार हम यह कोशिश करते रहे हैं।

मैं प्रधानमंत्री जी की इस कोशिश का वैलकम करता हूं। यकीनन इनकी नीयत और बड़प्पन है कि एक बार फिर उन्होंने आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश की है लेकिन सिर्फ हाकी या क्रिकेट खेलने से या इकौनोमिक मैदान में आगे जाने से या सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम करने से पाकिस्तान-हिंदुस्तान की दोस्ती नहीं हो जाती। मुशर्रफ साहब का बयान आया है कि कश्मीर पाकिस्तान का पोलिटिकल असैट्स है। जो चीज उनकी असैट्स है, अगर वह खत्म हो जायेगी, फिर बाकी क्या रह जायेगा? जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं होंगे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम के दबाव में है। पाकिस्तान में डैमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी प्रेजीडेंट प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान की आई.एस.आई. पाकिस्तानी प्रेजीडेंट से ज्यादा मजबूत है। जनरल मुशर्रफ बगैर आई.एस.आई. की मर्जी के अपनी फौजें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रधान मंत्री जी ने बस यात्रा की थी लेकिन जैसा आप जानते हैं कि उनके चीफ ने वहां आने की जहमत गवारा नहीं की थी। यह सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा वे लगातार कहते रहे थे कि जब

तक क्रास बौर्डर टैररिज्म बंद नहीं होगा, दोस्ती की कोई बात नहीं हो सकती, क्या वह क्रास बौर्डर टैररिज्म खत्म हो गया? क्या हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाने की पेश आ गई? मैं जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया में हिन्दुस्तान की इज्जत नहीं रहेगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नही कि किसी बाहरी दबाव के अंदर आ रहे हैं। अभी अमरीका के फारेन मिनिस्टर ने कहा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की बातचीत होगी लेकिन वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। यह बात कहने वाला अमरीका कौन होता है? क्या वे सारी दुनिया से कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की दोस्ती की बात अमरीका के इशारे पर हो रही है? मैं प्रधानमंत्री जी की नीयत पर शुबहा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहता था लेकिन अमरीका जिस जुबान में बोलता है, उससे लगता है कि हम उनके दबाव में काम कर रहे हैं, अपनी साफ नीयत के साथ नहीं कर रहे हैं। वह हम पर दबाव डाल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब सरहदों पर पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिये हमारी फौजें खड़ी थीं, हमने उन्हें पीछे हटाया था, तब अमरीका के फारेन मिनिस्टर भारत आ रहे थे। उन्होंने तब भी इसी तरीके का बयान दिया था कि हमने अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं। हो सकता है कि सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फौजें पीछे हटाई हों लेकिन पुरी दुनिया में यह मैसेज चला गया कि हमने अमरीका के दबाव में फौजें हटा लीं, पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के बीच माहौल ठीक करने के लिये हटा लीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो स्ट्रेटेजी हो, हम आपके साथ हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में आकर कोई बात नहीं करनी चाहिये। पाकिस्तान के साथ जितने एग्रीमेंट हुये, चाहे शिमला एग्रीमेंट हो, ताशकंद एग्रीमेट हो, कमोबेश सब की एक जुबान है। जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि वे यू.एन. चार्टर के मुताबिक काम करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज कनकलूड।

श्री राशिद अलवी: मुझे थोड़ा बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: मुझे 6 बजे इस डिबेट को खत्म करना है और तब प्राइम मिनिस्टर का भाषण होना है।

श्री राशिद अलवी: अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अगर आप बोलते तो मुझे खुशी होती।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, पाकिस्तान ने कहा कि ताशकंद एग्रीमेंट के मुताबिक बातचीत होगी। पाकिस्तान ने कहा दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी दुष्प्रचार को प्रोत्साहन नहीं देंगे। शिमला एग्रीमेंट के अंदर बातचीत हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार, वे क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने की धमकी अथवा बल का प्रयोग नहीं करेगें। दूसरे उन्होंने कहा "वे एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार नहीं करेंगे तथा सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठायेगी" ताशकंद एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान ने ऐसा प्रोपेगैंडा किया। शिमला एग्रीमेंट के बाद प्रौपेगैंडा किया और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, शिमला एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि 17 दिसम्बर 1971 को युद्ध-विराम के पश्चात जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा का सम्मान किया जाएगा। फिर कहां डिस्प्यूट रह गया है? शिमला एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि एल.ओ.सी. उसी एल.ओ.सी. को माना जायेगा कोई भी पक्ष अपनी मान्य स्थिति पूर्वाग्रह न रखते हुए नियंत्रण रेखा को बदलने का एकपक्षीय प्रयास नहीं करेगा। इसके बाद कहां गुंजाइश रह जाती है। यह मुमकिन नहीं है कि वहां दूसरी सरकार आ जाए, मुशर्रफ साहब आ जाएं तो वह अपनी दूसरी जबान बोलने लगें।

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं कि शिमला एग्रीमैन्ट के बाद भुट्टो साहब यहां आये थे और स्टेट्समैन को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, यह इंटरव्यू उन्होंने श्री कुलदीप नैयर को दिया था, उसकी दो लाइनें मैं कोट करना चाहता हूं। "अब मैं कहना भी चाहता हूं कि आप अपनी स्थिति पर कायम रहिये और हम अपनी स्थिति पर कायम रहते हैं।" जो कश्मीर आपके पास है, उसे आप मेनटेन कीजिए और जो कश्मीर हमारे पास है, वह हमें मेनटेन करने दीजिए। मैं आपसे अदब से कहना चाहता हूं कि अगर बात भी करनी है तो हमें इससे आगे बात करनी चाहिए, इससे पीछे नहीं जाना चाहिए। 1971 का शिमला एग्रीमैंट और वहां के प्रेसीडैन्ट के बयानात इस बात को वाजे करते हैं कि वे लोग इस पर राजी हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी, आप बोलिये।

श्री राशिद अलवी: सर, इस तरह से मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। लिहाजा मैं अदब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस मामले में इंडो-पाक रिलेशनशिप की पूरी बात की इब्तदा बहुत सोच-समझ कर करनी चाहिए। ऐसा न हो कि आप आगे बात करने जाएं और वापस फेल होकर आ जाएं। अगर ऐसा होगा तो वह बहुत बदकिस्मत दिन होगा। इसलिए बात करने से पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपकी इस पहल का खैरमकदम करता हूं। लेकिन यह पूरे हिन्दुस्तान की इज्जत का सवाल है, इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जाने के पहले, हाथ बढ़ाने के पहले हालात का गौर-व-खौस कर

[श्री राशिद अलवी]

लेना चाहिए और इन सब पर गौर करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नाम में तो अटल जुड़ा हुआ है लेकिन हिन्दुस्तान-पाकिस्तान रिश्ते के सिलसिले में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी न तो अटल हैं। और न अग्राही हैं।

[अनुवाद]

उनकी बातों में न तो तारतम्यता है और न ही वे अपनी बातों पर टिकते हैं।

[हिन्दी]

जो श्रीनगर में कहीं उनकी बात थी, उसकी अहमियत यह थी कि उन्होंनें दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन साथ-साथ उस मंत्र को दोबारा उन्होंने नहीं जपा, जिसे हम पिछले तीन-चार सालों से सुनते आ रहे हैं कि सीमापार आतंकवाद बंद हो और आतंकवादियों के ढांचे का उन्मूलन हो। उन्होंने यह नहीं कहा, इसीलिए इसकी एक अहमियत है। उसके बाद दुनिया भर में हलचल मच गई कि भारत के प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि हम दोस्ती करेंगे, हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद की बात उन्होंने नहीं की। अब पता नहीं किस प्रकार का दबाव उन पर आया। लेकिन अगले दिन प्रैस कांफ्रेंस में वहीं श्रीनगर में जिन शर्तों के बारे में अपने भाषण में आप तहां बोले ही नहीं थे, उन्होंने उनका थोड़ा बहुत इशारा किया, जब वह प्रैस कांफ्रैंस में बोले। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया, लेकिन सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। अब इसकी अहमियत यह है कि आगरा का शिखर सम्मेलन केवल इन ढाई शब्दों पर टूट गया-क्रास बार्डर टैररिज्म। लाहौर डिक्लेरेशन में क्रास बार्डर टैररिज्म के शब्द हैं ही नहीं। उसमें बताया गया है कि हम दोनों सहमत हैं कि आतंकवाद के जो भी फोर्म्स एंड मेनिफेस्टेशंस हों, उसका हम खंडन करते हैं। लेकिन क्रास बार्डर टैररिज्म का कोई जिक्र नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को एक दिन कहना पड़ा कि कारगिल के बाद ही क्रास बार्डर टैररिज्म शुरू हुआ, हमने अखबारों में पढ़ा जबकि सारी दुनिया जानती है कि सीमा पार आतंकवाद अक्टूबर, 1947 से शुरू हो चुका है और बहुत तीव्र तरीके से भारत को इसका सामना करना पड़ रहा है। जिस दिन श्री वी.पी. सिंह हमारे देश के प्रधान मंत्री बने, तब से सारा हंगामा कश्मीर में हो गया। उस समय से, 13-14 साल से सीमापार आतंकवाद का हम सामना कर रहे हैं। आप लाहौर जाते हैं और क्रास बार्डर टैररिज्म का जिक्र करना भूल जाते हैं और फिर इसी का बहाना बनाकर आगरा शिखर सम्मेलन को उन्होंने बिल्कुल तोड डाला और अब हम समझते हैं इसमें कोई अहमियत होगी कि बार-बार यह कह रहे हैं कि सीमापार आतंकवाद को आप बंद कीजिए और आतंकवादियों के ढांचे का उन्मूलन कीजिए। अचानक यह कहना भूल जाते हैं, इसलिए भ्रम फैलता है और भ्रम से पैदा होती है शंका और अविश्वास। अब देखिये जमाली साहब ने हमारे प्रधानमंत्री जी को 28 तारीख को फोन किया। प्रधानमंत्री जी ने इस सदन को बताया कि उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की। स्वागत है। लेकिन जबकि उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की, तब क्या हमारे प्रधान मंत्री जी ने उनसे पूछा कि इसमें क्रास बार्डर टैररिज्म जुड़ा हुआ है या नहीं? जहां तक हमें पता है, प्रधान मंत्री जी दोबारा भूल गए इसको कहना। और इसलिए वहां खुशी होती है कि मंत्र हम जपते रहते हैं, उसको हमने छोड़ दिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री अपना बयान खत्म करते हैं, वहीं के वहीं जो हमारे अफसरगण हैं, जो अभी हमारी बात सुन रहे हैं, वे कहते हैं कि ये भूल गए और एकदम हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उठकर कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना मंत्र भूल गए हैं, सीमा पार आतंकवाद को बंद कीजिए और आतंकवाद के ढांचे का उन्मूलन कीजिए। इस प्रकार से हम विदेश नीति को नहीं चला सकते हैं।

मुझे बहुत डर है कि आखिर रिचर्ड आर्मिटिज साहब यहां क्यों आ रहे हैं। 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर बहुत बड़ा हमला हुआ। हमने कहा कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। हमने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी आए और आई.एस.आई. तथा पाकिस्तान सरकार ने इनको भेजा और इस जम्हूरियत का जो गढ़ है हमारी संसद, इस पर उन्होंने हमला करवाया। अभी-अभी विजय कुमार मल्होत्रा जी मुझे याद दिला रहे थे, वे भी और मैं दुनिया घूमने के लिए गया और हर जगह हमने बताया कि पाकिस्तानियों ने यह किया है, क्योंकि हम दुनिया को प्रभावित करना चाहते थे इस इल्जाम से। हमने एक तो अपनी फौज सीमा तक भेजी। भेजी और वापस ले आए। फिर हमने कहा कि हमारे हवाई जहाज वहां नहीं आएंगे। अब कह रहे हैं कि हवाई जहाज शुरू हो जाएं। हमने कहा कि समझौता एक्सप्रैस नहीं चलेगी। अब हम कहते हैं कि वे तो चलेगी। जिस बस पर हमारे वाजपेयी जी चढ़े, उसको हमने आई.एस.बी.टी. में कैद कर रखा है। अब कहते हैं कि उसको भी भेजेंगे। इस बीच में क्या सफलता हमने पाई है, सवाल यही है और इसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि हम अमेरिका को प्रभावित करना चाहते थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वहीं से आतंकवाद शुरू होता है और इसका एक नमूना और सुबूत यह है कि इस जम्हूरियत के गढ़ पर पाकिस्तान ने आई.एस.आई. द्वारा आतंकवादियों को भेजकर हमला किया। अब यदि आप सी.आई.ए. की वैबसाइट देखें, मुझे पता नहीं, आपके अफसरान ने आपका ध्यान उस ओर आकर्षित किया है या नहीं, लेकिन सी.आई.ए. की वैबसाइट पर हम सब पढ़ सकते हैं, जार्ज टैनैट जो सी.आई.ए. के डायरैक्टर हैं उन्होंने यू.एस. सीनेट इंटैलिजैन्स कमेटी के सामने यह बयान दिया है:

[अनुवाद]

भारतीय संसद पर हमला कश्मीरी आतंकवादियों ने किया था।

[हिन्दी]

इस साल के मार्च महीने में यह बयान दिया है। वह मानते ही नहीं है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए। वे कहते हैं कि आतंकवादी कश्मीरी थे। आपकी पूरी बात और आपकी कूटनीति करने का नतीजा यह निकला है कि सी.आई.ए. के डायरैक्टर सीनेट इन्टैलिजैन्स कमेटी में जाकर कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने हमला नहीं किया, कश्मीरी आतंकवादियों ने हमला किया और मुझे यह भी नहीं पता कि भारत सरकार के इल्म में यह है या नहीं कि ऐसा बताया गया है। रिचर्ड आर्मिटेज-सबको पता था कि वह हिन्दुस्तान आने वाले हैं। वह जाते हैं नेशनल डिफेन्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में, उनको संबोधित करने के लिए और क्या कहते हैं? प्रधान मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इसको जरा गौर से सुनें क्योंकि आप या आपके लोग उनसे 24 घंटे के अंदर मिलने वाले हैं। उनका यह कहना है:

[अनुवाद]

'भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों मील की साझा सीमा है और साथ में 50 वर्षों की दुश्मनी का इतिहास भी'

[हिन्दी]

उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ दुश्मनी ही दिखाई देती है:-

[अनुवाद]

'भारत तथा पाकिस्तान जिनके बीच हजारों मील की साझा सीमाएं लगती हैं और इनमें आपस में 50 वर्षों की दुश्मनी का इतिहास है, ऐसे में स्थिति तब और भी गम्भीर बन जाती है जब तमाम अंतर-राष्ट्रीय प्रतिरोधों के बावजूद दोनों देश परमाणु सम्पन्न हो जाते हैं।'

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे विदेश सचिव ने इसको पढ़ते ही, अमरीका के राजदूत को बुलाया और उनसे कहा कि आप हमें बताइए कि आपके जो परमाणु अस्त्र हैं, वे कौन से सिस्टम आफ इंटरनैशनल कंस्ट्रेंट्स के अंदर हैं। क्या पूछा? हम कुछ कहते नहीं हैं। बस इस इंतजार में रहते हैं कि अमरीका आएगा और हमें बचाएगा।

महोदय, खतरा यह है कि पूरे 33 साल तक, वर्ष 1965 से लेकर 1998 तक, युनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसिल में, जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जम्मू-कश्मीर का जिक्र हुआ ही नहीं। जम्मू-कश्मीर के बारे में दो शब्द 33 साल के दौरान, सन् 1965 से लेकर सन् 1998 तक, कहीं भी किसी प्रस्ताव में आपको नहीं मिलेंगे। वर्ष 1998 में दिनांक, 6 जून, 1998 की बात है, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, उसका प्रस्ताव नंबर 1172 है, उसमें उन्होंने पहली मर्तबा कश्मीर का जिक्र किया। आपको उस दिन धमकी दी कि यदि आप पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं करोगे, तो ठीक नहीं होगा। इराक में जो पिछले महीने हुआ है, उसको देखकर लगता है कि ऐसे प्रस्तावों को अमरीका तैयार रखता है और एन वक्त के इंतजार में रहता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रस्ताव के आधार पर इराक पर आक्रमण हुआ है, वह कल या परसों का नहीं है, बल्कि 12-13 साल पुराना प्रस्ताव है।

महोदय अब मुझे पता नहीं कि जब अमरीका के कहने पर एक प्रस्ताव हमारे सिर के ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है और आपसे मिलने के लिए जो मेहमान कल आ रहे हैं, वे यहां आने से पहले नैशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं-

"अंतर-राष्ट्रीय प्रतिबंधों की व्यवस्था से बाहर परमाणु शस्त्रों को शामिल कीजिए।"

मैं जानना चाहता हूं कि आपके बृजेश मिश्र जो किसी जमाने में हमारे हुआ करते थे, क्योंकि वे हमारी भी विदेश सेवा में ही थे, लेकिन अब वे आपके बन गए हैं, उनको हिन्दुस्तान से लन्दन भागने की क्या जरूरत है, क्या उन्होंने उनको वहां के वहां गले से पकड़ कर कहा कि ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसके बारे में बात करते हो, या उन्होंने घुटने टेके? इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि न भूलिएगा अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण समाप्त कीजिए, श्री मणि शंकर अय्यर।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे कुछ और समय तक जारी रख सकते हैं। कृपया मुझे गलत न समझें हमने कार्य मंत्रणा समिति में इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय तय किया था तथा इस पर बोलने वाले कुछ और भी माननीय सदस्य हैं। यही तो मैं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, हालांकि यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसमें कोई तत्व नहीं है, जबकि

[श्री मणि शंकर अय्यर]

हम इस माहौल में, इस परिस्थिति में देखते हैं कि जिस आदमी ने इराक पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया है। जनरल गार्नर ने पाकिस्तानियों को बताया है, हमें नहीं। क्योंकि यह खबर पहले इस्लामाबाद में आई कि 2004 दिसम्बर तक यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझौता नहीं किया, तो हम देखेंगे कि क्या होगा। अब यदि जनरल गार्नर ने ऐसा कुछ कहा होगा, तो हम कहते कि फौजी है, कहने दो, लेकिन एक पुराने अमरीकन फौजी हैं जिनका नाम है कोलेन पावेल, वे हैं आज के विदेश मंत्री, यू.एस. सैक्रेटी आफ स्टेट। जैसा हमारे विदेश मंत्री ने प्री-एम्पटिव स्ट्राइक की बात कही, जिसकी प्रशंसा हमारे प्रो. वी.के. मल्होत्रा कर रहे थे उनका बयान निकला, वहां की वहां कालेन पावेल ने 31 मार्च को कहा कि-

[अनुवाद]

"इराक के बाद भारत-पाक ही अमेरिका की वृहत कार्ययोजना के अंदर है।"

[हिन्दी]

वे 31 मार्च को यह कहते हैं। दो दिन के बाद गार्नर यह कहते हैं। उसके चार दिन बाद जार्ज टैनेट वहां जाकर कहते हैं। एक साहब, मिस्टर ब्लैक हैं। यह एम्बेसेडर ब्लैकविल नहीं हैं, ये तो दिल्ली में हैं, लेकिन यूएस डिपार्टमेंट की नीयत साफ नहीं है, इसलिए सब का नाम ब्लैक है। ये जो एम्बेसेडर ब्लैक हैं, ये स्टेट डिपार्टमेंट के कोआर्डीनेटर पर काउंटर टैररिज्म है। इन्होंने एक रिपोर्ट अभी-अभी निकाली है। आप देखें कि ये कौन हैं-वे प्रति आतंकवाद के संयोजक हैं। यही सबसे ज्यादा अहमियत इस काम में रखते हैं और इन्होनें अपनी रिपोर्ट में अभी जो यू.एस. सीनेट में पेश की है। उसमें इन्होंने कहा है-

[अनुवाद]

"पाकिस्तान के मामले में सर्वाधिक संयम बरतने की आवश्यकता है अमेरिका विदेश मंत्रालय में प्रति आतंकवाद के संयोजक राजदूत ब्लैक द्वारा अमेरिकी संसद, सीनेट के समक्ष आधिकारिक रूप से यह वक्तव्य दिया गया। वे कहते हैं। "कृपया पाकिस्तान के मामले में सर्वाधिक संयम बरते।"

[हिन्दी]

महोदय मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके विदेश मंत्रालय ने वहीं के वहीं अमेरिका के राजदूत को बुलाकर उनसे पूछा। इसका मतलब क्या बनता है, आप कह रहे हैं कि विश्वभर में हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा आतंकवादी राज्य पाकिस्तान है, उसके साथ हम मेक्सीमम रिस्ट्रेंट की नीति रखेंगे। क्या किसी ने ऐसा कुछ पूछा है। अभी एक मई को हिन्दू अखबार में सी राजामोहन का ब्रिटेन के हाई कमिश्नर सर रोब यंग के साथ इंटरव्यू छपा है। उसमें यह कहते हैं "सीमा-पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ काम करते रहेंगे।" हमारे साहू साहब चले गए हैं, वे पुलिस में थे। अभी वे कह रहे थे कि वे किसी को कैद में लें और उनसे कहें कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं या आपके खिलाफ काम करना है, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं या उनके खिलाफ जा रहे हैं या उन पर दबाव डाल रहे हैं। दबाव तो हम पर लग रहा है, वे तो बड़ी खुशी से रह रहे हैं। इसलिए मैं अपने मित्र मुलायम सिंह यादव जी से कहना चाहूंगा, जो हमारे हमशक्ल हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बड़ी खुशी की बात है कि आप कहते हैं कि विदेशियों ने हमें जुदा किया, इसलिए विदेशी आएं और हमें जोड़ें मैं मानता हूं लेकिन एक शर्त पर...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: इसमें आप संशोधन करें। अगर वह दखलअंदाजी नहीं करता है, उसकी नीयत साफ है तो दोस्ती करा दें, यह कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी उसी विरासत के हैं, जहां से मैं हूं। अभी मैं आपके सामने एक चिट्ठी का जिक्र करना चाहता हूं जो कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने प्रेसीडेंट जोन एफ केनैडी को 24 अप्रैल, 1963 को उनके देहांत के एक महीने पूर्व लिखी थी। उन्होंने कहा-

[अनुवाद]

तीसरे पक्ष द्वारा अगर हस्तक्षेप नेशचल्य, अधरिष्ट, निष्पक्ष और तटस्थ होता तो मददगार साबित हो सकता था।

[हिन्दी]

आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, यह क्या नेशचल्य है, अधरिष्ट है, इसमें आपको निष्पक्षता नजर आती है, ये तटस्थ है, जब कि नहीं है तो बहुत जरूरी है कि आप हमें दोबारा बार-बार यह न बताते जाइए कि आप किसी के दबाव के नीचे पिसेंगे नहीं, मैं मानता हूं कि आखिर आप अटल तो हैं ही। लेकिन जब ऐसा सब हो रहा है और हम उनके सामने उनके दरवाजे तक भाग रहे हैं, उन्हें यहां अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि शिमला पर बहुत बड़ा खतरा है।...*(व्यवधान)*

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि अंत का समय आ गया है और जो कुछ भी मुझे कहना है वह मैं

प्रधानमंत्री जी को लिखित में भेज दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मनोवृत्ति की बात दो पक्षीय है। विजय जी, उनकी मनोवृत्ति को हमें समझने की जरूरत है, लेकिन हमें अपनी मनोवृत्ति को भी बदलना पड़ेगा। यह नहीं कि केवल वे बदलें और आप वैसे के वैसे रहें। यह बहुत आवश्यक है कि हम चर्चा शुरू करें, मैं यह नहीं कह रहा हूं और मैंने आपसे तभी कहा था कि बहुत बड़ी गलती की है कि आप लाहौर गए और आपने आगरा शिखर सम्मेलन बुलाया, लेकिन ऐसे आप शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। जब तक कि शेरपा बोझ को अपने कंधे पर उठाकर आपके पहले आगे न जाये। ये विदेश सेवा के लोग कर क्या रहे हैं, अगर अंडर सैक्रेट्री का काम प्रधानमंत्री जी करने लगें? यह क्या अजीबोगरीब परिस्थिति है कि ड्राफ्ट्स के साथ हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्रास को निकाल दो, बोर्डर लगा दो। यह क्या प्रधानमंत्री का काम है? यह क्या विदेश मंत्री का काम है?*...*(व्यवधान)* महोदय, ये मेरा अंतिम वाक्य है।

आप सुदृढ़ रहिये कि हां, बेशक हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन जो वार्तालाप नीचे के स्तर पर, निचले स्तर पर शुरू होगा, वह निर्विघ्न और निर्व्यवधान रहेगा।

[अनुवाद]

यह निर्व्यवधान होनी चाहिए।

[हिन्दी]

जब तक कि आपकी बातचीत जारी न रहे, चाहे जो भी आतंक हो, जो भी हो। जिस तरह से अमेरिका और वियतनाम के बीच में होटल मैजेस्टिक, पेरिस में हर गुरूवार के दिन 1969 से लेकर 1975 तक, जब तक कि उन्होंने समझौता किया, उनकी बातचीत जारी रही, जबकि वे एक दूसरे पर बम फेंक रहे थे। जिस तरह से नोर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में पानमुनजोम में 1953 से लेकर आज तक 50 वर्ष से बातचीत हो रही है, क्योंकि जो निगोशिएटिंग टेबल है, वह सीमा पर ही है। नोर्थ कोरिया को नोर्थ कोरिया नहीं छोड़ना पड़ता हैं, साउथ कोरिया को साउथ कोरिया नहीं छोड़ना पड़ता है। वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इस प्रकार का वार्तालाप हो, तब तो हम सफलता पाएंगे। लेकिन बदली करवटों के साथ हम सो भी नहीं सकते हैं और वे बेचारे भी चैन से नहीं सो सकते हैं। इसके लिए अनुरोध बस यह है कि यदि आप वाकई पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं तो उस दोस्ती के लिए आप वार्तालाप शुरू कीजिए और मत भूलिये कि यदि पार्टीशन न होता तो वे हमारे सहनागरिक होते। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं खुर्शीद कसूरी को पिछले 42 साल से जानता हूं जब मैं लाहौर जाता हूं तो वे ही मेरे मेजबान होते हैं। मैं क्यों न आज कहूं कि चूंकि मैं उस व्यक्ति को 42 साल से जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के साथ बातचीत हो सकती है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दीर्घा में बैठे किसी भी अधिकारी के बारे में किया गया उल्लेख कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

अपराह्न 5.47 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

भू-तुल्य कालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) की सफल परीक्षण उड़ान

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी):* अध्यक्ष महोदय मैं सदन को एक खुशखबरी देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं सदन को कुछ मिनट पहले श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से देश में ही निर्मित भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) की दूसरी सफल परीक्षण उड़ान की सूचना देना चाहता हूं। प्रायोगिक संचार उपग्रह, जी.एस.ए.टी-2 को उचित रीति से भू-तुल्यकाली कक्षा में स्थानांतरित किया गया।

सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए यह सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी सहायक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और औद्योगिक इकाईयों के कार्मिकों को बधाई देने में मेरा साथ देगा।

अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री इस बारे में सभा में एक सम्पूर्ण वक्तव्य बाद में देंगे।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7716/2003]

अपराह्न 5.48 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत-पाकिस्तान संबंध—*जारी*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): धन्यवाद, महोदय, मैं अपने दल द्रमुक की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई पहल का हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व शान्ति के मामले में हम अग्रणी रहे हैं। विश्व के बहुत से देशों जैसे अमरीका, दक्षिणी अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध कैसे हैं? हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध इतने अच्छे नही हैं।

हमारा मुख्य व्यय रक्षा व्यय है। जब हमारे पड़ोसी देश अपना रक्षा व्यय बढ़ाते हैं तो हमें भी मजबूरन अपना रक्षा व्यय बढ़ाना पड़ता है। सौभाग्य से, हमारा देश प्राकृतिक रूप से ही तीन ओर से समुद्र से घिरा है।

अन्यथा हमारा रक्षा व्यय और अधिक होता। हम अपने मित्रों को तो बदल सकते हैं परन्तु अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं। कि वह यह प्रयास जारी रखें और अपने दल द्रमुक की ओर से उनके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री पी.एच. पांडियन बोलेंगें। मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य केवल दो-दो मिनट बोलें। छह बजे प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करेंगे।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, अपने दल. अ.भा.अ.द्र.मु.क. की ओर से मुझे भारत-पाक संबंधों पर चल रही बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को टेलीफोन करके बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह रक्षा मंत्री जार्ज फर्नान्डीज के इस वक्तव्य के पश्चात किया था कि पहले हमला करने के लिए पाकिस्तान एक उपयुक्त मामला है। विदेश मंत्री ने अपने तरीके से कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के बिना हमला करने के लिए पाकिस्तान एक उपयुक्त मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इन दोनों वक्तव्यों के बाद आयी। हम आई.एस.आई. एजेन्टों के द्वारा जम्मू-कश्मीर में पंडितों की हत्या को नहीं भूल सकते। एक आतंकवादी अभी भी जम्मू की जेल में बंद है जिसने पंडितों के लगभग 150 परिवारों की हत्या की। उसने उनको घरों से बाहर निकाल कर एक पंक्ति में खड़े होने को कहा और सबको गोली मार दी। 1999 में उसे दूरदर्शन पर यह कहते हुए दिखाया गया था कि उसने उन सब पंडितों की हत्या कर दी। महोदय, यह सब आज भी जारी है। पिछले महीने भी कुछ पंडितों की हत्या कर दी गयी। जब हत्याएं जारी हैं तो ऐसे में फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह करके भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है।

महोदय, भारत शान्तिप्रिय देश है। हम अहिंसा और आक्रमण न करने के सिद्धांतों तथा पंचशील की नीति को मानते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच आगरा में हुई बैठक के बारे में सर्वदलीय बैठक और इस सभा में चर्चा हुई थी। उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब, इन सब घटनाओं के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सभवत: राष्ट्रपति मुशर्रफ से सलाह के बाद, हमारे प्रधानमंत्री से फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है, वह भी अमरीका के इराक पर हमले के बाद।

महोदय, हमें समझना चाहिये कि पाकिस्तान की यह बातचीत शुरू करने की कार्रवाई वास्तविक है या नही। हमारे प्रधानमंत्री जो कि एक महान सांसद, एक राजनयिक और निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं; पाकिस्तान के राष्ट्रपति से आगरा में मिले थे। अत: हमें बातचीत शुरू करने के मामले में सतर्क रहना चाहिए। हम शांति चाहते हैं। नियंत्रण रेखा के बारे में क्या विचार हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान इसे स्वीकार करता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर क्या विचार है। मैं जानना चाहता हूं क्या फिर से बातचीत शुरू करने के लिए पाकिस्तान इस प्रस्ताव के साथ आ रहा है। आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के बारे में क्या विचार है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे भारत की मांग स्वीकार करेंगे।

महोदय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने आगरा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति को वांछित अपराधियों की एक सूची दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दाऊद इब्राहिम सहित 181 अपराधियों को भारत को सौंपने की मांग मान ली है। महोदय, आप भी मुम्बई में आते हैं। मुम्बई बम कांड का अपराधी दाऊद इब्राहिम अभी भी खुला घूम रहा है। उसे भारत को नहीं सौंपा गया है। जब मुम्बई में दाऊद इब्राहिम की सम्पत्ति की नीलामी की गयी थी तो वहां कोई भी खरीदने वाला नहीं था।

क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन आशंकाओं को कम करने के लिए सभी वांछित अपराधियों को भारत को सौंप देंगे? क्या वे इन अपराधियों को भारत को सौंपने पर सहमत हैं? उनके साथ कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। दुबई ने कुछ वांछित

अपराधियों को सौंपा है। यह मुद्दा कार्यसूची में सबसे ऊपर होना चाहिए।

महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। यह कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। यहां तक कि 'नियम 377 के अधीन मामलों' को पढ़ने में भी हम दो मिनट का समय लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको तीन मिनट का समय दिया है।

श्री पी.एच. पांडियन: यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला और ज्वलंत मुद्दा है। महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे तो नौ बजे तक बैठने में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई अन्य कार्य भी है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर बहस के लिए और समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हर चीज की कोई समय सीमा होती है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। यह मुद्दा सदन में पहले ही चार बार उठाया जा चुका है।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि वे शान्तिपूर्वक बातचीत शुरू करेंगे और पाकिस्तान को भी ईमानदारीपूर्वक सदाशयता दिखानी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री से बहुत सतर्क रहना चाहिए। उनका रवैया काफी क्रुरतापूर्ण है। उनका रवैया हमारे प्रधानमंत्री और सांसदों जैसा लोकतांत्रिक नही है।

मैं प्रधानमंत्री जी से भारत की ओर से विचार विमर्श करके अपने देश में शांति बहाल करने का आग्रह करूंगा। हम शान्ति चाहते हैं। वे शान्ति नहीं चाहते। वे आक्रमणकारी हैं। वे आक्रमण की अपनी प्रवृत्ति को रोकने वाले नहीं हैं। उनकी नीति आक्रमण न करने वाली नहीं है। यह बातचीत शुरू करके पाकिस्तान के आक्रमणकारी रवैये पर रोक लगायी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, आपने पहले ही समय तय कर दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सबको दो मिनट का समय ही दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं चाहूंगा कि आपके दिए हुए समय के अंदर अपनी बात समाप्त कर लूं। हम कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहते, हम प्रधान मंत्री जी से सिर्फ अपने मन की शंका बताना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी, अगर वार्ता से दोस्ती हो जाए तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। यह चर्चा कश्मीर पर आपके बयान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दूरभाष पर वार्ता के बाद चली। हम इसकी सराहना करते हैं। आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान से दोस्ती का प्रयास किया है। आप बस में चढ़ कर लाहौर तक गए लेकिन बदले में कारगिल का युद्ध मिला। आपने आगरे में शिखर वार्ता की लेकिन बदले में कश्मीर विधान सभा पर हमला किया, बदले में अक्षरधाम पर हमला मिला, बदले में प्रजातंत्र के, सबसे बड़े पंचायत मंदिर पर हमला मिला, यानी आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन आपको बदले में धोखा मिला। हम सिर्फ अपनी यह शंका जाहिर करना चाहते हैं कि आप दोस्ती के लिए प्रयास कीजिए, दोस्ती हो, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी लेकिन बदले में फिर कोई नया धोखा न हो, कोई ऐसी साजिश न हो, इस बारे में सावधान रहिए क्योंकि आपके साथ इस देश का फीता जुड़ा हुआ है, देश का एक-एक व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा किए हुए है, सदन भी सर्वसम्मत होकर आपको विश्वास दिला रहा है कि आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं।

इस समय देहात में एक चर्चा चल रही है कि एक बार जो गलती करता है, उसे अंजान कहते हैं, दूसरी बार जो गलती करता है, उसे हैवान कहते हैं, तीसरी बार जो गलती करता है, उसे शैतान कहते हैं और जो बार-बार गलती करता है, उसे पाकिस्तान कहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो बार-बार की गलती को भूल जाए, क्या उसी को हिन्दुस्तान कहते हैं? हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि बार-बार की गलती को आप अपने मन में जरूर बिठा कर रखिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। अगर आपको विश्वास हो कि आप जिस मकसद से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, अगर आपको कामयाबी हासिल होती है और आप बाहरी आतंकवाद को रोकने में कामयाब होते हैं, पाकिस्तान द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने-मरोड़ने में आई.एस.आई. द्वारा जो साजिश की जा रही है, अगर आप उस पर अंकुश लगाने में कामयाब होते हैं तो दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दर्जनों बार घोषणा की कि पाकिस्तान पहले क्रास बार्डर टैरेरिज्म खत्म करे तब वार्ता होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल तक मार-काट जारी थी और हमले हो रहे हैं, आतंकवादी कार्यवाही, क्रास बार्डर टैरेरिज्म जारी है।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सायं 6.00 बजे

भारत पाक के बीच में कोई नयी परिस्थिति नहीं आई है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदली है कि अमरीका ने इराक पर हमला किया और उसे बर्बाद किया यह परिस्थिति बदली है। अब प्रधान मंत्री जी ने जो अचानक बयान दे दिया और दोस्ती का हाथ ही नहीं पैर भी बढ़ा दिया कि यह दोस्ती हो, वार्ता हो तो क्या क्रास बार्डर टैरेरिज्म खत्म हुआ या क्रास बार्डर टैरेरिज्म कम हुआ अथवा पाकिस्तान के मन में भी है कि क्रास बार्डर टैरेरिज्म खत्म हो जाए तब वार्ता होगी या फिर वार्ता के बाद यह खत्म होगा? क्या बात है कि यह परिवर्तन आपकी स्टैंड में हुआ है? चैंज आफ स्टैंड अचानक क्यों हुआ? यह हम लोगों के मन में आशंका पैदा करती है। इसी से हमारे मन में यह आता है कि कहीं किसी दबाब में तो यह काम नहीं हो रहा है। आपकी स्टैंड में परिवर्तन हुआ है और बार-बार बयान दिया गया है क्रास बार्डर टैरेरिज्म खत्म करेंगे तो हम वार्ता करेंगे और वार्ता के लिए सारी तैयारी हो गई है, अफरा-तफरी मची हुई है। यह तो एक बात है।

दूसरी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो बोला। इतने अनुभवी आदमी कह रहे हैं कि विदेशी हमको जुड़वा देगा। विदेशी ने तो बंटवा दिया तो विदेशी आकर फिर क्यों जुड़वा देगा? डा. लोहिया ने जिस समय यह कहा था कि भारत पाक महासंघ हो। उस समय बंगलादेश नहीं था। टूट गया पाकिस्तान। बंगलादेश हो गया। भारत पाक बंगलादेश महासंघ हो, हम इससे सहमत हैं। लेकिन भारत पाक बंगलादेश महासंघ हो या तीनों देशों के बीच वार्ता हो या एकता हो या दोस्ती हो तो दुनिया में कोई भी विदेशी ताकत उसे बर्दाश्त करेगी कि भारत पाक के बीच में झगड़ा खत्म हो जाए और दोस्ती हो जाए? कैसे अनुमान लगा लेते हैं? कितने उत्साही और सहज ढंग से आप सोच लेते हैं कि विदेशी आकर एकजुट करा देगा, वार्ता करा देगा, समझौता करा देगा? इसीलिए सभी सावधान हो जाओ। किसी तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन हम सहन नहीं कर सकते। अमरीका को देख रहे हैं कि वह चाहता है कि दुनियाभर में आतंकवाद खत्म हो। सभी ने उनका समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी आतंकवाद के मामले में अमरीका का हम दोहरा मापदंड देखते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और यह वार्ता शुरू हो गई है, वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वार्ता से कोई परिस्थिति नहीं निकलेगी जिससे हम आशांवित हैं। लेकिन यदि समय काटने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो वार्ता हो लेकिन मुझे इस वार्ता से कोई अपेक्षा नहीं लगती। चूंकि पाकिस्तान की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन आया है या उसके रवैये में कोई परिवर्तन आया है, इसका कोई लक्षण हमें नहीं दिखता। इसलिए हम इससे बहुत आशांवित नहीं है लेकिन डिप्लोमैसी की बात है और डिप्लोमैसी में यदि यही प्रक्रिया ठीक है तो वार्ता करें लेकिन देश की जनता के मन में शंका है और आप उसका निवारण करें कि चैंज आफ स्टैंड क्यों हुआ? वार्ता में जो पूर्व में गड़बड़ी हुई थी, उसको न दोहराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: जो सवाल आपने यहां कहा...*(व्यवधान)* हमने तीन बातें कही कि एक तो देश का हित न टकराए, दखलंदाजी न हो और नीयत खराब न हो तथा हमारे देश के हित का ध्यान रखा जाए। सोच-समझकर कहिए। गांव में भी और मोहल्ले में भी पंचायत होती है तो तीसरा आदमी कुछ न कुछ बात करता है। अब वह दकियानूसी बात छोड़िए...*(व्यवधान)* हम लोग समाजवादी लोग हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, वह आपकी बात समझते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं मणिशंकर जी को सुन रहा था। जब वह बोल रहे थे तो मुझे पता नहीं चला कि वह सर्प की मणि हैं या शंकर की मणि हैं। वह कह रहे थे कि कश्मीर की समस्या वी.पी. सिंह की सरकार के वक्त से ही पैदा हुई है। क्या वह भूल गए कि कश्मीर की समस्या उस समय पैदा हुई जिस समय फारूख अबदुल्ला की बहुमत प्राप्त सरकार को गिराकर जी.एम. शाह की सरकार बनाई गई और उसके बाद कश्मीर की समस्या की जो यह वर्तमान स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह मैं बताना नहीं चाहता हूं।

महोदय, बार-बार यह कहा जाता है कि प्रधान मंत्री दबाव में है। अभी मैं अपने मित्र रघुवंश बाबू को सुन रहा था, वह कह रहे थे कि विदेशी दबाव में ये सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ तो वह कहते हैं कि विदेशी दबाव हमें एक नहीं होने देगा और दूसरी तरफ वह कहते हैं कि विदेशी दबाव में यह वार्ता हो रही है। अगर विदेशी दबाव है तो वह एकता के लिए नहीं होता। इसमें विदेशी दबाव नहीं है इसलिए हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैंने प्रतिपक्ष की नेता को और अन्य सदस्यों को भी सुना। सब लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ वार्ता हो, इसका सभी ने समर्थन किया है। निश्चित तौर पर जब हम पाकिस्तान के साथ वार्ता की चर्चा करते हैं तो हमें इतिहास को भी याद रखना पड़ेगा। चाहे पाकिस्तान का सवाल हो या बंगलादेश का सवाल हो या हिन्दुस्तान का सवाल हो, इसे अन्य देशों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। एक तरफ कहा गया कि आप वार्ता करें, लेकिन फूंक-फूंक कर मजबूती से कदम उठाएं। याद रखिए, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। कभी कहा जाता है कि आपने टेलीफोन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से क्या वार्ता की,

क्यों बृजेश मिश्र अमेरिका चले गए। मैं कहना चाहता हूं कि नीति पर चर्चा होती है, रणनीति पर नहीं होती। अगर हर कदम पर चर्चा हो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने प्रधान मंत्री पर विश्वास रखें। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास कोई एक दिन में नहीं बना है। जिन लोगों ने 50 वर्षों से इनके राजनीतिक जीवन को जाना है, निश्चित रूप से माना है कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद का पद छोड़ सकते हैं, लेकिन देश की एकता और सार्वभौमिकता से कोई समझौता नहीं कर सकते।

महोदय, जैसा मैंने कहा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों का 800 वर्षों का इतिहास है। दोनों के पुरखे पहले एक थे। दोनों की सभ्यता, संस्कृति और नस्ल एक थी। लेकिन कट्टरपंथियों के कारण देश का बंटवारा हुआ, खून बहा। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब उसके साथ हमारी वार्ता होती है, तो लोग कहते हैं कि युद्ध होना चाहिए। सरकार के सहयोगी दल हों या सामने का कोई दल हो, अगर कहते हैं कि युद्ध से समस्या का समाधान हो जाएगा तो चार-चार युद्ध हुए, समाधान होना होता तो हो जाता।

मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। आज तक इतिहास में मुझे दो ही आदमी मिले। एक मिश्र के राष्ट्रपति सादात, जब कर्नल नासिर मर गए तो मिस्त्र के राष्ट्रपति सादात हुए। उस समय मिस्त्र और इजराइल में युद्ध चल रहा था। एक दिन सादात साहब बिना इजराइल की सरकार को खबर किए इजराइल चले जाते हैं। वह वहां जाकर वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से वार्ता करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों पड़ोसी हैं, तो इजराइल को हम मान्यता देते हैं। हम क्यों अपने नौजवानों का खून बहाएं और क्यों हम अपने विकास के पैसे को खत्म कर रहे हैं, क्यों न हम दोनों मिलकर पड़ोसी की तरह रहा करें, मिल्लत और मोहब्बत से रहें। वह इजराइल को मान्यता देते हैं। दूसरे व्यक्ति अटलजी हैं। कुछ सदस्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा की चर्चा की। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूं कि वह बस यात्रा नहीं थी, वह विश्वास यात्रा थी। 100 करोड़ लोगों के विश्वास यात्रा थी कि भारत पड़ोसी से युद्ध नहीं चाहता, शांति और सद्भावना चाहता है, मिल्लत और मोहब्बत का रिश्ता चाहता है। लेकिन जैसा कहा गया कि कारगिल का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद कहा गया कि आगरा वार्ता फेल हो गई। मैं ऐसा नहीं मानता। जो जनरल लाहौर में सेल्यूट देने से बाज आया था, वही आगरा में आकर स्वीकारता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। ये सारी बातें अखबारों में भी आई हैं। क्या इस तरह हम एक कदम और आगे नहीं बढ़े हैं, मैं कहता हूं कि आप आगे बढ़े। कुछ मित्रों ने इसका समर्थन किया, मैं भी समर्थन करता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाएं, सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाएं, खेल और संगीत का सम्बन्ध बढ़ाएं। वहां से जो स्वर यहां आएगा, वह निश्चित तौर पर आगे के रास्ते को बनाएगा। मित्रता की मंजिल की तरफ सरकार के कदम बढ़ने दें। हो सकता है कि मंजिल तक नहीं पहुंच सकें, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की दूरी तो कम होगी ही वार्ता एक बार नहीं, हजार बार फेल हो जाएं कोई हर्ज नहीं कोई कहता है कि आप वहां जाएं और खाली हाथ नहीं लौटें, मैं भी कहता हूं कि आप वहां जरूर जाएं; अगर खाली भी लौटना पड़े दोस्ती के लिए फिर जाएं। दोनों देशों की भावना को एक होने के लिए आप बढ़ें, इसका हम पूरा समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पंडा (मिदनापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनो सरकारों के रवैये में अचानक आये परिवर्तनों के प्रति कुछ शंकाए हो रही है। इन परिवर्तनों का कारण चाहे कुछ भी हो, मैं भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से इसका स्वागत करता हूं। काफी लम्बे समय से हम भारत-पाक वार्ता फिर से शुरू करने की सिफारिश करते रहे हैं।

यह सत्य है कि पाकिस्तान का सीमा-से आतंकवाद का समर्थन करना कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की घोषणा और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविर चलाना आदि बातों ने इस मामले को जटिल बना दिया है। लेकिन इस वातावरण के बीच बातचीत के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है। बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत होनी चाहिए। दोनों देश के नेताओं को अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए।

महोदय, भारत-पाक संबंधों की त्रासदी यह है कि इसको सांप्रदायिक बना दिया गया है। यह पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सत्य है क्योंकि उसकी भारत के प्रति घृणा हावी हो रही है।

शुरूआत के तौर पर, दोनों देशों की राजधानियों में एक दूसरे देश के राजनयिक मिशनों को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। उच्चायुक्तों को वापिस भेजा जाना चाहिये ताकि वे उचित स्तर पर सार्थक बातचीत के लिए अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन सरकार को जोर देकर यह कहना चाहिये कि ''हम किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं।''

हमें आगरा शिखर सम्मेलन का अनुभव है। अत: हमे पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिना तैयारी के हम आगे नही बढ़ सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, हम सभी विदेश नीति पर एक रहे हैं और आज भी एक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह जो पहल की गयी है उसका हम स्वागत करते हैं। कभी-कभी पुरानी चीजों को हमें याद रखना चाहिए लेकिन हर वक्त पुरानी चीजों को खोलना आवश्यक नहीं होता है। पानी में हमेशा मधुरता रहनी चाहिए और कर्म पर हमेशा नियंत्रण रहना चाहिए। मेंहदी का पत्ता हरा होता है लेकिन दबाने पर लाल रंग निकलता है। युद्ध में भारत हमेशा जीतता रहा है लेकिन हमें बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। आज संसार में बातचीत का रास्ता खुला है और यह भी जरूरी है कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। भारत और पाकिस्तान की जनता चाहती है, तथा बंगला देश की जनता भी यही चाहती है कि बातचीत से समस्याएं सुलझें। बंगला देश के कारण पाकिस्तान को हमसे बहुत गुस्सा है लेकिन आज बंगला देश भी हमारा दोस्त नहीं रहा है। चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, पाकिस्तान हो, या श्रीलंका हो, इन सारे पड़ोसी देशों से हमें मित्रता करनी चाहिए।

इराक में जो कुछ हुआ, उसके दो कारण रहे। एक तो उसके अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और दूसरे आंतरिक झगड़ा था। हमें अपने पड़ोसियों से झगड़ा खत्म करना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आंतरिक वातावरण खराब हो। अगर ये दो चीजें हम कर लें तो भारत का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के 13 सांसद अन-आफिशियली भारत आ रहे हैं। यहां के सांसदों को भी वहां अन-आफिशियली जाना चाहिए जिससे दोनों देशों के लोगों के दिलों को जोड़ने का काम हो। सरकार की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। चाहे माननीय अटलजी प्रधानमंत्री हो या कोई दूसरा हो...*(व्यवधान)* सोनिया जी प्रधानमंत्री हों, वह भी वही बात बोलेंगे जो माननीय अटलजी बोल रहे हैं। चाहे मुशर्रफ साहब भी क्यों न हों, वहीं बात बोलेंगे क्योंकि दोनों को अपने-अपने देश का इंट्रेस्ट है। इसलिए सरकार का काम अपना है लेकिन दोनों देशों का जनता के दिलों को जोड़ने का काम हमें करना चाहिए। मैं फिर आग्रह करूंगा कि हमें बातचीत करनी चाहिए और दोनों देशों की जनता को मिलाकर एक महासंघ बनाना चाहिए।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): मिस्टर स्पीकर साहब, जनाबे-आला, मैं जम्मू-कश्मीर आवाम की तरफ से अपनी तंजीम नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से हिन्दुस्तान के वजीरे-आजम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुबारकबाद देता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इन्होंने दोनों देशों के बीच जो नफरत की दीवार है उसको ढहाने का बीड़ा उठाया है। यह वह तारीखी शख्सियत है जो नफरत की दीवार को ढहा सकती है। मैं देखता हूं कि इनके पाये का कोई भी आदमी नहीं है जो इस दीवार को ढहा सकता है। मसलों को हल करने के दो ही तरीके हैं-एक जंग और दूसरी बातचीत। काश्मीर में तीन जंगें लड़ी गई। हम जानते हैं, हम पर क्या गुजरी है। हमारे कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के घर उजड़ गए। काश्मीरी भाई दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ में दर-दर की खाक छान रहे हैं। इस चीज को संभालने के लिए हमारे वजीरे आजम हिन्दुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है, वे दोस्ती के हाथ को थामेंगे। पाकिस्तान के साथ काश्मीर के अलावा हमारे जितने भी मसायल हैं, उनका बातचीत से ही हल निकल सकता है। जहां कुछ दोस्त जंग की बात कहते हैं, जब जंग की बात चलती है, तो कहा जाता है कि जंग नहीं होनी चाहिए। जब दोस्ती की बात चलती है, तो कहते हैं कि दोस्ती से पता नहीं कुछ निकलेगा या नहीं। हर चीज पर डाउट किया जाए, यह नहीं होना चाहिए।

मैं वजीरेआजम हिन्दुस्तान से एक गुजारिश करना चाहता हूं। काश्मीर में इन्सानियत कराह रही है। काश्मीर में आप गोलाबारी बन्द करा दें और काश्मीर से निकले हुए लोग जो दर-दर की खाक छान रहे हैं, जो अपने मुल्क में मुजाहिर बने हुए हैं, उनको वापिस पहुंचा दें, तो यह तारीखी बहुत बड़ा कारनामा होगा। इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए बातचीत जारी रखिए। आपके दिल में नेक-नीयती है, आपने काश्मीर में जाकर एलान किया है, मुझे यकीन है कि खुदा आपको इसमें फतह देगा और आप कामयाब होंगे तथा हमारे मसायल हल होंगे।

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): جناب اسپیکر صاحب، جناب والا، میں جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے اپنی تنظیم نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہندوستان کے وزیراعظم جناب اٹل بہاری واجپئی جی کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے دونوں ملکوں کے بیچ جو نفرت کی دیوار ہے اس کو ڈھانے کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ یہ وہ تاریخی شخصیت ہے جو نفرت کی دیوار کو ڈھا سکتی ہی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پایہ کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو اس دیوار کو ڈھا سکتا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک جنگ اور دوسری بات چیت۔ کشمیر میں تین جنگیں لڑی گئیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم پر کیا گذری۔ ہمارے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے گئے۔ کشمیری بھائی دہلی، جے پور اور چنڈی گڑھ میں در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ اس چیز کو سنبھالنے کے لئے ہمارے وزیراعظم ہندوستان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ مجھے امید ہے، وہ دوستی کے ہاتھ کو تھامیں گے۔ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے علاوہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کا بات چیت سے ہی حل نکل سکتا ہے۔ جہاں کچھ دوست جنگ کی بات کہتے ہیں، جب جنگ کی بات چلتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہئے۔ جب دوستی کی بات چلتی ہے، تو کہتے ہیں کہ دوستی سے پتہ نہیں کچھ نکلے گا یا نہیں۔ ہر چیز پر ڈاؤٹ کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہئے۔

میں وزیراعظم ہندوستان سے ایک گذارش کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر میں انسانیت کراہ رہی ہے۔ کشمیر میں آپ گولہ باری بند کرا دیں اور کشمیر سے نکلے ہوئے لوگ جو در در کی خاک چھان رہے ہیں، جو اپنے ملک میں مہاجر بنے ہوئے ہیں ان کو واپس پہنچا دیں۔ تو یہ تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لئے بات چیت جاری رکھئے۔ آپ کے دل میں نیک نیتی ہے آپ نے کشمیر میں جا کر اعلان کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ خدا آپ کو اس میں فتح دیگا اور آپ کامیاب ہوں گے اور ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ شکریہ]

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। लाहौर-समझौता-यात्रा प्रधानमंत्री ने शुरू की। क्रिकेट हम खेलते थे। आतंकवाद की वजह से इसको बन्द किया। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अब बातचीत क्यों शुरू करने जा रहे हैं? जिसके हाथ खून से भरे हुए हैं, जिसके हाथ में खून लगा हुआ है, फिर आप क्यों पाकिस्तान से वार्ता करने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* पाकिस्तान हिन्दुस्तान में आतंकवाद बन्द करे, इस बारे में हम प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। हिन्दुस्तान को रियलाइज हुआ है पाकिस्तान आतंकवाद नहीं कर रहा है इसीलिए हिन्दुस्तान पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हुआ है। ऐसा पाकिस्तान कहेगा तो आप क्या जवाब देंगे।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ मसले ऐसे होते हैं, जिन पर सदन में मोटे तौर पर एक आम राय बनती है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, उन संबंधों का प्रश्न एक ऐसा ही मामला है। मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद के बावजूद जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए सब मिल कर काम करते हैं और अंतिम लक्ष्य भारत की विजय, भारत का गौरव, भारत की कीर्ति और भारत की एकता है।

इस चर्चा में बहुत सी पुरानी बातें उठाई गई हैं। लाहौर से शुरू किया और वह कहानी आगे बढ़ती गई। लाहौर के लिए खुद को दोषी ठहराया जाऊं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मित्रता के भाव से, पड़ोसी के नाते और पड़ोसी के साथ हमें निभाना है, जैसी भी निभे, अगर अच्छे संबंध बनाने का कोई अवसर प्राप्त होता है तो उसे खोना नहीं चाहिए। हमारा विकास आंतरिक और बाहरी शांति पर निर्भर है। हम नहीं चाहते कि युद्ध के लिए भारी हथियार खरीदे जाएं, देश के साधनों का बड़ा पैमाने पर उपयोग हो, लेकिन जब आजादी के लिए खतरा पैदा होता है, जब अखंडता खतरे में पड़ती है तो सब कुछ दांव पर लगाने का काम होता है, देश की रक्षा करनी पड़ती है। मैंने पाकिस्तान के मित्रों से कई बार कहा है कि हम मित्र बदल सकते हैं, मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। न आप कहीं जा सकते हैं, न हम कहीं उठ कर जा सकते हैं। हमें यहीं रहना है। अब एक रास्ता यह है कि दोस्त पड़ोसी के नाते रहें, दोस्ती के नाते रहें और दूसरा एक रास्ता लड़ते रहें, भिड़ते रहें, लेकिन रहें, दुनिया को हंसने का मौका दें, अपनी जनता की भावनाओं को भी ठीक से न समझने के कारण गलत रास्ते अपनाएं। इसलिए जहां तक संभव हो पड़ोसी के साथ मित्रता होनी चाहिए। इसीलिए मैं लाहौर गया। यह कहना गलत है कि लाहौर जाने से पहले पूर्व तैयारी नहीं थी। आगरा जाने से पहले भी कहा गया कि पूर्व तैयारी नहीं थी। इसका क्या मतलब है? सरकार चलती है, सरकार का ढांचा बना हुआ है, विदेश मंत्रालय मेरे आने से बदल नहीं गया, जो हमारे कूटनीतिज्ञ चतुर हैं, मैं समझता हूं कि इसमें हमारे मित्र सहमत होंगे, वे अफसरों पर गाज गिराते हैं लेकिन विदेश मंत्रालय वाले विदेश विभाग वालों को संरक्षण देते हैं। हमारी तैयारी थी, लेकिन बीच में जो कारगिल का प्रश्न पैदा हुआ, वह वहां की सरकार और फौज के सेनापति का आपस का झगड़ा था। दोनों देशों ने मिल कर लाहौर समझौते के बाद जो घोषणा पत्र निकाला था, उसमें कहा था कि हम शांति के साथ बातचीत करेंगे, मामले हल करेंगे और इस पर सहमति हुई। उस घोषणा पत्र में कश्मीर का भी उल्लेख नहीं था क्योंकि दोनों देशों में जो चर्चा हुई उसका नतीजा यह निकला कि कश्मीर का मामला उलझा हुआ है, हम इसकी बात न करें। अच्छा यह है कि हम और प्रश्नों पर अपना ध्यान लगाएं और उन्हें हल करते हुए आगे बढ़ें।

श्री मणि शंकर अय्यर: मेरे पास लाहौर डिक्लरेशन है। उसमें कहा गया है कि

[अनुवाद]

"... सहमत हुए हैं कि उनकी सरकारें अपने प्रयास बढ़ाएंगी..."

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री की बात पूरी होने के बाद मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं। अब आप कृपया बैठिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: "...जम्मू-कश्मीर मुद्दे सहित सभी मुद्दे हल किये जाएं..."

[हिन्दी]

आप कह रहे हैं कि कश्मीर का जिक्र नहीं है। यह आपके सामने है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, उसमें जो जिक्र है, मैं वह जानता हूं। वह जिस रूप में है, आप भी देख सकते हैं। आगरा की तरह से लाहौर में कश्मीर को मुख्य मुद्दा नहीं बनाया गया था। वह अब बना दिया गया है।

श्री मणि शंकर अय्यर: सबसे पहला मुद्दा है। आपने इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः जो बातचीत हुई है, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। जनरल मुशर्रफ साहब जब आगरा आये और जो चर्चा चली, उन्होंने सारी ताकत इस बात पर लगा दी कि कश्मीर के बारे में उनकी बात मान ली जाये। अब यह भी निकाल दिया कि यह बात नहीं हुई। आगरा से जनरल मुशर्रफ को खाली हाथ जाना पड़ा। मुझे दोषी ठहराया जा रहा है कि आपने गलती की, आपने तैयारी नहीं की। अगर तैयारी नहीं होती तो करगिल में पाकिस्तान के हमले का सफलतापूर्वक सामना नहीं किया जाता। हमने पाकिस्तान की योजना सफल नहीं होने दी। उनके यहां गृह-कलह इतना बढ़ गया कि उनके प्रधान मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। वे मिलकर काम नहीं कर सके। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो प्रयास किये जा रहे हैं, वे अच्छी नीयत से किये जाते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं। युद्ध-विराम कई बार किया गया। इस बात को लेकर सद्भावना है कि दोनों पड़ौसी देशों, विशेषकर जम्मू कश्मीर में मित्रता का वातावरण बने लेकिन यह मंशा पूरी नहीं हुई। आतंकवादियों में मतभेद हो गये, वे बंट गये, टूट गये। आज उनकी क्या स्थिति है? मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अब यह कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि जब तक सीमा-पार से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, आप बात नहीं करेंगे। हां, कहा था लेकिन हम सीमा पार से आतंकवाद रोकना चाहते थे, वह हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमने काम करने का फैसला किया और इतने जोरदार तरीके से काम किया कि सारी दुनिया के कुछ देशों को छोड़कर बाकी देश इस राय के हो गये कि सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है, वह बंद होना चाहिये। हमें विश्व का जनमत अपने साथ में लेने में सफलता मिली। हम यह नहीं कहते कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा लेकिन हमें समझौता करने के लिये गुंजाइश मिली, रास्ता निकला और इसलिये यह तय हुआ कि अब जब कश्मीर में चुनाव हो गये हैं और यह इतनी बड़ी घटना है, इसका सही मूल्यांकन होना चाहिये, मुझे ऐसा लगता है।

श्रीमती सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव का उल्लेख तक नहीं किया। जम्मू कश्मीर चुनाव एक नया परिच्छेद शामिल करने वाला परिवर्तन है। लोगों ने गोलियां खाईं और वोट देने गये। पाकिस्तान के सारे प्रयास विफल हो गये। उस दिन कश्मीर में मैंने उमड़ती भीड़ को देखा। मैं कश्मीर पहले भी जा चुका हूं। कश्मीर में मैंने तरह-तरह के स्वागत देखे हैं लेकिन चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में जो सभा हुई, मुफ्ती साहब ने समर्थन दिया, हमने उनका स्वागत किया। उस सभा में जो दृश्य था, उसने उस पड़ौसी को चौंकाया होगा। भले ही न चौंकाया हो लेकिन उस दृश्य ने हमारे हृदय में एक उत्साह पैदा किया कि जिस जनता के भरोसे हम खड़े हैं, वह जनता हमारे साथ है। साम्प्रदायिकता का जहर काम नहीं करेगा, लोग अमन चाहते हैं। लोग शान्ति के साथ रहना चाहते हैं। इतने लोग चुनाव में मारे गये, कितने घायल हुये। अगर आप उन सब की गिनती करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बहुत बड़ी कुर्बानी की है। उस दिन मुझे लगा कि अब एक नया कदम उठाने की जरूरत है। उसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई, जिसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस तरह से इराक पर हमला हुआ, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस बिना असर के छोड़ दिया गया, निष्प्रभावी बना दिया गया, उससे मुझे लगा कि अब जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, गुटनिरपेक्ष देश हैं, इन्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं इसे परिवर्तन की दिशा मानता हूं। इराक में अमरीका का आक्रमण और जम्मू-कश्मीर में जनता की जीत, ये दो अलग-अलग दिखाई देने वाली घटनाएं हैं, मगर ये जुड़ी हुई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): इसमें बी.जे.पी. की हार हुई।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः यहां हार-जीत की बात नहीं हो रही है। हम हमेशा हारने के लिए तैयार हैं और हम हारते हैं इसलिए तो यहां बैठे हैं और अब आप वहां पहुंच गये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडानाः कभी हम भी वहां बैठते थे और आप यहां बैठते थे। हम फिर वहां आ जायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। अध्यक्ष महोदय उस दिन मुझे लगा कि कोई नई पहल शुरू करने की जरूरत है। हम यह रट लगा सकते थे, जैसा बार-बार आपने कहा था क्या आतंकवाद रुक गया और मैं अगर कहूं कि आतंकवाद कम हो गया तो फिर आप कहेंगे कि कम होने से काम नहीं चलेगा, पूरा बंद होना चाहिए। मगर इसका जवाब दिया जायेगा कि सारे आतंकवादी किसी एक के कब्जे में नहीं है। आतंकवादी भी बंटे हुए हैं। आतंकवादियों की भी अलग-अलग राजनीति है। सारे आतंकवादी कहीं एक सूत्र से चलते हैं। अगर ऐसी है तो यह सचमुच में गंभीर बात है, मगर वास्तविकता ऐसी है नहीं, तो इसका भी इशारा मिला कि परिवर्तन हो रहा है और जम्मू-कश्मीर की जनता ने एक दो टूक फैसला किया। हमने कहा यह वक्त है दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए,

बशर्ते कि पाकिस्तान सीमापार से आतंकवाद को छोड़े और जो ढांचा वहां बना हुआ है, उसे समाप्त करे। बातचीत तो अभी शुरू नहीं हुई है, यह तो पूर्वाभ्यास है। लेकिन बातचीत में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि आइये हम दोनों मिलकर हाकी खेलने का फैसला करें, तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हाकी खेलते हैं, मैं जानता हूं, आप हाकी के कप्तान रहे हैं, अपने खिलाड़ियों का चयन करते थे। आप हाकी की बात कह रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती जमाली साहब, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का हाकी का मैच हो रहा है, भीड़ लगी है, सारा शहर उमड़ पड़ा है और उसी समय खबर आती है कि आतंकवादियों ने जम्मू में हमला करके 50 निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। वह कैसा खेल होगा, उस खेल की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या वह खेल मित्रता को पैदा करेगा, जो भी हम सोचें। इसलिए मैंने कहा कि यह आतंकवाद बंद होना चाहिए। अब उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। मगर उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा जुर्म है, जिससे आजकल हम भी परेशान है, हम भी अपने देश में लड़ रहे हैं और हम मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। इसके बाद सोचा गया कि आदान-प्रदान होना चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने चेतावनी दी है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम जरूर सावधानी बरतेंगे, हम भी दूध के जले हैं, छाछ को फूंक-फूंक कर पीयेंगे। लेकिन हम जड़ हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, कोई पहल न करें, कोई कदम न उठाएं, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, यह तो भारत जैसे बड़े देश को शोभा नहीं देता। विश्व में भारत का एक स्थान है। शांति के प्रति हमारी जो सम्पर्ण की भावना है, उससे सब परिचित हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन नहीं मिला है। लोगों का समर्थन जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जो चुनाव में दिखाया है, उसके साथ है। जो भी विदेशी आए थे और जो चुनाव में देखने गए थे, उन्होंने इस बात को माना कि लोगों ने अपनी राय प्रकट कर दी है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट कर दी है, गोलियों का सामना करते हुए कर दी है और उसकी कद्र की जानी चाहिए। दुनिया उनकी कद्र करेगी। कम से कम हम तो उसको जितना महत्व देना चाहिए, दें। एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आइए, हम उसको मिलकर बढ़ाएं। कोई नहीं चाहता कि जम्मू-कश्मीर चला जाए। सोनिया जी ने यह बात कैसे कही, मेरी समझ में नहीं आता। जम्मू-कश्मीर नहीं जाएगा। कौन कह रहा है जाएगा? जो यह कहेगा कि जाने वाला है, वह यहां रह सकता है? यह किसी ने नहीं कहा। पता नहीं किसने..., मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जम्मू-कश्मीर को कोई तोड़ नहीं सकता सही बात है। जम्मू-कश्मीर के तीन हिस्से हैं, अलग अलग डिविजन हैं। वह मिलकर बरसों से रह रहे हैं। नई व्यवस्था होगी तो उसमें भी साथ रहेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: नई व्यवस्था क्या होगी, वह बता दीजिए। लद्दाख, कश्मीर और जम्मू बंटवारे की जो पुरानी संघ परिवार की और अमेरिका की राय है, क्या वही आप बोल रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या कह रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव: नई व्यवस्था में क्या तीनों का बंटवारा करना चाहते हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अरे मुलायम सिंह जी, आप भी अपनी रट छोड़ते नहीं हैं। डा. लोहिया पाठ पढ़ा गए कि महासंघ होना चाहिए। महासंघ न उस समय हुआ, न अब होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: महासंघ नहीं होगा तो कभी भी दोस्ती नहीं होगी, यह बात लिख लीजिए मैं आज सदन में कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह आपकी राय है। हमारी राय अलग है। और अलग-अलग राय होते हुए भी हम और आप मित्र हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम तो आपका स्वागत ही कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: केवल महासंघ नहीं, अब तो दुनिया के देश इकट्ठा होकर बड़े-बड़े संघ बना रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: अब बता दीजिए कि यह आपका अंतिम प्रयास है या लगातार रहेगा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सारा यूरोप एक हो रहा है। जो पहले कम्युनिस्ट देश थे वे भी शामिल हो रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: आपका अंतिम प्रयास है या लगातार रहेगा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह युग का धर्म है। देश अब बंटने नहीं चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए और आर्थिक विकास के लिए सब मिलकर काम करें, इसके लिए देशों में एकता होना भी बहुत जरूरी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: सही बात है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): हम भी आपके साथ हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कामरेड भी हमारा साथ दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप नहीं चाहते? क्या आप मेरा समर्थन नहीं चाहते?

अध्यक्ष महोदय: रामदास आठवले साथ हैं, तो दूसरे किसी की जरूरत नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आठवले साथ रहेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कुछ और प्रश्न उठाए गए थे। पाकिस्तान डी-न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहा है। साउथ एशिया को वह डी-न्यूक्लियराइज करना चाहता है। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान का एटामिक कार्यक्रम इंडिया स्पैसेफिक है, हमारा पाकिस्तान स्पैसेफिक नहीं है। हमें केवल पाकिस्तान की चिन्ता नहीं है, हमें और भी आस-पास के देशों में क्या वातावरण बनता है, इसकी चिन्ता है। हमने एक न्यूक्लियर डाक्ट्रीन एडाप्ट की है। उसमें हमने कहा है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इस तरह की घोषणा नहीं की। उसने ऐसा करने से मना कर दिया है। तो फिर नो वार पैक्ट का मतलब क्या है? मल्होत्रा जी ने ठीक कहा कि नो प्राक्सी वार पैक्ट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, और भी प्रश्न उठाए गए थे। मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि दुनिया संकटों से घिरी है और उसमें यदि निश्चित आधार पर आगे बढ़ने का फैसला नहीं होता, तो कठिनाई होगी।

शांति की खोज कोई अपराध नहीं है। उसमें सफलता मिलती है या विफलता, यह बात अलग है। कौन विफलता चाहता है। लेकिन हम विफल हो जाएंगे, इसलिए उसे न करें, यह ठीक नहीं है। भारत जैसा विशाल देश इस तरह से फैसला नहीं कर सकता और न स्वतंत्र भारत ने कभी इस तरह से फैसले किए हैं।

हमने शिमला समझौते का विरोध नहीं किया था। इसलिए विरोध नहीं किया था क्योंकि उसमें दोस्ती थी। हमने उस समय इसलिए विरोध किया था क्योंकि शिमला समझौते के बाद भी जम्मू-कश्मीर का मामला हल नहीं हुआ।

अब अलग-अलग विचार हो सकते हैं, मतभेद हैं, उनको प्रकट किया जा सकता है, लेकिन एक देश के रूप में जब भारत की ओर दुनिया देखती है, तो वे आशा करते हैं कि हम एक स्वर में बोलेंगे, एक आवाज में बोलेंगे और जो मतभेद हैं, उनको आपस में बैठकर तय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी मतैक्य बना है, उसको आगे चलाया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चर्चा अब समाप्त हुई।

अब सभा कल 9 मई, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 मई 2003/वैशाख 19, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.34.36/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।